चतुर्दश माला, खंड 27, अंक 25

मंगलवार, 8 मई, 2007
18 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 4 Feb 2008

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 25, मंगलवार, 8 मई, 2007/18 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	क्रमांक
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 481	3-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 4375 से 4604	56-510
सभा पटल पर रखे गए पत्र	512-528, 552-554
याचिका समिति	
सत्ताईसवां और अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	528
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन	529
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ अट्ठानवें से दो सौ दोवां प्रतिवेदन	529
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग (2006–07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	529-530
राज्य सभा से संदेश	530-531
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यथा प्रस्तावित और पूर्व सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई सहमति के अनुसार उड़ीसा में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता	531-550
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	531-538
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	532, 546-550
श्री भर्तहरि महताब	538-540
श्री खारबेल स्वाईं	540-542
श्री प्रसन्न आचार्य	542-544
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	544-545
कार्य मंत्रणा समिति के सैतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	554
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	554-561
(एक) बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	554-555

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में वह प्रश्न उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) नदियों को परस्पर जोड़ने की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एस. वी. चित्तन 555-556

(तीन) इन्दौर और मनमाड़ के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 556-557

(चार) विवाह पूर्व एच आई वी जांच को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना 557

(पांच) मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 557

(छह) राजस्थान के नागौर जिले के लाडनूं में एक अतिरिक्त रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 557-558

(सात) चम्बल नदी के "उसेद घाट" पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 558

(आठ) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम "द इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड" की पालघाट यूनिट को स्वतंत्र लाभ अर्जित करने वाली यूनिट बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एस. कृष्णदास 558

(नौ) इथनोल उत्पादन के संबंध में एक दीर्घकालीन नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 558-559

(दस) बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 559-560

(ग्यारह) देश के दक्षिणी बन्दरगाहों के अलावा अन्य बन्दरगाहों के माध्यम से खाद्य तेल का आयात किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 560

(बारह) पंढरपुर से मुम्बई के बीच चलने वाली चन्द्रभागा एक्सप्रेस और नई दिल्ली से मानमाड़/कोपरगांव तक एक एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 560-561

नियम 193 के अधीन चर्चा

ग्लोबल वार्मिंग 562-640

श्री सी. के. चन्द्रप्पन 562-569

श्रीमती मेनका गांधी 569-574

श्री सन्दीप दीक्षित 574-580

डा. सुजान चक्रवर्ती 580-584

श्री रवि प्रकाश वर्मा 585-590

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 592-600

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन 600-603

श्री भर्तृहरि महताब 603-608

श्री खारबेल स्वाईं 608-614

श्री के.एस. राव 614-619

श्री राम कृपाल यादव 619-623

श्रीमती रंजीत रंजन 624-625

श्री मानवेन्द्र सिंह 625-628

डा. के. धनराजू 629-631

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 631-633

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार 633-636

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 636-638

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 638-639

श्री टेक लाल महतो 639-640

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 649

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 650-656

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 657-658

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 657-660

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 8 मई, 2007/18 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम गुजरात के सवाल पर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको 12 बजे बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। एक हफ्ते से हम गुजरात के मामले को उठाना चाह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी प्रश्न–काल का समय है।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर–पूर्व) : महोदय, सारा देश इस मामले पर चर्चा कर रहा है। यह अंतर्राज्यीय मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर उचित रीति से चर्चा करें। मैं किसी भी महत्वपूर्ण मामले की अनदेखी नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : गुजरात में मुसलमानों की मुठभेड़ में हत्या के मामले में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप किसी मामले पर चर्चा करना चाहते हैं और मैं इस पर विचार करूंगा। मैं आपको उचित समय पर बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उचित समय पर बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दीजिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुन भी नहीं पा रहा हूं। जी हां, श्री सुमन, आप क्या कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

आप क्या बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूं, क्योंकि आप सभी एक साथ खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं बारबार एक सप्ताह से आग्रह कर रहा हूं कि गुजरात में जो मुसलमानों की फर्जी मुठभेड़ हुई है*... राज्य का काम लोगों की हिफाजत करना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। जी नहीं, आप किसी का नाम नहीं ले सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को 12 बजे उठा सकते हैं। आप इसे प्रश्न काल के पश्चात् 12 बजे समुचित ढंग से उठा सकते हैं। आप इसे अनुमत रीति से उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : जी, नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा है कि जो अनुमत हो, उसके अनुसार किया जा सकता है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह राज्य का विषय है, और इसे यहां नहीं उठाया जा सकता ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री राजनारायण बुधौलिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : जब तक सभी माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है? अतः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रश्न-काल को पूरा होने दीजिए। इसमें कई महत्वपूर्ण मामले हैं। हम यह देखेंगे कि किसकी अनुमति दी जा सकती है और किसकी नहीं दी जा सकती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है। अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जानी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : चीन, अरुणाचल प्रदेश के अन्दर घुस गया, उसके ऊपर चर्चा करो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तपोषण

***461. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा उसमें क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तपोषण की नई पद्धति के बारे में अपना विरोध प्रकट किया है तथा वे वित्तपोषण की पुरानी पद्धति के पक्ष में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा उपकर के माध्यम से एकत्र किए जाने वाले राजस्व का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 10 और 11 अप्रैल, 2007 को आयोजित किया गया।

(ख) इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त रूप से स्थिति का जायजा लेना तथा शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, गुणवत्ता तथा सामर्थ्य के संदर्भ में ग्यारहवीं योजना के दौरान यथासंभव अधिकतम प्रगति हेतु रूप-रेखा बनाना था। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राज्यों के शिक्षा विभाग, ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक शिक्षा पर होने वाले सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर तक बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से कार्य करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे अग्रणी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, इनके निधियन तथा क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की वर्तमान 10% की दर को बढ़ाकर कम से कम 15% करने, व्यावसायिक शिक्षा, सुविधाहीन वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, बालिकाएं तथा विकलांग व्यक्ति शामिल हैं, के लिए शिक्षा की पहुंच में वृद्धि तथा तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित केन्द्र प्रायोजित योजना के अनुसार ग्यारहवीं योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निधियन पैटर्न 50:50 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। सम्मेलन में इस विचार का समर्थन किया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निधियन पैटर्न 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में जारी रखे जाने संबंधी मामले की भारत सरकार द्वारा समुचित रूप से जांच की जानी चाहिए।

(ङ) दसवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों पर 2% की दर से लगाए गए शिक्षा उपकर के माध्यम से वर्ष 2004-05 में 4318.51 करोड़ रुपए, वर्ष 2005-06 में 7637.75 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2006-07 में 6833 करोड़ रुपए

(अनंतिम फरवरी, 2007 तक) की राशि एकत्र हुई। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों पर 2% की दर से लगाए गए शिक्षा उपकर और 1% की दर से लगाए गए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के माध्यम से ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष 2007–08 में अनुमानतः 15105 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की जाएगी। ग्यारहवीं योजना के शेष वर्षों के लिए शिक्षा उपकर से एकत्र होने वाली राशि के अनुमानित आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

कपास का निर्यात

*462. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के प्राधिकारियों ने आपसी सहमति से तय मूल्य पर भारत से चीन को कपास के निर्यात के बारे में विचार–विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कपास का निर्यात मूल्य अमरीकी कपास के मूल्य से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, चीन के प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नई दिल्ली में दिनांक 9.3.2007 को हुई थी जिसमें कच्ची कपास के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात संबंधी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत और चीन दोनों देशों की सामान्य तौर पर कपास अर्थव्यवस्था परिदृश्य से संबंधित सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया था। तथापि, आपसी सहमति से तय किए गए मूल्य पर भारत से चीन को कच्ची कपास के निर्यात के बारे में कोई विशिष्ट चर्चा नहीं हुई थी।

(ग) जी, नहीं। भारत की कच्ची कपास (संकर–6, 1–1/8–28.5 एम एम) और यूएसए की कच्ची कपास (कैलिफोर्निया अकाला एसजेवी एस एम 1–1/8–28.5 एमएम) की समान लंबाई समूह का वर्तमान तुलनात्मक मूल्य नीचे दिया गया है:–

विवरण	ईस्टर्न कोटेशन सी/एफ, यू एस सेंट प्रति पाउंड में	
	05.04.2007	19.04.2007
कैलिफोर्निया अकाला	69.00	66.50
एसजेवी एसएम 1–1/8 संकर 6, 1/18	59.25	60.00

स्रोत : कॉटन आउटलुक

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छ एवं हरित खनन कार्य संचालन

*463. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वच्छ एवं हरित खनन कार्य संचालन पर बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) खनन संचालन का कार्य भारतीय खान ब्यूरो/राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार पट्टाधारकों द्वारा किया जाता है। खनिजों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन को सुनिश्चित करने के लिए खनन योजना आवश्यक है और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, वनों पर खनन के प्रभाव का आकलन, वनरोपण के क्षेत्र के पुनरूद्धार की योजना का ब्यौरा, प्रदूषण नियंत्रण उपाय आदि शामिल होते हैं। खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खनन प्रचालन, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किए जाएं, भारतीय खान ब्यूरो खानों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, खनन कार्यकलाप वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके तहत बनाए गए नियमों और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और इसके तहत बनाए गए नियमों और अधिसूचनाओं सहित देश के अन्य कानूनों के भी अधीन हैं।

अनैतिक व्यापार

*464. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री उदय सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अनैतिक व्यापार के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसकी बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ अवैध व्यापार की शिकार महिलाओं एवं बच्चों की संख्या के बारे में जनगणना आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अध्ययन "भारत में वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाएं/बालिकाएं", जो वर्ष 2002 एवं 2004 के बीच किया गया था, में बताया गया है कि देश में वेश्याओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अध्ययन के अनुसार, अनुमान है कि देश में 2.8 मिलियन वेश्याएं हैं, जिनमें से 35.47 प्रतिशत वेश्याओं ने देह व्यापार में 18 वर्ष से कम आयु में प्रवेश किया।

(ग) से (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृहों का संचालन कराता है। ये गृह व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, पुनर्वास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। यौन योषण हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध देह व्यापार के निवारण से संबंधित एक प्रायोगिक परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। 'अवैध देह व्यापार के निवारण तथा अवैध देह व्यापार एवं व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं को छुड़ाने, उनका पुनर्वास एवं पुनःसमेकन करने हेतु एक व्यापक स्कीम' को वार्षिक योजना 2007–08 में शामिल किया गया है।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में गठित बाल वेश्यावृत्ति निवारण संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति अवैध देह व्यापार एवं वेश्यावृत्ति निवारण हेतु राज्य सरकारों के कार्य–कलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अवैध देह व्यापार के निवारण के लिए प्रचार, जागरूकता विकास, संचेतना कार्यक्रम भी चलाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) हेतु नई नीति

***465. श्री ए. साई प्रताप :**
श्री किसन भाई वी. पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकानोमिक जोन) के मुद्दे की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है तथा नई नीति के किस तारीख को लागू हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

भूमि अधिग्रहण सहित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अधिकार प्राप्त मंत्रि समूह (ईजीओएम) द्वारा विचार किया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू निम्नलिखित निर्णय 5 अप्रैल, 2007 को आयोजित ईजीओएम की बैठक में लिए गए थे:–

(1) औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेडों के संबंध में जांच प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अधिसूचनाएं जारी की जा सकती हैं।

(2) एसईजेडों के लिए लम्बित आवेदन सिद्धांत रूप से संसाधित किए जा सकते हैं और औपचारिक अनुमोदन तथा अधिसूचनाएं इस शर्त के अध्यधीन जारी की जा सकती हैं कि राज्य सरकारें ऐसे एसईजेडों के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगी।

(3) बहु उत्पाद एसईजेडों के लिए क्षेत्र की अधिकतम सीमा 5000 हेक्टेयर नियत की जाए तथापि राज्य सरकारें कम सीमा निर्धारित कर सकती हैं।

(4) न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र की सीमा बहु उत्पाद एसईजेडों और क्षेत्र विशिष्ट एसईजेडों के लिए समान रूप से 50% निर्धारित की जाए।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय से सभी संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए व्यापक भूमि अधिग्रहण अधिनियम तैयार करने और प्रत्येक विस्थापित परिवार से न्यूनतम एक व्यक्ति को परियोजना से आजीविका सुनिश्चित करते हुए व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाए।

'मिड-डे-मील' योजना

***466. श्री रघुनाथ झा :**
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक शिक्षा योजना को राज्य तथा संघ–राज्य क्षेत्रवार कितना बढ़ावा मिला है तथा 'मिड–डे–मील' योजना के आरंभ होने से पूर्व तथा सर्व–शिक्षा अभियान में इसके विलय के पश्चात् राज्य–वार तथा संघ–राज्य क्षेत्रवार कितने–कितने बच्चे पढ़ रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ–राज्य क्षेत्रवार किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में 'मिड–डे–मील' योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति के दुरूपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के मामले आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) गर्म, पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की योजना सितंबर 2004 में शुरू की गई थी। वर्ष 2003–04 और 2004–05 के लिए प्राथमिक स्तर पर नामांकन में हुए सुधार का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजनय योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं। इन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

विवरण-I

नामांकन (कक्षा I से V)

क्र. सं.	राज्य	2003–04	2004–05
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	79,75,659	76,92,411
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,80,253	1,84,673
3.	असम	32,32,547	35,10,665
4.	बिहार	94,71,186	1,00,42,119
5.	छत्तीसगढ़	33,97,795	34,05,502
6.	गोवा	1,07,875	1,06,828
7.	गुजरात	65,51,770	65,53,022
8.	हरियाणा	20,10,659	20,73,939
9.	हिमाचल प्रदेश	6,66,938	6,70,807
10.	जम्मू और कश्मीर	9,50,296	9,69,479
11.	झारखंड	31,40,252	34,46,984
12.	कर्नाटक	62,67,825	58,83,907
13.	केरल	24,92,430	25,43,422
14.	मध्य प्रदेश	88,30,733	1,03,51,093
15.	महाराष्ट्र	1,11,75,756	1,13,85,483
16.	मणिपुर	3,39,110	3,48,897
17.	मेघालय	3,60,907	4,67,795
18.	मिजोरम	1,27,057	1,23,705
19.	नागालैंड	2,10,410	2,24,246
20.	उड़ीसा	49,18,067	52,18,568
21.	पंजाब	19,79,294	19,01,408
22.	राजस्थान	94,79,755	93,29,792
23.	सिक्किम	76,799	86,149
24.	तमिलनाडु	65,91,113	64,03,416
25.	त्रिपुरा	4,51,731	4,61,209
26.	उत्तर प्रदेश	2,40,80,867	2,45,79,638
27.	उत्तरांचल	11,64,485	11,91,505
28.	पश्चिम बंगाल	1,03,27,725	98,81,352
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40,388	40,274
30.	चंडीगढ़	66,034	62,908
31.	दादरा और नगर हवेली	32,912	33,624
32.	दमन और दीव	16,222	16,321
33.	दिल्ली	14,42,259	14,60,714
34.	लक्ष्यद्वीप	7,161	7,053
35.	पांडिचेरी	1,02,021	1,03,999
	भारत	12,82,66,291	13,07,63,067

स्त्रोत : चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2003–04 और 2004–05, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

विवरण-II

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21644.90	21201.44	36885.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	311.37	401.90	2841.29

1	2	3	4	5
3.	असम	8105.15	10885.25	29756.95
4.	बिहार	20909.40	36782.62	47829.87
5.	छत्तीसगढ़	10457.72	9675.89	15533.19
6.	दिल्ली	60.42	3093.85	943.73
7.	गोवा	8060.07	177.02	277.87
8.	गुजरात	4233.22	10526.76	17640.71
9.	हरियाणा	2074.87	4050.12	5926.58
10.	हिमाचल प्रदेश	246.85	2196.75	4399.52
11.	जम्मू और कश्मीर	3082.63	1542.56	5939.78
12.	झारखंड	13317.33	13162.89	15429.01
13.	कर्नाटक	6512.68	14726.33	24746.02
14.	केरल	22087.61	4476.09	6231.79
15.	मध्य प्रदेश	26355.29	26197.07	49718.43
16.	महाराष्ट्र	974.34	13563.88	45328.13
17.	मणिपुर	2480.28	915.09	1414.75
18.	मेघालय	317.00	1600.93	2650.65
19.	मिजोरम	858.21	290.97	621.79
20.	नागालैंड	18081.36	550.17	964.06
21.	उड़ीसा	3296.80	7304.95	27980.77
22.	पंजाब	20275.57	1774.16	6224.98
23.	राजस्थान	266.09	17410.58	27561.57
24.	सिक्किम	11244.51	463.87	455.51
25.	तमिलनाडु	1296.54	13646.96	14484.04
26.	त्रिपुरा	2133.64	1688.4	2856.76
27.	उत्तर प्रदेश	41188.28	51277.82	81388.83
28.	उत्तरांचल	29701.34	2962.43	6223.23
29.	पश्चिम बंगाल	12.32	45464.52	39644.01
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41.47	40.06	46.52
31.	चंडीगढ़	41.91	172.87	100.32
32.	दादरा और नगर हवेली	11.26	89.47	92.01
33.	दमन और दीव	1369.98	50.81	24.59
34.	लक्ष्यद्वीप	0.00	20.60	1.06
35.	पांडिचेरी	1003.70	128.09	201.70
		282054.11	318512.87	522365.16

विवरण-III

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनियमितताओं की प्रकृति	की गई कार्रवाई की स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2005 में पश्चिमी गोदावरी जिले में मध्याह्न भोजन (चावल) का दुरुपयोग	राज्य सरकार द्वारा मुख्याध्यापक के विरूद्ध, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है
2.	बिहार	(i) वर्ष 2005 में पटना जिले में खाद्यान्नों की कालाबाजारी (ii) वर्ष 2005 में पश्चिमी चंपारण जिले में अध्यापक के घर में खाद्यान्नों का स्टाक पाया गया।	राज्य सरकार द्वारा इस मामले में जांच आरंभ कर दी गई है।
3.	उड़ीसा	वर्ष 2005 में जगतसिंहपुर जिले में एक अध्यापक मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियत चावल को बेचते हुए पकड़ा गया था।	राज्य सरकार द्वारा अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

1	2	3	4
4.	पंजाब	वर्ष 2005 में राजकीय प्राथमिक स्कूल, भारगो नगर (जी), जालंधर से पांच बोरी गेहूं चोरी होने की सूचना दी गई थी।	एक पुलिस केस दर्ज किया गया है। इस मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए है।
5.	राजस्थान	वर्ष 2005 में खाद्यान्नों को बाजार में बेचने एवं निधियों के संबंध में गांव बंद, जिला बाडमेर के श्री हनुमान राम और अन्य से शिकायत प्राप्त हुई थी	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जांच के पश्चात् आरोप निराधार पाए गए।
6.	उत्तर प्रदेश	(i) निरपुड़ा गांव, ब्लाक बिनौली, तहसील बरोट, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) में ग्राम प्रधान और अध्यापकों द्वारा खाद्यान्नों और भोजन पकाने की लागत की निधियों का दुरूपयोग करने के संबंध में फरवरी, 2006 में श्रीकृष्णपाल राणा और अन्य से शिकायत प्राप्त हुई थी। (ii) बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में तीन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उठाए गए मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियत आठ चावल से भरे ट्रकों को वर्ष 2005 में समयपुर बादली में दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था। (iii) फरवरी, 2006 में मुरादाबाद/अमरोहा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध दुराचार के आरोप के संबंध में श्री विजय राज सैनी, सचिव, युवा कांग्रेस (आई) मुरादाबाद से शिकायत प्राप्त हुई थी।	(i) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जांच के पश्चात् आरोप सही नहीं पाए गए। (ii) संबद्ध गैर–सरकारी संगठनों के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं। दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलंदशहर को निलंबित कर दिया गया है। गैर सरकारी संगठनों की निधियों की विशेष लेखा परीक्षा कराने हेतु आदेश जारी किए गए हैं और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी खाद्यान्नों के अंतर–जिला हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। (iii) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि प्रारंभिक जांच के पश्चात् आरोप सही नहीं पाए गए। राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली पुलिस ने गैर सरकारी संगठनों/संभारकों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाए गए चावल ले जाते हुए दो ट्रक जब्त किए गए, जिन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए नरेला ले जाया जा रहा था।	पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 168/07 दर्ज की गई थी। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि तथ्यों का पता लगाने के लिए एक विभागीय जांच भी की जा रही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों की अनुपलब्धता

***467. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू शैक्षणिक सत्र में कुछ कक्षाओं, विशेषकर दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों की कम संख्या में आपूर्ति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्चर्या संरचना, 2005 के आधार पर शैक्षिक सत्र 2007–08 से कक्षा II, IV, VII, X, और XII के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नई पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। कक्षा X और XII की अधिकांश पाठ्यपुस्तकें अप्रैल, 2007 में पहले ही पर्याप्त संख्या में जारी कर दी गई हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने

कुछ पुस्तकों के भाग–II, जिनका उपयोग विद्यार्थी सामान्यतः भाग–I पूरा करने के बाद ही करते हैं, को जून, 2007 के अन्त तक प्रकाशित करने का समय नियत किया गया है। पाण्डुलिपियों को अन्तिम रूप देने में लगने वाले अपेक्षित समय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अपने प्रकाशनों की गुणवत्ता बनाए रखने की प्रतिबद्धता के कारण पुस्तकों के भाग–II, पूरक–पुस्तकों तथा अनुदित रूपान्तर के प्रकाशन में कुछ विलम्ब हो जाता है।

(ग) और (घ) सरकार को समाचार पत्रों के माध्यम से शैक्षिक सत्र की शुरूआत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता की शिकायतों तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पर्याप्त संख्या में यथा–समय पर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007–08 के दौरान मुद्रित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के आदेश दिए हैं। पाठ्यपुस्तकें वितरित करने के लिए इसका पूरे देश में 235 थोक विक्रय एजेंटों का एक नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता और गुवाहाटी स्थित बिक्री केन्द्रों पर भी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकें वेबसाइट www.ncert.nic.in पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले सभी राज्यों को राज्य बोर्डों से सम्बद्ध विद्यालयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों का कापीराइट दिया जाता है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प को बढ़ावा देना

***468. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर राजस्थान में हस्तशिल्प व्यापार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के बहुत से भागों में अकाल तथा सूखे की स्थिति को देखते हुए कतिपय राज्यों को कोई विशेष पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पैकेज को कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राजस्थान राज्य सहित देश में हस्तशिल्पों का संवर्धन करने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं जिसमें चुनिंदा शिल्प क्लस्टरों के एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई); डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता एवं सेवाएं; निर्यात संवर्धन; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एस एच टी पी); प्रशिक्षण एवं विस्तार; राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा अनुसंधान एवं विकास इत्यादि शामिल है।

(ख) देश के किसी भाग में अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए कुछेक राज्यों को विशेष पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हस्तशिल्प राज्य का विषय है और किसी राज्य विशेष में अकाल एवं सूखे की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य सरकार से विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य

***469. श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
श्री अजीत जोगी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व–शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में स्कूल खोलने, स्कूल भवनों के निर्माण आदि जैसी विभिन्न अवसंरचनात्मक मदों के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य तथा संघ राज्य–क्षेत्रवार क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सर्व–शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य तथा संघ–राज्य क्षेत्रवार कितना आबंटन किया गया;

(ग) खर्च न की गई धनराशि का राज्य तथा संघ–राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सर्व–शिक्षा अभियान की गति बहुत धीमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न

विवरण–I में दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा जारी राज्यवार निधि और अव्ययित शेष के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन सुस्थिर गति से किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना और बजट के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है।

विवरण-I

स्कूल खोलने, स्कूल भवनों (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के निर्माण के लक्ष्यों और उनकी तुलना में संचयी उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्कूल (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) खोलने के लक्ष्य			स्कूल (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक खोलने की संचयी उपलब्धि)	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लक्ष्य			गत तीन वर्षों में स्कूल भवनों की उपलब्धियाँ (पूर्ण और प्रगति पर)	अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के निर्माण का लक्ष्य			गत तीन वर्षों में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों की उपलब्धियां (पूर्ण और प्रगति पर)
		2004–05	2005–06	2006–07		2004–05	2005–06	2006–07		2004–05	2005–06	2006–07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	778	619	460	8265	1800	3406	2548	6185	2788	4002	14316	20577
2.	अरुणाचल प्रदेश	43	0	410	545	140	0	509	864	8	0	697	1154
3.	असम	0	0	0	0	6928	0	204	6787	42	0	30000	20983
4.	बिहार	2166	1938	15822	3990	641	541	15000	2581	7605	3773	61000	71919
5.	छत्तीसगढ़	2105	2896	3982	6	1291	3269	7205	12014	2120	2063	1727	6535
6.	गोवा	0	0	8	5	0	0	0	0	0	41	95	41
7.	गुजरात	0	0	0	0	720	16	100	463	4944	2184	7145	11437
8.	हरियाणा	337	531	523	1218	322	411	527	1247	2120	1965	4257	9793
9.	हिमाचल प्रदेश	264	149	88	890	0	0	0	0	1859	1340	1275	5161
10.	जम्मू और कश्मीर	1744	1364	148	6154	480	742	2236	3480	734	60	3336	4841
11.	झारखंड	4443	8861	7876	22219	0	1797	5949	5891	9303	5135	11415	23045
12.	कर्नाटक	703	575	3382	2677	352	616	743	1851	3885	7636	13625	25445
13.	केरल	0	0	124	0	112	44	156	265	1505	1523	1389	4948

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. मध्य प्रदेश	15298	687	386	37999	5873	5524	10301	33041	3374	13373	15134	34412
15. महाराष्ट्र	0	462	385	685	2865	4900	395	9814	3174	5871	14410	32245
16. मणिपुर	82	82	0	41	170	287	283	411	110	182	366	371
17. मेघालय	200	0	1000	1560	0	0	500	368	0	0	1000	18
18. मिजोरम	20	109	168	109	297	0	424	1084	101	0	47	240
19. नागालैंड	0	0	56	0	0	44	61	150	248	201	1556	2194
20. उड़ीसा	1459	1678	3088	9174	1929	1245	3868	7128	3088	1172	6480	10747
21. पंजाब	0	0	88	1005	97	0	88	280	1603	2905	4562	11259
22. राजस्थान	7569	4785	20303	11180	3004	2359	817	7693	2395	4743	29039	36211
23. सिक्किम	0	7	2	87	5	4	2	45	124	0	130	204
24. तमिलनाडु	1031	846	360	4424	1031	592	672	1905	3984	4983	12464	21922
25. त्रिपुरा	93	120	269	1282	289	252	488	1106	325	225	301	1251
26. उत्तर प्रदेश	4989	4729	6850	20715	7678	6804	6970	22906	18552	65636	82117	164134
27. उत्तरांचल	190	214	476	1426	370	630	926	3051	327	557	1641	3555
28. पश्चिम बंगाल	2122	0	0	0	120	215	288	828	10992	12088	38500	65841
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	4	4	4	0	2	2	0	20	34	50	54
30. चंडीगढ़	8	2	0	6	10	12	0	2	20	60	0	14
31. दादरा और नगर हवेली	34	0	8	57	0	0	86	34	0	0	13	243
32. दमन और दीव	12	0	0	0	12	0	0	12	0	9	2	11
33. दिल्ली	0	0	2	0	0	0	2	2	0	553	350	903
34. लक्ष्यद्वीप	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	.0	0
35. पांडिचेरी	15	13	0	0	15	13	0	0	91	72	0	0
कुल	45708	30671	68273	135723	36551	33725	61355	131485	85441	142386	358939	591708

विवरण-II

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2004–05	2005–06	2006–07	राज्यों के पास अव्ययित शेष (31.03.2007 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28000.00	37999.00	46245.56	3403.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	3009.00	4442.51	7143.74	1418.67
3.	असम	20654.00	13850.00	51464.72	16602.33
4.	बिहार	31970.56	32399.56	107744.39	12388.15
5.	छत्तीसगढ़	20786.76	30184.39	50182.20	4590.54
6.	गोवा	0.00	728.12	724.12	0.00
7.	गुजरात	14072.00	15084.84	14806.97	550.54
8.	हरियाणा	12881.55	10196.55	25647.12	4349.17
9.	हिमाचल प्रदेश	6144.00	7614.66	6250.75	371.59
10.	जम्मू और कश्मीर	7747.18	18530.65	22083.37	1113.84
11.	झारखंड	16568.50	28568.50	51515.00	2948.51
12.	कर्नाटक	26280.70	28303.78	54206.98	506.11
13.	केरल	8939.00	5939.00	6382.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	44608.92	77173.12	110879.68	11607.48
15.	महाराष्ट्र	35489.79	50235.31	52158.56	10541.55
16.	मणिपुर	1225.00	3208.44	9.24	170.42
17.	मेघालय	2930.81	1921.00	4294.00	2304.29
18.	मिजोरम	3300.24	2559.15	3441.69	0.00
19.	नागालैंड	2088.49	2323.01	2315.20	2824.31
20.	उड़ीसा	21807.27	32792.50	44010.95	10223.33
21.	पंजाब	3040.00	14683.89	12879.92	1047.82

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	23549.40	60313.43	75809.82	980.49
23.	सिक्किम	1000.25	1062.50	402.14	448.03
24.	तमिलनाडु	26517.00	35329.53	37329.65	26.14
25.	त्रिपुरा	4703.96	7070.19	5330.01	436.90
26.	उत्तर प्रदेश	87761.00	182799.00	206654.00	35027.97
27.	उत्तरांचल	9144.71	10004.00	16934.00	3728.15
28.	पश्चिम बंगाल	46024.36	34199.79	61736.80	3414.75
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.58	163.00	419.62	204.37
30.	चंडीगढ़	447.95	350.00	300.00	255.54
31.	दादरा और नगर हवेली	111.91	0.00	100.00	24.94
32.	दमन और दीव	0.00	111.91		247.15
33.	दिल्ली	0.00	1100.00	4230.24	0.00
34.	लक्ष्यद्वीप	12.03	0.00	87.47	131.95
35.	पांडिचेरी	225.53	529.40		243.71
	कुल	511314.44	751770.73	1083719.91	132132.53

भारत तथा अन्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता

*470. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ देशों, विशेषकर थाईलैंड, के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफ टी ए) की समीक्षा करने का है तथा इन देशों के साथ सरकार ने नए मुक्त व्यापार समझौते करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देशवार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निशुल्क अथवा कम सीमा शुल्क पर कृषि उत्पाद तथा प्राकृतिक रबड़ के आयात का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए मुक्त व्यापार करारों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि थाईलैंड के संबंध में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक कार्यढांचे करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत 82 टैरिफ लाइनों के लिए एक शीघ्र फलदायी स्कीम कार्यान्वित की गई है। इस समय वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में व्यापार के लिए थाईलैंड के साथ वार्ताएं की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) शून्य अथवा कम किए गए सीमाशुल्क पर प्राकृतिक रबड़ के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके नकारात्मक सूची में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कृषि उत्पादों जिनमें कोई टैरिफ रियायतें प्रस्तुत नहीं की जाता हैं, का निर्णय लिया है। कुछ कृषि उत्पादों के संबंध में भारतीय

कृषि की संवेदनशीलताओं और इन उत्पादों में व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सीमाशुल्कों में कटौती की पेशकश की जाती है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार में एक नकारात्मक सूची के जरिए संवेदनशील कृषि क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है जिसके साथ–साथ आयातों में अचानक वृद्धि के विरूद्ध रक्षोपाय तंत्र भी होते हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में रैगिंग

***471. श्री पंकज चौधरी :**
श्री रामदास आठवले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और आत्महत्या के विभिन्न पहलुओं (पक्षों) की जांच करने के लिए गठित श्री एस.के. राघवन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसकी सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के नाम पर नए छात्रों के अपमान तथा उन्हें प्रताड़ना से बचाने के लिए एक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अनुसार समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सार्क देशों के साथ व्यापार

***472. श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सार्क" देशों का शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "सार्क" देशों के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आगामी तीन वर्षों में "सार्क" देशों के साथ किन–किन नए क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विस्तार किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या "सार्क" देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। चौदहवां सार्क शिखर सम्मेलन 3–4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार उद्योग क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार विद्यमान है, जिसका सभी सार्क देशों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात यह 1 जुलाई, 2006 से लागू हो गया है।

(घ) सार्क के सदस्य देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (साफ्टा) के अंतर्गत व्यापार के कार्यक्षेत्र के भीतर सेवाओं में व्यापार को शामिल करने के लिए इस समय विचार–विमर्श कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) विवरण संलग्न है।

विवरण

चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क नेताओं ने साफ्टा को अक्षरशः कार्यान्वित करने और इसकी पूरी संभावना को हासिल करने के लिए इसके कार्यक्षेत्र के भीतर सेवाओं में व्यापार को समेकित करने की आवश्यकता पर बल दिया। चौदहवें शिखर सम्मेलन में व्यापार सुकर बनाने के उपायों के महत्व को रेखांकित भी किया गया और गैर–टैरिफ बाधाओं को कम करने, सीमाशुल्क को सौहार्दपूर्ण बनाने तथा अंतर–क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु सहमति हुई।

चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने पारस्परिकता पर आग्रह किए बगैर अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के लिए बाजारों को खोलने सहित विषम उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया था। भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को अपने बाजारों में मुक्त पहुंच के भी अल्प विकसित देशों को अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा भी की थी जिसमें वर्तमान वर्ष की समाप्ति से पूर्व साफ्टा की संवेदनशील सूची की मदें शामिल नहीं थीं और इन देशों के लिए साफ्टा के अंतर्गत भारत की संवेदनशील सूची को और कम करने के लिए भी कहा था।

साफ्टा के कार्यान्वयन और इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए शुरू किए गए अन्य उपायों से अंतर–सार्क व्यापार और सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार में काफी सीमा तक वृद्धि होने की उम्मीद है।

आपराधिक न्याय प्रणाली संबंधी मलीमथ समिति

***473. श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में सुधार सुझाने के लिए मलीमथ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए 158 सिफारिशें की थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा की जाए और प्रत्येक दोषी व्यक्ति को अतिशीघ्र दंडित किया जाए। अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य सिफारिशें जांच, अभियोजन, न्यायिक सुधार, अपराध और सजा आदि के बारे में है।

(घ) उन सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह जारी की गई थीं जिन्हें प्रशासनिक उपायों से कार्यान्वित किया जाना था।

चूंकि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इसलिए उन सिफारिशों के संबंध में, जिनके लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन किया जाना अपेक्षित है, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं। अग्रिम जमानत और अभिवचन सौदेबाजी पर मलीमथ समिति की सिफारिशों को क्रमशः आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 में पहले से ही शामिल किया गया है। तथापि, अपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 में अग्रिम जमानत से संबंधित उपबंधों को अभी लागू नहीं किया गया है।

23.8.2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 में झूठी गवाही पर अधिक सजा और न्यायालय द्वारा पास विपरीत आदेश के विरूद्ध पीड़ित को अपील करने का अधिकार देने संबंधी सिफारिशों को शामिल किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृत करने में अनियमितताएं

***474. श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में समुचित रिकार्ड रखने हेतु सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक डाटाबेस संकलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) पेंशन मंजूर करने के लिए निर्धारित पात्रता को सिद्ध करने वाली विनिर्दिष्ट प्रामाणिक अपेक्षाओं के पूरा होने पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 1972 में लागू नियमित स्कीम के अंतर्गत लगभग 1.70 लाख पेंशन स्वीकृत की गई हैं। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

रिपोर्टों/शिकायतों के आधार पर (जिनकी प्राप्ति और जांच–पड़ताल करना एक सतत प्रक्रिया है), 31.03.2007 तक 3,145 पेंशनें निलंबित की गई हैं और 1,614 रद्द की गई है। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में अनियमितताओं के लिए अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

इसके अलावा, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन मामलों के संबंध में सी. एच. राजेश्वर राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित शिकायतों को इस मंत्रालय ने वर्ष 1998 और 1999 में मामलों के सत्यापन हेतु आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भेजे थे।

तत्पश्चात् आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जुलाई और नवम्बर, 2005 में करीमनगर, खम्माम, नालगौंडा और वारंगल जिलों में सतर्कता संबंधी जांच भी शुरू की हैं। उक्त चारों जिलों में पेंशन की स्वीकृति इस मंत्रालय द्वारा 2.12.2005 को रोक दी गई। इस मंत्रालय द्वारा की गई आंतरिक जांच–पड़ताल के आधार पर सभी मामलों में आगे पेंशन की मंजूरी भी 25.1.2006 को रोक दी गई।

महानिदेशक (सतर्कता एवं प्रवर्तन) की जांच रिपोर्ट की जांच–पड़ताल करने के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, पहले ही स्वीकृत किए जा चुके 3,384 मामलों सहित सभी मामलों का 100% पुनः सत्यापन करने का निर्णय लिया है।

सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अधिकारियों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिसमें अन्यों के अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:–

(i) तीनों राज्य सरकारों द्वारा सभी मामलों का 100% पुनः सत्यापन किया जाएगा; और

(ii) प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति पुनः सत्यापन के परिणामों की छानबीन करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी नकली दावेदार पेंशन प्राप्त न कर सके और किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी की अनदेखी न हो।

राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सेवा नियमों के अंतर्गत अधिकारियों के खिलाफ यथापेक्षित अलग से कार्यवाही शुरू की जा रही है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उन्हें नियमों के तहत दंड दिया जायेगा।

किसी भी अधियमितता के ध्यान में आने पर सुधारक उपाय करना और अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है जो उपयुक्त रूप से की जाती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1972 से नियमित पेंशन के शुरू होने से अब तक केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों के संबंध में सही और पूरे आंकड़े नहीं रखे गए थे। जिला कलैक्टरों और मजिस्ट्रेटों के माध्यम से सूचना एकत्र करके सभी केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों के ब्यौरों का संकलन वर्ष 2005 में शुरू किया गया। प्राप्त सूचना का कंप्यूटरीकरण साथ ही साथ किया जा रहा है।

विवरण-I

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत मामलों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत पेंशन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14,572
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,437
4. और 5.	बिहार (झारखंड सहित)	24,870
6.	गोवा	1,425
7.	गुजरात	3,594
8.	हरियाणा	1,684
9.	हिमाचल प्रदेश	617
10.	जम्मू और कश्मीर	1,806
11.	कर्नाटक	10,082
12.	केरल	3,204
13. और 14.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	3,465
15.	महाराष्ट्र	17,581
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	4,189

1	2	3
21.	पंजाब	7,007
22.	राजस्थान	808
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,097
25.	त्रिपुरा	887
26. और 27.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	17,990
28.	पश्चिम बंगाल	22,479
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	89
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमन और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,043
35.	पांडिचेरी	317
	इंडियन नेशनल आर्मी (आई.एन.ए.)	22,467
	कुल	1,69,984

विवरण-II

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार निलंबित/रद्द किए गए पेंशन मामलों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निलंबित किए गए	रद्द किए गए
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	161	11
2.	बिहार	770	289
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	02	29
4.	गोवा	03	11
5.	हरियाणा	15	22
6.	हिमाचल प्रदेश	00	02
7.	कर्नाटक	571	263
8.	केरल	723	61
9.	जम्मू और कश्मीर	03	00
10.	मध्य प्रदेश	56	64
11.	महाराष्ट्र	228	38
12.	मणिपुर	00	151 (आई.एन.ए.)+ 0=151
13.	मेघालय	07	13
14.	उड़ीसा	1(आई.एन.ए.)+ 45=46	86
15.	पांडिचेरी	09	13
16.	पंजाब	4(आई.एन.ए.)+ 101=105	1(आई.एन.ए.)+ 27=28
17.	तमिलनाडु	20	1(आई.एन.ए.)+ 83=84
18.	उत्तर प्रदेश	235	226
19.	पश्चिम बंगाल	191	217
20.	त्रिपुरा	00	05
21.	राजस्थान	00	01
	कुल	3,145	1,614

विवरण-III

पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में अनियमितताओं के लिए अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

(i) जनवरी, 2005 में एक अनुभाग अधिकारी बर्खास्त किया गया।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा मई 2004 में एक सहायक के विरूद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2004 में एक उच्च श्रेणी लिपिक के खिलाफ अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने केन्द्र सरकार के एक अवर सचिव और

एक अवर श्रेणी लिपिक और पंजाब सरकार के एक सेवानिवृत्त अवर सचिव के खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल किए हैं। मार्च 2007 में एक अवर सचिव के खिलाफ भारी दंड के लिए कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

विद्यालयों में प्रवेश के लिए दान

***475. श्री पारसनाथ यादव :**
श्री बापू हरी चौरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर–सरकारी नियंत्रण वाले इंजीनियरिंग और प्रबंधन महाविद्यालयों के खिलाफ दान लेकर प्रवेश देने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन महाविद्यालयों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता रद्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसे राजकीय/निजी नियंत्रण के तहत आने वाले इंजीनियरी और प्रबंधन कालेजों द्वारा 2006–07 और 2007–08 के दौरान दाखिलों के लिए दान स्वीकार करने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए दाखिला प्रक्रिया चल रही है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'इस्लामिक शिक्षा अकादमी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' के मामले में अपने निर्णय में राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक राज्य में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' मामले में अपने निर्णय में भी इस प्रकार की समिति के गठन का समर्थन किया है। उपर्युक्त समिति द्वारा एक बार शुल्क निर्धारित कर देने के पश्चात् कोई भी पेशेवर संस्था निर्धारित शुल्क के अलावा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं कर सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकारें/उपयुक्त प्राधिकरण ऐसे उपयुक्त विनियम तैयार करें, यदि वे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, जिसमें यह प्रावधान हो कि यदि कोई संस्था कैपिटेशन शुल्क लेते अथवा लाभ कमाते हुए पायी जाती है तो उस संस्था को समुचित दण्ड दिया जाएगा और साथ ही वह संस्था अपनी मान्यता/संबद्धता भी खो देगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर छात्रों, अभिभावकों और आम जनता का आह्वान किया है कि वे तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए कैपिटेशन शुल्क न दें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सार्वजनिक नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि यदि इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें शिकायत की सत्यता की जांच के पश्चात् संस्था को दिया गया अनुमोदन वापस लेना भी शामिल है।

कुपोषित बच्चे और महिलाएं

***476. श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश मे कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) कुपोषण बहुआयामी समस्या है, जिसके विभिन्न कारणों में महिला निरक्षरता से लेकर विवाह एवं पहले प्रसव के समय बालिकाओं की आयु और पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल, साफ–सफाई एवं अन्य सामाजिक सेवाओं की कमी आदि भी शामिल है। सरकार इस समस्या से अवगत है और बच्चों एवं विशेषकर महिलाओं की पौषणिक एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए अपने विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से अनेक स्कीमें चला रही हैं। ये स्कीमें इस प्रकार हैं:–

(i) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(ii) प्राथमिक शिक्षा को पोषाहारीय समर्थन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग);

(iii) अल्प–पोषित किशोरियों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में चलाया जा रहा पोषण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(iv) खाद्य एवं पोषण बोर्ड का समर्थन एवं जागरूकता विकास कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);.

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयरन एवं फौलिक एसिड तथा विटामिन 'ए' अनुपूरक कार्यक्रम और नवजात शिशुओं एवं बच्चों की बीमारी एवं कुपोषण का समेकित उपचार;

(vi) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(vii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग); तथा

(viii) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम/स्वजलधारा एवं पूर्ण स्वच्छता अभियान; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

पिछले कुछ वर्षों में कुछ नए उपाय किए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत वित्तीय आबंटन में वृद्धि तथा पोषण समर्थन एवं जागरूकता विकास प्रयासों में तेजी लाना।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई सर्वेक्षण आयोजित किये हैं, जो समय–समय पर बच्चों एवं महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को दर्शाते हैं। ये सर्वेक्षण : अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई द्वारा किया गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण मानीटरन ब्यूरो द्वारा आहार एवं पोषण सर्वेक्षण तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–2 के अंतर्गत, अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, जिला–स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

(घ) वर्ष 2005–06 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 में दर्शाया गया बच्चों एवं महिलाओं का पोषण स्तर इस प्रकार है:

(i) 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्याप्तता:

अल्पवजनी – 46%

अविकसित – 38%

कमजोर – 19%

रक्ताल्पता से ग्रस्त – 79%

(ii) महिलाओं (15–49 वर्ष) का पोषण स्तर:

सामान्य से कम बॉडी मास इन्डेक्स वाली महिलाएं*– 33%

महिलाओं में रक्ताल्पता – 56.2%

गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता – 57.9%

*18.5 से कम बाडी मास इन्डेक्स

राज्य–वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत में कुपोषण की वर्तमान राज्य–वार दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चों का प्रतिशत 3 वर्ष से कम		महिलाओं (15–49) का प्रतिशत सामान्य (18.5) से कम बॉडी मास इन्डैक्स	
		अल्पवज़नी	रक्ताल्पता	बॉडी मास इन्डैक्स	रक्ताल्पता
1	2	3	4	5	6
1.	मिजोरम	21.6	51.7	15.3	38.2
2.	सिक्किम	22.6	58.9	9.6	46.8
3.	मणिपुर	23.8	52.8	13.9	39.3
4.	पंजाब	27.0	80.2	13.5	38.4
5.	केरल	28.8	55.7	12.5	32.3
6.	गोवा	29.3	49.3	20.5	38.9

1	2	3	4	5	6
7.	जम्मू और कश्मीर	29.4	68.1	21.3	53.0
8.	नागालैंड	29.7	दं	15.9	दं
9.	दिल्ली	33.1	63.2	10.6	43.4
10.	तमिलनाडु	33.2	72.5	23.5	53.3
11.	हिमाचल प्रदेश	36.2	58.8	24.3	40.9
12.	आंध्र प्रदेश	36.6	79.0	30.8	62.0
13.	अरुणाचल प्रदेश	36.9	66.3	15.5	48.9
14.	उत्तरांचल	38.0	61.5	25.7	47.6
15.	त्रिपुरा	39.0	67.9	35.1	64.4
16.	महाराष्ट्र	39.7	71.9	32.6	49.0
17.	असम	40.4	76.7	26.5	69.0
18.	कर्नाटक	41.1	82.7	31.4	50.3
19.	हरियाणा	41.9	82.5	27.8	56.5
20.	पश्चिम बंगाल	43.5	69.4	37.7	63.0
21.	उड़ीसा	44.0	74.2	40.5	62.0
22.	राजस्थान	44.0	79.6	33.6	53.1
23.	मेघालय	46.3	68.7	14.7	45.4
24.	उत्तर प्रदेश	47.3	85.1	34.1	50.8
25.	गुजरात	47.4	80.1	32.3	55.5
26.	छत्तीसगढ़	52.1	81.0	41.0	57.6
27.	बिहार	58.4	87.6	43.0	68.3
28.	झारखंड	59.3	77.7	32.6	70.4
29.	मध्य प्रदेश	60.3	82.6	40.1	57.6
	भारत	45.9	79.2	33.0	56.2

स्रोत : रा.प.स्वा.स. (2005-06)

बाडी मास इन्डैक्स : वजन किलाग्राम में / कद मीटर में

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

***477. श्री गणेश प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण पद्धतियों के बारे में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण पद्धतियों संबंधी मानदंडों में रियायत दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को अध्यापकों द्वारा मानदंडों का पालन न किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसरण की जाने वाली अध्यापन पद्धति केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा कोड में दी गई है। संगत सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। यह 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भावना तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुरूप है। मुख्यतः ध्यान बाल केन्द्रीत सहायक अध्ययन वातावरण पर दिया गया है ताकि बच्चों में अपेक्षित क्षमताओं के साथ अध्ययन के न्यूनतम स्तर विकसित किए जा सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अध्यापन प्रणाली का अनुसरण न किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षण पद्धति

प्राथमिक स्तरः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर रूचिपूर्ण अध्ययन के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगाः

(i) इससे पहले की प्रवेश स्तर पर बच्चे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया से अवगत हो, प्रत्येक स्कूल द्वारा एक सुविचारित कार्य योजना तैयार की जाएगी।

(ii) स्कूल हेतु एक तैयारी कार्यक्रम विकसित किया जाएगा और कक्षा 1 में दाखिल होने वाले बच्चों हेतु चार से छः सप्ताह की अवधि के लिए इसका अनुपालन किया जाएगा और इसके दौरान कोई औपचारिक शिक्षण शुरू नहीं किया जाएगा। बल्कि बच्चों को स्कूल वातावरण में अभ्यस्त बनाया जाएगा और उन्हें स्कूल में विभिन्न अनौपचारिक कार्यकलापों, जो बाद में औपचारिक शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(iii) बच्चों के अध्ययन हेतु प्रेरक वातावरण तैयार करने के लिए स्कूल अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं विकसित करेगा ताकि बच्चे स्कूल में 'घर पर होने' जैसा महसूस कर सकें।

(iv) बच्चों को 5–8 बच्चों के 5–6 समूह में बांटा जाएगा और कक्षा में खेल–कूद संबंधी कार्यकलापों के लिए भी कुछ स्थान छोड़ा जाएगा।

(v) चूंकि इस प्रणाली में बच्चे के प्रभावी विकास हेतु बहुत ही कम गुंजाइश होती है, इसलिए कंठस्थ करने एवं पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सहित परीक्षाओं पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है।

(vi) कक्षा I एवं II के लिए पर्यावरण अध्ययन हेतु कोई पाठ्यपुस्तक नहीं रखी गई है। कक्षा III के बाद से पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जाएगा। हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषयों के निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तकों को इस स्तर पर पढ़ाया जाएगा।

(vii) यह प्रयास किया जाएगा कि बच्चों में अपेक्षित योग्यता के साथ अध्ययन का न्यूनतम स्तर विकसित किया जाए।

(viii) बच्चों में सही आचरण के सृजन के अतिरिक्त अभिव्यक्ति कौशल के विकास का लक्ष्य रखा जाएगा।

(ix) बाल केन्द्रित शिक्षा की ओर प्रेरित करने वाले कक्षा के सभी क्रियाकलापों में बच्चों की सक्रिय सहभागिता के साथ प्राथमिक स्तर पर क्रियाकलाप आधारित अध्यापन प्रणालियों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(x) प्राथमिक सेक्शन को संसाधन कक्ष तथ बगीचा विकसित करने हेतु स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक सेक्शन को खेल के मैदान हेतु पर्याप्त भूमि के साथ–साथ अध्यापन अध्ययन सामग्री तथा उपकरण का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा।

(xi) कक्षा I तथा II के छात्रों को कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक तथा कॉपी स्कूल में ही रखेंगे। प्रत्येक छात्र के पास अपने नाम की स्लिप के साथ बस्ता होगा। ये बस्ते कक्षा में शेल्फ/अलमारी में या संबंधित छात्र के डेस्क पर रखे जाएंगे।

(xii) अन्य कक्षाओं हेतु गृहकार्य कम से कम दिया जाएगा तथा कक्षा कार्य बढ़ाया जाएगा तथा कक्षा–कार्यकलाप आधारित तथा आस–पास से पत्तियां, पौधे एकत्रित करने तथा छोटी–छोटी परियोजनाएं पूर्ण करना होगा। गृह कार्य से बच्चों के अवलोकन

तथा सोचने की शक्ति बढ़ेगी ताकि उनकी योग्यता में वृद्धि हो सके तथा उनकी क्षमताओं का इस प्रकार विकास कर सके कि वे आत्मविश्वास से अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। छात्र स्वयं के प्रयासों से अध्यापन को सुखद अनुभव बना सके और उन्हें माता–पिता के निर्देशन की कम से कम आवश्यकता पड़े।

(xiii) कक्षा V तक प्रत्येक कक्षा में लघु कक्षा पुस्तकालय होगा जिसमें अन्य पुस्तकों के अलावा पाठ्यपुस्तकों के दो या तीन सेट होंगे। इन पुस्तकों का प्रयोग उन छात्रों द्वारा किया जाएगा जो पाठ्य सामग्री लाना भूल गए हैं या किसी कारणवश उनके पास पुस्तकें नहीं हैं।

(xiv) प्रत्येक बच्चे को पेंटिंग, संगीत, नृत्य तथा अन्य सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों जैसे सृजनात्मक विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे उनका मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व सृजित करने में सहायता मिले। कक्षा अध्यापक छात्रों के साथ बातचीत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र इन क्रियाकलापों में भाग लें। इन कार्यकलापों में भाग लेने तथा उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट कार्ड में प्रविष्ठि की जाएगी।

मिडिल तथा माध्यमिक स्तर:

मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय होंगे:–

(i) प्राथमिक स्तर पर छात्रों द्वार प्राप्त अभिव्यक्ति कौशल को सुदृढ़ करना।

(ii) छात्रों में विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी तथा समझ के दायरे को व्यापक बनाना।

(iii) विद्यार्थियों के मन में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ाने तथा आचरण विकसित करने के अलावा उनमें मौलिक सोच तथा तर्क पूर्ण विवेचना और साथ ही सृजनात्मक क्षमता विकसित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित उपाय करेंगे:–

(क) विद्यालयों द्वारा नवाचारी एवं आमने सामने शिक्षण की पद्धति जैसे प्रदर्शन, परिचर्चा, सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी प्रविधि आदि अपनाई जाएगी ताकि शिक्षण विधि से अध्ययन विधि पर बल देने से संबंधित अपेक्षित लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

(ख) विज्ञान शिक्षा को समुचित डिमोन्स्ट्रेशन तथा प्रयोगशाला कार्य के जरिए सुदृढ़ बनाया जाएगा। छात्रों को कक्षा VI से लेकर जहां तक सम्भव हो सके प्रयोगशाला अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ विद्यालयों में लघु विज्ञान प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) गणित शिक्षण हेतु इन्डक्टिव तथा डिडक्टिव पद्धतियां अपनाई जाएगी।

(घ) पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाना होगा। यह कार्य सुनियोजित दौरे, खुली हवा में सैर, स्थानीय पेड़–पौधे तथा जीव जन्तु का अवलोकन आदि जैसे कार्यों के जरिए किया जा सकता है।

(ङ) शिक्षा के सभी स्तरों पर एक सुनियोजित तथा चरणबद्ध कार्यों के जरिए कार्य शिक्षा (वर्क एजूकेशन) का आयोजन एक आवश्यक घटक के रूप में किया जा सकता है। यह कार्य शिक्षा विद्युत उपकरणों तथा सिलाई कढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए अपितु प्रत्येक विद्यालय को इसे एक नवाचारी कार्यक्रम के रूप में लेना चाहिए जिनमें उपलब्ध स्थानीय संसाधनों तथा छात्रों की रूचि के अनुरूप स्क्रीन प्रिंटिंग, ग्राफिक्स, मुखौटा निर्माण, प्लास्टिक कार्य, बर्तन बनाना, मूर्ति कला आदि शामिल हो सकते है।

(च) मूल्यपरक शिक्षा कार्यक्रम विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होगा।

[हिन्दी]

एनटीसी मिलों के लिए पुनरूद्धार योजना

***478. श्री वी. के. दुम्मर :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्व–वित्तपोषण के माध्यम से राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के मिलों के लिए एक पुनरूद्धार योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो मिलें कौन–कौन सी हैं तथा मिलवार क्या पुनरूद्धार पैकेज उपलब्ध कराया गया है;

(ग) प्रत्येक मिल पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) प्रत्येक मिल के कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) बेची गई भूमि का ब्यौरा क्या है और उससे कितनी धनराशि अर्जित की गई तथा मिलवार खरीददार का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनर्वासन योजना के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने स्वः वित्त पोषण के माध्यम से अपने संसाधनों के लिए 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार की है। कंपनी ने

इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं। आज की तारीख तक एनटीसी ने 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कुल मिलाकर 90 करोड़ रु. की मशीनरियों के आदेश दिए हैं। मिल–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) मिल पहले से ही प्रचालन में हैं और आधुनिकीकरण में मुख्य रूप से मौजूदा पुरानी मशीनरियों के स्थान पर नई और कुशल मशीनरियां लगाना शामिल है। आधुनिकीकरण 31.03.2008 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ङ) बेची गई भूमि और खरीददारों के नाम सहित वसूली गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

बीआईएफआर को प्रस्तुत की गई एमआरएस के अनुसार 22 मिलों के परियोजना ब्यौरे

लाख रु. में

क्र.सं.	मिल का नाम	बीआईएफआर को प्रस्तुत की गई राशि का ब्यौरा	खर्च की गई राशि
1	2	3	4
1.	अलगप्पा	1529.12	998.54
2.	कोय. मरूगन	1065.41	880.84
3.	पोदार	3689.37	1721.25
4.	केरल लक्ष्मी	2064.29	1215.74
5.	बारसी	1322.33	797.62
6.	विजय मोहिनी	1366.57	294.91
7.	केन–केन	2019.90	0.00
8.	पंकजा	1301.76	205.50
9.	कम्बोडिया	734.77	296.76
10.	आरती मिल्स	2773.38	853.36
11.	टाटा मिल्स	5342.77	726.37
12.	केन–माहे	1759.15	0.00
13.	बुरहानपुर ताप्ति	1468.84	0.00
14.	पायनियर	1006.97	205.50
15.	कालेश्वर–बी	1021.90	163.00
16.	रंगविलास	2865.71	0.00
17.	इंदु नं. 5	3185.09	540.63
18.	फिनले	3807.03	0.00
19.	न्यू भोपाल	1418.31	0.00
20.	उदयपुर मिल्स	2755.66	0.00
21.	राजनगर नं. 1	4169.19	0.00
22.	मिनर्वा – न्यू	6328.80	0.00
	कुल आर्डर मूल्य	52996.32	8900.51

विवरण-II

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र/मिलवार बेची गई भूमि की स्थिति रिपोर्ट

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/मिलवार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ मिल का नाम	बेची गई भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	कीमत जिस पर भूमि बेची गई (करोड़ रु.)	खरीददार का नाम
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	नटराज मिल्स, निर्मल	70.00	3.11	मै. सिद्दी विनायक रियल इस्टेट, निर्मल, आंध्र प्रदेश
2.	नेथा मिल्स, सिकन्दराबाद	9.83	24.02	मै. नवल एयर फोर्स हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली एवं एपीसीओ

1	2	3	4	5
3.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	200.25	49.72	ककात्या अर्बन डेवलपमेंट आथॉरिटी एवं आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड
	कुल	280.88	76.85	
कर्नाटक				
4.	मैसूर मिल्स, बंगलौर	18.69	79.16	मै. हमारा सेल्टर प्रा.लि. बंगलौर
	मैसूर मिल्स (बंगला नं. 106)	1.88	37.01	श्री राजु वर्गेसा इंफोटेक इंडस्ट्रीज प्रा.लि., विशाखापट्टनम
5.	एमएसके मिल्स, गुलबर्ग	165.20	17.08	गुलबर्ग अर्बन डेवलपमेंट आथॉरिटी, गुलबर्ग
6.	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	27.17	71.51	मै. इरकॉन प्रोजेक्ट्स, बंगलौर, मै. देवनाम कंस्ट्रक्शंस प्रा.लि., मै. भाग्यनगर मेटल, सिकंदराबाद, और एनबीसीसी, नई दिल्ली
	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	1.20	8.90	मै. इरकॉन प्रोजेक्ट्स, बंगलौर
	कुल	214.14	213.66	
केरल				
7.	अलगप्पा मिल्स, अलगप्पा नगर	1.96	0.49	मै. टी.आर. जोसए तिरूसुर
8.	केरल लक्ष्मी मिल्स, तिरूचूर	14.19	2.15	मै. टी. रघुलाल तिरूचूर एवं ए.जी. आफिस, तिरूचूर
	कुल	16.15	2.64	
दिल्ली				
9.	अयुघ्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	4.54	67.01	मै. नेगोसाइन इंडिया लि., नई दिल्ली
	कुल	4.54	67.01	
पंजाब				
10.	खरार टेक्सटाइल मिल्स, खरार	8.28	1.05	मै. राजधानी प्रोजेक्ट प्रा.लि., खरार
11.	सूरत टेक्सटाइल मिल्स, मलौट	7.05	0.56	श्री जसविन्दर सिंह, पंजाब
12.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरार	7.69	12.50	मै. शिवशक्ति एक्सपोर्ट्स, नंदी खरार रोपड
	कुल	23.02	14.11	
राजस्थान				
13.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	29.76	15.12	मै जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उदयपुर

1	2	3	4	5
14.	विजयनगर काटन मिल्स, विजयनगर	7.83	1.95	मै. मुकेश कुमार सेनचेटी, मुंबई
	कुल	37.59	17.07	
गुजरात				
15.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट	8.72	18.20	मै. बैकबॉन इंटरप्राइजेज लि., अहमदाबाद
	कुल	8.72	18.20	
महाराष्ट्र (उत्तर)				
16.	आरबीबीए मिल्स, हिंगनघाट (पुराने बंगला के साथ प्लाट नं. 1)	0.16	0.18	श्री जयप्रकाश एन. शारदा हिंगनघाट, जिला–वर्धा
17.	सेवतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला	0.10	0.09	मिस्टर राजेश एम. खाखरा, अकोला एवं मिस्टर के.ए.जे. खान, अकोला
18.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर (प्लाट नं. 1–2)	4.99	0.50	एस/श्री ए.के. वाघवाने, अकोला एवं के.एम. वाघवाने, मुंबई
	प्लाट नं. 6)	0.89	0.36	श्री ओम प्रकाश एफ. अग्रवाल, मुंबई
	विदर्भ मिल्स, साऊथ की तरफ मिल गेट	1.81	0.75	मै. ए.बी.पी. फायनेंस एवं इस्टेट लि., मुंबई
19.	मॉडल मिल्स, नागपुर			
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 2)	0.21	0.36	श्री अनिल लक्ष्मी चंद, भोथारा, नागपुर
	मॉडल मिल्स (पुराना लेबर चॉल का प्लाट नं 3)	1.10	1.24	मै. कश्मीरी डेवलपर्स प्रा.लि., नागपुर
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 1 एस.टी. स्टैंड के पास)	6.98	9.50	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, नागपुर
	मॉडल मिल्स (5 बंगला के साथ प्लाट)	1.49	6.32	शारदा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि., नागपुर
20.	आरएसआरजी मिल्स, अकोला (प्लाट नं.3)	1.96	0.45	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, नागपुर
	प्लाट नं. 1	1.10	0.25	श्री मसूद अली मोहम्मद अली, अकोला
	प्लाट नं. 2	1.06	0.30	श्री राशिद एस.के. मूसा, अकोला
	आरएस आरजी (स्टाफ क्वार्टर के पास प्लाट)	1.27	0.41	श्री नारायणदास एस. अग्रवाल, नागपुर
21.	टाटा मिल्स, मुंबई	4.40	13.75	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई
22.	कोहिनूर मिल्स नं. 3, मुंबई	4.84	421.00	मै. कोहिनूर सीटीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर के. लि., मुंबई
	कुल	32.36	455.46	

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
23.	इंदौर मालवा, इंदौर	3.12	81.81	मै. साईंचरण प्रोपर्टीज प्रा.लि., मुंबई
	कुल	3.12	81.81	
दक्षिण महाराष्ट्र				
24.	बारसी मिल्स, बारसी	1.87	0.12	मै. रामचन्द्र डी. बारवकर, जिला पुणे, दौंड
25.	धूले टेक्सटाइल मिल्स, धूले	10.28	2.52	श्री चंद्रकांत कांशीनाथ केले, धूले
26.	चालिसगांव मिल्स, चालिसगांव	12.82	3.04	मै. एस.के. खेर एवं एन.के. घोष, चालिसगांव आर.के. वघन, जिला नासिक, सतना
27.	अपोलो मिल्स, मुंबई	7.43	180.00	मै. नाइक्रोटेक कंस्ट्रक्स प्रा.लि., मुंबई
	अपोलो मिल्स (बंगला)	1.29	170.01	मै. अमुर रियल इस्टेट प्रा.लि. एवं मै. सेटेलाइट डेवलपर्स, मुंबई
28.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	16.62	702.22	मै. ज्वाला इस्टेट प्रा.लि., नई दिल्ली
29.	ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	10.91	276.60	मै. इंडियावूल्स प्रोपर्टीज प्रा.लि., मुंबई
30.	एलिफिंस्टन मिल्स, मुंबई	7.97	441.75	मै. इंडियावूल्स रियल इस्टेट कं. प्रा. लि., मुंबई
31.	नांदेड मिल्स, नांदेड	91.42	33.33	मै. निधि मरचेनटाइल लि., मुंबई
	कुल	160.61	1809.59	
तमिलनाडु				
32.	पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर	0.34	0.69	मै. जैन हास्पिटल इंडिया प्रा. लि., कोयम्बटूर
	पंकजा मिल्स (भवन के साथ पार्सल क)	9.51	40.48	मै. जैन हाउसिंग व कंस्ट्रक्शन लि.
	पंकज मिल्स (भवन के साथ पार्सल क)	1.24	6.25	मै. जैन हाउसिंग एवं कंस्ट्रक्शन लि.
33.	ओमपराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	14.25	4.50	एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड, नई दिल्ली
34.	कालेश्वर ए मिल्स (साईट नं. 2)	0.19	0.54	श्री ए. थेगावेलू, कोयम्बटूर
35.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	6.21	7.82	सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सटाईल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर
	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	3.46	8.00	ई–सिटी इंटरटेनमेंट प्रा.लि., लखनऊ
36.	कोयम्बटूर मरुगन मिल्स, कोयम्बटूर	0.84	1.89	श्री चितरा श्रीनिवासन एवं चार अन्य तथा श्री ए. नाचिमुत्तु एवं पांच अन्य

1	2	3	4	5
37.	कृष्णावेणी मिल्स, कोयम्बटूर	4.52	5.20	मै. इल्गी थेड (इंडिया) प्रा., कोयम्बटूर
38.	बलराम वर्मा मिल्स, सेनकटा	20.22	1.72	श्री जया ज्योति एवं कंपनी, राजपल्लयम
39.	श्री शारदा मिल्स, (पार्सल बी)	1.46	1.06	श्री जे. गणेश कुमार, कोयम्बटूर
	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	1.95	2.26	मै. हैप्पी आश्रय प्रा.लि., कोलकाता
	कुल	64.19	80.41	
पांडिचेरी				
40.	श्री भारती मिल्स (पीटीसी के अंदर बिक्री)	15.12	13.08	पांडिचेरी सरकार
41.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, पुडिच	10.37	12.66	पांडिचेरी सरकार एवं आरक्षी विभाग, पांडिचेरी
	स्वदेशी कॉटन मिल्स, पुडिच	42.93	19.88	पांडिचेरी सरकार
	कुल	68.42	45.62	
उत्तर प्रदेश				
42.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर (36 प्लाट)	3.23	7.50	36 पार्टी
	कुल	3.23	7.50	
पश्चिम बंगाल				
43.	बंगाश्री टेक्सटाइल मिल्स, सुखचर	26.71	61.00	मै. हैप्पी हाईराइजेज लि., कोलकाता
44.	सेंट्रल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बेलूर	11.67	13.35	मै. सुनसेन प्रोपर्टीज प्रा.लि., कोलकाता
45.	श्री महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, पाल्टा	11.24	15.41	मै. पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लि., कोलकाता
46.	ज्योति विर्विंग फैक्ट्री, कोलकाता	4.98	13.31	मै. भाग्यनगर मेटल लि., सिकन्दराबाद
	कुल	54.60	103.07	
बिहार				
47.	गया कॉटन व जूट मिल्स, गया	29.30	9.02	मै. एमएलबीडी मार्केटिंग प्रा.लि., कोलकाता
	कुल	29.30	9.02	
	समग्र कुल योग	1008.08	3002.02	

[अनुवाद]

हस्तशिल्पियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

***479. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्पियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना से कितने हस्तशिल्पियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी हां, मंत्रालय ने हस्तशिल्प कारीगरों के स्वास्थ्य बीमा के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम प्रारम्भ की है। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में कारीगर परिवार जिसमें कारीगर स्वयं, उसके

पति/पत्नी तथा दो बच्चे शामिल हैं,को 15,000/– रुपए की वार्षिक सीमा तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं; दुर्घटना में मृत्यु/अपंगता के मामले में बीमित कारीगर के लिए 1.00 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है। इस स्कीम में आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक/सिद्धा के अन्तर्गत उपचार; कार्यान्वयनकारी एजेंसी के नेटवर्क अस्पतालों में ओ पी डी सहित अस्पताल में रहने से पहले तथा अस्पताल से छुट्टी होने के उपरांत उपचार और बिना नकद भुगतान के सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) मार्च, 2007 में इस स्कीम के शुरू होने के समय प्रारम्भ में 50,000 कारीगरों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

विज्ञापनों को सीमित करने के लिए नई संहिता

***480. श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञापनों की विषयवस्तु को नियंत्रित करने हेतु एक नई संहिता लागू करने का है, ताकि देश में बच्चों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने इस मुद्दे की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में ऐसे अध्ययन का क्या परिणाम रहा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) सरकार ने केबल टी.वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों और चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित फिल्मों के प्रमाणन हेतु दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसलिए देश के बच्चों पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें बचाने के लिए विज्ञापनों की विषय–वस्तु पर नियंत्रण लगाने हेतु किसी पृथक संहिता का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

(ग) और (घ) भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी. आई.) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित समिति का एक सदस्य है।

(ङ) समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अर्द्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

***481. श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दसवीं योजनावधि के दौरान अर्ध–सैनिक बलों (पी एम एफ) के आधुनिकीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) आबंटित धनराशि में से अभी तक उपयोग की गई/उपयोग न की गई धनराशि का बलवार पृथक–पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) अर्ध–सैनिक बलों द्वारा धनराशि का उपयोग न करने के बलवार क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएमएफ के आधुनिकीकरण हेतु ग्यारहवीं योजना के लिए तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) सरकार ने फरवरी, 2002 में 3740.71 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से छः केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों (सी पी एम एफ) अर्थात् असम राइफल्स (ए आर), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन एस जी) के आधुनिकीकरण के लिए एक पांच वर्षीय भावी योजना (2002–07) का अनुमोदन किया था। यद्यपि सी पी एम एफ के आधुनिकीकरण की यह पांच वर्षीय योजना अवधि, 10वीं योजना अवधि के साथ मेल खाती है लेकिन यह आयोजना स्कीम नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 444.33 करोड़ रुपए के व्यय वाली सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन किया था जिसे 2005–06 से शुरू करके तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है।

(ख) बल–वार परिव्यय और व्यय की गई राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये)

बल का नाम	पांच वर्ष (2002–07) के लिए कुल परिव्यय	31.3.2007 तक व्यय की गई राशि
1	2	3
असम राइफल्स	484.75	287.67
सीमा सुरक्षा बल	2330.84	1127.99

1	2	3
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	112.10	102.91
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	542.75	425.54
भारत–तिब्बत सीमा पुलिस	187.78	169.43
एन एस जी	82.49	18.66
एस एस बी*	444.33	219.27
कुल	4185.04	2351.47

*एस एस बी के लिए तीन वर्ष (2005–08) का परिव्यय

(ग) योजना में अनुमोदित मदों के प्रापण के गुणात्मक आवश्यकता निर्धारित करने में विलम्ब होने, प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलावों के मद्देनजर मदों का आवधिक रूप से उन्नयन करने, कतिपय महत्वपूर्ण मदों का डी जी एस एंड डी की संविदा दरों पर उपलब्ध न होने आदि जैसी कई कठिनाइयों के कारण परिव्यय की तुलना में व्यय कम हुआ है।

(घ) प्रापण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में गुणात्मक आवश्यकता निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन करना, जो मदें डी जी एस एंड डी की संविदा दर पर उपलब्ध न हों, उन्हें खुली निविदा आदि के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है।

(ङ) सी पी एम एफ की आधुनिकीकरण की रणनीति में उत्कृष्ट हथियारों और गोली–बारूद, रणनीतिक उपकरणों और प्रभावी परिवहन वाहनों से बलों की मारक क्षमता में वृद्धि करना, ऐसी अधुनातन संचार, निगरानी और शारीरिक रक्षा करने की प्रणाली प्रदान करना जो किसी भी अभियान की रणनीति का मुख्य अंग हो, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके बलों के कौशल का निरंतर रूप से उन्नयन करना और अभियान के लिए कार्मिकों को फिट रखना तथा साथ ही उन्हें उचित विश्राम देना और पुनः ऊर्जावान बनाना शामिल है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और यह भविष्य में भी जारी रहेगी।

स्कूली शिक्षा का उन्नयन

4375. श्री नरहरि महतो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में स्कूली शिक्षा के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ग) वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान राज्य–वार अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान व्यावसायिक शिक्षा, संस्कृत तथा कम्प्यूटर शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को इस सम्बन्ध में दी गई स्वीकृति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिक, संस्कृत शिक्षा का विकास, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने, सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन नामक स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने, संस्कृत शिक्षा का विकास और विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी नामक स्कीमों के तहत वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने, संस्कृत शिक्षा का विकास तथा विद्यालयों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी नामक स्कीमों के तहत वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यावसायिक शिक्षा			संस्कृत शिक्षा का विकास			विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी		
		2004–05	2005–06	2006–07	2004–05	2005–06	2006–07	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	500.55			9.35		2.19			200.28
2.	अरुणाचल प्रदेश								444.81	267.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम						25.34			
4.	बिहार						21.41			
5.	छत्तीसगढ़					25.36				247.70
6.	गोवा						2.75		292.50	
7.	गुजरात				33.13		7.62			
8.	हरियाणा	67.23	24.52			5.28	2.64		230.50	250.00
9.	हिमाचल प्रदेश				100.04	269.40				
10.	जम्मू और कश्मीर	599.69								
11.	झारखंड									
12.	कर्नाटक				9.86		2.56		1200.00	1200.00
13.	केरल	1425.00			5.00	10.80			312.50	312.50
14.	मध्य प्रदेश				286.00	407.98	50.18			
15.	महाराष्ट्र					2.46				
16.	मणिपुर		20.12							
17.	मेघालय									
18.	मिजोरम	150.00	538.00						150.00	
19.	नागालैंड								319.59	443.21
20.	उड़ीसा				28.17	33.48	80.00			
20.	पंजाब									
22.	राजस्थान					83.17			53.26	
23.	सिक्किम		454.05	250.00	43.84	46.14	81.33		270.00	
24.	तमिलनाडु				4.95		0.72		2.10	
25.	त्रिपुरा	66.68			12.78	5.50	12.46			803.00
26.	उत्तर प्रदेश				29.04	8.00	11.00			
27.	उत्तरांचल						0.72		75.00	
28.	पश्चिम बंगाल					7.52	19.31		393.17	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	चंडीगढ़		7.00		8.59					35.20
31.	दादरा और नगर हवेली									
32.	दमन और दीव								25.00	
33.	दिल्ली				4.56					
34.	लक्षद्वीप									8.40
35.	पांडिचेरी		50.00	15.53						34.47
	भारत	2809.15	1093.69	265.53	575.31	905.09	830.23	0.00	3768.43	3602.02

[हिन्दी]

राज्य मंत्री द्वारा बी एस एफ के विमानों का उपयोग

4376. श्रीमती करूणा शुक्ला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 20 सितम्बर, 2006 को बी.एस.एफ. के विमान द्वारा बरेली (उत्तर प्रदेश) का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यक्रमों के ब्यौरे सहित उक्त दौरे के दौरान राज्य मंत्री के साथ गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य मंत्री द्वारा आज की तिथि तक बी.एस.एफ. के विमान द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने दौरे किए गए तथा उक्त दौरों के दौरान उनके कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) के विमानों का इस्तेमाल गृह मंत्रालय के मंत्रियों, मंत्रालय और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) के वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी दौरों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की आप्रेशनल वचनबद्धताओं के लिए किया जाता है। इन विमानों के उपयोग के संबंध में और अधिक विस्तृत जानकारी देना जनहित में नहीं है।

बांस उद्योग

4377. श्री राजनरायण बुधौलिया : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांस उद्योग के संवर्धन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कितनी राशि आबंटित की है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार (कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग) ने निम्नलिखित उद्देश्य से वर्ष 2006–07 के दौरान देश में राष्ट्रीय बम्बू मिशन से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है:–

(i) एक क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट कार्य नीति के माध्यम से बम्बू सेक्टर के विकास को बढ़ाना;

(ii) पैदावार बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रजातियों सहित संभावित क्षेत्रों में बम्बू अधीन क्षेत्र का विस्तार;

(iii) बम्बू के विकास के लिए पणधारियों में संयोजन एवं सहक्रिया स्थापित करना;

(iv) कुशल तथा अकुशल लोगों, विशेष रूप से बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

(ग) वर्ष 2006–07 के दौरान राज्यों को लगभग 75.71 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

[अनुवाद]

मैट्रिक स्कूलों को विनियमित करना

4378. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को मैट्रिक स्कूलों को एक समान रूप से विनियमित करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी राज्यों द्वारा मनमाने ढंग से जारी इन विनियमनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जाएंगे;

(घ) क्या न्यायालय द्वारा मैट्रिक स्कूलों के विनियमन के तरीके के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जिसके अन्तर्गत एक निर्धारित स्तर तक जाति, पंथ, स्थान या बालक–बालिका पर ध्यान दिए बिना सभी विद्यार्थियों के लिए तुलनीय गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुलभ है। इसमें शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए एक सामान्य शिक्षा ढांचा, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तर शामिल हैं।

(घ) से (च) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अभिभावक महासंघ बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में कुछ दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

नर्सरी स्कूल/क्रेच (शिशु सदन) स्थापित करना

4379. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में नर्सरी कक्षाएं/क्रेच (शिशु सदन) चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन्हें स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन–किन राज्यों की पहचान की गई है;

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा कितना आबंटन किया गया है; और

(च) इन्हें कब तक स्थापित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार देश में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही छह सेवाओं में से एक स्कूल–पूर्व शिक्षा है। दिनांक 30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत और कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। समूचे देश में स्कूल पूर्व शिक्षा किट के लिए 500 रुपए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र की दर से अनुदान दिया जाता है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

दिनांक 30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत और कार्यरत आंगनवाड़ियों की राज्यवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ियों की संख्या	
		दिनांक 30.9.2006 तक संस्वीकृत	दिनांक 30.9.2006 तक कार्यरत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65766	58581
2.	अरुणाचल प्रदेश	3037	2359
3.	असम	32075	25447
4.	बिहार	80528	57767
5.	छत्तीसगढ़	29437	20401
6.	गोवा	1012	1012
7.	गुजरात	41484	37512
8.	हरियाणा	16359	15967
9.	हिमाचल प्रदेश	18248	7354
10.	जम्मू और कश्मीर	18772	10398
11.	झारखंड	30854	21459
12.	कर्नाटक	51614	44609
13.	केरल	28651	25382
14.	मध्य प्रदेश	59324	49806
15.	महाराष्ट्र	75580	68184
16.	मणिपुर	4501	4501
17.	मेघालय	3179	3143

1	2	3	4
18.	मिजोरम	1592	1592
19.	नागालैंड	3035	2770
20.	उड़ीसा	37480	34997
21.	पंजाब	17421	14730
22.	राजस्थान	46862	38414
23.	सिक्किम	988	757
24.	तमिलनाडु	45726	42677
25.	त्रिपुरा	6094	6059
26.	उत्तर प्रदेश	137557	116740
27.	उत्तरांचल	7792	7579
28.	पश्चिम बंगाल	74640	55064
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	621	621
30.	चंडीगढ़	329	329
31.	दिल्ली	4428	4011
32.	दादरा और नगर हवेली	215	138
33.	दमन और दीव	97	97
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पांडिचेरी	688	677
	संपूर्ण भारत	946060	781208

अनुसंधान ठेके

4380. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परामर्शदाताओं, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों तथा अनुसंधान संगठनों इत्यादि को अनुसंधान ठेके देती है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान ठेकों के ब्यौरों के साथ-साथ उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसंधान ठेके दिए गए तथा इनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान ठेके मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन अनुसंधान ठेकों के विषयों के चयन की आंतरिक प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अनुसंधान ठेके प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाते हैं;

(छ) यदि हां, तो प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो ठेके देने की शुचिता क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपाय के रूप में सरकार ने निम्नलिखित आठ वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए विभिन्न वस्त्र संबंधी क्षेत्रों पर अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:-

(1) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटीरा), अहमदाबाद

(2) बंबई वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (बटरा), मुंबई

(3) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा), कोयम्बटूर

(4) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद

(5) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत

(6) सिंथेटिक व आर्ट रेशम मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), मुंबई

(7) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा), कोलकाता

(8) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यू आर ए) थाणे

वर्ष 2004-05 और 2006-07 के दौरान स्वीकृत टीआरए के नाम तथा अनुसंधान परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। 2005-06 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनुसंधान परियोजनाएं अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ठीआरए का नाम	संक्षेप में परियोजनाएं	अनुमोदित राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
	2004–05 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
अटिरा	थर्मल पृथक्करण उत्पादों के लिए सिरमिक आधारित यार्न का विकास	3.05
अटिरा	साइजिंग के दौरान पूर्व उपचार के माध्यम से साइजेड यार्न निष्पादन और साइज सेविंग का विस्तार	7.27
सिटरा	रोटर सिपिनिंग मशीन पर इलास्टिक कोर यार्न का निर्माण करने के लिए एक उपकरण का विकास	9.6
निटरा	हैंक रंगाई के लिए स्प्रे मिस्ट प्रौद्योगिकी का विकास	7.00
ससमीरा	फर्श बिछावन के लिए जैव–वस्त्रों का स्वदेशी रूप में विकास	12.48
ससमीरा	रंजक गृहों के लिए शून्य बहिस्राव वस्त्र प्रक्रिया का विकास	13.00
मंतरा	हाई एयर टेम्सचराइज्ड सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के लिए केनवास फैब्रिक का विकास	7.37
	2006–07 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
अटिरा	लियोसेल/माडल फाइबर से यार्न स्पन की गुणवत्ता में सुधार	9.51
अटिरा	जलप्रपात भरण व्यवस्था वाली उच्च उत्पादन रोलर जिन मशीन का विकास	10.73
अटिरा	सूक्ष्मनियंत्रक बेस, पोर्टेबल इलैक्ट्रॉनिक फाइबर सूक्षमता और परिपक्वता टेस्टर का डिजायन एवं विकास	4.00
बटरा	वस्त्र प्रसंस्करण के लिए पलाज्मा प्रौद्योगिकी	46.00
मंतरा	बेडशीट, तकियों और मैटर्सों में उपयोग के लिए एलर्जीरोधी संरक्षण फैब्रिक का विकास	13.06
मंतरा	संशोधित रियोन (फिलामेंट) तथा मॉडल फाइबर फैब्रिक की रसायन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में सुधार और समग्र मूल्य श्रृंखला की उपलब्धि को बढ़ाना	12.98
निटरा	मिल्कवीड फैब्रिक की औद्योगिकीय संभाव्यता	10.37
निटरा	वार्प, वेफ्ट के निर्माण और वार्प एवं नेफ्ट नुडल फैब्रिक के मिलान के लिए विद्युतकरघा का संशोधन करना	21.25
ससमीरा	वर्टिकल ड्रेन तकनीक उपयोग करके मैदान सुधार के लिए वूवन जैव–वस्त्रों का का स्वदेश में विनिर्माण	16.05
ससमीरा	उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए प्रथम जनरेशन आयातित शटलरहित करघों और स्वदेशी शटलरहित करघों का कम लागत उन्नयन	11.73

1	2	3
ससमीरा	विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए चरण परिवर्तन सामग्रियों का उपयोग कर थर्मो–विनियामक विशेषताओं वाले फैब्रिक का विकास करना	17.05
सिटरा	मिश्रण में व्यक्तिगत सूती फाइबर की विशेषताओं की पारस्परिक क्रिया	10.68
सिटरा	आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क (ए एन एन) का उपयोग कर परिधान विनिर्माण के दौरान निटिड फैब्रिक के निटिंग आचरण और निष्पादन का मूल्यांकन	22.22
डब्ल्यूआरए	कपड़े के कीड़े की जांच विशेषताओं वाले ऊन डाईज का संश्लेषण करना	29.05
डब्ल्यूआरए	उत्कृष्ट भारतीय ऊन और बेहतर मूल्यवर्धन (प्रसंस्करण के प्रथम स्तर के लिए विशेष संदर्भ के साथ) के लिए इन्जाइम प्रौद्योगिकी स्थापना के साथ उनके उत्पाद श्रेणी के प्रसंस्करण निष्पादन में सुधार करना।	20.64

[हिन्दी]

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नामों का उपयोग

7381. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के नामों तथा चित्रों के व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की ट्रेड मार्क अधिनियम, पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ट्रेड मार्क अधिनियम, पेटेंट तथा डिजाईन अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्री गणेश, भगवान शिवा, विष्णु तथा अन्य देवी एवं देवताओं, जो हिन्दुओं के विश्वास तथा आस्था के प्रतीक हैं, के नामों तथा चित्रों का व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग को रोकने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अधिनियमों को नौंवी अनुसूची में डालने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विभिन्न हिन्दू देवताओं तथा देवियों के नामों का दुरुपयोग तथा तस्वीर का प्रतिनिधित्व के संरक्षण के लिए व्यापार चिन्ह् अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्याप्त सुरक्षोपायों की व्यवस्था की गई है। व्यापार चिन्ह् अधिनियम, 1999 की धारा 9(2) में अन्य बातों के साथ–साथ व्यवस्था है कि कोई चिन्ह् व्यापार चिन्ह् के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि (1) इसमें कोई ऐसा मामला है जिससे भारत के नागरिक के किसी वर्ग अथवा भाग की धार्मिक संवेदनशीलता आहत होती है; तथा (2) प्रतीक चिन्ह् तथा नाम (अनुचित प्रयोग का संरक्षण) अधिनियम, 1950 की धारा 3 के तहत इसका प्रयोग निषेध है। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह् तथा नाम अधिनियम की धारा 4 में इनकी मनाही है (क) किसी कम्पनी, फर्म अथवा अन्य व्यक्तियों का निकाय जिसका कि कोई नाम है, अथवा (ख) व्यापार चिन्ह् या डिजाइन जिसका कोई प्रतीक चिन्ह् अथवा नाम है अथवा (ग) किसी खोज के बारे में पेटेंट प्रदान करना जिसका एक छोटा नाम अथवा प्रतीक चिन्ह् हो।

व्यापार चिन्ह् अधिनियम, 1999 की धारा 23(1) भी केन्द्र सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह ऐसे किसी शब्द को व्यापार चिन्ह् के रूप में पंजीकरण को मना करे जिसमें भगवान बुद्ध, अशोक चक्र, धर्म चक्र, श्री साईं बाबा, श्री राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, श्री सारदादेवी (पवित्र माँ); सिक्ख गुरूओं का नाम तथा तस्वीर का प्रतिनिधित्व; भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी आदि का नाम तथा तस्वीर का प्रतिनिधित्व जैसे शब्द निहित हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) में व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी किसी ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं की जा सकती है जो केन्द्र सरकार के विचार से अवांछनीय है। 'अवांछनीय' शब्द की व्याख्या करने के उद्देश्य से कंपनी कार्य विभाग ने कम्पनी रजिस्ट्रार के निर्देशन हेतु दिशा निर्देश/हिदायतें जारी की हैं और कंपनियों के नाम के पंजीकरण का कार्य सौंपने के साथ बताया है कि यदि कोई नाम प्रतीक

चिन्ह् तथा नाम (अनुचित प्रयोग का संरक्षण) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है वह नाम सामान्यतः पंजीकरण के लिए उपलब्ध नहीं किया जायेगा।

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(ख) किसी खोज को निषिद्ध करती है जिसका प्राथमिक अथवा जानबूझकर प्रयोग अथवा वाणिज्यिक शोषण सार्वजनिक आदेश अथवा नैतिकता के प्रतिकूल होगा अथवा जो मानव, जानवर अथवा पौधों के जीवन अथवा स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव का कारण है।

डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 4(घ) में व्यवस्था है कि कोई डिजाइन जिसमें अपमानजनक अथवा अश्लील मामला निहित है को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। धार्मिक संवेदनाओं तथा भावनाओं को आघात देने वाले हिन्दू देवताओं तथा देवियों का प्रतिनिधित्व रखने वाले डिजाइन उपर्युक्त धारा के क्षेत्राधिकार में आ सकते हैं और इस कारण वह एक गैर–पंजीकरणीय डिजाइन है।

(घ) से (च) उपर्युक्त के संदर्भ में अधिनियमों को उनके प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना अपेक्षित नहीं है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

4382. श्री बालेश्वर यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अंतर्गत बासमती चावल के पेटेंट के संबंध में विश्व व्यापार संगठन में जाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ बाजार के साथ (यूरोपियन यूनियन मार्केट) ज्वायंट जियोग्राफिकल इंडिकेटर (जे जी आई) के अंतर्गत बासमती चावल को दर्ज करने के लिए बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, हां। हमारे पास उपलब्ध पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान इस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ में जाने की योजना बना रहा है। तथापि वे यूरोपीय बाजार में सुपर बासमती चावल को पंजीकृत कराने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इस विभाग ने दोनों देशों के पारस्परिक लाभ हेतु एक भौगोलिक संकेतक के रूप में बासमती चावल के संयुक्त पंजीकरण के संबंध में पाकिस्तान के साथ विचार–विमर्श करने हेतु एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में रिक्त पद

4383. श्री गिरिधर गमांग : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्यों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद किस वर्ष से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन रिक्तियों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद और सदस्यों के तीन पद नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रिक्त हैं:

क्रम सं.	पद का नाम	दिनांक, जब से रिक्त हैं
1.	अध्यक्ष	14 फरवरी, 2007
2.	सदस्य	1 मार्च, 2007
3.	सदस्य	4 मार्च, 2007
4.	सदस्य	11 मार्च, 2007

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 338क के पैरा 3 के अनुसार पहले ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

अनुसंधान ठेके

4384. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परामर्शदाताओं, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों तथा अनुसंधान संगठनों इत्यादि को अनुसंधान ठेके देती है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान ठेकों के ब्यौरे के साथ–साथ उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ठेके दिए गए तथा इनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान ठेके मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन अनुसंधान ठेकों के विषयों के चयन की आंतरिक प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अनुसंधान ठेके प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती है;

(छ) यदि हां, तो प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो ठेके देने की शुचिता क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महादीर प्रसाद) : (क) "सर्वेक्षण, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान" की स्कीम के तहत सर्वेज/स्टडीज को सुप्रसिद्ध एकेडेमिक/रिसर्च/प्रोफेशनल संगठनों को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के सम्बन्ध में नीतिगत अनुसंधान हेतु विभिन्न पहलूओं के बारे में विश्वसनीय डाटा एकत्रित करने के लिए सौंपा जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सौंपे गए सर्वेज/स्टडीज के संबंध में संगठनों के नाम सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ज) सर्वेज/स्टडीज के लिए विषयों का चयन करने की तथा तकनीकी तथा वित्तीय बोली के आधार पर ठेका प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से सर्वेज, स्टडीज तथा पॉलिसी रिसर्च की स्कीम के प्रचालन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को दिसम्बर, 2005 में संशोधित किया गया था। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत स्कीम के प्रचालन संबंधी कार्य का निरीक्षण संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय है, द्वारा किया जाता है। संचालन समिति वर्ष के दौरान हाथ में लिए जाने वाले/प्रदान किए जाने वाले सर्वेज, स्टडीज, इत्यादि के विषयों के बारे में निर्णय लेती है तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के फील्ड में उनकी सुविज्ञता तथा अनुभव के आधार पर विशेषज्ञों तथा प्रसिद्ध एकेडेमिक/रिसर्च तथा प्रोफेशनल संगठनों के पैनल को जो प्रस्तावित सर्वेज/स्टडीज के लिए तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां आमत्रित करवा सकती है, स्वीकृति भी प्रदान करती है। तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन पर सर्वेज/स्टडीज को संबंधित अभिकरणों को सौंपा जाता है। तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के संबंध में नोटिस को वेबसाइट पर नहीं रखा जाता क्योंकि सर्वेज/स्टडीज को विशेषज्ञों/संगठनों के स्वीकृत पैनल से तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए सीमित टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	अध्ययन/समनुदेशन का विषय	संगठन का नाम	प्रगति
1	2	3	4
		2004-05	
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुषंगी तथा बड़े तथा मध्यम उद्योगों की सहायता सेवाओं पर आधारित उद्योग।	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.ई.), गुवाहाटी।	अध्ययन पूरा हो गया है।
2.	व्यावसायिक कालिजों में उद्यमिता विकास इन्पुट्स।	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण (निसिएट), हैदराबाद	अध्ययन पूरा हो गया है।
3.	भारत में लघु सेवा तथा बिजनेस उद्यमों की भूमिका, योगदान तथा उनके समक्ष चुनौतियां।	लघु तथा मध्यम उद्यम विश्व संघ प्लांट सं. 4, सेक्टर 16–1, नोएडा	अध्ययन पूरा हो गया है।
4.	पूर्वी यू.पी. के पिछड़े क्षेत्र में उद्यमिता विकास।	डी.डी.यू., गोरखपुर, विश्वविद्यालय	अध्ययन पूरा हो गया है।
5.	महिला स्वामित्व वाले लघु उद्यमों का सर्वेक्षण तथा महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाले दबाव।	सोसाइटी फार इकोनोमिक तथा सोशल ट्रांजीशन, नई दिल्ली।	अध्ययन पूरा हो गया है।

1	2	3	4
6.	स्कूल अध्ययनों के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम।	उद्यमिता तथा लघु बिजनेस विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान (निएसबड), नोएडा	अध्ययन पूरा हो गया है।
7.	इंडियन फाउन्ड्रीज संबंधी अध्ययन।	इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउन्ड्रीमेन, नई दिल्ली।	अध्ययन पूरा हो गया है।
8.	उद्यमियों में परियोजना पता लगाने संबंधी व्यवहार।	उद्यमिता तथा लघु बिजनेस विकास संबंधी राष्ट्रीय संस्थान (निएसबड), नोएडा।	अध्ययन पूरा हो गया है।
9.	गुवाहाटी में इन्फौरमल सेक्टर संबंधी अध्ययन	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (आई.आई.ई.), गुवाहाटी।	अध्ययन पूरा हो गया है।
10.	पूर्वोत्तर में सर्विस उद्योग संबंधी अध्ययन–विकास सम्भावनाएं।	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (आई.आई.ई.), गुवाहाटी	अध्ययन पूरा हो गया है।
		2005-06	
1.	विश्वव्यापी सम्वर्धन के लिए एस.एम.ई. की भारत में कंपीटेन्सी मैपिंग	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट), हैदराबाद	अध्ययन पूरा हो गया है।
2.	भारत में लघु उद्योग क्षेत्र में स्थिति, विकास तथा अनारक्षण संबंधी अध्ययन।	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पीटेंसी स्टडीज, नई दिल्ली	अध्ययन पूरा हो गया है।
		2006-07	
1.	क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम संबंधी अध्ययन (कार्यान्वयन सीडो द्वारा किया जा रहा है)	मै. क्रेसिल लि., मुम्बई	अध्ययन अभी पूरा किया जाना है।
2.	कैपिटल सब्सिडी स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन (क्रियान्वयन सीडो द्वारा किया जा रहा है)।	मै. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर.) परिशीला भवन, 11, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002	अध्ययन अभी पूरा किया जाना है।
3.	मार्किटिंग सम्वर्धन स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन (कार्यान्वयन एन.एस.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है)।	उद्यमिता विकास, प्रबन्धन विकास संस्थान के लिए केन्द्र, गुड़गांव।	अध्ययन अभी पूरा किया जाना है।

नवीन फार्म मशीनें

4385. श्री सी. कुप्पुस्वामी : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समुचित और घरेलू प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नवीन फार्म मशीनों का निर्माण करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी फार्म मशीनें जो लागत प्रभावी तथा उपभोक्ता अनुकूल हों, देश में एक और हरित क्रांति लाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या–क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर

प्रसाद) : (क) कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई सी ए आर) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य केन्द्रीय संस्थाओं में स्थापित फार्म उपकरणों तथा मशीनरी से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के सहयोगी केन्द्रों तथा अपने संस्थानों के माध्यम से स्थान तथा कमोडिटी स्पेसिफिक प्रोटोटाईप फार्म मशीनों के अनुसंधान तथा विकास से संबद्ध है।

(ख) अब तक, भूमि तैयार करने, बुआई करने, इंटरकल्चर, स्प्रे करने, फसल काटने तथा गाहने के लिए अनेक हस्त संचालित, पशुओं तथा बिजली द्वारा संचालित फार्म मशीनों की संरचना तैयार की गई है तथा उन्हें विकसित किया गया है और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन आई सी ए आर द्वारा इनमें से अनेक को वाणिज्यीकृत किया गया है।

(ग) ये मशीनें लागत प्रभावी हैं और उपयोगकर्ता सुगमकारी हैं। पर्वतीय कृषि, हार्टीकल्चर, परिशुद्ध फार्मिंग तथा स्ट्रा प्रबन्धन के लिए उपयुक्त नई मशीनें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे और यांत्रिकीकरण तथा समय पर फील्ड ऑपरेशन में सहायता मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन तथा उत्पादनशीलता में वृद्धि होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। केवल फार्म मशीनों से हरित क्रांति नहीं लाई जा सकती क्योंकि बीजों, उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं, आदि जैसी अन्य साधन भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तथापि इनसे उत्पादन बढ़ाने हेतु योगदान मिलेगा।

(घ) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन आई सी ए आर में पर्वतीय कृषि, हार्टीकल्चर, परिशुद्ध फार्मिंग तथा स्ट्रा प्रबन्धन, आदि के लिए उपयुक्त मशीनें विकसित करने का कार्य चल रहा है।

मृत्युदंड

4386. श्री पी. करुणाकरन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मृत्युदंड को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य किन-किन देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन देशों के कानून में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, उनके नाम इस प्रकार हैं – अल्बानिया, अंडोरा, अंगोला, अर्मेनिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, अजरबैजान, बेल्जियम, भूटान, बोस्निया-हर्जेगोविना, बुलगारिया, कम्बोडिया, कनाडा, केप वर्दे, कोलम्बिया, कोस्टारिका, कोट-डी-आइवरी, क्रोशिया, साइपरस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनकन रिपब्लिक, एक्वाडोर, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जार्जिया, जर्मनी, ग्रीस, गुएना-बिसाऊ, हैती, होडुंरस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, किरीबाती, लाइबेरिया, लीचटेनस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मेसीडोलिया (भूतपूर्व यूगोस्लाव गणतंत्र) माल्टा, मार्शल द्वीपसमूह, मारीशस, मेक्सिको, माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य), मोलडोवा, मोनाको, मॉटेगरो, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, नीदरलैंडस्, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, निवे, नार्वे, पलाऊ, पनामा, परागुवे, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, समोआ, सन मारिनो, साओ टोम और प्रिंसीपे, सेनेगल, सर्बिया, सशेल्स, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, सोलोमन द्वीपसमूह, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, तिमोर-लेसे, टर्की, तुर्किमेनिस्तान, तुवालू, यूक्रेन, यूनाईटेड किंगडम, उरुग्वे, वनुतु, वैटिकन सिटी स्टेट, वेनेजुएला।

भारतीय प्रबंधन संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति

4387. श्री प्रहलाद जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न भारतीय प्रबंध संस्थानों विशेषकर अहमदाबाद और बंगलौर के छात्रों को छात्रवृत्ति, फ्री शिप इत्यादि के रूप में कितनी वित्तीय सहयता दी गई है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को ऐसी वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ छात्रों को वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की मंशा अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को भी वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां; तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई गई आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

संस्थान का नाम	लाभान्वित छात्रों की संख्या	राशि
2005–2006		
भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	97	64,77,650 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	76	76,81,000 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	22	16,12,750 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	115	56,00,000 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर	25	18,75,000 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, कोजीकोड	58	40,32,000 रुपये
कुल	393	2,72,78,400 रुपये
2006–2007		
भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	69	47,69,530 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	57	68,46,000 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	29	20,62,200 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	86	48,00,000 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर	11	9,90,000 रुपये
भारतीय प्रबंध संस्थान, कोजीकोड	42	33,50,000 रुपये
कुल	294	2,28,17,730 रुपये

(ख) वे सभी दाखिल छात्र जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय 2.00 लाख रुपए अथवा उससे कम हैं, सम्पूर्ण शुल्क माफी तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. के किसी भी छात्र को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया गया है, बशर्ते वे वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्डों पर खरे उतरते हों।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन एवं संचालन कर रही है। कोई छात्र जिसे गेट परीक्षा (जीएटीई) में मान्य अंक प्राप्त हैं वह मैरिट के आधार पर 5000 रुपए प्रति वर्ष की आकस्मिक अनुदान सहित 5000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होता है बशर्ते कि उसने किसी तकनीकी संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनुमोदित स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिला लिया हो। वर्ष 2005–2006 के दौरान, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 5843.33 लाख रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 2006–07 के दौरान मार्च 13, 2007 तक इस स्कीम के तहत 3991.72 लाख रुपए की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आयात

4388. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात/निर्यात किए गए रस (जूस) के छोटे बंद डिब्बों/बोतलों, सब्जियों तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सान्द्रित फलों के रसों (जूस) के आयात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) आयात तथा निर्यात के मद–वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खण्ड–I (निर्यात) तथा खण्ड–II (आयात) वार्षिक अंक" में दिए गए हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विद्युत करघाधारक

4389. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत करघाधारक देश में विशेष रूप से कर्नाटक में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विद्युत करघाधारकों की समस्याओं को सुलझाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) विद्युतकरघा धारकों से किसी विशेष समस्या की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस क्षेत्र की सामान्य कठिनाइयां, सामान्यतः वस्त्र क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से भिन्न नहीं है। इनमें 100 प्रतिशत विद्युत की अनुपलब्धता, कुछ राज्यों में विद्युत की उच्च टैरिफ दर, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, रेशम फैब्रिक्स की उत्पादन लागत में वृद्धि, पड़ोसी देशों से रेशम फेब्रिक्स का गैर–कानूनी आवती आदि शामिल हैं। तथापि, विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा फेब्रिक का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा उद्योग के विकास के लिए आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए 1.04.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है।

इस योजना में रुपए आवधिक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति तथा योजना के अनुरूप परियोजना के लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण पर 5 प्रतिशत तक सीमित विनिमय उतार–चढ़ाव/फारवर्ड कवरेज प्रीमियम का प्रावधान है। इस योजना के तहत लघु वस्त्र/पटसन उद्योग के लिए टीयूएफएस पर 5 प्रतिशत के ब्याज के बदले 15 प्रतिशत ऋण संबद्ध पूंजी सहायता (सीएलसीएस) का विकल्प प्रदान किया गया है।

सरकार ने विद्युतकरघा एककों को टीयूएफएस के तहत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति/15 प्रतिशत सीएलसीएस के बदले में 20 प्रतिशत पूंजी सहायता लेने का एक अतिरिक्त विकल्प भी प्रदान किया है। विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए मशीनरी हेतु पूंजी सीमा को 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना के प्रति प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक रही है। वर्ष 2005–06 की तुलना में 2006–07 के दौरान जारी की गई सहायता राशि में काफी वृद्धि हुई है।

(लाख रु. में)

	प्राप्त आवेदन		संवितरित	
	सं.	राशि (मशीनरी का लागत)	सं.	राशि (सहायता राशि)
2003–04	004	000.48	004	00.10
2004–05	323	083.86	150	06.00
2005–06	564	201.03	368	23.00
2006–07 (30.03.2007 की स्थिति के अनुसार)	863	353.23	827	59.86
कुल	1,754	638.6	1,349	88.96

चाय की खेती

4390. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार कुल कितने क्षेत्र में चाय की खेती होती है;

(ख) चाय उद्योग द्वारा राज्य–वार कुल कितने श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है;

(ग) प्रत्येक राज्य में पंजीकृत टी इस्टेट की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा लघु चाय उत्पादकों द्वारा कितनी चाय का उत्पादन किया जाता है तथा कितनी चाय उगाई जाती है;

(घ) क्या चाय बागानों में भुखमरी के कारण मौतें होने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) चाय उद्योग में लगे श्रमिकों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) चाय की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र, चाय उद्योग में नियोजित कामगारों की संख्या और पंजीकृत चाय बागानों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

राज्य	क्षेत्र (2005)* (हजार हेक्टे. में)	नियोजित कामगारों की अनुमानित संख्या (2005)	चाय बागानों की संख्या (क्षेत्र >10.12 हेक्ट.)
1	2	3	4
असम	272.00	618,139	824
पश्चिम बंगाल	114.50	262,702	311
त्रिपुरा	8.36	11,620	58
बिहार	2.10	120	1
उत्तरांचल	1.45	312	10
हिमाचल प्रदेश	2.35	993	24
मणिपुर	1.32	695	6
सिक्किम	0.19	418	1
अरुणाचल प्रदेश	2.07	1,597	27
नागालैंड	1.90	137	7
मेघालय	0.28	235	7
मिजोरम	0.77	75	7
उड़ीसा	0.21	462	1
कुल उत्तर भारत	407.50	897,500	1,284

1	2	3	4
तमिलनाडु	76.25	266,383	228
केरल	37.12	90,148	154
कर्नाटक	2.13	4,769	18
कुल दक्षिण भारत	115.50	361,300	400
कुल सम्पूर्ण भारत	523.00	1,258,800	1,684

* अनंतिम एवं संशोधन के अध्यधीन (स्रोतः चाय बोर्ड)

चाय के लघु उपजकर्ताओं द्वारा बागान स्तर पर उत्पादित चाय (निर्मित चाय) का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(आंकड़े मिलियन कि.ग्रा. में)

	2006 के अनुसार		
	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	सम्पूर्ण भारत
बागानों में उत्पादित चाय (बागान क्षेत्र > 10.12 हेक्ट.)	590.0	142.8	732.8
लघु उपजकर्ताओं का उत्पादन (बागान क्षेत्र < 10.12 हेक्ट.)	139.6	83.5	223.1
कुल योग	729.6	226.3	955.9

(घ) और (ङ) सरकार/चाय बोर्ड को ऐसी कोई रिपोर्ट/सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) एक सतत प्रक्रिया के रूप में, चाय उद्योग के समग्र विकास हेतु चाय बोर्ड अनेक योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें चाय उद्योग में कार्यरत कामगारों का कल्याण शामिल है। चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रमिक कल्याण उपायों के लिए वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास शीर्ष के अंतर्गत यह कल्याणकारी स्कीम XIवीं योजना में भी शामिल की गई है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

4391. श्री जोवाकिम बखला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उत्पादों के क्षेत्र में विश्व निर्यात व्यापार (वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड) में भारत के शेयर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि निर्यात की कुल मात्रा काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता का पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात व्यापार में भारत का हिस्स वर्ष 1980 में 1.0%; वर्ष 1990 में 0.8%; वर्ष 2000 में 1.2% तथा वर्ष 2005 में 1.2% रहा है। भारत से निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पाद हैं – खाद्यान्न (बासमती तथा गैर–बासमती चावल, गेहूं तथा अन्य अनाज), गिरी तथा बीज, मांस, कुक्कट तथा दुग्ध उत्पाद, फल तथा सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य, तेल खाद्य, तंबाकू तथा उसके उत्पाद, मसाले, चीनी इत्यादि। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के कृषि उत्पादों के कुल निर्यातों में एक वृद्धिकारी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मूल्य (मिलियन अम. डॉ.)
2002–03	4674.00
2003–04	5223.85
2004–05	6014.07
2005–06 (अनंतिम)	7158.84

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

भारत के निर्यातों से संबंधित विस्तृत सूचना अर्थात देशवार तथा उत्पादनवार सूचना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://docnic पर उपलब्ध है।

(घ) से (च) कृषि तथा कृषि उत्पादों की निर्यात संभावना का अधिकतम संभव सीमा तक दोहन करना सरकार का प्रयास रहा है। निर्यातों को प्रोत्साहित करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार, वस्तु बोर्डों इत्यादि की योजना स्कीमों के तहत उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। भारतीय कृषि उत्पादों का संवर्धन करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल (एमएआई), निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) आदि जैसी अनेक स्कीमों को संशोधित दिशानिर्देशों के साथ लागू किया है जिनके अंतर्गत विभिन्न बोर्डों/परिषदों द्वारा क्रेता–विक्रेता बैठकों के आयोजन, व्यापार मेलों में भागीदारी, विभिन्न देशों को व्यापारियों तथा निर्यातकों के

शिष्टमंडलों के दौरों की व्यवस्था करने जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उपर्युक्त स्कीमों के तहत, देश के निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से निर्यातकों को आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पैकेजिंग तथा गुणवत्ता सुधार आदि हेतु सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है। सरकार ने फलों, सब्जियों, पुष्पों, दुग्ध, कुक्कुट, लघु वनोत्पादों तथा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के उद्देश्य से विशेष कृषि उपज योजना की भी घोषणा की है।

भारतीय किसानों तथा कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए गए हैं ताकि कृषि निर्यातों में वृद्धि हो सके और किसान अपने उत्पादों की लाभकारी कीमतें प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने भारतीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक पहलें एवं हस्तक्षेप किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तिलहनों, दालों, पाम तेल तथा मक्का हेतु समेकित स्कीम (आईएसओपीओएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

[हिन्दी]

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

4392. श्री महावीर भगोरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) के अंतर्गत मार्केट यार्ड तथा गिन्निंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है;

(ख) क्या लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) बाजार यार्डों के विकास और जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कोई पृथक राज्य-वार आंकड़े निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, फरवरी, 2000 में शुरू किए गए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) (लघु मिशन-3) के तहत बाजारों यार्डों के विकास के लिए मूल लक्ष्य 111 था। इस लक्ष्य की तुलना में मार्च, 2007 (अर्थात् 10वीं योजना) के अंत तक 108 बाजार यार्डों का विकास कार्य पूरा किया गया है। इस प्रकार यह मूल लक्ष्य की 97.29% उपलब्धि है। इसी प्रकार, लघु मिशन-4 के तहत जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए मूल लक्ष्य 500 था जिसकी तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 544 बाजार यार्डों का विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रकार, लघु मिशन-4 के तहत उपलब्धि मूल लक्ष्य की तुलना में 107% है। लघु मिशन 3 और 4 के लक्ष्य की प्राप्ति की तीव्र गति और संतोषजनक प्रगति को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने जून, 2005 में इसे संशोधित करना और उसके द्वारा मूल लक्ष्यों को बढ़ाकर 250 बाजार यार्डों का विकास और 1000 जिनिंग व प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करना विवेकपूर्ण समझा। टीएमसी (लघु मिशन-3 और 4) के तहत लक्ष्य में संशोधन करते समय, यह सुविचारित था कि यह संशोधित लक्ष्य 11वीं योजना अवधि में चला जाएगा। इस प्रकार यह कहना सही नहीं होगा कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां संतोषजनक नहीं रही हैं। आज की तारीख के अनुसार, संशोधित लक्ष्य की तुलना में, 226 बाजार यार्डों की स्वीकृति दी गई है और 907 जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत परियोजना की संख्या के रूप में संशोधित लक्ष्यों की उपलब्धि लघु मिशन-3 के मामले में 90.40% और लघु मिशन-6 के मामले में 90.70% है। चूंकि बाजार यार्ड और जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों की जेस्टेशन अवधि लंबी होती है इसलिए यह आशा है कि यह परियोजना 11वीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में पूरी कर ली जाएगी।

(घ) सरकार लघु मिशन-3 और लघु मिशन-4 के तहत निर्धारित संशोधित लक्ष्यों की प्राप्ति तीव्रता से करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रही है। ये हैं:-

- प्रगति रिपोर्टों का संग्रह।
- मासिक प्रगति रिपोर्टों (एम पी आर) की राज्यवार समीक्षा।
- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वास्तविक और वित्तीय समीक्षा।
- भारतीय कपास निगम लि. के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा।
- कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन।
- राज्यों के कृषि विपणन निदेशकों के साथ टीएमसी परियोजना के तहत स्वीकृत उनके कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक।
- लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई।
- राज्य सरकार को और अधिक प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि किसी अप्रत्याशित कारण से किसी विशेष परियोजना के रद्द होने पर, एक वैकल्पिक परियोजना रहेगी जिस पर कार्यान्वयन समिति भरोसा कर सके।
- अनेक संस्थागत उपायों द्वारा परियोजना की प्रभावी मानीटरिंग।

[अनुवाद]

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

4393. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों विशेष रूप से गुजरात को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार आरंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ई जी ई एल) के अन्तर्गत मंजूर तथा जारी किए गए प्रोत्साहनों/अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रोत्साहन/अनुदान अनुमोदित नहीं किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ई जी ई एल) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा पात्र राज्यों को जारी की गई निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ग) प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ई जी ई एल) में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं को आवश्यकता आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए दी जाने वाली 150 रुपए प्रति बालिका की राशि में से हुई बचत का प्रयोग करने का प्रावधान है। इस दिशा–निर्देश के अंतर्गत पात्र राज्यों को इसके लिए निधियां प्रदान की गई हैं।

विवरण

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2004–05 में जारी की गई निधियां	वर्ष 2005–06 में जारी की गई निधियां	वर्ष 2006–07 में जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	2000.00	4383.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.50	4.50	33.82
3.	असम	0.00	0.00	46.37
4.	बिहार	1770.00	1770.56	5544.39
5.	छत्तीसगढ़	1189.74	1189.76	521.71
6.	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2827.00	2454.14	302.25
8.	हरियाणा	196.55	196.55	314.95
9.	हिमाचल प्रदेश	58.00	28.66	55.25
10.	जम्मू और कश्मीर	54.94	568.60	34.80
11.	झारखंड	1068.50	1068.50	3783.00
12.	कर्नाटक	824.48	336.95	868.93
13.	मध्य प्रदेश	4636.40	4636.00	6599.46
14.	महाराष्ट्र	489.79	665.79	853.70
15.	मणिपुर	0.00	0.00	9.24
16.	मेघालय	9.62	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	7.47	31.47
18.	उड़ीसा	2000.00	1592.63	3442.48
19.	पंजाब	40.00	90.08	0.00
20.	राजस्थान	549.39	1484.06	671.76
21.	तमिलनाडु	489.54	370.45	852.12
22.	त्रिपुरा	2.40	6.58	24.05
23.	उत्तर प्रदेश	3000.00	13824.00	11682.00
24.	पश्चिम बंगाल	538.36	718.25	670.00
	कुल	23219.92	33194.59	41068.93

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि

4394. श्री तथागत सत्पथी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत तक उड़ीसा सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आबंटन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार ने विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) वर्ष 2006–07 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत उड़ीसा को भारत सरकार के शेयर के रूप में 44010.95 लाख रु. जारी किए गए थे। वर्ष 2006–07 के दौरान उड़ीसा का सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय 65778.72 लाख रु. था।

(ग) और (घ) वर्ष 2007–08 के लिए उड़ीसा का सर्व शिक्षा अभियान के लिए वार्षिक परिव्यय अनन्तिम रूप से 898 करोड़ रु. रखा गया है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 तक संस्वीकृत 64314 शिक्षकों में से 62483 शिक्षकों को उड़ीसा द्वारा नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में आत्महत्या के मामले

4395. श्रीमती रूपताई डी. पाटील :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की स्थिति के अनुसार रैंकवार कितने दिल्ली पुलिस के कार्मिकों ने आत्महत्या की है;

(ख) इन अधिकारियों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इनके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वर्ष 2004, 2005, 2006 के दौरान और 15 अप्रैल, 2007 तक दिल्ली पुलिस के जिन कार्मिकों ने आत्महत्या की उनका वर्ष–वार और रैंक–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	निरीक्षक	उप–निरीक्षक सहायक उप–निरीक्षक	हैड–कांस्टेबल	कांस्टेबल
2004	0	2	2	3
2005	0	1	2	3
2006	1	2	2	7
2007	0	1	1	4

(ख) ऐसे मृतक पदाधिकारियों के आश्रितों का पुनर्वास करने के लिए उठाए गए कदमों में 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर करना और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कुछ मामलों में आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के प्रयास करती है कि कार्मिकों की पर्याप्त रूप से देखभाल की जाए और उनकी समस्याओं को समझने के लिए अधिकारी स्तर पर उनसे लगातार संपर्क स्थापित किया जाए तथा अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पूरा मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

ऑटो पार्ट्स के लिए विशेष आर्थिक जोन

4396. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषतः तमिलनाडु में ऑटो पार्ट्स के लिए विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एसईजेड के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल संघटकों के लिए दो सत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड़ों) की स्थापना करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा इन्हें अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, तीन ऐसे एसईजेडों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा दो और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	विकासकर्त्ता का नाम	अवस्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
I.	**औपचारिक रूप से अनुमोदित तथा अधिसूचित एसईजेड**			
1.	आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	आदित्यपुर, झारखंड	36.4218	30.58
2.	मै. बजाज आटो लिमिटेड	वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	100.26	200
II.	**प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन**			
1.	श्रीओमजी डवलपर्स प्रा. लि.	फारूखनगर, जिला–गुड़गांव, हरियाणा	101	447
2.	पार्श्वनाथ डवलपर्स लि.	पुणे, महाराष्ट्र	100	119.17
3.	बंगाल श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लि.	खडगपुर, पश्चिम बंगाल	200	2797.20
III.	**प्राप्त हुए प्रस्ताव (दोनों सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए)**			
1.	नासिक इंडस्ट्रियल पार्क प्रा. लि.	नासिक, महाराष्ट्र	154.31	891.53
2.	तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	जिला – तिरूवल्लुर, तमिलनाडु	795	650

(घ) विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा एसईजेड के विकासकर्त्ता को जारी अनुमोदन पत्र जिसमें औपचारिक अनुमोदन संसूचित किया गया है, 3 वर्ष के लिए वैध है जिसके भीतर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। वैधता अवधि को अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सैद्धांतिक अनुमोदन की स्थिति में जारी किया गया अनुमोदन–पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है जिसके दौरान विकासकर्त्ता के लिए औपचारिक अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस मामले में भी वैधता अवधि को अनुमोदन बोर्ड द्वारा और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

4397. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विभिन्न राज्यों से उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं और तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत/लम्बित हैं तथा राज्य–वार अलग–अलग कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) ऐसे उद्योगों द्वारा उद्योगवार, किन उत्पादों का उत्पादन किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) उद्योग स्थापित करने के लिए, उपक्रमों को औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दायर करना पड़ता है। औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन करना पड़ता है, न कि राज्य सरकारों को यह काम करना होता है। उदारीकृत आर्थिक माहौल में, औद्योगिक इकाइयों के स्थापना स्थल के चुनाव सहित, निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी–आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यद्यपि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा राज्य सरकारों को विशिष्ट रूप से उद्योग स्थापित करने के लिए निधियां नहीं दी जाती, सरकार बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है तथा विभिन्न योजनाओं के

तहत अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। 1.4.2003 से 31.3.2007 तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्राप्त किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों तथा जारी किए गए आशय–पत्रों/प्रत्यक्ष लाइसेंसों के बारे में राज्य–वार सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) 1.4.2003 से 31.3.2007 तक प्राप्त किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों और जारी किए गए आशय पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों का उद्योग–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

2003–2004 से राज्य–वार और वित्तीय वर्ष–वार निवेश के आशय (औ.उ.ज्ञा.+ आ.प. + प्र.औ.ला.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003–2004		2004–2005		2005–2006		2006–2007	
		संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	2	31	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	266	16527	422	16596	493	19001	582	48660
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	68	6	51	7	41	4	111
4.	असम	39	163	73	430	71	809	47	2044
5.	बिहार	5	27	12	314	37	3913	52	4850
6.	चंडीगढ़	0	0	2	1	0	0	5	234
7.	छत्तीसगढ़	212	16155	453	47602	242	39914	207	118737
8.	दादरा और नगर हवेली	227	4137	96	834	88	2374	93	2794
9.	दमन और दीव	91	390	54	418	72	780	45	1559
10.	दिल्ली	9	14	7	20	5	20	9	218
11.	गोवा	33	325	29	171	36	296	24	316
12.	गुजरात	447	32341	613	29695	753	82901	478	72283
13.	हरियाणा	185	8372	198	2737	232	5578	210	16095
14.	हिमाचल प्रदेश	63	1126	107	3384	115	1774	89	1906
15.	जम्मू और कश्मीर	56	774	126	2719	134	2058	80	2306
16.	झारखंड	65	1861	88	10539	202	54089	81	35257
17.	कर्नाटक	180	14074	224	10969	268	15353	286	72250
18.	केरल	20	417	26	294	48	610	29	1211
19.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	मध्य प्रदेश	70	1616	139	8538	175	18782	202	12537
21.	महाराष्ट्र	685	8878	709	13256	826	24694	760	62191
22.	मणिपुर	0	0	1	0	1	7	1	0
23.	मेघालय	32	99	32	215	33	634	12	1280
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	5	16034	1	2	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	155	17718	248	45565	167	38255	126	96869
27.	पांडिचेरी	51	252	34	263	48	411	41	753
28.	पंजाब	110	1844	170	4190	195	7127	191	10128
29.	राजस्थान	170	1096	156	2162	186	5077	157	10040
30.	सिक्किम	2	18	5	243	7	548	11	882
31.	तमिलनाडु	256	2898	419	54481	630	11841	698	20377
32.	त्रिपुरा	2	2	7	251	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	238	2179	565	21633	631	31710	475	33745
34.	उत्तरांचल	142	1334	174	2441	392	5706	396	14887
35.	पश्चिम बंगाल	450	7637	452	14078	380	12047	287	51836
36.	एक राज्य से अधिक में स्थापनास्थल	2	9	1	2	0	0	0	0
	कुल	4275	158385	5649	294094	6476	386381	5678	696366

टिप्पणी : नवंबर, 2003 से दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, जारी किए गए आशय पत्रों और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की दृष्टि से निवेश।

विवरण-II

2003–2004 से क्षेत्र–वार और वित्तीय वर्ष–वार निवेश के आशय (औ.उ.ज्ञा. + आ.प. + प्र.औ.ला.)

अनुसूचित उद्योग	2003–2004		2004–2005		2005–2006		2006–2007	
	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. धातुकर्मी उद्योग	833	35406	1381	98590	1146	105246	836	159888
2. ईंधन	41	17716	44	49832	53	26596	27	23765

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	1	6	3	66	1	7	8	342
4.	प्राईम मूवर	49	558	131	2788	134	4382	159	5758
5.	विद्युत उपकरण	261	35496	366	50061	372	80177	359	238443
6.	दूरसंचार	18	542	49	1801	38	1111	48	2653
7.	परिवहन उद्योग	53	1003	104	1809	79	2847	122	10837
8.	औद्योगिक मशीनरी	76	2404	126	2247	159	1580	116	2456
9.	मशीन औजार	8	74	10	81	13	66	16	189
10.	कृषि मशीनरी	6	193	4	274	18	130	20	1445
11.	अर्थमूविंग मशीनरी	0	0	3	41	6	97	5	18
12.	विविध मैकेनिकल उद्योग	212	1484	242	3402	295	3458	382	10812
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू	14	328	15	98	15	90	10	35
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	8	22	9	8	12	58	7	25
15.	औद्योगिक उपकरण	3	0	4	79	2	18	2	1
16.	वैज्ञानिक उपकरण	11	91	10	61	12	43	7	27
17.	गणित, सर्वे तथा आरेखन उपकरण	1	110	0	0	0	0	0	0
18.	उर्वरक	60	2812	56	249	84	599	47	337
19.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	378	11233	450	11504	505	31533	348	42336
20.	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	डाईस्टफ	5	0	6	14	9	120	12	429
22.	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	144	1211	193	2082	234	3103	177	3563
23.	वस्त्र	586	5365	569	8937	971	27047	987	27455
24.	कागज तथा कागज के उत्पाद	76	12857	110	1824	149	6850	108	7713
25.	चीनी	33	1012	312	19986	517	42549	398	44203
26.	किण्वन उद्योग	211	1980	114	2358	89	3120	164	7991
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	276	1741	226	2030	264	3034	226	3726
28.	वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा	99	1701	165	1176	134	1477	97	926
29.	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	63	985	56	585	64	1574	51	1185

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	रबड़ की वस्तुएं	46	579	49	1426	64	624	45	2282
31.	चमड़े की वस्तुएं	50	175	29	148	67	207	31	141
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	2	15	6	223	9	106	4	0
33.	कांच	23	467	41	2023	44	1075	27	2080
34.	सिरेमिक	49	655	44	1136	57	869	52	1093
35.	सीमेंट तथा जिप्सम	57	2713	93	7264	113	9772	173	43331
36.	काष्ठ उत्पाद	12	92	0	0	9	163	0	0
37.	रक्षा उद्योग	10	88	9	2832	6	13	10	416
38.	विविध उद्योग	67	385	84	666	74	1027	81	1913
	अन्य	433	16886	536	16393	658	25613	516	48552
	कुल	4275	158385	5649	294094	6476	386381	5678	696366

टिप्पणी : नवंबर, 2003 से दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, जारी किए गए आशय पत्रों और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की दृष्टि से निवेश।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की आस्तियों को जब्त करना

4398. श्री नवीन जिन्दल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवादी संगठनों की गति–विधियों को शिथिल करने के लिए उनके द्वारा सृजित/अर्जित आस्तियों को जब्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त उद्देश्य के लिए कोई नया कानून अधिनियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) सितम्बर, 2004 में यथा संशोधित गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 में अन्य प्रावधानों के साथ–साथ केवल आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के प्रावधान ही सम्मिलित नहीं हैं बल्कि आतंकवादी संगठनों की परिसम्पत्तियों और आतंकवाद की प्राप्तियों की द्योतक सभी वस्तुओं को पकड़ने और उनकी जब्ती की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

एकल बालिका को रियायत

4399. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एकल बालिका को शिक्षा शुल्क में कुछ रियायत और छात्रवृत्ति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रावधान निजी विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन करने वालों पर भी लागू है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकल बालिका को शिक्षा शुल्क में दी गई रियायत तथा छात्रवृत्ति का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उन बालिकाओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है जो अपने माता–पिता की इकलौती सन्तान हैं। यह छात्रवृत्ति स्कीम 2005–06 के दौरान शुरू की गई थी जिसके तहत निम्नलिखित प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:

(i) जो इकलौती सन्तान बालिकाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में कक्षा–XI और कक्षा–XII में अध्ययन कर रही हैं, जिनमें शैक्षिक वर्ष 2005–06 के दौरान लिया जाने वाला शुल्क 1000 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है तथा जिन बालिकाओं ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा–X की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाते हैं।

(ii) जो बालिकाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में उत्तीर्ण होकर अवर स्नातक अध्ययन कर रही हैं, उन्हें 500 रु. प्रतिमाह दिए जाते हैं।

(iii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की जिन बालिकाओं ने अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें 1000 रु. प्रति माह दिया जाता है।

(iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की जिन छात्राओं ने अखिल भारतीय पूर्व मेडिकल टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें 1000 रुपए प्रति माह दिया जाता है।

(ग) और (घ) छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी स्कूलों में कक्षा–XI और XII में अध्ययन कर रही इकलौती बालिका छात्राएं भी पात्र हैं। अन्य स्कीमों के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रही ऐसी इकलौती बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अखिल भारतीय पूर्व मेडिकल टेस्ट परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करती हैं।

(ङ) इन छात्रवृत्तियों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार आबंटन नहीं किया जाता। प्रारम्भ से लेकर अब तक प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

छात्रवृत्ति	वर्ष	
	2005–06	2006–07
कक्षा–X उत्तीर्ण बालिका छात्र	शून्य	756
अवर स्नातक	348	147
अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा	302	125
अखिल भारतीय पूर्व–मेडिकल टेस्ट परीक्षा	034	027

[हिन्दी]

रत्न एवं आभूषण उद्योग

4400. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में रत्न एवं आभूषण उद्योग के विकास के लिए किसी अभिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अभिकरण ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

4401. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) के अंतर्गत कर्नाटक सरकार से गुलबर्गा जिले के लिए 9800 मीट्रिक टन चावल तथा कोलार जिले के लिए 7900 मीट्रिक टन चावल जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला अभी भी केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) नियामक हकदारी के आधार पर, अगस्त 2006 में कर्नाटक सरकार को दो जिलों अर्थात् गुलबर्गा एवं कोलार के लिए किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 6030 मीट्रिक टन चावल निर्मुक्त किया गया। उसके बाद, कर्नाटक सरकार

से गुलबर्गा जिले के लिए 9800 मीट्रिक टन तथा कोलार जिले के लिए 7900 मीट्रिक टन चावल निर्मुक्त किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने फरवरी, 2007 तक उपयोग की गई मात्रा कोलार जिले हेतु 731.84 मीट्रिक टन तथा गुलबर्गा जिले के लिए शून्य बतायी। खाद्यान्नों की बहुत कम मात्रा के उपयोग के मद्देनजर, खाद्यान्नों का और आबंटन नहीं किया गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क भण्डार

4402. श्री परसुराम माझी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैलाडिला खानों में लौह अयस्क का लगभग कितना भण्डार है;

(ख) इन खानों के पट्टा धारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात हेतु इन खानों से कुल कितना लौह अयस्क निकाला और प्राप्त किया गया है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार बैलाडिला भण्डारों में लौह अयस्क के कुल संसाधन 1135.31 मिलियन टन पाए गए हैं।

(ख) वर्तमान में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एन एम डी सी) के पास बैलाडिला खानों में लौह अयस्क के लिए छः खनन पट्टे कुल 5861.76 हेक्टेयर भूमि पर हैं। इनके अलावा, एन एम डी सी के पक्ष में बैलाडिला आर.एफ संख्या 13 में 413.74 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क के लिए खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु और बैलाडिला आर.एफ. संख्या 3 के 2285 हेक्टेयर क्षेत्र पर एस्सार स्टील लिमिटेड के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस की स्वीकृति के लिए बैलाडिला आर.एफ. संख्या 1 में 2500 हेक्टेयर क्षेत्र पर टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को पूर्व अनुमोदन सूचित किया गया है।

(ग) वर्ष 2006–07 के दौरान बैलाडिला क्षेत्र में लौह अयस्क का कुल उत्पादन 20.45 मिलियन टन था और मात्रात्मक निर्यात 2.05 मिलियन टन किया गया था।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

4403. श्री कैलाश बैठा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में सफल संचालन के लिए संसद सदस्यों की कोई भूमिका निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विद्यालयों में संसद सदस्य की सिफारिश पर कुछ छात्राओं को प्रवेश देने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75% सीटों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं के लिए बाकी 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पहुंच प्रदान करना है जिनमें लाभवंचित समूह की ऐसी बालिकाओं की संख्या काफी अधिक है जो सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं अथवा छितरी आबादी वाले ऐसे क्षेत्रों में हैं जो उच्चतर प्राथमिक स्कूल के लिए पात्रता नहीं रखते हैं।

यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि पात्र बालिकाएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुविधा का लाभ उठाएं।

[अनुवाद]

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

4404. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राज्य–वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) आज तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं तथा प्रत्येक प्रस्ताव को राज्य–वार कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) सभी लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) वर्ष 2003 में आरंभ की गई थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त 132 प्रस्तावों की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) अब तक स्वीकृत की गई 26 परियोजनाओं और प्रत्येक स्वीकृत परियोजना हेतु जारी की गई निधियों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) स्वीकृत परियोजनाओं हेतु जिस केन्द्रीय अनुदान का वादा किया गया है, वह पहले ही आई.आई.यू.एस. हेतु अनुमोदित राशि से ज्यादा है और इसलिए सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान होने की संभावन नहीं है।

विवरण-I

प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के राज्य–वार/वर्ष–वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	9	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0
3.	असम	0	2	0
4.	बिहार	0	3	0
5.	छत्तीसगढ़	18	1	0
6.	दिल्ली	0	2	0
7.	गुजरात	3	8	1
8.	हिमाचल प्रदेश	0	2	1
9.	हरियाणा	3	0	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	3	0
11.	झारखंड	0	1	0
12.	कर्नाटक	3	6	1
13.	केरल	2	1	0
14.	मध्य प्रदेश	2	3	2
15.	महाराष्ट्र	2	8	1
16.	मिजोरम	0	1	0
17.	उड़ीसा	1	0	0
18.	पंजाब	1	4	0
19.	राजस्थान	2	0	1
20.	तमिलनाडु	7	6	1
21.	त्रिपुरा	0	1	0
22.	उत्तर प्रदेश	5	1	1
23.	पश्चिम बंगाल	3	2	1
	कुल	55	65	12

विवरण-II

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के तहत स्वीकृत प्रस्तावों और प्रत्येक परियोजना के लिए जारी की गई निधियों के राज्य–वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	क्लस्टर/परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	फार्मा क्लस्टर, हैदराबाद	16.54
2.		ऑटो क्लस्टर, विजयवाड़ा	7.80
3.	छत्तीसगढ़	इस्पात और धातु–कर्म क्लस्टर, रायपुर	21.07
4.	गुजरात	रसायन क्लस्टर, अहमदाबाद	13.79
5.		रसायन क्लस्टर, अंकलेश्वर	40.50
6.		रत्न और आभूषण क्लस्टर, सूरत	16.70
7.		रसायन क्लस्टर, वापी	39.28
8.	हरियाणा	वस्त्र क्लस्टर, पानीपत	13.63

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	मशीन औजार क्लस्टर, बंगलौर	47.65
10.		ढलाईघर क्लस्टर, बेलगांव	18.02
11.	केरल	जूट क्लस्टर, अलपुझा	14.20
12.	मध्य प्रदेश	ऑटो क्लस्टर, पीतमपुर	33.30
13.	महाराष्ट्र	वस्त्र क्लस्टर, इकलकरनजी	21.80
14.		ऑटो क्लस्टर, पुणे	43.64
15	उड़ीसा	धातुकर्म क्लस्टर, जाजपुर	31.32
16	पंजाब	वस्त्र क्लस्टर, लुधियाना	8.42
17.	राजस्थान	संगमरमर क्लस्टर, किशनगढ़	9.20
18.	तमिलनाडु	ऑटो क्लस्टर, चेन्नई	11.70
19.		चमड़ा क्लस्टर, अम्बूर	29.30
20.		खाद्यान्न, अनाज और रेशा क्लस्टर, मदुरै	10.00
21.		पम्प, मोटर और ढलाईघर क्लस्टर, कोयम्बतूर	38.40
22.		वस्त्र क्लस्टर, तिरूपुर	46.24
23.	उत्तर प्रदेश	चमड़ा क्लस्टर, कानपुर	3.25
24.	पश्चिम बंगाल	बहु–उद्योग क्लस्टर, हल्दिया	24.64
25.		ढलाईघर क्लस्टर, हावड़ा	13.47
26.		रबड़ क्लस्टर, कोलकाता	5.24

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आतंकवादी खतरा

4405. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को आतंकवादियों, समुद्री लुटेरों और निहित स्वार्थ वाले विदेशी अभिकरणों से खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आतंकवादी गुटों की उपस्थिति की अभी तक कोई सूचना नहीं है। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शिकारियों और अवैध अप्रवासियों से खतरा है।

(ख) मछली पकड़ने और अमूल्य समुद्री संसाधनों को एकत्रित करने के लिए अंडमान समुद्र में विदेशी शिकारियों की आवाजाही हो रही है। विगत पांच वर्षों में पकड़े गए विदेशी शिकारियों (राष्ट्रीयता वार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2006 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र में 111 बांग्लादेशियों का पता लगाया गया/उनको पकड़ा गया, जिसमें से 45 मछुआरे थे जो विपत्ति में इस द्वीप समूह तक पहुंच गए थे। पकड़े गए लोगों में से 62 ऐसे थे जिन्होंने संघ शासित क्षेत्र में पासपोर्ट और पर्यटक वीसा के साथ परन्तु प्रतिबंधित एरिया परमिट के बिना श्रम रोजगार की तलाश में प्रवेश किया था।

(ग) विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश और ठहरने को नियमित करने की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को विदेशी राष्ट्रिक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रतिबंधित एरिया परमिट केवल उन्हीं स्थानों के भ्रमण हेतु 30 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है जो इस उद्देश्यार्थ खुले हैं। विदेशी राष्ट्रिकों की आवाजाही पर निगाह रखी जाती है तथा स्थानीय विशेष और विदेशी शाखाओं द्वारा निगरानी रखी जाती है।

बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। किसी तोड़–फोड़ से बचने के लिए इन द्वीप समूहों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

2002 से 2007 (18.04.2007 तक) के दौरान पकड़े गए शिकारियों के ब्यौरे।

वर्ष	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (18.04.2007 तक)
म्यांमारवासी	154	205	130	65	340	132
इंडोनेशियाई	16	15	48	02	17	–
श्रीलंकाई	–	–	06	–	–	–
थाई	09	–	23	–	–	–
बांग्लादेशी	–	–	–	–	–	–
चीनी	–	–	11	14	–	–
तायवानी	–	–	04	02	–	–
फिलीपीनी	–	–	–	05	–	–
कुल	179	220	222	88	357	132

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन

4406. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआईसी) का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और संरचना क्या है; और

(ग) एन आई सी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के लिए परिकल्पित भूमिका का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी) का विगत में पुनर्गठन दिनांक 2.2.2005 को प्रेस नोट के जरिए किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित एन आई सी में 140 सदस्य हैं जिसमें केन्द्रीय मंत्री, सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, मीडिया कार्मिक, प्रतिष्ठित लोक हस्तियों और व्यापार, श्रम और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकारों से संबंधित एन आई सी द्वारा दिए गए सुझावों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उनको भेजा जाता है।

अमरीका द्वारा भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध

4407. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंध से पहले भारत द्वारा इससे प्रतिवर्ष अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे हुई विदेशी मुद्रा की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अमरीका को आम के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है और आम उत्पादन का कितना प्रतिशत अमरीका को निर्यात किया जाता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) ने भारतीय आमों में फ्रूट फ्लाई तथा स्टोन वीविल पाये जाने के कारण इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब वे विकिरण द्वारा उपचारित भारतीय आमों का आयात करने पर सहमत हो गए हैं। तत्पश्चात्, भारतीय आमों की एक खेप 27.04.2007 को अमरीका को भेजी गई है।

(ग) से (ङ) प्रतिबन्ध के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका को आम का कोई निर्यात नहीं किया गया था। अतः इस वजह

से विदेशी मुद्रा की हानि का आकलन करना अथवा अमरीका को आमों के निर्यात में भारत के हिस्से का निर्धारण करना संभव नहीं है।

आपदा प्रबंधन कार्यक्रम

4408. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने अब तक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंध तंत्र स्थापित नहीं किया है;

(ग) ऐसे राज्यों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों के राहत आयुक्तों की एक बैठक हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों तथा निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अन्य बातों के साथ–साथ आपदा प्रबंधन के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले उपायों, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किए जाने, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रत्युत्तर निधि और आपदा शमन निधि की स्थापना किए जाने इत्यादि की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार ने 1 अगस्त, 2007 से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इन उपबंधों को लागू किए जाने का निर्णय लिया है। इसी बीच, उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमण एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश द्वारा पहले ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन कर लिया है। जिला स्तर पर, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र (10 जिले), मिजोरम, पंजाब और सिक्किम ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया है।

(घ) और (ङ) राहत आयुक्तों/सचिवों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों का वार्षिक सम्मेलन 23 अप्रैल, 2007 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2007 के लिए तैयारी की स्थिति, आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि स्कीमों को लागू करने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली, राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल की भूमिका, आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बल और नागरिक सुरक्षा की भूमिका, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपनी तैयारी की निरंतर समीक्षा करने, भारतीय मौसम–विज्ञान विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, सशस्त्र बल और राज्य में स्थित केन्द्र और राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने, राहत तंत्र को चुस्त–दुरुस्त बनाए रखने के लिए उनकी मॉक ड्रिल्स और पूर्वाभ्यास कराना, राहत वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना, राहत हेतु आवश्यक सामानों और सेवाओं की पहचान करना और विभिन्न प्रदायकों या सेवा प्रदान करने वालों के साथ पूर्व–संविदा करना, बाढ़ के बाद की स्थितियों के दौरान किसी भी महामारी रोकने के लिए स्वास्थ्य सेक्टर में तैयारी से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने, जन–जागरुकता अभियानों में तेजी लाने इत्यादि की सलाह दी गई हैं।

[हिन्दी]

वेश्यालयों में लड़कियां

4409. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री सूरज सिंह :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जनजातीय और ग्रामीण इलाकों से लड़कियों को दलालों तथा नौकरानी (मेड) ब्यूरो द्वारा घरेलू नौकरानी के काम का लालच देकर बड़े शहरों में लाया जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यालयों को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक राज्य–वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी गतिविधियों में कितने व्यक्ति लिप्त पाए गए हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, अवस्यक लड़कियों की प्राप्ति (धारा 366–क भारतीय दंड संहिता),

वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का विक्रय (धारा 372 भारतीय दंड संहिता) तथा वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का क्रय (धारा 373 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत दर्ज मामलों पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरे संकलित करता है। वर्ष 2003 से 2005 के दौरान दर्ज मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2003 से 2005 के दौरान अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, अवस्यक लड़कियों की प्राप्ति (धारा 366–क भारतीय दंड संहिता) वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का विक्रय (धारा 372 भारतीय दंड संहिता) तथा वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का क्रय (धारा 373 भारतीय दंड संहिता) के अन्तर्गत गिरफ्तार, आरोपित और अभियोजित व्यक्तियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ङ) ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम (आई टी पी ए) को अवैध व्यापार करने वालों के संबंध में अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है। व्यक्तियों के अवैध व्यापार के अपराध को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने और समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित संशोधनों में केन्द्रीय नोडल प्राधिकरण और राज्य नोडल प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है।

(ii) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में इस्तेमाल के लिए "जांचकर्ताओं हेतु मानव अवैध व्यापार पुस्तिका" पर प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है।

(iii) महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के प्रति पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए बी पी आर एंड डी क्षेत्रीय कार्यशालायें आयोजित कर रहा है।

(iv) एम डब्ल्यू सी डी में केन्द्रीय स्तर पर आई टी (पी) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु एक केन्द्रीय सलाहकार समिति कार्य कर रही है, जिसमें राज्यों सहित केन्द्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों आदि का प्रतिनिधित्व है। केन्द्रीय सलाहकार समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 2003–2005 के दौरान व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, अवस्यक लड़कियों की प्राप्ति (धारा 366–क भा.द.सं.), वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के विक्रय (धारा 372 भा.दं.सं.) तथा वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के क्रय (धारा 373 भा.दं.सं.) के अन्तर्गत दर्ज मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956			अवस्यक लड़कियों की प्राप्ति (धारा 366–क भादं.सं.)			वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के विक्रय (धारा 372 भा.दं.सं.)			वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के क्रय (धारा 373 भा.दं.सं.)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	349	405	681	46	60	48	1	0	2	0	0	9
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	22	28	25	12	8	0	0	1	2	0	0	0
4	बिहार	9	24	28	1	7	5	0	1	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	7	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	25	28	38	5	1	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	74	33	59	2	5	12	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	57	62	85	3	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	हिमाचल प्रदेश	5	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	2	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	6	3	13	5	5	4	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	1361	1170	1241	1	4	7	0	0	0	0	0	0
13	केरल	159	168	225	7	20	21	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	33	23	19	13	2	4	25	0	0	0	0	1
15	महाराष्ट्र	179	309	222	20	14	5	3	3	1	5	11	6
16	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	11	22	29	4	3	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	54	32	58	0	0	2	0	1	0	0	0	1
22	राजस्थान	51	79	115	1	1	1	0	1	1	1	1	0
23	सिक्किम	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	2839	3022	2777	0	6	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	47	44	31	28	23	3	0	0	0	0	0	0
27	उत्तरांचल	0	4	2	7	32	9	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	152	121	74	12	13	20	6	12	44	18	9	2
	कुल (राज्य)	5445	5611	5742	171	205	145	36	19	50	24	21	19
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	4	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	46	123	151	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	13	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	65	137	166	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	कुल (अखिल भारत)	5510	5748	5908	171	205	145	36	19	50	24	21	28

स्रोत : भारत में अपराध

विवरण-II

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गिरफ्तार, आरोपित, अभियोजित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003			2004			2005		
		पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	881	832	186	1066	1119	443	1691	1517	723
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	82	45	0	82	27	9	69	45	3
4	बिहार	34	31	4	50	51	17	43	38	6
5	छत्तीसगढ़	19	19	0	40	40	0	19	19	11
6	गोवा	65	60	72	71	65	46	110	97	94
7	गुजरात	698	711	0	156	152	0	265	256	0
8	हरियाणा	250	274	18	275	266	11	319	320	36
9	हिमाचल प्रदेश	25	25	0	15	72	2	26	31	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	5	0	29	25	0	13	9	0
11	झारखंड	5	0	0	5	5	0	37	19	0
12	कर्नाटक	2723	2672	1996	2571	2558	1984	3178	3169	1823
13	केरल	455	420	93	426	475	72	503	450	106
14	मध्य प्रदेश	94	94	11	133	133	5	79	79	7
15	महाराष्ट्र	962	776	105	1149	1518	36	1046	940	52
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0
17	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	1	1	1	4	3	1	0	1	3
19	नागालैंड	1	2	2	12	12	12	5	4	3
20	उड़ीसा	79	88	32	63	61	17	107	88	.7
21	पंजाब	229	188	18	140	176	26	185	162	19
22	राजस्थान	256	254	36	272	272	91	408	408	173
23	सिक्किम	7	0	0	3	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	तमिलनाडु	3303	3320	3140	3793	3414	3194	3649	3872	3586
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	304	306	117	259	220	88	200	188	153
27	उत्तरांचल	0	0	0	17	17	0	10	10	13
28	पश्चिम बंगाल	328	287	214	258	270	65	151	168	118
	कुल (राज्य)	10807	10410	6045	10889	10886	6119	12115	11890	6936
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	14	7	0	48	55	25	27	12	0
31	दादरा और नगर हवेली	8	8	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	5	5	5	0	4	4	0
33	दिल्ली	205	217	91	477	510	181	501	335	125
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	67	67	61	9	9	16	18	18	14
	कुल (संघ शासित)	294	299	157	539	579	222	550	369	139
	कुल (अखिल भारत)	11101	10709	6202	11428	11465	6341	12665	12259	7075

स्रोत : भारत में अपराध

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के क्रय (धारा भा.दं.सं.) के अन्तर्गत गिरफ्तार, आरोपित, अभियोजन व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003			2004			2005		
		पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	19	19	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	2	0
15	महाराष्ट्र	11	8	2	16	19	0	17	0	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	राजस्थान	1	1	0	5	5	0	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	19	14	0	14	10	1	3	3	0
	कुल (राज्य)	31	23	2	35	34	1	43	26	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल–भारत)	31	23	2	35	34	1	43	26	0

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के विक्रय (धारा भा.दं.सं.) के अन्तर्गत गिरफ्तार, आरोपित अभियोजित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003			2004			2005		
		पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	1	1	0	0	0	0	4	4	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	1	1	0	2	2	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	101	101	6	0	0	0	0	0	18
15	महाराष्ट्र	11	11	0	3	3	0	1	1	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	8	18	0	0	0	0
22	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	7	3	0	13	4	0	45	16	0
	कुल (राज्य)	121	116	6	25	17	0	53	24	18
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	121	116	6	25	17	0	53	24	18

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान अवस्यक लड़कियों की प्राप्ति (धारा 366–क भा.दं.सं.) के अन्तर्गत गिरफ्तार, आरोपित, अभियोजित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003			2004			2005		
		पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी	पीए	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	30	29	1	45	45	4	53	47	5
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	13	7	1	6	8	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	बिहार	1	1	0	4	1	0	5	5	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	गोवा	11	4	3	3	10	0	0	0	0
7	गुजरात	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	5	5	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	11	11	0	11	11	0	10	9	0
12	कर्नाटक	1	1	0	3	2	0	7	7	0
13	केरल	7	13	0	5	1	0	23	16	0
14	मध्य प्रदेश	8	6	2	2	4	3	2	2	0
15	महाराष्ट्र	23	30	0	20	24	1	4	9	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	4	4	0	8	2	0	0	0	0
21	पंजाब	0	2	1	0	0	1	0	0	0
22	राजस्थान	3	3	0	4	4	0	0	0	3
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	7	4	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	30	26	12	27	28	19	0	2	10
27	उत्तरांचल	13	13	2	23	19	9	22	17	2
28	पश्चिम बंगाल	12	7	3	18	14	0	28	23	0
	कुल (राज्य)	174	164	25	187	178	37	154	137	20
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	174	164	25	187	178	37	154	137	20

एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण

4410. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे कार्य की गति आवश्यकतानुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) के आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) और मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनर्वास योजना के आधार पर है। इस योजना के अनुसरण में, एन टी सी ने बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से निधियां जुटाकर स्वयं 22 मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक योजना बनाई है। एन टी सी ने 13 मिलों का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है जिसके लिए क्रय आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। कंपनी द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार आधुनिकीकरण दिसंबर, 2007 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

नकली खादी

4411. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक प्रतिष्ठान नकली खादी बना कर राजसहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। खादी को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है। सभी लेन–देन जिसमें खादी की बिक्री तथा खरीद निहित होती है, वह खादी संस्थानों तक सीमित है जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की केन्द्रीय प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। केवल के.वी.आई.सी./राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) के यहां पंजीकृत संस्थान के.वी.आई.सी. से खादी की बिक्री के लिए स्वीकार्य सहायता की तथा खादी के उत्पादन के लिए सब्सिडाइज्ड कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आई.एस.ई.सी.) स्कीम के तहत उपलब्ध सहायता की पात्र है। ऐसी स्थिति में किसी प्रतिष्ठान द्वारा नकली खादी के उत्पादन हेतु सब्सिडी का लाभ उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन नगर

4412. श्री संतोष गंगवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रयोजन हेतु कितने नगरों को विकसित किया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से बरेली (उत्तर प्रदेश) को जरी–जरदोजी नगर के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकर ने उत्तर प्रदेश के किसी नगर को विशेष रूप से निर्यात के प्रयोजन हेतु विकसित करने के लिए अभिज्ञात नहीं किया है। तथापि, विदेश व्यापार निदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे भारत में अन्य नगरों के अलावा खेखड़ा, उत्तर प्रदेश को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में अधिसूचित किया है ताकि उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके।

(ख) जी, नहीं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बरेली (उत्तर प्रदेश) को जरी–जरदोजी के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों पर उदारीकरण का प्रभाव

4413. श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :
श्री हंसराज ग. अहीर :

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु एवं कुटीर उद्योगों में इन्स्पेक्टर राज के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उदारीकरण प्रक्रिया की प्रगति के बारे में समीक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इंस्पेक्टर राज के कारण इन उद्योगों का कितना प्रतिशत उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(घ) क्या लघु एवं कुटीर उद्योगों पर इंस्पेक्टर राज के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) इन उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ङ) हालांकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के सामने आने वाले प्रत्येक अवरोध के विशिष्ट प्रभाव को दिखाने के लिए कोई परिमाणात्मक/अनुभवजन्य सूचना नहीं है, यह एक स्थापित तथ्य है कि समय पर और पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन जैसी अन्य समस्याओं के साथ विभिन्न रजिस्टरों का रख–रखाव, रिटर्नों की फाइलिंग और विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अधिकृत इंस्पेक्टरों द्वारा विविध निरीक्षणों को अक्सर सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों द्वारा प्रगति में अवरोधों के रूप में देखा जाता है।

(च) सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के सामने आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए सहायता, क्लस्टरों का व्यापक आवश्यकता आधारित विकास, बाजारों का आकलन, बेहतर आधारभूत संरचना, ऋण की बेहतर उपलब्धता, उद्यमियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सुविधाएं, आदि शामिल हैं।

भारत और जापान के बीच समझौता

4414. श्री शिशुपाल पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान के बीच एक विशेष आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान ने दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में मेट्रो रेल शुरू करने के किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत और जापान के बीच एक आर्थिक भागीदारी करार पर बात–चीत करने के लिए जनवरी, 2007 में दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों के एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) जापान के वित्त वर्ष 2005 : ऑफिशियल डेवेलपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) पैकेज के अंतर्गत बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 44704 मिलियन येन की ऋण राशि के लिए भारत सरकार द्वारा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ दिनांक 31.03.2006 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना

का कार्यान्वयन बंगलौर मेट्रो रेल निगम लि. द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की एक परियोजना के रूप में किया जाएगा। ऋण पर ब्याज की दर 10 वर्षों की प्रारंभिक छूट अवधि सहित 30 वर्षों की वापसी भुगतान अवधि के साथ 1.3% प्रति वर्ष है। यह परियोजना अप्रैल, 2013 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। जेबीआईसी द्वारा ऋण को 24.07.2006 से कार्यान्वित कर दिया गया है। तथापि, 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार ऋण के तहत कोई संवितरण नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गोवा में विशेष आर्थिक जोन

4415. श्री अलीमाऊ चर्चील : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा राज्य में विशेष आर्थिक जोन बनाने के लिए किन मानदंडों और कारणों पर विचार किया गया;

(ख) क्या गोवा सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन के लिए भूमि को औने-पौने भाव पर बेचा गया है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष आर्थिक जोन के लिए बेची गयी तत्संबंधी कुल भूमि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की स्थापना से संबंधित उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। तथापि, विशेष वर्गों के राज्यों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल एवं केन्द्र शासित प्रदेशों सहित) की तरह गोवा को उसकी स्थलाकृति, विशेष जरूरतों और निकटस्थ रिक्त क्षेत्रों की उपलब्धता पर विचार करते हुए बहु-उत्पाद तथा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेडों के लिए न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षाओं में शिथिलता प्रदान की गई है। गोवा के मामले में बहु-उत्पाद तथा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षा क्रमशः 200 हेक्ट. तथा 50 हेक्ट. है, जबकि अन्य राज्यों हेतु यह अपेक्षा 1000 हेक्टे. तथा 100 हेक्ट. है।

(ख) और (ग) भूमि राज्य का विषय होने के कारण एसईजेडों सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि को अभिज्ञात तथा आबंटित करने संबंधी निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने गोवा में अब तक केवल चार विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें 290.98 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिसमें से केवल 123.2 हेक्टेयर क्षेत्र, जिसे मेडिटैब स्पेशियालिटीज प्रा. लि. द्वारा विकसित किया जाना है, को अब तक अधिसूचित किया गया है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

4416. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण जरूरतमंद और प्रतिभावान गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन छात्रों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इन व्यावसायीकरण के शिकार शिक्षण संस्थानों के नियंत्रण हेतु ए-आई सी टी ई के अलावा कोई निगरानी प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के 'राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम' में उल्लेख है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति निर्धन होने के कारण व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सरकार उच्चतर शिक्षा की पहुंच की आवश्यकता से भी अवगत है और इसके लिए उसने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसे पात्र आयु वर्ग के लगभग 15 प्रतिशत को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा अपनाई गई कुछ कार्यनीतियों में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना, बैंकिंग सैक्टर के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध कराना तथा उच्चतर शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिव्यय में वृद्धि करना शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े एवं शारीरिक रूप से विकलांग मेधावी छात्रों का शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए एक स्कीम शुरू की है।

[हिन्दी]

शिक्षा क्षेत्र के लिए धनराशि

4417. श्री मोहन रावले :
श्री एस. के. खारवेनथन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए योजना आयोग से बजट 2007-08 में और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किए गए पिछले आबंटन से चालू धन आबंटन कितना अधिक होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित धनराशि का आबंटन नहीं होने की स्थिति में देश में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने को योजना आयोग द्वारा पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है;

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार ने उच्च प्राथमिकता देने तथा इस योजना हेतु और अधिक धनराशि आबंटित करने के लिए योजना आयोग के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ज) सरकार ने शिक्षा के सर्वसुलभीकरण सहित शिक्षा क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी है और वर्ष 2007–08 के दौरान शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को 28674.00 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है जो कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आबंटनों से अधिक है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपयों में)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
2004–05	8225.00	–
2005–06	15243.76	85.3%
2006–07	20745.50	36.1%
2007–08	28674.00	38.2%

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान

4418. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अल्पसंख्यक अधिकारों के अंतर्गत संस्थान की सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवेश में आरक्षण संबंधी शर्तों और कमजोर वर्गों को अन्य लाभ देने के संबंध में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों की अनुवर्ती कार्यवाही पर कोई निगरानी प्रणाली बारीकी से नजर रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के पास भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का मानीटरन दिनांक 04.01.2007 से लागू हुए केन्द्रीय अधिनियम में किए गए निर्धारण के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति

4419. चौ. मुनव्वर हसन : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोलिंग, भट्ठी, खेल का सामान बनाने वाले और गुड़ के उत्पादन संबंधी उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन उद्योगों को सहायता देने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) ग्राम उद्योग इकाइयां स्थापित करने हेतु पात्र उद्यमियों को सहायता देने के लिए और इस प्रकार से गांव तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सहित देशभर में विभिन्न ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन कर रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी के वी आई सी से मार्जिन मनी का लाभ उठाकर और अधिकतम 25 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारिता बैंकों, आदि से ऋण लेकर ग्राम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। कच्चे माल, उत्पादन कार्यकलाप के स्वरूप आदि के आधार पर के वी आई सी द्वारा संवर्धित ग्रामीण उद्योगों का वर्गीकरण सात व्यापक समूहों के तहत किया गया है, अर्थात् (1) खनिज आधारित उद्योग (2) वन आधारित उद्योग (3) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (4) पोलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग (5) हस्तनिर्मित कागज तथा फाइबर उद्योग (6) ग्रामीण इंजीनियरी तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग तथा (7) सेवा कार्यकलाप और तदनुसार सूचना रखी जाती है। वर्ष 2005–06

के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थापित परियोजनाओं, सृजित रोजगार तथा उत्पादन के मूल्य के रूप में उद्योगों के इन सात समूहों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मौजूदा स्तर के क्रमशः संलग्न विवरण I, II तथा III में दर्शाया गया है

(ख) वर्ष 2005–06 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित उद्योगों के उपर्युक्त सात समूहों के लिए प्रदत्त मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005–06 के दौरान आई ई जी पी के तहत स्थापित ग्राम उद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एएंडएफपी आई	पीसीबीआई	एचएमपी/ फाइबर	आरईबीटी	सेवा इंडस्ट्री	कुल ग्रामीण इंडस्ट्रीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	0	2	3
2	दिल्ली	0	3	4	2	1	4	1	15
3	हरियाणा	169	31	370	26	7	211	244	1058
4	हिमाचल प्रदेश	42	21	146	30	20	168	223	650
5	जम्मू और कश्मीर	224	56	504	56	28	280	254	1402
6	पंजाब	70	17	158	18	8	88	81	440
7	राजस्थान	564	407	320	114	23	304	401	2133
8	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	96	23	215	21	11	119	113	598
9	बिहार	110	27	249	25	13	138	130	692
10	झारखंड	34	8	78	7	3	43	44	217
11	उड़ीसा	104	26	234	27	13	130	116	650
12	पश्चिम बंगाल	292	85	724	61	248	244	424	2078
13	अरुणाचल प्रदेश	3	11	8	3	1	16	34	76
14	असम	356	89	802	91	44	445	402	2229
15	मणिपुर	10	3	23	0	0	13	16	65
16	मेघालय	32	8	74	7	3	41	41	206
17	मिजोरम	58	14	131	12	6	73	71	365
18	नागालैंड	50	12	113	10	6	63	62	316
19	त्रिपुरा	33	12	48	29	13	55	116	306
20	सिक्किम	16	4	38	3	2	21	22	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	आंध्र प्रदेश	604	158	392	89	33	369	633	2278
22	कर्नाटक	210	52	473	50	26	262	241	1314
23	केरल	194	48	438	46	23	243	225	1217
24	लक्षद्वीप	5	0	9	0	0	0	12	26
25	पांडिचेरी	8	2	20	1	1	11	13	56
26	तमिलनाडु	292	19	215	61	77	243	129	1036
27	गोवा	4	0	48	0	0	19	65	136
28	गुजरात	82	20	185	18	11	103	97	516
29	महाराष्ट्र	497	129	1125	120	65	624	560	3120
30	छत्तीसगढ़	139	12	158	35	11	65	131	551
31	मध्य प्रदेश	117	29	264	24	15	147	140	736
32	उत्तराखण्ड	19	8	116	28	37	95	224	527
33	उत्तर प्रदेश	240	61	553	61	28	314	275	1532
	कुल	4674	1395	8236	1075	777	4951	5542	26650

विवरण-II

वर्ष 2005–06 के दौरान आर ई जी पी के तहत प्राप्त रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख व्यक्ति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एएंडएफपी आई	पीसीबीआई	एचएमपी/ फाइबर	आरईबीटी	सेवा इंडस्ट्री	कुल ग्रामीण इंडस्ट्रीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	हरियाणा	0.04	0.01	0.09	0.01	0	0.05	0.06	0.26
4	हिमाचल प्रदेश	0.01	0	0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.13
5	जम्मू और कश्मीर	0.03	0.01	0.07	0	0	0.04	0.04	0.19
6	पंजाब	0.02	0.01	0.06	0	0	0.03	0.03	0.15
7	राजस्थान	0.13	0.10	0.12	0.04	0.01	0.09	0.12	0.61
8	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0	0.02	0	0	0.01	0.01	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	बिहार	0.02	0.01	0.04	0.01	0	0.02	0.02	0.12
10	झारखंड	0.01	0	0.01	0	0	0.01	0.01	0.04
11	उड़ीसा	0.01	0	0.03	0	0	0.02	0.02	0.08
12	पश्चिम बंगाल	0.05	0.02	0.13	0.01	0.05	0.05	0.07	0.38
13	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.01	0	0	0	0	0.01	0.02
14	असम	0.08	0.02	0.18	0.01	0.01	0.01	0.01	0.5
15	मणिपुर	0.00	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0.00	0	0.01	0	0	0.01	0.00	0.03
17	मिजोरम	0.03	0.01	0.06	0.01	0.01	0.04	0.03	0.19
18	नागालैंड	0.01	0	0.02	0	0	0.01	0.01	0.05
19	त्रिपुरा	0.01	0	0.01	0	0	0.01	0.03	0.06
20	सिक्किम	0.00	0	0.01	0	0	0	0	0.01
21	आंध्र प्रदेश	0.31	0.03	0.16	0.01	0.01	0.07	0.07	0.66
22	कर्नाटक	0.05	0.01	0.01	0.01	0	0.05	0.05	0.28
23	केरल	0.05	0.01	0.11	0.01	0.01	0.06	0.06	0.31
24	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	0.04	0	0.03	0.01	0.03	0.07	0.02	0.20
27	गोवा	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01
28	गुजरात	0.03	0.01	0.06	0.01	0	0.04	0.03	0.18
29	महाराष्ट्र	0.05	0.01	0.12	0.01	0.01	0.06	0.06	0.32
30	छत्तीसगढ़	0.07	0	0.06	0.01	0	0.02	0.01	0.17
31	मध्य प्रदेश	0.03	0.01	0.06	0	0	0.03	0.03	0.16
32	उत्तराखण्ड	0.01	0	0.02	0	0.01	0.02	0.04	0.1
33	उत्तर प्रदेश	0.07	0.02	0.16	0.02	0.01	0.09	0.08	0.45
	कुल	1.17	0.30	1.76	0.19	0.17	1.03	1.07	5.71

विवरण-III

वर्ष 2005–06 के दौरान ग्राम उद्योगों के उत्पाद मूल्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख व्यक्ति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एएंडएफपी आई	पीसीबीआई	एचएमपी/ फाइबर	आरईबीटी	सेवा इंडस्ट्री	कुल ग्रामीण इंडस्ट्रीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चंडीगढ़	0	0	6.30	0	0	0	1.28	7.58
2	दिल्ली	0	23.94	29.40	11.87	4.31	14.07	0.39	83.98
3	हरियाणा	1494.20	274.10	3271.91	229.22	61.74	1865.64	215.96	7412.77
4	हिमाचल प्रदेश	374.54	141.27	928.10	218.24	125.16	1360.80	152.39	3300.50
5	जम्मू और कश्मीर	700.13	175.04	1575.41	168.79	87.52	875.23	79.41	3661.53
6	पंजाब	673.00	175.77	1582.30	157.28	66.68	901.11	83.91	3640.05
7	राजस्थान	2251.10	562.75	5064.99	534.92	280.39	2813.84	256.16	11764,19
8	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	183.80	45.94	413.65	40.37	22.79	229.79	21.27	957.61
9	बिहार	479.22	119.81	1078.3	114.55	54.65	599.03	54.98	2500.54
10	झारखंड	294.95	73.71	663,60	66.73	34.55	368.66	34.12	1536.32
11	उड़ीसा	695.63	153.20	1480.29	158.03	61.22	971.82	87.52	3607.71
12	पश्चिम बंगाल	1543.44	441.04	3858.75	330.80	1322.67	1322.69	220.59	9039.98
13	अरुणाचल प्रदेश	39.37	102.17	70.19	26.04	5.30	135.35	28.59	407.01
14	असम	2452.74	571.20	5140.75	557.08	285.60	2861.20	241.14	12109.71
15	मणिपुर	35.39	10.60	81.43	0	0	46.04	5.68	179.14
16	मेघालय	196.67	49.13	442.52	45.94	24.57	245.81	22.46	1027.10
17	मिजोरम	836.22	209.06	1881.55	192.47	104.53	1045.26	95.75	4364.84
18	नागालैंड	240.40	60.06	540.91	55.28	30.03	300.50	27.55	1254.73
19	त्रिपुरा	226.64	24.26	225.17	157.08	79.54	336.26	47.33	1096.28
20	सिक्किम	117.18	29.30	263.71	26.04	14.65	146.48	13.51	610.87
21	आंध्र प्रदेश	7431.79	1181.04	5026.56	783.93	486.51	2193.51	204.15	17207.49
22	कर्नाटक	1426.01	356.47	3208.54	342.2	178.24	1782.53	161.87	7455.86
23	केरल	1346.84	326.18	3030.40	320.93	168.32	1683.57	154.17	7030.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	लक्षद्वीप	16.54	0	29.77	0	0	0	3.97	50.28
25	पांडिचेरी	10.61	2.63	23.89	2.15	1.47	13.28	1.24	55.27
26	तमिलनाडु	1120.55	118.39	1030.26	367.24	862.83	2411.63	47.90	5958.83
27	गोवा	16.01	0	192.05	0	0	3.98	33.23	245.27
28	गुजरात	741.77	185.42	1668.98	168.74	82.22	927.2	86.18	3860.51
29	महाराष्ट्र	1325.47	339.21	3076.55	159.44	158.97	1687.67	163.42	6910.74
30	छत्तीसगढ़	2010.22	116.92	2312.99	431.92	169.94	580.34	43.02	5665.35
31	मध्य प्रदेश	936.02	233.99	2106.04	111.14	122.22	1170.02	117.08	4796.51
32	उत्तराखण्ड	216.98	63.95	836.27	242.87	255.83	640.97	98.69	2355.56
33	उत्तर प्रदेश	2063.05	540.80	4772.68	471.50	280.72	2616.17	235.90	10980.85
	कुल	31496.48	6707.35	55914.21	6492.79	5433.17	32150.45	3040.81	141135.37

विवरण-IV

वर्ष 2005–06 के दौरान आर ई जी पी के तहत मार्जिन मनी के उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख व्यक्ति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एएंडएफपी आई	पीसीबीआई	एचएमपी/ फाइबर	आरईबीटी	सेवा इंडस्ट्री	कुल ग्रामीण इंडस्ट्रीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चंडीगढ़	0	0	1.20	0	0	0	2.43	3.63
2	दिल्ली	0	4.56	5.60	2.26	0.82	2.68	0.74	16.66
3	हरियाणा	284.61	52.21	623.22	43.66	11.76	355.36	411.36	1782.18
4	हिमाचल प्रदेश	71.34	26.91	176.78	41.57	23.84	259.2	290.26	889.9
5	जम्मू और कश्मीर	133.36	33.34	300.08	32.15	16.67	166.71	151.25	833.56
6	पंजाब	128.19	33.48	301.39	29.96	12.70	171.64	159.85	837.21
7	राजस्थान	428.78	107.19	964.76	101.89	53.41	535.97	487.91	2679.91
8	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.01	8.75	78.79	7.69	4.34	43.77	40.52	218.87
9	बिहार	91.28	22.82	205.39	21.82	10.41	114.1	104.72	570.54
10	झारखंड	56.18	14.04	126.4	12.71	6.58	70.22	64.99	351.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	उड़ीसा	132.50	29.18	281.96	30.10	11.66	185.11	166.71	837.22
12	पश्चिम बंगाल	293.99	84.01	735.00	63.01	251.94	251.94	420.17	2100.06
13	अरुणाचल प्रदेश	7.50	19.46	13.37	4.96	1.01	25.78	54.46	126.54
14	असम	467.19	108.80	979.19	106.11	54.40	544.99	459.31	2719.99
15	मणिपुर	6.74	2.02	15.51	0	0	8.77	10.81	43.85
16	मेघालय	37.46	9.36	84.29	8.75	4.68	46.82	42.78	234.14
17	मिजोरम	159.28	39.82	358.39	36.66	19.91	199.10	182.38	995.54
18	नागालैंड	45.79	11.44	103.03	10.53	5.72	57.24	52.47	286.22
19	त्रिपुरा	43.17	4.62	42.89	29.92	15.15	64.05	90.15	289.95
20	सिक्किम	22.32	5.58	50.23	4.96	2.79	27.90	25.76	139.54
21	आंध्र प्रदेश	1415.58	224.96	957.44	149.32	73.62	417.81	388.85	3627.58
22	कर्नाटक	271.62	67.9	611.15	65.18	33.95	339.53	308.33	1697.66
23	केरल	256.54	62.13	577.22	61.13	32.06	320.68	293.65	1603.41
24	लक्षद्वीप	3.15	0	5.67	0	0	0	7.57	16.39
25	पांडिचेरी	2.02	0.5	4.55	0.41	0.28	2.53	2.37	12.66
26	तमिलनाडु	213.44	22.55	196.24	69.95	164.35	459.36	91.24	1217.13
27	गोवा	3.05	0	36.58	0	0	0.76	63.29	103.68
28	गुजरात	141.29	35.32	317.9	32.14	15.66	176.61	164.16	883.08
29	महाराष्ट्र	252.47	64.61	586.01	30.37	30.28	321.46	311.28	1596.48
30	छत्तीसगढ़	382.9	22.27	440.57	82.27	32.37	110.54	81.95	1152.87
31	मध्य प्रदेश	178.29	44.57	401.15	21.17	23.28	222.86	223.01	1114.33
32	उत्तरांचल	41.33	12.18	159.29	46.26	48.73	122.09	187.98	617.86
33	उत्तर प्रदेश	392.96	103.01	909.08	89.81	53.47	498.32	449.34	2495.99
	कुल	5999.33	1277.59	10650.32	1236.72	1015.84	6123.90	5792.05	32095.75

[अनुवाद]

स्कूली पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना

4020. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षाविदों के साथ सलाह करके पहली से बारहवीं तक की कक्षा के स्कूली पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूली शिक्षा को चार चरणों में विभाजित करने और शिक्षण में वैज्ञानिक और विषय संबंधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि स्कूली शिक्षा के बुनियादी घटकों की बलि न चढ़ाई जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 के अनुसार पहले ही कक्षा–I से XII तक नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया है।

(ग) और (घ) देश में स्कूल शिक्षा के प्रचलित ढांचे को पहले ही मोटे तौर पर चार चरणों अर्थात् प्राथमिक (कक्षा I–V), उच्च प्राथमिक (कक्षा VI–VIII), माध्यमिक (कक्षा IX–X) और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XI–XII) में विभाजित कर दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 और कार्य योजना–1992 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जिसकी विशेषता परिवर्तनकारी लक्ष्यों के कतिपय कोर मूल्य हैं, स्थापित करने के उपायों के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तैयार करने और इसका उपयोग करने पर बल देती है जो भारत के संविधान की भावना के अनुरूप होगा।

व्यभिचार हेतु दंड

4421. श्री कैलाश मेघवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माधव मेनन समिति द्वारा तैयार आपराधिक न्याय संबंधी प्रारूप राष्ट्रीय नीति ने व्यभिचार को आपराधिक जुर्म की बजाय सामाजिक अपराध मानने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) आपराधिक न्याय पद्धति के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए 3 मई, 2006 को प्रो. माधव मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

कपास सहकारी विपणन संघ

4422. श्रीमती मेनका गांधी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास सहकारी विपणन संघ के कई केन्द्र बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों को बंद करने से हजारों कपास उत्पाद प्रभावित हुए हैं क्योंकि अब वे राज्य की कपास खरीद योजना के अंतर्गत अपने उत्पाद को नहीं बेच सकते हैं;

(घ) सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा कपास उत्पादकों को मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) कपास मौसम 2006–07 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन संघ ने दिनांक 6.11.2006 से 254 खरीद केंद्रों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में कपास की खरीद शुरू की थी जिसमें से 125 खरीद केंद्र विदर्भ क्षेत्र में थे। विदर्भ क्षेत्र में सभी 125 खरीद केंद्र दिनांक 5.4.2007 से बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनमें कपास नहीं मिल रही थी।

(ग) जी, नहीं क्योंकि अन्य कपास खरीददार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊंची दरों पर कपास की खरीद करते हैं। इसके अलावा, किसी कपास उपजकर्ताओं अथवा कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) से केन्द्रों को जारी रखने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) मौसम 2006–07 के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 4.1.2007 के संकल्प सं. कपास/1006/परा का/102/10–सी के अनुसार एक विशेष मामले के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने कपास उपजकर्ताओं को 1500/– रु. प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, न्यूनतम 500/– रु. प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 3000/– रु. सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह राशि कपास उपजकर्ताओं को महाराष्ट्र कृषि विभाग के माध्यम से संवितरित की जा रही है।

[हिन्दी]

सीबीआई जांच

4423. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में खैरलांजी हत्याकांड की कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने आर सी. 119 (एस)/2006–एस सी बी/चेन्नै के तहत खैरलांजी हत्याकांड से संबंधित पुलिस स्टेशन अंदलगांव, जिला भंडारा के अपराध संख्या 56/06 की जांच पड़ताल का काम अपने हाथ में लिया था। उचित जांच–पड़ताल के बाद भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत ग्यारह अभियुक्तों के विरूद्ध सक्षम अदालत में 27.12.2006 को आरोप पत्र दायर किया गया था। भंडारा की सक्षम अदालत में ग्यारह अभियुक्त विचारणाधीन हैं।

जनजातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जागरूकता हेतु धनराशि आबंटन

4424. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखंड हेतु जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा की योजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई तथा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में आदिवासी महिलाओं की हत्या/शोषण की घटनाओं में वृद्धि हुई है तथा झारखंड में पुलिस हिरासत में आदिवासी महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने खुलासा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे पीड़ितों का पुनर्वास करने तथा उन्हें वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनताजीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) आदिम जनजातीय समूहों के विकास की छत्र योजना के अधीन जनजातीय कार्य मंत्रालय 2004–05 से "भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना" के अधीन प्रत्येक पीटीजी परिवार के मुखिया को जीवन और अपंगता बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात अनुसूचित जनजातियों वाले विभिन्न राज्यों को निधियां उपलब्ध करा रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अधीन अब तक झारखंड सहित, विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) यद्यपि सही है कि ऐसी घटनाओं के बारे में समय–समय पर इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया द्वारा खुलासा किया जाता रहा है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा इस मंत्रालय को जनजातीय महिलाओं की हत्या/शोषण और उत्पीड़न की किसी विशिष्ट घटना की सूचना नहीं दी गई है।

विवरण

जनश्री बीमा योजना के लिए राज्यों द्वारा निर्मुक्त निधियां व सूचित व्यय के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	2005–06 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय	2006–07 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	राज्यों द्वारा सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	60.00	60.00	120.00	0.00	110.00	0
2	बिहार	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0
3	छत्तीसगढ़	40.00	40.00	90.00	79.68	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	गुजरात	25.00	25.00	50.00	50.00	55.00	0
5	झारखंड	70.00	70.00	145.00	145.00	0.00	0
6	केरल	2.50	2.50	5.00	5.00	15.00	0
7	कर्नाटक	10.00	10.00	20.00	20.00	12.50	0
8	मध्य प्रदेश	100.00	100.00	200.00	200.00	150.00	0
9	महाराष्ट्र	70.00	70.00	140.00	140.00	0.00	0
10	मणिपुर	10.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0
11	उड़ीसा	12.50	12.50	25.00	0.00	42.50	0
12	राजस्थान	12.50	0.00	25.00	0.00	0.00	0
13	तमिलनाडु	40.00	40.00	80.00	80.00	80.00	0
14	त्रिपुरा	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	0
15	उत्तरांचल/ उत्तर प्रदेश	2.50	0.00	7.10	7.10	0.00	0
16	पश्चिम बंगाल	15.00	15.00	30.00	0.00	32.50	0
17	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.40	0.28	0.00	0
	कुल	500.00	470.00	1000.00	777.05	547.50	0

[अनुवाद]

आई आई टी की रैंकिंग

4425. श्री निखिल कुमार :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आई आई टी की रैंकिंग गत वर्ष की रैंकिंग से सात स्थान तक नीचे गिर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आई आई टी के कार्यकरण को सुकर बनाने का है ताकि उन्हें वैश्विक रैंकिंग में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकार देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की रैंकिंग करने के उद्देश्यार्थ कोई वार्षिक सर्वेक्षण नहीं करवाती है।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहले ही विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में है और विश्व के प्रौद्योगिकी संस्थानों में इन्हें ख्यातिपूर्ण स्थान प्राप्त है।

लघु उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

4426. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वे भी शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों के निर्यात हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान दिशा–निर्देशानुसार लघु उद्योग भी विशेष आर्थिक क्षेत्र को मिलने वाले लाभ पाने के हकदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) लघु उद्योग किसी भी अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में इकाइयां स्थापित करने के लिए पात्र हैं। किसी भी अधिसूचित एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर स्थापित लघु उद्योगों, अति–लघु तथा मंझोले उपक्रमों सहित सभी इकाइयां एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उपबंधित लाभों के लिए पात्र हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना की प्रभावोत्पादकता

4427. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने समेकित बाल विकास सेवा योजना की प्रभावोत्पादकता पर सवाल उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग द्वारा इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा और प्रशिक्षण

4428. श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोप के 80 प्रतिशत छात्रों की तुलना में 15 से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के केवल 2 प्रतिशत छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) में प्रवेश लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इस आयुवर्ग के छात्रों में ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण को (वीईटी) को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा वी ई टी में छात्रों के इतने कम प्रतिशत के प्रवेश लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) दसवीं योजनावधि के शेष वर्षों तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान वी ई टी को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) एसोचैम की दिनांक 26.1.2007 की एक प्रेस रिलीज के अनुसार भारत में 15–25 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों में से 2 प्रतिशत छात्र ही प्रतिवर्ष व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से नामांकित होते हैं जबकि यूरोप में इनका प्रतिशत 80 है।

(ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्र–प्रायोजित योजना के तहत उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक लगभग 10 लाख छात्रों की नामांकन क्षमता वाले 21000 सेक्शन संचालित करने के लिए लगभग 9500 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं। उच्च स्तर पर सक्रियता के अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता, पाठ्यचर्या को आवश्यकता के अनुरूप बनाने हेतु उसमें परिवर्तन करने के लिए लचीलेपन का अभाव, हाथ से काम करने के प्रति समाज की हीनभावना के कारण पर्याप्त संख्या में छात्र व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विकल्प नहीं चुनते हैं।

(ग) प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वाधीनता दिवस भाषण (2006) में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी एक मिशन की शुरूआत करने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के अनुकरण में 11वीं योजनावधि और उसके बाद के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संवर्धन हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा दिनांक 6.12.2006 को एक कार्य बल गठित किया गया है।

शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा केन्द्र

4429. डा. के. एस. मनोज : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए केरल के एक परीक्षा केन्द्र को मंजूरी देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली द्वारा अध्यापकों की कुल कितनी रिक्तियां बताई गई हैं और उनके द्वारा कितने परीक्षा केन्द्रों को मनोनीत करने का निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार केरल राज्य से आवेदनों की संख्या को देखते हुए केरल में परीक्षा केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रशीतित कंटेनर

4430. श्री अनिल बसु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रशीतित कंटेनर विनिर्माण क्षमता विकसित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) भारतीय विनिर्माताओं ने प्रशीतित कंटेनरों के विनिर्माण की क्षमता विकसित कर ली है। प्रमुख विनिर्माताओं में मै. फ्रीज़किंग इण्डस्ट्रीज़ प्रा. लि., मै. फ्रिक इण्डिया इण्डस्ट्रीज़; मैं. थर्मोकिंग इण्डस्ट्रीज़; और मै. कैरियर एयरकॉन लिमिटेड शामिल हैं।

[हिन्दी]

हिंसा की घटनाएं

4431. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों द्वारा आयोजित बंद के दौरन पुलिस और बंद समर्थकों के बीच हिंसा और आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक हुई ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को बंद के दौरान ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अतः केन्द्र सरकार बंद के दौरान राज्य पुलिस और बंद समर्थकों के बीच हुई हिंसात्मक झड़प संबंधी विशिष्ट सूचना/आंकड़े अनुरक्षित नहीं रखती।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार, उपलब्ध सूचना के आधार पर, समय-समय पर, बंद/हड़ताल के दौरान आवश्यक उपचारात्मक और सुरक्षा उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह देती है। जब भी अनुरोध किया जाता है, बंद/हड़ताल के दौरान शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्धता के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल भी प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

महिलाओं का योगदान

4432. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की औपचारिक क्षेत्रों में निर्माता तथा कार्यकर्ता और घरेलू महिला के रूप में सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान का मूल्यांकन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें चक्र (जुलाई, 2004 – जून, 2005) की रिपोर्ट संख्या 515 के अनुसार, वर्ष 1983 से लेकर वर्ष 2004-05 तक व्यापक औद्योगिक श्रेणियों द्वारा सामान्यतः नियोजित व्यक्तियों के प्रति हजार वितरण संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विवरण 5.9 : वर्ष 1983 से 2004-05 के दौरान व्यापक औद्योगिक श्रेणियों द्वारा सामान्यतः नियोजित व्यक्तियों के प्रति हजार वितरण संबंधी सूचना

(अखिल भारत)

व्यापक औद्योगिक श्रेणियां	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण चक्र (सर्वेक्षण अवधि)		ग्रामीण				शहरी			
			पुरुष		महिलाएं		पुरुष		महिलाएं	
			पीएस	कुल	पीएस	कुल	पीएस	कुल	पीएस	कुल
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
कृषि	61वीं	(2004-05)	662	665	814	833	60	61	147	181
	55वीं	(1999-00)	712	714	841	854	65	66	146	177

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	50वीं	(1993–94)	737	741	847	862	87	90	193	247
	43वीं	(1987–88)	739	745	825	847	85	91	218	294
	38वीं	(1983)	772	775	862	875	97	103	255	310
	32वीं	(1977–78)	804	806	868	881	102	106	251	319
खनन एवं	61वीं	(2004–05)	6	6	4	3	9	9	2	2
उत्खनन	55वीं	(1999–00)	6	6	4	3	9	9	4	4
	50वीं	(1993–94)	7	7	5	4	13	13	7	6
	43वीं	(1987–88)	7	7	5	4	13	13	9	8
	38वीं	(1983)	6	6	4	3	12	12	8	6
	32वीं	(1977–78)	5	5	3	2	9	9	6	5
विनिर्माण	61वीं	(2004–05)	80	79	87	84	236	235	254	282
	55वीं	(1999–00)	73	73	77	76	225	224	232	240
	50वीं	(1993–94)	70	70	75	70	236	235	236	241
	43वीं	(1987–88)	76	74	75	69	260	257	269	270
	38वीं	(1983)	71	70	65	64	270	268	260	267
	32वीं	(1977–78)	65	64	61	59	276	276	294	296
बिजली, पानी इत्यादि	61वीं	(2004–05)	2	2	0	0	8	8	2	2
	55वीं	(1999–00)	2	2	–	–	8	8	2	2
	50वीं	(1993–94)	3	3	–	–	12	12	3	3
	43वीं	(1987–88)	3	3	–	–	12	12	3	2
	38वीं	(1983)	2	2	–	–	11	11	2	2
	32वीं	(1977–78)	2	2	–	–	11	11	1	1
निर्माण कार्य	61वीं	(2004–05)	69	68	17	15	93	92	45	38
	55वीं	(1999–00)	45	45	12	11	88	87	55	48
	50वीं	(1993–94)	33	32	11	9	70	69	49	41
	43वीं	(1987–88)	27	37	32	27	58	58	43	37
	38वीं	(1983)	23	22	9	7	51	51	37	31
	32वीं	(1977–78)	17	17	7	6	42	42	26	22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
व्यापार, होटल	61वीं	(2004–05)	83	83	28	25	281	280	131	122
व रेस्टारेंट	55वीं	(1999–00)	68	68	23	20	293	294	164	169
	50वीं	(1993–94)	55	55	22	21	219	219	107	100
	43वीं	(1987–88)	52	51	24	21	215	215	109	98
	38वीं	(1983)	44	44	22	19	202	203	99	95
	32वीं	(1977–78)	40	40	23	20	216	216	98	87
परिवहन, भंडारण	61वीं	(2004–05)	39	38	2	2	107	107	16	14
तथा संचार	55वीं	(1999–00)	32	32	1	1	104	104	20	18
	50वीं	(1993–94)	22	22	1	1	98	97	15	13
	43वीं	(1987–88)	21	20	1	1	98	97	12	9
	38वीं	(1983)	17	17	1	1	101	99	17	15
	32वीं	(1977–78)	13	12	1	1	98	98	12	10
अन्य सेवाऐं	61वीं	(2004–05)	59	59	46	39	207	208	402	359
	55वीं	(1999–00)	61	61	43	37	209	210	378	342
	50वीं	(1993–94)	71	70	40	34	264	264	388	350
	43वीं	(1987–88)	64	62	37	30	253	252	336	278
	38वीं	(1983)	62	61	34	28	248	248	314	266
	32वीं	(1977–78)	54	53	37	30	245	243	311	260
	सभी	X	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

विदेशों से सहायता

4433. श्री अशोक कुमार रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के कितने पी एच डी और एम.एस. (शोध) छात्रों को संस्थानवार, श्रेणीवार और वर्षवार विदेशों में पेपर प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय सहायता/छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों ने विदेश में अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्थानवार, श्रेणीवार और वर्षवार कुल कितनी वित्तीय सहायता/छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं;

(घ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए पृथक तौर पर कुल आबंटन का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत वित्तीय सहायता/छात्रवृत्तियां आबंटित की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को विदेश में उनका कार्य प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

4434. श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के कौन–कौन से महाविद्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया है;

(ग) क्या इलाहबाद चिकित्सा महाविद्यालय को भी महाविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस चिकित्सा महाविद्यालय को कब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एक भाग घोषित किया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का इस चिकित्सा महाविद्यालय का विकास और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है तथा इसकी स्थापना संसद द्वारा अधिनियमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 द्वारा निगमित निकाय के रूप में की गई थी।

(ख) विश्वविद्यालय संविधियों के विधान 31(1) के प्रावधानों के अनुसार ग्यारह कालेज विश्वविद्यालय के संघटक कालेज होंगे। इन कालेजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मोतीलाल नेहरू कालेज तथा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संविधियों के विधान 30(4) के अंतर्गत विश्वविद्यालय कालेज होगा।

(घ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 14 जुलाई, 2005 से लागू हो चुका है।

(ङ) और (च) इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार वह उपर्युक्त विश्वविद्यालय कालेज के विकास तथा विस्तार हेतु मास्टर प्लान तैयार कर रहा है।

विवरण

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कालेजों की सूची

1. इलाहाबाद, डिग्री कालेज, इलाहाबाद
2. आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद
3. चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद
4. इर्विंग क्रिश्चयन कालेज, इलाहाबाद
5. ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद
6. हमीदिया गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद
7. जगत तरण गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद
8. के.पी. प्रशिक्षण कालेज, इलाहाबाद
9. राजऋषि टंडन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद
10. सांवल दास सदन लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद
11. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कालेज, इलाहाबाद

[अनुवाद]

चाय की वृद्धि दर

4435. श्री हितेन बर्मन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू खपत और चाय की प्रति व्यक्ति खपत के संदर्भ में चाय की वृद्धि दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चाय को एक राष्ट्रीय पेय पदार्थ के रूप में बढ़ावा देने तथा उसकी घरेलू खपत को बढ़ाने हेतु कोई नई रणनीति ईजाद करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) चाय की घरेलू एवं प्रति व्यक्ति खपत में समग्र मात्रा के रूप में बढ़ोत्तरी होती रही है। तथापि पिछले तीन वर्षों (2004–06) के दौरान चाय की वृद्धि दर में घरेलू खपत तथा प्रति व्यक्ति खपत में वर्ष 2001–2003 की अवधि की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वृद्धि दर 3.05% (वर्ष 2001–03) से घटकर 2.45% (वर्ष 2004–06) हो गयी है। प्रति व्यक्ति खपत भी 1.38% (वर्ष 2001–2003) से घटकर 0.88% (वर्ष 2004–2006) हो गई है।

(ग) चाय को राष्ट्रीय पेय पदार्थ के रूप में संवर्धित करने का

कोई प्रस्ताव नहीं है। एक पेय के रूप में चाय, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। तथापि, चाय को कई अन्य पेयों से प्रतिस्पर्धा मिलती रही है। इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए तथा चाय की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए, चाय बोर्ड द्वारा चाय के स्वास्थ्य संबंधी लाभों का प्रचार करते हुए देश में अनेक संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए जा रहे हैं और वह चाय को एक स्वास्थ्यवर्धक और जीवन शैलीगत पेय के रूप में दर्शाते हुए अखबारों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का उपयोग करने के अलावा अनेक घरेलू मेलों और प्रदर्शनियों में भी हिस्सा ले रहा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा

4436. श्री के. सी. सिंह "बाबा" : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा के प्रश्न–पत्रों को वैकल्पिक बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा पर गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम' की रिपोर्ट

4437. श्री एल. राजगोपाल :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) .
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) 'प्रथम' की रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों द्वारा स्कूल को बीच में छोड़ने की दर वर्ष 2005 के 5.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2006 में 4.1 प्रतिशत तक आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार स्कूल को बीच में छोड़ने की दर में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त एन जी ओ द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताई गई खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) प्रथम नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा तैयार की गई शिक्षा की स्थिति संबंधी वर्ष 2006 की वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण) में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर संबंधी आंकड़े नहीं दिए गए हैं बल्कि स्कूल बाह्य बच्चों तथा छात्रों के शिक्षण–स्तर संबंधी आंकड़े दिए गए हैं।

तथापि मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पहली से पांचवी कक्षा (6 से 11 वर्ष आयु वर्ग) के पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों की दर जो वर्ष 2003–2004 में 31.5% थी कम होकर वर्ष 2004–05 में 29.0% हो गई है। आंध्र प्रदेश में पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर जो वर्ष 2003–04 में 42.6% थी कम होकर वर्ष 2004–05 में 31.9% हो गई। वर्ष 2004–05 के दौरान पहली से पांचवी कक्षा के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दरें 10 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कम थी।

(ङ) अन्य बातों के साथ–साथ स्कूली बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से स्कूलों के सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, वार्षिक स्कूल अनुदान प्रदान करके, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों तथा स्कूलों आदि को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के माध्यम से स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या कम करने, छात्रों को स्कूलों में बनाए रखने तथा उनके शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में सामुदायिक सहयोग, पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों, अपेक्षाकृत बड़े बच्चे अथवा विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए उदार शिक्षा तथा लड़कियों, समाज के सुविधाहीन वर्गों के बच्चों तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के संवर्धन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मेड्रिड सिस्टम

4438. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मेड्रिड सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस मार्क्स" की सदस्यता से सदस्य आवेदक किसी भी देश के ट्रेड मार्क ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण करा सकते हैं जहां पर उनका पर्याप्त वाणिज्यिक हित हो अथवा अधिवास हो और यह जरूरी नहीं कि वह स्वयं के देश के ट्रेडमार्क ऑफिस में पंजीकृत हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 'मेड्रिड सिस्टम' अपनाने के प्रस्ताव की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) मेड्रिड प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिन्हों के पंजीकरण की एक सरल और कारगर प्रणाली है। कोई आवेदन उत्पत्ति के देश में एक भाषा (अंग्रेजी या फ्रेंच) में एक अकेला आवेदन करके उन अनेक नामोद्दिष्ट देशों में अपने चिन्हों के लिए संरक्षण प्राप्त कर सकता है जो मेड्रिड प्रणाली के सदस्य हों। अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु किसी अनुबंधकर्ता राष्ट्र के किसी भी नागरिक द्वारा आवेदन किया जा सकता है और साथ ही किसी अनुबंधकर्ता देश के किसी भी अन्य स्वाभाविक नागरिक अथवा कानूनी हस्ती द्वारा भी जो उस देश में रहता हो या उस देश में जिसका वास्तविक व कारगर औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम है। मेड्रिड प्रणाली में शामिल होने के फायदों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, भारत सरकार ने मेड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने का फैसला किया है। इस प्रोटोकॉल में शामिल होने से, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में संशोधन अनिवार्य हो जाएंगे। तदनुसार, इस संबंध में आगे कार्यवाही आरंभ की गई है।

पेटेन्ट के विरूद्ध आवेदन

4439. एडवोकेट सुरेश कुरूप :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोवार्टिस सहित कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) के रूपान्तरित प्रकार सहित कुछ महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं के विरूद्ध पेटेन्ट आवेदन दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऐसी पेटेन्ट जीवन रक्षक दवाओं की जांच करने तथा उन्हें प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसी कंपनी ने देश अथवा विदेश में किसी न्यायालय में भारतीय पेटेन्ट अधिनियम को चुनौती दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय पेटेन्ट अधिनियम का बचाव करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) औषधों से संबंधित अनेक पटेन्ट आवेदन विदेशों में स्थित कंपनियों द्वारा भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में दायर किए गए हैं, जिनमें स्विस कंपनी मै. नोवार्टिस भी शामिल है। 1995 से कुछ अग्रणी विदेशी कंपनियों द्वारा दायर किए गए भेषजीय पेटेन्ट आवेदनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

पेटेन्ट आवेदन प्राप्त करने के बाद, पेटेन्ट कार्यालय, उसकी जांच पेटेन्ट अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करता है। कार्यालय के पास प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें भेषज और औषध भी शामिल हैं, पेटेन्ट आवेदनों की जांच हेतु योग्यता प्राप्त जांचकर्ता हैं। पेटेन्ट हेतु पात्र होने के लिए किसी आविष्कार का नया होना, उसमें आविष्कार का चरण शामिल होना तथा उसे औद्योगिक प्रयोग के लायक होना अनिवार्य है। पेटेन्ट अधिनियम में उन आविष्कारों के ब्यौरे भी दिए गए हैं, जो पेटेन्टनीय नहीं हैं। गैर–पेटेन्टनीय आविष्कार हैं: किसी ज्ञात पदार्थ के नए स्वरूप की खोज मात्र जिससे उस पदार्थ की ज्ञात क्षमता में कोई वृद्धि न होती हो या किसी ज्ञात पदार्थ के नए गुण या नए प्रयोग की खोज मात्र या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या तंत्र की खोज मात्र जब तक ऐसी ज्ञात प्रक्रिया का परिणाम एक नए उत्पाद के रूप में सामने न आए या उसमें कम से कम एक नया प्रतिकारक शामिल न हो। अधिनियम में प्रदानगी–पूर्व विरोध की भी व्यवस्था है, जिसके तहत उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट आधारों पर कोई भी व्यक्ति पेटेन्ट प्रदानगी का विरोध कर सकता है।

(घ) से (च) मै. नोवार्टिस ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में पेटेन्ट अधिनियम की धारा 3(घ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो उच्च न्यायालय में लम्बित है। सरकार ने पेटेन्ट अधिनियम के उपबंधों के बचाव हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं।

मै. नोवार्टिस ने पेटेन्ट नियंत्रक द्वारा उनके पेटेन्ट आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के विरूद्ध भी माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की है। लेकिन भारत सरकार की दिनांक 2 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना द्वारा पेटेन्ट अपीलों के संबंध में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के चालू हो जाने के फलस्वरूप, माननीय उच्च न्यायालय ने इस अपील को आई पी ए बी को हस्तांतरित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

विवरण

कानूनी कंपनी का नाम	राष्ट्रीयता	दायर आवेदनों की संख्या
1	2	3
मै. नोवार्टिस	स्विटजरलैंड	108
मै. नोवा नॉर्डिस्क	डेनमार्क	186
बीएएसएफ एजी	डेनमार्क	160

1	2	3
एफ हॉफमैन	स्विटजरलैंड	152
सैंडोज	स्विटजरलैंड	26
सीबा गीगी	स्विटजरलैंड	14
हॉइस्ट	जर्मनी	142
मर्क	सं.रा अमेरिका	138
एस्ट्रा जैनेका	स्वीडन	122
बेयर	जर्मनी	119
टेवा फार्मास्यूटिकल्स	इज़राइल	84
ओत्सुका कैमिकल कंपनी	जापान	16
फार्मेक्सा	डेनमार्क	10
इली लिली	सं.रा. अमेरिका	90
वेथ	सं.रा. अमेरिका	105
ग्लेनमार्क	स्विटजरलैंड	29
एटलांटा फार्मास्यूटिकल्स	जर्मनी	24
ग्लक्सो	इंग्लैंड	101
बोहरिंगर	जर्मनी	9

किराया आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र

4440. कुंवर भानवेन्द्र सिंह : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में किराए के आवासों में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1999 से विशेषकर उत्तर प्रदेश में निजी निकायों को आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया भुगतान नहीं किए जाने वाले मामलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों ने 1999 से निजी निकायों को किराए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी बकाया राशियों का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

4441. श्री मित्रसेन यादव : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जनजाति आयोग देश में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन–किन स्थानों का चयन कियाा गया है;

(घ) क्या देश में अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय गंभीर वित्तीय तथा प्रशासनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा उनकी दशाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) इस समय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, रांची और शिलांग स्थित छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ ही पद ऐसे हैं जो काफी समय से रिक्त पड़े हैं और इस कारण कार्यात्मक कठिनाइयां हैं। संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों से इन पदों को अविलंब भरने का अनुरोध किया गया है।

(च) बजट अनुमान 2007–08 के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 432.00 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण

4442. श्री अनन्त नायक :

श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनाथालय चलाने वाले गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा अन्य संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) से विदेशों तथा विदेश स्थित गैर–सरकारी संगठनों द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का देश–वार तथा गैर–सरकारी संगठन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दत्तक ग्रहण के नाम पर अनेक भारतीय बच्चों को अवैध रूप से विदेशी व्यक्तियों को बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में माता–पिता की अनुमति के बिना बच्चों के दत्तक ग्रहण के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) ऐसे मामलों में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का दत्तक ग्रहण नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथालय चला रहे गैर–सरकारी संगठनों के नामों से संबंधित जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि उनक पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथपि, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा), जो मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों हेतु गृहों (शिशु गृह) हेतु सहायता की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत, गैर–सरकारी संगठनों एवं राज्य सरकारों को, जो 6 वर्ष से कम आयु के अनाथ/निराश्रित बच्चों को संस्थागत देखभाल प्रदान करने के बाद देश में दत्तक ग्रहण के माध्यम से उन्हें पुनर्वास प्रदान करते हैं, ऐसे बच्चों हेतु परियोजनाएं चलाने के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे गैर–सरकारी संगठनों की सूची कारा की वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in पर उपलब्ध है। कारा देश के बाहर दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध कराने हेतु स्थापन अभिकरणों को भी मान्यता प्रदान करती है। गत तीन वर्षों के दौरान कारा ने बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु जिन मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उनका देश–वार ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है। गैर–सरकारी संगठनों–वार सूची कारा की वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) कारा, जो देश के बाहर दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करने वाला संगठन है, को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ङ) भारत से दत्तक ग्रहण हेतु दिशा–निर्देश, 2006 में भारतीय बच्चों के देश के बाहर दत्तक ग्रहण हेतु क्रियाविधिक सुरक्षोपाय दिए गए हैं।

(च) और (छ) दिशा–निर्देशों को और अधिक बालानुकूल बनाने के लिए, जब कभी आवश्यकता होती है, संशोधन हेतु उनकी नियमित समीक्षा की जाती है।

विवरण

भारतीय बच्चों के देश के बाहर दत्तक ग्रहण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	देश का नाम	2004	2005	2006	कुल
1	2	3	4	5	6
1	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	322	296	327	945
2	डेनमार्क	111	50	33	194
3	बेल्जियम	30	24	18	72
4	नार्वे	22	21	17	60
5	नीदरलैंड	29	16	12	57
6	स्वीडन	43	31	49	123
7	ऑस्ट्रिया	17	4	2	23
8	फ्रांस	14	12	15	41
9	इटली	144	134	141	419
10	मॉरीशस	1	4	5	10
11	इण्डोनेशिया	–	–	2	2
12	सिंगापुर	1	6	5	12
13	संयुक्त अरब अमीरात (ओमान, कुवैत, अबूधाबी, दुबई, कतर, शारजाह एवं बहरीन)	13	20	30	63

1	2	3	4	5	6
14	थाईलैंड	–	–	1	1
15	दक्षिण अफ्रीका	4	7	3	14
16	कीनिया	1	–	1	2
17	न्यूजीलैंड	3	1	1	5
18	युनाइटेड किंगडम	19	20	14	53
19	स्पेन	125	109	67	301
20	स्विटजरलैंड	32	39	15	86
21	आस्ट्रेलिया	22	18	28	68
22	जर्मनी	30	22	27	79
23	कनाडा	9	19	17	45
24	फिनलैंड	13	9	5	27
25	आयरलैंड	5	–	1	6
26	आइसलैंड	5	1	2	8
27	बहरीन	1	–	4	5
28	लक्समबर्ग	2	1	5	8
29	फिलीपीन्स	1	–	–	1
30	हांगकांग	1	1	3	5
31	तन्जानिया	1	1	–	2
32	रिपब्लिक ऑफ बेनिन	1	–	–	1
33	बोत्सवाना	–	–	1	1
34	स्कॉटलैंड	–	–	1	1
	कुल	1021	867	852	2740

महिलाओं के लिए विशेष योजना

4443. श्री के. सुब्बारायण : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना–वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए नई विशेष योजनाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं कर रही है; लेकिन विशेष प्रयासों के द्वारा ग्यारहवीं योजना में महिला लाभार्थियों के कवरेज के बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी विद्यमान योजनाओं के सशक्तीकरण पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

उर्दू भाषा को बढ़ावा

4444. श्री रशीद मसूद : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्दू भाषा को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने उर्दू भाषा के संवर्धन, विकास और प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1996 में राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रौन्नयन परिषद की स्थापना की है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रौन्नयन परिषद द्वारा उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्कीमें इस प्रकार हैं:–

- कंप्यूटर अनुप्रयोग और बहुआयामी डी.टी.पी. केन्द्र।
- कैलीग्राफी और ग्राफिक प्रशिक्षण केन्द्र।
- उर्दू भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- पुस्तकों, मैगजीनों और पत्रिकाओं का प्रकाशन।
- पुस्तक प्रौन्नयन और प्रदर्शनी।
- पुस्तकों की व्यापक खरीद, पाण्डुलिपियों के प्रकाशन, सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता–अनुदान।
- उर्दू प्रेस प्रोत्साहन
- कार्यात्मक अरबी पाठ्यक्रम और व्यापक खरीद के लिए अनुदान।

उर्दू भाषा अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए सम्बन्धित राज्य

सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अधीन सोलन, लखनऊ और पटियाला में तीन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

लापता उल्फा कार्यकर्त्ता

4445. श्री अनवर हुसैन :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूटानी आपरेशन के पश्चात् कितने उल्फा कायकर्त्ता लापता हैं तथा उनमें से कितने कार्यकर्त्ताओं का अब तक पता लगा लिया गया है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या असम सरकार ने ऐसे कार्यकर्त्ताओं का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ लापता उल्फा कार्यकर्त्ताओं की पत्नियों ने असम में मार्च, 2007 के अंतिम सप्ताह के दौरान आमरण अनशन किया था; और

(च) ऐसे लापता उल्फा कार्यकर्त्ताओं के दावों की यथार्थ संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) और (च) रोयल भूटान आर्मी के ऑपरेशन के पश्चात् यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) के लापता कार्यकर्ताओं की जानकारी से संबंधित मामला गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(ङ) उल्फा संवर्गों के छः लापता कार्यकर्त्ताओं की पत्नियों ने मार्च, 2007 के अंतिम सप्ताह में गुवाहाटी में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अब उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

यू.जी.सी. द्वारा विश्वविद्यालयों को सहायता

4446. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री पुन्नूलाल मोहले :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री गिरिधारी यादव :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) से अनुदान/केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दसवीं योजना के दौरान यू.जी.सी. को आबंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को निधियों की आवश्यकता हेतु नए प्रस्ताव जनवरी, 2007 तक प्रस्तुत करने का निदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) आबंटित निधियों का समय पर उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) दसवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा प्रस्तुत केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों को वर्ष 2002–2007 के दौरान आबंटित/भुगतान किया गया/उपयोग किया गया सामान्य विकास अनुदान की विश्वविद्यालय–वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवम्बर, 2006 में सभी राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि आयोग ने गैर–मैट्रो शहरों के लिए 25.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को 1.00 करोड़ रुपए तक और मैट्रो शहरों के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर अपने निर्देशों में संशोधन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों का आकलन किया गया और पात्र संस्तुत विश्वविद्यालयों को 2007–2008 के दौरान ग्राह्य अनुदान देने का निर्णय लिया। पहले जारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नए अनुदान का भुगतान किया जाता है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना आबंटन 2002–07	28.02.2007 तक जारी अनुदान	दर्ज किए गए खर्चे/ उपयोग प्रमाण–पत्र का विवरण	विश्वविद्यालयों को जारी किया गया अतिरिक्त विकास अनुदान जो कि कुल आबंटन का 15 प्रतिशत है
1	2	3	4	5	6
1.	**आंध्र प्रदेश**				
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	571.50	457.20	290.90	85.73
2.	काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल	385.00	346.50	308.00	57.75
3.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर	370.50	296.40	222.30	55.58
4.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	558.67	446.94	330.50	83.80
5.	पी.एस. तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	243.75	195.00	93.60	36.56
6.	एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति	454.93	363.95	272.96	68.24
7.	एस.पी.एम. विश्वविद्यालय, तिरुपति	337.50	270.00	154.23	50.63
8.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय, अनंतपुर	350.00	280.00	210.00	52.50
9.	जेएनटीयू, हैदराबाद	429.00	343.20	257.40	64.35
10.	एनएएलएसएआर विश्वविद्यालय, हैदराबाद	200.00	180.00	160.00	30.00
11.	द्रविड़ विश्वविद्यालय, कुप्पम	132.00	105.60	–	19.80
		4032.85	3284.79	2299.89	604.94
2.	**गोवा**				
12.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	405.00	324.00	165.86	60.75
		405.00	324.00	165.86	60.75
3.	**गुजरात**				
13.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	337.50	270.00	202.50	50.63
14.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	429.00	257.40	176.04	64.35
15.	एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा	752.05	676.84	712.99	112.81
16.	नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	205.50	164.40	93.98	30.83

1	2	3	4	5	6
17.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लम विद्या नगर	331.50	275.31	202.90	49.73
18.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	390.00	312.00	233.00	58.50
19.	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	429.00	343.20	286.06	64.35
		2874.55	2299.15	1907.47	431.20
4.	**कर्नाटक**				
20.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	574.40	459.52	344.64	86.16
21.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	310.50	248.40	186.30	46.58
22.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	405.00	324.00	113.35	60.75
23.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघाट	281.25	225.00	168.50	42.19
24.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	130.00	104.00	105.00	19.50
25.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर गंगौत्री	305.00	244.00	121.30	45.75
26.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	381.00	304.80	314.10	57.15
27.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	105.00	84.00	75.00	15.75
28.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	125.00	112.50	–	18.75
		2617.15	2106.15	1428.19	392.58
5.	**केरल**				
29.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	370.50	296.46	222.30	55.58
30	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्ची	578.00	462.40	326.85	86.70
31.	केरला विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम	400.35	320.28	240.21	52.10
32.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	347.30	208.38	70.54	52.10
33	कन्नौर विश्वविद्यालय, मंगाटुपराम्बा	461.20	84.48	164.80	69.18
34.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	80.00	64.00		12.00
6.	**मध्य प्रदेश**				
35.	ए पी एस विश्वविद्यालय, रीवा	318.00	254.40	146.84	47.70

1	2	3	4	5	6
36.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	390.50	234.30	80.50	58.58
37.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	318.00	190.80	64.10	47.70
38.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	441.30	264.78	176.41	66.20
39.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	315.00	126.00	44.61	47.25
40.	एमजी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	210.00	168.00	56.33	31.50
41.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	409.50	327.60	120.26	61.43
42.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	410.00	246.00	170.97	61.50
43.	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल	215.00	172.00	82.29	32.25
7.	**महाराष्ट्र**				
44.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	313.75	251.50	108.71	47.06
45.	डा. बी.ए. मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	350.00	210.00	94.52	52.50
46.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	683.50	460.10	257.41	102.53
47.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	459.90	275.94	145.75	68.99
48.	उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	259.00	207.20	122.67	38.85
49.	पूणे विश्वविद्यालय, पुणे	412.50	330.00	183.60	61.88
50.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	359.25	323.00	185.09	53.89
51.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	542.94	325.76	158.37	81.44
52.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड	225.00	180.00	90.00	33.75
8.	**तमिलनाडु**				
53.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	761.00	608.80	374.63	114.15
54.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराइकुड्डी	318.00	254.40	156.17	47.70
55.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	532.73	426.18	222.35	79.91
56.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	331.50	265.20	229.30	49.73
57.	भारतीयर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	330.00	264.00	181.43	49.50
58.	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई	390.00	312.00	186.00	67.50
59.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	450.00	360.00	180.00	67.50
60.	एम एस. विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेली	280.00	224.00	203.95	36.56

1	2	3	4	5	6
61	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल	243.75	146.25	48.75	36.56
62.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजवौर	225.00	180.00	113.58	33.75
63.	पैरियार विश्वविद्यालय, सलेम	80.00	72.00		12.00
9.	**अरुणाचल प्रदेश**				
64.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल	400.00	320.00	154.50	60.00
10.	**असम**				
65.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	405.00	243.00	81.00	60.75
66.	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़	405.00	243.00	143.23	60.75
11.	**बिहार**				
67.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	302.50	242.00	181.49	45.38
68.	बी.बी. अम्बेडकर बिहार, विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर	293.07	234.45	96.05	43.96
69.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	328.00	262.40	131.20	49.20
70	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	203.95	81.58	34.11	30.59
71.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	309.05	123.62	49.88	46.36
72.	एल एन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	318.00	254.40	129.20	47.70
73.	बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	236.00	94.40	–	35.40
74.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	70.00	63.00	–	10.50
75	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	138.00	110.40	–	20.70
12.	**दिल्ली**				
76.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविधालय, नई दिल्ली	225.00	90.00	45.09	33.75
13.	**हरियाणा**				
77.	एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक	429.00	342.90	201.04	64.35
78.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	380.00	342.00	304.00	57.00
79.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	205.00	164.00	123.00	30.75
14.	**हिमाचल प्रदेश**				
80.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	405.00	324.00	156.42	60.75

1	2	3	4	5	6
15.	**जम्मू और कश्मीर**				
81.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल	405.00	324.00	169.73	60.75
82.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी	400.00	320.00	188.92	60.00
16.	**झारखंड**				
83.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	312.00	124.80	63.00	46.80
84.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	264.25	211.40	105.70	39.64
17.	**उड़ीसा**				
85.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	368.00	294.40.50	63.16	55.20
86.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार	390.00	312.00	151.00	58.50
87.	संबलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार	454.70	363.76	182.73	68.21
88.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	235.00	188.00	77.00	35.25
89.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	95.00	76.00	–	14.25
90.	नॉर्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बालासोर	#	–		
18.	**पंजाब**				
91.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	489.70	391.76	379.30	73.45
92.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	370.50	296.40	221.61	55.58
93.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	429.00	343.20	288.28	64.35
19.	**राजस्थान**				
94.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	420.00	336.00	252.20	63.00
95.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	419.80	335.84	251.88	62.97
96.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	257.00	205.60	154.20	38.55
97.	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	280.00	224.00	142.22	42.00
20.	**त्रिपुरा**				
98.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा	371.50	287.00	139.14	55.73
21.	**उत्तर प्रदेश**				
99.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	225.00	135.00	45.00	33.75
100.	चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	358.00	286.40	190.56	53.70

1	2	3	4	5	6
101.	डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	300.00	62.40	47.98	45.00
102.	डा. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	234.75	211.28	174.05	35.21
103.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	269.66	242.70	147.20	40.45
104.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	431.00	341.39	249.47	64.65
105.	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	213.00	127.80	51.00	31.95
106.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर 222002, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	225.00	135.00	45.00	33.75
107.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	280.50	168.30	56.10	42.08
108.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	200.00	140.00	44.46	30.00
109.	चौधरी साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	201.50	161.20	67.91	30.23
110.	जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूटनम	227.40	181.92	63.47	34.11
22.	**उत्तरांचल**				
111.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	325.00	292.50	260.00	48.75
112.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	370.50	333.80	222.30	55.58
23.	**पश्चिम बंगाल**				
113.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	577.00	519.30	218.56	86.55
114.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	742.75	668.47	408.17	111.41
115.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	347.00	277.60	208.20	52.05
116.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	340.00	272.00	184.00	51.00
117.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जीलिंग	372.00	334.80	168.23	55.80
118.	रबींद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	405.00	324.00	71.51	60.75
119.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिमी मिदनापुर	297.00	237.60	144.00	45.00
120.	बंगाल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, हावड़ा शिबपुर	375.00	300.00	164.46	56.25
24.	**छत्तीसगढ़**				
121.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	300.00	180.00	61.50	45.00

1	2	3	4	5	6
122.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	225.00	180.00	40.93	33.75
123.	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	380.00	254.40	183.05	47.70
124.	एच.एन. विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	70.00	56.00	–	10.50

– हाल ही में पात्र घोषित, उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित।
अभी तक कोई आबंटन नहीं किया गया, यद्यपि यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 के 12 (बी) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु हाल ही में पात्र घोषित।

10वीं योजना के दौरान यू.जी.सी. द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य विकास योजनागत अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना का संशोधित आबंटन	अनुदानों की वर्षवार रिलीज़					जारी कुल अनुदान (4+5+6+7+8)	व्यय का उपयोग प्रमाण पत्र/विवरण
			2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	4814.85	591.38	615.22	301.65	1206.60	1920.70	4635.55	3042.76
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	7896.20	645.01	642.19	321. 80	1287.20	4834.00	7730.20	5578.81
3	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2246.44	450.00	496.44	0.00	0.00	868.00	1814.44	1020.91
4	असम विश्वविद्यालय	2300.00	500.00	300.00	200.00	600.00	234.00	1834.00	1353.97
5	तेजपुर विश्वविद्यालय	3550.00	450.00	450.00	225.00	225.00	1468.00	2818.00	1595.23
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	5911.50	425.00	425.00	212.50	849.00	3238.00	5149.50	4512.74
7	जामिया मिलिया इस्लामिया	5123.85	473.49	4441.97	228.86	979.53	2307.06	4930.91	3201.89
8	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	5912.50	425.00	425.00	212.50	850.00	3868.00	5780.50	3300.80
9	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	4252.00	425.00	442.00	385.00	0.00	2716.20	3968.20	3061.36
10	मिजोरम विश्वविद्यालय*	7600.00	2465.40	0.00	1400.00	1734.60	1597.62	7197.62	6733.00
11	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय #	3283.15	1054.00	0.00	129.15	0.00	1387.00	2570.15	2489.14
12	नागालैंड विश्वविद्यालय	2600.00	400.00	400.00	200.00	600.00	668.00	2268.00	1437.64
13	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय $	3091.90	513.00	0.00	232.00	146.90	1434.00	2325.90	1158.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	हैदराबाद विश्वविद्यालय	5375.00	350.00	350.00	175.00	700.00	3517.00	5092.00	4045.60
15	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	3575.00	375.00	3225.00	175.00	700.00	1781.00	3356.00	2948.66
16	विश्वभारती विश्वविद्यालय	3800.00	325.00	325.00	162.50	487.50	1668.00	2968.00	1598.33
17	इलाहाबाद विश्वविद्यालय **	4177.90	90.08	0.00	87.82	0.00	3668.00	3845.90	2272.44
18	मणिपुर विश्वविद्यालय ***	2818.88	81.90	1.57	239.16	79.72	2349.50	2751.85	2618.15
	कुल	78329.17	10039.26	5639.39	4887.94	10446.05	40024.08	71036.72	51970.35
19	यू.सी.एम.एस.	646.25	129.00	0.00	64.63	387.99	0.00	581.62	284.00
	कुल योग	78975.42	10168.26	5639.39	4952.57	10834.04	40024.08	71618.34	52254.35

* मिजोरम विश्वविद्यालय के लिए 9वीं योजना और 10वीं योजना के लिए मूल आबंटन 7000.00 लाख रु. था। नौवीं योजना अवधि के दौरान 565.40 लाख रु. जारी किए गए। 565.40 लाख रु. की राशि को 2002-03 की रिलीज में शामिल किया गया।

\# नौवीं योजना के शेष से 604.00 लाख रु. अग्रेनीत किए गए (604.00 लाख रु. की राशि को वर्ष 2002-03 की रिलीज में शामिल किया गया।)

$ इसमें 232.00 लाख रु. (एन.सी.एम.पी. के तहत जारी) का अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

** इलाहाबाद विश्वविद्यालय 14.07.2005 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना। एस.यू. अनुभाग द्वारा 177.90 लाख रु. जारी किए गए।

*** मणिपुर विश्वविद्यालय 13.10.2005 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। एस.यू. अनुभाग द्वारा 239.16 लाख रु. जारी किए गए।

10 वीं योजनावधि 2002-2007 के दौरान सम-विश्वविद्यालयों को जारी किए गए सामान्य विकास योजना अनुदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय/संस्था	आबंटित अनुदान (2002-07)	जारी अनुदान					
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश							
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	475.00	97.50	163.50	शून्य	146.63	42.00	449.63
2	श्री सत्य साईं उच्चतर अध्ययन संस्थान, प्रसांथीनीलीयाम	300.00	60.00	122.40	51.60	50.42	14.42	298.84
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	306.00	61.20	39.40	105.32	40.74	47.43	294.09
	दिल्ली							
4	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	633.00	105.00	102.00	11.70	233.60	89.46	541.76
5	श्री एल.बी.एस. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	401.25	87.60	शून्य	7.35	78.65	111.15	284.75
6	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली**	300.00	–	–	–	300.00	–	300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गुजरात							
7	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	333.00	90.00	शून्य	44.05	114.63	20.56	269.24
	झारखंड							
8	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	272.47	36.87	88.88	53.73	शून्य	92.98	272.46
	महाराष्ट्र							
9	डेक्कन स्नातकोत्तर कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पूणे	225.00	45.00	शून्य	95.00	42.09	–	182.09
10	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पूणे	300.00	60.00	शून्य	36.00	92.65	–	188.65
11	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	487.50 150.00	127.50	शून्य	196.63	109.00	76.30	509.43
12	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूणे	232.50	46.50	शून्य	शून्य	60.00	100.50	207.00
13	भारती विद्यापीठ, पूणे	21.50	4.30	10.32	शून्य	–	–	4.62
	पंजाब							
14	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	340.00	46.04	69.76	148.30	65.00	10.90	340.00
	राजस्थान							
15	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	375.00	90.00	117.60	50.40	76.88	8.00	342.88
16	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	329.70	53.37	165.80	110.53	शून्य	–	329.70
17	जैन विश्व भारती संस्थान, लांडनू	125.00	30.00	शून्य	शून्य	7.80	83.50	121.30
18	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	300.00	60.00	26.10	20.30	शून्य	–	106.40
	तमिलनाडु							
19	अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर	364.75	75.00	82.95	35.30	96.36	36.47	326.08
20	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	464.35	97.50	183.10	81.30	4.07	45.22	411.19
21	श्री चन्द्रशेखेन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	225.00	45.00	शून्य	50.00	53.50	38.00	186.50
	उत्तर प्रदेश							
22	सारनाथ उच्चतर तिब्बती अध्ययन केन्द्रीय संस्थान वाराणसी	150.00	30.00	21.00	शून्य	41.50	40.00	132.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	272.00	82.50	54.90	24.75	43.80	57.90	263.85
	उत्तरांचल							
24	गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	297.00	60.00	37.80	17.50	25.50	–	140.80
	पश्चिम बंगाल							
25	बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावड़ा*	375.00 (–) 175.00 200.00	51.15	113.31	35.54	शून्य	–	200.00
26	आर.के.एम. विवेकानन्द शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, बेलूर मठ, हावड़ा **	600.00	शून्य	शून्य	शून्य	100.00	460.00	560.00
	कुल	8480.02	1542.03	1398.82	1175.30	1782.82	1374.79	7273.76

* सितम्बर, 2004 में एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया और एस यू प्रभाग द्वारा सितम्बर 2004 से अनुदान दिया जा रहा है।

** भवन हेतु विशेष अनुदान के रूप में संस्वीकृत

10वीं योजनावधि के दौरान सम–विश्वविद्यालयों को भुगतान किये गये योजनेत्तर अनुदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी अनुदान					
		2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, ओ.यू. कैम्पस, हैदराबाद	903.36	872.36	954.20	1043.11	1284.76	5057.79
2	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	363.10	473.52	395.66	610.40	512.99	2355.67
नई दिल्ली							
	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली	462.95	426.00	489.23	750.19	723.67	2852.04
3	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2000.00
गुजरात							
4	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड़, अहमदाबाद	760.42	691.67	742.26	848.31	1017.53	4060.19

1	2	3	4	5	6	7	8
	महाराष्ट्र						
5	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	826.59	816.06	958.27	1057.55	1017.21	4675.68
	तमिलनाडु						
7	अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर	789.23	784.37	819.27	917.30	1152.93	4463.10
8	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिण्डीगुल	854.30	766.72	908.69	1114.45	1163.06	4807.22
9	श्री चन्द्रशेखेन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
	उत्तर प्रदेश						
10	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग आगरा	405.19	456.91	429.24	453.80	584.26	2329.40
	उत्तराखण्ड						
11	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	539.51	579.33	596.18	808.87	803.59	3327.48
	राजस्थान						
12	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1500.00
	कुल	6611.65	6573.94	7000.00	8310.98	8967.00	37463.57

[हिन्दी]

नेपाल से तस्करी

4447. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल से तस्करी की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 तथा 2007 के दौरान आज तक भारत नेपाल सीमा पर जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घटनाओं में कितने तस्करों तथा माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सीमा पर तस्करी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) भारत–नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल द्वारा किए गए अवरोधन और बरामदगियों से यह पता चलता है कि तस्करी की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारत–नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल के रूप में तैनात सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) व्यापक गश्त करता है तथा प्रशिक्षित डॉग स्कैवड की सेवाओं का इस्तेमाल करता हैं भारत–नेपाल सीमा पर एस एस बी की सभी सीमा बाह्य चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल को कहा गया है कि वह अवांछित तत्वों के प्रवेश की जांच के लिए नेपाल के साथ सटी सीमा वाले राज्य सरकारों के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करके कार्य करें। सीमा पर तस्करी की घटनाओं के समाधान के लिए भारत और नेपाल में द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।

विवरण

वर्ष 2006 और 2007 आदिनांक के दौरान तस्करी की गई नशीली दवाओं, सामानों, विस्फोटक पदार्थों और हथियारों के ब्यौरे

	2006	2007
स्वापक पदार्थ (रुपए)	6,04,81,848	2,28,90,350
निषिद्ध माल (रुपए)	4,04,20,149	1,92,97,467
विस्फोटक पदार्थ		
(क) कारतूस (संख्या)	159	50
(ख) अत्याधुनिक बम (संख्या)	4	0
(ग) विस्फोटक पदार्थ (कि.ग्रा. में)	0	0.1
(घ) गेलेटाइन छड़ें (संख्या)	0	202
(ङ) सेफ्टी फ्यूस (मीटर में)	0	93.2
(च) डेटोनेटर (संख्या में)	0	200
हथियार		
(क) रिवाल्वर (अमेरिकी निर्मित) (संख्या)	2	0
(ख) पिस्तौल (ईटली निर्मित) (संख्या)	1	0
(ग) पिस्तौल (चीन निर्मित) (संख्या)	1	0
(घ) लघु हथियार (संख्या)	44	17
(ङ) सिंगल बैरल गन (संख्या)	37	15
(च) बी ए राइफल (संख्या)	0	1
पकड़े गए माओवादी/तस्कर	46	11

[अनुवाद]

टेक्सटाइल पार्क

4448. श्री हरिन पाठक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात तथा महाराष्ट्र से अपेरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम (एपीईएस) तथा टेक्सटाइल क्लस्टर इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट स्कीम (टीसीआईडीएस) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की समय सीमा को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को गुजरात तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उक्त योजनाओं के अंतर्गत इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क (एसआईटीपी) के लिए निर्धारित 25 टेक्सटाइल पार्कों के लक्ष्य में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीईएस) और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को 31.03.2007 से आगे जारी रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यद्यपि एपीईएस और टीसीआईडीएस को जुलाई, 2005 में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस आई टी पी) में मिला दिया था किन्तु एपीईएस और टीसीआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एसआईटीपी के लिए बजट से जारी रखी गई है। सरकार की एपीईएस और टीसीआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अपने प्रतिबद्ध दायित्व निभाने की अनिच्छा नहीं है।

(घ) से (च) 25 वस्त्र पार्कों के प्रारंभिक लक्ष्य को दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 30 वस्त्र पार्क कर दिया गया था और 30 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित कर दी गई हैं।

कॉलेजों में नामांकन स्तर

4449. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों की तुलना में अपने देश में अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों का स्तर तथा इनमें नामांकन स्तर घटिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूएस/दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना

4450. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ अमरीकी विश्व–विद्यालयों तथा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन–किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) हालांकि केन्द्र सरकार के समक्ष देश में यू एस विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परंतु दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। 3–4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने पर एक अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य बातों के साथ–साथ चार्टर, उप–विधि, नियमों तथा विनियमों पाठ्यचर्या विकास, व्यापार योजना, अवसंरचनात्मक विकास, संकाय सदस्यों के चयन तथा अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों पर एक अंतरसरकारी संचालन समिति गठित की जाएगी।

अर्द्धसैनिक बल कर्मी द्वारा अपने सहकर्मी की हत्या

4451. डा. के. धनराजू :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक अर्धसैनिक बलों (पीएमएफ) के कार्मिकों द्वारा अपने सहकर्मियों/वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला तथा उनकी हत्या के मामलों की बल–वार, और स्थान–वार कुल अलग–अलग संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे अभियुक्त कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों में हुई ऐसी घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है:

बल का नाम	2004	2005	2006
सी आई एस एफ	01	02	शून्य
आई टी बी पी	शून्य	01	शून्य
बी एस एफ	05	11	10
सी आर पी एफ	05	05	04
एस एस बी	शून्य	02	शून्य
असम राइफल्स	02	02	11

(ख) जहां कहीं आवश्यकता होती है, अभियुक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) ने अध्ययन करके यह पता लगाया है कि परिवार से अधिक समय तक दूर रहना, अत्यधिक आवाजाही करना, कार्य आदि करने के अधिक घंटे होना, सी पी एफ कार्मिकों के तनाव के मुख्य कारण हैं।

(ङ) सरकार ने पारिवारिक आवास की पात्रता 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी है और अधिक मकानों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। सी पी एफ कार्मिकों में तनाव कम करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन

4452. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में 22 मार्च, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान डीपीईपी के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से राज्य–वार कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) देश में विशेषकर राजस्थान में डीपीईपी योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल गैर–सरकारी संगठनों के राज्य–वार नाम क्या हैं;

(घ) उन समाज कल्याण संगठनों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर शैक्षिक संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है तथा समाज के कमजोर वर्गों तथा गरीबी रेखा

के नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भूमि को उन संगठनों के नाम पर कर दिया गया है;

(ङ) क्या ऐसे संगठन शिक्षण स्थल पर कक्षाओं के निर्माण, पेयजल, सफाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संघ/राज्य सरकार द्वारा क्या मानदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश के छः राज्यों में कार्यान्वित किया गया था। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य गैर–सरकारी संगठनों को अपने स्तर पर नियुक्त करते हैं। राजस्थान द्वारा नियुक्त किए गए गैर–सरकारी संगठनों के नाम और प्रयुक्त की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए समाज कल्याण संगठनों को कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित राशि (करोड़ रु. में) (ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.)			
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1.	आंध्र प्रदेश	163.43	80.66	योजना समाप्त की गई	–
2.	बिहार	177.57	156.49	योजना समाप्त की गई	–
3.	झारखंड	141.84	99.90	योजना समाप्त की गई	–
4.	राजस्थान–I	116.85	140.55	योजना समाप्त की गई	–
	राजस्थान–II	105.36	81.08	89.87	76.79
5.	उत्तर प्रदेश	156.14	206.61	योजना समाप्त की गई	–
6.	उत्तरांचल	22.76	72.76	योजना समाप्त की गई	–

विवरण-II

डीपीईपी परियोजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपे गए कार्य

(वैकल्पिक शिक्षा)

क्र.सं.	एन.जी.ओ. का नाम	कार्य मद	व्यय
1	2	3	4
		(1) सिरोही	
1	सृष्टि सेवा समिति उदयपुर	केम्प सोरडा (रेवदर) हेतु	270979/–
2	अरावली सेवा समिति आबूरोड	केम्प आबूरोड हेतु	71068/–
		(2) टोंक	
1	राष्ट्रीय जन कल्याण संस्थान रहमांदिया, टोंक	शिक्षा मित्र	379750
2	स्पेशल अवेरनेश एण्ड रूरल डेवलपमेंट एशोसिएशन शारदा, टोंक	शिक्षा मित्र	114400

1	2	3	4
3	राजस्थान ग्राम विकास समिति झीराना टोंक	शिक्षा मित्र	119400
4	सोफिया पब्लिक स्कूल टोंक	शिक्षा मित्र	217100
5	जनहित ग्रामीण विकास एवं महिला कल्याण समिति राणोली	शिक्षा मित्र	99000
6	शोशियल वेलफेयर चेरेटेबल ट्रस्ट टोंक	शिक्षा मित्र	81450
7	श्री जगदीश सेवा संस्थान टोंक	शिक्षा मित्र	89250
8	टोंक जिला एवं वन संरक्षण टोंक	शिक्षा मित्र	62600
9	कम्यूटोनिक्स टेक्नोलोजी सोसायटी टोंक	शिक्षा मित्र	90000
10	नाबल शिक्षा संस्थान टोंक	शिक्षा मित्र	90000
11	केशव विद्या मंदिर शिक्षा समिति टोंक	शिक्षा मित्र	60000
12	शिव शिक्षा समिति राणोली टोंक	शिक्षा मित्र	108200
13	नवरंग विद्या समिति टोंक	शिक्षा मित्र	58200
14	नवरंगपुरा विकास समिति पीपलू टोंक	शिक्षा मित्र	64500
15	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान टोडा	शिक्षा मित्र	78050
16	सिडेक्स जयपुर शाखा मालपुरा	शिक्षा मित्र	96450
17	ग्रामीण विकास समिति बृजलाल नगर मालपुरा	शिक्षा मित्र	116400
18	सिकाईडिकोन जयपुर	शिक्षा मित्र	38800
19	आईडिया जयपुर	शिक्षा मित्र	38500
20	मदर टेरेसा मालपुरा	शिक्षा मित्र	24250
21	समग्र ग्राम सेवा समिति डेठाणी	शिक्षा मित्र	25500
22	स्वामी दयानन्द पब्लिक शिक्षा समिति, सूंथड़ा उनियारा	शिक्षा मित्र	82500
23	सरस्वती बाल विद्या शिक्षा समिति खेलनियां उनियारा	शिक्षा मित्र	135130
24	सुभाष शिक्षण समिति पलाई उनियारा	शिक्षा मित्र	67350
25	एन.एल.एस. बाल विकास समिति उनियारा	शिक्षा मित्र	50200
26	आदर्श बाल विकास समिति ककोड़ उनियारा	शिक्षा मित्र	51000
27	शिवाजी संस्थान निवाई	शिक्षा मित्र	101050

1	2	3	4
28	सर्वोदय ग्रामोद्योग एवं प्रशिक्षण संस्थान जुगलपुरा निवाई	शिक्षा मित्र	27000
29	सिकाईडिकोन निवाई	शिक्षा मित्र	27336
30	एस.आर.आई.डी. निवाई	शिक्षा मित्र	53473
31	श्री लक्ष्मीनाथ जी विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान परनी देवली	शिक्षा मित्र	89450
32	मानव धर्म विकलांग संस्थान टोंक	शिक्षा मित्र	51000
		(3) भरतपुर	
1	राज. लव कुश संस्था कुम्हेर	डी.पी.ए.पी.	139830
2	राज. लव कुश संस्था कुम्हेर	डी.पी.ए.पी.	20000
3	प्रयत्न संस्था नदबई	डी.पी.ए.पी.	26775
4	साईं संस्था डीग	डी.पी.ए.पी.	65382
5	कृष्णा बाल विकास समिति बयाना	डी.पी.ए.पी.	42720
6	कृष्णा बाल विकास समिति बयाना	डी.पी.ए.पी.	30610
7	उज्जवल सेवा समिति भरतपुर	डी.पी.ए.पी.	23977
8	पी.डी. पौदार भरतपुर	डी.पी.ए.पी.	20307
9	वृज शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, डीग	डी.पी.ए.पी.	20000
10	केवला देव रिसर्च फाउन्डेशन	डी.पी.ए.पी.	20000
11	सारथी मानव विकास संस्था भरतपुर	डी.पी.ए.पी.	150000
		(4) बूंदी	
1	आदर्श बाल विद्या समिति बरूंधन जिला बूंदी	शिक्षा मित्र केन्द्रों का संचालन	1704322
2	इण्डियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी के. पाटन जिला बूंदी	शिक्षा मित्र केन्द्रों का संचालन	469224
		(5) चूरू	
1	नवयुवक मंडल मिट्टी रेडू वाली (चूरू)	शिक्षा मित्र केन्द्रों का संचालन हेतु	149200
2	सामाजिक सेवा सुधार समिति चूरू	शिक्षा मित्र केन्द्रों का संचालन हेतु	36850
3	नवयुवक मण्डल संस्थान खासोली	शिक्षा मित्र केन्द्रों का संचालन हेतु	39740
4	मानव प्रगति संस्थान राजगढ़	शिक्षा मित्र केन्द्रों का संचालन हेतु	48750

1	2	3	4
5	नवयुवक मण्डल बरड़ासर	शिक्षा मित्र केन्द्र संचालन हेतु	100850
6	लोक सेवा संस्थान रतनगढ़	शिक्षा मित्र केन्द्र संचालन हेतु	15250
		(6) दौसा	
1	गायत्री विद्या मन्दिर सीमावि बसवा	ब्रिज कोर्स हेतु	462400
2	सरस्वती विद्या मन्दिर सीमावि बसवा	ब्रिज कोर्स हेतु	453555
3	श्रीमती उर्मीला गुर्जर पैराटीचर रा.प्रा.वि. आमानेरी, बांदीकुई	ब्रिज कोर्स हेतु	486849
4	स्व. श्री राजेश पायलट ग्रामोदय शिक्षा समिति, खोहरी (महवा)	ब्रिज कोर्स हेतु	684023
5	मां शारदा पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति कौर महवा	ब्रिज कोर्स हेतु	1151931
6	मां शारदा पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मंडावर महवा	ब्रिज कोर्स हेतु	141711
7	राज. महिला विकास संस्था, दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	1344418
8	कृष्ण कला केन्द्र सैन्थल दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	438572
9	श्रीमती सरोज गौस्वामी सैन्थल दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	513902
10	आदर्श ज्ञान मन्दिर समिति, खवारावजी दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	1174019
11	आदर्श द्रोण विद्या मन्दिर दुब्बी सिकराय	ब्रिज कोर्स हेतु	258605
12	रश्मी शिक्षा समिति दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	208034
13	नवजीवन पब्लिक स्कूल समिति छोकरवाड़ा सिकराय	ब्रिज कोर्स हेतु	115399
14	भारद्वाज शिक्षा समिति गांगदवाडी सिकराय	ब्रिज कोर्स हेतु	126890
15	मंगलम विद्या पीठ लालसोट	ब्रिज कोर्स हेतु	681936
16	नवीन गांधी शिक्षा निकेतन राहुवास, लालसोट	ब्रिज कोर्स हेतु	682367
17	सरस्वती ग्राम शिक्षण समिति मण्डावरी, लालसोट	ब्रिज कोर्स हेतु	621569
18	आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	85165
19	भारतीय शिक्षा प्रसार समिति	ब्रिज कोर्स हेतु	37230

1	2	3	4
20	सेंट हाफिज दौसा	ब्रिज कोर्स हेतु	7775
21	मां शारदा पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति महवा	ब्रिज कोर्स हेतु	100966
		(7) धौलपुर	
1	प्रगति एवं प्रेरणा संस्थान धौलपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	
2	प्रयत्न संस्थान धौलपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	
3	मंगलम सेवा समिति बसेडी	शिक्षा मित्र केन्द्र	
4	राजीव गांधी फाउन्डेशन सोसायटी धौलपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	
5	भारतज्ञान विज्ञान समिति, धौलपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	
6	जगृति समिति, धौलपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	
7	विवेकानन्द आदर्श समिति नोनेरा	शिक्षा मित्र केन्द्र	
	कुल राशि		369388
		(8) जयपुर	
1	सोसियल वेलफेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर	ब्रिज कोर्स	76700
2	वैंथली इण्डियन डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर	ब्रिज कोर्स	76300
3	पिंकसिटी रिक्शा चालक यूनियन, जयपुर	ब्रिज कोर्स	42300
4	संजीवनी जन कल्याण संस्थान, जयपुर	ब्रिज कोर्स	39400
5	विवेकानन्द शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव कल्याण संस्थान, जयपुर	ब्रिज कोर्स	39900
6	जय दुर्गा मां शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, जयपुर	ब्रिज कोर्स	76300
7	परिष्कृत संस्थान, सी–स्कीम, जयपुर	ब्रिज कोर्स	116500
8	शिल्पायन प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	ब्रिज कोर्स	36800
9	लोकनाद, जयपुर	ब्रिज कोर्स	73600
10	विकास विद्या मंदिर, शिक्षा समिति, जयपुर	ब्रिज कोर्स	36800
11	आनन्द ज्ञान शिक्षण संस्थान, जयपुर	ब्रिज कोर्स	18400
12	विशाल विद्यापीठ संस्था, जयपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	623111
13	इन्द्रप्रस्थ प्रौद्योगिक शिक्षा समिति झोटवाडा	शिक्षा मित्र केन्द्र	33000
		(9) करौली	
1	दलित विकास एवं सेवासमिति खेडी	शिक्षा मित्र केन्द्र	

1	2	3	4
2	सतत विकास संस्था करौली	शिक्षा मित्र केन्द्र	
3	पिछड़ा वर्ग विकास समिति खटकड	शिक्षा मित्र केन्द्र	
4	एकट बोधग्राम करौली	शिक्षा मित्र केन्द्र	
5	श्रीजी संस्थान करोली	शिक्षा मित्र केन्द्र	
	कुल		1072000
		(10) सवाई माधोपुर	
1	महिला उत्थान समिति खेरदा	शिक्षा मित्र केन्द्र	अनियमित संचालन तथा मापदण्डानुसार संचालित नहीं करने तथा सत्यापन व प्रमाणिकरण के अभाव में भुगतान नहीं किया गया।
2	विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान जटवाड़ा मानटाउन स.मा.	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
3	जार्ज किंग एजुकेशन सोसायटी	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
4	सरस्वती विद्यालय शिक्षा समिति, बह. खुर्द	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
5	देवनारायण जन कल्याण विकास संस्थान श्यामोली बौंली	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
6	उत्कर्ष बाल विकास परियोजना	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
7	मातृ शक्ति संस्थान पंचवटी कॉलोनी आलनपुर, स.मा.	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
8	राज. पब्लिक समिति जटवाडा खुर्द सवाई माधोपुर	आवासीय ब्रिज कोर्स/शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
9	अल इमरान एजूकेशन सोसायटी	आवासीय ब्रिज कोर्स	उपरोक्तानुसार
10	प्रयास शिक्षण संस्थान	गैर आवासीय ब्रिज कोर्स/शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
11	महिला सेवा सदन	गैर आवासीय ब्रिज कोर्स	उपरोक्तानुसार
12	ज्योति शिक्षा समिति	गैर आवासीय ब्रिज कोर्स/शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
13	इण्यिन पब्लिक समिति आलनपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
14	ज्योति शिक्षा समिति सवाईमाधोपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
15	राज. क्रियेटिव सोसायटी सवाई माधोपुर	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
16	ग्राम सेवा सदन मलारना चौड	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
17	ग्रामीण विकास संस्थान	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
18	ज्योति शिक्षण संस्थान	शिक्षा मित्र केन्द्र	उपरोक्तानुसार
19	गायत्री बाल निकेतन	शिक्षा मित्र केन्द्र	391333
	महायोग		193.416 लाख रुपए

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन में एन.जी.ओ. की भागीदारी

क्र.सं.	जिले का नाम	एन.जी.ओ. का नाम	कुल भुगतान
1	2	3	4
1	भीलवाड़ा	शून्य	शून्य
2	कोटा	शून्य	शून्य
3	सिरोही	शून्य	शून्य
4	श्री गंगानगर	शून्य	शून्य
5	झुनझुनू	शून्य	शून्य
6	नागौर	शून्य	शून्य
7	झालावाड़	शून्य	शून्य
8	अलवर	शून्य	शून्य
9	टोंक	शून्य	शून्य
10	सीकर	शून्य	शून्य
11	हनुमानगढ़	सौर चेतना और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी साइंस, हनुमानगढ़ जंक्शन	213587
		सौर चेतना और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी साइंस, हनुमानगढ़ जंक्शन	206450
		एकलव्य सेवा आश्रम, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन	104300
		बी.डी. एजुलस समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन	90760
		त्रिलोक पब्लिक स्कूल समिति, हनुमानगढ़	29830
12	दौसा	प्रताप आदर्श विद्या मन्दिर	28000
		नवदिशा संस्थान, अलवर	27800
13	बूंदी	आदर्श ज्ञानोदय विकास समिति, टोंक	556461
		सरोजिनी नायडू महिला विकास और कल्याण संस्थान, उदयपुर	139690
		जगदीश सेवा संस्थान, टोंक	155298
		आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति, बरूनथान	173494
		मॉडर्न स्कूल, गुरूनानक कॉलोनी, बूंदी	169980
		सूर्योदय विद्या मन्दिर समिति, बूंदी	495607
		इंडियन पब्लिक एजुकेशन सोसायटी, के. पत्तन	15880
14	करौली	एकत बोथग्राम बंसी का बाग, करौली	290333
		देव वाणी बाल विद्यालय संचालन समिति, हिंडन, करौली	396640
		इन्दिरा गांधी शिक्षण संस्थान, गणेश गेट, करौली	410771
		हंस शिक्षा समिति, हरिया का मंदिर, सपोटरा	181983

1	2	3	4
15	भरतपुर	सारथी मानव विकास संस्थान, भरतपुर	38308
16	चुरू	स्वरद्वीप संस्थान, जयपुर	224683
17	धौलपुर	बाबा नारायण दास सेवा समिति, शाहपुरा, जयपुर	54000
18	सवाई माधोपुर	विनय विकलांग शिक्षण संस्थान, सवाई माधोपुर	391334
		प्रयास संस्थान, सवाई माधोपुर	271996
		प्रयास संस्थान, सवाई माधोपुर	133758
19	जयपुर	शून्य	0
		कुल	4800943

विदेशों से निधियां

4453. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एन. एस. वी. चित्तन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष 2007–08 के दौरान शिक्षा के लिए विदेशों से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निधियों से कौन–कौन सी योजना लाभान्वित होंगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई तथा उपयोग नहीं की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियों तथा उनके उपयोग का स्कीम–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(रु. करोड़ में)

स्कीम का नाम	2005–06		2006–07		2007–08	
	आबंटित परिव्यय	उपयोग	आबंटित परिव्यय	उपयोग	आबंटित परिव्यय	उपयोग
सर्व शिक्षा अभियान	1403.75	1403.75	1521.00	1521.00	1567.00	उपलब्ध नहीं
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	600.00	566.85	200.00	100.00	80.00	उपलब्ध नहीं
महिला समाख्या	30.00	19.00	30.00	25.78	30.60	उपलब्ध नहीं
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	80.00	4.99	80.00	52.00	80.00	उपलब्ध नहीं
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम	1.25	1.24	–	–	–	–

1984 के दंगे

4454. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1984 के दंगे में अन्य दंगा प्रभावित राज्यों से पंजाब पलायन करने वाले दंगा पीड़ितों को तत्पश्चात् पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस राहत के लिए अर्ह पीड़ितों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने अभी तक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) ऐसे पीड़ितों को अभी तक पुनर्वास पैकेज की कितनी राशि का संवितरण किया गया है; और

(घ) उक्त पैकेज के अंतर्गत सभी परिवारों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) पंजाब सरकार ने 1984 दंगों के 11,878 उन पीड़ितों का पता लगाया है जो अन्य दंगा प्रभावित राज्यों से पंजाब में प्रवास कर गए और जो प्रति परिवार 2 लाख रुपए के पुनर्वास अनुदान की अदायगी के पात्र हैं। अभी तक 11,873 मामलों में 237.43 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। सभी पात्र दंगा पीड़ितों को पुनर्वास अनुदान का भुगतान कर दिए जाने की समय-सीमा दावों और अन्य निर्धारित औपचारिकताओं के आवश्यक सत्यापन के पूरा होने पर निर्भर करती है।

खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना

4455. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 में कितने खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त उद्योगों को प्रदान की गई मार्जिन राशि एवं अन्य सहायता राशि का अलग-अलग राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा ग्रामोद्योगों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सहित आबंटित लक्ष्यों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में प्रस्तुत है। जहां तक खादी के लिए लक्ष्यों के ब्यौरे का संबंध है, पश्चिमी बंगाल के संस्थानों सहित खादी संस्थानों के साथ बजट के संबंध में विचार-विमर्श की प्रक्रिया को के.वी.आई.सी. द्वारा पूरा नहीं किया गया है तथा इन लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) आर.ई.जी.पी. के तहत वर्ष 2007-08 में प्रदान की जाने वाली मार्जिन मनी सहायता के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, के.वी.आई.सी. ने बैकवार्ड-फारवार्ड लिंकेज की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है तथा आर.ई.जी.पी. के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले बजट आबंटन का औसतन 5 प्रतिशत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से आर.ई.जी.पी. के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए किए गए आबंटन का 5 प्रतिशत जोकि लगभग 22.25 करोड़ रु. बनता है, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत आबंटित लक्ष्यों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रु. में)
1	2	3	4
1	चंडीगढ़	9	10.53
2	दिल्ली	18	21.06
3	हरियाणा	1540	1759.74
4	हिमाचल प्रदेश	1109	1267.37
5	जम्मू और कश्मीर	922	1053.40
6	पंजाब	810	925.42
7	राजस्थान	3118	3561.71
5	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	52.67
9	बिहार	718	820.33
10	झारखंड	525	600.00
11	उड़ीसा	1084	1238.03
12	पश्चिम बंगाल	2641	3017.42
13	अरुणाचल प्रदेश	116	132.96
14	असम	2344	2678.38
15	मणिपुर	209	238.55
16	मेघालय	342	391.07

1	2	3	4
17	मिजोरम	438	500.00
18	नागालैंड	283	322.90
19	त्रिपुरा	246	281.57
20	सिक्किम	122	138.85
21	आंध्र प्रदेश	3867	4419.08
22	कर्नाटक	2264	2587.00
23	केरल	1926	2200.00
24	लक्षद्वीप	2	2.00
25	पांडिचेरी	72	82.48
26	तमिलनाडु	1446	1622.01
27	गोवा	342	391.07
28	गुजरात	906	1034.72
29	महाराष्ट्र	2148	2454.02
30	छत्तीसगढ़	1239	1542.45
31	मध्य प्रदेश	1739	1891.51
32	उत्तराखंड	685	782.15
33	उत्तर प्रदेश	3724	4254.55
	जोड़	37000	42275

उद्योगों के विकास संबंधी पुनर्वास नीति

4456. श्री काशीराम राणा :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में औद्योगिकीकरण की गति में वृद्धि करने/तेजी लाने के लिए कोई नई पुनर्वास नीति है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मौजूदा 'परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनः स्थापन व पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति (एनपीआरआर–2003)' में संशोधन करके एक 'राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2006 (एनआरपी–2006)' तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं – लोगों को कम से कम विस्थापित करना और जहां तक संभव हो सके गैर विस्थापन अथवा न्यूनतम विस्थापन विकल्पों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपयुक्त पुनर्वास पैकेजों का सुनिश्चय करना तथा विस्थापित लोगों की सक्रिय सहभागिता से पुनर्वास प्रक्रिया को तेजी से कार्यान्वित करना।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा पाठ्यक्रम संचालन

4457. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम) को प्रबंध तथा योजना पाठ्यक्रम चलाने तथा एमबीए/बीबीए डिग्रियां प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह संस्थान इस कार्य में कब से लगा है;

(घ) क्या एआईसीटीई तथा यूजीसी ने एमबीए/बीबीए डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करने के प्रति आपत्तियां की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन आपत्तियों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) भारतीय आयोजना एवं प्रबंध संस्थान, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित नहीं है। यह संस्थान कब से इस व्यवसाय में लगा हुआ है इस संबंध में परिषद को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। परिषद ने भारतीय आयोजना एवं प्रबंध संस्थान, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस संस्था का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.aicte.ernet.in पर उस सूची में प्रदर्शित किया है जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना तकनीकी पाठ्यक्रम चला रही संस्थाओं का ब्यौरा दिया गया है। बी.बी.ए. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) अधिनियम, 1987 की धारा 10(के) के अनुसार, परिषद नई तकनीकी संस्थाओं को खोलने तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करती है। समिति उन संस्थाओं के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाई करती है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद की पूर्व अनुमति के बिना तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं :–

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर छात्रों को सूचना देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित संस्थाओं की सूची के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं की सूची अपनी वेबसाइट www.aicte.ernet.in पर दी है। इस तरह की संस्थाओं, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं है, में प्रवेश न लेने के लिए समय–समय पर छात्रों को सावधान करते हुए सार्वजनिक सूचना भी जारी करती है।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कई संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं है। इन संस्थाओं से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

योजनाओं का मूल्यांकन

4458. श्री हरिकेवल प्रसाद :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा के लिए योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन आखिरी बार किस तिथि को किया गया था;

(ख) उक्त मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) परिणाम के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) हस्तशिल्प क्षेत्र में चार मुख्य स्कीमों का मध्यावधिक मूल्यांकन किया गया। इन स्कीमों में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई); विपणन एवं सहायता सेवा स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन विकास स्कीम और निर्यात संवर्धन स्कीम शामिल हैं। यह मूल्यांकन वर्ष 2003–04 में किए गए थे।

वर्ष 2005–06 में विपणन एवं सहायता सेवा स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम और निर्यात संवर्धन स्कीम तथा वर्ष 2006–07 में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के संबंध में एक अंतिम मूल्यांकन भी निर्धारित किया गया था। इन अंतिम मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्ट अभी प्रतिक्षित है।

हथकरघा उद्योग में, मई–जुलाई, 2006 और अक्तूबर–दिसम्बर, 2006 के मध्य मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इन्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एन आई एस आई ई टी), हैदराबाद द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया गया था।

(ख) और (ग) हस्तशिल्प क्षेत्र में चारों स्कीमों के मध्यावधिक मूल्यांकन का परिणाम सिफारिशों के रूप में सामने आया है। इन सिफारिशों के आधार पर, स्कीमों में कुछ अर्हक विशिष्टताएं शामिल की गई हैं जैसे डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम क्रियान्वित करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में विपणन से जुड़े होना; मार्गदर्शी एवं मॉनिटरिंग एजेंसियों को संलग्न करना आदि।

हथकरघा क्षेत्र के अध्ययन में कहा गया है कि सभी स्कीमें हथकरघा बुनकरों के लिए हितकारी हैं और सहायता की प्रमात्रा और राज्य के योगदान को कम करने आदि से संबंधित संशोधनों को शामिल करते हुए इन स्कीमों को जारी रखा जाना चाहिए।

एन आई एस आई ई टी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और हथकरघा क्षेत्र में लाभ को समन्वित और ठोस तरीके से पहुंचाने के लिए पिछले वर्षों के दौरान क्रियान्वित स्कीमों के अनिवार्य घटकों को पांच स्कीमों अर्थात एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम; विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम; मिल गेट प्राइस स्कीम; हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम और विविधिकृत हथकरघा विकास स्कीम में शामिल कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तम्बाकू क्षेत्र में एफ.डी.आई.

4459. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में तम्बाकू प्रसंस्करण तथा सिगरेट विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में तम्बाकू उत्पादक राज्यों/किसानों से विचार–विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत सिगरेट और सिगार के विनिर्माण हेतु लाइसेंस आवश्यक है। वर्तमान नीति के तहत, तंबाकू क्षेत्र में तंबाकू की सिगार और सिगरेटों के विनिर्माण के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाती है। नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ग) और (घ) नीति बनाते समय सभी संबद्ध पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

निशक्त व्यक्तियों को शिक्षा

4460. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में निशक्त व्यक्तियों को शिक्षित बनाने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में अधिक समय लिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में न्यून से साधारण प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि सामान्य विद्यालय पद्धति में उनको शामिल करने तथा बनाए रखने को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस योजना के तहत सामान्य विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा हेतु विभिन्न घटकों के तहत 100% सहायता दी जा रही है। इन घटकों में शैक्षिक सहायता, सहायक उपस्कर, विशेष शिक्षकों हेतु वेतन तथा विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान जो कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु एक प्रायोगिक योजना है, के तहत यह बात सुनिश्चित की जाती है कि 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष जरूरतों वाले प्रत्येक बच्चे को उनकी विकलांगता के प्रकार, श्रेणी तथा इसकी गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सार्थक एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। समावेशी शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए उपायों में अभिनिर्धारण, कार्यात्मक तथा औपचारिक मूल्यांकन, समुचित शैक्षणिक नियोजन, अलग–अलग शैक्षिक योजना तैयार करना, सहायक साधन तथा उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, वास्तु संबंधी अड़चनों को दूर करना, शोध, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नियमित विद्यालयों में 4712 सेतु पाठ्यक्रम और 5904 गृह आधारित सहायता के जरिए 1.27 लाख विशेष जरूरतों वाले बच्चों का नामांकन किया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि कभी–कभी अपूर्ण प्रस्तावों वाले मामलों में राज्य सरकारों से अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनके कारण इन पर कार्रवाई करने में विलम्ब हो जाता है।

कपास का उत्पादन

4461. श्री रावसाहेब दानवे पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में कपास की राज्य–वार तथा संघ राज्य–क्षेत्रवार कुल कितनी मांग एवं आपूर्ति रही; और

(ख) देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कपास की कुल मांग और आपूर्ति इस प्रकार है :–

(170 कि.ग्रा. की प्रत्येक लाख गांठों में)

मद	कपास वर्ष 2004–05	कपास वर्ष 2005–06	कपास वर्ष 2006–07
आपूर्ति			
प्रारंभिक भंडार	21.00	72.00	56.00
उत्पादन	243.00	244.00	270.00
आयात	12.17	4.00	6.00
कुल उपलब्धता	276.17	320.00	332.00
मांग			
घरेलू खपत	195.03	217.00	240.00
निर्यात	9.14	47.00	48.00
कुल	204.17	264.00	288.00
अंतिम भंडार	72.00	56.00	44.00

स्रोत : कपास परामर्शी बोर्ड (सीएबी)

खपत के लिए राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कपास के राज्यवार खेती क्षेत्र, उत्पादन और उपज के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) भारत सरकार ने स्वदेशी कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार और खेती लागत कम करने के उद्देश्य से फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था।

विवरण

भारत में कपास उत्पादन और उपज का राज्य–वार क्षेत्र

(क्षेत्र : हैक्टेयर में, उत्पाद : 170 कि.ग्रा. की गांठ में; उपज : कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	2004–05			2005–06			2006–07		
राज्य	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
पंजाब	5.09	16.50	551	5.57	20.00	610	5.88	26.00	752
हरियाणा	6.21	16.50	452	5.83	13.00	379	5.33	17.00	542
राजस्थान	4.38	10.00	388	4.71	11.00	397	3.50	8.00	389
गुजरात	19.06	73.00	651	19.06	89.00	794	23.90	93.00	662
महाराष्ट्र	28.40	52.00	311	28.75	36.00	213	31.24	52.00	283
मध्य प्रदेश	5.76	16.00	472	6.20	18.00	494	6.30	18.00	486
आंध्र प्रदेश	11.78	33.00	476	10.33	32.00	527	9.62	32.00	565
कर्नाटक	5.21	8.00	261	4.13	6.50	268	3.70	6.00	276
तमिलनाडु	1.29	5.00	659	1.40	5.50	668	1.33	5.00	639
अन्य	0.68	1.00	250	0.79	1.00	215	0.78	1.00	218
लूज लिंट	–	12.00	–	–	12.00	–	–	12.00	–
कुल	87.86	243.00	470	86.77	244.00	478	91.58	270.00	501

स्रोत : कपास परामर्शी बोर्ड (सीएबी)
*(सीएबी पूर्वानुमान दिनांक 9.3.2007)
*0.95 = 0.60 (उड़ीसा) + 0.35 (अन्य)

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

4462. श्री राम कृपाल यादव :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.) के कार्य–निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सीएसडब्ल्यूबी में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी;

(च) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समय पर धनराशि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया है;

(छ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना–वार इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या उक्त बोर्ड से प्राप्त अनुदान से आयोजित किए गए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया गया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) क्या कृतिक बल के गठन तथा इसमें गैर–सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों (परिवार परामर्श केन्द्र तथा शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम) की समीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वर्ष 2005–06 में 3 शिकायतें और वर्ष 2006–07 में 2 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 2007–08 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) शिकायतें प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(च) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राशि का सही और समय पर उपयोग किया।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जी, हां।

(झ) और (ञ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कार्यक्रमों के अनुवीक्षण के लिए कार्य बल का गठन किया है और इसमें निर्धारित कार्यविधि अपनायी गई है।

[अनुवाद]

बन्द उद्योगों के कामगार

4463. श्री सुखदेव पासवान : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न उद्योग बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन कामगारों का पुनर्वास करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन उद्योगों को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इन उद्योगों को पुनः शुरू करने तथा इन कामगारों का पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एककों की बन्द होने संबंधी सूचना एकत्रित करता है। श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वर्ष 2002 से 2006 (अनन्तिम) की अवधि के दौरान 773 एककों को बन्द कर दिया गया था। इन एककों के बन्द होने के कारण 43017 कामगार प्रभावित हुए थे। बन्द किए गए इन एककों तथा प्रभावित कामगारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (ङ) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अलावा, जो उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में सुविधा प्रदान करती है, रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूज्जीव हेतु किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूज्जीवन पर विचार करती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए और रूग्ण इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। जहां व्यवहार्य होता है बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत इकाइयों के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पूंजी की पुनःसंरचना, प्रवर्त्तकों द्वारा नई निधियों का समावेश, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, देय राशि के बारे में पुनःव्यवस्था करके वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, तथा सरकार द्वारा राहत व रियायतें और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

विवरण

बंद किए गए औद्योगिक एककों तथा प्रभावित कामगारों की राज्य–वार सूची

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002		2003		2004		2005		2006 (पी)	
		ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	आंध्र प्रदेश	4	984	2	78	1	45	1	92	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	2	101	1	750	0	0	1	14
6.	चंडीगढ़	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	1	17	3	40	0	0	0	0	0	0
11.	गोवा	1	48	2	20	1	36	2	120	1	100
12.	गुजरात	37	1585	39	3199	32	3128	7	280	2	410
13.	हरियाणा	4	207	2	92	4	46	2	21	3	118
14.	हिमाचल प्रदेश	6	203	0	0	1	11	0	0	1	10
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	3	141	1	25	0	0	3	54
16.	झारखंड	4	171	6	393	3	84	1	350	एन.ए.	एन.ए.
17.	कर्नाटक	10	530	6	183	9	349	8	329	5	379
18.	केरल	8	215	5	1547	8	600	3	215	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	3	213	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मणिपुर	0	0	1	392	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	4	111	3	200	2	139	0	0	0	0
27.	पांडिचेरी	4	75	6	99	0	0	0	0	2	11
28.	पंजाब	1	54	0	0	0	0	1	25	0	0
29.	राजस्थान	5	323	3	497	1	29	0	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
32.	त्रिपुरा	25	319	22	228	101	732	47	2346	127	3681
33.	उत्तर प्रदेश	93	4793	15	958	27	7066	14	1117	8	789
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77
35.	पश्चिम बंगाल	1	136	3	505	2	96	0	0	3	645
	कुल	213	10025	123	8673	194	13136	86	4895	157	6288

विदेशी कंपनियों द्वारा बिक्री केन्द्र स्थापित किया जाना

4464. श्री सुव्रत बोस :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री सज्जन कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के खुदरा बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को अपने स्वतंत्र बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अमेरिकन कंपनियों सहित देश–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमति कब दी गई थी तथा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद राज्य–वार किन–किन कंपनियों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) उनके द्वारा किन–किन ब्रांडों की बिक्री की जा रही है तथा इससे भारतीय उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा;

(ङ) क्या उक्त बिक्री केन्द्रों की स्थापना से देश में छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में सरकार के पूर्वानुमोदन से 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। फरवरी, 2006 से दिए गए अनुमोदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन कंपनियों द्वारा कार्यकलापों को आरंभ करने के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) उन उत्पादों का ब्यौरा जिन्हें बेचने का प्रस्ताव है, अनुबंध में दिया गया है। ये ब्रांडेड उत्पाद ब्रांड के जागरूक मध्यम वर्ग और ऐसे युवा लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे जो इनके लिए अधिक उत्सुक रहते हैं और जिनकी जीवनशैली के उत्पादों के लिए निरन्तर मांग रहती है।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल ही में इंडियन काउंसिल फार रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिलेशंस (आई सी आर आई ई आर) के माध्यम से असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन आरंभ किया है।

विवरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम	विदेशी निवेशक का नाम	गतिविधियां	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	मै. मोजा शूज	मै. टार्नो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 1/और अथवा इसकी सहायक कंपनियां, मोरीशस	"नाइक ब्रांड" के सभी प्रकार के फुटवियर, स्पोर्टस वीयर, बूटस स्लीपर, सैंडिल, खेलकूद के जूते और परिधान आदि का कंपनी द्वारा धारित खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से खुदरा व्यापार	31.05.2006
2.	मै. एल.बी. ट्रेडिंग इंडिया	मै. ल्युइस ल्यूटोन मैलेटियर, फ्रांस	डेरीरिफिल पेपर 2. पैन और पैन रिफिल 3. जूते 4. ट्रंक ट्रैवल बैग/पर्स 5. चमड़े की अन्य वस्तुएं 6. सनग्लासिस 7. घड़ियां 8. प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं 9. नकली आभूषण 10. टाइयां 11. कपड़ा (स्कार्फ और शाल) 12 छाते 13. सिले–सिलाए वस्त्र सहित एल वी एम उत्पादों का खुदरा व्यापार	29.8.06
3.	मै. लाड्रो कमर्शियल एस ए	मै. लाड्रो कमर्शियल एस ए, स्पेन	लाड्रो के उत्पादों के विपणन के लिए नेटवर्क बुटीक की स्थापना हेतु मै. लाड्रो और एस पी ए एजेंसीज द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करना	19.10.2006
4.	मै. फनफैशन इंडिया प्रा. लि.	मै. फैंडी इंटरनेशनल, एसए फ्रांस	जूतों, पहनने के परिधान ट्रंक ट्रैवल बैग, पर्स सनग्लासिस, घड़ियों, नकली आभूषणों, वस्त्र सहित फैंडी उत्पादों का खुदरा व्यापार	07.11.2006
5.	मै. डैमरो फर्नीचर प्रा. लि.	मै. डैमरो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.,	डैमरो के नाम से सिंगल ब्रांड के अधीन नौक डाउन फर्नीचर का खुदरा व्यापार	19.10.2006
6.	मै. रिनो ग्रेगियो अर्जेंटेरी एस पी ए.	मै. रिनो ग्रेगियो अर्जेंटेरी एस पी ए, इटली	"एटरिजंटेरी ग्रीगियो" के ब्रांड नाम के अंतर्गत सिल्वर की वस्तुओं का खुदरा व्यापार	19.10.2006

1	2	3	4	5
7.	मै. मित्सुई आटोमोटिव इंवैस्टमैंट बी वी	मै. मित्सुई आटोमोटिव इंवैस्टमैंट बी वी, नीदरलैंड	टोयआ मेक कारों का खुदरा व्यापार	06.11.2006
8.	मै. एलमैनेगिल्डो जैगना होल्डो जैगना होल्डी टाल्टा एस पी ए	मै. एलमैनेगिल्डो जैगना होल्डो जैगना होल्डी टाल्टा एस पी ए, इटली	(क) सिले–सिलाए वस्त्रों (ख) फुटवियर (ग) चमड़े का सामान (घ) इत्र (ङ) क्रिसमिस उपहार आदि के विपणन के लिए जैगना खुदरा स्टोरों की स्थापना करना	28.12.2006
9.	मै. इटार्मिट, बैल्जियम	मै. इटार्मिट, बैल्जियम	ईटीए एम उत्पादों का खुदरा व्यापार। महिलाओं के फैशन में (सिलेसिलाए, लिंगेरी और अन्य असैसरीज)	09.01.2007
10.	मै. ली. कूपर इंटरनेशनल लि.	मै. ली. कूपर इंटरनेशनल लि., इग्लैंड, यू के	फैशन श्रेणी (पुरूषों के लिए सिलेसिलाए) में ली कूपर उत्पादों का खुदरा व्यापार	05.03.2007
11.	मै. फैबइंडिया ओवरसीज प्रा. लि.	मै. फैबइंडिया इंक, यू एस ए मै. डब्ल्यु सी पी मारशियस होल्डिंग्स	हस्तशिल्प, कपड़ों, एसैसरील, होम फर्निशिंग आदि सहित फैब इंडिया उत्पादों का खुदरा व्यापार	05.03.2007
12.	मै. सोकोमैक एस ए	मै. सोकोमैक एस ए, फ्रांस	सिंगल सोकोमैक ब्रांड यू पी एस सिस्टम्स संबंधित असैसरीज का खुदरा व्यापार	26.03.2007
13.	मै. ग्रोटो एस पी ए	मै. ग्रोटो एस पी ए, इटली	फैशन श्रेणियों में गैस ब्रांड के सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत खुदरा व्यापार	4.5.2007
14.	मै. महतानी फैशन प्रा. लि.	मै. सिन रोंग प्रा. लि. सिंगापुर	फुटवियर में VI- जी ए के ब्रांड नाम के अंतर्गत खुदरा व्यापार	13.04.2007

लघु उद्योग सेवा संस्थानों का आधुनिकीकरण

4465. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं उपकरण लगाकर लघु उद्योग सेवा संस्थानों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संस्थान लघु उद्योगों को विश्व स्तरीय उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगा?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एसआईएसआई) तथा शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों (शाखा एसआईएसआई) की क्षमता बढ़ाने हेतु उनके आधुनिकीकरण के उद्देश्य से बहुत से उपस्करों और मशीनरी की खरीद को संस्वीकृति प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों में एसआईएसआई/शाखा एसआईएसआई को जारी संस्वीकृतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

विवरण

क्र.सं.	एसआईएसआई/शाखा एसआईएसआई का नाम	राशि (लाख रु. में)	मशीनरी/उपस्कर का नाम
1	2	3	4
		2004-2005	
1.	बंगलौर (कर्नाटक)	17.27	सीएनसी कंट्रोल सिस्टम और वर्टिकल मिलिंग मशीन
2.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	22.19	एसेसरीज के साथ हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर

1	2	3	4
3.	नई दिल्ली (दिल्ली)	11.05	ग्लास एंड सिरेमिक सेक्शन के लिए मशीनरी
4.	चेन्नई (तमिलनाडु)	49.88	सीएनसी टर्निंग सेंटर
5.	मुंबई (महाराष्ट्र)	14.14	सीएनसी वायर कट, कैड/कैम सॉफ्टवेयर का उन्नयन
6.	गुवाहाटी (असम)	29.39	20 टन टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर, कंप्यूटर
7.	त्रिशूर (केरल)	4.85	हाई स्पीड कलर कोपियर कम लेजर प्रिंटर
8.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	5.78	कैड/कैम सॉफ्टवेयर
9.	पटना (बिहार)	20.00	कंप्यूटर और उनकी एसेसरीज, कैड/कैम सॉफ्टवेयर
		2005-06	
1.	जम्मू (जम्मू व कश्मीर)	14.27	लेथ मशीन
2.	कटक (उड़ीसा)	31.02	मिलिंड व ड्रिलिंग मशीन/अटैचमेंट/मापन उपकरण
3.	पटना (बिहार)	8.66	कैड/कैम सॉफ्टवेयर
4.	हुबली (कर्नाटक)	33.17	सीएनसी मशीनिंग सेंटर/कैड/कैम सॉफ्टवेयर
5.	चेन्नई (तमिलनाडु)	17.25	सीएनसी मशीनिंग सेंटर
6.	गुवाहाटी (असम)	0.80	कंप्यूटर
7.	जयपुर (राजस्थान)	18.00	सीएनसी टर्निंग सेंटर
8.	बंगलौर (कर्नाटक)	11.43	कंप्यूटर और कैड/कैम के लिए सॉफ्टवेयर
9.	कोलकाता (प. बंगाल)	4.92	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर
		2006-07	
1.	चेन्नई (तमिलनाडु)	18.92	सीएनसी ईडीएम मशीन और टेस्टिंग इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन
2.	कटक (उड़ीसा)	19.10	मिलिंग एंड कॉलम ड्रिलिंग मशीन
3.	मुंबई (महाराष्ट्र)	44.41	सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर
4.	गुवाहाटी (असम)	7.64	10 टन टेंसाइल टेस्टिंग मशीन
5.	इंफाल (मणिपुर)	3.15	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर
6.	नई दिल्ली (दिल्ली)	6.83	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर
7.	जयपुर (राजस्थान)	7.50	मॉड्यूलर रूटर, इंटरफेस कार्ड, डीटीई मेल केबल, कैटेलिस्ट स्विच, स्मार्टनेट, ऑटो सेंस जैसे सॉफ्टवेयर

[हिन्दी]

मानव दुर्व्यापार

4466. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत से ट्रैवल एजेन्ट मानव दुर्व्यापार में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में मानव दुर्व्यापार में संलिप्त कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) मानव दुर्व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (आई टी पी ए) के उपबंधों के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों इत्यादि के संबंध में सूचना का संकलन करता है, तथापि, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के आंकड़ों को उनके पेशे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण, अपराध का पता लगाने, उन्हें दर्ज करने और उनकी जांच-पड़ताल करने तथा अपराधियों का अभियोजन करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

4467. श्री गणेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान में कितनी धनराशि की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है;

(ग) क्या धनराशि पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कागज मिलें

4468. श्री जुएल ओराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से नई कागज मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कागज मिलें कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाएं

4469. श्री सी.एच. विजयशंकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए, वित्त पोषित एवं चलाए जा रहे कुछ विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या में क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है क्योंकि यह सवैंधानिक प्रावधानों का उल्लघंन है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एवं स्वायत्त संगठनों अर्थात् केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा प्रबंधित तीन स्कूल प्रणालियां हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का प्रावधान है बशर्ते कि किसी कक्षा में 20 अथवा उससे अधिक छात्र क्षेत्रीय भाषा का चयन करें। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई

जाती है। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के विद्यालयों की स्थापना तिब्बती संस्कृति एवं धरोहर का संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भारत में तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। अतः तिब्बती को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।

वयस्क फिल्मों का प्रसारण

4470. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास टेलीविजन पर वयस्क फिल्मों के प्रसारण के लिए शीघ्र ही अलग से समय निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति द्वारा प्रस्तुत की गई–सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) इस मामले में संबंधित पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, वयस्क विषय–वस्तु का प्रसारण करने के लिए देर रात्रि का समय निर्धारित करने संबंधी अनुरोधों सहित टी वी चैनल पर कार्यक्रम/विज्ञापन के प्रसारण से संबंधित सभी मामले केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता तथा उनके तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने की बाबत गठित समिति को विचारार्थ भेज दिए गए हैं। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं क्योंकि इसकी बैठकें जारी हैं।

[हिन्दी]

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

4471. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री इंद्रराज सं. अहीर :
श्री खुलदीप बिश्नोई :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है जैसा कि 19 मार्च, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं;

(ग) ऐसे पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाकर इनकी भर्ती शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (छ) प्रो. पी. रामा राव समिति ने 'संकाय विकास' पर किए जा रहे कार्य के एक भाग के रूप में इंजीनियरी कालेजों में संकाय की कमी से संबंधित प्राक्कलन किया था। शिक्षक–छात्र अनुपात को 1:15 मानते हुए तथा लेक्चरर से सहायक प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर से प्रोफेसर तक के कैडर अनुपात को 1:2:6 मानते हुए इंजीनियरी में पीएचडी और मास्टर डिग्री धारी संकाय की प्राक्कलित कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को है। संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और संस्थान रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास करते हैं। केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले सभी संस्थान सशक्त शैक्षिक पृष्ठभूमि, और जहां आवश्यक हो, पर्याप्त औद्योगिक अनुभव वाले सक्षम संकायों की भर्ती के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। संस्थान कोटिपरक संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और अपने संस्थान में बनाए रखने के लिए समुचित कार्यनीतियां भी बनाते हैं। इनमें आवासीय भवन प्रदान करना, चिकित्सा सुविधाएं देना और अनुसंधान परियोजनाओं/परामर्शी प्रभारों की समुचित स्कीमें शामिल हैं।

देश में सुयोग्य तकनीकी संकायों की कमी को देखते हुए केन्द्रीय संस्थाओं में शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

विवरण

इंजीनियरी में पीएचडी एवं मास्टर डिग्री धारी संकायों की प्राक्कलित कमी

वर्ष	संस्वीकृत क्षमता	आवश्यक संकाय*	आवश्यक पीएचडी धारी*	वर्तमान संकायों में पीएचडी धारियों की संख्या	आवश्यक मास्टर डिग्री धारी**	वर्तमान संकायों में मास्टर डिग्री धारियों की संख्या	पीएचडी की कमी	मास्टर डिग्री धारियों की कमी
2007–2008	658,046	175,479	58,493	10,807	116,986	78,694	47,686	38,292
2008–2009	756,752	201,801	67,267	12,428	134,534	90,498	54,839	44,036
2009–2010	870,265	232,071	77,357	14,292	154,714	104,072	63,065	50,642
2010–2011	1,000,805	266,881	88,960	16,436	177,921	119,683	72,524	58,238

* (इसकी गणना संस्वीकृत क्षमता को 4 से गुणा करके और शिक्षक छात्र अनुपात को 1:15 मानकर की गई है)

** (कैडर अनुपात को 1:2:6 माना गया है और यह माना गया है कि सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर के स्तर पर पीएचडी की आवश्यकता होती है।)

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र तथा रेडियो स्टेशन

4472. श्री वी.के. दुग्मर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों तथा रेडियो स्टेशनों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्टेशनों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है जहां पर गत तीन वर्षों के दौरान उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कार्य किया गया है;

(ग) राज्य में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रमों की पहुंच नहीं है;

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) राज्य में क्रियान्वयन के अधीन नए प्रस्तावों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) गुजरात में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों और रेडियो स्टेशनों का स्थान–वार ब्यौरा विवरण–I में संलग्न है।

(ख) उन दूरदर्शन केन्द्रों और रेडियो स्टेशनों का स्थान–वार ब्यौरा, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य हुआ है, विवरण–II में संलग्न है।

(ग) और (घ) स्थलीय पद्धति में दूरदर्शन की कवरेज, गुजरात राज्य के लगभग 89 प्र.श. क्षेत्र में फैली हुई लगभग 97 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होने का अनुमान है। दिसंबर, 2004 में दूरदर्शन की फ्री–टु–एयर डायरेक्ट टु होम (डी टी एच) सेवा के शुभारंभ से देश के शेष भागों सहित कवर न किए गए सभी क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) में बहु चैनल टेलीविजन कवरेज उपलब्ध करा दी गई है। स्थलीय कवरेज का विस्तार करने के लिए अब नए ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की परिकल्पना नहीं है। तथापि, गुजरात को रेडियो सिगनलों द्वारा पूरी तरह से कवर किया जाता है।

(ङ) राज्य में निष्पादनाधीन नए और सतत् प्रस्तावों का अवस्थिति–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्रों और रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा

क. गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केन्द्र) और टी वी ट्रांसमीटर

I. दूरदर्शन केन्द्र (स्टुडियो केन्द्र)

1. अहमदाबाद
2. राजकोट

II टी वी ट्रांसमीटर

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रां)

1. अहमदाबाद
2. भुज
3. द्वारका

4. राधनपुर
5. राजकोट
6. सूरत
7. वडोदरा (अंतरिम)
8. अहमदाबाद (डीडी न्यूज)
9. राजकोट (डीडी न्यूज)
10. सूरत (डीडी न्यूज)
11. वडोदरा (डीडी न्यूज) (अंतरिम)

(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.)

1. अहवा
2. अम्बाजी
3. अमोद
4. अमरेली
5. बांटवा
6. भब्बार
7. भरूच
8. भावनगर
9. बोटाड
10. छोटा उदयपुर
11. डेडियापारा
12. दीसा
13. देवगढ़ बरिया
14. धानधुका
15. धारनुगध्रा
16. धारी
17. धरमपुर
18. धोराजी
19. दोहद
20. गोधरा
21. इदेर
22. जमजोधपुर
23. जामनगर
24. झगादिया
25. जूनागढ़
26. केवडिया कालोनी
27. खमबलिया
28. खमबत
29. लिम्बडी
30. लूनावडा
31. महुआ
32. मंगरोल (जूनागढ़)
33. मंगरोल (सूरत)
34. मेहसाना
35. मोडासा
36. मोर्वी
37. पालनपुर
38. पलीटाना
39. पोरबंदर
40. पुनंदो
41. रापड़
42. राजपीपला
43. राजुला
44. संजेली
45. शामलाजी
46. सुरेन्द्रनगर
47. सोनगए
48. थरड़
49. उमेरगांव
50. ऊना
51. वेरावल
52. वलरनाद
53. भावनगर (डीडी न्यूज)
54. गांधीनगर (डीडी न्यूज)
55. जामनगर (डीडी न्यूज)

(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रा.)

1. काकरापार
2. नेतरंग
3. संगवाड़ा

ख. गुजरात में आकाशवाणी के ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्टेशन	शक्ति	
		एफ एम	मी.वे
1.	अहमदाबाद	10 कि वा	200 कि वा
2.	अहवा		1 किवा
3.	भुज		20 कि वा
4.	गोधरा	6 कि वा	
5.	राजकोट	10 कि वा (वी बी)	300 कि वा
6.	सूरत	6 कि वा	
7.	वडोदरा	10 कि वा	
8.	हिम्मतनगर		1 कि वा

विवरण-II

उन दूरदर्शन केन्द्रों और रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य हुआ है।

क. दूरदर्शन

(क) स्टुडियो

1. अहमदाबाद में स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
2. राजकोट में स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण

(ख) उ.श.ट्रां.

1. राधनपुर (अ.श.ट्रां. के प्रतिस्थापन में)
2. राजकोट (डीडी न्यूज) (स्थायी ढांचा)
3. सूरत (स्थायी ढांचा)
4. सूरत (डीडी न्यूज) (स्थायी ढांचा)
5. वडोदरा (अंतरिम)
6. वडोदरा (डीडी न्यूज) (अंतरिम)

(ग) 500 वाट (1+1) पुराने अ.श.ट्रां. के स्वचालित प्रणाली के अ. श.ट्रां. से प्रतिस्थापन में

1. अम्बाजी
2. भरूच
3. छोटा उदयपुर
4. डेडियापारा
5. धोराजी
6. मंगरोल (एस)
7. पोरबंदर
8. सोनगढ़

ख. आकाशवाणी

क्र.सं.	अवस्थिति	परियोजना
1.	अहमदाबाद	केप्टिव भू केन्द्र का उन्नयन
2.	अहवा	सी.बैंड आर एन टी का अधिष्ठापन
3.	गोधरा	सी.बैंड आर एन टी का अधिष्ठापन
4.	सूरत	सी.बैंड आर एन टी का अधिष्ठापन
5.	अहमदाबाद	पट्टे पर लिए गए परिपथों के जरिए आकाशवाणी स्टेशनों के बीच कार्यक्रमों के लिए सहयोग और इनके वितरण हेतु आवश्यक उपस्कर का वितरण
6.	वडोदरा	पट्टे पर लिए गए परिपथों के जरिए आकाशवाणी स्टेशनों के बीच कार्यक्रमों के लिए सहयोग और इनके वितरण हेतु आवश्यक उपस्कर का वितरण
7.	अहमदाबाद	समाचार और कार्यक्रम संग्रहण हेतु पोर्टेबल एम एस एस टर्मिनल का वितरण
8.	भुज	10 कि वा मी वे ट्रांसमीटर का 20 कि वा मी वे ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापन
9.	हिम्मतनगर	स्टुडियो सहित 1 कि वा मी वे ट्रांसमीटर की स्थापना
10.	गोधरा	हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली की आपूर्ति
11.	सूरत	हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली की आपूर्ति

उपरोक्त के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, भुज, राजकोट, गोधरा, सूरत और अहवा में डिजिटल पोंटबल सोनीफेक्स रिकॉडर उपलब्ध करवाए गए हैं।

विवरण-III

गुजरात राज्य में निष्पादनाधीन नए और सतत् प्रस्तावों का अवस्थिति वार ब्यौरा

क. दूरदर्शन

1. उ.श.ट्रां. वडोदरा (डी डी 1 और डी डी न्यूज) – 1 कि वा से 10 कि वा में उन्नयन (स्थायी ढांचा)
2. मेहसाना, दोहद, जामनगर, केवडिया कालोनी, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, बेरावल, दीसा, अमरेली और आहवा में 100 वाट के पुराने अ. श.ट्रां का 500 वाट के स्वचालित पद्धति के अ.श.ट्रां द्वारा प्रतिस्थापना

ख. आकाशवाणी

1. जामनगर में नए 10 कि वा एफ एम स्टेशन की स्थापना

2. जूनागढ़ में नए 10 कि वा एफ एम स्टेशन की स्थापना

3. सूरत में 6 कि वा एफ एम स्टेशन का 10 कि वा एफ एम द्वारा प्रतिस्थापन

4. राजकोट में पुराने 1000 कि वा मी वे ट्रांसमीटरों का नए 1000 कि वा मी वे ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापन

5. आहवा, भुज, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद में हाड डिस्क आधारित प्रणाली की आपूर्ति

[अनुवाद]

साक्षरता दर

4473. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लिंग–वार, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार वर्तमान साक्षरता दर कितनी है;

(ख) क्या देश साक्षरता दर के संदर्भ में बहुत से विकासशील देशों से पिछड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है। पुरूष साक्षरता दर 75.26% तथा महिला साक्षरता दर 53.67% है। पुरूषों तथा महिलाओं की राज्यवार साक्षरता दरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) एज्युकेशन फॉर आल ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट, 2007 के अनुसार श्रीलंका तथा मालदीव जैसे कुछ विकासशील देशों की साक्षरता दर भारत से अधिक है जबकि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे अन्य देशों की साक्षरता दर भारत से काफी कम है।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन कार्यक्रम देश की साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए द्विआयामी नीति का निर्माण करते हैं, वर्ष 2010 तक गुणवत्तामूलक सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है वे हैं–निम्न महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में महिला साक्षरता में सुधार करना, जिन जिलों में निरक्षरों की संया अधिक है, उन में अवशिष्ट निरक्षरता हेतु परियोजनाएं आयोजित करना, नव–साक्षरों को जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नव–साक्षरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत अब तक 597 जिलों को शामिल किया है जिनमें सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के तहत 101 जिले, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के तहत 168 जिले तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत 328 जिले शामिल है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए 26 राज्य संसाधन केन्द्र गठित किए गए है। इसके अतिरिक्त नव–साक्षरों तथा समाज के अन्य सुविधा विहीन वर्गों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 197 जन शिक्षण संस्थान भी संस्वीकृत किए गए हैं। अवशिष्ट निरक्षरता के उन्मूलन के लिए विशेष साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए देश के उन 150 जिलों की पहचान की गई है, जिनमें साक्षरता दर बहुत कम है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	70.32	50.43	60.47
2	अरुणाचल प्रदेश	63.83	43.53	54.34
3	असम	71.28	54.61	63.25
4	बिहार	59.68	33.12	47.00
5	छत्तीसगढ़	77.38	51.85	64.66
6	गोवा	88.42	75.37	82.01
7	गुजरात	79.66	57.80	69.14
8	हरियाणा	78.49	55.73	67.91
9	हिमाचल प्रदेश	85.35	67.42	76.48
10	जम्मू और कश्मीर	66.60	43.00	55.52
11	झारखंड	67.30	38.87	53.56
12	कर्नाटक	76.10	56.87	66.64

1	2	3	4	5
13	केरल	94.24	87.72	90.86
14	मध्य प्रदेश	76.06	50.29	63.74
15	महाराष्ट्र	85.97	67.03	76.88
16	मणिपुर	80.33	60.53	70.53
17	मेघालय	65.43	59.61	62.56
18	मिजोरम	90.72	86.75	88.80
19	नागालैंड	71.16	61.46	66.59
20	उड़ीसा	75.35	50.51	63.08
21	पंजाब	75.23	63.36	69.65
22	राजस्थान	75.70	43.85	60.41
23	सिक्किम	76.04	60.40	68.81
24	तमिलनाडु	82.42	64.43	73.45
25	त्रिपुरा	81.02	64.91	73.19
26	उत्तरांचल	83.28	59.63	71.62
27	उत्तर प्रदेश	68.82	42.22	56.27
28	पश्चिम बंगाल	77.02	59.61	68.64
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.33	75.24	81.30
30	चंडीगढ़	86.14	76.47	81.94
31	दादरा और नगर हवेली	71.18	40.23	57.63
32	दमन और दीव	86.76	65.61	78.18
33	दिल्ली	87.33	74.71	81.67
34	लक्षद्वीप	92.53	80.47	86.66
35	पांडिचेरी	88.62	73.90	81.41
	संपूर्ण भारत	75.26	53.67	64.84

कॉयर उद्योग का विकास

4474. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने, विशेषकर कर्नाटक सरकार ने कॉयर उद्योग के विकास के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के उत्पादन का राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कॉयर उत्पादों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कॉयर तथा कॉयर उत्पादों का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया गया एवं उपलब्धियां क्या रहीं; और

(छ) कॉयर तथा कॉयर उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) कॅयर बोर्ड, एक सांविधिक संगठन जिसकी स्थापना कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत की जाती है, जोकि कोकोनट का उत्पादन करने वाले राज्यों में कॅयर उद्योग के विकास के लिए विभिन्न उद्योग मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजट आवंटन किया जाता है। इनमें से कुछ स्कीमों के संबंध में व्यय का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :–

कार्यक्रम	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4
मार्किट विकास सहायता (लाख रु. में)			
कर्नाटक	34.80	37.85	68.56
केरल	105.00	202.15	539.45
तमिलनाडु	37.00	36.03	57.88
उड़ीसा	1.62	1.47	3.76
स्पिनिंग रैट्स की अधिप्राप्ति हेतु सहायता (संख्या में)			
कर्नाटक	–	–	728
केरल	1019	2537	2495

1	2	3	4
तमिलनाडु	527	675	746
आंध्र प्रदेश	10	–	192
उड़ीसा	–	–	59
नई इकाइयों की स्थापना तथा मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता (लाख रु. में)			
कर्नाटक	9.69	22.46	101.07
केरल	0.86	1.05	3.98
तमिलनाडु	63.51	37.44	32.84
आंध्र प्रदेश	–	1.50	4.00
उड़ीसा	1.40	–	2.68
उत्पादन बढ़ाने लिंकड कॅयर कामगार कल्याण स्कीम के सहायता (लाख रु. में)			
कर्नाटक	–		27.00
केरल	–		48.05
तमिलनाडु	–		18.00
आंध्र प्रदेश	–		18.00
उड़ीसा	–		18.91

इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक बुनियादी संरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.) के तहत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को कॅयर क्लस्टर, चैन्नापतना तथा अन्य अन्य कॅयर क्लस्टर, हासन के संबंध में क्रमशः 23.27 करोड़ की तथा 49.65 करोड़ की दिसम्बर, 2004 में तथा जनवरी, 2005 में वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि ये आई.आई.यू.एस. मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे।

(ग) विगत तीन सालों के दौरान कॅयर फाइबर का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार उत्पादन निम्नोक्त है :

राज्य	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4
केरल	180000	180000	184000
तमिलनाडु	10200	112200	119000
कर्नाटक	36900	40900	43000
आंध्र प्रदेश	28900	32900	41500
उड़ीसा	1655	1700	1900
अन्य	15345	173000	20600
कुल	364000	385000	410000

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान फाइबर के संबंध में कॅयर उत्पादन के विकास में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) कॅयर उत्पादों के संबंध में राज्य–वार कोई लक्ष्य नियत नहीं है। फाइबर, समकक्ष के संबंध में कॅयर उत्पादों के उत्पादन के संबंध में समग्र लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नोक्त हैं :

वर्ष	लक्ष्य (मी.टन)	उपलब्धियां (मी.टन)
2003-04	410000	364000
2004-05	400000	385000
2005-06	415000	410000

(छ) कॅयर उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने, इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के संबंध में कॅयर क्षेत्र की सहायता करने की दृष्टि से कॅयर बोर्ड निम्नोक्त कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है :

(i) उत्पादन के विकास हेतु बुनियादी संरचना वित्तीय सहायता नई इकाइयों की स्थापना करने के लिए अधिकतम 1.5 लाख रु. के अध्यधीन मशीनरी की लागत के 25 प्रतिशत की दर से दी जाती है।

(ii) प्रचार उपायों, कोओपरेटिव तथा पब्लिक सेक्टर की इकाइयों को मार्किट विकास सहायता, ट्रेड फेयरों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने, कॅयर बोर्ड शोरूमों तथा बिक्री डिपो का अनुरक्षण करना ताकि वे मानक मूल्यों पर गुणवत्ता उत्पादों की आपूर्ति कर सके।

(iii) "महिला कॅयर योजना" के तहत स्पिनिंग में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण, इसके तहत रैट्स (कॅयर स्पिनिंग) की खरीद लागत के 75% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

(iv) उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ताकि उद्यमों का संवर्धन तथा गुणवत्ता जागरूकता बनायी जा सके।

(v) अनुसंधान और विकास प्रयासों को तीव्र करना ताकि कॅयर फाइबर के एक्स्ट्रेक्शन तथा प्रोसेसिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां

शुरू की जा सके तथा मशीनरी का विकास, उत्पाद विविधीकरण, नए उत्पादों इत्यादि को शुरू किया जा सके।

आदर्श विद्यालय

4475. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करने की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के प्रत्येक खण्ड में ऐसे आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है तथा इसके लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री को असम के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है जो इस क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए बैचमार्क के रूप में कार्य कर सके। केन्द्र सरकार इस समय गुणवत्तायुक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जो संबंधित क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। इस समय असम राज्य के 27 जिलों में से 24 जिलों में नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

4476. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा (आईईडीसी) के अंतर्गत गुजरात सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं। विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 हेतु गुजरात सरकार के जरिए राज्य घटक तथा 62 गैर सरकारी संगठनों से इस मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा चुकी है और राज्य घटक तथा 55 गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संस्वीकृति दी गई है। 7 गैर सरकारी संगठनों के शेष परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया है। वर्ष 2007-08 हेतु गुजरात सरकार से इस योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पाठ्यचर्या में पंजाबी भाषा को शामिल करना

4477. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर पंजाब में सीबीएसई से संबद्ध; सभी स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या में अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं के साथ पंजाबी भाषा को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा-IX से XII की पाठ्यचर्या में पंजाबी भाषा पहले से ही शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में विज्ञान से जुड़े कार्मिक

4478. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्र में विज्ञान से जुड़े कार्मिकों की कमी का सामना कर रहा है तथा आवश्यक कार्मिकों के पदों को भरने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विज्ञान से जुड़े आवश्यक कार्मिकों की भर्ती कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां। चल रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बनाए रखने और अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को नई गति प्रदान करने के लिए 117 अतिरिक्त पद सृजित करने के वास्ते अनुमोदन प्राप्त करने हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को (पत्रांक सीएसबी–37/2/XI/योजना/2006–07/टीएस, दिनांक 5 अप्रैल, 2007 के माध्यम से) एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त संशोधित प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और भारत सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र

4479. श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश में हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इन योजना के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार लाभान्वितों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार महाराष्ट्र राज्य सहित संपूर्ण देश में हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए 10वीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है :–

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. विपणन प्रोत्साहन योजना।
4. मिल गेट मूल्य योजना।
5. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।
6. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
7. डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
8. हथकरघा (उत्पादन वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985
9. एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना
10. महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
11. स्वास्थ्य बीमा योजना

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत अवमुक्त की गई सहायता की राशि और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दशाई गई है।

बुनकरों को समन्वित और सतत् ढंग से सहायता मुहैया कराने के लिए, महाराष्ट्र के बुनकरों सहित सभी हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित 5 योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है :–

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।
2. विपणन और निर्यात प्रोत्साहन योजना।
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।
4. मिल गेट मूल्य योजना।
5. विविधीकृत हथकरघा योजना।

(ग) और (घ) वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (259.85 लाख रुपये) तथा विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम (108.61 लाख रुपये) के अंतर्गत 368.46 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की गई।

विवरण

भिन्न-भिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अन्तर्गत 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अवमुक्त राशियों का ब्यौरा

राज्य का नाम	हथकरघा निर्यात योजना					दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना					विपणन प्रोत्साहन योजना					बुनकर बीमा योजना				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00		4.85	1238.85	1648.45	406.00	656.12	991.13	81.88	42.88	75.17	115.99	120.17	0.00	0.00	13.26	0.00	
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00			19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	7.26	1.75	2.00	3.69	0.00	0.00	0.00		
असम	0.00	33.75	15.00		17.25	837.97	445.71	0.00	11.12	202.07	112.55	101.41	107.29	176.35	271.10	0.00	0.00	0.95		
बिहार	6.25	0.00	0.00		6.26	0	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
छत्तीसगढ़	6.10	0.00	0.00		0.00	42.92	43.88	11.20	4.91	7.45	29.19	1.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
दिल्ली	0.00	0.00	0.00			150.00	100.00	100.00	0.00	0.00	3.70	12.00	15.00	13.00	7.89	0.00	0.00	0.17		
गोवा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
गुजरात	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	488.14	15.88	19.25	22.00	42.73	0.00	0.00	0.00	0.56		
हरियाणा	0.00	9.85	13.50	17.10	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	11.52	17.73	51.53	15.00	36.75	0.00	0.00	0.00		
हिमाचल प्रदेश	32.33	41.55	6.75	20.34	5.85	137.64	99.18	96.82	27.50	112.00	9.05	8.09	7.00	12.97	12.18	0.00	0.00	0.02		
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	31.89	21.58	20.42	25.38	0.00	53.42	18.29	42.99	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00		
झारखंड	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3.22	22.58	3.50	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00			158.61	126.96	104.76	1050.00	70.25	24.45	24.10	46.33	77.51	32.03	0.00	0.00	8.22		
केरल	20.25	11.25	6.73	33.25	0.00	1067.13	879.35	594.10	295.10	295.41	320.79	4.00	11.67	17.27	9.00	0.00	0.00	0.36		
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00			62.20	9.00	40.19	30.33	6.33	41.97	29.70	17.25	40.25	36.67	0.00	0.00	0.00		
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00			2.42	3.59	32.00	0.00	259.95	69.31	6.79	22.71	43.85	64.75	0.00	0.00	0.02		
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	491.32	112.79	426.35	249.09	23.23	0.00	5.00	4.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
मेघालय	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	3.91	3.97	4.91	2.00	0.00	0.00	0.00		
मिजोरम	0.00	0.00	0.00			2.48	3.47	7.76	0.00	11.97	14.82	28.72	19.99	11.99	1.00	0.00	0.00	0.30		
नागालैंड	5.90	5.50	0.00		0.00	117.91	518.33	499.21	9710.91	482.82	14.00	34.00	42.17	42.39	48.00	0.00	0.00	0.00		
उड़ीसा	0.00	6.44	20.25		0.00	22.34	20.66	123.36	190.19	18.00	43.91	80.52	31.95	66.56	0.00	0.00	0.00	2.15		
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
पंजाब	14.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	8.77	4.70	0.00	40.46	59.09	51.92	26.92	53.02	73.73	0.00	0.00	8.00	0.05		
सिक्किम	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
तमिलनाडु	0.00	0.00	5.83	17.25	0.00	2520.65	1591.41	3375.20	4226.95	1694.70	0.00	44.11	28.34	66.65	14.38	0.00	0.00	19.02		
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00			7.72	5.49	34.16	0.00	0.00	19.07	10.49	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00		
उत्तर प्रदेश	89.40	76.72	34.18	59.97	85.80	589.04	908.54	1283.83	1048.54	798.38	103.74	84.52	49.56	90.39	89.82	0.00	0.00	0.33	0.76	
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00			27.28	2.13	83.49	0.00	31.76	31.87	8.00	8.82	13.89	12.94	0.00	0.00	0.00		
पश्चिम बंगाल	31.83	21.30	14.52	11.30	34.83	37.98	77.91	861.37	382.14	363.99	11.96	28.28	56.28	46.95	13.32	0.00	0.00	0.00		
कुल	186.26	206.36	116.56	175.61	160.19	7873.50	5423.79	8134.26	9081.00	7447.98	760.00	643.91	754.95	938.39	996.36	0.00	0.00	45.00	0.76	
अन्य संगठन	119.54	235.32	256.44	279.00	289.45	562.67	310.00	260.00	253.98	82.78	167.18	146.70	153.02	205.44	622.20	0.00	150.00	150.00	0	
कुल जोड़	305.90	441.68	415.00	454.61	449.64	8468.17	8733.79	8394.28	8314.96	7530.76	827.28	790.81	908.97	1148.63	1518.56	0.00	150.00	195.00	0.76	

विवरण

भिन्न-भिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अवमुक्त की गई राशियों का ब्यौरा

	राज्य का नाम	कार्यशाला-सह-आवास योजना					स्वास्थ्य पैकेज योजना				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	आंध्र प्रदेश	0.00	92.91	253.69	57.33	5.24	0.00	0.00	0.00		
2	अरूणाचल प्रदेश	29.00	13.50	120.50	218.00	74.32	0.00	0.00	0.00	177.00	41.34
3	असम	117.95	181.67	137.67	172.45	19.92	63.55	0.00	208.52	49.20	105.98
4	बिहार	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.09	7.92	12.93	11.42	1.75	0.00	3.15	
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
7	गोवा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
8	गुजरात	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
9	हरियाणा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
10	हिमाचल प्रदेश	22.30	24.50	0.00	21.42		0.00	0.00	0.00		
11	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
12	झारखंड	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
13	कर्नाटक	250.00	289.28	236.45		764.45	50.00	0.00	36.42	13.06	14.00
14	केरल	34.69	98.95	52.93	42.14		0.00	19.64	17.16	2.62	9.71
15	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	3.78	10.38		0.00	0.00	0.00		
16	महाराष्ट्र	35.00	0.00	0.00			0.00	1.28	0.00		
17	मणिपुर	127.25	0.00	50.09	158.07	209.16	0.00	0.00	0.00	72.04	51.41
18	मेघालय	15.75	0.00	0.00	19.53		0.00	0.00	0.00	2.12	40.77
19	मिजोरम	36.00	0.00	0.00	12.75		0.00	0.00	0.00		
20	नागालैंड	24.45	484.51	371.75	247.60	247.60	0.89	73.93	0.00	79.11	259.10
21	उड़ीसा	0.00	0.00	24.05	29.44	53.48	0.00	0.00	0.00		
22	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
23	पंजाब	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
24	राजस्थान	0.00	51.71	51.71	26.61		5.00	0.35	0.00		
25	सिक्किम	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
26	तमिलनाडु	227.80	514.44	172.29	162.95	388.70	106.22	122.64	100.07	65.90	64.19
27	त्रिपुरा	0.00	20.00	20.00	31.60		0.00		0.00		0.76
28	उत्तर प्रदेश	109.91	0.00	0.00	218.20		0.00	0.00	0.00		
29	उत्तरांचल	20.30	0.00	0.00	7.95	20.30	0.00	0.00	0.00		
30	पश्चिम बंगाल	0.00	28.51	0.00			0.00	1.71	7.09		
	कुल	1050.00	1797.10	1500.00	1444.24	1795.24	237.08	221.25	369.26	464.22	587.22
	Other Organizations	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उपयोग	1050.00	1797.10	1500.00	1444.24	1795.00	237.08	221.25	369.26	464.22	587.22

विवरण

भिन्न-भिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अवमुक्त की गई राशियों का ब्यौरा

(Rs. in lakh)

बुनकर कल्याण योजना													
थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम					समूह बीमा			नयी बीमा योजना					कुल जोड
2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003 04	2004-05	2005-06	2006-07	योजना 2006-07
0.00	0.00	100.00			2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1121.19
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119.35
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			616.22
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.26
0.00	0.00	0.00	4.04	4.78	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25.06
0.32	0.00	0.00	2.32	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.48	11.58
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
16.02	0.00	0.00	7.59	1.49	0.59	2.22	0.00	1.32	3.46	0.00			499.62
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36.75
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129.92
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98.23
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22.53
10.00	0.00	40.00		5.38	7.51	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00			986.11
26.10	3.08	17.93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330.50
2.48	0.00	0.00	2.00		0.00	0.48	0.00	0.77	0.00	0.00	0.56		43.00
0.11	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324.61
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292.80
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.66
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12.87
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1018.18
0.00	0.00	0.00	24.87	9.99	0.00	0.00	0.00	0.53	7.12	0.00			1655.22
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3.96	3.34	2.61	2.91	0.91	115.10
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00
210.00	318.79	278.41	370.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2533.53
0.00	0.00	0.00	0.53	0.68	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00			5.03
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			974.00
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.00
10.00	0.00	0.00			0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00			412.04
275.03	321.97	436.39	412.00	397.27	10.45	17.93	0.00	7.44	14.83	2.87	3.78	1.39	11385.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.43
275.03	321.87	436.39	412.00	397.27	10.45	17.93	0.00	7.44	14.83	2.87	3.78	1.39	12279.84

[अनुवाद]

भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार

4480. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत तथा यूरोपीय संघ (ई यू) के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मई, 2006 में यूरो 13.35 मिलियन व्यापार एवं निवेश विकास कार्यक्रम शुरू किया है तथा फरवरी 2007 में वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) यूरोपीय आयोग द्वारा 12.73 मिलियन यूरो के अंशदान से और भारत द्वारा वस्तु रूप में 0.62 मिलियन यूरो के अंशदान से इस समय भारत–यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश कार्यक्रम (टीआईडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 2002 में कोपेनहेग में आयोजित तीसरे भारत–ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी और इस कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण करार पर वर्ष 2003 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत–ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग) व्यापार एवं निवेश विकास कार्यक्रम (टीआईडीपी) का समग्र उद्देश्य ईयू के साथ व्यापार एवं निवेश में पर्याप्त वृद्धि करने की दृष्टि से एक समर्थकारी आर्थिक वातावरण तैयार करने और आर्थिक शासन में सुधार करने में भारत की मदद करना है। टीआईडीपी के 5 संघटक हैं जिनमें खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन, खाद्य विनियमों तथा मानकों एवं संबंधित कार्यकलापों के बारे में सूचना प्रणालियों में संवर्धन, निवेश सुविधा डैस्कों की स्थापना, ईयू–भारत व्यापार पोर्टल स्थापित करना, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं से संबंधित सहयोग और आईपीआर संबंधी सहयोग शामिल हैं। ये सभी संघटक कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए समझौता ज्ञापन

4481. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के जरिये ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम डब्ल्यू सी डी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार का राज्य–वार तथा संघ राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने महिला उद्यमियों के लाभार्थ आर्मी वाइव्स वेल्फेयर एसोसिएशन, नेहरू युवा संगठन एवं उद्योग परिसंघ के साथ तालमेल स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयास से रोजगार के सृजन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार उपलब्धियां क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक जनसंख्या वाले छोटे शहरों में महिलाओं समेत वैयक्तिक उद्यमियों/स्व सहायता समूहों की सहायता करते हुए रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कार्यान्वित सरकार के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत, सामान्य श्रेणी में पुरूष उद्यमियों के लिए 25 प्रतिशत की तुलना में महिला उद्यमी 30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सहायता की उच्च दर की पात्र हैं। केवीआईसी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के साथ संयोजन स्थापित किया है। विभिन्न बैकवर्ड–फारवर्ड लिंकेजों, जैसे, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, विपणन, जागरूकता शिविरों के आयोजन, आदि के लिए आरईजीपी के तहत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केवीआईसी ने आरईजीपी के तहत महिला उद्यमियों के लाभ के लिए एमडब्ल्यूसीडी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, केवीआईसी और एमडब्ल्यूसीडी ने आरईजीपी के माध्यम से तथा उनके उत्पादों के विपणन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन के लिए साथ काम करने हेतु सहमति दी है। 2006–07 (फरवरी 2007 तक) के दौरान महिलाओं के कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। केवीआईसी ने ग्रामीण उद्यमियों के लाभ के लिए उनके बीच आरईजीपी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और आरईजीपी के तहत बाजार अवसरों के सृजन के लिए आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, नेहरू युवा केन्द्र संगठन जैसे विभिन्न अन्य संगठनों के साथ भी तालमेल स्थापित किया है। जहां तक भारतीय उद्योग परिसंघ का सवाल है, केवीआईसी ने उनके साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया है।

2006–07 के दौरान स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों, उपयोग की गई मार्जिन मनी और सृजित अतिरिक्त रोजगार अवसरों के संदर्भ में आरईजीपी के तहत की गई प्रगति का राज्य/संघ क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

2006–07 (फरवरी 2007 तक) के दौरान आरईजीपी के तहत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या
1	2	3
1	चंडीगढ़	19
2	दिल्ली	11
3	हरियाणा	4497
4	हिमाचल प्रदेश	3975
5	जम्मू और कश्मीर	2103
6	पंजाब	6237

1	2	3
7	राजस्थान	9718
8	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	62
9	बिहार	1155
10	झारखंड	131
11	उड़ीसा	1992
12	पश्चिम बंगाल	3175
13	अरुणाचल प्रदेश	75
14	असम	3700
15	मणिपुर	8
16	मेघालय	85
17	मिजोरम	5129
18	नागालैंड	1516
19	आंध्र प्रदेश	12493
20	कर्नाटक	4436
21	केरल	5846
22	तमिलनाडु	4093
23	गोवा	446
24	गुजरात	2232
25	महाराष्ट्र	777
26	छत्तीसगढ़	1554
27	मध्य प्रदेश	2582
28	उत्तराखंड	1390
29	उत्तर प्रदेश	5908
	कुल	85345

विवरण-II

2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों, उपयोग की गई मार्जिन मनी और सृजित अतिरिक्त रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपए में)	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5
1	चंडीगढ़	10	11.34	172
2	दिल्ली	13	18.37	214
3	हरियाणा	869	1749.34	28673
4	हिमाचल प्रदेश	760	843.74	14063
5	जम्मू और कश्मीर	1630	1085.24	22205
6	पंजाब	591	1107.84	21650
7	राजस्थान	1437	2096.45	44529
8	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	127	22.15	223
9	बिहार	814	680.35	11212
10	झारखंड	128	187.87	4064
11	उड़ीसा	509	686.26	10974
12	पश्चिम बंगाल	1850	2043.93	37471
13	अरुणाचल प्रदेश	88	144.45	1507
14	असम	1088	1051.28	18918
15	मणिपुर	60	56.24	379
16	मेघालय	96	149.13	1029
17	मिजोरम	586	769.50	12590
18	नागालैंड	133	164.39	2772
19	त्रिपुरा	30	33.27	753
20	सिक्किम	46	75.72	718
21	आंध्र प्रदेश	2037	3573.60	53709
22	कर्नाटक	1689	2424.27	42420
23	केरल	900	1534.00	29270
24	लक्षद्वीप	0	0.00	0
25	पांडिचेरी	3	4.20	72
26	तमिलनाडु	1049	1510.57	25956
27	गोवा	104	95.25	717
28	गुजरात	443	774.47	14469
29	महाराष्ट्र	2296	1843.44	16790
30	छत्तीसगढ़	519	976.82	10378
31	मध्य प्रदेश	1002	1516.50	25495
32	उत्तराखण्ड	402	401.57	6706
33	उत्तर प्रदेश	1281	2434.09	41101
	कुल	22590	30065.64	501199

कपास की बिक्री

4482. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के किसान उन क्षेत्रों में कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश हैं, जहां भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास की खरीद नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने सीसीआई, कोलकाता

से राज्य में कपास की खरीद का विस्तार करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) इस टिप्पणी के संबंध में कि उड़ीसा के किसान उन क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कपास बेचने के लिए विवश हैं जहां सीसीआई कपास की खरीद नहीं करता है, कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। सीसीआई, कपास किसानों की सहायता करने और इसके अतिरिक्त मजबूरन बिक्री को रोकने के इरादे से बिना किसी मात्रात्मक सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) ग्रेड की संपूर्ण मात्रा खरीद रही है। सीसीआई एफएक्यू ग्रेड से तीन चरण नीचे के कपास की भी खरीद कर रहा है। उड़ीसा सरकार ने किसान समुदाय के हितों की रक्षा करने और निजी व्यापारियों के संदिग्ध क्रियाकलापों को रोकने के लिए सीसीआई की सक्रिय भागीदारी के लिए अनुरोध किया था। तदनुसार, सीसीआई ने रायगढ़, गुनुपुर, करलापाड़ा, उत्कल, कांतमंजी और जोगीमुंडा के 6 केन्द्रों में कपास की खरीद के लिए सभी अपेक्षित प्रबंध किए थे। सीसीआई का प्रतिनिधि भी खरीद केन्द्र के बाजार यार्ड में प्रतिदिन की गई नीलामी में उपस्थित रहा और उसने एफएक्यू ग्रेड कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ-साथ एफएक्यू ग्रेड से नीचे के लिए कटौतियों को भी परिचालित किया।

[हिन्दी]

निर्माण केन्द्रों का आधुनिकीकरण

4483. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार बड़े कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों (स्टूडियो) के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे स्टूडियो को आधुनिक बनाने तथा नए छोटे स्टूडियो खोलने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर स्कीमों को तैयार किया जाता है और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। 10वीं योजनावधि के दौरान सभी 17 प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों को पूर्णतया डिजिटलीकृत कर दिया गया है जबकि आकाशवाणी के 48 प्रमुख केन्द्रों को सर्वर और भंडारण प्रणालियों सहित हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। 10वीं योजनवाधि के दौरान दूरदर्शन के 30 लघुतर स्टूडियो को आंशिक रूप से डिजिटलीकृत कर दिया गया है और 10वीं योजना की सतत् स्कीमों के हिस्से के रूप में तिरूपति में एक नया लघु स्टूडियो कार्यान्वयनाधीन है। आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित लघु दूरदर्शन स्टूडियो और आकाशवाणी स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आकाशवाणी के नए स्टूडियो की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

क. दूरदर्शन के स्टूडियों का पूर्ण डिजिटलीकरण

1. दिल्ली
2. केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
3. हैदराबाद
4. बंगलौर
5. मुम्बई
6. चेन्नई
7. कोलकाता
8. पटना
6. जयपुर
10. गुवाहाटी
11. अहमदाबाद
12. जालंधर
13. श्रीनगर
14. त्रिवेन्द्रम
15. भुवनेश्वर
16. भोपाल
17. लखनऊ

ख. उन आकाशवाणी के प्रमुख स्टेशनों की सूची जहां हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
1	2	3	4	5
जालंधर	कटक	शिलांग	रीवा	विजयवाड़ा
इलाहाबाद	कुर्सियांग	गुवाहाटी	पणजी	मदुरई
जोधपुर	रांची	इम्फाल	भुज	पोर्ट ब्लेयर
रोहतक	पटना	कोहिमा	राजकोट	धारवाड़
बीकानेर	कोलकाता	आइजोल	औरंगाबाद	तिरूचिरापल्ली

1	2	3	4	5
एन सी एच, नई दिल्ली		डिब्रूगढ़	वडोदरा	कालीकट
श्रीनगर			वी बी एस मुम्बई	बंगलौर
जम्मू			अहमदाबाद	हैदराबाद
शिमला			पुणे	त्रिवेन्द्रम
गोरखपुर			इंदौर	चेन्नई
वाराणसी			नागपुर	
लखनऊ			भोपाल	
जयपुर			मुम्बई	
दिल्ली				
14 स्टेशन	5 स्टेशन	9 स्टेशन	13 स्टेशन	10 स्टेशन

योग - 48 स्टेशन

विवरण-II

आधुनिकीकृत लघु स्टूडियो की सूची

क. दूरदर्शन (30 स्टूडियो केन्द्र) का आंशिक डिजिटलीकरण

1. जम्मू
2. डाल्टनगंज
3. गंगटोक
4. पणजी
5. रायपुर
6. गुलबर्गा
7. पांडिचेरी
8. पोर्ट ब्लेयर
6. बरेली
10. मुजफ्फरपुर
11. रांची
12. शिलांग
13. तुरा
14. कोहिमा
15. ईटानगर
16. इम्फाल
17. सिलचर
18. डिब्रूगढ़
19. आइजोल
20. पुणे
21. विजयवाड़ा
22. अगरतला
23. सम्बलपुर
24. शिमला
25. मऊ
26. जलपाइगुड़ी
27. इलाहाबाद
28. राजकोट
29. इंदौर
30. गुवाहाटी (पीपीसी)

ख. उन आकाशवाणी स्टेशनों की सूची जहां पर लो एंड सिस्टम हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली उपलब्ध करायी जानी है।

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
1	2	3	4	5
हिसार	हाफ्लांग	पूर्णिया	रायगढ़	कुरनूल
हमीरपुर	नागांव	बरहमपुर	बेतूल	मरकापुरम
पुंछ	जोवई	बोलनगीर	बालाघाट	हास्पेट
पटियाला	मोकोकचुंग	राउरकेला	गुना	रायचूर
सवाई माधोपुर	बेलोनिया	पुरी	धुले	कारवाड़
झालावाड़	कैलाशहर	जोरंडा	अकोला	बीजापुर

1	2	3	4	5
फैजाबाद	लंगलेह	चाईबासा	यवतमाल	इडुक्की
बरेली	कोकराझार	हजारीबाग	सतारा	(देवीकुलम)
झांसी	गंगटोक	डाल्टनगंज	चन्द्रापुर	ओट्टाकामंड
धर्मशाला			नासिक	कराईकल
करगिल			ओस्मानाबाद	कावास्ती
चुरू			दमन	मरकारा
माउंट आबू			अहवा	तूतीकोरिन
पौड़ी			शहडोल	
ओबरा			कोल्हापुर	
जैसलमेर				
16 स्टेशन	9 स्टेशन	9 स्टेशन	15 स्टेशन	12 स्टेशन

योग - 61 स्टेशन

विवरण-III

आकाशवाणी के प्रस्तावित नए स्टूडियों की सूची

(i) प्रस्तावित मी वे स्टेशनों में नए स्टूडियो :

1. धर्मानगर
2. सोरो तकनीकी रूप से तैयार
3. डूंगरपुर (राजस्थान)

(ii) प्रस्तावित एक एम स्टेशनों में नए स्टूडियो :

1. लांगथेराई
2. मचरेला तकनीकी रूप से तैयार

(iii) नए एक एम ट्रांसमीटर के निम्नलिखित स्थल पर पूर्ण रूप से सुसज्जित स्टूडियो का प्रावधान :

1. देहरादून (उत्तरांचल)

(iv) नए एक एम ट्रांसमीटर के स्थल पर लघु स्टूडियो का प्रावधान :

1. अमरावती (महाराष्ट्र)
2. जूनागढ़ (गुजरात)
3. ओरस (महाराष्ट्र)
4. रायरंगपुर (उड़ीसा)
5. धनबाद (झारखंड)
6. दापोरिजो (अरूणाचल प्रदेश)
7. अनिनी (अरूणाचल प्रदेश)
8. बोमडिला (अरूणाचल प्रदेश)
9. चांगलांग (अरूणाचल प्रदेश)
10. खोंसा (अरूणाचल प्रदेश)
11. करीम गंज (असम)
12. लुमडिंग (असम)
13. गोलपाड़ा (असम)
14. उखरूल (मणिपुर)
15. तमेंगलांग (मणिपुर)
16. डावकी (मिजोरम)
17. चम्फई (मिजोरम)
18. कोलासिब/सरचिप (मिजोरम)
19. तुईपांग (मिजोरम)
20. वोखा (नागालैंड)
21. फेक (नागालैंड)
22. जुन्हेबोतो (नागालैंड)
23. उदयपुर (त्रिपुरा)
24. नूतन बाजार (त्रिपुरा)

[अनुवाद]

वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक

4484. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाशिंगटन स्थित आईपीआर एजेंसी द्वारा संकलित तथा हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सूचकांक में भारत और चीन 39वें स्थान पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मानती है कि संपदा अधिकारों और सकल घरेलू उत्पाद का आपस में संबंध है; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रतिमानों का ब्यौरा क्या है, जिन पर वह रैंकिंग आधारित होती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) प्रापर्टी राइट्स एलायंस, वाशिंगटन डीसी द्वारा प्रकाशित इंटरनैशनल प्रोपर्टी राइट्स इंडैक्स (आईपीआरआई), 2007 में जैंडर इक्वलिटी (जीई) के संबंध में आईपीआरआई में भारत और चीन दोनों 39 रैंक पर हैं। तथापि, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में भारत 70 में से 40वीं रैंक पर है, जबकि चीन 57वीं रैंक पर है।

(ख) रिपोर्ट संपदा अधिकारों और सकल घरेलू उत्पाद के बीच परस्पर संबंधों को दर्शाती है जबकि इस विषय में अवधारणाएं अलग-अलग हैं। सरकार का यह मत है कि विश्वसनीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था समग्र आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है।

(ग) जैंडर इक्विटी की श्रेणी अनेक कारकों पर आधारित दर्शायी गई है अर्थात् महिलाओं की भूमि तक पहुंच, भूमि को छोड़कर संपत्ति तक महिलाओं की पहुंच, बैंक ऋणों तक महिलाओं की पहुंच, संपत्ति उत्तराधिकार नियमों और महिलाओं के सामाजिक अधिकार।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना

4485. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) की स्थापना की कुल लागत कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सहायता आदि प्रदान करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस तरीके से अपने कार्यकरण में गांधीवादी जीवन पद्धति को सुनिश्चित करता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान के वी आई सी को अपने विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) के वी आई सी द्वारा किस सीमा तक रोजगार का सृजन किया गया तथा किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है कि वे रोजगार बरकरार रहे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योगों के विकास तथा संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के वी आई सी) की स्थापना पर हुए कुल व्यय और सहायता प्रदान करने पर खर्च की गई राशि आदि का ब्यौरा निम्नप्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	स्थापना व्यय (गैर योजना)	योजनागत स्कीम की सहायता के लिए खर्च की गई राशि
2004-05	68.74	505.35
2005-06	69.65	550.38
2006-07	70.23	591.61

*अस्थाई आंकड़े

(ख) के वी आई सी के अपने कार्यकरण में गांधीवादी जीवन शैली अपनाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासों के ढंग का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) के वी आई सी का कार्यकरण गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है जैसा कि उन्होंने अपनी अन्तिम इच्छा में व्यक्त किया था। के वी आई सी ने के वी आई कार्यक्रमों/योजनाओं में विभिन्न संयम संबंधी उपायों को अपनाया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामाजिक उत्थान के लिए गांधीवादी विचारधारा, चिंतन तथा जीवनशैली को पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया गया है ताकि उनके जीवन में नैतिकता तथा मूल्यपरक पद्धति को लाया जा सके।

(ii) के वी आई सी को सौंपे गए मूलभूत कार्य हैं – ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्राम उद्योगों की स्थापना तथा विकास में योजना तैयार करना, संवर्धन करना, सुगम बनाना, आयोजन करना तथा सहायता करना, जैसा कि गांधी जी द्वारा पुरजोर वकालत की गई है।

(iii) के वी आई सी ग्रामीण लोगों में सहकारिता की भावना को बढ़ाता है और के वी आई सी कार्यक्रम शुरू करने हेतु गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करता है।

(iv) के वी आई सी कार्यक्रम को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया जाता है ताकि आत्मनिर्भर गांवों की गांधी जी की कल्पना को साकार किया जा सके।

(v) के वी आई सी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अंतरण को रोकने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण लोगों को उनके कुटीर/गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

(vi) के वी आई सी कार्यक्रमों के तहत महिलाओं, विस्थापितों तथा अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

(vii) खादी कार्यक्रम को विशेष रूप से बिना बिजली के उपयोग के हस्त संचालित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जाता है जबकि अधिकांश ग्राम उद्योग कार्यक्रम अधिक उत्पाद की बजाए लोगों द्वारा उत्पादन के सिद्धांत पर लघु टूल्स तथा उपकरणों की सहायता से शुरू किए जाते हैं।

(viii) ग्राम उद्योगों के कुछ कार्यकलापों, जो गांधीवादी विचारधारा, लोकाचार आदि के विरूद्ध हैं, को के वी आई सी की सहायता के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी कार्यक्रम, ग्राम उद्योग कार्यक्रम, आर ई जी पी, उत्पाद विकास, संरचना कार्यक्रम तथा पैकेजिंग कार्यक्रम और ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र योजना के तहत के वी आई सी द्वारा प्राप्त उपलब्धियां निम्नप्रकार हैं:–

वर्ष	खादी संस्थानों की संख्या	खादी उत्पादन (करोड़ रुपए)	आर ई जी पी परियोजनाओं की संख्या	वी आई उत्पादन (करोड़ रुपए)	पी आर ओ डी आई पी परियोजनाओं की संख्या	आर आई एससी परियोजनाओं की संख्या
2004–05	1701	461.54	23,453	10,485.89	69	41
2005–06	1891	468.30	26,650	11,915.54	83	52
2006–07	1900*	474.80	22,300*	14,056.89	162	72

*अस्थाई आंकड़े

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी एवं आर ई जी पी/वी आई कार्यक्रम के तहत प्रदत्त रोजगार का ब्यौरा निम्नप्रकार है:–

(लाख व्यक्ति)

वर्ष	खादी	आर ई जी पी/वी आई	कुल के वी आई
2004–05	8.64	68.14	76.78
2005–06	8.68	74.09	82.77
2006–07	8.73	79.10	87.83

*अस्थाई आंकड़े

खादी के तहत रोजगार को स्थाई बनाने के उद्देश्य से एक कार्यकरण निधि पद्धति प्रचालित है जिसके अंतर्गत खादी कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यकरण निधि के रूप में कार्यकरण पूंजी को बनाए रखने की अनुमति प्राप्त है, इस प्रकार खादी कार्यक्रम से सम्बद्ध कार्मिकों को निरंतर, स्थाई रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। के वी आई सी उत्पादन/बिक्री उद्देश्यों के लिए सस्ती दर पर बैंकों से निधियां प्राप्त करने हेतु संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है ताकि बिना रूकावट के उत्पादन तथा रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। अगस्त, 2003 से जनश्री बीमा योजना स्कीम शुरू की गई है जिसके द्वारा खादी श्रमिकों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उपाय से खादी कार्यक्रम के तहत संबद्ध श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा नेट में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। मार्जिन मनी के साथ–साथ ग्राम उद्योगों/आर ई जी पी के तहत के वी आई सी आर ई जी पी इकाइयों तथा उनके रोजगार को स्थाई बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े–अगड़े संपर्कों के लिए निधियां प्रदान करता है।

ब्रिटेन में दूरदर्शन के चैनल

4486. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/दूरदर्शन ने ब्रिटेन में दो हिन्दी चैनल शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रिटेन में दूरदर्शन के चैनल देखने वाले कुल कितने दर्शक हैं तथा उनका प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या हिन्दी समाचार प्रसारण में सारांश (कंटेंट) अंग्रेजी में भी दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पांच वर्षों की अवधि के लिए ब्रिटेन में डी डी–इंडिया और डीडी–न्यूज चैनलों के वितरण हेतु प्रसार भारतीय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् मैसर्स रायत ग्रुप लिमिटेड के मैसर्स रायत टेलीविजन इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दिनांक 16.4.2007 को ब्रिटेन में डीडी–इंडिया चैनल और डीडी–न्यूज चैनल शुरू किए गए हैं।

(ग) ऐसा कोई अध्ययन सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। डीडी–इंडिया प्रतिदिन सात हिन्दी और छह अंग्रेजी समाचार बुलेटिन जबकि डीडी–न्यूज प्रतिदिन उन्नीस अंग्रजी और चौबीस हिन्दी समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है।

केन्द्रीय मदरसा बोर्ड

4487. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की है, जैसा कि दिनांक 22 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनसीएमईआई की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना करने का सुझाव दिया है।

(ग) इस रिपोर्ट पर सभी संबद्ध पक्षों से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

ग्रामोद्योगों हेतु जोन

4488. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने जोन बनाए गए हैं;

(ख) क्या इनमें राजस्थान को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी व ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप धारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित देश के छह भौगोलिक जोनों को खादी व ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, हां। राजस्थान को उत्तरी जोन में शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

तिलहन का उत्पादन

4489. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातित तेल के पाटन से भारतीय बाजार को सहायता देने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तिलहन उत्पादन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य तेल क्षेत्र को कोई अतिरिक्त सहायता देने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) आयातों का विनियमन वचनबद्ध दरों के भीतर सीमा शुल्क टैरिफ में समायोजनों के जरिए किया जाता है। कृषि उपज पर सीमाशुल्क की दरें सामान्यतः सीमाशुल्क की उच्चतम दर से अधिक होती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा भी अपरिष्कृत पाम तेल, आर बी डी पाम तेल, अपरिष्कृत पामोलिन, अपरिष्कृत सोयाबीन तेल आदि जैसे विभिन्न खाद्य तेलों के लिए न्यूनतम टैरिफ दरें निर्धारित की जाती हैं। कीमतें विनिर्दिष्ट स्तरों से कम हो जाने की स्थिति में सरकार किसानों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खरीद संकार्य शुरू करती है। आयातों का विनियमन खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के उपबंधों, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, पैकेजिंग अपेक्षाओं, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एस पी एस) उपायों आदि के जरिए भी किया जाता है। सरकार द्वारा आयातों में किसी वृद्धि की रोकथाम हेतु प्रमुख खाद्य मदों सहित 300 संवेदनशील मदों के आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैं:–

(लाख टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2004–05	262.00	243.53
2005–06	278.00	279.77
2006–07	294.00	232.64

(तीसरी अग्रिम अनुमान)

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी ए सी)

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डालना

4490. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) को काली सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन गैर–सरकारी संगठनों को किसी अन्य प्रकार से भी दंडित किया गया है; और

(घ) किन उपबंधों के अंतर्गत उक्त संगठनों को दंडित किया गया तथा दंड की प्रकृति किस प्रकार की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों द्वारा किए गए अपराध

4491. श्री अधीर चौधरी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों द्वारा अलग–अलग राज्यवार तथा अपराधवार कितने अपराध किए गए;

(ख) इन दोषियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित वर्ष 2003 से 2005 तक गिरफ्तार की गईं दोषी महिलाओं और किशोरों के मामलों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार और अपराध–शीर्ष–वार संख्या संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ख) हालांकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य का विषय है और अपराध की रोकथाम और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है, फिर भी केन्द्र सरकार ने, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, अपराधों की रोकथाम और उसके नियंत्रण पर विशेष जोर देते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए समय–समय पर सलाह जारी की है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

		हत्या			हत्या का प्रयास			हत्या की कमेटी में न आने वाला आपराधिक मानववध		
क्र.सं.	राज्य	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	505	414	458	165	185	121	19	29	6
2	अरूणाचल प्रदेश	4	7	6	1	0	1	0	0	0
3	असम	99	92	228	3	6	39	0	0	0
4	बिहार	91	108	87	150	100	112	3	5	7
5	छत्तीसगढ़	87	95	98	45	36	29	3	1	1
6	गोवा	5	4	4	2	3	3	2	0	0
7	गुजरात	146	170	172	104	119	69	4	1	3
8	हरियाणा	90	80	79	79	37	25	6	5	6
9	हिमाचल प्रदेश	30	16	19	23	8	49	0	1	3
10	जम्मू और कश्मीर	26	16	23	121	71	76	3	0	3
11	झारखंड	85	85	94	32	32	54	2	2	1
12	कर्नाटक	237	206	217	254	136	149	2	2	0
13	केरल	52	40	38	28	31	5	8	8	2
14	मध्य प्रदेश	236	301	252	248	287	241	9	14	7
15	महाराष्ट्र	659	613	576	304	307	298	17	16	21
16	मणिपुर	16	3	1	3	0	1	0	0	0
17	मेघालय	7	10	4	1	0	0	1	0	0
18	मिजोरम	4	0	2	7	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	8	0	4	1	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	155	211	137	157	148	45	13	0	0
21	पंजाब	132	143	116	104	104	102	15	10	10
22	राजस्थान	153	184	158	204	171	233	2	3	4
23	सिक्किम	0	5	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	264	256	245	332	289	325	0	4	11
25	त्रिपुरा	5	9	9	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	215	232	217	50	105	56	28	32	32

विवरण-I

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

रेप			अपहरण एवं व्यपहरण			डकैती			डकैती के लिए तैयारी करना एवं इकट्ठे होना		
2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	32	33	185	148	135	7	6	10	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	85	196	158	0	8	3	0	0	1
0	1	0	83	87	83	5	7	0	0	0	1
15	23	19	18	12	9	0	6	1	0	8	0
0	3	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0
23	17	28	97	111	129	14	17	36	0	0	0
29	20	33	30	38	25	2	1	5	1	0	0
4	7	9	12	15	11	0	0	0	0	0	0
0	11	6	18	11	21	0	0	0	0	0	0
1	1	4	30	30	5	0	0	25	0	0	0
20	4	2	33	48	60	11	2	4	3	0	0
9	19	7	14	16	7	4	1	1	0	0	0
101	108	119	51	47	52	1	4	1	0	0	0
132	111	134	131	133	205	27	86	89	10	2	5
0	1	0	13	8	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0
12	0	0	17	42	10	2	0	1	0	0	0
58	63	54	85	72	82	2	0	0	0	0	2
16	25	33	71	74	52	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	15	7	81	94	141	3	5	11	0	0	0
0	10	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0
7	15	2	169	224	194	2	0	12	0	0	0

विवरण-I

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	हत्या			हत्या का प्रयास			हत्या की कमेटी में न आने वाला आपराधिक मानववध		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	उत्तरांचल	27	24	22	14	14	12	2	0	5
28	पश्चिम बंगाल	121	105	231	19	24	30	21	19	20
	कुल राज्य	3459	3429	3497	2451	2213	2074	160	152	142
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	4	1	1	0	1	0	1	1
30	चंडीगढ़	5	2	3	0	0	0	0	2	1
31	दादर और नागर हवेली	1	0	1	0	1	0	0	0	0
32	दमन और द्वीप	2	1	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	31	36	40	17	21	15	2	4	7
34	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	3	1	0	1	1	0	0	0
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	42	46	46	18	23	17	2	7	9
	कुल भारत	3501	3475	3543	2469	2236	2091	162	159	151

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	लूटपाट			सेंधमारी			चोरी		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	4	13	8	70	75	119	443	404	529
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	1	1	2	3
3	असम	56	10	1	125	31	43	349	225	385
4	बिहार	0	0	0	7	5	4	72	41	37
5	छत्तीसगढ़	2	1	1	21	24	61	87	60	81
6	गोवा	0	0	1	5	13	6	24	47	28
7	गुजरात	23	12	25	90	76	81	515	304	456
8	हरियाणा	0	0	0	20	13	32	48	41	80
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	40	40	47	32	14	9

विवरण-I

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

रेप			अपहरण एवं व्यपहरण			डकैती			डकैती के लिए तैयारी करना एवं इकट्ठे होना		
2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	4	6	27	14	47	0	0	2	0	0	0
0	0	0	203	232	268	10	2	1	0	2	5
465	486	524	1427	1658	1702	93	145	202	14	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	4	4	3	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	38	44	19	22	52	8	1	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	39	48	23	27	55	9	1	0	0	0	4
495	525	572	1450	1685	1757	102	146	202	14	12	17

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

दंगे			आपराधिक न्यास भंग			धोखाधड़ी			जालसाजी		
2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1168	1021	942	30	42	34	320	316	301	7	11	6
0	15	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
393	259	312	7	18	1	143	44	102	0	1	0
391	214	222	26	0	6	29	20	18	0	0	3
247	176	296	3	0	16	15	17	9	0	0	0
37	36	27	3	2	4	16	11	3	0	0	0
677	680	864	217	203	225	159	163	165	3	2	2
217	212	168	31	9	14	43	71	51	3	4	1
558	424	382	5	5	2	15	8	2	0	0	0

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

		लूटपाट			सेंधमारी			चोरी		
क्र.सं	राज्य	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	2	1	5	33	24	24
11	झारखंड	७	6	15	0	0	0	19	19	86
12	कर्नाटक	12	45	16	35	33	26	215	153	218
13	केरल	6	3	5	25	48	34	73	125	160
14	मध्य प्रदो	16	19	11	162	169	228	273	292	306
15	महाराष्ट्र	33	18	35	297	267	367	948	994	1203
16	मणिपुरी	0	0	0	0	0	0	6	1	3
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18	मिजोरम	2	0	0	6	34	82	6	175	246
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	4	2	0
20	उड़ीसा	7	2	1	17	10	12	76	65	69
21	पंजाब	2	1	2	52	34	32	103	104	113
22	राजस्थान	5	12	8	43	41	74	158	207	226
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	4	0	0	0
24	तमिलनाडु	5	6	6	34	21	113	861	638	693
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	2
26	उत्तर प्रदेश	0	2	14	1	3	3	138	123	92
27	उत्तरांचल	0	0	2	0	4	1	26	12	6
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	663	603	913
	कुल राज्य	179	150	151	1053	942	1375	5174	4676	5968
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	1	0	0	0	0	2
30	चंडीगढ़	1	0	0	6	0	2	25	11	5
31	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित	2	10	5	30	29	3	75	81	129
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	2	0	0	0	0	0	6	0	6
	कुल संघ शासित क्षेत्र	5	10	5	37	29	5	106	93	142
	समस्त भारत	184	160	156	1090	971	1380	5280	4769	6110

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

दंगे			आपराधिक न्यास भंग			धोखाधड़ी			जालसाजी		
2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
460	500	464	0	0	2	5	11	7	0	0	0
376	376	263	1	1	13	5	5	56	0	0	0
2215	1912	1823	14	20	5	93	120	123	4	0	2
1108	859	956	20	7	15	110	238	196	3	45	11
530	670	522	7	15	20	42	73	91	0	1	0
4200	3959	4410	56	73	75	317	439	544	6	4	14
8	40	9	0	0	3	2	0	3	5	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	8	8	2	19	1	1	2
0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	0	1
370	314	312	2	7	4	27	14	20	1	1	0
0	0	0	19	27	25	364	371	310	5	3	2
1515	1333	906	5	6	9	117	124	95	0	0	1
3	30	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0
2085	1803	1585	8	5	5	89	63	79	3	2	3
0	22	32	0	0	0	2	0	0	0	0	0
254	298	236	14	18	17	27	47	46	1	0	2
160	122	276	0	2	13	6	10	47	0	0	2
721	385	773	25	7	8	42	65	52	0	3	1
17693	15660	15781	493	468	529	1997	2235	2350	42	78	54
3	0	4	1	0	2	1	0	1	0	0	0
19	7	3	0	0	2	10	5	13	0	0	0
11	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	3	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
32	16	19	10	10	0	65	109	77	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	71	70	0	0	0	1	2	3	0	0	0
191	108	101	11	10	5	77	116	95	1	2	0
17884	15768	15882	504	478	534	2074	2351	2445	43	80	54

वर्ष 2003 से 2004 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	आगजनी			चोट पहुंचाना/गंभीर रूप से चोट			दहेज मृत्यु		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	आंध्र प्रदेश	22	17	12	5370	5210	3991	334	284	300
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	8	1	12	0	0	0
3	असम	3	6	19	592	302	383	13	31	25
4	बिहार	2	22	23	416	421	698	392	342	285
5	छत्तीसगढ़	5	0	7	432	457	397	59	72	84
6	गोवा	2	0	5	25	15	27	1	4	0
7	गुजरात	22	18	17	1959	2311	1899	50	35	39
8	हरियाणा	3	4	6	777	780	809	136	140	148
9	हिमाचल प्रदेश	17	17	15	322	338	235	3	10	2
10	जम्मू व कश्मीर	0	0	3	35	45	60	7	8	5
11	झारखण्ड	1	1	11	303	303	228	144	144	101
12	कर्नाटक	14	23	5	3987	3122	2972	153	167	174
13	केरल	1	6	1	1278	1168	1267	8	9	7
14	मध्य प्रदेश	21	37	20	3393	3975	3275	499	639	634
15	महाराष्ट्र	53	47	39	4634	4735	4576	414	321	419
16	मणिपुर	0	1	54	7	12	13	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	4	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	2	1	9	20	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	3	0	0	0
20	उड़ीसा	15	11	23	506	357	452	148	291	116
21	पंजाब	3	9	0	480	702	571	104	97	64
22	राजस्थान	30	30	40	3401	3447	3214	145	168	136
23	सिक्किम	0	0	0	1	10	13	0	0	0
24	तमिलनाडु	31	30	13	3672	3315	2853	118	97	122
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	35	51	0	7	7
26	उत्तर प्रदेश	2	3	0	463	605	563	701	870	794
27	उत्तरांचल	1	0	0	52	50	51	63	107	45
28	पश्चिम बंगाल	2	0	0	257	285	304	254	209	247
	कुल राज्य	250	282	315	32371	32010	28941	3746	4052	3754
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	21	10	14	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	3	2	3	2	3	2
31	दादर और नागर हवेली	0	0	0	2	3	7	0	0	0
32	दमन और द्वीप	0	0	0	1	1	4	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	104	111	154	113	89	91
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	1	0	89	83	57	0	3	1
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	1	0	220	210	239	115	95	94
	समस्त भारत	250	283	315	32591	32220	29180	3861	4147	3848

वर्ष 2003 से 2004 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

उत्पीड़न			यौन उत्पीड़न			पति एवं रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता			लड़कियों का अवैध व्यापार		
2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
115	191	62	40	53	20	3405	3666	3545	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	84	260	182	0	0	3
0	1	0	0	0	0	357	192	199	1	0	2
8	9	3	0	0	0	321	548	470	0	0	0
0	6	1	0	0	19	21	4	0	0	0	0
10	36	47	4	4	2	3235	3954	4145	0	0	0
0	6	12	13	9	4	821	876	935	0	0	0
13	10	12	0	1	4	142	177	156	0	0	0
86	155	101	0	2	0	36	45	10	0	0	0
0	0	23	6	6	0	96	96	110	0	0	15
158	82	91	0	0	2	856	675	812	0	0	0
39	44	62	2	0	0	963	1101	1192	0	0	0
38	55	45	15	15	8	2096	2612	2241	0	0	2
63	37	74	15	18	14	6212	5862	6842	0	0	0
3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	8	0	3	308	366	412	0	0	0
11	10	14	2	0	1	511	513	343	0	0	0
55	60	60	0	1	0	1782	1954	1620	2	2	0
0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	114	45	0	8	1	710	598	507	0	0	0
0	5	4	0	0	0	100	129	313	0	0	0
2	2	3	96	122	66	1010	1641	1599	0	0	0
0	4	13	12	11	25	154	119	77	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2032	1833	2381	0	0	0
814	828	685	213	250	150	25252	27238	28095	3	3	22
2	0	1	0	0	0	6	6	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	17	17	34	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
14	10	26	1	4	2	1189	569	605	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	7	0	1	2	1	0	0	0	0	0
20	15	34	1	5	4	1213	594	650	0	0	0
834	843	719	214	255	154	26465	27832	28745	3	3	22

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्य	लापरवाही के कारण हुई मृत्यु			अन्य भारतीय दंड संहिता अपराध			कुल संज्ञेय भारतीय दंड संहिता अपराध		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	आंध्र प्रदेश	5	291	37	3493	3616	5880	15734	16025	16549
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	12	23	9	27	48	35
3	असम	55	22	0	641	351	423	2671	1862	2307
4	बिहार	0	0	7	2205	960	827	4200	2526	2621
5	छत्तीसगढ़	1	6	8	1642	1140	1022	3011	2691	2612
6	गोवा	1	0	0	48	34	30	192	196	155
7	गुजरात	13	54	17	3415	4000	3791	10780	12287	12212
8	हरियाणा	2	4	8	447	290	485	2798	2640	2926
9	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	982	1131	1284	2201	2222	2241
10	जम्मू और कश्मीर	2	0	9	1581	1539	1151	2415	2434	1975
11	झारखंड	0	0	0	943	943	1160	2050	2050	2264
12	कर्नाटक	0	3	10	3045	2366	2280	11361	9119	8991
13	केरल	7	8	1	1523	1599	921	5281	5375	4888
14	मध्य प्रदेश	34	8	14	6349	6022	5578	14121	15363	13667
15	महाराष्ट्र	18	39	21	4056	5654	6088	22602	23735	26049
16	मणिपुर	0	0	0	41	39	47	106	105	136
17	मेघालय	0	0	0	4	0	8	18	12	19
18	मिजोरम	0	0	0	64	25	67	101	248	459
19	नागालैंड	0	0	0	11	10	3	25	16	23
20	उड़ीसा	0	0	1	2931	1561	2463	4851	3400	4081
21	पंजाब	76	0	10	599	467	492	2727	2730	2345
22	राजस्थान	6	1	4	5466	5859	5959	13177	13702	12832
23	सिक्किम	0	0	0	1	6	2	5	55	28
24	तमिलनाडु	44	83	96	6909	8251	7969	15369	15697	14830
25	त्रिपुरा	0	0	0	32	117	133	139	338	560
26	उत्तर प्रदेश	6	24	0	1200	1325	1001	4386	5691	4949
27	उत्तरांचल	0	0	0	377	134	306	921	631	958
28	पश्चिम बंगाल	2	1	7	3357	6551	2394	7729	10326	7635
	कुल राज्य	275	544	250	51374	54013	51773	148998	151524	148347
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	47	51	73	86	74	101
30	चंडीगढ़	1	0	0	33	22	19	128	76	93
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	6	16	5	20	34	21
32	दमन और दीव	0	0	0	1	0	4	18	7	18
33	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	3	10	7	363	811	1157	2107	1983	2437
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	1	102	102	143	318	271	292
	कुल संघ शासित क्षेत्र	4	12	8	552	1002	1401	2677	2445	2962
	कुल अखिल भारत	279	556	258	51926	55015	53174	151675	153969	151309

विवरण-II

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान दोषी किशोरों के मामले

क्र.सं.	राज्य	हत्या			हत्या का प्रयास			मानव वध			हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक: बलात्कार			अपहरण एवं व्यपहरण			डकैती		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	36	20	27	18	6	1	2	1	2	52	38	38	22	8	17	5	1	4
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
3	असम	6	7	21	0	0	1	0	0	0	8	9	10	10	22	40	0	3	7
4	बिहार	14	6	21	11	4	15	1	0	2	4	4	11	3	4	7	6	1	6
5	छत्तीसगढ़	25	39	52	12	26	30	2	0	0	50	68	86	3	14	13	5	4	21
6	गोवा	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0
7	गुजरात	38	23	22	33	16	19	1	0	0	13	21	13	31	22	17	5	16	17
8	हरियाणा	26	23	21	36	21	22	9	3	0	15	20	19	15	19	17	1	6	5
9	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	1	1	1	1	0	2	7	6	6	0	4	4	0	0	1
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	9	9	5	68	68	9	0	0	0	11	11	7	7	7	8	43	43	2
12	कर्नाटक	5	14	7	5	7	3	0	0	0	1	6	1	0	14	1	0	2	1
13	केरल	3	2	4	1	2	3	0	0	0	6	6	10	0	1	2	2	0	0
14	मध्य प्रदेश	75	119	112	118	127	84	4	5	36	155	183	145	41	37	45	4	3	10
15	महाराष्ट्र	100	86	100	69	57	80	1	2	5	49	56	90	23	26	26	29	36	34
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	4	3	2	2	0	0	1	0	0	6	4	7	0	0	1	5	0	5
18	मिजोरम	1	1	0	0	3	3	0	0	0	3	2	4	0	1	0	1	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	8	12	20	3	2	12	0	0	0	12	17	16	2	1	4	5	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	पंजाब	2	4	5	8	1	6	1	0	0	3	0	3	0	1	2	0	0	0
22	राजस्थान	39	42	33	59	70	56	0	1	1	33	28	31	20	18	14	2	0	2
23	सिक्किम	3	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	21	23	30	12	13	9	0	0	2	7	16	14	6	7	1	2	2	2
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	3	12	9	0	3	7	0	2	4	0	10	4	9	9	3	0	0	0
27	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	1	0	3	0	0	0	1	3	1	3	3	10	0	0	1	2	0	1
	कुल राज्य	422	452	501	458	430	361	24	19	55	441	514	533	193	217	223	117	120	120
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	1	1	1	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	41	19	19	16	11	12	1	0	3	22	51	52	8	15	22	4	1	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	43	20	21	17	13	13	1	0	3	25	54	53	9	15	23	5	1	0
	कुल अखिल भारत	465	472	522	475	443	374	25	19	58	466	568	586	202	232	246	122	121	120

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान दोषी किशोरों के मामले

		डकैती के लिए तैयारी करना एवं इकट्ठे होना			लूटपाट			सेंधमारी			चोरी			दंगे			आपराधिक न्यास भंग		
क्र.सं.	राज्य	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	आंध्र प्रदेश	0	0	[illegible]	13	6	12	215	181	211	447	543	517	74	9	45	0	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	2	11	31	2	14	44	10	27	1	1	0	0	0	0

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
3	असम	0	0	0	0	21	12	74	73	50	183	116	109	59	14	11	5	0	0
4	बिहार	2	1	2	13	5	6	19	10	16	31	52	76	20	18	7	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	1	1	6	6	20	22	196	243	214	146	195	230	57	71	77	2	0	0
6	गोवा	0	0	0	1	0	2	33	13	10	21	13	20	1	2	1	0	0	0
7	गुजरात	0	1	0	13	15	10	109	89	117	310	298	454	85	129	135	4	6	3
8	हरियाणा	20	21	19	10	9	11	89	66	111	110	131	117	67	78	87	38	20	16
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	18	16	11	8	12	14	15	8	17	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	5	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
11	झारखंड	1	1	0	6	6	3	10	10	16	76	76	30	142	142	12	0	0	0
12	झंतंदजां	0	0	1	9	8	2	75	62	47	91	176	95	8	9	6	0	0	0
13	केरल	0	0	1	3	8	2	30	41	27	56	56	68	25	34	32	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	3	1	2	29	26	28	379	434	462	447	510	564	125	129	80	0	2	1
15	महाराष्ट्र	10	15	20	58	67	62	424	430	521	788	1074	1251	208	241	284	4	7	4
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	2	0	0	1	3	1	1	6	7	15	21	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	14	82	34	8	260	215	0	0	0	0	5	4
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	0	0	0	0	1	2	38	53	64	78	92	117	9	4	12	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	18	18	10	17	9	12	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	0	0	0	9	9	15	167	146	168	227	262	283	112	61	48	0	0	1
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	2	1	8	3	2	4	1	0	1	0	0	0
24	तमिलनाडु	1	0	0	14	2	3	100	101	72	289	390	341	9	15	58	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1	0	1	4	5	10	15	12	4	2	5	0	0	0
27	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	9	0	0	2	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	4	1	2	2	1	1	4	9	45	47	1	2	6	0	1	0
	कुल राज्य	38	43	55	186	209	208	2049	2081	2201	3407	4356	4634	1023	970	926	53	43	29

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	1	4	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	1	0	1	1	0	7	3	22	41	28	35	6	8	3	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33	संघ शासित प्रदेश दिल्ली	0	2	3	21	13	22	73	39	39	216	153	157	0	4	4	3	0	1
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	1	0	5	7	4	16	16	14	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित प्रदेश	0	3	3	22	15	22	85	57	69	273	198	212	7	12	8	3	0	1
	कुल अखिल भारत	38	46	58	208	224	230	2134	2138	2270	3680	4554	4846	1030	982	934	56	43	30

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान दोषी किशोरों के मामले

		धोखाधड़ी			जालसाजी			आगजनी			चोट पहुंचाना/गंभीर रूप से चोट पहुंचाना			दहेज मृत्यु			उत्पीड़न		
क्र.सं.	राज्य	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	9	3	7	1	0	0	4	4	0	310	143	169	3	1	2	53	17	25
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	5	0	0	0	0	0	0	27	12	19	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	6	3	0	2	0	0	1	0	1	50	5	13	4	1	6	0	1	0
5	छत्तीसगढ़	2	2	1	0	0	1	5	2	17	138	242	200	3	0	0	33	64	48
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	1
7	गुजरात	5	6	7	1	2	3	6	3	3	223	229	229	2	1	1	11	15	14
8	हरियाणा	21	10	13	1	1	1	2	3	0	233	196	209	2	7	2	12	7	13
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	21	0	0	0	3	0	3
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	झारखंड	16	16	3	2	2	0	0	0	0	57	57	27	0	0	30	23	23	3
12	कर्नाटक	0	3	0	0	0	0	0	0	3	41	63	16	0	0	0	2	0	0
13	केरल	0	2	1	0	2	0	0	0	0	32	39	29	0	0	0	1	1	7
14	मध्य प्रदेश	4	3	11	0	0	1	5	11	8	837	985	809	23	21	17	220	189	158
15	महाराष्ट्र	16	74	34	0	2	0	6	10	12	739	844	837	9	14	35	71	67	83
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	10	11	0	0	0	0	5	0	2	17	26	0	0	0	1	21	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	1	3	1	0	0	0	1	1	4	10	8	25	0	1	0	4	5	25
21	पंजाब	0	2	4	0	0	0	0	0	0	9	6	11	3	0	1	3	0	4
22	राजस्थान	8	7	3	1	0	1	3	2	9	218	236	139	3	3	3	32	20	34
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	1	1	0
24	तमिलनाडु	3	2	0	0	0	0	0	3	3	67	67	26	0	0	1	38	8	15
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	1
27	उत्तरांचल	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	1	3	6	1
	कुल राज्य	91	146	102	8	9	7	33	44	60	3013	3181	2935	52	50	101	512	445	436
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	1
31	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	12	2	4	0	0	0	0	0	0	53	27	34	0	1	1	10	15	41
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	9	5	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित प्रदेश	13	3	4	0	0	0	1	0	0	61	45	44	0	1	1	10	15	42
	कुल अखिल भारत	104	149	106	8	9	7	34	44	60	3074	3226	2979	52	51	102	522	460	478

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान दोषी किशोरों के मामले

		यौन उत्पीड़न			पति एवं निश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता			लड़कियों का अवैध व्यापार			लापरवाही के कारण हुई मृत्यु			अन्य भारतीय दंड संहिता अपराध			कुछ संज्ञेय भारतीय दंड संहिता अपहरण		
क्र.सं.	राज्य	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	आंध्र प्रदेश	56	25	28	11	8	12	0	0	0	13	1	5	189	62	64	1533	1079	1186
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	16	25	163	45	104
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	42	41	366	307	311
4	बिहार	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	43	79	70	234	195	259
5	छत्तीसगढ़	2	14	5	22	16	10	0	0	0	0	6	8	340	323	454	1050	1350	1495
6	गोवा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	5	7	68	48	44
7	गुजरात	0	15	2	25	40	39	0	0	0	5	1	2	304	307	283	1224	1255	1390
8	हरियाणा	91	52	24	22	19	24	0	0	0	1	2	0	299	254	191	1120	968	922
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	1	20	24	47	90	92	136
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	5
11	झारखंड	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	235	235	24	708	708	182
12	कर्नाटक	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	5	250	390	188
13	केरल	0	0	4	1	1	0	0	0	0	1	2	0	20	20	27	181	217	217
14	मध्य प्रदेश	88	55	41	34	39	39	0	0	0	20	22	22	1757	2244	1882	4368	5145	4557

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
15	महाराष्ट्र	15	9	12	57	62	127	0	0	0	25	19	17	545	453	482	3246	3651	4216
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	20	32	44	67
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	200	0	39	607	297
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
20	उड़ीसा	1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	6	47	53	72	219	256	389
21	पंजाब	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	14	16	18	81	59	78
22	राजस्थान	0	1	0	18	12	8	0	0	0	3	4	2	338	358	473	1292	1280	1324
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	17	8	23
24	तमिलनाडु	26	5	3	1	1	1	0	0	0	8	0	1	101	28	62	705	683	644
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	3	2	3	0	4	5	0	0	0	0	0	0	12	14	19	43	80	80
27	उत्तरांचल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	16	16
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	2	26	70	92
	कुल राज्य	285	182	128	208	205	274	0	0	0	78	58	65	4381	4791	4271	17066	18565	18225
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	9	12	10
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	12	76	70	78
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	4	8
32	दमन और दीव	०	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	संघ शासित प्रदेश दिल्ली	1	4	9	0	1	1	0	0	0	0	2	0	155	183	161	636	543	585
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	29	35	31
	कुल संघ शासित प्रदेश	1	4	9	0	1	1	0	0	0	0	2	0	177	205	185	753	664	714
	कुल अखिल भारत	286	186	137	202	206	275	0	0	0	78	60	65	4558	4996	4456	17819	19229	18939

निफ्ट सेंटर

4492. श्री पी. सी. थामस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने केरल में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में निफ्ट के एक सेंटर की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने इसके लिए भूमि और भवन देने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से 3 करोड़ रु. की बजटीय सहायता से केरल के कोजीकोड जिले में हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एक समूह विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) से (घ) कन्नूर में निफ्ट केन्द्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार से निफ्ट केंद्र की स्थापना से संबंधित दिशा निर्देश भेजने के अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केरल सरकार को सूचित किया गया था कि नया निफ्ट केंद्र खोलने के प्रस्तावों पर निफ्ट के बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है बशर्ते राज्य सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि और अनुमानित व्यय के अनुसार आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने की पक्की वचनबद्धता की जाए।

(ङ) और (च) जी, हां। केरल सरकार ने सूचित किया है कि कन्नूर में 10 एकड़ भूमि अभिज्ञात की गई है और अस्थाई उपयोग के लिए किराया मुक्त एक उपयुक्त भवन उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति

4493. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रणाली समाप्त करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के आधार पर विश्वविद्यालयवार कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को अध्यापकों के रिक्त पद नियमित आधार पर भरने का परामर्श दिया है क्योंकि संविदा या अंशकालिक आधार पर संकाय सदस्यों की भर्ती से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(ग) इस संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के दिनांक 18 अप्रैल, 2006, 21 जुलाई, 2006 तथा 26 मार्च, 2007 के द्वारा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजे जा चुके हैं।

मध्याह्न भोजन योजना में शिक्षकों का शामिल होना

4494. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना का कार्य स्कूल के शिक्षकों द्वारा संभाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बच्चों के अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों की होती है। मध्याह्न भोजन योजना के दिशा–निर्देशों में यह निर्धारण किया गया है कि मध्याह्न भोजन को पकाने/पके–पकाए भोजन को सप्लाई करने की जिम्मेदारी यथासंभव निम्नलिखित में से किसी एक को दी जानी चाहिए:

- स्थानीय महिला/माता स्व–सहायता समूह
- नेहरू युवक केन्द्रों से सम्बद्ध स्थानीय युवा क्लब
- दिशा–निर्देशों में विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई स्वैच्छिक संगठन
- वी ई सी/एस एम डी/पी टी ए/ग्राम पंचायत/नगर पालिकाओं आदि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कार्मिक।

मध्याह्न भोजन योजना के दिशा–निर्देशों में इस बात को दोहराया गया है कि किसी भी हालत में अध्यापकों को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए जिससे अध्ययन–अध्यापन में बाधा आए अथवा हस्तक्षेप होता हो। तथापि, शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में शामिल किया जाना चाहिए कि (i) बच्चों को उत्तम कोटि का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है, तथा (ii) भोजन को स्वच्छ वातावरण में सुव्यवस्थित रूप से परोसा गया है तथा सभी बच्चों ने उसे मिलकर खाया है। राज्यों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे कार्यक्रम के प्रबंधन में स्व–सहायता समूहों को शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण–कक्षों में अध्ययन–अध्यापन कार्य प्रभावित न हो।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय

4495. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों की तर्ज पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का है जैसा कि दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शैक्षिक मानदण्डों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय को एक बेहतर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समकक्ष बनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास चयनित विश्वविद्यालयों/कालेजों में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से संबंधित तीन स्कीम हैं, जिनके नाम हैं – (i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय, (ii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र, (iii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कॉलेज। इन स्कीमों के तहत क्रमशः 9 विश्वविद्यालयों, 12 केन्द्रों और 97 कॉलेजों का चयन किया गया है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी 11वीं योजना प्रस्तावों में इस तरह की एक योजना शामिल की है। यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, जिसमें कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, में एक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्तर का बनाया जाए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ दी कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स का सम्मेलन

4496. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2007 में नई दिल्ली में बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ दी कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स का कोई दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलन में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी), जो एक राष्ट्र व्यापी व्यापारी संगठन है, को जनवरी, 2007 में दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सूचना के अनुसार वे मुख्य मुद्दे जिन पर विचार–विमर्श किया गया उनमें अन्य बातों के साथ–साथ कर–संरचना का सरलीकरण, पुराने व्यापारिक नियमों को समाप्त करना और शासन में भागीदारी शामिल है। सूचना के अनुसार, सम्मेलन में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरूद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। सरकार ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान की भारतीय परिषद् (आईसीआरआईईआर) के द्वारा असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन आरंभ किया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की संख्या

4497. चौ. मुनव्वर हसन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कुल कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वे कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने संबंधी नीति क्या है; और

(ग) पिछले अनेक वर्षों से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा कब तक पक्का किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) आज की तारीख में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के तहत 2563 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं तथा नियमित संवर्ग के मुकाबले कोई भी अस्थायी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। नियमित संवर्ग के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारी की गैर–राजपत्रित स्टाफ के मामले में परिवीक्षा अवधि 6 महीने की होती है तथा राजपत्रित स्टाफ के मामले में यह अवधि 2 वर्ष की होती है।

इसके अलावा, 347 ट्रेडिंग स्टाफ के.वी.आई.सी. की विपणन गतिविधियों को चलाने वाले विभागीय भवनों में कार्यरत हैं। उन्हें नियमित स्टाफ नहीं माना जाता चूंकि ट्रेडिंग प्रचालन की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी नियुक्ति के.वी.आई.सी. द्वारा की जाती है तथा वेतन तथा अन्य स्थापना व्यय की पूर्ति अर्जित व्यापार लाभ से की जाती है। उनकी सेवाएं पेंशन वाली नहीं हैं। नियमित संवर्ग स्टाफ के मामले में पदों की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा उनके वेतन, अन्य स्थापना व्यय तथा पेंशन, इत्यादि को सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले वार्षिक गैर–योजना बजट में से प्रदान किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

चाय निर्यात की संभावनाएं

4498. श्री हितेन बर्मन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बागानों और प्रसंस्करण इकाइयों में बाल श्रम और जर्मनी के कानूनों के अंतर्गत अनुमत्य अधिकतम अवशिष्ट स्तर की तुलना से अधिक रासायनिक कीटनाशी अवशिष्ट पाए जाने के कारण भारत से जर्मनी को निर्यात की जाने वाली चाय की संभावना में लगातार गिरावट देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जर्मनी को किए जाने वाले चाय निर्यात में वृद्धि करने के लिए चाय की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जर्मनी को किए जा रहे निर्यात की प्रवृत्ति से इन आधारों पर निर्यातों में गिरावट का संकेत नहीं मिलता है। तथापि, भारतीय चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा ब्रांड इक्विटी को संरक्षित करने के लिए सरकार ने एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 अधिसूचित किया था। जिसमें चाय के लिए गुणवत्ता संबंधी कड़े मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इसमें यह प्रावधान है कि सभी चाय, चाहे आयातित हो अथवा निर्यातित, को आदेश में निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप होना अपेक्षित होगा। इससे चाय बोर्ड के अधिकारियों अथवा चाय बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित/प्राधिकृत किसी निरीक्षण अभिकरण को उक्त आदेश में चाय के लिए निर्धारित गुणवत्ता संबंधी मानकों की अनुरूपता मालूम करने के प्रयोजनार्थ चाय के परेषणों से नमूनें लेने का अधिकार प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

एनडीएमसी और एमसीडी द्वारा दुकानों का आबंटन

4499. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री वी. के. दुग्गर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और परिवार के सदयों को दुकानें आबंटित किए जाने के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट

4500. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट के बजट का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा धनराशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई की प्रकृति क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट की सचल वाहन सेवा और प्रदर्शनी के माध्यम से कितने मूल्य की किताबें बेची गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास हेतु किए गए बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सचल वाहन सेवा तथा प्रदर्शनी के माध्यम से बेची गई पुस्तकों का मूल्य संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

(रुपए लाख में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
2004–05	467.00	700.00	1167.00
2005–06	1113.00	960.00	2073.00
2006–07	1797.00	850.00	2647.00

विवरण-II

क्रम सं. वर्ष	सचल वाहन (रु.)	प्रदर्शनियां (रु.)	कुल (रु.)
1. 2003–2004	55,99,509.00	67,75,323.00	1,23,74,832.00
2. 2004–2005	43,41,471.00	2,51,75,651.00	2,95,17,122.00
3. 2005–2006	53,68,314.00	4,49,76,092.00	5,03,44,406.00

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

4501. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार सभी अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए सतत् प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इसे अभी 8 सितम्बर, 2006 को मनाया गया था।

(ख) 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य, निरक्षरता के विरूद्ध संघर्ष के समर्थन में जनमत जुटाना तथा व्यक्ति विशेष, समुदायों तथा समाज को शिक्षा के महत्व को उजागर करना है।

(ग) और (घ) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम देश में साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए द्विआयामी नीति का निर्माण करते हैं। वर्ष 2010 तक गुणवत्तामूलक सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत अब तक 597 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें निरक्षरों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियानों के तहत 101 जिले, नवसाक्षरों की शैक्षिक दक्षताओं को प्रबलित करने के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के तहत 168 जिले तथा लाभग्राहितों को जीवनपर्यप्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के तहत 328 जिले शामिल किए गए हैं। मौजूद साक्षरता कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा झारखंड में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों में अवशिष्ट निरक्षरता के लिए परियोजनाओं को भी संस्वीकृत किया गया है, जिनमें 113 जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा देश के उन 150 जिलों, जिनमें साक्षरता दरें निम्नतम हैं, को विशेष साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए 26 राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। नवसाक्षरों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 197 जन शिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं।

महिलाओं के प्रति भेदभाव

4502. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी 1979 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महिलाओं पर गुजरात दंगों के प्रभाव संबंधी अपर्याप्त सूचना पर संयुक्त राष्ट्र भेदभाव विरोधी समिति ने अपनी नाखुशी जाहिर की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने जनवरी, 2008 तक और ब्यौरा देने के लिए अनुवर्ती रिपोर्ट देने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में उक्त समिति के प्रतिनिधियों ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी;

(ङ) यदि हां, तो इन विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गई है;

(च) घरेलू हिंसा अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में कार्रवाई हेतु समिति द्वारा क्या बातें कही गई हैं; और

(छ) सरकार द्वारा समिति द्वारा कही गई बातों पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। समिति ने इस बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने इस कंवेंशन के कार्यान्वयन पर भारत सरकार की द्वितीय और तृतीय संयुक्त आवधिक रिपोर्ट पर 18.1.2007 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के एक शिष्ट मण्डल ने भाग लिया।

(ङ) और (च) द्वितीय और तृतीय संयुक्त आवधिक रिपोर्ट के संबंध में समिति की निष्कर्ष टिप्पणियां, जिनमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के बारे में सिफारिश भी शामिल है, मंत्रालय के वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(छ) निष्कर्ष टिप्पणियों को सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें भेज दिया गया है। इस संबंध में समिति ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी निष्कर्ष टिप्पणियों में व्यक्त चिंताओं का आगामी आवधिक रिपोर्ट में निराकरण किया जाये तथा चौथी व पांचवीं संयुक्त रिपोर्ट 2010 तक प्रस्तुत कर दी जाए।

आंध्र प्रदेश के विद्यालयों के लिए धनराशि

4503. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व-शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत छात्रों के अधिक नामांकन के कारण उच्च कक्षाओं में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च विद्यालय अवसंरचना में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 303 करोड़ रुपए लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च कक्षाओं हेतु किए जाने वाले अवसंरचनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से भी वित्तीय सहायता मांगी है क्योंकि नाबार्ड द्वारा दी गई धनराशि अपर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को कितनी सहायता दी गई है/दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकलित चुनिंदा शैक्षणिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान कक्षा IX-X में कुल नामांकन इस प्रकार है:-

2002-03	2,17,95,735
2003-04	2,32,75,955
2004-05	2,43,30,661

राज्यवार नामांकन संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूलों में आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु आर.आई.डी. एफ. कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 302.90 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05 के दौरान कक्षा कक्षा IX-X में नामांकन	2003–04 के दौरान कक्षा कक्षा IX-X में नामांकन	2002–03 के दौरान कक्षा कक्षा IX-X में नामांकन
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	1768327	1596861	1463352
2	अरुणाचल प्रदेश	27343	25833	24715
3	असम	624501	621025	497500
4	बिहार	928831	845835	777856
5	छत्तीसगढ़	420855	396228	371441
6	गोवा	38046	37642	38531
7	गुजरात	1226501	1167651	1093789
8	हरियाणा	539421	540992	553236
9	हिमाचल प्रदेश	350717	222961	222975
10	जम्मू और कश्मीर	216161	198913	215311
11	झारखंड	350135	329731	287932
12	कर्नाटक	1356575	1284137	1265117
13	केरल	1057664	1065738	1040489
14	मध्य प्रदेश	1320948	1228265	1121822
15	महाराष्ट्र	2892033	2876255	2815398
16	मणिपुर	73565	70910	62921
17	मेघालय	48037	38396	44056
18	मिजोरम	26795	25685	21878
19	नागालैंड	29921	25074	21579
20	उड़ीसा	864018	844795	679272
21	पंजाब	551212	553388	502393
22	राजस्थान	1223388	1110161	982525
23	सिक्किम	10766	9288	11507
24	तमिलनाडु	1898649	1760110	1680747
25	त्रिपुरा	87812	87298	82637
26	उत्तर प्रदेश	4113809	4030214	3801052
27	उत्तरांचल	316041	311226	309842
28	पश्चिम बंगाल	1471873	1498889	1374153
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12314	11382	11232
30	चंडीगढ़	22427	23540	24207
31	दादरा और नगर हवेली	5394	4293	3797
32	दमन और दीव	4493	3735	3507
33	दिल्ली	410271	389967	351350
34	लक्षद्वीप	2949	2594	2555
35	पांडिचेरी	38869	36943	35061
	भारत	24330661	23275955	21795735

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा उद्योगों में किया गया निवेश

4504. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में जापान सहित किन–किन देशों की कंपनियों ने जिन उद्योगों में निवेश किया है उन उद्योगों और उनके नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा कुछ संयुक्त उद्यमों की भी स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो भारत में स्थापित संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशी कंपनियों द्वारा इनमें से प्रत्येक संयुक्त उद्यम में किए गए पूंजी निवेश का पृथक–पृथक देशवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशी कंपनियों का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ और अधिक संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो जापान सहित देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (च) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों सहित भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी कंपनियों से प्राप्त पूंजीगत अंतर्वाहों के आंकड़े विवरण–I और II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

अप्रैल, 2004 से मार्च 2007 तक देश–वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अतर्वाहों का ब्यौरा

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	देश	2004–05 अप्रैल–मार्च	2005–06 अप्रैल–मार्च	2006–07 अप्रैल–मार्च	योग
1	2	3	4	5	6
1	अफगानिस्तान	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आस्ट्रेलिया	18.50	9.38	49.33	77.21
3	आस्ट्रीया	4.80	1.63	1.01	7.43
4	बहमास	5.69	0.62	0.05	6.37
5	बहरीन	0.00	0.22	0.87	1.09
6	बेलजियम	0.54	12.19	81.18	93.90
7	बेलोरासीया	0.00	0.00	1.90	1.90
8	बरमुड़ा	2.62	0.17	413.54	416.34
9	ब्राजील	0.02	0.03	0.16	0.22
10	बुल्गारिया	0.14	0.00	0.00	0.14
11	कनाडा	14.33	12.09	22.98	49.40
12	केयमेन द्वीपसमूह	8.44	29.98	40.81	79.22
13	चेनल द्वीपसमूह	0.53	4.25	0.26	5.04
14	चीन	1.35	0.91	0.68	2.94
15	चेक गणराज्य	0.00	0.10	0.00	0.10
16	साइप्रस	2.63	69.65	58.21	130.49
17	डेनमार्क	20.78	47.11	1.94	69.83
18	फिनलैंड	1.52	3.36	3.44	8.32
19	चिले	0.00	0.00	2.54	2.54
20	फ्रांस	117.54	18.51	117.28	253.33

1	2	3	4	5	6
21	ग्रीस	0.00	0.06	0.18	0.24
22	जर्मनी	145.35	302.82	119.95	568.12
23	हांगकांग	10.96	26.47	60.74	98.17
24	हंगरी	0.00	0.11	0.01	0.12
25	इण्डोनेशिया	0.28	1.03	3.49	4.80
26	आयरलैंड	0.88	9.25	13.79	23.92
27	आइसले ऑफ मैन	0.43	0.45	0.17	1.05
28	इज़रायल	0.12	4.44	0.29	4.85
29	इटली	27.25	40.09	56.83	124.17
30	लिचटैन्सटीन	0.00	0.00	0.99	0.99
31	जापान	126.24	208.29	84.74	419.26
32	कजाकिस्तान	0.02	0.00	0.00	0.02
33	कोरिया (उत्तरी)	0.34	0.02	1.51	1.87
34	लेबनान	0.00	0.00	0.24	0.24
35	कोरिया (दक्षिण)	34.56	60.18	70.89	165.63
36	कुवैत	1.58	0.20	2.68	4.46
37	लाटविया	0.00	0.00	0.06	0.06
38	लग्ज़म्बर्ग	0.45	5.93	33.51	39.90
39	मलेशिया	7.97	6.97	3.79	18.73
40	मॉरीशस	1,128.82	2,568.56	6,362.54	10,059.93
41	मैकसिको	0.00	0.04	0.00	0.04
42	मालदीव	0.00	2.93	0.00	2.93
43	एनआरआई	64.97	515.08	154.38	734.42
44	नेपाल	0.08	0.00	0.00	0.08
45	नीदरलैंड	267.02	76.36	644.18	987.56
46	नेविस	0.00	19.13	0.00	19.13
47	न्यूजीलैंड	0.11	0.12	0.05	0.28
48	नाइजीरिया	0.47	0.00	0.74	1.21
49	नार्वे	0.14	0.57	5.03	5.74
50	ओमान	5.45	0.69	1.04	7.18
51	पनामा	0.01	2.43	2.98	5.42

1	2	3	4	5	6
52	फिलीपीन्स	0.28	0.17	0.04	0.49
53	पोलैंड	0.06	1.55	0.00	1.60
54	पुर्तगाल	0.00	0.13	0.19	0.32
55	कतर	0.08	0.00	0.01	0.09
56	रोमानिया	0.00	0.00	0.00	0.00
57	रूस	0.26	0.36	25.91	26.53
58	सउदी अरब	0.04	0.90	0.04	0.99
59	सिंगापुर	185.27	274.64	577.95	1,037.86
60	स्कॉटलैंड	0.00	2.00	0.69	2.69
61	दक्षिण अफ्रीका	4.55	21.51	36.27	62.33
62	स्लोवाकिया	1.82	0.00	0.56	2.38
63	स्पेन	6.02	8.38	70.28	84.68
64	श्रीलंका	0.37	0.48	2.92	3.77
65	स्वीडन	75.53	31.45	5.96	110.94
66	स्वीटजरलैंड	77.29	95.71	56.39	229.39
67	ताइवान	2.77	0.95	2.69	6.42
68	थाईलैंड	2.45	5.00	3.88	11.33
69	तुर्की	0.01	0.00	0.00	0.01
70	यू.ए.ई.	39.27	49.20	259.90	348.38
71	यू.के.	100.67	265.46	1,878.04	2,244.17
72	यू.एस.ए.	668.82	502.22	855.78	2,026.81
73	यूक्रेन	0.01	0.00	0.00	0.01
74	वेनेजुएला	0.00	0.00	0.00	0.00
75	उरूग्वे	0.00	1.45	1.60	3.05
76	ब्रिटिश वर्जिनिया	1.42	5.50	58.26	65.18
77	वेस्ट इन्डीज	0.24	30.09	1.98	32.31
78	युगोस्लाविया	0.10	0.00	0.00	0.10
79	देश जो दर्शाए नहीं गए हैं	16.80	140.98	216.22	373.99
80	माल्टा	0.02	0.00	6.30	6.32
81	ईरान	0.00	0.00	0.00	0.00
82	तनजानिया	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
83	जोर्जिया	0.00	0.00	0.00	0.00
84	जिब्राल्टर	2.30	8.49	0.05	10.83
85	जॉर्डन	0.01	0.00	0.06	0.07
86	वियतनाम	0.00	0.00	0.02	0.02
87	जमैका	0.00	0.00	0.22	0.22
88	आईसलैंड	0.00	17.94	0.13	18.07
89	केन्या	0.00	0.01	0.42	0.43
90	मिश्र	0.02	0.05	0.00	0.07
91	यमन	0.01	0.00	0.00	0.01
92	क्यूबा	0.47	0.47	0.00	0.94
93	लाइबेरिया	0.00	10.95	0.03	10.98
94	म्यांमार	0.00	0.00	0.18	0.18
95	मोरक्को	0.00	0.00	0.00	0.00
96	कोलंबिया	0.00	0.24	0.50	0.74
97	ब्रिटिश आइसल्स	5.17	0.27	0.23	5.67
98	अरूबा	0.05	0.00	0.00	0.05
99	वर्जीन आईलैंड	0.13	0.00	0.97	1.09
100	पेरू	0.04	0.01	0.00	0.04
101	घुनीसिया	4.31	0.00	0.00	4.31
102	युगांडा	0.09	0.71	0.00	0.81
103	सेचेलेश	1.02	0.00	0.00	1.02
104	पश्चिम अफ्रीका	0.00	0.02	0.00	0.02
105	फिजी द्वीपसमूह	0.00	0.00	3.03	3.03
106	पूर्वी अफ्रीका	0.00	0.00	0.00	0.00
107	घाना	0.00	0.00	3.08	3.08
108	शेयर अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00
109	अंतर्वाह अग्रिम	540.25	0.00	0.00	540.25
110	स्टॉक विनियम	0.00	6.23	3,233.42	3,239.65
	कुल योग	3,758.94	5,545.94	15,725.19	25,030.07

टिप्पण 1. देश विशिष्ट इस राशि में एसआईए/एकआईपीसी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वतः मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।

2. एफडीआई अनुमोदनों के प्रति एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी के माध्यम से अन्तर्वाहों को शामिल नहीं किया गया है।

3. अन्तर्वाहों में केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल हैं।

4. आरबीआई मुंबई के साथ समंजस्य के अध्यधीन उपर्युक्त अन्तर्वाह अनंतिम है।

विवरण-II

अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 तक क्षेत्र-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-मार्च	योग
1	2	3	4	5	6
1	धातुकर्मी उद्योग	192.30	153.04	179.48	524.82
2	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	166.43	93.52	250.06	510.01
3	बॉयलर तथा भाप प्राईम मूवर	0.54	0.00	3.31	3.85
4	विद्युत के अलावा प्राईम मूवर	0.05	0.00	0.00	0.05
5	विद्युत उपकरण (सॉफ्टवेयर तथा विद्युत सहित)	722.37	1,449.07	2,732.72	4,904.16
6	दूरसंचार	128.75	678.60	521.30	1,328.65
7	परिवहन उद्योग	178.70	222.04	466.22	866.96
8	औद्योगिक मशीनरी	8.89	42.80	19.27	70.96
9	मशीन औजार	11.04	23.00	37.34	71.38
10	कृषि मशीनरी	0.00	92.71	25.19	117.90
11	अर्थमूविंग मशीनरी	0.10	50.87	0.99	51.96
12	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	12.34	51.26	64.32	127.92
13	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	14.12	25.54	44.88	84.54
14	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	5.25	1.53	13.43	20.20
15	औद्योगिक उपकरण	1.08	0.38	0.00	1.46
16	वैज्ञानिक उपकरण	0.03	0.10	0.07	0.21
17	उर्वरक	13.46	4.24	5.01	22.70
18	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	198.07	446.55	205.63	850.24
19	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	6.30	0.00	2.81	9.11
20	डाईस्टफ	1.18	0.00	0.00	1.18
21	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	292.07	172.44	214.84	679.35
22	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	43.04	94.33	125.26	262.63

1	2	3	4	5	6
23	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	2.70	27.38	5.08	35.15
24	चीनी	2.94	3.00	16.54	22.48
25	किण्वन उद्योग	9.13	6.53	27.58	43.25
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38.06	41.74	98.24	178.05
27	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	9.09	12.31	16.22	37.62
28	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	0.89	88.51	6.04	95.44
29	रबड़ उत्पाद	40.06	34.01	18.75	92.83
30	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं तथा पिकर्स	0.44	1.11	8.26	9.82
31	कांच	8.36	0.81	1.43	10.61
32	सिरेमिक	26.79	5.59	57.46	89.83
33	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	0.16	452.08	242.69	694.93
34	टिम्बर उत्पाद	0.07	106.85	0.00	106.92
35	रक्षा उद्योग	0.05	0.00	0.00	0.05
36	परामर्श सेवाएं	253.94	46.89	115.39	416.19
37	सेवा क्षेत्र	470.62	581.37	4,749.08	5,801.08
38	होटल तथा पर्यटन	37.01	71.78	194.83	303.63
39	व्यापार	14.56	27.82	115.42	157.80
40	विविध उद्योग	307.71	429.91	1,906.64	2,644.25
41	शेयर अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00
42	अंतर्वाह अग्रिम	540.25	0.00	0.00	540.25
43	स्टॉक विनियम	0.00	6.23	3,233.42	3,239.65
	कुल योग	3,758.94	5,545.94	15,725.19	25,030.07

टिप्पण 1. देश विशिष्ट इस राशि में एसआईए/एफआईपीबी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वत: मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।
2. एफडीआई अनुमोदनों के प्रति एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी के माध्यम से अन्तर्वाहों को शामिल नहीं किया गया है।
3. अन्तर्वाहों में केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल हैं।
4. आरबीआई मुंबई के साथ सामंजस्य के अध्यधीन उपर्युक्त अन्तर्प्रवाह अनंतिम है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में उत्पादन, रोजगार और निर्यात

4505. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादन, रोजगार और निर्यात में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कोई कमी/वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) आकलन दर्शाते हैं कि लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यातों में अनवरत वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु. में)	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	निर्यात (करोड़ रु. में)
2003–04	364547 (15.7%)	271.42 (4.31%)	361879 (13.52%)
2004–05	429796 (17.90%)	282.57 (4.11%)	124417 (27.42%)
2005–06	497842 (15.83%)	294.91 (4.37%)	उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : कोष्ठक वाले आंकड़े पिछले वर्ष के विकास दर को दर्शाते हैं।

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान लघु उद्योग इकाइयों के अनुमानित उत्पादन और रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है। निर्यातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान लघु उद्योग इकाईयों के अनुमानित उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित उत्पादन (करोड़ रु.में)		
		2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1	जम्मू और कश्मीर	3333	3929	4551
2	हिमाचल प्रदेश	3116	3674	4256
3	पंजाब	33592	39604	45874
4	चंडीगढ़	1692	1995	2311
5	उत्तराखण्ड	2556	3013	3490
6	हरियाणा	25793	30409	35224
7	दिल्ली	19737	23270	26954
8	राजस्थान	17661	20823	24119
9	उत्तर प्रदेश	35417	41756	48367
10	बिहार	4783	5639	6532
11	सिक्किम	39	46	53
12	अरुणाचल प्रदेश	60	71	83
13	नागालैंड	470	555	642
14	मणिपुर	613	723	837
15	मिजोरम	180	212	246
16	त्रिपुरा	401	473	548
17	मेघालय	419	494	573
18	असम	4277	5042	5841
19	पश्चिम बंगाल	22832	26919	31181
20	झारखंड	1639	1932	2238
21	उड़ीसा	6797	8014	9283
22	छत्तीसगढ़	3501	4128	4781
23	मध्य प्रदेश	12523	14765	17103
24	गुजरात	17151	20221	23423
25	दमन और दीव			
26	दादरा और नगर हवेली	13738	16197	18761
27	महाराष्ट्र	52976	62459	72347
28	आंध्र प्रदेश	23581	27802	32203
29	कर्नाटक	15918	18767	21738
30	गोवा	2593	3057	3541
31	लक्षद्वीप	10	12	14
32	केरल	10535	12420	14387
33	तमिलनाडु	23602	27826	32231
34	पांडिचेरी	2898	3416	3957
35	अंडमान और निकोबार	112	132	153
	अखिल भारत	364547	429796	497842

विवरण-II

2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान लघु उद्योगों में अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित रोजगार		
		2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1	जम्मू और कश्मीर	166309	173542	181293
2	हिमाचल प्रदेश	141477	146085	151514
3	पंजाब	970644	1003533	1031406
4	चंडीगढ़	52047	54257	56181
5	उत्तराखण्ड	212496	221382	231477
6	हरियाणा	587449	605552	620530
7	दिल्ली	674555	700198	723030
8	राजस्थान	947231	990152	1035321
9	उत्तर प्रदेश	4357060	4547321	4763309
10	बिहार	1173594	1221792	1270809
11	सिक्किम	1482	1580	1673
12	अरुणाचल प्रदेश	4169	4330	4630
13	नागालैंड	62918	66466	74677
14	मणिपुर	147873	153715	158914
15	मिजोरम	27286	28622	30183
16	त्रिपुरा	61558	62861	64763
17	मेघालय	71917	75607	79975
18	असम	468013	487871	509601
19	पश्चिम बंगाल	2345079	2437465	2522757
20	झारखंड	300752	313468	327487
21	उड़ीसा	1002565	1038909	1077211
22	छत्तीसगढ़	575895	598870	620356
23	मध्य प्रदेश	1460576	1522614	1585666
24	गुजरात	1386967	1455975	1528234
25	दमन और दीव			
26	दादरा और नगर हवेली	51953	59121	67839
27	महाराष्ट्र	2240066	2383801	2500040
28	आंध्र प्रदेश	2308178	2397876	2479242
29	कर्नाटक	1781588	1859142	1942994
30	गोवा	32428	33604	35610
31	लक्षद्वीप	1781	1856	1953
32	केरल	1212017	1207433	1237893
33	तमिलनाडु	2265461	2350831	2520485
34	पांडिचेरी	40468	42419	45093
35.	अंडमान और निकोबार	8350	8726	9287
	अखिल भारत	27142200	28256978	29491435

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

4506. श्री रशीद मसूद : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पुनः चालू करना

4507. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अभी तक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए ऋण माफी योजना बनाने का है जैसाकि दिनांक 17 मार्च, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हानि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्निर्माण संबंधी बोर्ड (बी आर पी एस ई) ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) के बारे में एक पुनर्संरचना प्रस्ताव की सिफारिश की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 180.73 करोड़ रु. के 7.5 प्रतिशत गैर–संचयी विमोच्य अधिमानी शेयरों को माफ करना, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित 8.29 करोड़ रु. की बकाया–देय राशि को माफ करना, 50 करोड़ रु. के गैर–योजना ऋण को इक्विटी में बदलना, 150 करोड़ रु. का बैंक आवधिक ऋण जुटाने के लिए वर्ष 2006–07 के दौरान मुहैया की गई भारत सरकार की गारंटी हेतु 15 करोड़ रु. की गारंटी फीस (पांच वर्ष की अवधि में देय) को माफ करना तथा भारत सरकार के ऋण पर 1.03 करोड़ रु. के बकाया ब्याज को माफ करना शामिल है।

(घ) चूंकि, इस प्रस्ताव को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) द्वारा मंजूर किया जाना है इसलिए फिलहाल कोई समय–सीमा नहीं दी जा सकती है।

अंडमान द्वीप समूह में विदेशी निवेश की औद्योगिक परियोजनाएं

4508. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान द्वीप समूह में नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद की परियोजनाओं सहित औद्योगिक परियोजनाओं की सुविधा हेतु अंडमान द्वीप समूह के प्रशासन से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी बातचीत के बाद से अंडमान द्वीप समूह प्रशासन की औद्योगिक नीतियों में क्या परिवर्तन देखे गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

4509. श्री महावीर भगोरा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विद्युतकरघा कार्य कर रहे हैं;

(ख) विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में रोजगार देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस संबंध में लाभार्थियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विद्युत करघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केंद्रों को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) कार्यरत विद्युतकरघों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या विवरण–II में दी गई है।

(ग) इन केन्द्रों में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पीएससीज विद्युतकरघा उद्योग के लिए अपेक्षित जनशक्ति को प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं। इन पीएससीज द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या विवरण–III में दी गई है।

(घ) आधुनिकीकृत किए गए पीएरासीज, की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार संख्या विवरण–IV में दी गई है।

(ङ) 44 पीएससी में से 14 पीएससीज का प्रबंधन वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा और शेष 30 पीएससीज का, प्रबंधन वस्त्र अनुसंधान संघों और अन्य एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। इन 30 पीएससीज के आवर्ती खर्च के लिए अनुदान सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और इन पीएससीज के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–V में दिया गया है।

विवरण-I

28.02.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विद्युतकरघा एककों की सं.	करघों की सं.	कामगारों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9852	44645	111613
2.	असम	261	2726	6815
3.	बिहार	1443	2894	7235
4.	गोवा	18	122	305
5.	गुजरात	32217	322939	807348
6.	हरियाणा	2658	9921	24803
7.	हिमाचल प्रदेश	182	1461	3653
8.	जम्मू और कश्मीर	56	65	163
9.	कर्नाटक	24579	81869	204673
10.	केरल	671	2792	6980
11.	मध्य प्रदेश	38360	94144	235360
12.	महाराष्ट्र	219309	906166	2265415
13.	उड़ीसा	792	3321	8303
14.	पंजाब	3661	23620	59050
15.	राजस्थान	4027	33286	83215
16.	तमिलनाडु	74691	377475	943688
17.	उत्तर प्रदेश	25134	65990	164975
18.	पश्चिम बंगाल	923	4951	12378
19.	दिल्ली	124	1102	2755
20.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	0	0	0
संघ शासित प्रदेश				
21.	चंडीगढ़	11	42	105
22.	दादरा और नगर हवेली	38	962	2405
23.	पांडिचेरी	117	830	2075
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव और लक्षद्वीप	0	0	0
	कुल	439124	1981323	4953312

विवरण-II

28.02.2007 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ-शासित-क्षेत्रवार विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ-शासित क्षेत्र का नाम	प्रबंधन एजेंसी	विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की अवस्थिति
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय (टीएक्ससीओ)	मालेगांव
	(6 पीएससी)	बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बिटरा)	शोलापुर
		बिटरा	इलालकरंजी
		बिटरा	माधवनगर
		सिंथेटिक एवं आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा)	भिवंडी-I
		ससमीरा	भिवंडी-II

1	2	3	4
2	गुजरात	टीएक्ससीओ	सूरत
	(6 पीएससी)	टीएक्ससीओ	आंबरगम
		अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटीरा)	अहमदाबाद
		अटीरा	ढोकला
		मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा)	पंडेसरा
		मंतरा	सचिन
3	आंध्र प्रदेश	टीएक्ससीओ	नागरी
	(2 पीएससी)	टीएक्ससीओ	हैदराबाद
4	तमिलनाडु	टीएक्ससीओ	इरोड
	(8 पीएससी)	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा)	राजापल्यम
		सिटरा	कोमारपल्लयम
		सिटरा	पल्लाडम
		सिटरा	तिरूचेनगोडा
		सिटरा	सलेम
		सिटरा	सोमानूर
		सिटरा	करूर
5	कर्नाटक	कर्नाटक स्टेट पावर डवलपमेंट कारपोरेशन	डोडाबल्लापुर
	(4 पीएससी)	केएसपीडीसी	बंगलौर
		केएसपीडीसी	बेतागिरि
		केएसपीडीसी	बेलगांव
6	केरल	टीएक्ससीओ	कन्नूर
7	उत्तर प्रदेश	टीएक्ससीओ	मऊनाथ भंजन
	(5 पीएससी)	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा)	कानपुर
		निटरा	मेरठ
		निटरा	टंडा
		निटरा	गोरखपुर
8	पश्चिम बंगाल	टीएक्ससीओ	राणाघाट
9	उड़ीसा	टीएक्ससीओ	कटक
10	बिहार	टीएक्ससीओ	भागलपुर

1	2	3	4
11	पंजाब	टीएक्ससीओ	अमृतसर
	(2 पीएससी)	निटरा	लुधियाना
12	हरियाणा	निटरा	पानीपत
13	मध्य प्रदेश	टीएक्ससीओ	बुरहानपुर
	(3 पीएससी)	*मध्य प्रदेश राज्य सरकार	जबलपुर
		अटीरा	इंदौर
14	राजस्थान	टीएक्ससीओ	किशनगढ़
	(2 पीएससी)	निटरा	भीलवाड़ा
15	असम	भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ	गुवाहाटी

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतकरघा सेवा केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएससी की अवस्थिति	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		
			2004-05	2005-06	2006-07 (दिसं. 06 तक)
1	2	3	4	5	6
1	अटीरा	अहमदाबाद	75	656	88
2		इंछौरा	505	435	545
3	बिटरा	ढोलका	393	631	813
4		शोलापुर	104	158	198
5		इचलकरंजी	365	385	193
6	मंतरा	माधवनगर	157	106	76
7		पांडेसरा	27	112	130
8	निटरा	सचिन	78	107	115
9		मेरठ	8	10	297
10		टांडा	86	84	92
11		लुधियाना	293	208	94
12		गोरखपुर	60	64	30
13		कानपुर	20	90	65
14		पानीपत	102	99	55
15	इजिरा	भीलवाडा	185	121	294

1	2	3	4	5	6
16	ससमीरा	गुवाहाटी	73	182	351
17		भिवंडी–I	115	319	710
18	सितरा	भिवंडी–II	121	217	495
19		राजपल्लायम	17	38	14
20		कोमरपल्लयम	390	186	193
21		पल्लाडम	137	19	13
22		सोमानूर	393	68	25
23		सलेम	51	65	96
24		तिरचेनगोड़	60	44	28
25	केएसपीडीसी	करूर	429	262	22
26		बंगलौर	53	32	64
27		बेलगांव	53	67	85
28		बेतागिरि	43	2	54
29	मध्य प्रदेश सरकार	ढोडावल्लापुर	176	0	125
30		जबलपुर	50	60	47
31	टीएक्ससीओ	अमृतसर	94	76	0
32		बुरहानपुर	54	59	49
33		कटक	80	93	68
34		इरोड	370	570	239
35		गया/भागलपुर	58	32	73
36		हैदराबाद	139	44	44
37		जम्मू/उमरगांव	9	0	33
38		किशनगढ़	22	24	103
39		मऊनाथ भंजन	134	103	121
40		मालेगांव	246	313	27
41		नगरी	16	33	44
42		राणाघाट	46	93	81
43		सूरत	448	336	33
44		तिरूचूर/कन्नूर	20	60	48
		कुल	6355	6663	6370

विवरण-IV

9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आधुनिकीकृत किए गए विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की सूची

क्र.सं.	अविस्थिति	प्रबंधन एजेंसी	राज्य
1	2	3	4
1	अहमदाबाद	अटीरा	गुजरात
2	पंडेसरा	मंतरा	गुजरात
3	सूरत	टीएक्ससीओ	गुजरात
4	इचलकरंजी	बिटरा	महाराष्ट्र
5	शोलापुर	बिटरा	महाराष्ट्र
6	भिवंडी–I	ससमीरा	महाराष्ट्र
7	मालेगांव	टीएक्ससीओ	महाराष्ट्र
8	भीलवाड़ा	निटरा	राजस्थान
9	किशनगढ़	टीएक्ससीओ	राजस्थान
10	करूर	सिटरा	तमिलनाडु
11	कोमारपल्लयम	सिटरा	तमिलनाडु
12	पल्लाडम	सिटरा	तमिलनाडु
13	सोमानूर	सिटरा	तमिलनाडु
14	तिरिचेनगोड	सिटरा	तमिलनाडु
15	इरोड	टीएक्ससीओ	तमिलनाडु
16	अमृतसर	टीएक्ससीओ	पंजाब
17	बुरहानपुर	टीएक्ससीओ	मध्य प्रदेश
18	मेरठ	निटरा	उत्तर प्रदेश
19	पानीपत	निटरा	हरियाणा
20	बंगलौर	सिटरा	कर्नाटक
21	कटक	टीएक्ससीओ	उड़ीसा
22	इंदौर	अटीरा	मध्य प्रदेश
23	जबलपुर	एमपीएसपीडब्ल्यूएफ	मध्य प्रदेश
24	गोरखपुर	निटरा	उत्तर प्रदेश
25	कानपुर	निटरा	उत्तर प्रदेश
26	मऊनाथ भंजन	टीएक्ससीओ	उत्तर प्रदेश
27	टंडा	निटरा	उत्तर प्रदेश
28	लुधियाना	निटरा	पंजाब

1	2	3	4
29	सलेम	सिटरा	तमिलनाडु
30	शकरनकोविल	सिटरा	तमिलनाडु
31	डोडावल्लापुर	केएसपीडीसी	कर्नाटक
32	बेतागिरि	केएसपीडीसी	कर्नाटक
33	बेलगांव	केएसपीडीसी	कर्नाटक
34	कन्नूर	टीएक्ससीओ	केरल
35	सचिन	मंतरा	गुजरात
36	उमरगांव	टीएक्ससीओ	गुजरात
37	ढोल्का	अटीरा	गुजरात
38	नागरी	टीएक्ससीओ	आंध्र प्रदेश
39	हैदराबाद	टीएक्ससीओ	आंध्र प्रदेश
40	राणाघाट	टीएक्ससीओ	पश्चिम बंगाल
41	भागलपुर	टीएक्ससीओ	बिहार
42	माधवनगर	बिटरा	महाराष्ट्र
43	गुवाहाटी	इजिरा	असम

विवरण-V

तीन वर्षों के दौरान विद्युतकरघा सेवा केंद्र को किए गए आबंटन के ब्यौरे

क्र.सं.	विद्युतकरघा सेवा केंद्र/एजेंसी का नाम	किया गया आबंटन (वर्ष–वार) (लाख रु. में)		
		2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1	अहमदाबाद	15.63	15.58	6.30
2	इंदौर	13.76	11.99	4.29
3	ढोलका	9.40	8.92	3.35
	अटीरा कुल	38.79	36.49	13.94
4	भिवंडी–I	17.00	16.46	7.63
5	भिवंडी–II	14.79	9.95	1.25
	ससमीरा कुल	31.79	26.41	8.88
6	तिरिचेनगोड	17.00	14.90	6.73
7	पल्लाडम	17.00	17.00	8.5
8	कोमारपल्लयम	17.00	16.33	0

1	2	3	4	5
9	सलेम	17.00	14.51	8.5
10	सोमानुर	17.00	13.49	0
11	करूर	12.00	15.09	7.12
12	शंकरकोविल	17.00	8.35	4.61
	सिटरा कुल	114.00	99.67	35.46
13	बंगलोर	9.30	14.73	12.11
14	डोडाबल्लापुर	7.54	11.11	8.64
15	बेटागिरि	6.00	9.54	6.27
16	बेलगांव	11.71	14.98	8.62
	केएसपीडीसी कुल	34.55	50.36	35.64
17	इचलकरंजी	17.00	15.53	5.50
18	शोलापुर	17.00	14.69	6.24
19	माधवनगर	9.28	11.10	5.37
	बिटरा कुल	43.28	41.32	17.11
20	मेरठ	12.39	14.52	6.16
21	पानीपत	12.67	15.12	8.50
22	कानपुर	14.77	14.79	8.09
23	टंडा	8.37	8.40	2.54
24	भीलवाडा	12.14	16.38	8.50
25	लुधियाना	11.57	12.32	7.17
26	गोरखपुर	9.97	10.01	4.96
	निटरा कुल	81.88	91.54	45.92
27	सचिन	14.64	11.32	4.83
28	पंडेसरा	14.99	12.47	5.07
	मंतरा कुल	29.63	23.79	9.90
29	गुवाहाटी	8.25	12.00	4.08
	इजिरा कुल	8.25	12.00	4.08
30	जबलपुर	0.00	3.00	शून्य
	मध्य प्रदेश राज्य सरकार			
	कुल	0.00	3.00	शून्य
	कुल योग	382.17	384.58	170.93

[अनुवाद]

बाल यौन शोषण संबंधी रिपोर्ट

4510. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री असादूद्दीन ओवसी :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री उदय सिंह :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में "स्टडी आन चाइल्ड अब्यूस, इंडिया–2007" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है जैसाकि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 को 'दी टाइम्स ऑफ इंडिया' तथा दिनांक 19 मार्च, 2007 के राष्ट्रीय सहारा में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाल यौन शोषण के मामलों में दिल्ली का पहला स्थान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में यौन शोषित बच्चों की राज्य–वार और संघ राज्यवार प्रतिशतता कितनी है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कोई धनराशि निर्धारित की है;

(छ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में बाल यौन शोषण के मामलों को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली की तुलना में आंध्र प्रदेश में बाल शोषण के मामले अधिक पाए गए हैं। ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ङ) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) और (छ) ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में समेकित बाल संरक्षण स्कीम चलाई जाएगी। स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ज) और (झ) बच्चों के प्रति अपराध (निवारण) विधेयक लाने का सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष :

शारीरिक शोषण

1. हर तीन में से दो बच्चे शारीरिक शोषण से पीड़ित थे।
2. 13 नमूना राज्यों में शारीरिक शोषण से पीड़ित पाए गए 69% बच्चों में से 54.68% बालक थे।
3. सभी 13 नमूना राज्यों में 50% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शारीरिक शोषण से पीड़ित थे।
4. पारिवारिक परिस्थितियों में शारीरिक शोषण के शिकार बच्चों में से 88.6% बच्चों का शारीरिक शोषण उनके माता–पिता ने किया।
5. स्कूल जाने वाले 65% बच्चों ने उन्हें शारीरिक दंड दिए जाने की बात कही, अर्थात् हर तीन में से दो बच्चे शारीरिक दंड का शिकार थे।
6. शारीरिक दंड दिए जाने के 62% मामले सरकारी तथा नगर–निगम के स्कूलों में पाए गए।
7. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार तथा दिल्ली राज्यों में सभी प्रकार का शोषण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पाया गया।
8. अधिकांश बच्चों ने ये बातें किसी को नहीं बताईं।
9. 50.2% बच्चों ने सप्ताह में सातों दिन कार्य किया।

यौन शोषण

1. 53.22% बच्चों ने बताया कि वे एक या एक से अधिक बार यौन शोषण के शिकार हुए हैं।
2. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार तथा दिल्ली राज्यों में बालकों व बालिकाओं, दोनों के यौन शोषण का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया।

3. उत्तर देने वाले बच्चों में से 21.90% ने गंभीर प्रकार के यौन शोषण का शिकार होने तथा 50.76% ने अन्य प्रकार के यौन शोषण का शिकार होने की बात कही।

4. उत्तर देने वाले बच्चों में से 5.69% ने उन पर यौन प्रहार किए जाने की बात कही।

5. असम, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली में यौन–प्रहार के शिकार बच्चों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया।

6. निराश्रित बच्चों, कामकाजी बच्चों तथा संस्थागत देखभाल में रह रहे बच्चों में यौन–प्रहार के शिकार बच्चों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया।

7. 50 प्रतिशत शोषणकर्ता बच्चों के जानकार थे या विश्वस्त एवं उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति में थे।

8. अधिकांश बच्चों ने ये बातें किसी से नहीं कहीं।

भावनात्मक शोषण तथा बालिकाओं की उपेक्षा

1. हर दूसरे बच्चे ने भावनात्मक शोषण का शिकार होने की बात कही।

2. भावनात्मक शोषण का शिकार होने वाले बालकों व बालिकाओं का प्रतिशत एक समान था।

3. 83% मामलों में शोषणकर्ता माता–पिता थे।

4. 48.4% बालिकाओं ने बालक होने की इच्छा व्यक्त की।

जम्मू और कश्मीर से सेना को हटाना

4511. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री काशीराम राणा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अशोक अर्गल :
श्रीमती गीता पटैरिया :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री जुएल ओराम :
डा. टोकचोम मैन्या :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्यों में सैन्य टुकड़ियों/अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात करने/हटाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर के नागरिक क्षेत्रों से सैन्य टुकड़ियों को हटाने/कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के जमीनी हालातों का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों से विचार–विमर्श किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समिति का गठन किया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ञ) उक्त समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विशिष्ट सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के संदर्भ में राज्य सरकारों के अनुरोध पर सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए समय–समय पर विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तैनात किए जाते हैं। ऐसी तैनाती और बलों को हटाने के लिए कोई विशिष्ट और निर्धारित मानदंड नहीं हैं।

(ख) से (ञ) जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाती है और विभिन्न कार्यों जैसे सीमा रक्षा, घुसपैठ की रोकथाम, विद्रोह और क्षेत्राधिकार का मुकाबला करने, संवेदनशील क्षेत्रों में सामान्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने आदि के लिए राज्य के विभिन्न भागों में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। जैसा कि भाग (क) में उल्लेख है,

सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यकता पर निर्भर करती है और राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

सुरक्षा के माहौल में समग्र सुधार को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की संख्या में कमी करने के बारे में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से मांग और रिपोर्ट आती रहती है। सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने का है कि सुरक्षा बलों की तैनाती जमीनी स्तर पर समस्याओं और आवश्यकताओं के पैमाने से संबंधित हो। इस संदर्भ में, सरकार के उपर्युक्त दृष्टिकोण के प्रकाश में सुरक्षा बलों की तैनाती और समग्र स्थिति की जांच करने के लिए तथा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मौजूदा सुरक्षा बलों की तैनाती को पुनः स्थापित तथा संरूपित करने की आवश्यकता है, रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

एमसीडी के उपायुक्त

4512. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अंतर्गत कार्यरत उपायुक्तों (डीसी) की अवैध निर्माणों को रोकने सहित कर्त्तव्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अवैध निर्माण में उपायुक्तों के शामिल होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे उपयुक्तों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2001 से 2005 के दौरान सभी निगम जोनों में तैनात उपायुक्तों और उनके कार्यकाल में हुए अवैध निर्माणों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) उप नगरपालिका आयुक्त, उसके जोन में किए जा रहे सभी नागरिक सुविधा संबंधी कार्यों का प्रमुख पर्यवेक्षण और उसके अधीन कार्यरत दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों का जोनल हैड होता है। नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की संपूर्ण जिम्मेवारी और जन शिकायतों को निपटाने का दायित्व उसका होता है। आयुक्त, दिल्ली नगर निगम की अधिकांश शक्तियां उसे प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ख) से (घ) जी हां, श्रीमान्। उनके विरूद्ध शिकायतों के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, दिल्ली नगर निगम ने दो उप नगरपालिका आयुक्तों को उनके मूल विभागों को प्रत्यावर्तित किया है। दिल्ली नगर निगम ने इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी के मूल विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक रिपोर्ट भेज दी है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित देश के अनुपालन में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी उनके खिलाफ जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में तैनात उप नगर पालिका आयुक्तों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं और निगम द्वारा पता लगाए गए अनधिकृत निर्माणों के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2005 की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में उप नगरपालिका आयुक्तों के रूप में तैनात अधिकारियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती की अवधि
1	2	3
1. रोहिणी जोन		
1.	श्री ए.के. चतुर्वेदी	01.01.2001 से 14.08.2001
2.	श्री राज मोहन सिंह	15.08.2001 से 04.09.2001
3.	श्री एस.के. महरोत्रा	05.09.2001 से 20.09.2001
4.	श्री एस.के. सक्सेना	21.09.2001 से 05.09.2002
5.	श्रीमती पुनिया एस. श्रीवास्तव	06.09.2002 से 02.12.2002
6.	श्री मनप्रीत सिंह	03.12.2002 से 05.07.2004

1	2	3
7.	श्री ए.के. सिंगला	06.07.2004 से 13.06.2005
8.	श्री मनप्रीत सिंह	14.06.2005 से 16.08.2005
9.	श्री अशोक वर्मा	17.08.2005 से 06.09.2005
10.	श्री पी.आर. मीणा	07.09.2005 से 08.03.2006
2. पश्चिमी जोन		
1.	श्री अरुण बरोका	19.12.2000 से 29.01.2001
2.	श्री एस.एस. हरित	31.01.2001 से 14.11.2001
3.	श्री राज मोहन सिंह	15.11.2001 से 17.07.2002
4.	श्रीमती मुनिया एस. श्रीवास्तव	18.07.2002 से 29.04.2003
5.	श्री के.डी. अकोलिया	30.04.2003 से 31.07.2004
6.	श्री राहुल दुआ	04.08.2004 से 25.10.2004
7.	श्री एस.सी. कोहली	25.10.2004 से 14.06.2005
8.	श्री ए.के. सिंगला	14.06.2005 से 13.02.2006
3. करोल बाग जोन		
1.	श्री पी.के. गुप्ता	18.10.2000 से 15.01.2001
2.	श्री राज मोहन सिंह	16.01.2001 से 17.01.2001
3.	श्री के.डी. अकोलिया	17.01.2001 से 19.01.2001
4.	श्री एस.एस रस्तोगी	20.01.2001 से 28.06.2001
5.	श्री के.डी. अकोलिया	29.06.2001 से 12.07.2001
6.	श्री एस.के. महरोत्रा	13.07.2001 से 03.02.2003
7.	श्री एम.एल. विजय	04.02.2003 से 06.08.2003
8.	श्री संजय कुमार सक्सेना	07.08.2003 से 06.07.2004
9.	श्री ए.के. सिंह	07.07.2004 से 11.08.2004
10.	श्री बी.आर.एस. राठौर	12.08.2004 से 17.08.2004
11.	श्री मनप्रीत सिंह	18.08.2004 से 14.06.2005
12.	श्री एस. के. महरोत्रा	15.06.2005 से 12.02.2006
4. केन्द्रीय जोन		
1.	श्री भुवनेश्वर सिंह	01.01.2001 से 10.01.2002
2.	श्री रमेश तिवारी	11.01.2002 से 14.05.2002

1	2	3
3.	श्री के.डी. अकोलिया	15.05.2002 से 29.04.2003
4.	श्रीमती पुनिया एस. श्रीवास्तव	30.04.2003 से 22.08.2004
5.	श्री जी.एम. मथारू	23.08.2004 से 17.09.2004
6.	श्रीमती पुनिया एस. श्रीवास्तव	17.09.2004 से 06.12.2004
7.	श्री चंद्र भूषण कुमार	08.12.2004 से 31.08.2005
8.	श्री एन.के शर्मा	31.08.2005 से 30.11.2005
9.	श्री ज्ञानेश भारती	30.11.2005 से आज तक
5. नजफगढ़ जोन		
1.	श्री के.सी. अग्रवाल	01.01.2001 से 26.07.2001
2.	श्री एस.एस. हरित	27.07.2001 से 16.12.2002
3.	श्री एम.एल. विजय	16.12.2002 से 03.02.2003
4.	श्री राहुल दुआ	03.02.2003 से 04.08.2004
5.	श्री एस.सी. कोहली	04.08.2004 से 25.10.2004
6.	श्री राहुल दुआ	25.10.2004 से 31.07.2005
7.	श्री अखिलेश कुमार अंबाष्ट	31.07.2005 से आज की तारीख तक
6. शाहदरा (दक्षिण) जोन		
1.	श्री एस.पी. सिंह	28.08.2000 से 16.04.2001
2.	श्रीमती एस.पी. सोढ़ी	17.04.2001 से 01.04.2002
3.	श्री भुवनेश्वर सिंह	01.04.2002 से 07.08.2002
4.	श्री सुनील कुमार सक्सेना	21.08.2002 से 28.08.2002
5.	श्री बी.आर.एस. राठौर	29.08.2002 से 23.12.2002
6.	श्री ए.के. सिंह, आई.ए.एस.	24.12.2002 से 28.04.2003
7.	श्री ए.के. चतुर्वेदी	29.04.2003 से 18.08.2003
8.	श्री सुनील कुमार सक्सेना	19.08.2003 से 12.09.2003
9.	श्री डी.आर. टमटा	12.09.2003 से 07.12.2004
10.	श्री एन.के. शर्मा	08.12.2004 से 31.08.2005
11.	श्री एस.सी. कोहली	01.09.2005 से 31.05.2006
7. शाहदरा (उत्तरी) जोन		
1.	श्री कैलाश चंद	01.10.2001 से 31.05.2001

1	2	3
2.	श्री मनोज कुमार	01.06.2001 से 19.07.2001
3.	श्री एस.के. सभरवाल	19.07.2001 से 31.01.2002
4.	श्री अशोक कुमार	31.01.2002 से 17.07.2002
5.	श्री एस.के. सक्सेना	17.07.2002 से 23.08.2003
6.	श्री टी.सी. नख	23.08.2003 से 16.06.2005
7.	श्री एन.के. शर्मा	16.06.2005 से 10.08.2005
8.	श्री अशोक कुमार	10.08.2005 से 23.05.2006
8. नरेला जोन		
1.	श्री एस.एस. भटनागर	04.09.2000 से 19.07.2001
2.	श्री के.डी. अकोलिया	19.07.2001 से 31.07.2001
3.	श्री राज मोहन सिंह	01.08.2001 से 14.11.2001
4.	श्री संजय कुमार सक्सेना	15.11.2001 से 15.01.2002
5.	श्री सुनील कुमार सक्सेना	16.01.2002 से 16.07.2002
6.	श्री संजय कुमार सक्सेना	17.07.2002 से 05.09.2002
7.	श्री एस.एस. हरित	06.09.2002 से 21.10.2002
8.	श्रीमती एस.पी. सोढ़ी	22.10.2002 से 07.11.2002
9.	श्री ए.के. चतुर्वेदी	08.11.2002 से 24.12.2002
10.	श्री बी.आर.एस. राठौर	24.12.2002 से 08.04.2003
11.	एम.एस. पूनम	09.04.2003 से 27.04.2003
12.	श्री टी.सी. नख	28.04.2003 से 23.08.2003
13.	एम.एस. पूनम	24.08.2003 से 12.09.2003
14.	श्री ए.के. सिंगला	13.09.2003 से 06.07.2004
15.	एम.एस. पूनम	06.07.2004 से 17.07.2004
16.	श्री पी.आर. राठौर	17.07.2004 से 05.01.2005
17.	श्री अजय कुमार	05.01.2005 से 14.06.2005
18.	श्री एस.सी. कोहली	14.06.2005 से 31.08.2005
19.	श्री अशोक वर्मा	31.08.2005 से 09.03.2006
9. सदर पहाड़गंज जोन		
1.	श्री एस.के. सभरवाल	03.11.2000 से 19.07.2001

1	2	3
2.	श्री एस.एस. भटनागर	19.07.2001 से 02.09.2001
3.	श्री ए.के. चतुर्वेदी	03.09.2001 से 10.01.2002
4.	श्री भुवनेश्वर सिंह	11.01.2002 से 28.03.2002
5.	श्री एस.के. सभरवाल	28.03.2002 से 30.06.2002
6.	श्री के.के. मिश्रा	17.07.2002 से 06.07.2004
7.	श्री एस.के. सक्सेना	06.07.2004 से 11.08.2004
8.	श्री एस.के. महेरोत्रा	11.08.2004 से 03.03.2005
9.	श्री एच.पी.एस. सरन	03.03.2005 से 14.06.2005
10.	श्री के.के. मिश्रा	14.06.2005 से 31.08.2006
10. दक्षिण जोन		
1.	श्री मोहनजीत सिंह	24.08.2000 से 31.01.2001
2.	श्री के.सी. अग्रवाल	31.01.2001 से 19.07.2001
3.	श्री मनोज कुमार	19.07.2001 से 26.08.2002
4.	श्री संजय कुमार सक्सेना	06.09.2002 से 29.04.2003
5.	श्री ए.के. सिंह	29.04.2003 से 06.07.2004
6.	श्री के.के. मिश्रा	06.07.2004 से 13.06.2005
7.	श्री अजय कुमार	14.06.2005 से 28.04.2006
11. सिविल लाइन्स जोन		
1.	श्री पी.के. गुप्ता	28.11.2000 से 07.01.200
2.	श्री के.डी. अकोलिया	08.01.2001 से 15.05.2002
3.	श्री ए.के. चतुर्वेदी	15.05.2002 से 28.04.2003
4.	श्री संजय कुमार सक्सेना	29.04.2003 से 06.08.2003
5.	श्री एम.एल. विजय	06.08.2003 से 16.12.2003
6.	श्री बी.आर.एस. राठौर	16.12.2003 से 29.11.2005
7.	श्री जैड.यू. सिद्दकी	29.11.2005 से 09.03.2006
12. सिटी जोन		
1.	श्री राज मोहन सिंह	01.01.2001 से 30.07.2001
2.	श्री के.डी. अकोलिया	02.08.2002 से 03.08.2002
3.	श्री एस.एस. भटनागर	04.08.2002 से 12.08.2002

1	2	3
4.	श्री के.डी. अकोलिया	13.08.2002 से 19.08.2002
5.	श्री ए.के. चतुर्वेदी, भारतीय प्रशासन सेवा	20.08.2001 से 15.05.2002
6.	श्री रमेश तिवारी	15.05.2002 से 15.07.2002
7.	श्रीमती एस.पी. सोढ़ी	17.07.2002 से 14.10.2002
8.	श्री अशोक कुमार	14.10.2002 से 03.02.2003
9.	श्री एस.के. मेहरोत्रा	03.02.2003 से 05.10.2004
10.	श्री चंद्र भूषण कुमार	05.10.2004 से 08.12.2004
11.	श्री डी.आर. टमटा	08.12.2004 से 08.02.2005
12.	श्री एस.के. मेहरोत्रा	08.02.2005 से 14.06.2005
13.	श्री एच.पी.एस. सरन	14.06.2005 से 30.08.2005
14.	श्री राहुल दुआ	30.08.2005 से 29.11.2005
15.	श्री बी.आर.एस. राठौर	29.11.2005 से 27.01.2006

विवरण-II

वर्ष 2001–2005 की अवधि के दौरान पता लगाए गए अवैध निर्माणों की संख्या

जोन का नाम	पता लगाए गए अनधिकृत निर्माणों की संख्या				
	2001	2002	2003	2004	2005
केन्द्रीय	366	460	442	598	377
सिटी	84	154	150	156	79
सिविल लाइन्स	113	185	310	325	273
करोल बाग	442	737	501	712	37
नरेला	40	127	60	40	37
नजफगढ़	193	342	167	293	169
रोहिणी	331	353	273	498	296
दक्षिण	536	957	405	372	211
सदर पहाड़गंज	69	78	120	169	124
शाहदरा (उत्तरी)	111	225	314	257	354
शाहदरा (दक्षिण)	282	321	324	360	148
पश्चिमी	198	446	683	686	456

दूरवर्ती शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम

4513. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरवर्ती शिक्षा परिषद् ने आईआईटी और आईआईएम जैसे सभी प्रमुख संस्थानों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम कराने की अनुमति दी है जैसाकि दिनांक 28 मार्च, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कराए जाने वाले संभावित पाठ्यक्रमों तथा इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं, और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना हेतु अपनाए गए/अपनाए जाने वाले संभावित मानदंड क्या हैं; और

(घ) इनको कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) शिक्षुओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाने की दृष्टि से अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दे दी जाए बशर्ते कि वे अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से निर्धारित गुणवत्ता को बनाए रखें। जहां तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और भारतीय प्रबंध संस्थानों जैसी अग्रणी संस्थाओं का संबंध है, उन्हें दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत अपने कार्यक्रमों की मान्यता के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद से अभी संपर्क करना है।

बाल सुधार गृह

4514. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री महावीर भगोरा :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने बाल सुधार गृह हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बाल सुधार गृहों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में यह पता लगाने के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा की है कि बाल सुधार गृहों में उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) बाल न्याय कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं; और

(छ) 'बाल न्याय कार्यक्रम' हेतु धनराशि जारी करने के लिए क्या मानदंड हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'किशोर न्याय कार्यक्रम' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत गृहों के निमार्ण एवं रख–रखाव तथा इन गृहों में रह रहे बच्चों की देखभाल हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके व्यय का 50 प्रतिशत भाग वहन करने के लिए उन्हें सहायतानुदान दिया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त गृहों, प्रत्येक वर्ष निर्मुक्त राशि का राज्य–वार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के माध्यम से बने गृहों के अलावा अन्य गृहों की संख्या से संबंधित कोई सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने इन गृहों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं तथा राज्यों में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में अपने अधिकारियों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से इन गृहों का मॉनीटरन एवं निरीक्षण कराया।

(च) स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी बालक को किसी भी परिस्थिति में जेल में न रखा जाए, सभी जिलों में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिकल्पित सभी सेवाओं की व्यवस्था करना।
2. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आने वाले गैर–अपराधी बच्चों को तथा अपराधी बच्चों को उनके पकड़े जाने, उनके मामले में कार्रवाई करने एवं उनके पुनर्वास के विभिन्न चरणों में अलग–अलग कार्रवाई की प्रणाली विकसित करना।
3. कतिपय सुपरिभाषित न्यूनतम मानकों के आधार पर किशोर न्याय सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना।
4. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में यथा–परिकल्पित कुसामंजस्य के शिकार बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास में समुदाय–आधारित कल्याण अभिकरणों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसंरचना का विकास करना।

5. किशोरों के सामाजिक कुसामंजस्य के निवारण तथा सामाजिक रूप से कुसामंजस्य के शिकार बच्चों के पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना।

(छ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित गृहों तथा उन संस्थानों, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त संस्थान के रूप में घोषित कर रखा है, के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की स्कीम के मानकों के अनुसार राशि निर्मुक्त की जाती है। इन गृहों के संबंध में प्रस्ताव पिछली निर्मुक्तियों के उपयोग प्रमाण पत्र के साथ-साथ इसी प्रयोजनार्थ राज्य बजट में प्रावधानों की जानकारी के साथ संबंधित राज्य सरकार से मंत्रालय के पास आने चाहिएं।

बच्चों के लिए पोषण योजना

4515. श्री दुष्यंत सिंह :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ द्वारा देश में बच्चों के लिए कोई पोषण योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित शेष राज्यों में इस योजना को चलाने का है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) यूनिसेफ बच्चों के लिए कोई पोषण स्कीम स्वयं नहीं चला रही है। यूनिसेफ कुछ अभिनिर्धारित राज्यों में छोटे बच्चों के विकास और पोषण स्तर में सुधार लाने के भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में यूनिसेफ के कार्यों के लिए नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से पांच वर्षों के लिए यूनिसेफ की वृहत् कार्य योजना का तथा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करता है।

वृहत् कार्य योजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्र हैं : प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य; बाल विकास और पोषण; बाल परिवेश; साफ-सफाई, स्वच्छता और जलापूर्ति; प्रारम्भिक शिक्षा; एच. आई.वी./एड्स; बाल संरक्षण; समर्थन और सहभागिता; आयोजना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन।

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यूनिसेफ को भारत के अंशदान के रूप में हर वर्ष 3.8 करोड़ रुपए निर्मुक्त करता है। इस वर्ष भी भारत के हिस्से के रूप में इतनी ही राशि निर्मुक्त की गई है।

(ङ) से (छ) मौजूदा वृहत् कार्य योजना के अनुसार, यूनिसेफ की गतिविधियों में शामिल राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान। इस समय अन्य राज्यों को इसमें शामिल करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

भारतीय तट में गश्त

4516. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ तटीय राज्य सरकारों ने तट की संपूर्ण गश्त को एकल कमान के अंतर्गत लाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. की पाइरेटिड पुस्तकें

4517. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.सी.ई.आर.टी. की पाइरेटिड पुस्तकें प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस समस्या का स्थाई समाधान करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को जब कभी भी पायरेसी से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, इसे आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली को उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है। अभी हाल ही में दिनांक 11.04.2007 को शिकायत सं. सी–1221/11.04.2007 के तहत आर्थिक अपराध शाखा में एक मामला दर्ज किया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की असली पुस्तकों की पहचान करने के लिए एन सी ई आर टी प्रतीक चिन्ह वाले वाटरमार्क कागज प्रयोग किए जा रहे हैं। पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के थोक विक्रेताओं का एक नेटवर्क मौजूद है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अनुमानित आवश्यकता से 20 प्रतिशत अधिक पुस्तकें मुद्रित करने का भी निर्णय लिया है। वे राज्य जो राज्य पाठ्यक्रम के तहत एन सी ई आर टी की पुस्तकें लागू करने को इच्छुक हैं, उन्हें एन सी ई आर टी पुस्तकों का कॉपीराइट दिया जाता है।

[अनुवाद]

सीमा पार आतंकवाद

4518. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार सीमाओं पर हाल ही में सीमापार आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 और 2007 के दौरान आज तक ऐसी घटनाओं का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सीमाओं पर सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन देशों के साथ वार्ता की पहल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत–पाकिस्तान सीमा के पार लगातार घुसपैठ किए जाने के अतिरिक्त, ऐसी घटनाएं भी हैं जिनमें पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आधारित आतंकवादी गुटों ने अपनी विरोधी/आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत–बांगलादेश और भारत–नेपाल आतंकवादियों सीमाओं से भारत में घुसपैठ की है। कुछ मुख्य घटनाओं में, जिनमें आतंकवादियों ने भारत में भारत–बांग्लादेश/भारत–नेपाल से घुसपैठ की है, मार्च, 2006 में वाराणसी में दोहरा बम विस्फोट किया जाना है, जिसमें आतंकवादियों ने भारत में भारत–बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की और जुलाई, 2006 में मुम्बई लोकल ट्रेन में श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट किया जाना है, जिसमें दो आतंकवादी भारत नेपाल से, चार भारत–पाकिस्तान से और पांच ने भारत बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसपैठ की थी।

(ग) और (घ) सरकार जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति के आधार पर सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपाय करती है। इनमें सीमा रक्षक बल की तैनाती, इलैक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण की व्यवस्था करना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा चौकियां (बी ओ पी) स्थापित करना अग्रणी आसूचना एजेंसियों द्वारा समन्वित आसूचना कार्य करना इत्यादि शामिल है।

(ङ) और (च) अधिकतर देशों के साथ गृह सचिव स्तर की वार्ता संयुक्त कार्य दल जैसे द्विपक्षीय तंत्रों की स्थापना की गई है जिनमें सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना

4519. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय के अध्यापकों की तर्ज पर केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अवैध अप्रवासी

4520. श्री अजय चाकवर्ती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों से पश्चिम बंगाल में आने वाले अवैध प्रवासियों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें वापस भेजने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेशी राष्ट्रिक, भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए भारत–बांग्लादेश की सुभेद्य सीमा का प्रयोग करते रहे हैं। चूंकि बांग्लादेशी, गुप्त रूप से घुसपैठ करते हैं और वंशीय तथा भाषायी समानताओं के कारण वे आसानी से स्थानीय लोगों के साथ घुल–मिल जाते हैं इसलिए ऐसे अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों की संख्या के बारे में वास्तविक सर्वेक्षण करना कठिन है। जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है, तब राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन कानून के उपबंधों के अनुरूप ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सक्षम हैं।

(ग) और (घ) भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। समय–समय पर प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जाते हैं जिनमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया जाता है कि वे देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें वापस भेजें।

स्व-वित्तपोषित शिक्षा संस्था अधिनियम

4521. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल विधान सभा द्वारा पारित केरल स्व–वित्तपोषित शिक्षा संस्था अधिनियम संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा सड़कों का निर्माण

4522. श्री हरिन पाठक :
श्री हरिलाल भाववजी भाई पटेल :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सीमावर्ती राज्यों ने वर्ष 2006–2007 के दौरान सीमा सड़कों के निर्माण और सुधार के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जहां तक सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय का संबंध है – भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–चीन के साथ सड़क ढांचे का विकास किए जाने का प्रस्ताव है। सड़क ढांचा संबंधी कार्य जो सीमा प्रबंधन और रणनीति महत्व का भाग नहीं है या जो राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा किया जाता है।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाओं के लिए धनराशि

4523. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) योजना पूरे देश में अपने उद्देश्य हासिल नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना के लिए और धनराशि आबंटित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय के कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बाल कल्याण के लिए यूनेस्को से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या इस प्रयोजनार्थ प्राप्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.–3) में 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति सहित कुछ चयनित संसूचकों पर अनंतिम आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। एन.एफ.एच.एस.–3 के निष्कर्षों के अनुसार, बच्चों के कुपोषण को कम करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन में काफी भिन्नता है। जबकि कुछ राज्यों में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्याप्तता में काफी कमी आई है, बहुत से अन्य राज्यों में यह कमी संतोषजनक नहीं है।

(ख) इस स्कीम का अपर्याप्त प्रसार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, विटामिन 'ए' अनुपूरण, आयरन तथा फौलिक एसिड अनुपूरण नामक स्कीमों के साथ अकुशल संकेंद्रण कुछ राज्यों में इसके संतोषजनक निष्पादन के प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने आई.सी.डी.एस. के तीन दशकों का मूल्यांकन वर्ष 2006 में किया। इस मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) इस स्कीम के आबंटन वर्ष 2004–05 में 2167.44 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2007–08 में 5293.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यद्यपि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तथापि आशा है कि इस स्कीम हेतु आबंटन ग्यारहवीं योजना में बढ़ाया जाएगा।

(छ) और (ज) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय के जो प्रयास सरकार कर रही है, वे इस प्रकार हैं:

(i) वर्ष 1975 में आई.सी.डी.एस. स्कीम के शुभारंभ के समय राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समन्वय समितियों के गठन के अनुदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे कि संबंधित विभागों के कार्यकर्ता आंगनवाड़ी स्तर पर ही समुचित सेवाएं प्रदान करें। ये अनुदेश समय–समय पर दोहराए जाते रहे हैं और पिछली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 7 फरवरी, 2005 के पत्र में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया था कि वे सभी स्तरों पर (राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्रामीण) इन समन्वय समितियों को सक्रिय बनाएं।

(ii) आई.सी.डी.एस. स्कीम के संपूर्ण कामकाज का पर्यवेक्षण करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाएं लक्ष्यित वर्गों तक कारगर ढंग से पहुंचाई जाएं और आई.सी.डी.एस. स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति भी इस स्कीम के समग्र ढांचे के अंतर्गत की जाए, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में राष्ट्र–स्तरीय मानीटरन समिति भी गठित की गई है। कारगर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी समिति में सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।

(झ) से (ट) यूनेस्को से शिक्षा क्षेत्र हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त कुल राशि वर्ष 2004–05 में 15 हजार अमेरिकी डालर के बराबर और वर्ष 2006–07 में 30 हजार अमेरिकी डालर के बराबर थी। इस कार्यक्रम में यूनेस्को समूह के देश (भारत, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान) शामिल किए गए हैं।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग यूनेस्को समूह के देशों में बाल कल्याण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।

विवरण

निपसिड द्वारा – आई.सी.डी.एस. के तीन दशक : मूल्यांकन

प्रमुख निष्कर्ष

इस अध्ययन में परिणामों की निपसिड द्वारा वर्ष 1992 में तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2001 में किए गए राष्ट्रीय स्तर के दो अध्ययनों के साथ तुलना करके विगत वर्षों में आई.सी.डी.एस. के निष्पादन की तुलना का प्रयास किया गया। कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- पूरक पोषण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 वर्ष की आयु के पंजीकृत बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। वर्ष 1992 में 45% पंजीकृत बच्चों की तुलना में मौजूदा अध्ययन में यह प्रतिशत बढ़कर 57% हो गया है, जिनमें से 78% बच्चों को पूरक पोषण दिया जा रहा है। 3–5 वर्ष की आयु के बच्चों में 75% बच्चे पूरक पोषण सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। पूरक पोषण प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 78 (1992) से बढ़कर 87 (2006) हो गया है तथा पूरक पोषण प्राप्त कर रही शिशुवती माताओं का प्रतिशत 78 (1992) से बढ़कर 89 (2006) हो गया है।
- विगत 14 वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों की भवन संरचना में

निश्चित सुधार पाया गया। यह पाया गया कि पक्के भवनों में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रतिशत वर्ष 1992 में 43% से बढ़कर 75% हो गया है। विगत वर्षों में वजन करने की मशीनों तथा शाला–पूर्व शिक्षा किटों जैसे उपस्करों की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1992 में 73% तथा वर्ष 2001 में 76% की तुलना में मौजूदा अध्ययन में 90% से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन करने वाली मशीनें उपलब्ध पाई गईं। इसी प्रकार, शाला–पूर्व किटों की उपलब्धता भी वर्ष 2001 के अध्ययन में 33% से बढ़कर मौजूदा अध्ययन में 56% हो गई है।

- अत्यधिक कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में काफी कमी आई है। तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में श्रेणी–III एवं श्रेणी–IV के कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1992 में 7 से कम होकर वर्ष 2006 में 1 रह गया है। श्रेणी–II के कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत 22 (1992) से कम होकर 7 (2006) रह गया है तथा श्रेणी–I के कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत 35 (1992) से कम होकर 16 (2006) रह गया है। 3–5 वर्ष की आयु के बच्चों में श्रेणी–III एवं श्रेणी–IV के कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत 4 (1992) से कम होकर 0.8 (2006) रह गया है। इसी प्रकार, इस आयु वर्ग में श्रेणी–II के कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत भी वर्ष 1992 में 21.3 से कम होकर वर्ष 2006 में 3.2 रह गया है।

- पूरक पोषण में आ रही बाधाओं में भी कमी आई है। यह कमी दोनों ही मामलों में आई है अर्थात् बाधा दर्शाने वाली आंगनवाड़ियों का प्रतिशत 1992 में 62% से कम होकर 2006 में 54% और बाधित दिनों की औसत संख्या भी वर्ष 1992 में 63 से कम होकर 2006 में 41 हो गई है।

- लक्ष्यित जन–समुदाय तक सेवाओं के प्रसार के अध्ययन से यह पता चला कि लाभार्थियों में अधिकतम प्रतिशत कमजोर वर्गों के लाभार्थियों का था (29.6% इनके बाद अनुसूचित जातियों के लाभार्थी 26.3% और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थी 20.4%), जो यह दर्शाता है कि आंगनवाड़ियां गरीब परिवारों की जरूरतों की पूर्ति करती हैं। 55% लाभार्थी भूमिहीन वर्ग के थे।

कमियां

- यह पाया गया कि 60% आंगनवाड़ी केन्द्रों में किसी प्रकार की शौचालय सुविधा नहीं थी तथा लगभग 70% आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह सुविधा असंतोषजनक पाई गई। चूंकि साफ–सफाई अत्यावश्यक है, इसलिए इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

- चार दीवारी के भीतर व बाहर चलाए जाने वाले कार्यकलापों के लिए स्थान की कमी को भी चिंताजनक क्षेत्र माना गया। लगभग 49% आंगनवाड़ी केन्द्रों में चार दीवारी के भीतर व बाहर चलाए जाने वाले कार्यकलापों के लिए स्थान अपर्याप्त पाया गया। इसी प्रकार 50% केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की सामग्री के भंडारण के लिए अलग से कोई स्थान उपलब्ध नहीं था।

- इस अध्ययन में शामिल किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों में से लगभग 44% केन्द्रों में शाला–पूर्व शिक्षा किटों की कमी पाई गई। इसी प्रकार 42% आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाना पकाने व 37% केन्द्रों में खाना परोसने के लिए पर्याप्त बर्तन उपलब्ध नहीं थे।

- यद्यपि पूरक पोषण की आपूर्ति में बाधा के दिनों की औसत संख्या कम होकर वर्ष में केवल 41 दिन रह गई है, तथापि बाधित दिनों की इस औसत का मुख्य कारण चार या पांच राज्यों (बिहार, असम, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, जहां बाधित दिनों की औसत संख्या वर्ष में 100 से भी ज्यादा है) में बहुत ज्यादा दिनों तक पूरक पोषण की आपूर्ति का बाधित रहना है।

- लगभग 37% आंगनवाड़ी केन्द्रों ने पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सहायक सामग्री की अनुपलब्धता दर्शायी।

कोकेन का उपयोग

4524. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड ने भारत में कैनेबिस की अवैध खेती पर चिंता जताई है जैसाकि दिनांक 09 मार्च, 2007 के 'द नेशनल हेराल्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कैनेबिस और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए;

(घ) क्या अवैध रूप से उगाई गई अफीम, अफीम की कुछ मात्रा और पोश्त भूसी का देश में अवैध बाजार में उपयोग और इनकी अन्य देशों में तस्करी अभी भी जारी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2006 की अपनी

रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि दक्षिण एशिया में कैनेबिस भी एक समस्या है जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर में कैनेबिस के जंगल में उगने और इसकी अवैध खेती किए जाने की सूचना मिली है। नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां, इसकी अवैध खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने का निरंतर रूप से पूरा प्रयास करती हैं।

(ग) नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कैनेबिस और अन्य नशीले पदार्थों की जब्त की गई मात्रा नीचे दी गई है:

(मात्रा कि.ग्रा. में)

नशीले पदार्थ	2004	2005	2006
कैनेबिस	144055	153660	149277
हशीश	4599	3965	3848
अफीम	2237	2009	2792
हेरोइन	1162	981	1163

(घ) और (ङ) की गई जब्तियों और प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अवैध अफीम और पोश्त भूसी, अवैध बाजार में लाई जाती है। तथापि, इस आशय की रिपोर्टें नहीं है कि इन्हें दूसरे देशों में अवैध रूप से भेजा जाता है।

(च) सरकार ने स्वापक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर नजर रखने, पता लगाने और रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) आयात और निर्यात केन्द्रों, भू-सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाक घरों आदि में कड़ी निगरानी और प्रवर्तन करना।

(ii) नशीले पदार्थों के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और निषेधात्मक कार्रवाई करना।

(iii) निषेधात्मक कार्रवाई बेहतर ढंग से करने के लिए नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

(iv) परिचालनात्मक आसूचना प्राप्त करने, विश्लेषण करने और वितरण करने में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुदृढ़ करना।

(v) प्रिकर्सर रसायनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए सूचना और जांच-पड़ताल संबंधी सहायता का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

(vi) अपराधियों का इलैक्ट्रानिक डाटा बेस तैयार करना।

(vii) नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार रोकने के लिए कानून प्रवर्तन करने वाले पदाधिकारियों का कौशल बढ़ाने हेतु उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(viii) ऐसे मुखबिरों और अधिकारियों के लिए मौद्रिक पुरस्कार की योजना कार्यान्वित करना जिनकी सूचना से स्वापक पदार्थों की जब्ती होती है।

(ix) पात्र राज्यों की स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ई-विश्वविद्यालयों की स्थापना

4525. श्री मित्रसेन यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ई-विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यू.जी.सी. से इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का आयात

4526. डा. के. धनराजू :

श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिणी राज्यों के लिए पाकिस्तान से गेहूं का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान को गेहूं की क्या दर दिए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2007-2008 के लिए भारतीय किसानों को दिए गए गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है; और

(घ) भारतीय किसानों को वही समर्थन मूल्य नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं जो लागत आयात के पश्चात आने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रबी विपणन सीजन (आर एम एस) 2007–08 के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन कीमत (एम आर पी) 750 रुपए प्रति क्विंटल जमा 100 रुपए बोनस है।

(घ) एम एस पी "न्यूनतम समर्थन कीमत" है इसका उद्देश्य किसानों की नकद एवं वस्तु रूप में लागत, जिसमें पट्टे पर ली गई भूमि के लिए चुकाया गया किराया तथा पारिवारिक श्रम के लिए मजदूरी का आकलित मूल्य, स्वयं की भूमि का किराया, नियत पूंजी पर ब्याज आदि को कवर करना होता है। एम एस पी बाजार कीमत या ऐसी कीमत नहीं होती है जिस पर किसान को अपनी वस्तु बेचना अनिवार्य हो। एम एस पी का आशय उस कीमत से नहीं होता है जिस पर उसी उत्पाद का आयात किया गया हो।

[हिन्दी]

क्रेच (शिशुगृह) खोलना

4527. श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पांच वर्ष के बच्चों के लिए और क्रेच (शिशु गृह) खोले जाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने क्रेच (शिश गृह) खोले गए; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय देश के बच्चों, विशेष रूप से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बेहतर पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ, मंत्रालय राज्यों से नियमित रूप से परामर्श करता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों से बच्चों के लिए बेहतर सुविधाओं संबंधी विभिन्न प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त होते हैं/ उन पर चर्चा की जाती है। तथापि, इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) इस स्कीम के तहत प्राप्त नए प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ङ) वर्ष 2004–05, 2005–06 की अवधि में देश में खोले गए शिशु गृहों की सूची विवरण–II में दी गई है। वर्ष 2006–07 के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान कोई नया शिशु गृह नहीं खोला गया।

(च) विगत तीन वर्षों में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार निर्मुक्त की गई कुल धनराशि विवरण–III में निर्दिष्ट है। इस स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि का काफी बड़ा हिस्सा खर्च कर लिया जाता है तथा इससे पहले की शेष बची धनराशि बाद में निर्मुक्त की जाने वाली निधि में समायोजित कर दी जाती है।

विवरण-I

शिशु गृह स्कीम के तहत केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा प्राप्त नए प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	4
3.	छत्तीसगढ़	1
4.	झारखंड	1
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	5
7.	मिजोरम	2
8.	उड़ीसा	7
9.	राजस्थान	1
10.	तमिलनाडु	2
11.	उत्तरांचल	1
12.	उत्तर प्रदेश	2
	कुल	32

विवरण-II

वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 की अवधि में देश में खोले गए शिशु गृहों की सूची

क्र.सं.	राज्य	गैर–सरकारी संगठनों के नाम	एककों की संख्या
गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शिशु गृह :			
1	आंध्र प्रदेश	भारतीय बाल कल्याण परिषद, गौहाटी, असम	01
2.	बिहार	रामानन्दी देवी हिन्दू अनाथालय, नाथनगर, जिला भागलपुर	01
3.	नई दिल्ली	सेवा भारती, मियांवाली नगर, पीरागढ़ी, नई दिल्ली	अतिरिक्त एकक 01 (झंडेवालां करोलबाग में एक एकक पहले से ही संचालित है)।
4.	हरियाणा	हरियाणा राज्य बाल भवन, चण्डीगढ़, बाल ग्राम, राय, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक शिशु गृह	01
5.	महाराष्ट्र	आधारश्रम, नासिक, महाराष्ट्र,	अतिरिक्त एकक 01 (इसी स्थान पर एक एकक पहले से ही संचालित है)।
6.	मध्य प्रदेश	सेवा भारती (मध्य भारत) भोपाल, मध्य प्रदेश	01
7.	मेघालय	इम्पल्स, एन.जी.ओ. नेटवर्क, शिलांग	01
8.	राजस्थान	नवजीवन संस्थान, जोधपुर, राजस्थान	01
9.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य बाल कल्याण परिषद्, उदयपुर, त्रिपुरा	01 (अगरतला तथा नुतुआनगर में 2 एकक पहले से ही संचालित हैं)।
सरकार द्वारा संचालित शिशु गृह			
1.	कर्नाटक	महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर	04 बंगलौर (02), गुलबर्गा (01) तथा हुबली (01)
2.	मिजोरम	समाज कल्याण विभाग, मिजोरम सरकार आईजोल।	01
3.	उत्तर प्रदेश	महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	05 एकक (इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, मथुरा तथा रामपुर)

विवरण-III

वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल गृहों (शिशु गृहों) के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त सहायतानुदान का राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		
		2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	–	–	–
2	अरुणाचल प्रदेश	228,150.00	750,150.00	238,123.00
3	असम	219,750.00	–	471,286.00
4	बिहार	211,351.00	219,400.00	681,300.00
5	दिल्ली	512,550.00	1,164,150.00	457,200.00

1	2	3	4	5
6	गुजरात	–	4,743,861.00	2,597,608.00
7	हरियाणा	431,550.00	139,311.00	224,277.00
8	हिमाचल प्रदेश	293,261.00	447,300.00	371,460.00
9	कर्नाटक	1,284,000.00	–	1,429,037.00
10	केरल	1,805,409.00	1,183,065.00	913,500.00
11	मध्य प्रदेश	794,700.00	681,730.00	710,400.00
12	महाराष्ट्र	5,849,631.00	6,904,124.00	4,098,944.00
13	मणिपुर	1,443,150.00	1,010,250.00	3,904,850.00
14	मेघालय	219,750.00	–	–
15	मिजोरम	825,500.00	999,500.00	499,450.00
16	उड़ीसा	3,589,110.00	2,923,785.00	3,172,050.00
17	राजस्थान	730,201.00	433,440.00	1,515,778.00
18	त्रिपुरा	1,202,130.00	499,815.00	1,389,653.00
19	उत्तर प्रदेश	1,636,000.00	–	2,227,662.00
20	पश्चिम बंगाल	975,602.00	263,782.00	1,018,357.00
	कुल	22,251,795.00	22,363,663.00	25,920,935.00

[अनुवाद]

जारकर्म सिविल अपराध संबंधी राष्ट्रीय आयोग

4528. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आयोग ने हाल ही में जारकर्म सिविल अपराध के लिए कानून में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे गए एक संदर्भ के संबंध में मंत्रालय को टिप्पणियां भेजते समय आयोग ने सुझाव दिया है कि जारकर्म को विश्वासघात के रूप में देखा जाए तथा इसे दाण्डिक अपराध के बजाए सिविल दोष माना जाए, किन्तु इस मामले पर राष्ट्रीय सहमति के बाद ही ऐसा किया जाए।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जांच कर रहा है।

छात्रावास सुविधाओं के लिए अनुदान

4529. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री राकेश सिंह :
श्री कैलाश बैठा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने आवासीय और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई और किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) 'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं हेतु बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण' नामक स्कीम के तहत बालिका छात्रावास संचालित करने

वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने हेतु बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूंकि इस स्कीम की समीक्षा अभी की जानी है, अतः वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से संबंधित किसी भी अनुदान पर विचार नहीं किया गया है। इस स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को सीधे ही अनुदान जारी किए जाते हैं और किसी प्रकार का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2004-05 से संबंधित जारी किए गए/संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2004-05	3.72 करोड़ रु.
2005-06	3.90 करोड़ रु.
2006-07	3.50 करोड़ रु.

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में किशोर अपराधी

4530. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में किशोर अपराधियों को बाल सुधार गृहों में भेजने की बजाय तिहाड़ जेल में खतरनाक अपराधियों के बीच रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की सूची बांग्लादेश को दिया जाना

4531. श्री जोयाकिम बखला : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने बांग्लादेश को 113 आंतकवादियों की सूची, जिसमें उल्फा के प्रमुख लोग भी शामिल हैं, उन्हें भारत सौंपने के लिए दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सूची पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) बांग्लादेश में फरार हुए उल्फा उग्रवादियों सहित 113 वांछित भारतीय उग्रवादियों की एक सूची, सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) और बांग्लादेश राइफल्स (बी डी आर) के बीच 26 फरवरी से 3 मार्च, 2007 को हुए महानिदेशक स्तर के सीमा समन्वय सम्मेलन में बांग्लादेश को सौंपी गई थी।

(ग) महानिदेशक, बांग्लादेश राइफल्स ने बांग्लादेश सरकार की बात को दोहराया है कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के किसी भी तत्व को वह अपने भू-भाग का प्रयोग नहीं करने देंगे। महानिदेशक, बांग्लादेश राइफल्स ने बताया कि बांग्लादेश सुरक्षा बलों ने मई, 2005 से ऐसे 67 निःशस्त्र घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है जो पूर्वोत्तर भारत के प्रतीत होते हैं। महानिदेशक, बांग्लादेश राइफल्स ने हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया।

[हिन्दी]

नकली शिल्पकार

4532. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न हथकरघा तथा हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत असली दस्तकारों तथा शिल्पकारों को लाभ नहीं मिल रहा है तथा इसके लाभ नकली शिल्पकार ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) असली शिल्पकारों को सहायता देने के लिए उनकी पहचान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त संस्थानों/शिल्पकारों को राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिल्पकारों के लिए उठाए गए कदमों में क्षेत्र और क्षेत्रीय स्तर पर शिल्पकारों की शिल्प दक्षता को समुचित रूप से अधिप्रमाणित करने के बाद शिल्पकारों का पंजीकरण करना, शिल्पकारों को फोटो पहचान पत्र जारी करना शामिल है। हथकरघा बुनकरों के लिए प्राथमिक समितियों/शीर्ष समितियों को सहायता दी जाती है जिनमें

बुनकर सदस्य के रूप में शामिल होते हैं तथा इन समितियों का पंजीकण भिन्न–भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीकरण द्वारा किया जाता है।

(घ) हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा विभिन्न राज्यों को अवमुक्त की गई सहायता की मात्रा क्रमशः विवरण–I और II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

वर्ष 2006–07 के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवमुक्त की गई राज्य–वार निधि

क्र.सं.	राज्य	एएचबीवाई	इपी	आर एण्डडी	डिजाईन	ट्रेनिंग	विपणन	एसएचटीवी	आरजी एसएसवाई	बीमा योजना	कुल
1	आंध्र प्रदेश	189.84	22.23		24.86	2.20	131.00	33.79			403.92
2	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3	अरूणाचल प्रदेश	3814			0.00	1.10	0.00	5.47			44.71
4	असम	228.13	70.93	1.35	0.00	3.30	136.41	44.73			484.85
5	बिहार	22.7			99.30	4.15	20.64	9.38			156.17
6	चंडीगढ़	0.00			1.80		35.00	0.00			36.80
7	छत्तीसगढ़	11.97	16.39		3.50		0.00	0.00			31.86
8	दिल्ली	46.33	825.27	18.81	107.41	6.64	181.11	20.42			1205.99
9	गोवा	1.00			0.00		8.06	4.68			13.74
10	गुजरात	238.94	5.00		30.84	1.10	42.75	3.7			322.33
11	हरियाणा	59.82			6.02	1.10	34.07	11.52			112.53
12	हिमाचल प्रदेश	76.61			5.24	1.10	56.93	5.54			145.42
13	झारखंड	26.25			0.84		20.64	6.36			54.09
14	जम्मू और कश्मीर	85.21	5.00		20.35	2.20	11.99	124.18			248.93
15	कर्नाटक	32.30	13.48		28.69	2.36	57.11	10.47			144.41
16	केरल	49.23	4.90	3.09	0.00	1.10	18.77	1.52			78.61
17	मध्य प्रदेश	44.76	21.11	1.65	0.85	0.00	22.61	9.88			100.86
18	महाराष्ट्र	14.92			5.94		71.25	8.36			100.47
19	मणिपुर	163.36	3.63	3.21	20.15	1.10	52.96	34.05			278.46
20	मेघालय	0.98			0.00	1.10	5.75	8.32			16.15
21	मिजोरम	36.38			0.00	1.10	0.00	2.34			39.82
22	नागालैंड	15.32			0.85	0.00	12.60	20.38			49.15
23	उड़ीसा	155.53			32.88	3.30	55.85	30.36			277.92
24	पंजाब	56.43			12.07	0.00	5.75	9.92			84.17
25	पांडिचेरी	0.00			0.00	1.10	11.48	2.68			15.26
26	राजस्थान	172.29	5.06		11.75	1.10	100.33	1.32			291.85
27	सिक्किम	0.00			0.85	0.00	0.00	2.23			3.08
28	तमिलनाडु	129.31	64.40	1.35	9.2	3.05	63.67	16.18			287.16
23	त्रिपुरा	46.15			4.00	0.000	0.00	0.00			50.15
30	उत्तर प्रदेश	568.43	33.48	43.91	128.53	14.58	264.02	121.82			1174.77
31	उत्तरांचल	63.89			5.96	0.00	32.56	16.20			118.61
32	पश्चिम बंगाल	72.34	29.01	1.5	12.15	8.80	27.83	10.62			162.25
	कुल	2646.56	1119.89	74.87	574.03	61.58	1481.14	576.42	501.00	0.00	7035.49

विवरण-II

भिन्न-भिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अन्तर्गत 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अवमुक्त राशियों का ब्यौरा

राज्य का नाम		हथकरघा निर्यात योजना					दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00		4.85	1238.85	1648.45	406.00	656.12	991.13
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00			19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	33.75	15.00		17.25	837.97	445.71	0.00	11.12	202.07
4	बिहार	6.25	0.00	0.00		6.26	0	12.62	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	6.10	0.00	0.00		0.00	42.92	43.88	11.20	4.91	7.45
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00			150.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	488.14
9	हरियाणा	0.00	9.85	13.50	17.10	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	32.33	41.55	6.75	20.34	5.85	137.64	99.18	96.82	27.50	112.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	31.89	21.58	20.42	25.38	0.00
12	झारखंड	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3.22	22.58
13	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00			158.61	126.96	104.76	1050.00	70.25
14	केरल	20.25	11.25	6.73	33.25	0.00	1067.13	879.35	594.10	295.41	320.79
15	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00			62.20	9.00	40.19	30.33	6.33
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00			2.42	3.59	32.00	0.00	259.95
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	491.32	112.79	426.35	249.09	23.23
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00			2.48	3.47	7.76	0.00	11.97
20	नागालैंड	5.90	5.50	0.00		0.00	117.91	518.33	499.21	570.61	482.82
21	उड़ीसा	0.00	6.44	20.25		0.00	22.34	20.66	123.36	190.19	1525.10
22	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	पंजाब	14.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
24	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	8.77	4.70	43.37	0.00	40.46
25	सिक्किम	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	तमिलनाडु	0.00	0.00	5.83	17.25	0.00	2520.65	1591.41	3375.20	4226.95	1694.70
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00			7.72	5.49	34.16	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	69.40	76.72	34.18	59.97	85.80	589.04	908.54	1283.83	1048.54	798.38
29	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00			27.28	2.13	53.49	0.00	31.76
30	पश्चिम बंगाल	31.83	21.30	14.52	11.30	34.83	347.98	77.91	581.37	382.14	363.89
कुल		186.26	206.36	116.56	175.61	160.19	7973.50	6423.79	8134.26	7447.00	9061.00
अन्य संगठन		119.64	235.32	298.44	279.00	289.45	592.67	310.00	260.00	253.96	82.78
कुल जोड़		305.90	441.68	415.00	454.61	449.64	8466.17	6733.79	9394.28	9314.96	7530.78

विवरण-II

भिन्न-भिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अन्तर्गत 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2006-07 के दौरान अवमुक्त राशियों का ब्यौरा

विपणन प्रोतसाहन योजना					बुनकर बीमा योजना				
2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
81.88	42.88	75.17	115.99	120.17	0.00	0.00	13.26	0.00	
19.59	7.26	1.75	2.00	3.69	0.00	0.00	0.00		
112.55	101.41	107.29	176.35	271.10	0.00	0.00	0.95		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29.19	1.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13.70	12.00	15.00	13.00	7.89	0.00	0.00	0.17		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16.06	22.00	१६७२५	42.73	0.00	0.00	0.00	0.56		
11.52	17.73	51.53	15.00	36.75	0.00	0.00	0.00		
8.05	8.00	7.00	12.97	12.18	0.00	0.00	0.02		
53.42	18.29	42.99	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24.45	24.10	46.33	77.51	32.03	0.00	0.00	8.22		
4.00	11.67	17.27	9.00	0.00	0.00	0.00	0.36		
41.97	29.70	17.25	40.25	36.67	0.00	0.00	0.00		
69.31	6.79	22.71	43.85	64.75	0.00	0.00	0.02		
0.00	5.00	4.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.98	3.91	3.97	4.91	2.00	0.00	0.00	0.00		
14.82	28.72	19.99	11.99	1.00	0.00	0.00	0.00		
14.00	34.00	42.17	42.39	48.00	0.00	0.00	0.00		
18.00	43.91	80.52	31.95	66.56	0.00	0.00	2.15		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59.09	51.92	26.92	53.02	73.73	0.00	0.00	0.05		
2.97	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	44.11	28.34	66.65	14.38	0.00	0.00	19.02		
19.07	10.49	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00		
103.74	84.52	49.56	90.39	89.82	0.00	0.00	0.33	0.78	
31.87	8.00	8.82	13.89	12.94	0.00	0.00	0.00		
11.96	29.26	59.28	46.95	13.32	0.00	0.00	0.00		
760.08	643.91	755.95	938.39	996.36	0.00	0.00	45.00	0.78	
167.18	146.70	153.02	208.44	522.20	0.00	150.00	150.00	0	
927.26	790.61	908.97	1146.83	1518.56	0.00	150.00	195.00	0.78	

भिन्न-भिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान अवमुक्त की गई राशियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य का नाम		बुनकर कल्याण योजना									
		कार्यशाला-सह-आवास-योजना					स्वास्थ्य पैकेज योजना				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	आंध्र प्रदेश	0.00	92.91	253.69	57.33	5.24	0.00	0.00	0.00		
2	अरूणाचल प्रदेश	29.00	13.50	120.50	218.00	74.32	0.00	0.00	0.00	177.00	41.34
3	असम	117.95	181.67	137.67	172.45	19.92	63.55	0.00	208.52	49.20	105.98
4	बिहार	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.09	7.92	12.93	11.42	1.75	0.00	3.15	
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
7	गोवा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
8	गुजरात	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
9	हरियाणा	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
10	हिमाचल प्रदेश	22.30	24.50	0.00	21.42		0.00	0.00	0.00		
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
12	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
13	कर्नाटक	250.00	289.28	236.45		784.45	50.00	0.00	36.42	13.06	14.00
14	केरल	34.69	98.95	52.93	42.14		0.00	19.64	17.16	2.62	9.71
15	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	3.78	10.38		0.00	0.00	0.00		
16	महाराष्ट्र	35.00	0.00	0.00			0.00	1.28	0.00		
17	मणिपुर	127.25	0.00	50.09	158.07	209.16	0.00	0.00	0.00	72.04	51.41
18	मेघालय	15.75	0.00	0.00	19.53		0.00	0.00	0.00	2.12	40.77
19	मिजोरम	36.00	0.00	0.00	12.75		0.00	0.00	0.00		
20	नागालैंड	24.45	484.51	371.75	247.60	247.60	0.00	73.88	79.11	0.00	259.10
21	उड़ीसा	0.00	0.00	24.05	29.44	53.48	0.00	0.00	0.00		
22	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
23	पंजाब	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
24	राजस्थान	0.00	51.71	51.71	26.61		5.00	0.35	0.00		
25	सिक्किम	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
26	तमिलनाडु	227.80	514.44	172.29	162.95	388.70	106.22	122.64	100.07	65.90	64.19
27	त्रिपुरा	0.00	20.00	20.00	31.60		0.00		0.00		0.76
28	उत्तर प्रदेश	109.91	0.00	0.00	218.20		0.00	0.00	0.00		
29	उत्तरांचल	20.30	0.00	0.00	7.95	20.30	0.00	0.00	0.00		
30	पश्चिम बंगाल	0.00	28.51	0.00			0.00	1.71	7.09		
	कुल	1050.00	1797.10	1500.00	1444.24	1795.00	237.08	221.25	369.26	464.22	587.22
	अन्य संगठन	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	1050.00	1797.10	1500.00	1444.24	1795.00	237.08	221.25	369.26	464.22	587.22

भिन्न–भिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005-06 और 2006–07 के दौरान अवमुक्त की गई राशियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

													कुल
2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	जोड योजना 2006-07
0.00	0.00	100.00			2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1121.19
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119.35
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			616.22
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.26
0.00	0.00	0.00	4.04	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28			25.06
0.32	0.00	0.00	2.32	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.48	11.58
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
16.02	0.00	0.00	7.69	1.49	0.59	2.22	0.00	1.32	3.46	0.00			499.62
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36.75
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129.92
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98.23
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22.53
10.00	0.00	40.00		5.38	7.51	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00			986.11
26.10	3.08	17.93			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330.50
2.48	0.00	0.00	2.00		0.00	0.48	0.00	0.77	0.00	0.00	0.56		43.00
0.11	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324.61
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292.80
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.66
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12.87
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1018.18
0.00	0.00	0.00	24.87	9.99	0.00	0.00	0.00	0.53	7.12	0.00			1655.22
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3.96	3.34	2.61	2.91	0.91	115.10
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00
210.00	318.79	278.41	370.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2533.53
0.00	0.00	0.00	0.53	0.68	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00			5.03
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			974.00
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65.00
10.00	0.00	0.00			0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00			412.04
275.03	321.97	436.39	412.00	397.27	10.45	17.93	0.00	7.44	14.83	2.87	3.78	1.39	11385.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.43
275.03	321.87	436.39	412.00	397.27	10.45	17.93	0.00	7.44	14.83	2.87	3.78	1.39	12279.84

पढ़ाई छोड़ने वालों की दर

4533. श्री सुभाष चुरेसचंद्र देशमुख :
श्रीमती नीता पटैरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई छोड़ने वालों की दर राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी है;

(ख) 12वीं कक्षा के बाद कालेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या तथा प्रतिशत कितना है तथा पढ़ाई छोड़ने वालों की दर कितनी है;

(ग) दिसम्बर, 2006 के अंत तक देश में प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाई करने वाले बच्चों का राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रतिशत कितना है; और

(घ) पढ़ाई छोड़ने वालों की दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) वर्ष 2004–05 में माध्यमिक (कक्षा–I से कक्षा–X) स्त पर अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार दर तथा वर्ष 2003–04 में कक्षा–V से वर्ष 2004–05 में कक्षा–VI में जाने वाले बच्चों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार दर को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कक्षा–XII में अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर और कक्षा–XII पास करने के बाद कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों तथा उनकी अध्ययन बीच में ही छोड़ देने संबंधी दर के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है।

(घ) अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की दर को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उपायों का एक सेट विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने, वार्षिक स्कूल अनुदान, शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों को नियमित शैक्षिक सहायता इत्यादि के माध्यम से विद्यालयों को सुदृढ़ करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के कई उपायों का उद्देश्य सामुदायिक सहायता, अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों, किशोर बालकों अथवा विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए लचीली अध्ययन व्यवस्था करना और बालिकाओं, समाज के लाभांवित वर्गों के बच्चों अथवा विशेष जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान करना है।

विवरण

वर्ष 2004–05 में माध्यमिक (कक्षा–I से कक्षा–X) स्तर पर अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार दर तथा वर्ष 2003–04 में कक्षा–V से वर्ष 2004–05 में कक्षा–VI में जाने वाले बच्चों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार दर

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2004–05 में माध्यमिक (कक्षा–I से कक्षा–X) स्तर पर अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की दर	वर्ष 2003–04 में कक्षा–V से वर्ष 2004–05 में कक्षा–VI में जाने वाले बच्चों की दर#
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	63.7	89.4
2	अरुणाचल प्रदेश	70.8	103.8
3	असम	75.0	89.2
4	बिहार	83.1	75.4
5	छत्तीसगढ़*	–	77.4
6	गोवा	40.7	98.0
7	गुजरात	59.3	86.6
8	हरियाणा	32.5	108.7
9	हिमाचल प्रदेश	0.0	107.8

1	2	3	4
10	जम्मू और कश्मीर	53.8	95.5
11	झारखंड*	–	83.9
12	झंतंदंजां	59.4	83.4
13	केरल	7.2	101.9
14	मध्य प्रदेश	64.7	90.6
15	महाराष्ट्र	54.2	99.7
16	मणिपुर	43.0	87.9
17	मेघालय	79.2	100.3
18	मिजोरम	67.0	96.4
19	नागालैंड	67.3	104.5
20	उड़ीसा	64.4	92.9
21	पंजाब	44.1	106.7
22	राजस्थान	73.9	98.8
23	सिक्किम	82.3	88.8
24	तमिलनाडु	55.2	99.6
25	त्रिपुरा	73.4	103.8
26	उत्तर प्रदेश	43.8	76.7
27	उत्तराखंड*	–	103.3
28	पश्चिम बंगाल	78.0	73.8
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.0	102.5
30	चंडीगढ़	16.7	98.0
31	दादरा और नगर हवेली	67.1	87.1
32	दमन और दीव	43.4	89.2
33	दिल्ली	46.9	141.2
34	लक्षद्वीप	18.9	87.5
35	पांडिचेरी	16.9	110.9
	भारत	61.9	88.8

* अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर से संबंधित इन राज्यों के आंकड़े इनके मूल राज्यों के साथ दर्शाए गए हैं।

कुछ मामलों में कक्षा–V से VI में जाने वाले बच्चों की दर 100 प्रतिशत से भी अधिक है क्योंकि कक्षा–VI के नामांकन में पुनः परीक्षा देने वाले, अन्य राज्यों से आने वाले तथा गैर–मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के सरकारी/सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्थानांतरित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है।

[अनुवाद]

कच्चा रेशम

4534. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कच्चे रेशम का राज्य–संघ राज्य क्षेत्रवार वार्षिक उत्पादन तथा उपभोग कितना है;

(ख) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कच्चे रेशम का किन–किन देशों से आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या चीन भारत को कम मूल्यों पर कच्चे रेशम का निर्यात कर रहा है जिससे घरेलू बाजार पर विघटनकारी प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) के शहतूती और वान्य कच्ची रेशम का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण–I में दिया गया है और इन्हीं वर्षों के लिए कच्ची रेशम का राज्य–वार उत्पादन और खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) के दौरान भारत में कच्ची रेशम का देश–वार आयात संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003–04 के दौरान चीन ने भारत को सस्ते मूल्यों पर कच्ची रेशम का निर्यात किया। बहुत सस्ते मूल्य पर चीनी की कच्ची रेशम के बड़ी पैमाने पर पाटन ने वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान घरेलू किसानों और रीलरों को उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने को प्रभावित किया है। अत: केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी)/भारत सरकार ने रीलर संघों के सहयोग से देश में चीनी की कच्ची रेशम के पाटन के विरूद्ध पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक (डीजीएडी) के समक्ष एक मामला दर्ज किया है। डीजीएडी ने दिनांक 4 जुलाई, 2003 से चीनी जनवादी गणराज्य से आयातित कच्ची रेशम पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है जिससे घरेलू बाजार में कोया/कच्ची रेशम के मूल्य स्थिर करने में सहायता मिली है। इसके अलावा कच्ची रेशम के आयात की मात्रा भी वर्ष 2003–04 की तुलना में घटकर वर्ष 2004–05 में 14 प्रतिशत रह गई है। पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण वर्ष 2005–06 से आयात मूल्य बढ़ गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्ची रेशम का कुल उत्पादन

मात्रा : मीट्रिक टन

राज्य	2003–04	2004–05	2005–06
आंध्र प्रदेश	6068	5110	5422
असम	587	667	857
अरुणाचल प्रदेश	3	4	11
बिहार	32	31	18
छत्तीसगढ़	119	123	96
गुजरात	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	12	12	16
हरियाणा	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	85	90	95
झारखंड	84	92	97
कर्नाटक	5949	7302	7471
केरल	4	8	12
मध्य प्रदेश	22	28	39
महाराष्ट्र	50	42	50
मणिपुर	462	488	286
मिजोरम	8	8	9
मेघालय	325	335	288
नागालैंड	96	99	131
उड़ीसा	39	36	25
पंजाब	4	4	4
राजस्थान	–	–	–
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	285	444	739
त्रिपुरा	4	4	4
उत्तर प्रदेश	11	12	24
उत्तरांचल	12	14	19
पश्चिम बंगाल	1481	1548	1591
कुल	15742	16500	17305

विवरण-II

कच्ची रेशम उत्पादन, आयात, निर्यात एवं खपत

वर्ष	कच्ची रेशम का उत्पादन (मी.टन में)			आयात	निर्यात	कुल खपत
	शहतूती	गैर–शहतूती	कुल	मी.टन	मी.टन	मी.टन
2003–04	13970	1772	15742	9258	50	24950
2004–05	14620	1880	16500	7948	71	24377
2005–06	15445	1860	17305	8383	185	25503

एसएस : 26.04.2007

विवरण-III

भारत में कच्ची रेशम का देश–वार आयात

देश	2003–04			2004–05			2005–06		
	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	
	(टन)	करोड़ रु.	मिलियन अम. डालर	(टन)	करोड़ रु.	मिलियन अम. डालर	(टन)	करोड़ रु.	मिलियन अम. डालर
चीन जनवादी गणराज्य	7576	520.33	113.21	7243	555.56	123.65	8165	762.89	172.33
चीन ताइपे (ताईवान)	25	2.48	0.54	54	5.07	1.13	27	2.63	0.59
ब्राजील	269	18.38	4.00	79	5.84	1.30	56	4.39	0.99
कोरिया गणराज्य	111	6.41	1.39	18	1.15	0.26	19	1.63	0.37
हांगकांग	24	1.30	0.28	2	0.18	0.04	3	0.43	0.10
स्विटजरलैंड	925	58.60	12.75	101	9.05	2.01	–	–	–
जापान	190	12.16	2.65	423	28.64	6.37	10	1.01	0.23
उजबेकिस्तान	45	2.34	0.51	21	1.04	0.23	50	2.92	0.68
यूएसए	12	0.81	0.18	–	–	–	1	0.01	–
सिंगापुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	81	5.6	1.22	7	0.68	0.15	52	3.80	0.86
कुल	9258	628.41	136.73	7948	607.21	135.15	8383	779.71	178.12

स्त्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता एस एस : 24.04.2007

समुद्री उत्पादों का निर्यात

4535. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश विशेषरूप से तमिलनाडु के विभिन्न पत्तनों से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों और तमिलनाडु से हुए कुल निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	कुल निर्यात (टनों में)	तमिलनाडु से निर्यात (टनों में)
2005–2006	512164	72418
2004–2005	461329	70809
2003–2004	412017	68461

साम्प्रदायिक दंगे

4536. एडवोकेट सुरेश कुरूप :
श्री रविन्दर कुमार राणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007 के दौरान देश में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) ये दंगे राज्य–वार किन स्थानों पर हुए;

(ग) ऐसे दंगों में कितने लोग मारे गए/घायल हुए तथा कितनी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और अपराध को दर्ज कराना, उसकी जांच पड़ताल करना और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2007 (जनवरी–अप्रैल) के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या और मारे गए व्यक्ति एवं घायल हुए व्यक्तियों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, केन्द्र सरकार विभिन्न तरीकों से जैसे कि आसूचना के आदान–प्रदान, सतर्कता संदेश भेजकर, संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल, जिसका साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से गठन किया गया है, सहित विशेष अनुरोध पर संबंधित राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समय–समय पर इस संबंध में सलाह और दिशानिर्देश भेजती है। देश में साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार नजर रखती हैं और जहां कहीं आवश्यकता होती है अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

केन्द्र सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने हेतु राज्य सभा में सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 शीर्षक से एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2007 (जनवरी–अप्रैल)*		
	घटनाएं	मारे गए	घायल हुए
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
आंध्र प्रदेश	6	0	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	2	0	9
बिहार	13	1	79
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	0	0
दिल्ली	1	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
गोवा	0	0	0
गुजरात	18	2	24
हरियाणा	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
झारखंड	6	0	14
कर्नाटक	16	2	113
केरल	5	2	25
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	60	6	152
महाराष्ट्र	48	6	90
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	6	0	14
पांडिचेरी	0	0	0
पंजाब	3	0	4
राजस्थान	8	0	30
सिक्किम	0	0	0

1	2	3	4
तमिलनाडु	7	0	23
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तरांचल	0	0	0
उत्तर प्रदेश	51	14	161
पश्चिम बंगाल	4	0	6
कुल	255	31	748

* अनंतिम आंकड़े

प्रशुल्क रियायतें

4537. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कम विकसित देशों में आयात तथा निर्यात के लिए समान प्रशुल्क रियायतें देने की संभावना की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी रियायतें देने का मुख्य प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या इन रियायतों में कृषि वस्तुएं भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी रियायतों से भारतीय कृषि वस्तुओं तथा विशेषरूप से किसानों पर कितना असर पड़ेगा; और

(ङ) ऐसे अन्य देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऐसी रियायतें दी जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) सरकार अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को एकपक्षीय टैरिफ अधिमान प्रदान करने के मुद्दे की जांच कर रही है। ऐसी किसी स्कीम का मुख्य उद्देश्य उनके आर्थिक विकास में मदद करने के लिए एक समेकित विकास सहायता प्रदान करना होगा। प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत वस्तु–क्षेत्रों के दायरे सहित किसी मापदंड पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार के अंतर्गत भारत ने एकपक्षीय रूप से दक्षिण एशिया के अल्प विकसित देशों (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव) को निम्नलिखित रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया है:

(i) पूर्व में प्रस्तावित तीन वर्ष के बजाय दो वर्ष की समयावधि में टैरिफों की समाप्ति।

(ii) भारत की संवेदनशील सूची को भी सभी दक्षिण एशियाई एलडीसी के लिए एकपक्षीय रूप से कम किया जाएगा।

(iii) बांग्लादेश को प्राप्ति संबंधी किसी शर्त या पत्तन प्रतिबंध के बिना परिधानों पर टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) प्रदान किया गया है।

बाल्को तथा एचजेडएल में इकाइयों को बंद किया जाना

4538. श्री चन्द्र शेखर दूबे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल्को तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जेड एल) के विनिवेश/व्यापक स्तर पर की गई बिक्री के बाद सरकार के बड़े हिस्सेदारों ने इसकी कार्यात्मक इकाइयों तथा प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए अंतिम मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन्हें अवैध रूप से बंद किए जाने के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जेड एल) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, बंदलामोट्टू, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में अग्निगुण्डाला खान और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में सर्गीपल्ली खान के प्रतिष्ठान को विनिवेश के बाद बंद कर दिया गया था। जहां तक भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) का संबंध है, कंपनी ने सूचित किया है कि मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन में भारी हानि, उच्चतर स्क्रैप उत्पादन, घटिया गुणवत्ता, अपर्याप्त बिक्री प्राप्त और ग्राहक बहिष्करण की वजह से विनिवेश के बाद पश्चिम बंगाल स्थित बिधान बाग इकाई में उत्पादन बंद कर दिया गया जबकि कोरबा स्थित फैक्टरी में प्रोफाइल ट्यूब शॉप (पी टी एस) इकाई जैसे उनके गैर मूल्य वर्धन प्रचालनों को खर्च बचाने हेतु बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) एचजैडएल के निदेशक मंडल द्वारा इसकी अग्निगुण्डाला और सर्गीपल्ली खानों को बंद करने का निर्णय 12 मई, 2000 को लिया गया था जब यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। जहां तक बालको का संबंध है, कंपनी ने सूचित किया है कि बिधान बाग इकाई में उत्पादन को बंद करने और पीटीएस के प्रचालनों को समाप्त करने के लिए कानून के तहत् अथवा शेयरधारक समझौते के तहत् कोई अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बंद की गई वस्त्र मिलें

4539. श्री सुव्रत बोस :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1982 में वस्त्र मिल मजदूरों की महा हड़ताल के बाद बन्द की गई वस्त्र मिलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मिलों का पूर्ण तरह से परिसमापन कर दिया गया है तथा ऐसी मिलों के सभी मजदूरों को पर्याप्त मुआवजा दे दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी बंद की गई मिलों के स्थान पर नई वाणिज्यिक गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी घटना से मुंबई तथा देश के अन्य भागों में वस्त्र मिलें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा वस्त्र मिलों तथा मिल मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) देश में ऐसी मिलों के राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार नाम तथा संख्या कितनी है जो दस से अधिक सालों से बंद पड़ी हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया जाना

4540. श्री जसुभाई धान्नभाई बारड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने शिफ्टों में काम करने वाली महिलाओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का अन्य महानगरों में ऐसे दिशा–निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने कॉल सेंटरों और बी पी ओ (बिजनेस प्रोमोशन आउटसोर्सिंग) सेक्टर में रात की पारी में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं:–

(i) जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के सभी प्रभारी पुलिस उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉल सेंटर/बी पी ओ की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर पी सी आर, मोटर साइकलों और पुलिस पिकेटों द्वारा पर्याप्त रूप से गश्त लगाई जाए।

(ii) उन्हें, कॉल सेंटरों/बी पी ओ के मुख्य कार्यालयों के साथ बैठकें आयोजित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सलाह देनी चाहिए कि किसी भी समय अकेली महिला को किसी भी वाहन में यात्रा न करने दी जाए।

(iii) प्रत्येक वाहन में बी पी ओ/कॉल सेंटर का कम से कम एक सुरक्षा कार्मिक होना चाहिए।

(iv) महिला कर्मचारियों को उनके घर से ही वाहन में बैठाया जाना चाहिए और उन्हें घर पर ही छोड़ा जाना चाहिए।

(v) कॉल सेंटर/बी पी ओ के मुख्य कार्यपालकों को ड्राइवरों को यह हिदायतें देनी चाहिए कि वे मुख्य मार्गों पर वाहन चलाएं और शॉर्ट–कट का इस्तेमाल न करें।

(vi) यह पाया गया है कि ड्राइवर, नैमित्तिक समय में अपने मार्ग के यात्रियों को वाहन में बैठा कर पैसा बनाते हैं। इससे कार जैकिंग हो सकती है। उन्हें इस बारे में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

(vii) बी पी ओ/कॉल सेंटरों में काम करने वाले ड्राइवरों के चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन, यथाशीघ्र स्थानीय पुलिस की सहायता से किया जाना चाहिए।

(viii) कॉल सेंटरों/बी पी ओ के मुख्य कार्यपालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ड्राइवर, असावधानी और लापरवाही से ड्राइविंग न करे।

(ix) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कॉल सेंटरों/बी पी ओ से जुड़े सभी वाहनों में वॉकी–टॉकी सेट लगे हो।

(x) तेज गति से चलने वाले वाहनों पर नजर रखने/उन पर मुकद्मा चलाने के लिए यातायात पुलिस को रात में स्पीड राडार गन का उपयोग करना चाहिए।

(xi) वाहनों का ब्यौरा अर्थात् वाहन का नम्बर और उसकी कंपनी, मालिक/ड्राइवरों का नाम और पता, उनका मोबाइल/टेलीफोन नम्बर और बी पी ओ/कॉल सेंटरों में कर्मचारियों को लाने–ले–जाने का काम करने वाले संबंधित अधिकारी की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(xii) उन सभी कॉल सेंटरों/बी पी ओ/एयर लाइंस, शिक्षण संस्थानों

में क्या करें/क्या न करें परिचालित किया जाना चाहिए जिनमें सायं/रात्रिकालीन पारी में महिलाओं को तैनात किया जाता है और उन्हें यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे इसे प्रत्येक वाहन पर चिपका दें।

(xiii) कॉल सेंटरों/बी पी ओ के ड्राइवरों को अपने पास पहचान पत्र रखने चाहिए जो उन्हें उनके नियोजकों द्वारा जारी किए गए हों।

(xiv) ट्रांसपोर्ट प्रबंधकों और ट्रांसपोर्टरों को ड्राइवरों, ट्रांसपोर्ट प्रबंधकों और ट्रांसपोर्टरों के पिक–अप, ड्रॉप, मोबाइल नम्बर का रिकार्ड/ब्यौरा रखना चाहिए।

(xv) सभी वाहनों में आपात संख्या अर्थात् 100–पुलिस नियंत्रण कक्ष, 1091–महिला पुलिस सहायता लाइन, कंपनी का ट्रांसपोर्ट प्रबंधक, दिल्ली यातायात पुलिस/एस एम एस संख्या 6565 आदि प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(xvi) कॉल सेंटरों/बी पी ओ, ट्रांसपोर्टरों, महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें होनी चाहिए।

(ग) और (घ) कानून और व्यवस्था और पुलिस, राज्य के विषय होने के कारण अन्य महानगरों में ऐसे कोई दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

4541. श्री नरहरि महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् ने सरकार को कतिपय क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद् ने कुछ देशों की पहचान की है, जहां से देश में विदेशी पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलु सरकार के लिए मुख्य मुद्दे हैं और जहां कहीं आवश्यक होता उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के अंतर्गत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम 2000 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति शामिल की गई है। फेमा में उन देशों का ब्यौरा दिया जाता है जिन से निवेश की अनुमति नहीं है। फेमा विनियमों की धारा 5(1) के अनुसार भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति, बंगलादेश या पाकिस्तान में रहने वाली हस्ती को छोड़कर एफडीआई योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है बशर्ते कि वह अनुसूची 1 में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अनुसार हो।

विद्युत करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

4542. श्री अनन्त नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्युत करघा क्षेत्र का विकास तथा आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त योजना अवधि में विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा विकास के अंतर्गत किस योजना का कार्यान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे कितना अतिरिक्त वस्त्र उत्पादित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने सिफारिश की है कि चालू परियोजनाएं जारी रहें। योजना के लिए कुल परिव्यय को नामित एजेंसियों के साथ परामर्श कर अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) 11वीं योजना के लिए कार्यकारी समूह द्वारा अनुशंसित योजनाएं/कार्यक्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए विकास योजना हैं जिसमें आधुनिकृत कार्यस्थल योजना, बाजार विकास सहायता एवं प्रदर्शन दौरे, विद्युतकरघा क्षेत्र का सर्वेक्षण, समूह विकास क्रियाकलाप, नए कंप्यूटर साहायित डिजाइन केंद्रों (सीएडीसी) एवं विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की स्थापना शामिल हैं और पीएससी और सीएडीसी का आधुनिकीकरण और उन्नयन तथा विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना (जीआईएस) जैसी चालू योजनाओं को जारी रखने की भी अनुशंसा की है।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि यह क्षेत्र 2011–12 तक फैब्रिक का वृद्धिपरक 25 मिलियन वर्ग मीटर का उत्पादन करेगा।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

4543. श्री अबु अयीश मंडल : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम, 2005 (पी.डब्ल्यू.डी.वी.ए.) को कार्यान्वित करने के लिए बजटीय आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकारें संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेंगी। यह परिकल्पना की गई कि अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर मौजूदा तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में संबंधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण, अधिनियम के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती हेतु निधियां

4544. श्री संतोष गंगवार :

श्री अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में आंतरिक उपद्रवों, आतंकवादी तथा नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों (पी एम एफ) की तैनाती की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में तैनात पी एम एफ के कुल जवानों का राज्य-वार तथा पी एम एफ-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पी एम एफ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितना-कितना प्रतिशत खर्चा वहन किया जाता है;

(च) क्या किसी राज्य पर तैनाती शुल्क देयता की राशि बकाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की विभिन्न राज्यों में तैनाती संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा/घुसपैठ विरोधी परिस्थितियों को नियंत्रण करने हेतु इनकी उपलब्धता के आधार पर की गई है। विभिन्न राज्यों में तैनात बलों के ब्यौरों का उल्लेख करना जनहित में नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के खर्च की राज्यों से वसूली समय-समय पर सरकार द्वारा नियत दरों पर की जाती है।

कुछ राज्यों को इन प्रभारों की वसूली से छूट उन राज्यों में मौजूदा आंतरिक सुरक्षा परिस्थितियों के आधार पर प्रदान की जाती है।

(च) और (छ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के बकाया देयों की राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। बकाया देय राशि की वसूली का प्रबोधन और पालन नियमित आधार पर किया जाता है। कुछ बकाया देय राशि की वसूली गृह मंत्रालय की अन्य स्कीमों के तहत राज्यों को प्रतिपूर्ति के लिए देय राशि से की जाती है।

विवरण

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के प्रभार की बकाया देय राशि

(1.3.2007 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	सीआरपीएफ बकाया	बीएसएफ बकाया	सीआईएसएफ बकाय	आईटीबीपी बकाया	एसएसबी बकाया	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2445906572	0	2681904	0	0	2448588476
2.	असम	4410264281	60618943	1524926	0	4839300	4477247450

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	2137372684	9717905	52756961	0	2130211	2201977761
4.	छत्तीसगढ़	516955798	0	0	0	0	516955798
5.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	502526564	27480351	0	0	0	530006915
6.	दिल्ली पुलिस	2048116336	62999753	762437892	0	4654808	2878208789
7.	गोवा	22142604	0	19516676	0	0	41659280
8.	गुजरात	2488116336	12820115	60974537	0	1373546	323996626
9.	हरियाणा	704400	0	0	0	0	704400
10	झारखंड	1580065631	6817058	0	0	1452796	1649688885
11.	कर्नाटक	65906272	60658522	1114369	0	1869348	129548511
12.	मध्य प्रदेश	58331098	0	0	0		58331098
13.	महाराष्ट्र	59838263	0	1106820	0	0	60945083
14.	उड़ीसा	918480395	0	0	0	0	918480395
15.	पांडिचेरी	4673800	0	0	0	0	4673800
16.	पंजाब	2337937275	34434107	103574935	177296553	276241943	2929484813
17.	राजस्थान	3696300	0	0	0	0	3696300
18.	तमिलनाडु	1279295574	91924550	153063	0	0	1371373187
19.	उत्तरांचल	38842800	0	0	0	12977818	51820618
20.	उत्तर प्रदेश	4614414787	2637516	0	0	3735525	4620787828
21.	पश्चिम बंगाल	723322499	138685744	0	0	0	862008243
	कुल	24017622361	570147964	1005842083	177296553	309275295	260801842501

शिक्षा उपकर

4545. श्री गणेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा उपकर के रूप में एकत्रित धनराशि का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार एकत्रित धनराशि से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उक्त धनराशि खर्च की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 (फरवरी, 2007 तक) के लिए शिक्षा उपकर के माध्यम से एकत्र की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(रु. करोड़ में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2004–05	1804.51	2514
2005–06	3213.75	4424
2006–07 (फरवरी, 07 तक)	2982.00*	3851*

*अनंतिम

(ख) से (घ) शिक्षा उपकर से होने वाली आय का उपयोग सरकार की सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए सकल बजटीय सहायता के रूप में प्रदत्त निधियों के समाप्त हो जाने के पश्चात अनन्य रूप से इन योजनाओं के लिए किया जाता है। शिक्षा उपकर में से राज्यों को पृथक रूप से कोई आबंटन नहीं किए जाते। उन्हें वित्तीय सहायता प्रारंभिक शिक्षा से संबद्ध सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना की अलग–अलग योजनाओं के तहत इन योजनाओं के दिशानिर्देशों तथा उनके अपने–अपने बजटीय आबंटनों के अनुसार दी जाती है।

[अनुवाद]

बाल सुरक्षा के लिए योजनाएं

4546. श्रीमती मिनाती सेन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य–वार, संघ राज्य क्षेत्र–वार अलग–अलग से तथा योजना एवं कार्यक्रम–वार कितने कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त कार्यक्रम तथा योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा अन्यों को राज्य–वार, संघ राज्य क्षेत्र–वार, एनजीओ–वार अलग से और कार्यक्रम एवं योजना–वार कुल कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार, संघ राज्य क्षेत्र–वार अलग से तथा कार्यक्रम एवं योजना–वार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में बच्चों के संरक्षणार्थ निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(i) किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम;

(ii) निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम;

(iii) देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम; तथा

(iv) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल गृहों (शिशु गृह) को सहायता की स्कीम।

उक्त स्कीमों के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशि से संबंधित सूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए बजट प्रावधान इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	स्कीम का नाम	वर्ष 2007–08 हेतु बजट प्राक्कलन (रुपए करोड़ों में)
1.	किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम	21.00
2.	निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम	10.00
3.	देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम	7.00
4.	देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल गृहों (शिशु गृहों) को सहायता की स्कीम	3.00

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त स्कीमों के अंतर्गत अभी तक कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां काफी हद तक व्यय कर ली जाती हैं तथा पिछले वर्ष की अव्ययित राशि परिवर्ती निर्मुक्तियों हेतु देय निधियों में समायोजित की जाती है।

[हिन्दी]

निर्यात लक्ष्य

4547. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात में तेजी लाने के लिए निर्यातकों को सेवा कर की छूट दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को घोषित विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) के वार्षिक परिशिष्ट में सरकार ने दोहराया है कि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है; न कि शुल्कों और लेवियों का।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता

4548. श्री वी.के. दुग्गर :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत तथा कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों विशेष रूप से गुजरात को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार क्या कार्य किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से गुजरात से अनुदान प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर विलम्ब हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी स्थिति क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए अन्य सरकारों को वित्तीय सहायता उक्त क्षेत्र की अनुभूत आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

अध्यापकों के वेतन के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य द्वारा दावा किए गए 41.02 करोड़ रु. की तुलना में गुजरात सरकार को दिनांक 15.2.2002 को 23.70 करोड़ रु. जारी किए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार से अनुदानों के लिए कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की योजना के तहत वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	500.55	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–
5	छत्तीसगढ़	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–
8.	गुजरात	–	–	–
9	हरियाणा	67.23	24.52	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	–
12.	जम्मू और कश्मीर	599.69	–	–
13.	कर्नाटक	–	–	–
14.	केरल	1425.00	–	–
15	मध्य प्रदेश	–	–	–
16.	महाराष्ट्र	–	–	–
17.	मणिपुर	–	20.12	–
18.	मेघालय	–		–
19.	मिजोरम	150.00	538.00	–
20.	नागालैंड	–	–	–
21.	उड़ीसा	–	–	–
22.	पंजाब	–	–	–

1	2	3	4	5
23.	राजस्थान	–	–	–
24.	सिक्किम	–	454.05	250.00
25	तमिलनाडु	–	–	–
26.	त्रिपुरा	66.68	–	–
27.	उत्तरांचल	–	–	–
28.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
संघ शासित प्रदेश				
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
31.	चंडीगढ़	–	7.00	–
32.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	50.00	15.53
	कुल	2809.15	1093.69	265.53

[अनुवाद]

डी ए वी पी द्वारा जारी विज्ञापन

4549. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) द्वारा जारी विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में एजेन्सी–वार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) इन दिशानिर्देशों में अंतिम बार किस तिथि को संशोधन हुआ था?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान समाचार पत्रों/आवधिकियों और श्रव्य–दृश्य मीडिया को जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। विज्ञापनों हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी होने के कारण डी ए वी पी किसी अन्य एजेंसी के जरिए विज्ञापन जारी नहीं करता है।

(ख) डी ए वी पी ग्राहक विभागों के परामर्श से प्रचार आवश्यकताओं, लक्षित पाठकगण व क्षेत्र, बजटीय प्रावधानों और वरीयताओं के मद्देनजर उपयुक्त प्रकाशनों को वर्गीकृत और प्रदर्शन विज्ञापन जारी करता है।

(ग) नई प्रिंट विज्ञापन नीति 1 जून, 2006 से लागू हुई और श्रव्य–दृश्य विज्ञापन नीति 10 नवम्बर, 2006 को लागू हुई।

विवरण

समाचारपत्रों/आवधिकियों को जारी विज्ञापनों का वर्ष–वार ब्यौरा

वर्ष	विज्ञापनों की संख्या	राशि (रुपए में)
2004–05	22234	136,45,33,376
2005–06	23379	200,12,07,736
2006–07	20178	207,17,68,849

श्रव्य–दृश्य मीडिया को जारी विज्ञापनों का वर्ष–वार ब्यौरा

वर्ष	विज्ञापनों की संख्या	राशि (रुपए में)
2004–05	92903	30,39,07,605
2005–06	133471	91,33,27,623
2006–07	130787	100 करोड़ (लगभग)

रेजीडेंट कार्ड

4550. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी नागरिकों को 'रेजीडेंट कार्ड' देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक दिए जाने की संभावना है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) सरकार का देश के नागरिकों को बहु–उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। तथापि प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी, दोनों की जटिलाताओं को ध्यान में रखते हुए 12 राज्यों और 1 संघ

राज्यक्षेत्र के चुनिन्दा उप–जिलों में प्रायोगिक आधार पर एक प्रयोगिक परियोजना चल रही है। सरकार का प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभवों और जानकारी को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश में योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। पहचान पत्रों को तैयार करने और उन्हें वितरित करने का कार्य जुलाई, 2007 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) प्रायोगिक परियोजना के लिए 44.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

राजभाषा को बढ़ावा देना

4551. श्री मणी कुमार सुब्बा :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी राजभाषा नीति के भाग के रूप में हिन्दी को पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा वर्ष–वार, राज्य–वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई/उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई सेमीनार तथा सम्मेलन आयोजित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक सेमीनार तथा सम्मेलन का ब्यौरा क्या है और इनमें किन मुद्दों की चर्चा की गई तथा किन मुद्दों को कार्यान्वित किया गया; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अलग–अलग से कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई/उपयोग में लाई गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) संघ की राजभाषा हिंदी से संबंधित नीति को राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से कार्यान्वित किया जाना है। तदनुसार पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी राज्यों में इस विभाग तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं प्रमुख हैं:–

(i) हिंदी समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।

(ii) केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा/आशुलिपि/टंकण तथा अनुवाद का प्रशिक्षण दिलाना।

(iii) कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी में कार्य करना, प्रशिक्षण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना और वर्ल्ड वेब पर उपलब्ध करना।

(iv) सरकारी कार्यालयों आदि का राजभाषाई निरीक्षण करना व विभिन्न प्रोत्साहन व पुरस्कार योजनाएं चलाना।

(v) प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का निःशुल्क वितरण।

(ख) राजभाषा से संबंधित कार्यक्रमों को राजभाषा विभाग तथा केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों आदि द्वारा उनके बजट में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से देश–भर में चलाया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार अलग से कोई धनराशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

(ग) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 4 सम्मेलनों के हिसाब से कुल 12 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों तथा तीन हिंदी दिवस समारोहों का आयोजन किया है।

(घ) क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं और क्षेत्र विशेष के कतिपय विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाता है। सम्मेलनों में उन्हें संघ की राजभाषा नीति तथा कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए साफ्टवेयरों आदि की अद्यतन जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही राजभाषा नीति के श्रेष्ठ अनुपालन के लिए अधीनस्थ कार्यालयों आदि को शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिनमें हिंदी में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय/विभागों आदि को शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

(ङ) इस प्रयोजनार्थ किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(लाख रुपयों में)

	2004–05	2005–06	2006–07
चार क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों पर व्यय	7.11	6.92	7.90
हिन्दी दिवस समारोह पर व्यय	5.45	7.91	6.10

अर्द्ध-सैनिक बल के सुरक्षा कर्मियों को आवास सुविधाएं

4552. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऊंचे स्थानों और दुर्गम भूभागों में तैनात अर्द्ध–सैनिक बलों के सुरक्षाकर्मियों की आवास संबंधी समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों की आवास की कमी को पूरा करने के विचार से पुलिस आवास के अधीन आबंटन में पिछले पांच वर्षों से प्रचुर वृद्धि की जा रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी पर्याप्त धन के आबंटन के पूर्वानुमान लगाए गए हैं।

प्रबंध संस्थान

4553. श्रीमती मन्नेरुमा मोहनराज : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की तर्ज पर प्रबंध संस्थान विधेयक पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कदम से भारतीय प्रबंध संस्थानों को प्राप्त स्वायत्तता विशेषकर उनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता के कम होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विधि मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या टिप्पणियां की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सरकार प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की तर्ज पर प्रबंध संस्थान विधेयक पेश करने की संभावना की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

4554. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य और पूरे किए गए कार्य का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सर्वेक्षणों के दौरान नए खनिज भण्डारों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में उपलब्ध खनिजों के वाणिज्यिक दोहन में क्या समस्याएं सामने आ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य और पूरे किए गए कार्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

विगत तीन वर्षों में जी एस आई द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षण कार्य के लिए लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां

सर्वेक्षण की किस्म	वित्त वर्ष 2004–05		वित्त वर्ष 2005–06		वित्त वर्ष 2006–07	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
(क) जमीनी सर्वेक्षण						
क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण (वर्ग किमी) (पैमाना 1:50,000)	360	300	420	550	570	590
विशिष्ट विषयक मानचित्रण (वर्ग किमी) (पैमाना 1:25,000)	6599.20	6510.50	11549.80	10730	8341	8043
भूरासायनिक मानचित्रण (वर्ग किमी) (पैमाना 1:50,000)	22731.60	25677.50	23858.60	23848.30	26015.60	24215
भूभौतिकी मानचित्रण (वर्ग किमी) (पैमाना 1:50,000)	16304	16253.50	16054	17863	18012.05	16803

1	2	3	4	5	6	7
वृहद् पैमाने पर मानचित्रण	922.14	1041.05	1076.14	1283.92	1508.88	1393.55
(वर्ग किमी) (पैमाना 1:10,000–25,000)						
विस्तृत मानचित्रण	27.24	34.77	32.96	28.84	26.88	31.96
(वर्ग किमी) (पैमाना 1:<10,000)						
ड्रिलिंग मीटर	87129.44	82209.86	85501.43	83708.41	84236.38	70425.55
(ख) हवाई सर्वेक्षण						
बहुसंवेदक/ऐरोमैग्नेटिक सर्वेक्षण (टिव ओटर के साथ) (लाइन कि.मी.)	28000	20926	28407	32481	28062	28777

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर खनिज संसाधनों का आकलन करता है। इन सर्वेक्षणों के दौरान पहचान किए गए नए खनिज संसाधन नीचे दिए गए हैं:

स्वर्ण अयस्क

राजस्थान

भूकिया ईस्ट ब्लॉक में 2.36 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 3.22 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

भूकिया ईस्ट सेंट्रल ब्लॉक में 2.10 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 11.207 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

भूकिया नार्थ सेंट्रल ब्लॉक में 1.83 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 2.46 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

भूकिया साउथ सेंट्रल ब्लॉक में 1.50 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 2.59 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

तिमरान माता वैस्ट ब्लॉक में 1.50 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 3.33 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

तिमरान माता ईस्ट ब्लॉक में 2.30 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 3.6 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

दिलवाड़ा ब्लॉक में 1.65 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 12.896 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

झारखण्ड

पारसी एरिया, रांची में 3.1 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 0.40 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

पारसी एरिया, रांची में 2.24 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 1.11 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

पहाड़िया एरिया, सिंहभूम (पश्चिम) में 3.85 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 0.25 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

पहाड़िया एरिया, सिंहभूम (पश्चिम) में 3.65 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 0.33 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

कर्नाटक

अज्जनहल्ली ईस्ट ब्लॉक, तुमकुर में 2.00 ग्रा./ट. स्वर्ण वाले 0.293 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

प्लेटिनम समूह की धातुएं (पीजीएम)

हनुमालपुर ब्लॉक, दावनगेर जिला, कर्नाटक में 1.79 पीपीएम के औसत ग्रेड वाले 0.294 मिलियन टन पीजीएम अयस्क।

आधारधातुएं

धानी बसरी एरिया, दौसा जिला, राजस्थान में 1.56 पीपीएम स्वर्ण तथा 1.09% तांबा वाले 3.2 मिलियन टन तांबा–स्वर्ण अयस्क।

मैंगनीज

पचेरी–लासर्डा क्षेत्र, क्योंझर जिला उड़ीसा में 27% औसत ग्रेड मैगनीज वाले 5.962 मिलियन टन अयस्क।

लौह अयस्क

सुन्दरगढ़ जिला उड़ीसा में 20.42 मिलियन टन लौह अयस्क।

कोयला तथा लिग्नाइट

पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में कोयला संसाधन को 2228.75

मिलियन टन तक संवर्धित किया गया। तमिलनाडु तथा राजस्थान राज्यों में (जून, 2006 तक) लिग्नाईट संसाधनों को 417.59 मिलियन टन तक संवर्धित किया गया।

क्ले

कलाईकोड ब्लॉक, कासरगोड जिला, केरल से 1.9 मिलियन टन अवसादी क्ले तथा 1.93 मिलियन टन अवशिष्ट क्ले आकलित की गई है।

चूना-पत्थर

लारकेट ब्लॉक, जयन्तिया पहाड़ी मेघालय में 395.86 मिलियन टन।

जालफेट ब्लॉक, जयन्तिया पहाड़ी मेघालय में 11.59 मिलियन टन।

लुमसोरटोह तथा उम – माजू ब्लॉक, जयन्तिया पहाड़ी मेघालय में 531 मिलियन टन।

वृद्धाचलम सब–बेसिन, तमिलनाडु में 48.33 मिलियन टन।

ग्रेफाइट

शिवगंगा ग्रेफाइट बेल्ट, तमिलनाडु में 1.08 मिलियन टन ग्रेफाइट।

(घ) और (ङ) भूविज्ञान तथा खनन निदेशालय (डीजीएम), राजस्थान के अनुसार वन, चारागाह, खेतीदारी भूमि में मिलने वाले खनिजों के वाणिज्यिक विदोहन में समस्याएं पेश आ रही हैं। ऐसे कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने की जटिल प्रक्रियाओं के अलावा अरावली रैंज पर न्यायालय का निर्णय, पर्यावरण तथा आदिवासी बेल्ट अन्य बाधाएं हैं।

[अनुवाद]

विदेश व्यापार नीति

4555. श्री मिलिन्द देवरा :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004–09 की विदेश व्यापार नीति के संबंध में हाल ही में घोषित वार्षिक अनुपूरक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र को दिए गए विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेश व्यापार नीति 2004–09 कृषि निर्यात के महत्व पर बल देती है और इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और कृषि निर्यात में गिरावट की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) विभिन्न वस्तु क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों को शामिल करते हुए वर्ष 2004–09 हेतु विदेश व्यापार नीति के वार्षिक पूरक अंक की विशेषताएं विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) (19.4.2007 के अनुसार अद्यतन) में उपलब्ध हैं। एफ टी पी की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। कृषि उत्पादों जैसे फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वनोत्पादों, दुग्ध, कुक्कुट तथा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को विशेष कृषि उपज योजना शुरू की है। दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से इस योजना का नाम बदलकर विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना रखा गया है। वर्ष 2004 से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि का रूख देखा गया है।

पूर्वोत्तर में आई एस आई की गतिविधियां

4556. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस ने यह बताया है कि पूर्वोत्तर में आई एस आई की गतिविधियों में वृद्धि हुई है जैसा कि दिनांक 24 अप्रैल, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में विशेषकर पूर्वोत्तर में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने मीडिया रिपोर्ट देख ली है।

(ग) और (घ) सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्य दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण की व्यवस्था करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित ऑपरेशनों द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र–विरोधी

तत्वों/आई एस आई एजेंटों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है। केन्द्र सरकार और राज्य आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद/जासूसी मॉड्यूल्स का पता लगाया गया है/उन्हें निष्क्रिय किया गया है।

विधिक सुधार

4557. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह कहा है कि सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 164क) में संशोधन तो किया है परन्तु विधिक सुधारों को पूरे देश में लागू करने से पूर्व समुचित अवसंरचना उपलब्ध नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या धारा 164क के अंतर्गत पुलिस द्वारा गवाह से मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाने की संभावना है जिससे कि कोई गवाह बाद में अपने बयान से न मुकर सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के मत पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में विधिक सुधार लागू करने से पूर्व और अधिक न्यायालय स्थापित करने तथा कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) 23 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164ख अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है जिसमें मृत्यु दंड या 10 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास वाले दंडनीय अपराध की जांच-पड़ताल के दौरान कम से कम उप-निरीक्षक के रैंक का एक पुलिस अधिकारी अपेक्षित है, जो उन सभी व्यक्तियों को, उसकी राय में जिनके बयान मामले की उचित जांच-पड़ताल के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है, निकटतम मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उनके बयान रिकार्ड करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

राज्य सभा के सभापति ने विधेयक को गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति के पास जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए भेजा है। उनकी रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

उच्चतम न्यायालय ने 2005 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 1-देश पहले बनाम भारत संघ और अन्यों के सिलसिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164ख को अंतर्विष्ट करने के प्रस्ताव के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण/आंकड़े मांगे हैं। सूचीबद्ध करने की अगली तारीख 23.7.2007 है।

(घ) न्याय प्रशासन, राज्य का विषय है। अदालतों आदि में कोई भी वृद्धि, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा करनी होती है।

शिक्षा के क्षेत्र में निवेश

4558. श्री पी.सी. थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश भर में सी बी एस ई पाठ्यचर्या वाले और स्कूलों को अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दक्षिण भारत में विद्यालयों की अधिक संख्या के मद्देनजर चेन्नई में विद्यमान क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मांग की जा रही है अथवा इसे स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए आबंटन को वर्ष 2006-07 के दौरान 20745.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2007-08 के दौरान 28674 करोड़ रु. कर दिया गया है जो कि लगभग 38.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। स्कूल अपनी जरूरतों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अपने पसंद के बोर्ड से संबंधन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) से (छ) केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय रेल द्वारा क्रयादेश

4559. श्री सुग्रीव सिंह : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) को वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान भारतीय रेल से लिलेन, वर्दियों, अपहोलस्ट्री और कुल्हड़ों आदि की थोक मात्रा में आपूर्ति हेतु क्रय आदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान अन्य कौन से संगठन के वी आई सी को थोक मात्रा के क्रयादेश दे रहे हैं;

(ग) क्या के वी आई सी के पास इतनी बड़ी मात्रा के मद्देनजर गुणवत्ता और मानक के अनुसार मांगे गए उत्पादों को उपलब्ध कराने की क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संगठन को इतनी थोक मात्रा में उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए के वी आई सी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 2005–06 और 2006–07 के दौरान खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के कार्यक्षेत्र के तहत विभिन्न खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थानों द्वारा भारतीय रेलवे को की गई आपूर्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्रम सं.	मद	राशि (करोड़ रुपए में)	
		2005–06	2006–07
1	खादी मदें	15.32	16.09
2	पॉलिवस्त्र, बेडशीट, तकिये के कवर, आदि	2.06	6.78
3	ग्रामोद्योग उत्पाद	1.76	1.45*
4	कुल्हड़	0.15	0.16*

*अनंतिम

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने 2005–06 के दौरान 150 लाख रुपए के शहद, कंघी और तौलिए तथा 2006–07 के दौरान 259.53 लाख रुपए के तौलिए की रक्षा मंत्रालय को आपूर्ति की। संघ सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा, राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय निकायों ने क्रमशः 2005–06 और 2006–07 के दौरान 1.68 करोड़ रुपए और 1.36 करोड़ रुपए (अनंतिम आंकड़े) मूल्य के खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा आपूर्ति किए गए विभिन्न खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीददारी की।

(ग) जी, हां।

(घ) केवीआईसी मदों के प्रत्यक्ष उत्पादन/आपूर्ति में संलग्न नहीं है और ऐसा उत्पादन/आपूर्ति उसके सहायता प्राप्त अभिकरणों (गैर सरकारी संगठनों) द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा आर्डर प्राप्त करने और उनकी आपूर्ति की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से, केवीआईसी ने उत्पादक/आपूर्तिकर्ता संस्थानों के प्रत्यक्ष मध्यम स्थापित किए हैं। केवीआईसी द्वारा इन संस्थानों को सरकारी आपूर्ति तथा आईएसआई के तहत विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार मदों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय रेलवे और अन्य उपभोक्ताओं को अपेक्षित गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति के लिए केवीआईसी द्वारा उठाए गए कदमों में खादी प्रयोग समिति अहमदाबाद में निरीक्षण सुविधाओं का प्रयोग तथा खादी उत्पादों के नमूनों की गुणवत्ता के नियमित परीक्षण के लिए टेक्सटाइल कमिटी की प्रयोगशाला सुविधाओं का प्रयोग शामिल है। केवीआईसी रेट कांट्रेक्ट (आरसी) के तहत नहीं आने वाली मदों जैसे चमड़े के बूटों, चप्पलों, पोलिवस्त्र, बेडशीट, तकिए के कवर, कार्यालय फर्नीचर, कंप्यूटर ट्रॉली, परिधान सामग्री, ऊनी कंबल, आदि की आपूर्ति के लिए आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, भारत सरकार (डीजीएस एंड डी) के माध्यम से अन्य विभागों में भी प्रयास कर रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में पाकिस्तान की रुचि

4560. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सर्व शिक्षा अभियान में गहरी रूचि दिखाई है जैसाकि दिनांक 23 फरवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पाकिस्तान से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच किसी विनिमय के लिए औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तथापि भारत–पाकिस्तान संयुक्त आयोग द्वारा गठित शिक्षा संबंधी एक कार्य दल ने अपनी पहली बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की। इस कार्य दल द्वारा शिक्षा संबंधी जिन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया उनमें उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में

सहयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा पाकिस्तान के एच.ई.सी. के बीच संस्थागत संपर्क, शैक्षिक विकास संबंधी मुद्रित सामग्री का विनिमय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान द्वारा अनुभवों का परस्पर आदान–प्रदान और प्रारंभिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदन–प्रदान शामिल है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

4561. श्री रामदास आठवले :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज तक सरकार का देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों/लंबित प्रस्तावों की देश–वार अलग–अलग संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(घ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र सहित देश में ऐसी औद्योगिक इकाइयों को राज्य–वार कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। जहां सरकारी पूर्ण अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों के ब्यौरे विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न देशों की कंपनियों के 41 प्रस्ताव एफ आई पी बी के विचाराधीन हैं। प्रस्तावों की सूची विवरण–III में दी गई है। सभी प्रकार के पूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा निर्णयों की सूचना इनकी प्राप्ति के 6–8 सप्ताह के भीतर सामान्यतः दी जाती है।

(ङ) सरकार ने एक उदार पारदर्शी तथा निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। वाणिज्यिक विचार–विमर्श के आधार पर निवेश किए जाते हैं। इसलिए एफ.डी.आई. के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन एफ.डी. आई. आशयों का सही प्रतिबिम्ब नहीं होते हैं।

विवरण-I

अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 तक देश–वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों का ब्यौरा

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	देश	2004–05 अप्रैल–मार्च	2005–06 अप्रैल–मार्च	2006–07 अप्रैल–मार्च	योग
1	2	3	4	5	6
1	अफगानिस्तान	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आस्ट्रेलिया	18.50	9.38	49.33	77.21
3	आस्ट्रीया	4.80	1.63	1.01	7.43
4	बहमास	5.69	0.62	0.05	6.37
5	बहरीन	0.00	0.22	0.87	1.09
6	बेलजियम	0.54	12.19	81.18	93.90
7	बेलोरासीया	0.00	0.00	1.90	1.90
8	बरमुड़ा	2.62	0.17	413.54	416.34

1	2	3	4	5	6
9	ब्राजील	0.02	0.03	0.16	0.22
10	बुल्गारिया	0.14	0.00	0.00	0.14
11	कनाडा	14.33	12.09	22.98	49.40
12	केयमेन द्वीपसमूह	8.44	29.98	40.81	79.22
13	चेनल द्वीपसमूह	0.53	4.25	0.26	5.04
14	चीन	1.35	0.91	0.68	2.94
15	चेक गणराज्य	0.00	0.10	0.00	0.10
16	साइप्रस	2.63	69.65	58.21	130.49
17	डेनमार्क	20.78	47.11	1.94	69.83
18	फिनलैंड	1.52	3.36	3.44	8.32
19	चिले	0.00	0.00	2.54	2.54
20	फ्रांस	117.54	18.51	117.28	253.33
21	ग्रीस	0.00	0.06	0.18	0.24
22	जर्मनी	145.35	302.82	119.95	568.12
23	हांगकांग	10.96	26.47	60.74	98.17
24	हंगरी	0.00	0.11	0.01	0.12
25	इण्डोनेशिया	0.28	1.03	3.49	4.80
26	आयरलैंड	0.88	9.25	13.79	23.92
27	आइसले ऑफ मैन	0.43	0.45	0.17	1.05
28	इज़रायल	0.12	4.44	0.29	4.85
29	इटली	27.25	40.09	56.83	124.17
30	लिचटैन्सटीन	0.00	0.00	0.99	0.99
31	जापान	126.24	208.29	84.74	419.26
32	कजाकिस्तान	0.02	0.00	0.00	0.02
33	कोरिया (उत्तरी)	0.34	0.02	1.51	1.87
34	लेबनान	0.00	0.00	0.24	0.24
35	कोरिया (दक्षिण)	34.56	60.18	70.89	165.63

1	2	3	4	5	6
36	कुवैत	1.58	0.20	2.68	4.46
37	लाटविया	0.00	0.00	0.06	0.06
38	लग्जम्बर्ग	0.45	5.93	33.51	39.90
39	मलेशिया	7.97	6.97	3.79	18.73
40	मॉरीशस	1,128.82	2,568.56	6,362.54	10,059.93
41	मैकसिको	0.00	0.04	0.00	0.04
42	मालदीव	0.00	2.93	0.00	2.93
43	एनआरआई	64.97	515.08	154.38	734.42
44	नेपाल	0.08	0.00	0.00	0.08
45	नीदरलैंड	267.02	76.36	644.18	987.56
46	नेविस	0.00	19.13	0.00	19.13
47	न्यूजीलैंड	0.11	0.12	0.05	0.28
48	नाइजीरिया	0.47	0.00	0.74	1.21
49	नार्वे	0.14	0.57	5.03	5.74
50	ओमान	5.45	0.69	1.04	7.18
51	पनामा	0.01	2.43	2.98	5.42
52	फिलीपीन्स	0.28	0.17	0.04	0.49
53	पोलैंड	0.06	1.55	0.00	1.60
54	पुर्तगाल	0.00	0.13	0.19	0.32
55	कतर	0.08	0.00	0.01	0,09
56	रोमानिया	0.00	0.00	0.00	0.00
57	रूस	0.26	0.36	25.91	26.53
58	सउदी अरब	0.04	0.90	0.04	0.99
59	सिंगापुर	185.27	274.64	577.95	1,037.86
60	स्कॉटलैंड	0.00	2.00	0.69	2.69
61	दक्षिण अफ्रीका	4.55	21.51	36.27	62.33
62	स्लोवाकिया	1.82	0.00	0.56	2.38

1	2	3	4	5	6
63	स्पेन	6.02	8.38	70.28	84.68
64	श्रीलंका	0.37	0.48	2.92	3.77
65	स्वीडन	75.53	31.45	5.96	110.94
66	स्वीटजरलैंड	77.29	95.71	56.39	229.39
67	ताइवान	2.77	0.95	2.69	6.42
68	थाईलैंड	2.45	5.00	3.88	11.33
69	तुर्की	0.01	0.00	0.00	0.01
70	यू.ए.ई.	39.27	49.20	259.90	348.38
71	यू.के.	100.67	265.46	1,878.04	2,244.17
72	यू.एस.ए.	668.82	502.22	855.78	2,026.81
73	यूक्रेन	0.01	0.00	0.00	0.01
74	वेनेजुएला	0.00	0.00	0.00	0.00
75	उरूग्वे	0.00	1.45	1.60	3.05
76	ब्रिटिश वर्जिनिया	1.42	5.50	58.26	65.18
77	वेस्ट इन्डीज	0.24	30.09	1.98	32.31
78	युगोस्लाविया	0.10	0.00	0.00	0.10
79	देश जो दर्शाए नहीं गए हैं	16.80	140.98	216.22	373.99
80	माल्टा	0.02	0.00	6.30	6.32
81	ईरान	0.00	0.00	0.00	0.00
82	तनजानिया	0.00	0.00	0.00	0.00
83	जोर्जिया	0.00	0.00	0.00	0.00
84	जिब्राल्टर	2.30	8.49	0.05	10.83
85	जॉर्डन	0.01	0.00	0.06	0.07
86	वियतनाम	0.00	0.00	0.02	0.02
87	जमैका	0.00	0.00	0.22	0.22
88	आईस लैंड	0.00	17.94	0.13	18.07
89	केन्या	0.00	0.01	0.42	0.43

1	2	3	4	5	6
90	मिश्र	0.02	0.05	0.00	0.07
91	यमन	0.01	0.00	0.00	0.01
92	क्यूबा	0.47	0.47	0.00	0.94
93	लाइबेरिया	0.00	10.95	0.03	10.98
94	म्यांमार	0.00	0.00	0.18	0.18
95	मोरक्को	0.00	0.00	0.00	0.00
96	कोलंबिया	0.00	0.24	0.50	0.74
97	ब्रिटिश आइसल्स	5.17	0.27	0.23	5.67
98	अरूबा	0.05	0.00	0.00	0.05
99	वर्जीन आईलैंड	0.13	0.00	0.97	1.09
100	पेरू	0.04	0.01	0.00	0.04
101	छुनीसिया	4.31	0.00	0.00	4.31
102	युगांडा	0.09	0.71	0.00	0.81
103	सेचेलेश	1.02	0.00	0.00	1.02
104	पश्चिम अफ्रीका	0.00	0.02	0.00	0.02
105	फिजी द्वीपसमूह	0.00	0.00	3.03	3.03
106	पूर्वी अफ्रीका	0.00	0.00	0.00	0.00
107	घाना	0.00	0.00	3.08	3.08
108	शेयर अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00
109	अंतर्वाह अग्रिम	540.25	0.00	0.00	540.25
110	स्टॉक विनियम	0.00	6.23	3,233.42	3,239.65
	कुल योग	3,758.94	5,545.94	15,725.19	25,030.07

टिप्पण 1. देश विशिष्ट इस राशि में एसआईए/एफआईपीबी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वतः मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।

2. एफडीआई अनुमोदनों के प्रति एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी के माध्यम से अन्तर्वाहों को शामिल नहीं किया गया है।

3. अन्तर्वाहों में केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल हैं।

4. आरबीआई मुंबई के साथ सामंजस्य के अध्यधीन उपर्युक्त अन्तर्वाह अनंतिम है।

विवरण-II

अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 तक क्षेत्र-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-मार्च	योग
1	2	3	4	5	6
1	धातुकर्मी उद्योग	192.30	153.04	179.48	524.82
2	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	166.43	93.52	250.06	510.01
3	बॉयलर तथा भाप प्राईम मूवर	0.54	0.00	3.31	3.85
4	विद्युत के अलावा प्राईम मूवर	0.05	0.00	0.00	0.05
5	विद्युत उपकरण (सॉफ्टवेयर तथा विद्युत सहित)	722.37	1,449.07	2,732.72	4,904.16
6	दूरसंचार	128.75	678.60	521.30	1,328.65
7	परिवहन उद्योग	178.70	222.04	466.22	866.96
8	औद्योगिक मशीनरी	8.89	42.80	19.27	70.96
9	मशीन औजार	11.04	23.00	37.34	71.38
10	कृषि मशीनरी	0.00	92.71	25.19	117.90
11	अर्थमूविंग मशीनरी	0.10	50.87	0.99	51.96
12	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	12.34	51.26	64.32	127.92
13	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	14.12	25.54	44.88	84.54
14	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	5.25	1.53	13.43	20.20
15	औद्योगिक उपकरण	1.08	0.38	0.00	1.46
16	वैज्ञानिक उपकरण	0.03	0.10	0.07	0.21
17	उर्वरक	13.46	4.24	5.01	22.70
18	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	198.07	446.55	205.63	850.24
19	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	6.30	0.00	2.81	9.11
20	डाईस्टफ	1.18	0.00	0.00	1.18
21	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	292.07	172.44	214.84	679.35

1	2	3	4	5	6
22	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	43.04	94.33	125.26	262.63
23	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	2.70	27.38	5.08	35.15
24	चीनी	2.94	3.00	16.54	22.48
25	किण्वन उद्योग	9.13	6.53	27.58	43.25
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38.06	41.74	98.24	178.05
27	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	9.09	12.31	16.22	37.62
28	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	0.89	88.51	6.04	95.44
29	रबड़ उत्पाद	40.06	34.01	18.75	92.83
30	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं तथा पिकर्स	0.44	1.11	8.26	9.82
31	कांच	8.36	0.81	1.43	10.61
32	सिरेमिक	26.79	5.59	57.46	89.83
33	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	0.16	452.08	242.69	694.93
34	टिम्बर उत्पाद	0.07	106.85	0.00	106.92
35	रक्षा उद्योग	0.05	0.00	0.00	0.05
36	परामर्श सेवाएं	253.94	46.89	115.39	416.19
37	सेवा क्षेत्र	470.62	581.37	4,749.08	5,801.08
38	होटल तथा पर्यटन	37.01	71.78	194.83	303.63
39	व्यापार	14.56	27.82	115.42	157.80
40	विविध उद्योग	307.71	429.91	1,906.64	2,644.25
41	शेयर अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00
42	अंतर्वाह अग्रिम	540.25	0.00	0.00	540.25
43	स्टॉक विनियम	0.00	6.23	3,233.42	3,239.07
	कुल योग	3,758.94	5,545.94	15,725.19	25,030.07

टिप्पण 1. देश विशिष्ट इस राशि में एसआईए/एफआईपीबी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वतः मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।

2. एफडीआई अनुमोदनों के प्रति एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी के माध्यम से अन्तर्वाहों को शामिल नहीं किया गया है।

3. अन्तर्वाहों में केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल हैं।

4. आरबीआई मुंबई के साथ सामंजस्य के अध्यधीन उपर्युक्त अन्तर्प्रवाह अनंतिम है।

विवरण-III

क्रम सं.	आवेदक का नाम
1	2
1.	मै. अकबर इंफो–मीडिया प्रा.लि., अहमदाबाद
2.	मै. रेथियान स्पेक्ट्र होल्डिंग्स एल एल सी, यू एस ए
3.	मै. डी ई शॉ कम्पोजिट इन्वेस्टमेंट (मॉरीशस) लि. मॉरीशस
4.	मै. बेटस सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर
5.	मै. ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली
6.	मै. थूराया सेटेलाइट टेलीकम्यूनिकेशन्स कंपनी, आबूधाबी, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
7.	मै. ब्लेकस्टोन एफपी केपीफ्टल पार्टनर्स (मॉरीशस) वी.लि., मॉरीशस
8.	मै. इंटर पब्लिक मॉरीशस लि. मॉरीशस
9.	मै. आई बालोजिटी इंक, यूएसए
10.	मै. कर्संटिन रोब्रिज वेंडोर्फ, जर्मनी तथा मि. जीन पियरे
11.	मै. एस ए सूर एक्सपोर्ट, सुयकर एक्सपोर्ट एन वी वेल्जियम
12.	मै. बी एफ यूटिलिटियास लि., पूणे
13.	मै. आईएनएक्स मीडिया प्रा.लि., मुम्बई
14.	मै. एल बी एल एल्टा एविओनिक्स सिस्टम्स प्रा.लि., हैदराबाद
15.	मै. सीकार्नेट मेरीन सर्विसज प्रा.लि., मुमबई
16.	मै. ए बी पी इंडक्शन शिस्टम्स प्रा.लि., हैदराबाद
17.	मै. परफैक्ट ग्लेजिंग प्रा.लि., गुजरात
18.	मै. भारत अर्थमूर्वस लि., गुजरात
19.	मै. ट्रोपीकाना लोजिस्टिक्स लि. ए यू ई
20.	मै. कान्टिन सिस्टम्स प्रा.लि., गुणगांव
21.	मै. एम टी एल इन्स्ट्रूमेंट्स प्रा.लि., चेन्नई
22.	मै. केपीकॉर्न लाइफस्टाइल वेंचर्स प्रा.लि., पुणे
23.	मै. सोई फर्नेसिस (इंडिया) प्रा.लि., पुणे
24.	मै. मेटलर–टोयडो इंडिया प्रा.लि., मुम्बई
25.	मै. टी.वी. 18 एल एल होल्डिंग्स लि. साइप्रस
26.	मै. मालाकोट इंडिया लि. हांगकांग
27.	मै. हेंकल एंड सोहनलेन ऐकी केल्लरेरीन के जी, जर्मनी
28.	मै. केरीसन होटल्स एशिया पेसिफिक प्रा.लि. आस्ट्रेलिया
29.	मै. थॉमसन होल्डिंग्स बी वी, नीदरलैंड
30.	मै. एक्तीस बायोलोजिक्स प्रा.लि., पुणे
31.	मै. ट्रक इंडिया आटोमेशन प्रा.लि., मुम्बई
32.	मै. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि., मुम्बई
33.	मै. राइजिंग एस डाई कास्टिंग्स प्रा.लि., पुणे
34.	मै. इण्डो–बाराथ पावर इन्फ्रा प्रा.लि., हैदराबाद
35.	मै. इटास मीडिया प्रा.लि., दिल्ली
36.	मै. एफ आई डी इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस) लि.
37.	मै. ऑनकाम वायरलेस प्रा.लि., बंगलौर
38.	मै. ग्लोबल ब्रोडकॉस्ट न्यूज लि.
39.	मै. अल खलीज शुगर कं. (एलआईसी), संयुक्त अरब अमीरात
40.	मै. केप्पेल पूरावांकड़ा डवलपमेंट प्रा.लि., बंगलौर

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला जाना

4562. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत बहुत से गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को धनराशि के अन्यत्र उपयोग तथा दुर्विनियोजन के आधार पर काली–सूची में डाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके सटीक कारण क्या हैं; और

(घ) धनराशि के ऐसे दुरुपयोग एवं दुर्विनियोजन के लिए उत्तरदायी सरकारी संगठन के पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित अनुदान प्राप्त करने वाले, पूर्वोत्तर सहित किसी भी राज्य में किसी गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) को धनराशि के अन्यत्र उपयोग और दुर्विनियोजन के आधार पर काली सूची में नहीं डाला गया है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता–अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे एक गैर–सरकारी संगठन अर्थात् तुलजा भवानी सेवाभावी संस्था, विताई, तालुक–साकरी जिला धुले, महाराष्ट्र को योजना की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए वर्ष 2004–05 में इस मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाला गया था। इस मामले में मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को संगठन द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेने के लिए निर्देश दिए हैं।

[हिन्दी]

बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पेटेंट कार्यालयों में आवेदन-पत्र

4563. श्री महावीर भगोरा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक भारतीय और विदेशी कंपनियों के संबंध में भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पेटेंट कार्यालयों द्वारा अलग–अलग प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जारी पेटेंटों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत भारत के बौद्धिक सम्पदा अधिकार और पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए पेटेंट आवेदनों और प्रदान किए गए पेटेंटों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वित्तीय वर्ष	दायर किए गए पेटेंट आवेदनों की संख्या			जारी किए गए पेटेंटों की संख्या		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
2004–05	3,630	13,836	17,466	764	1,147	1,911
2005–06	4,521	19,984	24,505	1,396	2,924	4,320
2006–07	5,425	23,457	28,882	1,164	6,375	7,539

[अनुवाद]

निर्यात-आयात पर डब्ल्यू टी ओ का प्रभाव

4564. श्री असादूद्दीन ओवसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कृषि उत्पादों का नेट एक्सपोर्टर रहा है और कृषि संबंधी 1995 के विश्व व्यापार संगठन समझौते से भारत के कृषि व्यापार में वृद्धि होने की आशा थी;

(ख) यदि हां, तो कृषि निर्यात और आयात में अंतर घट रहा है और आयात निर्यात से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष निर्यात/आयात किए गए सभी कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान निर्यात/आयात किए गए कृषि उत्पादों की लागत की मात्रा और देश–वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। भारत कृषि उत्पादों का जरूरत के अनुसार निर्यातक रहा है। कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार का दीर्घावधि उद्देश्य एक उचित तथा बाजारोन्मुखी कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करना है ताकि कृषि सहायता एवं संरक्षण में पर्याप्त उत्तरोत्तर कमी की जा सके जिसके परिणामस्वरूप विश्व कृषि बाजारों में प्रतिबंध तथा विकृतियों में सुधार और उनकी रोकथाम हो सके। उरूग्वे दौर में यह सहमति बनी थी कि बाजार पहुंच संबंधी अपनी वचनबद्धताओ का कार्यान्वयन करने में विकसित देशों के सदस्य भारत जैसे विकासशील सदस्य देशों के विशेष हित के कृषि उत्पादों की पहुंच के अवसरों और शर्तों में पर्याप्त सुधार का प्रावधान करके इन देशों की विशेष जरूरतों और स्थितियों का पूरा ध्यान रखेंगे। उरूग्वे दौर के करारों के हस्ताक्षरकर्त्ताओं को भी यह विश्वास था कि नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से विश्व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उससे विकासशील देशों से निर्यात सहित और अधिक व्यापार निवेश होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा समूचे विश्व में आय में वृद्धि होगी।

(ख) वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 में आयात मूल्य के संबंध में निर्यात मूल्य की तुलना करने पर कृषि उत्पादों (समुद्री उत्पाद सहित) का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत से निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पाद हैं – खाद्यान्न (बासमती और गैर–बासमती चावल, गेहूं तथा अन्य अनाज सहित), गिरी एवं बीज, मांस, कुक्कुट एवं दुग्ध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य, तेल खाद्य, तम्बाकू एवं उसके उत्पाद, मसाले, चीनी आदि। भारत में आयातित प्रमुख कृषि उत्पादों में खाद्य वनस्पति तेल, दालें, गिरी और बीज, मसाले आदि शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कृषि उत्पादों के भारत के निर्यात–आयात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:

मात्रा: टन/मूल्य: यू एस मिलियन डालर में

	2003–04		2004–05		2005–06 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
निर्यात	14937194	7532.24	14286227	8472.04	17202016	10197.33
आयात	7702642	3694.16	7666259	3895.65	7064516	3634.33

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस

भारत के निर्यात और आयात से संबंधित विस्तृत सूचना अर्थात देश–वार और उत्पाद–वार सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://docnic पर देखी जा सकती है। निर्यातित/आयातित कृषि उत्पादों के लागत संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि निर्यातों एवं आयातों की इकाई कीमत का निर्धारण निर्यातित/आयातित तदनुरूपी मात्रा द्वारा किसी उत्पाद के निर्यात के कुल मूल्य को विभाजित करके किया जा सकता है।

लौह अयस्क का निर्यात

4565. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन को किया जाने वाला लौह अयस्क का निर्यात कुल निर्यात का 50 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत चीन के इस्पात उद्योग को लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है;

(ग) क्या चीन ने लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क को बढ़ाने के सरकार के हाल के प्रस्ताव के विरोधस्वरूप भारतीय लौह अयस्क का बहिष्कार करने की धमकी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चीन में भारतीय अधिकारियों ने इस संबंध में चीन के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ वार्ता की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2005–06 के दौरान चीन को भारत से किए गए कुल निर्यातों में लौह अयस्क का हिस्सा 49.62 प्रतिशत था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) चीन के प्रचार माध्यमों में इस आशय की कुछेक रिपोर्टें दी गई थीं। तथापि, प्रचार माध्यम रिपोर्टों में चीन के किसी सरकारी संगठन द्वारा बहिष्कार की धमकी का उल्लेख नहीं किया गया था; और न ही बहिष्कार की धमकी औपचारिक रूप से अथवा अन्यथा भेजी गई थी।

(ङ) और (च) इस मुद्दे पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने चाइना आयरन एण्ड स्टील एसोसिएशन और चाइना चेम्बर फॉर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एण्ड केमिकल्स के अधिकारियों से विचार–विमर्श किया था। विचार–विमर्श के दौरान दोनों निकायों ने भारतीय लौह अयस्क की कीमत में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी।

(छ) सरकार ने 62 प्रतिशत तथा इससे कम लौह तत्व युक्त लौह अयस्क फाइन्स पर निर्यात शुल्क 300/– रुपए प्रति मी.टन से घटाकर अब 50/– रुपए प्रति मी.टन कर दिया है।

महिला उम्मीदवारों को सरकार-ए-सेवा द्वारा प्रशिक्षण

4566. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लश्कर–ए–तैयबा द्वारा महिला उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के बारे में जानकारी है जैसाकि दिनांक 6 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि एल ई टी, पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी महिला काडर के लिए शस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहा है।

(ग) और (घ) पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अन्य भागों में आतंक के मौजूदा ढांचे का इस्तेमाल करके और उसका लाभ उठाते हुए जम्मू और कश्मीर और भारत के अन्य भागों में आतंकवादी हिंसा में पाकिस्तान/पाक में स्थित आतंकवादी गुटों जैसे कि लश्कर–ए–तैयबा (एल ई टी), जैश–ए–मोहम्मद (जे–ई–एम), हिजबुल मुजाहिदीन (एच एम) इत्यादि की निरंतर संलिप्तता के मुद्दे पर इस प्रयोजनार्थ स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों में पाकिस्तान के साथ उठाया गया है। सरकार आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाती रही है और राज्यों को ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करने हेतु मदद देती है। सरकार ने इस संबंध में अनेक उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ को रोकने हेतु सीमा प्रबंधन, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों दोनों में सुरक्षा बलों को उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित ऑपरेशन चलाना शामिल है। इसके अलावा, विश्वव्यापी आयामों को देखते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

4567. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
डा. टोकचोम मैन्या :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त परियोजना में कितनी धनराशि अन्तर्गस्त है और इसके लिए कितनी विदेशी सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो जिन बाहरी देशों से सहायता मांगी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्तावित परियोजना को किन–किन शहरों से ले जाने की संभावना है;

(च) इन्हें कितना लाभ होने की संभावना है;

(छ) इस परियोजना को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार दिल्ली–कोलकाता–मुंबई–बंगलौर आदि जैसी समान परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 'दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे' (डीएमआईसी) के निर्माण में सहयोग करने के लिए 13 दिसंबर, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच डैडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के रास्ते में आने वाले क्षेत्रों को चिह्नित करना है ताकि औद्योगिक पार्कों व एस्टेट्स, एसईजेड, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र आदि निवेश हब जैसी गुणवत्तापूर्ण कनैक्टिविटी तथा अन्य अवसंरचना उपलब्ध करायी जा सके। उक्त परियोजना के लिए संकल्पना पत्र तैयार करने हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने आई एल एंड एफ एस को कार्य सौंपा है।

(ग) और (घ) चूंकि यह अभी संकल्पना स्तर पर है, इसलिए खर्च का अनुमान नहीं लगाया गया है तथा किसी भी देश से सहायता नहीं मांगी गई है।

(ङ) से (छ) इस कॉरीडोर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जाने की संभावना है। जापान सरकार के साथ बातचीत करने के बाद इस संकल्पना पत्र को जुलाई, 2007 तक अंतिम रूप दिए जाने का विचार है।

(ज) और (झ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

4568. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में अनुसूचित जनजातियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के आरंभ से देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वर्ष–वार कितने छात्र लाभान्वित हुए; और

(घ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कनिष्ठ और वरिष्ठ अध्येताओं को कितनी धनराशि की अध्येतावृत्ति प्रदान की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है ताकि वे एम.फिल और पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रख सकें। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान सम्मिलित हैं।

(ग) यह योजना वर्ष 2005–06 के दौरान प्रारंभ की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि 2005–06 और 2006–07 के दौरान योजना के अंतर्गत 990 छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें से 109 अध्येतावृत्तियां आंध्र प्रदेश के प्रत्याशियों को प्रदान की गई हैं।

(घ) योजना के अंतर्गत कनिष्ठ और वरिष्ठ अध्येताओं को प्रदान की जाने वाली राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	मद	राशि (प्रति विद्यार्थी)
1	अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 8000/– रुपए प्रतिमाह की दर से (जेआरएफ) शेष अवधि के लिए 9000/– रुपए की दर से (एसआरएफ)
2	मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए आकस्मिकता	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपए प्रतिवर्ष की दर से। शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपए प्रतिवर्ष की दर से।
3	विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिकता	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपए प्रतिवर्ष की दर से। शेष अवधि के लिए 25000/– रुपए प्रतिवर्ष की दर से।
4	विभागीय सहायता	अवसंरचना प्रदान करने के लिए मेजबान संस्थान को प्रति विद्यार्थी 3000/– रुपए प्रतिवर्ष की दर से।
5	अनुरक्षक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन उम्मीदवारों के मामले में 1000/– रुपए प्रतिवर्ष की दर से।
6	मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों अनुसार।

अंडमान-निकोबार में सुनामी पीड़ितों का पुनर्वास

4569. श्री दुष्यंत सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान–निकोबार द्वीप समूह में सुनामी पीड़ितों के लिए अब तक किए गए विभिन्न पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवास इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य को भूमि की कमी के कारण रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी सुनामी पीड़ितों का पुनर्वास करने के लिए वन भूमि अधिग्रहीत करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) अब तक किए गए पुनर्वास के विभिन्न उपायों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, 70 स्थानों में से 8 स्थान वन भूमि हैं, इन मामलों में वन अनारक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसी 16.2 हैक्टेयर वन भूमि का पता लगाया गया है जिसके संबंध में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ओ टी) द्वारा पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ई आई ए) अध्ययन किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग से अनुरोध किया जाएगा कि जैसे ही एन आई ओ टी से ई आई ए रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही वन भूमि का अनारक्षण कर दिया जाएगा।

विवरण

सुनामी पीड़ितों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अब तक किए गए पुर्नवास के विभिन्न उपाय

- जिन सुनामी पीड़ितों के मकान नष्ट हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए 10 द्वीप समूहों के 70 स्थानों पर 9797 स्थाई आश्रयों का निर्माण किया जा रहा है।
- 3882.28 हेक्टेयर कृषि भूमि में सुधार किया गया है।
- फलदार पौधों और वनस्पति पौधों की अंतर्वर्ती फसल के साथ बहु–स्तरीय फसल शुरू की जा रही है।

- विभिन्न स्थानों पर 3532 उम्मीदवारों के लिए 228 कौशल निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें बढ़ाईगिरी, सामान्य इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का उपयोग, फल और वनस्पति संसाधन, नलसाजी, मशीनरी कार्य, दर्जी और मरम्मत करने के ट्रेड शामिल थे।

- 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण बट्टे–खाते डालने और 2 लाख रुपए से अधिक ऋणों पर ब्याज माफ करने के लिए व्यापारियों और व्यावसायियों के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया गया था।

- सुनामी के कारण खो गए पशुधन के स्थान पर पशुओं, बकरियों, सुअरों और कुक्कुटों को प्रदान करने की विशेष योजना मंजूर की गई है।

- 2759 मछुआरे प्रभावित हुए थे और 2139 नाव नष्ट हुई थीं। 1889 नावों की मरम्मत की गई थी/बदला गया था और बाकी नावों की मरम्मत आदि की गई है।

- 117 मछली विक्रेताओं और 453 कृत्रिम मत्स्य पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर क्षतिपूर्ति की गई थी।

- अभी भी अंतर्वर्ती आश्रय स्थलों में रह रहे लगभग 42000 लोगों को 31 दिसंबर, 2007 तक मुफ्त राशन प्रदान की जानी जारी रहेगी।

- इसके अतिरिक्त, पत्तन जेट्टी और नौवहन, विद्युत, सड़क, पुल और अन्य आधारभूत ढांचों की व्यापक मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया था जिनके लिए कुशल और अर्द्धकुशल कार्मिकों की जरूरत थी और इस तरह लोगों को काम करने के अवसर प्रदान किए गए। अंतर्वर्ती आश्रय स्थलों में रह रहे 86,77 परिवारों में आकलन किया गया था और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 300 दिन दैनिक मजदूरी देने पर विचार किया गया था।

विद्यालयों में समय-सारणी प्रणाली

4570. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) का विचार देश भर में विद्यालयों की समय–सारणी प्रणाली को बदलने का है जैसाकि दिनांक 6 अप्रैल, 2007 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालयों में पढ़ाई की अवधि को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इससे शैक्षिक अध्ययन प्रभावित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो पढ़ाई की अवधि कम करने से अध्ययन को प्रभावित होने से बचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में उदारतापूर्ण तरीके से समय–सारणी तैयार करने की सिफारिश की गई है ताकि विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण हेतु कारगर व्यवस्था की जा सके। इन सिफारिशों में बच्चों द्वारा विद्यालयों में व्यतीत किए जाने वाले समय को सुनियोजित तरीके से समृद्ध बनाने के प्रयोजनार्थ विद्यालय के नेमी कार्यकलापों तथा लीक से हटकर किए जाने वाले कार्यकलापों के बीच उचित संतुलन बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निधि जारी किया जाना

4571. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को सुदृढ़ बनाया है तथा उसमें वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि से किन–किन कार्यों के लिए धनराशि जारी की गई और इसकी प्रक्रिया क्या है;

(घ) उक्त धनराशि कौन से महीने में जारी की गई और उक्त धनराशि किस वित्तीय वर्ष के लिए नियत थी;

(ङ) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र में सावधि ऋणों पर ब्याज राजसहायता प्रदान कर रही है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य–वार और संघ–राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) कुछ संशोधन विचाराधीन रहने के कारण, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को फिलहाल स्थगित रखा गया है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, टीयूएफएस निधियां राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र–वार जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:–

वर्ष	जारी की गई निधियां
2004–05	283.60 करोड़ रु.
2005–06	485.00 करोड़ रु.
2006–07	823.93 करोड़ रु.

(ग) और (घ) इस योजना के तहत ऋण वस्त्र उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को नोडल/सहयोजित बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उन परियोजनाओं के लिए दिया जाता है जो इस योजना के दिशा–निर्देशों और संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय मानदंडों के अनुरूप हैं। सरकार नोडल बैंकों को पात्र पूंजी सहायता/ब्याज प्रतिपूर्ति/विनिमय दर कवरेज प्रदान करती है जो आगे दावों के प्रति समायोजन करते हैं। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि उत्तर के भाग (ख) में दर्शाई गई है। इस योजना के तहत सब्सिडी निम्नलिखित उद्देश्यों से दी जाती है:–

1. रुपए आवधिक ऋण (आरटीएल) पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा वसूले जाने वाले सामान्य ब्याज की 5% ब्याज प्रतिपूर्ति अथवा
2. विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) पर मूल दर 5% विनिमय उतार–चढ़ाव का कवरेज अथवा
3. लघु उद्योग वस्त्र और पटसन क्षेत्र के लिए 15% ऋण संबद्ध पूंजीगत सहायता अथवा
4. विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 20% ऋण संबद्ध पूंजीगत सहायता अथवा
5. विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति और 10% पूंजीगत सब्सिडी
6. करघा–पूर्व और करघा–पश्चात क्रियाकलापों के लिए नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद, हथकरघा/हथकरघा के उन्नयन और हथकरघा उत्पादन इकाइयों के लिए परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों की खरीद पर 2% पूंजीगत सहायता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि का आवंटन

4572. श्री रशीद मसूद :
श्री हरिन पाठक :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल पटले :
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री देविदास पिंगले :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री मो. ताहिर :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री एस.के. खारवेलस्वयन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पुलिस के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि प्रदान की है जैसा कि दिनांक 11 मार्च, 2007 को 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) विभिन्न राज्यों को उक्त धनराशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग कुल कितनी धनराशि का राज्यवार उपयोग किया गया/उपयोग नहीं किया गया;

(ङ) क्या और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को और धनराशि जारी कर दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने राज्यों का विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में वर्गीकरण किया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार,

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनेतर स्कीम (एम पी एफ स्कीम) के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। राज्यों को निधियों का आबंटन, कई पैरामीटरों से निर्धारित किया जाता है जिसमें पुलिस स्टेशनों की संख्या, पुलिस कार्मिकों की संख्या, अपराध दर, विगत में जारी की गई निधियों का उपयोग आदि शामिल है। विगत तीन वित्तीय वर्षों 2004–05, 2005–06 और 2006–07 में राज्य–वार जारी की गई केन्द्रीय निधियां और राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए उनके उपयोग (31.03.2007 की स्थिति के अनुसार) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम शुरू करने का अनुमोदन किया है जिसे वर्ष 2006–07 से शुरू करके पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है। इस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2006–07 में संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:–

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि (करोड़ में)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.30
चंडीगढ़	1.40
दादरा और नगर हवेली	5.20
दमन और दीव	4.50
लक्षद्वीप	3.36
पुडुचेरी	6.24
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली पुलिस)	10.00
कुल	40.00

(ङ) से (छ) वर्ष 2006–07 के दौरान एम पी एफ स्कीम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को कुल 1065.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इसमें आंध्र प्रदेश (15.00 करोड़ रुपए), बिहार (15.00 करोड़ रुपए), छत्तीसगढ़ (24.75 करोड़ रुपए), झारखंड (15.00 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (6.75 करोड़ रुपए), उड़ीसा (15.00 करोड़ रुपए) और पश्चिम बंगाल (8.50 करोड़ रुपए) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए उपकरण खरीदने हेतु जारी की गई 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है।

(ज) और (झ) एम पी एफ योजना के तहत, राज्यों को, "क" और "ख" श्रेणियों में, क्रमशः केन्द्रीय वित्तपोषण के 100 प्रतिशत के साथ, वर्गीकृत किया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा सात पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को उनके द्वारा विद्रोह, उग्रवाद और आतंकवाद का सामना किए जाने को देखते हुए "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और शेष 20 राज्य "ख" श्रेणी में आते हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2004–05			2005–06			2006–07
	जारी की गई केन्द्रीय निधि	उपयोग	अव्ययित शेष	जारी की गई केन्द्रीय निधि	उपयोग	अव्ययित शेष	जारी की गई केन्द्रीय निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	79.93	79.93	0	101.41	101.41	0	88.12
अरुणाचल प्रदेश	9.13	8.57	0.56	7	0.62	6.38	11.53
असम	41.37	41.37	0	56.68	29.52	27.16	52.18
बिहार	45.25	45.25	0	39.87	30.87	9	51.62
छत्तीसगढ़	32.72	32.72	0	40.74	39.16	1.58	57.06
गोवा	0.28	0.28	0	1.06	1.06	0	1.00
गुजरात	39.54	39.54	0	39.85	36.03	3.82	45.52

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	22.13	22.13	0	14.95	14.95	0	19.69
हिमाचल प्रदेश	2.57	2.57	0	6.78	6.78	0	3.92
जम्मू और कश्मीर	110.89	110.67	0.22	109.22	30.45	78.77	88.13
झारखंड	22.33	22.33	0	40.74	40.58	0.16	47.00
कर्नाटक	58.87	58.87	0	65.85	65.85	0	64.15
केरल	26.55	26.55	0	18.84	18.84	0	24.53
मध्य प्रदेश	42.27	42.27	0	31.65	31.65	0	43.24
महाराष्ट्र	71	71	0	88.78	49.96	38.82	105.13
मणिपुर	15.24	12,25	2.99	16.97	1.28	15.69	14.09
मेघालय	7.58	2.62	4.96	6.57	0.86	5.71	8.59
मिजोरम	7.45	1.49	5.96	6	0.21	5.79	10.48
नागालैंड	13.09	13.09	0	17.52	17.52	0	22.68
उड़ीसा	27.76	27.76	0	35.08	34.3	0.78	38.00
पंजाब	21.79	21.79	0	20.31	19.6	0.71	15.00
राजस्थान	42.67	39.81	2.86	34.81	30.52	4.29	40.47
सिक्किम	5.9	4.9	1	2.43	0.37	2.06	3.46
तमिलनाडु	56.78	56.78	0	65.51	35.62	29.89	61.65
त्रिपुरा	11.17	8.13	3.04	11.83	0.04	11.79	11.34
उत्तर प्रदेश	108.55	108.55	0	98.12	90.32	7.8	94.28
उत्तराखण्ड	7.99	7.99	0	16.76	16.76	0	5.28
पश्चिम बंगाल	29.2	29.2	0	29.67	21.67	8	37.11
कुल	960	938.41	21.59	1025	766.8	258.2	1065.25*

(*) चूंकि वित्तीय वर्ष 2006-07 अभी समाप्त हुआ है इसलिए केन्द्रीय निधियों का उपयोग करने में राज्य सरकारों को कुछ समय लग सकता है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

4573. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रस्तावों पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशी निवेशकों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से प्राप्त और विशेष आर्थिक क्षेत्र के और प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए मानदंडों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न वर्गों विशेषकर कृषक समुदाय द्वारा व्यक्त चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेडों के संबंध में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिसूचनाएं जारी की जाएं। यह भी निर्णय लिया गया है कि एसईजेडों हेतु लंबित आवेदनों पर इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक और औपचारिक अनुमोदनों तथा अधिसूचनाओं हेतु कार्रवाई की जाए कि राज्य सरकारें ऐसे एसईजेडों के लिए भूमि का कोई अनिवार्य अधिग्रहण नहीं करेंगी। ये सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों पर लागू हैं।

(ङ) और (च) बहु उत्पाद एसईजेडों के लिए अपेक्षित क्षेत्र की अधिकतम सीमा इस प्रावधान के साथ 5000 हेक्टेयर तय करने का निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारें इससे कम सीमा का निर्धारण कर सकती हैं। इसके अलावा बहुउत्पाद एसईजेडों तथा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेडों के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र की सीमा एक समान रूप से 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

(छ) विभिन्न तबकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का निवारण कर दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि एसईजेडों के लिए लम्बित आवेदनों पर अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जाएगी बशर्ते कि राज्य सरकारें ऐसे एसईजेडों के लिए भूमि का कोई अनिवार्य अधिग्रहण न करें। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय से सभी संगत मुद्दों के समाधान हेतु एक व्यापक भूमि अधिग्रहण अधिनियम तैयार करने और प्रत्येक विस्थापित परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना से आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

4574. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत उद्यमों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) लोक उद्यम विभाग ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के संबंध में सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में निदेश जारी किए हैं जो लगातार 3 वर्षों से मुनाफा कमा रहे हैं। ये निदेश वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

बच्चों का दुर्व्यापार

4575. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित 'चीपर टू बाई ए चाइल्ड देन बुफेला सेज एनजीओ' शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) बचपन बचाओ आन्दोलन द्वारा किए गए सर्वेक्षण की ओर गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण में क्या तथ्य दिए गए हैं; और

(ङ) सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ग) और (घ) 'बचपन बचाओ आन्दोलन' से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने अवगत कराया है कि बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, उनके पुनर्वास तथा समाज में पुनर्समेकन संबंधी जागरूकता में सुधार की जरूरत है।

(ख) और (ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समर्थन, जागरूकता विकास तथा संचेतना कार्यक्रम आयोजित करता है। मंत्रालय, अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले स्वाधार आश्रय गृहों का संचालन भी करता है। महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने

के लिए मंत्रालय एक परियोजना भी चला रहा है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को निषिद्ध किया गया है तथा इसके तहत अवैध व्यापारियों के लिए कठोर दण्ड निर्धारित किया गया है। व्यक्तियों के अवैध व्यापार के लिए और कड़ी सजा का उपबंध करने के उद्देश्य से अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण केन्द्र

4576. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कर्नाटक सहित प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र तथा भारतीय तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) ये केंद्र/संस्थान कब तक स्थापित और प्रचालन योग्य होंगे; और

(घ) इन केन्द्रों से क्या-क्या लाभ होने की संभावना हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां। सरकार का कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में नए अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्रों (एटीडीसी) के ब्यौरे एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

नए केन्द्रों की अवस्थिति:

क्रम सं.	केंद्र	राज्य
1	2	3
1.	एटीडीसी-डामजुर	पश्चिम बंगाल
2.	एटीडीसी-दमन	दादर व नगर हवेली
3.	एटीडीसी-ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
4.	एटीडीसी-भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	एटीडीसी-रांची	झारखंड
6.	एटीडीसी-धरमपुरी	तमिलनाडु
7.	एटीडीसी-टुमकुर	कर्नाटक
8.	एटीडीसी-कोलार	कर्नाटक
9.	एटीडीसी-बेल्लारी	कर्नाटक
10.	एटीडीसी-बंगलौर ग्रामीण (रामनगर)	कर्नाटक
11.	एटीडीसी-बागलकोट	कर्नाटक
12.	एटीडीसी-धारवाड़	कर्नाटक

उद्देश्य:

1. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों को परिधान प्रौद्योगिकी में उपयुक्त प्रशिक्षण देकर उनका उत्थान करना तथा तेजी से विकास कर रहे परिधान उद्योग में मजदूरी रोजगार तथा स्वः रोजगार, दोनों में उज्जवल भविष्य प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाना।

2. परिधान उद्योग के शॉप फ्लोर स्तर पर मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना तथा सिलेसिलाए परिधान उद्योग की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादकता बढ़ाने में उन्हें समर्थ बनाना, जिससे यह उद्योग अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए उद्योग की उत्पादन लागत कम करने तथा भारतीय परिधान को विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में समर्थ हो सके।

(ग) इन केन्द्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) इन केन्द्रों से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है:-

- ग्रामीण लोगों विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा मजदूरी रोजगार तथा स्वःरोजगार, दोनों के लिए ग्रामीण रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना।
- उद्योग को पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित उच्च उत्पादक कार्यबल प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी विनिर्माण एककों की स्थापना के लिए प्रेरित करना।
- बढ़े हुए घरेलू बाजार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में उद्यमी उभरेंगे तथा स्वःसहायता दल छोटे एवं माइक्रो उद्यमों की स्थापना कर सकते हैं।
- रोजगार के अधिक अवसर तथा स्वयं चलाये जा रहे उद्यमों से काफी हद तक बेरोजगारी तथा निर्धनता को दूर करने में सहायता मिलेगी।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

4577. डा. के. धनराजू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार इन महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में और ऐसे महाविद्यालयों को खोले जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कुल 6305 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है। राज्यवार सूचना देने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चूंकि भिन्न–भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज/संस्थाएं अलग–अलग राज्य/केंद्रीय विश्व–विद्यालयों से संबद्ध होती हैं, इसलिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का केन्द्रीय रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) से (च) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा देश में अध्यापक शिक्षा के सुनियोजित विकास के लक्ष्य को हासिल करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खण्ड 14 और 15, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 और इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित संगत विनियमों के अनुसार, अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की इच्छुक किसी भी संस्था को अपना आवेदन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबद्ध क्षेत्रीय समिति को करना होता है। इस संबंध में प्राप्त सभी आवेदनों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 और इस संबंध में समय–समय पर अधिसूचित विनियमों के अनुसार विचार किया जाता है। मान्यता तभी प्रदान की जाती है, यदि आवेदक संस्था विभिन्न निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो और संबद्ध क्षेत्रीय समिति इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त संस्था ने जिस अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है उसे संचालित करने के लिए उसके पास आवश्यक अवसंरचनात्मक/अनुदेशात्मक सुविधाएं, संकाय उपलब्ध हैं।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या के संबंध में राज्यवार सूचना

क्रम सं.	राज्य का नाम	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार उन संस्थाओं की संख्या जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	7
2.	असम	68
3.	बिहार	38
4.	झारखंड	57
5.	मणिपुर	14
6.	मेघालय	11
7.	मिजोरम	4
8.	नागालैंड	7
9.	उड़ीसा	88
10.	सिक्किम	4
11.	त्रिपुरा	9
12.	पश्चिम बंगाल	56
13.	चंडीगढ़	7
14.	दिल्ली	76
15.	हरियाणा	92
16.	हिमाचल प्रदेश	50
17.	पंजाब	1381
18.	राजस्थान	211
19.	उत्तर प्रदेश	782
20.	उत्तरांचल	49
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2

1	2	3
22.	आंध्र प्रदेश	437
23.	कर्नाटक	1102
24.	केरल	428
25.	पांडिचेरी	72
26.	तमिलनाडु	719
27.	छत्तीसगढ़	59
28.	दमन और दीव	4
29.	गुजरात	585
30.	गोवा	8
31.	मध्य प्रदेश	240
32.	महाराष्ट्र	881
	कुल	6305

[हिन्दी]

शारीरिक दण्ड

4578. श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय बोत्रे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को छात्रों को दण्ड के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने इन घटनाओं पर कार्यवाही करते हुए छात्रों को यातना और शारीरिक दण्ड दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(च) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विद्यालयों में छात्रों को शारीरिक दण्ड दिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि 'शारीरिक दंड को शैक्षणिक प्रणाली से सख्ती से हटाया जाएगा'। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा संचालित विद्यालयों में शारीरिक दंड पर सख्त रोक है। जब कभी भी शारीरिक दंड का कोई मामला स्कूलों के प्रभारी स्वायत्त संगठन के ध्यान में लाया जाता है, उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के मामले में, शारीरिक दंड के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर जानकारी नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

पिछड़े जिले प्रोत्साहन योजना

4579. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पिछड़े जिले प्रोत्साहन (बी.डी.आई.) योजना को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के दायरे में देश के राज्य-वार कौन-कौन से जिले शामिल हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार अब तक विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के भाग के रूप में पिछड़ा जिला पहल (बी डी आई) स्कीम को देश के 27 राज्यों के 147 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बी डी आई के अन्तर्गत शामिल किए गए 55 जिले नक्सल गतिविधियों से प्रभावित हैं। ये जिले हैं, आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद, वारंगल, करीमनगर, खम्मम, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, महबूबनगर, बिहार के गया, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, नालंदा, पटना, भोजपुर, झारखंड के सिमडेगा, गुमला, लोहरदग्गा, पलामू, छतरा, लातेहार, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, गढ़वा, रांची, गिरिडीह और धनबाद; मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा, बस्तर, कावरधा, राजनंदगांव, कांकेर, सरगुजा, जशपुर; महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली, भंडारा, चन्द्रपुर, गोंदिया; उड़ीसा के मयूरभंज, गंजम, गाजापट्टी, मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर; उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली तथा पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, मिदनापुर पश्चिम, बांकुरा। इन जिलों में से मलकान गिरि,

कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, को उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर–कोरापुट (के बी के) जिलों हेतु विशेष योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 1 अप्रैल, 2007 से आर एस वी आई के स्थान पर पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी आर जी एफ) स्थापित किया गया है। बी डी आई के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों को जारी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बीडीआई के अंतर्गत जारी धनराशि

(रुपए करोड़)

31 मार्च, 2007 तक

राज्य	जारी धनराशि				
	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	कुल जारी
आंध्र प्रदेश	35.00	62.50	37.50	67.50	202.50
बिहार		60.00	52.50	82.50	195.00
झारखंड	37.50	97.50	127.50	240.00	502.50
उड़ीसा	10.00	27.50	30.00	30.00	97.50
उत्तर प्रदेश	12.50	25.00	30.00	52.50	120.00
पश्चिम बंगाल	17.50	20.00	15.00	22.50	75.00
मध्य प्रदेश		22.50	30.00	37.50	90.00
छत्तीसगढ़	40.00	50.00	75.00	120.00	285.00
महाराष्ट्र	15.00	30.00	30.00	37.50	112.50
कुल	167.50	395.00	427.50	690.00	1680.00

[हिन्दी]

जलमार्गों द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ

4580. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी देश में घुसपैठ करने के लिए अब जलमार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आतंकवादियों से प्राधिकारियों को रिश्वत देकर घुसपैठ करने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या केन्द्र को इस संबंध में कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) वर्ष 2006–07 के दौरान कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ के लिए जलमार्गों का इस्तेमाल किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान आधारित आतंकवादी गुटों, विशेषकर लश्कर–ए–तैयबा समुद्री रास्तों से मानव शक्ति और कट्टर आतंकवादियों को घुसने की संभावनाएं खोज रहे है।

दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश

4581. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपराधों पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह बनाने संबंधी कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र/स्टोरों में एन.आर.आई.

4582. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचारार्थ देश में ताजी सब्जियां, फल, अनाज, मछली, मांस आदि के लिए खुदरा केन्द्र/स्टोर खोलने के लिए विश्व के बड़े व्यापारिक घरानों और अनिवासी भारतीय (एन.आर. आई.) को अनुमति देने वाला कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फीस में रियायत

4583. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक ही केन्द्रीय विद्यालय में एक ही परिवार के दो बच्चों के पढ़ने के मामले में एक बच्चे अथवा दोनों की फीस में रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कानून अथवा नियम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लेखा कोड के अनुसार अगर किसी अभिभावक के एक से अधिक बच्चे (आश्रित भाई एवं बहन सहित IX से XII कक्षा में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उच्च कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को पूरा शिक्षण शुल्क अदा करना होगा तथा अन्य को शिक्षण शुल्क का आधा देना होगा।

निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरूपयोग

4584. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "निर्यातोन्मुख एकक योजना" के अंतर्गत प्रस्तावों को अनुमोदन देने में कदाचार प्रचलित है जिसकी वजह से कई कम्पनियां निर्यात संबंधी सुविधाओं का दुरुपयोग करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्यात संवर्धन योजनाओं के दुरुपयोग की वजह से हुए कुल राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग करने वाली ऐसी कम्पनियों को काली सूची में डाल दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों पर क्या दण्ड लगाया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) इकाई अनुमोदन समिति (यू ए सी) जिसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, द्वारा निर्यातोन्मुख इकाई (ई ओ यू) स्कीम के अंतर्गत इकाईयों के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(i) अलग-अलग/भागीदारी फर्मों के संबंध में सभी निवेशकों/भागीदारों का आवस संबंधी प्रमाण (पासपोर्ट/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र अथवा विकास आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार कोई अन्य प्रमाण);

(ii) सभी प्रवर्तकों की पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी;

(iii) प्रवर्तकों का अनुभव;

(iv) विपणन संबंध;

(v) अधिकारी द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण;

(vi) अन्य विकास आयुक्त से इस आशय की एक रिपोर्ट कि क्या वस्तुओं के अन्यत्र प्रयोग के संबंध में ई ओ यू/एस ई जेड स्कीम के तहत कोई मामला लंबित है।

जहां कहीं आवश्यक होता है, इनका सत्यापन परियोजना के प्रवर्तकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए किया जाता है। प्रवर्तकों को सुस्थापित सत्ता होने की स्थिति में व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया से छूट दी जा सकती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान ई ओ यू स्कीम के दुरूपयोग के कारण हुए राजस्व घाटे के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	राजस्व घाटा (करोड़ रुपए)
2003–04	660.75
2004–05	842.49
2005–06	439.90

(घ) और (ङ) ई ओ यू द्वारा किसी दुरूपयोग की परिणति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त वित्तीय जुर्माने लगाने तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के तहत ई ओ यू दर्जे के स्थगन/निरसन के रूप में भी हो सकती है। चूंकि किसी नई इकाई के अनुमोदन के पहले, यू ए सी द्वारा सभी विकास आयुक्तों से रिपोर्टें मंगवाई जाती है, इसलिए जहां कहीं ऐसे दुरुपयोग का पता चलता है, वहां उक्त व्यक्ति देश में कहीं भी नये ई ओ यू के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकता है।

विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षिक सत्र

4585. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षिक सत्र आरंभ करने का निदेश सरकार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 11903 के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान शैक्षिक कैलेण्डर शुरू करने की संभावनाएं तलाशने का आदेश दिया था।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विस्तृत विचार–विमर्श तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अपने विनियमों में संशोधन करके मार्च, 2007 में राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षिक कैलेण्डर स्थापित करना जारी किया है – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री/मास्टर डिग्री प्रदान करते हुए शिक्षण के न्यूनतम मानक) विनियम 2003 में पहला संशोधन, जो सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

पुलिस सुधार संबंधी समिति

4586. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस सुधार संबंधी सोली सारोबजी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट के आधार पर नए पुलिस सुधारों का नया विधेयक मसौदा लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त विधेयक को जनता की राय के लिए परिचालित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में सचिवों, मुख्यमंत्रियों और संघ शासित राज्यों के सलाहकारों की कोई बैठक बुलाई है; और

(ज) यदि हां, तो इस बैठक का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) सोली सोराबजी समिति ने 30 अक्टूबर, 2006 को सरकार को मॉडल पुलिस अधिनियम का एक मसौदा प्रस्तुत किया है।

(ख) मॉडल पुलिस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन किया जाना, राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की कार्यावधि निश्चित करना, पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के प्रयोजनार्थ पुलिस स्थापना समितियों का गठन करना, जांच पड़ताल करने वाली पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस से पृथक करना, तथा राज्य और जिला स्तरों पर पुलिस उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित करना शामिल है।

(ग) से (च) 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण, सोली सोलाबजी समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे को सभी राज्य सरकारों को समुचित रूप से विचार और कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को शामिल करने के लिए विद्यमान कानूनों को प्रतिस्थापित करके एक विधेयक प्रस्तुत करने के संबंध में विचार कर रही है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 30.12.2006 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों की बैठक हुई थी और समसामयिक जरूरतों के लिए एक नया पुलिस कानून तैयार किए जाने पर सामान्य रूप से आम सहमति व्यक्त की गई थी।

[अनुवाद]

मिलों को बंद करना

4587. श्री सुव्रत बोस :

श्री जुएल ओराम :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेपर मिलों सहित बड़ी, मध्यम और लघु मिलों का पृथक–पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मिलों में से पेपर मिलों सहित कोई मिल रुग्ण/बन्द पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रुग्ण/बंद पड़ी ऐसी मिलों के पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2003–04 के अनुसार कारखानों की संख्या 1,29,074 थी। केन्द्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई) के अनुसार देश में 666 लुग्दी तथा कागज मिलें हैं जिनमें 514 छोटी हैं, 90 मझौले तथा 62 बड़ी कागज मिलें हैं जिनमें से 96 कागज मिलें रुग्ण/बन्द हो गई हैं।

(ग) बन्द किए गए कागज मिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अलावा, जो उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में सुविधा प्रदान करती है, रुग्ण औद्यागिक इकाइयों के पुनरूज्जीवन हेतु किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना, जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनिमय, 1985 (एसआईसीए) के प्रावधानों के अन्तर्गत बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूज्जीवन पर विचार करती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए और रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। जहां व्यवहार्य होता है बीआईएफआर के साथ पंजीकृत इकाइयों के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पूंजी की पुनःसंरचना, प्रर्वत्तकों द्वारा नई निधियों का समावेश, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, देय राशि के बारे में पुनःव्यवस्था करके वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा सरकार द्वारा राहत व रियायतें और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

विवरण

राज्य–वार बन्द की गई कागज़ मिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	असम	1
5.	बिहार	1
6.	चंडीगढ़	–
7.	छत्तीसगढ़	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–
9.	दमन और दीव	–
10.	दिल्ली	–
11.	गोवा	–
12.	गुजरात	23
13.	हरियाणा	5
14.	हिमाचल प्रदेश	2
15.	जम्मू और कश्मीर	–
16.	झारखंड	–
17.	कर्नाटक	3
18.	केरल	2
19.	लक्षद्वीप	–
20.	मध्य प्रदेश	4
21.	महाराष्ट्र	13
22.	मणिपुर	–
23.	मेघालय	–
24.	मिजोरम	–
25.	नागालैंड	1
26.	उड़ीसा	1
27.	पांडिचेरी	–
28.	पंजाब	9
29.	राजस्थान	1
30.	सिक्किम	–

1	2	3
31.	तमिलनाडु	5
32.	त्रिपुरा	–
33.	उत्तर प्रदेश	14
34.	उत्तरांचल	–
35.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	96

सिमी (एस.आई.एम.आई.) की गतिविधियां

4588. श्री हितेन बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन सिमी (एस.आई.एम. आई.) के सदस्य देश के विभिन्न हिस्सों में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन के अब तक कितने सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) देश में सिमी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, आवश्यक सेवा अधिनियम आदि के विभिन्न उपबंधों के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के विरूद्ध 179 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले न्यायालय में विचारण के अलग–अलग चरणों में हैं। तथापि, सिमी के क्रियाकलापों पर कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों द्वारा निरंतर नजर रखी जा रही है।

बाल वृद्धि के मानक

4589. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार देश में कुपोषण की वर्तमान दर कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार डब्ल्यूएचओ के नए वृद्धि मानकों के आधार पर बाल वृद्धि के मानकों का नया आधार तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) वर्ष 2005–06 के दौरान किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.–3) के तीसरे चक्र के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, बच्चों तथा महिलाओं के अल्प–पोषण का मौजूदा स्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

पिछला सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.–2) वर्ष 1998–99 से संबंधित है। यह सर्वेक्षण आवधिक रूप से आयोजित किया जाता है न कि प्रत्येक वर्ष।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नए विकास मानकों को अपनाने हेतु विचार–विमर्श करने के लिए "विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बच्चों के विकास के नए मानकों का अंगीकरण" विषय पर 8–9 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में इन मानकों के अंगीकरण के पक्ष में मतैक्य बना। तथापि, इस मामले में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

भारत में कुपोषण की राज्य–वार मौजूदा दर

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चों का प्रतिशत 3 वर्ष से कम		महिलाओं (15–49 वर्ष) का प्रतिशत सामान्य (18.5) से कम बॉडी मास इन्डेक्स	
		अल्पवज़नी	रक्ताल्पता	अल्पवज़नी	रक्ताल्पता
1	2	3	4	5	6
1	मिजोरम	21.6	51.7	15.3	38.2
2	सिक्किम	22.6	56.9	9.6	46.8
3	मणिपुर	23.8	52.8	13.9	39.3

1	2	3	4	5	6
4	पंजाब	27.0	80.2	13.5	38.4
5	केरल	28.8	55.7	12.5	32.3
6	गोवा	29.3	49.3	20.5	38.9
7	जम्मू और कश्मीर	29.4	68.1	21.3	53.0
8	नागालैंड	29.7	छ।	15.9	छ।
9	दिल्ली	33.1	63.2	10.6	43.4
10	तमिलनाडु	33.2	72.5	23.5	53.3
11	हिमाचल प्रदेश	36.2	58.8.	24.3	40.9
12	आंध्र प्रदेश	36.6	79.0	30.8	62.0
13	अरुणाचल प्रदेश	36.9	66.3	15.5	48.9
14	उत्तरांचल	38.0	61.5	25.7	47.6
15	त्रिपुरा	39.0	67.9	35.1	64.4
16	महाराष्ट्र	39.7	71.9	32.6	49.0
17	असम	40.4	76.7	26.5	69.0
18	कर्नाटक	41.1	82.7	31.4	50.3
19	हरियाणा	41.9	82.5	27.8	56.5
20	पश्चिम बंगाल	43.5	69.4	37.7	63.0
21	उड़ीसा	44.0	74.2	40.5	62.0
22	राजस्थान	44.0	79.6	33.6	53.1
23	मेघालय	46.3	68.7	14.7	45.4
24	उत्तर प्रदेश	47.3	85.1	34.1	50.8
25	गुजरात	47.4	80.1	32.3	55.5
26	छत्तीसगढ़	52.1	81.0	41-0	57.6
27	बिहार	58.4	87.6	43.0	68.3
28	झारखंड	59.3	77.7	32.6	70.4
29	मध्य प्रदेश	60.3	82.6	40.1	57.6
	भारत	45.9	79.2	33.0	56.2

स्रोत : रा.प.स्वा.स. (2005–06)

बाकी माप इन्डैक्स : वजन किलोग्राम में / कद मीटर में

उड़ीसा में चक्रवात से बचाव के लिए आश्रय स्थल का निर्माण

4590. श्री अनन्त नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में चक्रवात से बचाव के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में अभी तक चक्रवात से बचाव के लिए कितने आश्रय स्थल बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2007–08 के दौरान ऐसे आश्रय स्थलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चक्रवात से बचाव के लिए अब तक 172 आश्रयस्थलों का राज्य में निर्माण किया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर चक्रवात से बचाव के लिए आश्रयस्थलों के निर्माण के लिए बलासोर, भद्रक और केन्द्रपाड़ा तटीय जिलों में 42 स्थलों की पहचान की गई है।

कबाड़ियों को पाठ्यपुस्तकें बेचना

4591. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की पाठ्यपुस्तकों को बड़ी संख्या में कबाड़ी को बेचा गया है और ये एक कबाड़खाने में पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वितरण के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मध्य प्रदेश के धार तथा बेतुल जिलों में बिक्री किए जाने के दो मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों की स्थानीय स्तर पर जांच की गई तथा एक मामले में भारत सरकार द्वारा भी जांच की गई है। इन अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया शामिल व्यक्तियों को निलम्बित किया गया तथा उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश सरकार पाठ्यपुस्तकों पर "निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें–बिक्री के लिए नहीं" के लेबल को मुदित करवा कर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है तथा शैक्षिक सत्र 2007–08 में पाठ्यपुस्तकों के वितरण के मॉनीटरन के लिए विस्तृत आयोजना तथा कैलेण्डर तैयार कर रही है।

मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई

4592. श्री एल. राजगोपाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में संयुक्त राष्ट्र की सहायता से स्थापित की गई मानव दुर्व्यापार रोधी इकाईयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मानव दुर्व्यापार से निपटने में प्रशिक्षण उपस्कर, संसाधन आदि के संदर्भ में ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी इकाइयों में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) एकीकृत मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां (आई ए एच टी यू) यू एन ओ डी सी के सहयोग से गृह मंत्रालय द्वारा चलाए गए "प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण द्वारा व्यक्तियों के अवैध व्यापार के विरूद्ध भारत में कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया सुदृढ़ करने" संबंधी दो वर्षीय परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र और बिहार आदि परियोजनागत राज्यों में स्थापित की जा रही है। प्रत्येक आई ए एच टी यू में सरकारों और सिविल सोसाइटियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इन आई ए एच टी यू के अभियानों हेतु परियोजना के लिए आजीवन वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। आई ए एच टी यू का गठन बचाव और बचाव के बाद देखभाल एवं अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों पर ध्यान दिए जाने, अपराधियों की जांच एवं अभियोजन और अवैध व्यापार के निवारण सहित मानव अवैध व्यापार का समग्र परिप्रेक्ष्य में समाधान करने के लिए किया गया है। अब तक चार आई ए एच टी यू, आंध्र प्रदेश हैदराबाद; इलूरू एवं अनंतपुर में और एक गोवा में, स्थापित की गई है।

(ग) आई ए एच टी यू सरकारी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) का प्रतिनिधित्व करने वाली एकीकृत इकाइयां हैं। आई ए एच टी यू के लिए एन जी ओ का निर्णय राज्य सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। एन जी ओ निवारण, पता लगाने, अभियोजन और पुनर्वास के क्षेत्र में सहायता करते हैं।

उच्च शिक्षा में जनजातीय साहित्य को शामिल करना

4593. श्री अबु अयीश मंडल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा में भारतीय जनजातीय साहित्य को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय जनजातीय इतिहास के रिकार्डस हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु जनश्री बीमा योजना

4594. श्रीमती मिनाती सेन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायकों हेतु विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (एल आई सी) द्वारा वर्ष 2004–05 में कवर की गई 5,78,209 पॉलिसियों की तुलना में वर्ष 2005–06 में 1,95,282 नई पॉलिसियों के नवीकरण में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में एल आई सी को वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान कितने प्रीमियम का भुगतान किया गया?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के तहत वर्ष 2004–05 में शुरू की गई 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' के अंतर्गत 280/– रुपए प्रति लाभार्थी/प्रति वर्ष प्रीमियम हेतु अंशदान का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि से 100/– रुपए

(ii) भारत सरकार द्वारा 100/– रुपए

(iii) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका (बीमित सदस्य) द्वारा 80/– रुपए।

वर्ष 2004–05 में, इस स्कीम के अंतर्गत 5,78,209 नई लाभार्थियों का बीमा किया गया। वर्ष 2005–06 में, इनमें से केवल 1,95,282 लाभार्थियों के बीमे का नवीकरण किया गया, जबकि 2,89,688 नई लाभार्थियों को इस स्कीम में शामिल किया गया। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों द्वारा अपने बीमा का नवीकरण न कराए जाने का कारण यह लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को इस स्कीम के लाभों की कम जानकारी होने के परिणामस्वरूप इन्होंने 80/– रुपए का अपना अंशदान नहीं किया।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को निम्नलिखित वर्ष–वार प्रीमियम राशि का भुगतान किया:

वर्ष	राशि
2004–05	5.00 करोड़
2005–06	8.00 करोड़
2006–07	12.00 करोड़

[हिन्दी]

भारत-पाक डी.जी. स्तरीय समझौता

4595. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ दोनों देशों के उन नागरिकों को जो भूलवश सीमा पार कर लेते हैं उन्हें वापस भेजने संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं जैसा कि दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी निर्दोष नागरिकों को उनके संबंधित देशों को सौंपे जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे संबंधित कोई सूची पाकिस्तान को सौंपी गई है;

(ङ) यदि हां, तो कितने भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान की सीमा पार की; और

(च) दोनों देशों द्वारा उक्त समझौते को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) 17–19 अक्तूबर, 1995 से जालंधर (भारत) में आयोजित द्विवार्षिक बैठक के दौरान यह परस्पर सहमति हुई कि भूल से सीमा पार करने वालों को आवश्यक सत्यापन के बाद शीघ्र वापिस जाने दिया जाएगा। तथापि, तस्करी/सीमा पर अपराधों में संलिप्त कार्मिकों को वहां के कानून के अनुरूप कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

(घ) भूल से सीमा पार गए ऐसे लोगों जो पाकिस्तानी हिरासत में हैं की सूची 14–17 फरवरी, 2007 को जालंधर (भारत) में आयोजित द्विवार्षिक बैठक के दौरान पाकिस्तान रैंजरों को सौंप दी गई है।

(ङ) 10 भारतीय राष्ट्रीय भूल से पाकिस्तान सीमा में गए हैं।

(च) उक्त (क) और (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता है।

पंजाबी स्कूलों को स्थापित करना

4596. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नवोदय विद्यालयों की तरह पंजाबी स्कूलों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इन स्कूलों की स्थापना के लिए स्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

दहेज की मांग

4597. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बेटियों के सुसराल से की गई पैसे की मांग को 'दहेज की मांग' के रूप में स्वीकार नहीं किया है तथा सरकार से उक्त मामले में स्पष्ट करने का निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी मांगों पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अप्पा साहिब तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में दायर वर्ष 2005 की दांडिक अपील संख्या 1613 में 5.1.2007 को पारित अपने निर्णय में यह कहा है कि 'किसी वित्तीय कठिनाई के कारण या अत्यावश्यक घरेलू खर्चों की पूर्ति के लिए धन की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता, जैसा कि दहेज शब्द का सामान्य अर्थ है।'

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की समीक्षा करके यह सुझाव दिया है कि विवाह के समय या विवाह के पश्चात् किसी भी समय लेनदेन का विशिष्ट रूप से निषेध करने का उपबंध शामिल करने तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दी गई दहेज की परिभाषा से 'विवाह के संबंध में' शब्द हटाने के लिए उक्त परिभाषा में संशोधन किया जाए।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए मुक्त विद्यालय

4598. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में अल्पसंख्यकों के लिए 'मुक्त विद्यालय' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए विद्यालयों को कब तक खोला जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सबके लिए शिक्षा

4599. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना एक सांविधानिक/विधिक दायित्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी शैक्षिक संस्थाओं को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्यालयों में प्रवेश चाहने वालो बच्चों के साक्षात्कार पर प्रतिबंध लगाने के लिए दण्डात्मक कानून बनाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार के ध्यान में आए इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मामलों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधिनियमन के फलस्वरूप 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 21–ए संविधान में जोड़ा गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।" तदनुसार, शिक्षा का अधिकार संबंधी मॉडल विधेयक का एक प्रारूप, जिसमें नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक अधिदेश को प्राप्त करने हेतु एक व्यापक पैरामीटरों और विशेषताओं का उल्लेख है, तैयार किया गया और उसे एक संरचना के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। शिक्षा का अधिकार संबंधी मॉडल विधेयक को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रारूप मॉडल विधेयक के खण्ड 3 में न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बच्चे के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रारूप मॉडल विधेयक के खण्ड 13 में अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालय खण्ड 3 के तहत पात्र बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा निम्नानुसार दी गई सीमा तक और तरीके से प्रदान करेगा :–

(i) विनिर्दिष्ट श्रेणियों के विद्यालयों को छोड़कर, राज्य के विद्यालय और पूर्णत: सहायता प्राप्त स्कूल – सभी दाखिल बच्चों को।

(ii) पूर्णत: सहायता–प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर, सहायता प्राप्त विद्यालय प्रविष्ट बच्चों के कम–से–कम उस अनुपात में कि इनकी वार्षिक आवर्ती सहायता इनके वार्षिक आवर्ती खर्चों में समाविष्ट हो जाए।

बशर्ते कि, इस अधिनियम के लागू होने के समय कोई ऐसा स्कूल, जो भूमि/भवन/उपकरण/अन्य सुविधाएं नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर प्राप्त करने के परिणामस्वरूप एक विनिर्दिष्ट संख्या में बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए या तो केन्द्र सरकार अथवा किसी उपयुक्त सरकार अथवा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी प्राधिकरण/एजेंसी के प्रति पहले से ही जवाबदेह हो तो ऐसा विद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी इस जवाबदेही को पूरा करता रहेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(घ) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रसारण लाइसेंस

4600. श्री मिलिन्द देवरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 40 चैनल प्रसारण लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये चैनल कितने समय से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन चैनलों को लाइसेंस कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इनमें से कितने–कितने समाचार, संगीत तथा मनोरंजन के अलग–अलग चैनल हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) दिनांक 30.4.2007 तक की स्थिति के अनुसार भारत से अपलिंक करने के लिए अनुमति देने हेतु 71 निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों के प्रस्ताव मौजूदा अपलिंकिंग दिशा–निर्देशों के अनुसरण में जांच के विभिन्न चरणों में हैं। ऐसे चैनलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि आवेदन प्रक्रमण के विभिन्न चरणों में है और अन्य

मंत्रालयों से टिप्पणियां/अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी आवश्यक रूप से प्राप्त किये जाते हैं जैसा कि दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तथा अपेक्षित है, इसलिए कोई निश्चित समय–सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

(घ) अपलिकिंग दिशा–निर्देश चैनलों की केवल दो श्रेणियां निर्धारित करते हैं नामतः समाचार और समसामयिक विषयक और गैर समाचार तथा समसामयिक विषयक। टी.वी. चैनलों की श्रेणी पूर्वोल्लिखित संलग्न विवरण में इंगित की गई है।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	चैनल का नाम	प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख	चैनल की श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	राज टेलीविजन नेटवर्क लि.	वीसा राज म्यूजिक	17.5.2005	समाचार गैर–समाचार
2.	इनोवेशंस इम्पेक्स प्रा. लि.	सी.टी.वी.	27.1.2006	समाचार
3.	रायडू विज़न मीडिया लि.	आर.टी.वी.	10.3.2006	समाचार
4.	स्वेन टेलीविजन लि.	स्वेन टी.वी.	23.3.2006	गैर–समाचार
5.	शीतल फाइबर्स लि.	न्यूज टुडे	12.5.2006	समाचार
6.	एअर एक्स मीडिया लि.	नूरी टी.वी.	15.5.2006	समाचार
7.	सहारा इंडिया कम्यू. कारपोरेशन लि.	सहारा हिट म्यूजिक	16.5.2006	गैर–समाचार
8.	जी. टेलीफिल्म्स लि.	जी म्यूजिक रशिया	6.7.2006	गैर–समाचार
		मॉड–हिन्दी, मॉड अंग्रेजी	9.11.2006	–तथैव–
		जी–टॉकीज	28.3.2007	–तथैव–
9.	मिलियंस मीडिया लि.	अलिफ टी.वी.	13.7.2006	गैर–समाचार
10.	ब्लेसिंग्स टी.वी.प्रा. लि.	ब्लेसिंग टी.वी.	18.7.2006	गैर–समाचार
11.	सौभाग्य एक्सपोर्ट लि.	डी.टी.वी.	29.8.2006	समाचार
12.	जोश मीडिया विज़न लि	जोश	7.9.2006	समाचार
13.	किताब ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि	किताब टी.वी.	26.9.2006	गैर–समाचार
14.	फिल्म सिटी कम्यू. तकनीकी लि.	वेलनेस	29.9.2006	गैर–समाचार
15.	ब्रह्मपुत्र टेली प्राडक्शन (प्रा.) लि.	चैनल ईस्ट	6.10.2006	समाचार
16.	हमारा समय टी.वी. न्यूज, नेटवर्क प्रा. लि.	अलिफ टी.वी.	11.10.2006	गैर–समाचार
17.	ए.एम.टी.वी. प्रा. लि.	राइज टी.वी.	12.10.2006	समाचार
18.	ई.टी.सी. नेटवर्कस लि.	ई.टी.सी. पंजाबी न्यूज	13.10.2006	समाचार
19.	एन.के. मीडिया वेंचर्स प्रा. लि.	नक्षत्र टी.वी.	22.11.2006	समाचार

1	2	3	4	5
20.	एन.डी.टी.वी.	एन.डी.टी.वी. मेट्रो नेशन, चैन्नई, बंगलौर, मुम्बई, कोलकाता	30.11.2006	समाचार
		एन.डी.टी.वी. मीडिल ईस्ट	30.1.2007	समाचार
21.	बंगाल मीडिया प्रा. लि.	चैनल 10	30.11.2006	समाचार
22.	डिवाइन टेलीविजन फाउंडेशन	डिवाइन	1.12.2006	गैर–समाचार
23.	मीडिया कान्टेंट एवं कम्यूनिकेशंस सर्विसस (इंडिया) प्रा. लि.	स्टार मराठी	27.12.2006	समाचार
24.	एबीसी कम्पनी प्रा. लि.	संस्कृति टी.वी.	10.1.2007	गैर–समाचार
25.	एस.टी.वी. इन्टरप्राइजेज लि.	हरियाणा न्यूज, गोवा न्यूज एवं यू.पी. न्यूज	31.1.2007	समाचार
26.	पराइड ईस्ट इंटरटेंमेंट प्रा. लि.	चैनल 24 ईस्ट	5.2.2007	समाचार
27.	पॉजीटिव टी.वी. प्रा. लि.	फोकस	6.2.2007	समाचार
28.	विरसा मीडिया इंडिया प्रा. लि.	विरसा	14.2.2007	गैर–समाचार
29.	टेलीविजन एटीन इंडिया लि.	सी.एन.बी.सी. टी.वी.–18–1	14.2.2007	समाचार
		सी.एन.बी.सी. टी.वी.–18–2		
		सी.एन.बी.सी. टी.वी.–18–3		
30.	थर्ड आई कम्यूनिकेशंस (प्रा.) लि.	तुलसी	1.3.2007	गैर–समाचार
31.	बंगाल एन्टरटेन्मेंट प्रा. लि.	चैनल–8	1.3.2007	समाचार
32.	जेन एक्स इन्टरटेंमेंट लि.	बिन्दास	7.3.2007	गैर–समाचार
33.	वसंता एंड कम्पनी मीडिया नेटवर्क प्रा. लि.	वसंत टी.वी.	8.3.2007	समाचार
34.	एशियानेट कम्यू. लि.	सुवर्णा न्यूज	12.3.2007	समाचार
35.	आई.एन.एक्स. न्यूज प्रा. लि.	9 एक्स एवं 9 एक्स एम	15.3.2007	गैर–समाचार
36.	आई.एन.एक्स. न्यूज प्रा. लि.	न्यूज एक्स	15.3.2007	समाचार
37.	मलार नेटवर्क प्रा. लि.	मलार टी.वी., मलार टी.वी. दक्षिण एवं मलार टी.वी. पश्चिम	14.3.2007	समाचार
38.	सतीश शुगर लि.	समय	19.3.2007	समाचार
39.	म्यूजिक च्वाइस इंडिया प्रा. लि.	म्यूजिक च्वॉइस	20.3.2007	गैर–समाचार
40.	शार्प आई एडवरटाईज (प्रा.) लि.	मैंगो टी.वी.	23.3.2007	समाचार
41.	रचना टी.वी. प्रा. लि.	भक्ति	28.3.2007	गैर–समाचार

1	2	3	4	5
42.	एम.एम.टी.वी. लि.	मनोरमा न्यूज इंटरनेशनल	28.3.2007	समाचार
43.	एन.डी.टी.वी. इमेजिंग लि.	एन.डी.टी.वी. इंटरटेंमेंट	4.4.2007	गैर–समाचार
44.	एन.डी.टी.वी. लाइफ स्टाइल लि.	एन.डी.टी.वी. लाइफस्टाइल	4.4.2007	गैर–समाचार
45.	टी.वी. 18 होम शॉपिंग नेटवर्क प्रा. लि.	होम शॉप 18	10.4.2007	गैर–समाचार
46.	कम्पलीट न्यूज एवं इंटरटेंमेंट ब्रॉडकास्टिंग प्रा.लि.	सी.एन.ई.बी.	13.4.2007	समाचार
47.	माविस सेटकाम लि.	जया मूवीज़	16.4.2007	समाचार
48.	मां टी.वी. नेटवर्क लि.	मां भक्ति मां म्यूजिक मां न्यूज	19.4.2007	गैर–समाचार
49.	बी.ए.जी. ग्लैमर लि.	बी.ए.जी. ग्लैमर बी.ए.जी. ब्लीस	23.4.2007	गैर–समाचार
50.	बी.ए.जी. न्यूजलाइन नेटवर्क लि.	बी.ए.जी. न्यूज–1 बी.ए.जी. न्यूज–2	23.4.2007	समाचार
51.	आशीर्वाद टेलीनेटवर्क प्रा. लि.	आर्शीवाद	26.4.2007	गैर–समाचार
52.	पर्ल मीडिया प्रा. लि.	महुआ	27.4.2007	समाचार

12वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर

4601. श्री जी. कल्याकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12वीं कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते छात्रों की संख्या में 10 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले सरकार के सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकलित चुनिंदा शैक्षिक आंकड़ों, 2004–05 (संदर्भ तारीख 30.9.2004 के अनुसार) के अनुसार कक्षा–I से कक्षा–X तक अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर 61.92 प्रतिशत थी। माता–पिता की आर्थिक स्थिति, माध्यमिक शिक्षा की कम सुलभता और विशेष रूप से बालिकाओं के संबंध में सामाजिक दृष्टिकोण जैसे कुछ कारण प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन बीच में ही छोड़ देने के लिए उत्तरदायी है। कक्षा–X के बाद अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर के आंकड़े एक साथ नहीं रखे जाते।

(ग) से (ङ) विद्यालय शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है और भ्रष्टाचार की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करती हैं। जब भी किसी प्रकार की घटनाएं जिसमें केन्द्र सरकार की निधियां शामिल हैं, केन्द्र सरकार की जानकारी में आती हैं, तो केन्द्र सरकार के स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

टेक्सटाइल पार्क

4602. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत किए गए टेक्सटाइल पार्कों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है तथा ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष–वार कितने टेक्सटाइल पार्कों को स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आवश्यक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अभी तक राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र वार स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के द्वारा आने वाले वर्षों में ग्लोबल टेक्सटाइल में भारत के हिस्से में कितनी अनुमानित वृद्धि होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने 2002 में अपैरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम (ए.पी.ई.एस.) के अंतर्गत कोई दिशा–निर्देश जारी किए थे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) स्वीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत उद्योग संघ/उद्यमी समूह वस्त्र पार्कों के प्रमुख प्रवर्तक हैं। भारत सरकार वस्त्र एककों की स्थापना के लिए अवसंरचना के सुविधाजनक विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 वस्त्र पार्क परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं – 2005–06 में 9 और 2006–07 में 21। 11वीं पंचवर्षीय योजना में एसआईटीपी को जारी रखने के प्रस्ताव में अतिरिक्त वस्त्र पार्कों के विकास को शामिल किया गया है।

(ग) अभी तक स्वीकृत की गई 30 परियोजनाओं में अनुमोदित निवेश 15,000 करोड़ रु. से अधिक है।

(घ) स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य–वार संख्या, परियोजना लागत, भारत सरकार की अनुमानित सहायता और जारी की गई राशि इस प्रकार है –

राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित परियोजना लागत (सामान्य अवसंरचना एवं सुविधाएं) (करोड़ रु. में)	अनुमानित भारत सरकार सहायता (करोड़ रु. में)	जारी की गई राशि* (करोड़ रु. में)	
				2005–06	2006–07
आंध्र प्रदेश	4	361.32	127.40	00	12.74
गुजरात	7	820.12	280.00	8.00	16.00
महाराष्ट्र	6	524.05	202.29	8.82	6.89
तमिलनाडु	6	529.83	187.51	5.73	5.39
राजस्थान	4	399.61	158.72	00	3.87
कर्नाटक	1	53.10	21.24	00	2.12
पंजाब	1	110.26	40.00	00	00
पश्चिम बंगाल	1	104.59	40.00	00	4.00

* एसआईटीपी 2005–06 में अनुमोदित की गई थी। 2007–08 में अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) स्वीकृत किए गए 30 वस्त्र पार्कों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 23000 करोड़ रु. से अधिक है तथा यह घरेलू और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

(च) और (छ) अपैरल विनिर्माण के उत्कृष्ट विशिष्ट निर्यात जोन स्थापित करने के लिए मार्च 2002 में निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीईएस) शुरू की गई थी। 17 करोड़ रु. की समग्र सीमा के

अध्यधीन, केंद्रीय सहायता अवसंरचना संबंधी सुविधाओं पर हुए पूंजीगत व्यय के लिए 75% की दर से जो अधिकतम 10 करोड़ रु. होगी, साझा बहिस्राव आशोधन संयंत्र (सीईटीपी), बहुउद्देशीय हाल, शिशु सदन आदि पर हुए व्यय के लिए 100% की दर से जो अधिकतम 5 करोड़ रु. होगी, और प्रशिक्षण सुविधा पर हुए खर्च के लिए 50% की दर से जो अधिकतम 2 करोड़ रु. होगी, दी जाती है। भारत सरकार की 191.70 करोड़ रु. की सहायता सहित 433.60 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से बारह (12) अपैरल पार्क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। एपीईएस के तहत अब तक 87.75 करोड़ रु. की अनुदान सहायता जारी की गई है। राज्यवार स्वीकृति में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान प्रत्येक में एक (1); तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में से दो (2) है।

जुलाई 2005 में एपीईएस को एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) में मिला दिया गया था।

कपड़ा उपभोग

4603. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री रामदास आठवले :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में वार्षिक रूप से कुल कितने कपड़े का उपयोग हुआ;

(ख) वे कौन-कौन से कारक हैं जो कपड़ा उपभोग को निर्धारित करते हैं; और

(ग) वस्त्र उद्योग विशेषरूप से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) मिल, हथकरघा, विद्युतकरघा, हौजरी, खादी, ऊन और रेशम क्षेत्र द्वारा उत्पादित कपड़ों की खपत नीचे दी गई है –

कपड़े की स्पष्ट खपत

(मिलियन वर्ग मी.)

मद	2003-04	2004-05	2005-06
(क) कपड़े का उत्पादन	42383	45378	49577
(ख) कपड़े का आयात	501	523	745
(ग) कपड़े का निर्यात	1779	1695	1719
कपड़े का खपत (क+ख ग)	41105	44206	48603

(ख) माल की उपलब्धता, मूल्य, उपभोक्ता की पसंद आदि प्रमुख कारक हैं जो कपड़े की खपत का निर्धारण करते हैं।

(ग) हथकरघा क्षेत्र की उत्पादन, उत्पादकता और क्षमता में वृद्धि करने और बुनकरों की आय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार में उनके कौशल का उन्नयन करके तथा अवसंरचना संबंधी इनपुट और विपणन सहायता प्रदान करके सुधार लाने के लिए, 10वीं योजना अवधि के दौरान विकास संबंधी प्रमुख योजनाएं नामतः दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन कार्यक्रम, मिल गेट मूल्य योजना, कार्यशाला सह आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना, हथकरघा निर्यात योजना, एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना (आईएचसीडी), महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, हथकरघा मार्क और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना आदि कार्यान्वित की गई।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव पर व्यापक अध्ययन

4604. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रोज़गार रोजी, विस्थापन तथा पर्यावरण पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव का व्यापक अध्ययन कराने का है जैसाकि 28 फरवरी, 2007 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यापक अध्ययन के मापदंडों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक उक्त अध्ययन पूरा हो जायेगा; और

(ङ) इस संबंध में शीर्ष एजेन्सी तथा इस दिशा में तय किए गए मापदंडों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव का व्यापक अध्ययन करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑन एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) आरंभ करने का निर्णय किया गया है।

(ख) से (ङ) अध्ययन के पैरामीटरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अध्ययन को एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस नहीं है।

अपराह्न 12.00½ बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क, श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर वापिस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.01 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा) : मुल्लईपेरियार बांध के संबंध में मंत्री ने जो उत्तर दिया उसके संबंध में मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की नोटिस दी है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले समापटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से संबंधित कार्य को पूरा कर लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पीकर साहब के पास है।

[अनुवाद]

उस पर बाद में विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6302/2007]

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6303/2007]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6304/2007]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6305/2007]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रेस परिषद् (जांच प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 5 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ–17/4/06–07 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6306/2007]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6307/2007]

(5) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6308/2007]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधीनस्थ रैंक (सिग्नल) भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 जो 16 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' एवं 'ग' (रेडियो आपरेटर, क्रिप्टी, टेक्निकल, रेडियो फीटर, ड्राफ्ट्समैन) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिग्नल) भर्ती नियम, 2006 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 6309/2007]

(2) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा संवर्ग (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 जो 15 मार्च, 2007 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6310/2007]

(3) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती संशोधन नियम, 2006 जो 1 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 154 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6311/2007]

(4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4 जो 13 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 10 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409 का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6312/2007]

(5) 17 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6313/2007]

(6) 17 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6314/2007]

(7) 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6315/2007]

(8) आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 की धारा 9 के अंतर्गत आप्रवास (वाहक दायित्व) नियम, 2007 जो 9 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6316/2007]

(9) आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 की धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत आप्रवास (वाहक दायित्व) नियम, 2007 जो 9 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6317/2007]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : महोदय, मैं आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:–

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या चौंतीस आठवां सत्र, 1986–1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6318/2007]

2. विवरण संख्या बयालीस नौवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6319/2007]

3. विवरण संख्या चवालीस तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6320/2007]

दसवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या उनतालीस पांचवां, सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6321/2007]

5. विवरण संख्या बयालीस सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6322/2007]

6. विवरण संख्या अड़तीस नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6323/2007]

ग्यारहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या पैंतीस दूसरा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6324/2007]

*अधिसूचनाएं 25-8-2006 को सभा पटल पर रखी गई थीं।

8. विवरण संख्या सैंतीस चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6325/2007]

9. विवरण संख्या इकतीस पांचवा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6326/2007]

बारहवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या उनतालीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6327/2007]

11. विवरण संख्या तैंतीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6328/2007]

तेरहवीं लोक सभा

12. विवरण संख्या अड़तीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6329/2007]

13. विवरण संख्या उनतालीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6330/2007]

14. विवरण संख्या तैंतीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6331/2007]

15. विवरण संख्या बत्तीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6332/2007]

16. विवरण संख्या छब्बीस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6333/2007]

17. विवरण संख्या पच्चीस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6334/2007]

18. विवरण संख्या बीस ग्यारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6335/2007]

19. विवरण संख्या अठारह बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6336/2007]

20. विवरण संख्या पंद्रह तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6337/2007]

21. विवरण संख्या चौदह चौदहवां सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6338/2007]

चौदहवीं लोक सभा

22. विवरण संख्या बारह दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6339/2007]

23. विवरण संख्या दस तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6340/2007]

24. विवरण संख्या आठ चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6341/2007]

25. विवरण संख्या सात पांचवा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6342/2007]

26. विवरण संख्या पांच छठा सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6343/2007]

27. विवरण संख्या पांच सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6344/2007]

28. विवरण संख्या तीन आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6345/2007]

29. विवरण संख्या दो नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6346/2007]

30. विवरण संख्या एक दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6347/2007]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III), देहरादून के वर्ष

2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6348/2007]

(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (सन्नियम और प्रक्रिया की मान्यता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 15 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 49–4/2006–एनसीटीई (एन एण्ड एस) (168) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (सन्नियम और प्रक्रिया की मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 21 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 49–4/2006–एनसीटीई (एन एण्ड एस) (112) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6349/2007]

(5) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नवत अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) अधिसूचना संख्या एफ 47–33/2005–एनसीटीई/सीडीएन (37) जो 16 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा श्री इकबाल अहमद, निवासी गांव और डाकघर जबरिया भील, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) को पश्चिम क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ 47–33/2005–एनसीटीई/सीडीएन (20) जो 20 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रीय समितियों के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6350/2007]

(7) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6351/2007]

(9) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान) नागालैंड के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान) नागालैंड के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6352/2007]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6353/2007]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नेशनल टेक्सटाईल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसके 9 अनुषंगी निगमों के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाईल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसके 9 अनुषंगी निगमों के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6354/2007]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 355 (अ), जो मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6355/2007]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6356/2007]

(4) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियमन, 2007 जो 17 मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6357/2007]

(5) डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री के वर्ष 2007–2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6358/2007]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 9, श्री जयराम रमेश – उपस्थित नहीं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6367/2007]

(3) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआई सीटीई), द्वारा नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम आरंभ करने और पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की अंतर्वाही क्षमता बढ़ाने/बदलने के लिए अनुमोदन प्रदान करना तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का विस्तार तथा मानित विश्व–विद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में मापदंडों व मानकों को बनाए रखना विनियम, 2005 जो 8 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधि–सूचना संख्या एफ 37–3/लीगल/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही संस्था को मानित विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करना तथा मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में मापदंडों व मानकों को बनाए रखना विनियम, 2006 जो 28 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37–3/लीगल/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम आरंभ करने और पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की अंतर्वाही क्षमता बढ़ाने/बदलने के लिए अनुमोदन प्रदान करना तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का विस्तार विनियम, 2006 जो 28 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 37–3/लीगल/2006 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6368/2007]

(4) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ 37–3/लीगल/2005 जो 7 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एफ 37–3/लीगल/2005 में कतिपय संशोधन किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त मद संख्या (3) और (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6369/2007]

(6) मणिपुर विश्वविद्यालय के वर्ष 2005–2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6370/2007]

(7) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6371/2007]

(8) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6372/2007]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6373/2007]

(11) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6374/2007]

(13) (एक) ओरुविले फाउंडेशन, ओरुविले के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओरुविले फाउंडेशन, ओरुविले के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ओरुविले फाउंडेशन, ओरुविले के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6375/2007]

(15) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6376/2007]

(19) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6377/2007]

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6378/2007]

(23) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इससे सम्बद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति और वृत्ति अभिवृद्धि के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 19 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 1-1/2002 (पीएम) एक्जम्प में प्रकाशित हुए थे।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6379/2007]

(25) नागालैंड विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6380/2007]

(26) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6381/2007]

(27) असम विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6382/2007]

(28) नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6383/2007]

(29) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6384/2007]

(30) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (अपील की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2007 जो 5 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2007 जो 5 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6385/2007]

अपराह्न 2.03½ बजे

याचिका समिति

सत्ताईसवां और अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों पर 27वां प्रतिवेदन।

(2) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग (पोत परिवहन विभाग), वित्त (वार्षिक कार्य विभाग - बीमा प्रभाग) तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों से संबंधित अभ्यावेदनों पर 28वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.04 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : मैं उत्तर–पूर्व विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम 13 – श्री स्वदेश चक्रवर्ती – उपस्थित नहीं।

श्री वी.के. दुग्गर।

अपराह्न 2.04½ बजे

उद्योग संबंधी समिति

एक सौ अट्ठानवें से दो सौ दोवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. के. दुग्गर (अमरेली) : महोदय, उद्योग संबंधी स्थायी समित के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित सीपीएसई बोर्डों के व्यवसायीकरण के बारे में 198वां प्रतिवेदन;
2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में 199वां प्रतिवेदन;
3. लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में 200वां प्रतिवेदन;
4. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में 201वां प्रतिवेदन; और
5. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में 202वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : महोदय, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से लोक सभा के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के समाचार भाग–दो द्वारा जारी लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी यह विवरण प्रस्तुत करता हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2006–07 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए 9.6.2006 को साक्ष्य संबंधी बैठक की। 2.8.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत अपने बत्तीसवें प्रतिवेदन में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने 28 सिफारिशें की। मंत्रालय ने 15.12.2006 को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किए। तदुपरांत सिफारिश सं. 22 पर की गई कार्रवाई टिप्पण को अद्यतन स्थिति दर्शाने के लिए संशोधित किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में यथा अंतर्विष्ट विशिष्ट सिफारिशों अथवा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 2.06 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2007 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी बैठक 28 अप्रैल, 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6388/2007

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2007 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मई, 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 2.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यथा प्रस्तावित और पूर्व सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई सहमति के अनुसार उड़ीसा में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:–

"उड़ीसा में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है और पूर्व में सरकार द्वारा सहमति दी गई है की आवश्यकता।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी अपना वक्तव्य देंगी।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, कैबिनेट मंत्री कहां हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। *...(व्यवधान)* इससे सरकार की गंभीरता का पता लगता है। *...(व्यवधान)* कैबिनेट मंत्री कहां हैं? *...(व्यवधान)* यह एक नियमित कार्य है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस कॉलिंग अटेंशन के बारे में श्री अर्जुन सिंह की तरफ से स्पीकर साहब के पास रिक्वेस्ट आई है। स्पीकर साहब ने एलाऊ किया है कि श्रीमती पुरन्देश्वरी जी इस विषय पर बोल सकती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

***मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी)**: महोदय, मैं आपको और साथ ही अपने सहयोगियों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया।

वर्तमान में देश में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, नामतः आई आई टी खड़गपुर, आई आई टी बॉम्बे, आई आई टी मद्रास, आई आई टी दिल्ली, आई आई टी गुवाहाटी, आई आई टी रुड़की और आई आई टी कानपुर।

प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) खोले जाने के संबंध में योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर योजना आयोग का 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् तथा प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तीन नए आई आई टी खोले जाने का प्रस्ताव किया था। *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

मंत्रालय इन तीन राज्यों में आई आई टी के सही स्थान का चयन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में आई आई टी की स्थापना किए जाने पर सरकार कभी भी सहमत नहीं थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री सभा की कार्यवाही से जानबूझकर अनुपस्थित रह रहे हैं। तथापि, माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : मंत्रिमंडल का संयुक्त दायित्व होता है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : हां, हो सकता है कि मंत्रिमंडल का संयुक्त दायित्व हो। *...(व्यवधान)***

[अनुवाद]

वह चिंतित है लेकिन जल्दबाजी में है। यही परेशनी है। माननीय केन्द्रीय मंत्री अपने मंत्रालय के मामलों की बजाय राजनीति में अधिक रूचि रखते हैं। यह मजेदार बात है।

---

*ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6387/2007

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष–पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर भी साधारण और भ्रामक है। उड़ीसा के लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसे भुवनेश्वर से अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर इस सभा में अनेक बार चर्चा की गई को स्थानांतरित करने संबंधी यू पी ए सरकार के अभिप्रेत निर्णय के सदमे और अपमान को भूले नहीं हैं और उससे उबरे भी नहीं हैं। अब एक बार फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के उड़ीसा में नए आई आई टी की स्थापना किए जाने के मूल प्रस्ताव के स्थान में परिवर्तन करके अन्य राज्य में किए जाने के निर्णय ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।

महोदय, इस खबर से राज्य में व्यापक असंतोष है। इस निर्णय से विशेषकर विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी और आम जनता अत्यधिक असंतुष्ट है। ऐसा यू पी ए सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। सरकार जानबूझकर उड़ीसा के मामले की उपेक्षा कर रही है। वे राजनीति से प्रेरित होकर संस्थान का स्थान बदलने का निर्णय ले रहे हैं और जानबूझकर स्थान में बार–बार परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मामले में भी मूल स्थान में परिवर्तन किया और उसे अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि एन डी ए सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भुवनेश्वर, उड़ीसा में करने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने पूर्व सरकार के निर्णय की उपेक्षा करके इसे अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया। माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार अब आई आई टी के मामले में भी सरकार प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के तर्क को स्वीकार कर रही है। यह बात मुझे समझ में नहीं आई।

प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् ने आई आई टी की स्थापना करने का सुझाव दिया था लेकिन ये सुझाव नहीं दिया कि इसे कहां पर स्थापित किया जाए। सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन नए ग्रीन फील्ड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया और योजना आयोग भी इससे सहमत है। योजना आयोग ने पहले जिन तीन राज्यों में आई आई टी की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया था, उड़ीसा उनमें से एक था। यह अकेले योजना आयोग का ही विचार नहीं था। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और मेरे अच्छे मित्र श्री फातमी यहां उपस्थित हैं। 28 अगस्त, 2006 को पटना में उन्होंने घोषणा की थी कि तीन में से एक स्थान पर उड़ीसा होगा। मैं अब इसे समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे पास अखबार की कतरनें हैं। उन्होंने 28 अगस्त, 2006 को पटना में घोषणा की थी कि उड़ीसा में भी आई आई टी खोला जाएगा। राज्य सरकार ने भी इस उद्देश्य हेतु 300 एकड़ भूमि देने की सहमति दी थी। यदि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, तो राज्य सरकार 300 एकड़ भूमि देने पर कैसे सहमत हो गई? पहले यही निर्णय लिया गया था और बाद में संस्थान को आंध्र प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया था। संयोग से, उत्तर देने वाले माननीय मंत्री भी आंध्र प्रदेश के हैं। मैं उनको दोष नहीं देता।

यह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और केन्द्रीय मंत्री अनुपस्थित हैं। हमें अन्य राज्यों चाहे वह आंध्र प्रदेश ही हो, में आई आई टी खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में एम.टेक. सहित दो इंजीनियरिंग कॉलेज तथा आई आई टी के समकक्ष सुविधाओं वाला अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई थी लेकिन उड़ीसा में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यही हमारी मांग है। जब योजना आयोग ने निर्णय लिया कि उड़ीसा में आई आई टी खोला जाएगा, तो इसे अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की क्या आवश्यकता है? हमें आंध्र प्रदेश में संस्थान खोले जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी संस्थान उड़ीसा से ही स्थानांनतरित क्यों किए जाते हैं? उड़ीसा की उपेक्षा क्यों की जाती है? हमारे राज्य में कोई आई आई टी नहीं है।

देश के पूर्वी क्षेत्र में हमारे राज्य में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, निःसन्देह वे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन एम.टेक. रिसर्च और पी.एच. डी. फैकल्टी में सुधार करने के लिए आई आई टी आवश्यक है। हम भूमि देने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में आई आई टी खोले जाने के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें क्या समस्या है? वे इस मामले में राजनीति को क्यों ला रहे हैं? यह केन्द्र सरकार है अथवा राज्य सरकार? मेरा आरोप है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पंचायत और नगर पालिका की तरह कार्य कर रहा है। वह केन्द्रीय मंत्रालय की तरह कार्य नहीं कर रहा है।

अतः केन्द्र सरकार को चाहिए कि वे संघ के अंग के रूप में देश के सभी भागों पर विचार करें। उन्हें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए या फिर इस पर राजनीति से प्रेरित होकर विचार नहीं करना चाहिए। अतः, यही वह अड़चन है जो हम लोगों के लिए स्तब्धकारी है। इसी कारण से उड़ीसा के लोग काफी दुःखी हैं। मैंने पहले भी बताया है कि राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बहुतायत में है। इसलिए, आई आई टी की स्थापना कर पीएच.डी., एम.टेक. डिग्री का प्रावधान करने से इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय को बेहतर बनाने में अत्यधिक मदद मिलेगी। किन्तु, हम लोगों की उपेक्षा की गई है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आई आई टी, खड़गपुर के शासकीय निकाय ने भी इस बात का अनुमोदन किया है कि भुवनेश्वर में इसका एक पूर्ण कैम्पस खोला जाना चाहिए। हमारी मांगों में एक यह भी है। आई आई टी खड़गपुर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध

किया है कि वे मौजूदा एक्सटेंशन सेंटर का उन्नयन कर इसे पूर्ण कैम्पस के रूप में विकसित करें और इसकी निवेश राशि 800 करोड़ को बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए की जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस प्रस्ताव को भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसमें क्या हुआ है? आईआईटी खड़गपुर ने इसके लिए अनुरोध किया है और राज्य सरकार ने भी इस परियोजना के लिए निःशुल्क जमीन देने पर सहमति जताई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिरकार वर्तमान में इस परियोजना की वास्तविक स्थिति क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक ग्रीन फील्ड आई आई टी की स्थापना उड़ीसा में की जाएगी? भुवनेश्वर में एक पूर्ण एक्सटेंशन कैम्पस खोलने के आई.आई.टी., खड़गपुर के प्रस्ताव के संबंध में हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह मामला भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचारार्थ है। क्या आप इस परियोजना का अनुमोदन कर रहे हैं? मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसका जवाब दें।

यह बात भी खेदजनक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रति व्यक्ति होने वाले वित्त पोषण के मामले में भी उड़ीसा अपने आप को सबसे नीचे पाता है। यह मंत्रालय सभी राज्यों का वित्तपोषण कर रहा है, किन्तु उड़ीसा में इस मंत्रालय का प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। कठिनाई क्या है? उड़ीसा की उपेक्षा क्यों की जाएगी? क्या उड़ीसा इस देश का अंग नहीं है? क्यों इस तरह का भेदभाव किया जाता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय आई आई टी, खड़गपुर के प्रस्ताव का अनुमोदन कर रहा है और क्या वह उड़ीसा को आईआईटी दे रहा है या नहीं? जो भी हो, इससे उच्च शिक्षा में निवेश से संबंधित असंतुलन को दूर करने और उड़ीसा की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे कुछ हद तक स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में किया जाने वाला निवेश सबसे कम है। इसलिए, यदि उड़ीसा में एक ग्रीन फील्ड आई आई टी दे दिया जाता है और आई.आई.टी., खड़गपुर के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाता है, तो कुछ हद तक हम अन्य राज्यों से तुलना कर सकते हैं। देश में सात आई आई टी हैं। हमारे यहां निजी इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या अधिक है। इसलिए, हमारे यहां एक आई आई टी दिया जाना चाहिए और योजना आयोग द्वारा यह सही निर्णय लिया गया था। किन्तु, मैं नहीं जानता कि क्यों मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, और क्यों यह एक राज्य से दूसरे राज्य में इसे हस्तांतरित कर रहा है। यह अशोभनीय राजनीति है। यदि भारत सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में ग्रीनफील्ड आई आई टी की स्थापना न करने के अपने वर्तमान निर्णय को नहीं बदलती है तो यह उड़ीसा के लिए अनुचित होगा और इससे राज्य में हालात बिगड़ भी सकते हैं। वर्तमान में राज्य की स्थिति विस्फोटक है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे लोग कभी किसी दिन दिल्ली में भी प्रदर्शन के लिए आ जाएंगे। इसलिए यह हो क्या रहा है? छात्र, बुद्धिजीवी, शिक्षक और जनता सभी आंदोलन कर रहे हैं। इस केन्द्र सरकार का रवैया उड़ीसा राज्य के प्रति अनुचित है। वह सभी गैर-कानूनी कार्य कर रही है। ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में श्री त्रिपाठी के भाषण के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, यह भी समझा जाता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच नए आई आई एम की स्थापना की जाएगी। भिन्न-भिन्न राज्यों में पहले से ही आई आई एम हैं, किन्तु हमारे यहां उड़ीसा में एक भी आई आई एम नहीं है। उड़ीसा में एक भी केन्द्रीय संस्थान नहीं है। कोई आई आई एम नहीं है। इसलिए जब सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच नए आई आई एम खोलने का निर्णय कर रही है तो इसके लिए उड़ीसा को क्यों नहीं चुना जाना चाहिए? डिग्री इंजीनियरिंग संस्थान, तकनीकी संस्थान और आई टी शैक्षणिक संस्थान की अधिकतम संख्या उड़ीसा, अर्थात् देश के इस पूर्वी भाग में ही है।

अतः सरकार उड़ीसा में एक आई आई एम खोलने पर विचार क्यों नहीं करती? मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे उड़ीसा में एक ग्रीन फील्ड आई आई टी, एक आई आई एम स्थापित करने पर विचार करें। और साथ ही उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में खड़गपुर के आई आई टी कैम्पस का विस्तार करने पर भी विचार करें। यदि केन्द्र सरकार द्वारा इन मांगों को मानने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता, तो राज्य के लोग अत्यधिक अप्रसन्न हो जाएंगे और राज्य की स्थिति भी खराब हो जाएगी।

हम देश की एकता बनाए रखना चाहते हैं। हम देश की एकता बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं। इस राष्ट्र की एकता बनाए रखने में उड़ीसा के लोगों का योगदान सर्वाधिक है। यदि उड़ीसा राज्य अन्यथा सोचने लगे, तो आधा देश अंधकार में निस्तेज दिखेगा। इस पुनीत सभा के माननीय सदस्यों को यह सब जानना चाहिए। हम देश के सभी क्षेत्रों में कोयला और लौह अयस्क की पूर्ति करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे राज्य में ही कोई उद्योग नहीं है। यदि केन्द्र सरकार इसी तरह हमारी उपेक्षा करती रही, तो राज्य स्वाभाविक रूप से अपने आपको मुख्यधारा से अलग-थलग महसूस करेगा। उड़ीसा राज्य में नक्सली अत्यधिक सक्रिय हैं और वे इस स्थिति का फायदा उठा लेंगे। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार पंचायत की तरह कार्य कर रही है और वे भेदभावपूर्ण नीति का पालन कर रही हैं। यदि इस रवैये में बदलाव नहीं किया गया, तो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

असामाजिक तत्व लोगों को भड़का सकते हैं और जिससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। हम हमेशा देश की एकता बनाए रखना चाहते हैं। स्वाधीनता संग्राम में उड़ीसा के लोगों का अत्यधिक योगदान रहा है। हमारा राज्य औपनिवेशिक शासन का अंग सबसे अंत में बना था। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हमारा राज्य ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में सबसे अंत में शामिल किया गया था। हमने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध संघर्ष किया था। उड़ीसा के अनेक लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। यह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में उन बलिदानों का समुचित उल्लेख भी नहीं है। हम उन्हें उनका उचित सम्मान भी नहीं दे पाए हैं। अतएव स्वतंत्रता संघर्ष में उड़ीसा के लोगों का योगदान अधिकतम रहा है।

अत:, मैं माननीय मंत्री से इन मांगों पर विचार करने और राज्य के लोगों की भावनाओं को आहत न करने अनुरोध करता हूं। ऐसी कोई भड़काने वाली बात नहीं होनी चाहिए जिससे कानून व्यवस्था का गंभीर संकट पैदा हो जाए। सरकार को राज्य की जनता की भावनाओं को समझना चाहिए तथा भुवनेश्वर में एक भा.प्रौ.सं. एक भा.प्र.सं. की स्थापना करने तथा भा.प्रौ.सं. खड़गपुर का विस्तार करने की दिशा में सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं। यदि इन पर विचार नहीं किया जाता तो संभावना है कि निकट भविष्य में विरोध प्रदर्शन हों और स्थिति अनियंत्रित हो जाए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आज की कार्य सूची में एक ध्यानाकर्षण सूचीबद्ध है। इसके उत्तर में मानव संसाधन मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री ने सदन के सभा पटल पर एक लिखित वक्तव्य रखा है। यह बजट सत्र के प्रथम भाग में भी सूचीबद्ध था परंतु सदन का अंतरसत्रावसान होने के कारण इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकी।

यह सभी उडिया लोगों; न केवल निवासी अपितु अनिवासी उडिया के लिए भी एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारा अनुभव यही है कि इस मुद्दे पर हमें प्रतिवेदन नेट के जरिए काफी सारी मेल प्राप्त हो रही है, भले ही फिर वे भी जुएल ओराम या फिर राज्य सभा के कोई अन्य सदस्य क्यों न हो; हम उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सभी सदस्यों को इस मुद्दे पर नेट के माध्यम से बड़ी संख्या में मेल प्राप्त हो रही हैं। क्या इसी कारण उड़ीसा के साथ अन्याया हो रहा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उड़ीसा को न्याय देने से इंकार क्यों कर रही है? इस प्रश्न को हम क्या उत्तर दें? क्या हम यह कहें कि इस सदन में गैर सं.प्र.ग. सरकार के बड़ी संख्या में सदस्य चुने गए हैं अतएव सं. प्र.ग. हमें न्याय से वंचित कर रहा है? क्या हमें ऐसा कहना चाहिए कि सं.प्र.ग. में हमारा कोई मंत्री नहीं है इसलिए उड़ीसा के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है? या फिर हमें ऐसा कहना चाहिए कि सं.प्र.ग. के नेताओं द्वारा उड़ीसा को मान्यता नहीं दी जा रही है अतएव इसे न्याय नहीं दिया गया है? हम क्या कहें? इसका क्या उत्तर दें? ...*(व्यवधान)* उत्तर यह है कि क्योंकि वे एन डी ए के साथ हैं इसलिए ऐसा हो रहा है; वे उड़ीसा के हितों के लिए ऐसा कर रहे थे ...*(व्यवधान)* इस बात का क्या कारण है कि सं.प्र.ग. जो कि विगत तीन वर्षों से सत्ता में है उड़ीसा को न्याय नहीं दे रही है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महताब के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब : केवल यह नहीं कि हमें विगत तीन सालों से ही न्याय से वंचित रखा जा रहा है। 1960, 1970, 1980 और 1990 के प्रथम भाग से लगातार उड़ीसा की जनता को न्याय से वंचित रखा जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं और उनसे उसका जवाब चाहता हूं। मानव संसाधन विकास के लिए उड़ीसा में कितना निवेश किया गया है? विगत इस योजनाओं के दौरान उड़ीसा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितना निवेश किया है? भा.प्रौ.सं., जिस पर आपका ध्यान आकर्षण किया गया है उस मुद्दे को छोड़कर उड़ीसा में कितने केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है? हमारे नेता, श्री त्रिपाठी ने भी भा.प्रौ.सं. के अलावा भा.प्र.सं. के बारे में भी जिक्र किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सदन में किए गए वायदों के रिकार्ड देखें। 80 के दशक के बाद के वर्षों में हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो श्री राजीव गांधी के कार्यावधि के दौरान तत्कालीन मंत्री थे, ने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र; जिसका मैं आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, का प्रतिनिधित्व करने वाले एक कांग्रेस सदस्य से इस सदन में एक वायदा किया था। उस समय, वे मुख्यमंत्री की पत्नी थी उनसे तत्कालीन मंत्री श्री नारायण ने इस सदन में एक वायदा किया था कि जब भा.प्रौ. सं. की स्थापना की जाएगी तो यह उड़ीसा में स्थापित होगी। अब 2007 चल रहा है। चार या पांच से ज्यादा सरकारें शासन कर चुकी हैं परंतु भा.प्रौ.सं. का कुछ नहीं हुआ? यदि हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो कोई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न कोई अड़चन पैदा करना शुरू कर देगा। क्या हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तिहरी आई आई आई टी की स्थापना करने का क्या हुआ? क्या आपने सदन में दिया वायदा पूरा किया है? या आप यह कहना चाहते हैं कि अन्य मंत्रालयों ने ऐसा नहीं किया है और इसी कारण से आपने भी नहीं किया? क्या आप इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल सकते हैं? विगत 60 वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में कितना निवेश किया गया है? यह प्रश्न मैं किसी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक गठबंधन से नहीं कर रहा हूं। मैं यह प्रश्न इस सदन, इस राष्ट्र से कर रहा हूं। केन्द्रीय बजट, विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा उड़ीसा में निवेश क्यों नहीं किया गया? आपने निजी संस्थानों का सृजन किया है? कृषि मंत्रालय की केवल दो संस्थानों को स्थापित किया गया है। 1948 में एक संस्थान, केन्द्रीय चावल अनुसंधान, धनबाद में स्थापित किया गया है और दूसरा केन्द्रीय मत्स्य संस्थान है, जो 80 के दशक में स्थापित किया गया है। कृषि मंत्रालय के इन दो संस्थानों के अतिरिक्त यहां और किसी संस्थान की स्थापना नहीं हुई है। इन संस्थानों का मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। निस्संदेह हीराकुंड बांध बनने के बाद, राउरकेला इस्पात संयंत्र बनने के बाद क्षेत्रीय इंजीयरिंग कालेज की स्थापना की गई है।

तकनीकी शिक्षा के लिए उड़ीसा के काफी संख्या में छात्र बंगलौर, हैदराबाद और दिल्ली जाते हैं और उनमें से कुछेक ही विदेश जा पाते हैं। क्या उचित लागत पर उड़ीसा के लोगों को उच्चतर तकनीकी शिक्षा मुहैया कराना केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है? हम आपके सामने आकर प्रार्थना क्यों करें? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आय सूचकांक में उड़ीसा सबसे नीचे है; इसको देखना क्या सरकार का दायित्व नहीं है?

आपने संविधान में "समाजवाद" को प्रतिष्ठापित किया है। क्या यह देखना सरकार का दायित्व नहीं है? विगत कुछेक माह से 'समग्र विकास' नामक एक प्रचलित शब्द का खूब प्रयोग हो रहा है। क्या देश का समग्र विकास सुनिश्चित करना केन्द्र का दायित्व नहीं है? यदि पूर्वोत्तर में कुछेक लोग उपद्रव करते हैं तो सरकार का ध्यान तुरंत उस ओर आकर्षित होता है। यदि पश्चिमी फ्रंट पर कुछ होता है तो उससे सरकार उस ओर आकर्षित होती है। ...*(व्यवधान)*

प्रधानमंत्री के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था और एक अधिदेश दिया गया था। वह अधिदेश क्या था? क्या यह अधिदेश स्थापित की जाने वाली भा.प्रौ.सं. की संख्या के संबंध में था? या यह अधिदेश यह पता करने के लिए था कि भा.प्रौ.सं. की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, के संबंध में था? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मुझे और इस सदन को इस संबंध में जानकारी दें। मेरी जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अधिदेश के अनुसार साठवें दशक में स्थापित आई आई टी और बाद में आई आई टी खोले जाने के बाद क्या देश में और आई आई टी की आवश्यकता है? इसे तीन तक ही सीमित क्यों किया गया? इसे तीन तक किसने सीमित किया? मुझे इसका उत्तर चाहिए। यह केवल तीन तक ही कैसे सीमित रखा गया? क्या यह योजना आयोग द्वारा किया गया? मैं यह जानना चाहता हूं। यदि सिफारिश यह थी कि एक आई आई टी पूर्व में, एक पश्चिम में और एक दक्षिण में होगा तो यह निर्णय किसने किया कि एक बिहार में, एक आंध्र प्रदेश में और तीसरा राजस्थान में होगा। यह निर्णय किसने किया कि यह कर्नाटक, केरल अथवा उड़ीसा में नहीं होगा? यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया? मैं यह बात जानना चाहता हूं। यदि यह निर्णय समझबूझकर लिया गया है तो इसके पीछे क्या तर्क है? पूरे राष्ट्र को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं इन कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना बोलने वाले सदस्यों की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास संस्थानों की सथापना के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता है। माननीय मंत्री हमें इसके लिए आश्वासन दें। आप जो भी कहें लेकिन हमारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है। हम उन माननीय मंत्री को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते जो आज उत्तर देने जा रहे हैं लेकिन हम अपने मामले पर निवेदन करना है। यदि आपको हम सभी की आवश्यकता है तो उड़ीसा से आने वाले सभी संसद सदस्य तथा सभी समर्थक, जो यह चाहते हैं कि उड़ीसा फले–फूले, उनके साथ–साथ माननीय मंत्री, श्री जयराम रमेश आपके साथ जा सकते हैं। वह मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह के पास जाकर निवेदन कर सकते हैं। अब हम माननीय मंत्री की बात सुनते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : यू पी ए सरकार हमेशा सम्मिलित विकास की बात करती है। यह सम्मिलित विकास क्या है? क्या इसका अर्थ कुछ को शामिल करना और बाकियों को इससे बाहर रखना है? उदाहरण के लिए आप उड़ीसा में उपलब्ध मानव संसाधन की गुणवत्ता को देखिए – सिविल सेवा, बैंकिंग क्षेत्र, आई टी, मेडिसिन और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंजीनियरिंग में उड़ियाओं का प्रतिशत क्या है? यह देश के सबसे अधिक में से एक है।

माननीय मंत्री, श्री जयराम रमेश यहां पर बैठे हैं। वह हमारे साथ वित्त संबंधी स्थायी समिति में भी थे। वह हमारे साथ जहां भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि उड़िया अधिकारी सभी जगहों जैसे आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बैंकिंग आदि में हैं, और उन्नति कर रहे हैं और जब भी वह यहां पर बोलने के लिए खड़े होते हैं, हमेशा की तरह कहते हैं कि यहां पर 'कलिंगा ब्रिग्रेड' उनका भाषण सुनने के लिए उपलब्ध है। वह जानते हैं कि हम हमेशा यहां बैठते हैं और उनकी बात सुनते हैं।

महोदय, यू पी ए सरकार और हर कोई जानता है कि 2011 तक इस देश में कुशल जनशक्ति की कमी होने वाली है। यदि भारत में लोगों को कुशल न बनाने की प्रवृत्ति जारी रही तो हमें कुशल जनशक्ति का आयात करना होगा। इसलिए 1000 आई टी आई को उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने इसके बारे में बजट भाषण में बताया था। इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि आई आई टी स्थापित करने के मानदंड क्या हैं? युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में कितने आई आई टी हैं? भारत जैसे देश में कितने आई आई टी की आवश्यकता है? केवल सात की? यदि इसमें तीन और शामिल कर दें तो यह दस हो जाएगी।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जैसे बड़े देश में 1500 आई आई टी की आवश्यकता है। यह बहुत अधिक है लेकिन यह सच है। इसलिए एक अरब जनसंख्या वाले देश में इसकी आवश्यकता है।

अब यू पी ए सरकार पहले ही प्राथमिक शिक्षा पर 2 प्रतिशत शिक्षा कर लगा रही है। इस वर्ष से, आपने उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत और लगा दिया है। प्रत्येक वर्ष आप कहते हैं कि आपके राजस्व में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है। इसलिए, धन की कोई कमी नहीं है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यदि संसाधनों की कमी नहीं है तो आप उड़ीसा जैसे राज्य में आई आई टी के ही समान दूसरा तकनीकी संस्थान क्यों नहीं खोलते? उड़ीसा के लोग और उड़ीसा से आने वाले संसद सदस्य भिखारियों की तरह क्यों मांगते रहे हैं? हम मांगते ही क्यों रहें? मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं किसी व्यक्तिविशेष या इस सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैं इस सरकार से अपील करता हूं कि आप इस बात को देखें कि उड़ियाओं को इस तरह आकर आपसे गुजारिश नहीं करनी पड़े।

एक और संस्थान खोलें और वह संस्थान चाहे बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में ही क्यों न हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बताया कि हमें 1500 तकनीकी संस्थानों की आवश्यकता है। आप इसे केरल और अन्य स्थानों पर खोल सकते हैं। हम भी चाहते हैं, शायद उड़ीसा में जैसा कि श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा पहले ही बताया गया है कि आई आई टी खड़गपुर अपना एक कैम्पस भुवनेश्वर में खोलना चाहता है। पश्चिमी उड़ीसा, जो कि तुलनात्मक रूप से एक अल्प विकसित क्षेत्र है, में बुरला इंजीनियरिंग कालेज के पास अवसंरचना और अन्य सभी सुविधाएं हैं। आप उसका विकास कर सकते हैं और इसमें सुधार कर इसे आई आई टी के स्तर तक ला सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं।

अंततः, माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी सरकार उड़ीसा में आई आई टी खोलने के लिए पहले सहमत न हुई हो तो कृपया अब इस पर सहमति दें। यदि आज भी आप इस पर सहमति नहीं देते हैं तो हम इस मामले को तब तक सदन में उठाते रहेंगे जब तक आप सहमति न दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मेरे पास वक्ताओं की बहुत लंबी सूची है। अतः मैं चाहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल स्पष्टीकरण मांगें। अब, मैं श्री प्रसन्न आचार्य से केवल स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, यह उड़ीसा राज्य से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे सहयोगियों ने इसे जोरदार तरीके से उठाया है।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज अथवा कल चर्चा होगी। 3 बजे दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। इसको समाप्त करने के बाद मैं आपको बताऊंगा।

मैं श्री प्रसन्न आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वे केवल स्पष्टीकरण के लिए कहें। लंबे भाषण की अनुमति नहीं है।

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, यह उड़ीसा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जब भी केन्द्र में कांग्रेस की सरकार अथवा कांग्रेस की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार रही है, उड़ीसा की निरंतर उपेक्षा हुई है। आंकड़ों से भी यह बात स्पष्ट हो गई है कि चाहे रेलवे का मामला हो या फिर योजनागत अनुदानों अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आबंटन अथवा आई आई टी, उड़ीसा का मामला हो, जब भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में रही है, उड़ीसा के साथ सदैव अन्याय हुआ है। माननीय राज्य मंत्री से यही प्रश्न है कि क्या राज्यमंत्री श्री फातमी जिन्होंने कुछेक माह पहले

यहीं उपस्थित रहकर सार्वजनिक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि तीन आई आई टी की स्थापना होने वाली है; एक बिहार में, और दूसरा उड़ीसा में स्थापित होगी। यह घोषणा मंत्री द्वारा की गई थी। जब कभी भी कोई मंत्री सार्वजनिक घोषणा करता है तो यह समझा जाता है कि वह इस प्रकार की घोषणाएं सरकार की ओर से कर रहा है। अतएव मैं यह नहीं समझ पाया कि प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के बहाने बाद में निर्णय बदल क्यों दिया गया। यह हमारे उड़ीसा के लोगों के लिए अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न है। जब पहले ही से यह निर्णय लिया जा चुका था कि तीन में से एक आई आई टी की स्थापना उड़ीसा में होगी और जब इसकी घोषणा स्वयं मंत्री द्वारा की गई हो तब प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के बहाने बाद में उसमें परिवर्तन क्यों किया गया?

अपराह्न 2.42 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं आपका ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जोशी समिति और उसके बाद आनंदकृष्णन समिति ने गुणतायुक्त कुछेक पुराने इंजीनियरिंग कालेजों को आईआईटी का दर्जा देने के लिए उनका मूल्यांकन किया है। तब भी उड़ीसा के मामले पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया। उसकी उपेक्षा उस समय की गई थी। महोदय, आप जानते हैं कि कोई भी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि सीधे आर्थिक विकास से जुड़े हैं; के ठोस आधार के बिना अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास नहीं कर सकता। जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और कर्नाटक जैसे राज्यों के प्रौद्योगिकी आधार में वृद्धि हुई है परंतु इस प्रकार के संस्थानों के अभाव में उड़ीसा पिछड़ता जा रहा है। यह एक स्वीकृत तथ्य है।

मेरे साथी श्री महताब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व के राज्यों में से उड़ीसा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें आई एन आई के स्तर का कोई भी संस्थान नहीं है। भारत में पहले ही से 13 आई एन आई हैं। उड़ीसा में एक भी नहीं है, देश में कुल 7 आई आई टी हैं; उड़ीसा में एक भी नहीं। देश में कुल 6 आई आई एम हैं और उड़ीसा में एक भी नहीं।

देश में 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। हम उड़ीसा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग कर रहे हैं परंतु इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। उड़ीसा में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर की कोई भी अनुसंधान और विकास स्थापना नहीं है।

महोदय, मेरे साथी द्वारा सही ढंग से एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया गया। आप को यह जानकर हैरानी होगी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उड़ीसा में उच्चतर शिक्षा पर केवल 4.70 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है। यदि आप अन्य राज्यों के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि दिल्ली में यह राशि 183.08 रुपए, उत्तरांचल में 115.14 रुपए, पश्चिम बंगाल में 41.20 रुपए और कर्नाटक में 33.04 रुपए है। जहां तक उच्चतर शिक्षा का प्रश्न है तो ये आंकड़े आपको दिखाएंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उड़ीसा की किस प्रकार लगातार उपेक्षा कर रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उड़ीसा में औद्योगिकरण का एक नया युग प्रारंभ हो चुका है। उड़ीसा अब इस्पात में प्रति वर्ष 70 मिलियन टन, एल्युमीनियम परिशोधन में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन, एल्युमीनियम में प्रति वर्ष 1 मिलियन टन, पेट्रोरसायन परिशोधन में प्रतिवर्ष 15 मिलियन टन, 13,000 मे.वा. विद्युत और प्रति वर्ष 5 बिलियन टन सीमेंट से भी अधिक का उत्पादन कर रहा है। पोस्को, टाटा, मित्तल, एल एंड टी, इंफोयसिस और कई अन्य कम्पनियां उड़ीसा आ रही हैं। जब उड़ीसा में औद्योगिकरण का नया युग प्रारंभ हो ही चुका है तो क्या यह आवश्यक नहीं कि उड़ीसा में अधिकाधिक इंजीनियर और प्रौद्योगिकविद् तैयार किए जाएं? हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को दो बार लिख चुके हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने उड़ीसा में आई आई टी स्थापित करने का भी अनुरोध किया। श्री स्वाई ने भी बुरला कालेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मैं मांग करता हूं कि बुरला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का उन्नयन किया जाए और इसे आई आई टी का दर्जा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा में इस बार की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में एक श्रमिक का लड़का छठी कक्षा में प्रथम आया है और गत साल की यू.पी.एस.सी. की परीक्षा का परिणाम निकला, उसमें एक चाय वाले के लड़के ने क्वालिफाई किया है। आज उड़ीसा की स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार बार बार सैंट्रल यूनिवर्सिटी को बाहर ले जाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। इससे उड़ीसा के लोगों के स्वाभिमान और इंटरैस्ट को हानि हो रही है। मैं आपके माध्यम से जो प्रश्न उठा रहा हूं, माननीया मंत्री जी उत्तर देंगी, वह उसका उत्तर देने में कम्पीटैंट हैं या नहीं, मुझे पता नहीं? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए कि गत 28 अगस्त को पटना में देश में तीन नए इंस्टीट्यूट खोले जाने की घोषणा की गई जिसमें उड़ीसा राज्य का उल्लेख नहीं किया गया। प्लानिंग कमीशन इन सब के लिए रिकमैंडेशन्स करता है, उसमें उड़ीसा के नाम की रिकमैंडेशन्स की गई थी या नहीं। साइंटिफिक एडवाइजर वही होता है लेकिन योजना बनाने में प्लानिंग कमीशन की भूमिका अहम रहती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि प्लानिंग कमीशन

ने जो रिकमैंडेशन्स की थी कि तीन नए ग्रीनफील्ड आई.आई.टीज़ खोले जाने हैं, उसमें उड़ीसा का नाम था या नहीं, अगर उसमें उड़ीसा का नाम शामिल था तो उसे अनदेखा क्यों किया गया?

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना नाम दिया है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप एक नयी रीति बना रहे हैं। हालांकि यह अभूतपूर्व है, आप अपने नाम भी जोड़ सकते हैं और आप पर्ची सभा पटल पर भेज दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियम जानते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी और को नहीं बुलाऊंगा। हम पांच सदस्यों तक और कभी कभी 6 सदस्यों को मौका देते हैं। अब 20 और माननीय सदस्य खड़े हो गए हैं और बोलने का मौका मांग रहे हैं। आप सभी को मौका कैसे दिया जा सकता है? मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों का पालन करेंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस का कुछ मतलब नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह एक खास विषय है। संबंधित राज्य के माननीय सदस्य बोल चुके हैं अतएव अब और किसी माननीय सदस्य को अनुमति देने का कोई कारण नहीं है।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। यह तरीका नहीं है। केवल माननीय सदस्य के वक्तव्य रिकार्ड किए जाएं।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, यह सैनिक विद्रोह का 150वां वर्ष है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : थॉमस महोदय, मैं इस प्रकार नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। मैं आपको बता चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देव महोदय, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, यह सैनिक विद्रोह जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का आधार है और प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक राज्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में सही ढंग से अपनी भूमिका निभाई थी। न केवल उड़ीसा अपितु समग्र भारत एकजुट था और सबने मिलकर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मैं यहां इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाता है और ये संस्थान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष करने तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों को शिक्षित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने में देश के किसी भी भाग में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अतएव, यह सही है कि हर राज्य आई आई टी स्थापित करना चाहता है जो उनके राज्य में तकनीकी शिक्षा में वैश्विक ब्रांड माना जाएगा।

परंतु, आगे बढ़ने और मेरे माननीय साथियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं संक्षेप में उस तरीके के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें इन राज्यों में तीन आई आई टी की स्थापना करने की आवश्यकता का निर्णय किया गया था। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रो. सी.एन.आर. राव ने तीन आई आई टी की स्थापना करने की सिफारिश की थी और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्धृत किया था कि एक आई आई टी की स्थापना दक्षिण में, एक की पूर्व में, संभवतः .... में ..*(व्यवधान)*। यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया था। ...*(व्यवधान)* मैं गलती से कही गई बात के लिए क्षमा चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : गलती से कही गई बात पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही हम सब प्रसन्न

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

होंगे, उड़ीसा में एक आई आई टी मुहैया करवा देने से मंत्री भी प्रसन्न होंगे परंतु वह कह रही हैं कि यह संभव क्यों नहीं है और कोई निर्णय क्यों लिया गया है।

ऐसा कोई नहीं है जिसकी सहानुभूति नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक आई आई टी हो। क्यों नहीं? पर, काम करने के कुछ तौर–तरीके होते हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : यह बात उनकी सिफारिश पर हुई कि नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए संभावित स्थानों के रूप में तीन राज्यों की पहचान की गई, जहां इन्हें स्थापित किया जाना था।

जहां तक आई आई एस ई आर, जिसका उल्लेख श्री बृज किशोर त्रिपाठी कर रहे थे, का सवाल है, तो यह विचार विश्वविद्यालय अनुदानआयोग के तत्कालीन चेयरमैन द्वारा व्यक्त किया गया था और दरअसल ऐसे संस्थानों को खोलने के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को सक्षम निकाय नहीं समझा जाता है। यह तो सिर्फ एक ऐसा निकाय है जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देता है। इसलिए विधि मंत्रालय में इस बात को वैध नहीं समझा गया कि यू जी सी आई आई एस ई आर की स्थापना की घोषणा करे। यही कारण था कि उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले आई आई एस सी आर खोलने का विचार छोड़ दिया गया।

जहां तक श्री फातमी द्वारा की गई टिप्पणी का सवाल है, तो वे भी यहां मौजूद है और उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि उन्होंने ऐसी कभी कोई टिप्पणी नहीं की है ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय मंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाऊंगा ...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : वे यहीं मौजूद हैं और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां हो क्या रहा है? कार्यवाही वृत्तांत में न तो आपका वक्तव्य शामिल किया गया है और न ही उनका वक्तव्य सुना जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केसरी देव : महोदय, वे सभा को गुमराह कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देव, आप एक बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं। यदि वे सभा को गुमराह कर रही हैं, तो आप के पास इसके कई उपाय हैं।

श्री विक्रम केसरी देव : महोदय, वे घुमा–फिरा कर बात कर रही हैं ...*(व्यवधान)* मेरे पास एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वे एक ही बात को घुमा–फिरा कर रही हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। घुमा–फिराकर बात करने के मामले पर, व्यवस्था का प्रश्न उठाने के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, फिर मैं इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में किसी भी टिप्पणी को शामिल न किया जाए। अध्यक्षपीठ की अनुमति के बगैर बोलने वाले किसी भी माननीय सदस्य के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको यह नियम मालूम है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी भी मंत्री विशेष को जवाब देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है।

माननीय मंत्री जी आगे बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : जहां तक खड़गपुर में आईआईटी की स्थापना का सवाल है, तो इसका विस्तार करने, कहीं और के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अन्य राज्यों में खोले गए ग्रीनफील्ड कैम्पसों के लिए राज्य सरकारों से वास्तव में 500 से 600 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जैसा कि उन्होंने कहा, राज्य सरकार तैयार थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : साथ ही, समस्त आधारभूत संरचना को विकसित करने में आने वाली लागत, जो कहीं–कहीं के लिए 1000 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है, के अलावा भूमि को विकसित करने में ही 120 करोड़ रु. से 150 करोड़ रुपए की लागत आती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : इसके अलावा, अनावर्ती खर्च का बोझ फिर भारत सरकार पर पड़ेगा। यह जवाबदेही से जी चुराना नहीं है। बल्कि इसे समेकित करना है। यहां हालात यह है कि पहले से स्थापित अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां में ही कमियां हैं। हमारे यहां संकाय संबंधी समस्या है, आधारभूत संरचना संबंधी समस्याएं हैं जब तक कि हम इन सबों को समेकित नहीं करेंगे, हम अन्य राज्यों में कहीं और ग्रीन फील्ड कैम्पस खोलने की स्थिति में नहीं हैं। यही कारण था। हालांकि भुवनेश्वर में आई आई टी खड़गपुर द्वारा खोला गया ऐसा कोई विस्तार केन्द्र नहीं है, जो स्नातकोत्तर, सतत् शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। यहां यह कार्यक्रम कुछ समय पहले से चलता रहा है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : आप खड़गपुर के प्रस्ताव को भी स्वीकार करती हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : हमने खड़गपुर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

इन तीनों ही नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए योजना आयोग ने तो केवल सैद्धांतिक अनुमोदन किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पुरी में आई आई टी की स्थापना होने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : किन्तु जहां आई आई टी खोले जाने की जरूरत है, उसका उल्लेख योजना आयोग द्वारा नहीं किया गया है? इसका उल्लेख स्वयं सीएनआर राव रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया गया था।

महताब जी ने वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अधिदेश पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की सिफारिश करने का अधिदेश प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् के पास है। आई आई एस ई आर की स्थापना इन सिफारिशों के आधार पर की गई है। इसके अलावा, आई आई टी की स्थापना भी फिर इन्हीं सिफारिशों के आधार पर की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत आसान नहीं है, एक आई आई टी की स्थापना पर भूमि और भूमि को विकसित करने में आने वाली लागत के अलावा एक हजार करोड़ रुपए की लागत आती है।

जहां तक इस आरोप का सवाल है कि उड़ीसा को दरकिनार किया गया है या उसकी उपेक्षा की गई है, तो मैं संक्षेप में उन केन्द्र प्रायोजित संस्थानों का नाम बताना चाहूंगी जो वहां पहले से विद्यमान है। ये हैं :– क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, पुरी स्थित बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट, आई आई टी खड़गपुर का विस्तार केन्द्र, ढेंकानाल स्थित भारतीय जन संचार संस्थान, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कौशल्यागंगा स्थित सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर अक्वाकल्चर, कटक स्थित राष्ट्रीय पुनवार्स प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भुवनेश्वर स्थित पूर्वी क्षेत्र हेतु जल प्रौद्योगिकी ...*(व्यवधान)* भुवनेश्वर स्थित नेशनल रिसर्च सेन्टर फार वूमेन इन एग्रीकल्चर, (कृषक महिलाओं हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र)

अध्यक्ष महोदय : वह एक बेहतरीन कार्य कर रही हैं कृपया उनका समर्थन कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गुस्सा मत कीजिए, श्रीमान्।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या पांच है। होटल प्रबंधन और खान–पान प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा एक वास्तुकला संस्थान भी है जो पुनः एक सरकारी संस्थान है और वह छह एम बी ए संस्थानों को चला रहा है, फिर एमसीए संस्थानों की संख्या भी छह है और एक फार्मेसी संस्थान भी है। ये सभी एआईसीटीई से अनुमोदित सरकारी संस्थान हैं। इसके अलावा उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में बहरामपुर विश्वविद्यालय, राउरकेला स्थित बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बालासोर स्थित फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। यह ठीक नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जवाब की अपेक्षा नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोला है, उन्होंने अपने राज्यों से संबंधित मामलों को प्रस्तुत कर सराहनीय कार्य किया है। मेरे विचार से इन परिस्थितियों में माननीय मंत्री ने इन सभी प्रश्नों की बौछारों का बखूबी सामना किया है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : धन्यवाद, महोदय।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 9 पर चर्चा करेंगे। श्री जयराम रमेश।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.00¼ बजे

(इस समय श्री ब्रह्मानन्द पंडा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं। यह उचित तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

इस संस्थान की गरिमा को कम नहीं करें। ऐसा रोज ही हो रहा है। मैं आप सभी से अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.01 बजे

(इस समय श्री ब्रह्मानन्द पंडा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, हम माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उड़ीसा के साथ बहुत ज्यादा बेइंसाफी हो रही है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.01½ बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अब मद सं. 9, श्री जयराम रमेश।

अपराह्न 3.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र - *जारी*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मुझे खेद है कि जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं सभा में उपस्थित नहीं था, क्योंकि मैं रोस्टर ड्यूटी में था। मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6359/2007]

(दो) पी.ई.सी. लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6360/2007]

(तीन) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6361/2007]

(चार) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6362/2007]

(2) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6363/2007]

(4) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6364/2007]

(6) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6365/2007]

(7) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रॉसेस्ट फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रॉसेस्ट फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रॉसेस्ट फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6366/2007]

अपराह्न 3.02½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा दिनांक 7 मई, 2007 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समित के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 7 मई, 2007 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समित के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे और उन्हें सभा की कार्यवाही का भाग माना जाएगा।

(एक) बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : बिहार में बिजली की कमी है। राज्य सरकार ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में 2200 मे.वा. ताप बिजली परियोजना तैयार की थी जिसे औरंगाबाद के नबीनगर में स्थापित किया जाना था। दस वर्षों तक इस परियोजना पर कोई कार्रवाई न किए जाने के पश्चात् वर्ष 1999 में चौदहवीं लोक सभा के दौरान इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास किए गए। अध्ययनों में इसकी अर्थक्षमता को सही पाया गया। रेल मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस परियोजना को पूरा करने का

* सभा पटल पर रखे गए माने गये।

प्रस्ताव किया। लेकिन विद्युत मंत्रालय ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि ऐसी परियोजना को पूरा करना उसकी वैधानिक जिम्मेदारी थी। इस विवाद से परियोजना का कार्य अनावश्यक रूप से रुक गया।

इसकी परिकल्पना किए जाने के 17 वर्षों के बाद आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इस वर्ष 2 फरवरी को हुई अपनी बैठक में इस पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात् नवीनगर के 1600 एकड़ क्षेत्र में 5,350 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 250 मे.वा. की चार इकाइयों सहित 1000 मे.वा. पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने का अनुमोदन दिया। 600 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है और शेष भूमि वर्ष 2007 के अंत तक अधिगृहीत कर ली जाएगी। राज्य के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। एन.टी.पी.सी. द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्य को अप्रैल, 2012 तक पूरा किया जाना है जिसके लिए उन्हें औरंगाबाद में परियोजना स्थल पर अपना प्रशासनिक मुख्यालय स्थापित कर लेना चाहिए था और परियोजना का कार्य शुरू हो जाना चाहिए था ताकि इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके।

लेकिन तीन महीनों में एन टी पी सी ने कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की है। ऐसा विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत मंत्रालय कृपया यह सुनिश्चित करे कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य शुरू करने में कोई और विलंब न किया जाए।

(दो) नदियों को परस्पर जोड़ने की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : सामान्य संसाधनों में से जल अति महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है। साथ ही जल मानव के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि का विकास, भू–जल दुबारा से भरना, और सर्वोपरि, समग्र रूप से पारिस्थितिकी, संपोषनीय जल संसाधन विकास पर बहुत अधिक निर्भर है।

कालान्तर में वर्षा में अत्यधिक अनियमितताओं के मद्देनजर, हमारा देश कुछ भागों में बार–बार बाढ़ और कुछ भागों में अत्यधिक सूखे का सामना कर रहा है। विशेषरूप से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों में बार–बार बाढ़ आती है जो कि हमारे देश के जल संसाधन का 60 प्रतिशत इन्हीं दोनों नदियों से प्राप्त होता है।

यह आशा की जाती है कि भारत में नदियों को जोड़ने से विभिन्न नदी बेसिन में जल की उपलब्धता संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन बहुत हद तक कम हो जाएगा। उस अतिरिक्त जल, जो कि समुद्र में बेकार बह जाता है, का भी सदुपयोग किया जा सकेगा।

प्रस्तावित जल संग्रहण के लिए बनाए गए बांध बाढ़ की विभीषिका और उसके परिणामस्वरूप होने वाले विनाश को बहुत हद तक कम करेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ की प्रकाष्ठा 20 से 30 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

वाटरशेड प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण संबंधी उपायों और समुद्र में जल के बेकार बह जाने से रोकने पर एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण और उनको आपस में जोड़ना, भूमि और जल से संबंधित विकास कार्यक्रम और कानून और न्यायालय आदेशों को लागू करने में पंचायतों को शामिल करना आज की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विभिन्न योजनाओं को विशेषकर दक्षिण प्रायद्वीप के तमिलनाडु जैसे जलाभाव वाले राज्यों में पेय और सिंचाई के उद्देश्य से जल का समान वितरण की दृष्टि से कार्यान्वित किया जाए।

(तीन) इन्दौर और मनमाड़ के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, इंदौर–मनमाड नई रेल लाइन की मांग मैं सतत् उठा रही हूं जिसके संदर्भ मे मैंने संसद में प्रश्न भी पूछा था। मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्रालय द्वारा बताया गया कि इंदौर–मनमाड 350 कि.मी. का सर्वे किया गया और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निर्माण की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए आएगी, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न निगेटिव बताया गया। मेरा निवेदन है कि इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। पूरे दक्षिण में व्यापार से मध्य प्रदेश जुड़ता है। अब मुंबई आगरा राजमार्ग भी इंदौर खलघाट का फोर लेन हो रहा है यानी भविष्य में विकास दर बढाना है। ऐसे में यह लाइन आवश्यक सिद्ध होगी।

रेल मंत्रालय द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत खर्चा उठाती है तो परियोजना को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह व्यवस्था वास्तविकता से परे है क्योंकि देश में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 18 कि.मी. रेल लाइन है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 15 कि.मी. रेल लाइन है जबकि मध्य प्रदेश से देश के हर कोने की ओर जाने वाली रेल लाइन गुजरती है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में रेल लाइन का घनत्व कम है। रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत हिस्से की मांग की है। रेल समृद्ध राज्य जिसमें रेल घनत्व 18 कि.मी. या इससे ज्यादा है, 50 प्रतिशत राशि देते हैं तो उनमें रेल लाइन और प्राथमिकता से बनेगी। ऐसी स्थिति में राज्यों के बीच विकास का अंतर बढ़ेगा।

समान सिद्धान्तों के अनुरूप मंत्रालय का यह दायित्व है कि कम घनत्व वाले एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में प्राथमिकता से रेल परियोजना बनाई जाए। अतः रेल मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए नीति में परिवर्तन कर उपर्युक्त रेल लाइन इंदौर–मनमाड़ को शीघ्र मंजूरी दिलाएं।

(चार) विवाह पूर्व एच आई वी जांच को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : देश आज दो गंभीर बीमारियों से लड़ रहा है। सच तो यह है कि आज का नौजवान नशे की लत के कारण अपनी जवानी नष्ट कर रहा है, दूसरा नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। यह एक गंभीर और खतरनाक समस्या है। अगर सरकार यह कानून बनाए कि व्यावसायिक कालेजों में दाखिला लेने से पहले सभी विद्यार्थियों का मादक द्रव्य के सेवन से जुड़ा टैस्ट होगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही इन्हें कॉलेजों में दाखिला मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इस समस्या को कुछ हद तक हम रोक सकेंगे।

दूसरी गंभीर समस्या एच आई वी पॉजिटिव केसों में बढ़ोत्तरी के बारे में है। सरकार काफी कदम उठा रही है। अगर सरकार कानून बना कर शादी से पहले होने वाले पति–पत्नी यदि एच.आई.वी. पॉजिटिव हैं तो शादी की अनुमति न दें और शादी को पंजीकृत करने के समय दोनों को एच.आई.वी. टैस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाया जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय कक्षा दसवीं तक चल रहा है। यहां छात्रों की संख्या अधिक होकर पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। यहां कक्षा 11वीं और 12वीं इसी सत्र से प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही इस विद्यालय के लिए स्वयं के भवन की भी महती आवश्यकता है। भवन हेतु भूमि आरक्षित की जा चुकी है। अतः मैं सकार से मांग करता हूं कि शाजापुर, मध्य प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं इसी सत्र से प्रारम की जाए एवं स्थायी भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(छह) राजस्थान के नागौर जिले के लाडनूं में एक अतिरिक्त रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लाडनू जिला नागौर में रसाई गैस आपूर्ति की विकट समस्या बनी हुई है। इस कस्बे की आबादी 65 हजार के आसपास है। यहां जैन विश्व भारती जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं हैं। यहां आई. ओ.सी. द्वारा संचालित एकमात्र गैस एजेंसी है, जो जन आवश्यकता के अनुसार गैस का वितरण नहीं कर पा रही है। इस संबंध में मंत्रालय, आई.ओ.सी. के अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को आम–नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं व मेरे द्वारा काफी ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन गैस एजेंसी के संचालन में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि गैस सप्लाई के लिए प्रभावी कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करें एवं एक अतिरिक्त गैस एजेंसी का आबंटन कर जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

(सात) चम्बल नदी के "उसेद घाटी" पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : महोदय, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा उसेदघाट चम्बल नदी के पुल की आधारशिला रखी थी। 17 वर्ष होने पर भी अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चम्बल नदी उसेदघाट जो कि दो राज्यों को जोड़ेगा, लाखों नागरिकों के लाभ को देखते हुए शीघ्र पुल बनाए जाने हेतु राशि स्वीकृत की जाए।

(आठ) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम "द इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड" की पालघाट यूनिट को स्वतंत्र लाभ अर्जित करने वाली यूनिट बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : दि इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड जो कि एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई है को 1992 में कंपनी में संकट के कारण इसे बीआईएफआर को विचारार्थ भेजा गया था। इसे पुनरूज्जीवित करने हेतु एक पैकेज बनाया गया था। परन्तु, इसकी अनुमति अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि कुल मिलाकर कंपनी गंभीर संकट में है, परन्तु उसकी पालाघाट इकाई को इन्स्ट्रूमैंटेशन लि. की एक आनुषंगिक एकक का दर्जा देकर इसे एक स्वतंत्र लाभ अर्जित करने वाली इकाई बनाए।

(नौ) इथनोल उत्पादन के संबंध में एक दीर्घकालीन नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : मुद्रास्फिति की दर को कम करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि आदानों के मूल्य को कम करने हेतु कदम उठाए जाने की संभावना है। इसका किसानों की वित्तीय स्थिति पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इस नीति का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी है।

हमारे देश में चीनी निर्यात के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार था और

चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी बहुत अच्छी थी। तथापि उस वक्त चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई और इसके परिणामस्वरूप किसान चीनी की अच्छी कीमत के अच्छे मौके का लाभ उठाने से वंचित रह गए। जिसके परिणामस्वरूप चीनी के भंडार में अत्यधिक वृद्धि हो गई।

अब इस समय पाबंदी हटा ली गई है, जबकि चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अत्यधिक कम हो गया है। इस नीति के परिणामस्वरूप, भारतीय किसान चीनी की अच्छी कीमत पाने के सुनहरे मौके से चूक गए। अतः सरकार को किसानों को इस घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई तरीका निकालना होगा।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश गन्ना उत्पादक देशों में इथनॉल और चीनी उत्पादन संबंधी एक निश्चित नीति है। सच तो यह है कि ब्राजील की अधिकांश तेल की जरूरत इथेनॉल उत्पादन से पूरी की जा रही है और अब वे इथेनॉल और चीनी का निर्यात भी कर रहे हैं। जबकि कृषि संबंधी दशाएं एक जैसी है; भारत की इथेनॉल संबंधी कोई निर्धारित नीति नहीं है और किसी राज्य से समर्थन भी प्राप्त नहीं है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से किसानों के हित के लिए इथेनॉल उत्पादन के बारे में एक निर्धारित भावी नीति घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, बिहार प्रांत अंतर्गत सिवान जिला का महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय है। महाराजगंज में अनुमंडलीय पुलिस मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, अनेकों उच्च कोटि के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, थाना, प्रखंड मुख्यालय आदि पूर्व से हैं। महाराजगंज और उसके आस–पास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी निवास करते हैं। महाराजगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, परन्तु महाराजगंज में एक भी अच्छा विद्यालय नहीं है। मजबूर हो कर कर्मचारियों को शिक्षा अध्ययन हेतु अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, जिसके कारण कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। महाराजगंज में वर्षों से एक अच्छे विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मेरी मांग पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अपने पत्रांक – एफ 1–3 (19) 2004 के.वी.एस.–1600 दिनांक 30.05.05 के माध्यम से महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलने का आश्वासन के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित मापदंडों का प्रारूप भेजा गया था। केंद्र सरकार के निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय का प्रारूप एवं समाहर्ता सिवान द्वारा भवन एवं भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दी गई है, परंतु अभी तक महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रांत के अंतर्गत सिवान जिले के महाराजगंज में स्वीकृत विद्यालय में पढ़ाई शीघ्र कराई जाए।

(ग्यारह) देश के दक्षिणी बन्दरगाहों के अलावा अन्य बन्दरगाहों के माध्यम से खाद्य तेल का आयात किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : बजट और बाद में कार्यकारी आदेश के माध्यम से सरकार का सूर्यमुखी और पाम तेल जैसे आयातित खाद्य तेलों पर प्रशुल्क कम करने का निर्णय नारियल तेलों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिससे नारियल, जिसका देश के दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, की कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अकेले केरल में ही 5 लाख मीट्रिक टन नारियल तेल का उत्पादन होता है। केरल में 9 लाख हैक्टेयर से अधिक की भूमि पर 30 लाख से अधिक किसान नारियल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा अन्य दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु में नारियल का उत्पादन बढ़ा है। इसलिए, यदि सरकार मांग और आपूर्ति के असंतुलन को सुधारने के लिए, जैसा कि संबंधित मंत्रालयों दावा किया गया है, खाद्य तेल का आयात करती भी है तो यह उपाय सिर्फ अल्पावधि तक ही सीमित करना होगा और आयात को दक्षिणी बन्दरगाहों जैसे कोचीन, मंगलौर, तूतीकोरिन और चेन्नई से प्रतिबंधित करना होगा।

मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) पंढरपुर से मुम्बई के बीच चलने वाली चन्द्रभागा एक्सप्रेस और नई दिल्ली से मनमाड़/कोपरगांव तक एक एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी पर विट्ठल रकुमई मंदिर और महाराष्ट्र राज्य के ही अहमदनगर जिले में शिरडी में स्थित

विश्व साईं बाबा धाम में देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, किन्तु इन श्रद्धालुओं के लिए समुचित नागरिक सुविधाओं का भारी अभाव है।

विश्व प्रसिद्ध इन दोनों पवित्र धामों को विश्व स्तर के पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने और पंढरपुर से मुम्बई के बीच चन्द्रभागा एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो सप्ताह में केवल दो दिन ही चलती है, को प्रतिदिन चलाए जाने के साथ–साथ साईं बाबा धाम शिरडी में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राजधानी दिल्ली से मनमाड़/कोपरगांव तक विशेष सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाए जाने और वहां से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों की सभी श्रमिकों में आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने तथा कोपरगांव से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों का कम से कम 5 मिनट का स्टापेज दिए जाने की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विश्व प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थलों विट्ठल रकुमाई मंदिर एवं बाबा साईंनाथ मंदिर की महत्ता एवं वहां आने वाले देश–विदेश के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाने का कष्ट करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 3 बजे हैं। कार्यसूची के अनुसार मैंने मद संख्या 21 – नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को लेना है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैंने विशेषाधिकार संबंधी मामले के संबंध में आपकी अनुमति मांगी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार संबंधी मामलों पर इस प्रकार चर्चा नहीं की जाती है। मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा। जब तक मैं कुछ नहीं कहता आप नहीं बोल सकते।

अब हम एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। यह देश ही नहीं, अपितु समस्त देश इस विषय पर चिन्तित है। हम एक गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ समय के लिए तो गंभीर होकर चर्चा करें। हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर अच्छी चर्चा करनी चाहिए।

अब श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थॉमस : महोदय, मैंने नियम 222 के अंतर्गत एक नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया जो कुछ भी ये कह रहे हैं इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सी.के. चन्द्रप्पन नहीं है। कृपया सहयोग करें। अब, श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

अपराह्न 3.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

ग्लोबल वार्मिंग

अध्यक्ष महोदय : मैं आश्वस्त हूं कि आज इस विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी।

अब श्री सी.के. चन्द्रप्पन

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, आज ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित चर्चा आरंभ करने में मुझे खुशी हो रही है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समूचा विश्व चिन्तित है और भारत में भी हम लोग इससे स्वभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। 2 फरवरी, 2007 में जलवायु में परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटर–गवर्नमेंटल पैनल जिसमें 130 देशों से भी अधिक के 2,500 वैज्ञानिक शामिल हैं, ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस पर समूचे विश्व में चर्चा हो रही है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया गया है; जिन पर आज समूचा राष्ट्र ध्यान दे रहा है। इसमें कहा गया है कि हमारे ग्रह का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यदि यही सब चलता रहा तो सम्भवतः भावी मानव जाति का विनाश भी हो सकता है। समस्या इतनी गंभीर है। जलवायु में परिवर्तन संबंधी समस्या एक दशक पूर्व से बनी हुई है। एक दशक पूर्व तक इसका सिर्फ अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब भविष्य ने हमारे समक्ष इस गंभीर चिंता के विषय को खड़ा कर दिया है। इसके कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियर विशेषकर हिमालय ग्लेशियर और विश्व भर के ग्लेशियर, आर्कटिक और

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

अंटार्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना है, और पिघलने की प्रक्रिया आरंभ भी हो चुकी है। यदि ऐसा हुआ तो रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदियां जिसमें भारत की कुछ अति महत्वपूर्ण नदियां भी शामिल हैं, का कोई भविष्य नहीं होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तिब्बती पठार गर्म होने लगेगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से होते हुए अनेक देशों से होकर गुजरती है फिर भारत आती है, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसमें बाढ़ आनी आरंभ हो जाएगी और अंततः यह सूख जाएगी। गंगा, हमारी पवित्र नदी की भी यदि स्थिति है। यह अधिकांश उत्तर भारत और पूर्वी भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सभी नदियों की नियति यही है। इसलिए हम ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ग्लेशियर पिघलने आरंभ होंगे तो सबसे पहले विनाशकारी बाढ़ आएगी और ग्लेशियर के पूरी तरह पिघलने के बाद समूचा गंगा का मैदान मरूस्थल में बदल जाएगा और हम ऐसी किसी दशा की कल्पना भी नहीं कर सकते जो हमारे देश की हो सकती है। परन्तु रिपोर्ट में हमारे देश से संबंधित इसी दशा का खुलासा किया है।

इसके अतिरिक्त अन्य खतरों की ओर भी इशारा किया गया है। जब आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी इससे समुद्रों और नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और यदि ये एक मीटर भी ऊपर हुआ तो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश के अधिकांश तटीय शहर जिनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े महानगर और अनेक तटवर्ती शहर शामिल हैं, का नामोनिशान मिट जाएगा। संभवतः वे सब जलमग्न हो जाएंगे और लोगों को अन्य स्थानों पर जाना होगा। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और ऐसी हालत में बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमारे देश की इसी समस्या पर हम सभी चिन्तित हैं।

उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों की भी यही स्थिति है। समूचे विश्व में यही समस्या होगी जिसका प्रभाव भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति का सामना हम किस प्रकार कर पाएंगे? रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थितियां उठ खड़ी होनी आरंभ हो गई हैं। रिपोर्ट में इसकी संभाव्यता मानव गतिविधि और ग्लोबल वार्मिंग का आपसी संबंध 90 प्रतिशत से अधिक बताया गया अर्थात् आज इसका कारण 90 प्रतिशत मानव का हस्तक्षेप है, जबकि इसके पूर्व में 2001 के रिपोर्ट में इसकी संभावना 66 से 90 प्रतिशत दर्शायी गई थी। इसका अर्थ यह है कि 20 वर्षों से भी कम समय में अधिक गंभीर प्रभाव होंगे तथा अधिक मानव हस्तक्षेप हो रहा है और इससे विनाश हो रहा है।

महोदय, ऐसी स्थिति में कई स्थानों पर ग्लोबल अर्थ सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और अंततः संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया। वे 2012 तक ग्रीन गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहते थे परन्तु यह बुरी तरह असफल हो गया क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के मुख्य स्रोत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2001 में इस प्रोटोकॉल से हट गया। यह एक गंभीर मामला है।

मुख्य मुद्दे पर बोलने से पहले मैं हमारे समक्ष असल में कौन–कौन सी समस्याएं हैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। ग्लोबल वार्मिंग (हाल के समय में) पृथ्वी और समुद्र के औसत तापमान में बढौत्तरी है इसके परिणामस्वरूप भविष्य में तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। कार्बनडाइ–आक्साइड, मिथेन, ओजोन, नाइट्रसआक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जल वाष्प कों ग्रीन हाऊस गैस कहा जाता है जो वातावरण में एक कंबल का रूप ले लेती है तथा जो सूर्य की ऊष्मा को रोकती है और भू सतह से विकिरण को दूर रखती है। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।

ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसके बढ़ने के विभिन्न कारण हैं। बड़े पैमाने पर उद्योगिकरण हो रहा है। यातायात तथा अन्य देशों के लिए पेट्रोल की अत्यधिक खपत की जाती है और बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रोकार्बन जलाया जा रहा है। ये सब विश्व में पैदा होने वाली ग्रीन हाऊस प्रभाव पर अपना योगदान दे रहे हैं इससे यह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे आज मानव का अस्तित्व, हमारी जीवन पद्धति और सभ्यता जिसका निर्माण हम वर्षों में कर पाए हैं, ही खतरे में पड़ गया है।

इन परिस्थितियों में हम कैसे इससे निजात पाएं? यही समस्या है जिस पर विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अंतर्गत पिछले दो दशकों से चर्चा की जाती रही है। कई बहुपक्षीय बैठकों में इस समस्या पर चर्चा की गई। इसका समाधान ढूंढने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अति विकसित देश हैं जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं।

वे यह कह रहे हैं कि 'हमने एक उच्चस्तर का जीवन विकसित किया है और हम इसके आदि हैं और विकासशील देशों में लोग इतने विकसित नहीं हैं और उन्हें वह सब त्यागने की आवश्यकता नहीं है जो कुछ उन्होंने अर्जित किया है। अतः उन्होंने कहा कि हम उसी राह पर चलें जिस पर चल कर हमने ऐसा प्राप्त किया है और नए विकासशील देशों से अपेक्षा करें कि वे विश्व में ग्रीन हाऊस उत्सर्जन न करें। यदि आप इसे अन्य रूप में देखें, तो वे कह रहे हैं कि विकसित देश विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका जो इन गैसों तथा इसी प्रकार की वस्तुओं के उत्सर्जन में 25 प्रतिशत योगदान करता है, उन्होंने कहा कि, 'हम अपने तरीके से ही चलें' और अन्य विकसित देश भी भारत जैसे देशों से कह रहे हैं कि, 'आपके पास धान के खेत हैं; आपके पास पशुधन हैं; ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जो ग्रीनहाऊस प्रभाव में योगदान करती हैं, अतः आप

इन पर प्रतिबंध लगाएं और जीने की वही पद्धति अपनाएं जो हम अपना रहे हैं।'

यदि आप इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह वही पुराना साम्राज्यवादी रवैया है कि जो देश आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने न दिया जाए। कुछ चुनिंदा देशों, औद्योगिक देश जो आगे बढ़ गए हैं, कहते हैं – 'आगे बढ़ते रहें'। दुनिया इस रवैये को स्वीकार नहीं कर सकती। ये जी–8 देश हैं और इनमें अन्य देश भी हैं।

इस स्थिति से कैसे निकला जा सकता है? इस रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि हमारे पास इस विषय पर चुप रहने का समय नहीं है क्योंकि हमारी स्थिति लगभग ज्वालामुखी पर बैठे हुए जैसी है और जो कभी भी फट सकता है। अब पूरी दुनिया को इस समस्या पर अधिक गंभीरता से विचार करना होगा। वर्ष 2008 में अथवा इस वर्ष के अंत तक संयुक्त राष्ट्र संघ की इन मामलों पर एक विशेष बैठक होने वाली है। उस समय, नवम्बर तक इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति अपने अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत कर देगी। उस समय, भारत, चीन जैसे देशों और सभी विकासशील देशों को एक ही मत रखना होगा ताकि हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकें और उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें जो हमारे और पूरी दुनिया के हितों से संबंधित हों।

अब इस संबंध में सरकार अथवा भारत ने कतिपय कदम उठाएं हैं जैसा उन्होंने संसद को सूचित किया है। संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने कहा कि पहले ही दस कदम उठा लिए गए हैं। लोक सभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर दिया गया था। ये कदम हैं:–

1. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना सहित ऊर्जा उत्सर्जन में सुधार और संरक्षण करना।
2. विद्युत क्षेत्र में सुधार
3. हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
4. 'क्लीन कोल' प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना
5. कोल वाशिंग और कोयले का दक्ष उपयोग
6. वन रोपण तथा वनों का संरक्षण
7. गैस प्रज्वलन में कमी
8. परिवहन हेतु प्रदूषण रहित और कार्बन जनित ईंधन का कम उपयोग
9. 'मास रेटिड सिस्टम' को बढ़ावा देना; तथा
10. पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन

यह 26.2.2007 को लोक सभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर है। मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने ये ब्यौरे प्रस्तुत किए।

ये कुछ सामान्य वक्तव्य हैं। अब हमें कुछ विशिष्ट बिन्दुओं पर चर्चा करनी होगी। जब रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लेशियर्स खतरे में हैं, ऐसी भी रिपोर्टें हैं जिनका अध्ययन भारत सरकार ने अब तक गहराई से नहीं किया है।

जैसा बताया गया है कि ग्लेशियर्स की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक इस संस्थान की स्थापना नहीं की गई है, अथवा यदि इसकी स्थापना भी की गई है, तो वह आरंभिक चरण में ही है। इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाही नहीं की गई है। यही एक क्षेत्र है जहां हमारे हित निहित हैं। यदि उस संस्थान की स्थापना करनी है, तो इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से इस विषय पर उसकी गंभीरता नहीं झलकती। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के संस्थान को चलाने के लिए भारत में योग्य व्यक्ति नहीं हैं। यदि भारत में नहीं है, तो विदेशों से लोगों को लाइए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस प्रकार के संस्थान को चलाने में सक्षम हैं। इस रिपोर्ट के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें इंगित किया गया है कि ग्लेशियर्स खतरे में हैं और इससे इस देश की अधिकतर महत्वपूर्ण नदियां प्रभावित होंगी। अतः इस संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए और इस पहलू पर गंभीर अध्ययन किया जाना चाहिए।

दूसरा मामला यह है कि जिस प्रकार की ऊर्जा का हम उत्पादन कर रहे हैं उसके बारे में अनेक शिकायतें हैं। रिपोर्ट में इस ओर भी इंगित किया गया है। यह केवल हमारे लिए ही नहीं अपितु विकासशील देशों के लिए भी इंगित किया गया है। जिस ऊर्जा का हम उत्पादन करते हैं वह बहुत प्रदूषण रहित नहीं है। हम कोयले और अन्य चीजों का उपयोग इस प्रकार करते हैं जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्सर्जन होता है। अतः हमें नई प्रौद्योगिकी अथवा नई प्रणालियों को विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्सर्जन न हो। हमारे पास कोयले के विपुल संसाधन हैं लेकिन उन्हें इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे ग्रीन हाउस का प्रभाव न हो। इसके लिए अनुसंधान और अध्ययन की आवश्यकता होगी। इस संबंध मे भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब यह प्रतिष्ठा का विषय है कि प्रत्येक घर में तीन या चार कारें अथवा उसी प्रकार की चीजें हों। एक समय था जब हम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया करते थे। जब आवश्यक हो, तभी कार का

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

उपयोग किया जाए। अब उदारीकृत आयात नीति तथा वैश्वीकरण के कारण अधिकाधिक वाहनों और संभव हो, तो अधिक बड़े वाहन, जिसने अधिक पेट्रोल अथवा डीज़ल की खपत होती है, को लाने और उसका और दिखावा करने की प्रतिस्पर्धा है। 'ग्लोबल वार्मिंग' संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा परिवहन के अन्य साधनों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। यह प्रश्न कतिपय नीति का है जिसकी प्रख्यापन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। अतः इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सुविधा प्रदान करनी चाहिए चाहे वह ट्रेन, मेट्रो या बसें ही क्यों न हों। अब दिल्ली में न्यायालय के निर्णय के कारण सी एन जी का उपयोग शुरू हो चुका है। यह एक अच्छी बात है। ऐसी चीजों को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

तब हमें देखना चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्सर्जन में हमारा योगदान कम है। दूसरी ओर का तर्क यह है कि हम दूसरी ओर के तर्क की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि इसमें 24 अथवा 25 प्रतिशत योगदान अमरीका का है। इसमें दूसरा स्थान चीन का है। तीसरा स्थान भारत का है। मात्रा के अनुसार हम यह कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में हमारा प्रति व्यक्ति योगदान जनसंख्या और इस तथ्य कि हमारा देश बहुत बड़ा है, की दृष्टि से कम है। पर तब जब हमारी अर्थ व्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है और यदि आपको वृद्धि की इस वर्तमान दर को अर्थव्यवस्था में बनाए रखना है और आप चाहते हैं कि यह गति निरंतर बनी रहे, तो संभवतः आपको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

और अधिक ऊर्जा से हमारा तात्पर्य है कि हमें और अधिक विभंजक सामग्रियों का उपयोग करना होगा। जैसा कि मैं बहुत पहले से ही कह रहा था कि यदि आप ऐसा करेंगे, तो इसका योगदान कम किया जाना चाहिए। हमें और अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से सही तरीके का उपयोग करना चाहिए जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में हमारा योगदान उतना बड़ा न हो। हम हमेशा से यह बात कह सकते हैं कि अमरीका और अन्य वैज्ञानिक देशों जैसे देश जो बहुत ही विकसित हैं, उन्हें ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान कम करना चाहिए। क्योटो समझौते में भी यही कहा गया है, जबकि अमेरिका ने इस पर विरोध जताते हुए इसका बहिष्कार किया था।

फिर यह एक सवाल खड़ा होता है कि इस संकट से पूरे भूमंडल को और पूरी मानवता को बचाने के लिए उन्हें कहां तक जवाबदेही लेनी चाहिए। यदि आप इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे, तो आप पाएंगे कि इन औद्योगिक और औपनिवेशिक राष्ट्रों ने औद्योगिक क्रांति के बाद के काल में उपनिवेशों की स्थापना की और पूरे देश से ढेर सारी सम्पत्ति को लूटकर उन्होंने अपने पास एकत्र की थी।

गुट–निरपेक्ष आंदोलन से हमेशा से यह इच्छा जताई गई कि उस सम्पत्ति का, जिसे वे लोग वर्षों से हमसे लूटते आए हैं, उसका एक अंश हम लोगों में बांटा जाना चाहिए जिससे कि पिछड़े देश और विकासशील देश विकास की उस गति को जिसे उन्होंने प्राप्त राजनीतिक आजादी के अतिरिक्त हासिल की है, बनाए रख सके। अब यह समय आ गया है कि हम उन्हें इस बात के लिए दबाव डालें कि वे अपने स्वयं के ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने के लिए धन खर्च करें, और बेहतर दक्षता हासिल करने के लिए विकासशील देशों की मदद भी करें अपने ग्रीनहाउस प्रभाव का न्यूनतम योगदान कर विकास की गति को हासिल करें। यह एक राजनीतिक सोच है, और यदि इसे हासिल करना है, तो संभव है, भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। भारत को एक बार फिर गुटनिरपेक्ष विश्व का नायक बनना चाहिए, समस्त गुट–निरपेक्ष देशों को हमारे साथ एक जुट करना चाहिए, हमारे इस रूख को मजबूती प्रदान करने के लिए चीन सहित सभी विकासशील देशों, विशेषकर ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको जैसे देशों को भारत के साथ आना चाहिए। तब हम यह तर्क दे सकते हैं कि भारत के साथ–साथ 100 से भी अधिक देश इस रूख पर कायम हैं। और तभी हम मानवता की बेहतरी के लिए बहस कर सकते हैं। यदि भारत सरकार अपनी विदेश नीति में ऐसा रूख अपनाती है, तो यह बेहतर योगदान होगा।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय को सौंपा है। अच्छी बात है, पर यह काफी नहीं है। यह वह चीज नहीं है जिसका निदान वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री करें। मैं यह बात तब समझ सकता हूं जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल को सर्वोत्तम वैज्ञानिकों की टीम के साथ इस मामले को देखने के लिए कहा जाए। इस दल में अर्थशास्त्रियां, पर्यावरणविदों आदि को भी लाया जाना चाहिए और समिति इस समस्या के विभिन्न पहलू अर्थात् किस तरह हम इस पर काबू पाने जा रहे हैं, के संबंध में भारत की नीति बनाएं। यदि सरकार ऐसा रूख अपना रही है, तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि भारत न केवल उस भूमिका को निभाएगा जिससे कि उसकी स्थिति मजबूत हो, बल्कि वह विकासशील देशों, तीसरी दुनिया के देशों, गरीब देशों के नेता के रूप में पारम्परिक भूमिका को भी निभाएगा जिससे कि पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर बचाया जा सके।

यह अन्तिम शब्द है – यदि हम इसकी उपेक्षा करते हैं, तो अन्ततोगत्वा इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। यदि महासागरों व सागरों में जल स्तर बढ़ता है, यदि मरूस्थलीकरण होता है या बाढ़ आती है, तो इन सबका सबसे बड़ा शिकार इस देश में आम आदमी ही होता है।

इसलिए इस विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार

को चाहिए कि वे तेजी से, कारगर तरीके से, दृढ़तापूर्वक और राजनीतिक सूझ–बूझ के साथ काम करे। इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं जानती हूं कि आप इस वाद–विवाद में व्यक्तिगत रूप से रूचि ले रहे हैं और आपने अनेक संसद सदस्यों को अल गोर की फिल्म देखने के लिए कहा है। मैं भी यही सिफारिश करना चाहती हूं कि प्रत्येक संसद सदस्य यह फिल्म देखे ताकि हम इस विषय को राजनीतिक चर्चा से अलग रख सकें। यह मामला केवल विकासशील अथवा विकसित राष्ट्रों, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों अथवा अन्यथा, अमीर अथवा गरीब आदि से ही संबंधित नहीं रह गया है।

यह सभी वर्गों की समस्या है। यदि ऐसा है, तो इससे न केवल तथाकथित आम आदमी बल्कि मध्यम और उच्च वर्गों पर भी प्रभाव पड़ता है, वास्तव में मैं अपनी जिन्दगी में किसी आम आदमी से कभी नहीं मिली। अतः यह ऐसी समस्या है जिसका सामना उच्च और अमीर वर्ग पहले करते हैं क्योंकि उनकी जीवन–शैली सबसे अधिक प्रभावित होती है। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान पैसे से किया जा सकता है। सरकार को शीघ्र ही इस मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि हम पहले ही इस समस्या में 20 प्रतिशत तक घिरे हुए हैं।

माननीय सदस्य जिन्होंने अभी–अभी अपनी बात रखी, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लेशियर मैनेजमेंट की स्थापना करने पर जोर दिया। आप ग्लेशियर्स का संरक्षण नहीं कर सकते। ग्लेशियर कार्बन डाइआक्साइड और वायु की अन्य गैसों, जिन्हें ग्रीनहाउस गैसें कहा जाता है, से प्रभावित होते हैं। यदि आप वायु में कार्बन–डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप ग्लेशियर का भी संरक्षण नहीं कर सकते फिर चाहे आपके पास ऐसे 50 संसाधन ही क्यों न हों।

इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मुझे यह कहना है कि मैं इस बात से निराश हूं कि जो मंत्री इस वाद–विवाद का उत्तर देंगे अथवा जिन्हें सरकार की ओर से इस वाद–विवाद को सुनने का कार्य भार सौंपा गया है वह पर्यावरण मंत्री हैं। यह मामला पर्यावरण मंत्रालय से पूरी तरह सम्बद्ध नहीं है। मुझे लगता है कि विद्युत मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए; वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए; और प्रधानमंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए क्योंकि यह मामला ऐसा नहीं है जो केवल पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है।

हम पहले से ही संकट में हैं, और यह नहीं कि यदि ऐसा होता है, आदि यह एक सीधा–साधा प्रश्न है कि कब यह होता है? इससे अगले पांच वर्षों में तेजी आएगी। अगले दस वर्षों में समय ऐसा आएगा जब यह अप्रासंगिक हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और लोकतंत्र शब्द अप्रासंगिक हो जाएगा जब लोग बचे हुए संसाधनों को अपने कब्जे में लेने के लिए छीना–झपटी करेंगे।

जल्द ही वह समय आने वाला है जब भारत के मध्यवर्ती हिस्सों में रहने वाली जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक बढ़ जाएगा कि कानून–व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी और माननीय सदस्य मैं आपसे वादा करती हूं कि यह आपके जीवनकाल में ही हो जाएगा। वस्तुतः यदि वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य हो तो अब तक वे अपने आकलन में पूर्णतः सही रहे हैं – ये कुछ अंतिम वर्ष हैं जब भारत एक ऐसे राज्य के रूप में है जहां किसी प्रकार का शासन है। हम तेजी से एक ऐसी सरकार का रूप लेते जा रहे हैं जो संकट को नजरअंदाज करती है या इस आशा में आधे–अधूरे मन से इस पर कार्रवाई करती है कि यह समाप्त हो जाएगा। यह समाप्त होने वाला नहीं है। हम इस समस्या से घिर चुके हैं।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अप्रैल के महीने में जो एक गर्म महीना है, टेनिस की गेंद के आकार के ओले पड़े जिससे तराई में गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई। उन जगहां पर बर्फ बारी हुई है जहां पहले कभी बर्फ नहीं गिरी थी। बर्फ देर से गिर रही है, फूल देर से खिल रहे हैं और बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में फसलें नष्ट हो रही हैं। यह वर्ष–दर–वर्ष बढ़ता ही जाएगा।

अगर आप भारत की उपग्रह से ली गई तस्वीर को देखें तो आप हमारे तटीय क्षेत्रों में तेज भू–क्षरण को देख सकते हैं। सुंदरवन में कई द्वीप गायब हो गए हैं और उन पर रहने वाले लोगों को दूसरे द्वीपों पर जाना पड़ा है एक विशेष द्वीप में 600 परिवार को भीतरी द्वीपों पर जाना पड़ा जब पूरा द्वीप द्वारका की तरह समुद्र के अंदर गायब हो गया।

जैसे–जैसे तट के साथ–साथ की भूमि ऊंची उठती लहरों, सुनामी और चक्रवातों के संयुक्त प्रभाव से गायब होती जाएंगी, भारत के तटीय क्षेत्रों और बंगलादेश में रहने वाले भीतर की तरफ आ जाएंगे और इसका अर्थ यह है कि करोड़ों शरणार्थी भारत आएंगे।

फिर जैसे–जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जो कि अभी भी हो रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि बहुसंख्यक लोगों को बिजली के बिना रहना पड़ेगा और लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। इसका अर्थ यह होगा कि इतने बड़े पैमाने पर अकाल पड़ेगा कि उसको झेलना संभव नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा देश या राज्य नहीं होगा जहां से हम खाद्यान्न आयात कर सकें। और यह सब अगले दस वर्षों में हो जाएगा। इस तरह के काफी संकेत हैं। वस्तुतः प्रमुख संकेतकों में से एक पर ध्यान नहीं दिया गया, परागण एजेन्ट जैसे मधुमक्खियां और तितलियां आदि मर रहे हैं जिन पर पूरी पृथ्वी निर्भर करती है।

[श्रीमती मेनका गांधी]

यह ऐसा संकट नहीं है जिसका मुकाबला लोगों को कम पानी, कम ऊर्जा खर्च करने या उन्हें अपना घर साफ रखने की चेतावनी देकर किया जा सकता है। इसका मुकाबला स्मारक पेड़ों को लगाकर और उनका प्रदर्शन कर नहीं किया जा सकता। इसे अब नीति में बदलाव की एक श्रृंखला लाकर तथा सरकार द्वारा औपचारिक आदेश देकर किया जा सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करने और सभी की भलाई के लिए लागू करने की आवश्यकता है। मैं कुछ उपायों का सुझाव दे रही हूं जो यदि अब किए जाएं तो संभवतः आपदा की गंभीरता को कम किया जा सकता है।

जैसा कि अल गोर ने बताया था, एक समस्या यह है कि राष्ट्र एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते हैं, लोग एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते हैं और हताशा की भावना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या यह कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि अमेरिका जिम्मेवार है, चूंकि चीन और भारत की जिम्मेदारी बराबर है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है इसलिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं।

सरकार को तत्काल पवन तथा सौर ऊर्जा पर अधिक बल देना चाहिए।

महोदय, विश्व में कुल बिजली उत्पादन का आज तक केवल दो प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है; पूरे विश्व में केवल दो प्रतिशत, जिसमें ये भारत का योगदान शून्य है। हमें वाहनों के लिए, सब्जी आधारित ईंधन के उत्पादन पर भी बल देना चाहिए। अल्पावधिक लक्ष्यों को रखते हुए डीजल तथा पैट्रोल के उपयोग को आवश्यकता पूर्वक कम किया जाना चाहिए। मंत्री द्वारा जवाब दिए जाने की बजाए, जैसा कि उन्होंने दूसरे दिन किया था, कि पांच प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण अगले दस वर्षों में आ जाएगा, आपके पास दस वर्ष नहीं हैं। इस समय वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय जिसका नाम बड़े ही अजीब तरीके से रखा गया है, का नाम नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए, न कि वैकल्पिक ऊर्जा यह एक मज़ाक का विषय भी बना है क्योंकि संपूर्ण पवन ऊर्जा उत्पादन जो कि बहुत ही कम है; निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जा रहा है और सौर ऊर्जा का जरा भी उत्पादन नहीं किया जा रहा है। हमें ऊर्जा के विकेन्द्रीकरण मिश्रण को अपनाना होगा। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के दिन अब जा चुके हैं। आपको कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा अपनानी होगी और यह केवल नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा ही संभव है। इससे मुझे चीन के जल्लाद की कहानी याद आती है। चीन में एक जल्लाद था जो अपने काम में बहुत निपुण था क्योंकि जब वह सिर काटता था तो पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि उसका सिर कट गया है। अतएव, अपनी तलवार उठाने के बाद जल्लाद झुकने के लिए कहता था और उसी के बाद पीड़ित व्यक्ति का सर उड़ाता था। हम उस बिन्दु तक पहुंच चुके हैं जहां जल्लाद को यही कहना होता है कि सिर झुकाओ; जब पेट्रोलियम और डीजल की बात आती है, हमारा सिर पहले ही कट चुका है।

समुचित पड़ों को लगाकर युद्धस्तर पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

यह कहना सही नहीं होगा कि हमारे पास 20 प्रतिशत वन हैं क्योंकि यह एक मिथक है। यह मिथक क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम केवल औसत ले रहे हैं। हम पूर्वोत्तर से 35% लेकर पंजाब के 1% हरियाणा के 2% महाराष्ट्र के 1% दिल्ली के 1% लेकर कुल औसत 20 प्रतिशत बना रहे हैं। मान लीजिए, पूर्वोत्तर हमसे दूर जाता है तो हमारे पास शेष भारत का केवल 1% औसत ही बचेगा क्योंकि हम अपना संपूर्ण औसत आधार खोते जा रहे हैं। अतएव हमें औसत को और अधिक समय तक न देखकर तुरंत प्रत्येक राज्य में 20% का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

वन विभागों को वृक्ष कटाने से रोकना चाहिए जो कि राज्यों को शीघ्र वन मुहैया कराने के साधन हैं। कम से कम दस साल के लिए रोक लगनी चाहिए क्योंकि इस पर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है परंतु सरकारी अधिकारियों तथा अनाधिकृत रूप से शिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रामीणों द्वारा भोजन पकाने और पशु चराने के लिए वनों को समाप्त किया जा रहा है। अब इस पर कोई नीति बनाई जानी चाहिए कि वनों तथा अन्य कृषि अपशिष्ट के साथ सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाएं जाएं। मुझे ऐसा समाचार पत्र पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी जिसका रंग हल्का भूरा हो बशर्ते इसकी एवज में मेरे जीवन की रक्षा होती हो।

चौथे, आपको अपनी कार उत्पादन संबंधी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। कम उत्सर्जन करने वाले वाहनों के लिए आर्डर दिए जाने चाहिए और मानकों को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री ने इंगित किया है सार्वजनिक परिवहन पर कोई जोर नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश वर्षों से अपनी बसों को चलाना बंद करता जा रहा है और यही स्थिति बिहार की भी है। हमारे किसी भी शहर की कोई भी सड़क साईकिल के लिए समुचित नहीं है अतएव लोग अपनी साईकिलें छोड़ने के लिए बाध्य हैं।

पांचवें, आज ऊर्जा दक्ष उपस्करों का चलन है। स्टैंड बाई मोड जैसी सामान्य चीजों को कम्प्यूटर टीवी और वीडियो जैसे उपकरणों से हटाना होगा। स्टैंड बाई मोड में वीडिया और टीवी द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का 98% भाग खर्च होता है। मैं प्रत्येक उपकरण पर तुरंत विशेष लेबल

लगाने से यह कार्य प्रारंभ करने की सलाह दूंगी। सरकार को सभी जगह सी एफ एल लगाने चाहिए और मानक पीले बल्बों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे हमारे कुल नुकसान अपने आप कम हो जाएगा। इससे तुरंत अंतर दिखाई देगा।

छठे, भारत में अधिकांश कृषक गन्ने और गेहूं के फसल के बाद अपने खेतों में आग लगा देते हैं। जैसा मैंने कहा न केवल मेरे अपितु मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी खेतों में आग लगायी जाती है। यदि आप हेलीकॉप्टर से उत्तर भारत की यात्रा करते हैं तो आपको लगेगा कि सब कुछ जल गया है। इस बात को परंपरागत रूप से लेते हैं; 20 लाख किसान प्रतिदिन 50 लाख एकड़ की दर से खेतों में आग लगा रहे हैं। अब वही सब एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है। इससे गर्मी और एसपीएम स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में फसल जलाने पर प्रतिबंध लगाया था और इसका तुरंत प्रभाव यह हुआ कि गर्मी में कमी आई। हालांकि यह प्रतिबंध दो वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रहा क्योंकि इसके समर्थन में कोई कानून नहीं था। जैसाकि मैंने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश खेतों में आग लगायी जाती है। कार्बन डाई आक्साइड, प्रदूषण और एस पी एम के स्तर को महसूस करना होगा और यह विश्वास करना होगा कि ये कितने बढ़ चुके हैं। इसी कारण से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। न केवल फसल के उपयोग में आने वाली और पशुओं के चरने में उपयोग में आने वाली बहुमूल्य जैविक सामग्रियां जलाई जा रही हैं अपितु, इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे गर्मी बढ़ रही है और मौसम की तटस्थता समाप्त होती जा रही है। इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ वनों को जलने से रोकने के लिए वृक्षों का आग लगाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर इसे रोकना होगा। मैंने पर्यावरण मंत्रालय से इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है जो कि वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय की तरह एक मजाक बन कर रह गया है। विगत एक वर्ष से वे इस पर प्रतिबंध लगाने के पत्र को तैयार कर रहे हैं।

हमें नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों के बारे में मजबूती से सोचना होगा। जब आप यह बात करते हैं कि अमेरिका एशिया के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है तो यह गलत है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। मैं उसकी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। परंतु एशिया मीथेन में काफी योगदान कर रहा है जो कार्बन–डाई–आक्साइड की तरह एक ग्रीन हाऊस गैस की तरह महत्वपूर्ण है। एशिया और ब्राजील में मीथेन का सारा उत्पादन विकासशील देशों से आ रहा है। इसका कारण यह है कि वहां दूध, मीट और चमड़े के लिए पशु पालन पर अधिक जोर दिया जाता है। यदि आप मीथेन का ध्यान नहीं रखते हैं तो पता नहीं कार्बन डाई आक्साइड के स्तर के कितने कम हो जाने के बावजूद भी आप ग्रीन हाऊस गैसों का वही स्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक युग में संपूर्ण विनाश करने वाली उन प्रक्रियाओं को चरणबद्ध रूप से अलग–अलग करना होगा। यह और कीटनाशक उद्योग जो गर्मी को बढ़ाने, जल का उपयोग बढ़ाने और प्रदूषण को बढ़ाने के कारण है, पर अब औपचारिक अधिदेश देना होगा।

अब हमें जनसंख्या कम करने की दिशा में सोचना होगा। विगत तीस वर्षों में राजनैतिक रूप से इसकी अनदेखी की जा रही है परंतु यह अब राष्ट्रीय अनिवार्यता बन गयी है, अन्यथा इस राष्ट्र पर अर्थात् यदि यह राष्ट्र रह पाता है तो इस पर प्रलय आ जाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें और मौजूदा जीवन के प्रति खतरा बनी स्थितियों से निपटने के लिए अपनी वरीयताओं का पुनः निर्धारण करें।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। श्री चन्द्रप्पन जी और मेनका जी ने इस घटनाक्रम की तस्वीर बहुत ही प्रभावपूर्ण और खूबसूरत तरीके से चित्रित की है जो सचमुच में घटित हो रहा है। मेनका जी ने जो कहा है उसमें मैं केवल एक बदलाव चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शायद अगले दस वर्षों में हम लोगों के लिए यह तबाही आने वाली है। मैं समझता हूं कि यह हमारे सिर पर पहले से ही मंडरा रही है। मैं समझता हूं कि यह तबाही शुरू हो चुकी है। साधारण सी बात है कि हम अपने चारों ओर इसे देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये सब अगले कुछ 10, 20 या 30 वर्षों में घटने वाली घटनाओं के लक्षण हो सकते हैं। मेरा मानना है कि उनमें से कुछ लोग उन चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं जो होकर रहेंगी चाहे उन्हें रोकने के लिए आप कितने भी उपाय कर लें। ग्लेशियर में जो कुछ हो रहा है वह हमारी कल्पना का साकार रूप है। इससे हमारी कल्पना को मूर्त रूप मिला है क्योंकि हम समझते हैं कि ग्लेशियरों के खिसकने से कुछ हद तक हमारी बड़ी–बड़ी नदियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हम समझते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने से हमारे पास जो पेयजल उपलब्ध है उसमें कमी होने जा रही है। इससे फसलों की उत्पादकता में कमी होने जा रही है। इससे तो पहले 'प्रलय' बाढ़ आने वाली है और बाद में जमीन जल विहीन हो जाएगी और पूरा भारत वर्ष बंजर जोन में तब्दील हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों में ऐसा पहले ही शुरू हो गया है। जिस तरीके से अधिकांश सरकारें जिसमें हमारी सरकार भी शामिल है, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, उससे तो यही लगता है कि या तो हम इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर हम यह समझते हैं कि शायद यह स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। जैसा कि श्रीमती मेनका गांधी द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। यदि आप अधिकांश मामलों में ऊपरी प्रौद्योगिकी का ही इस्तेमाल जारी रखेंगे तो इसका कुछ तो फायदा होगा और किसी तरह हम अपने अस्तित्व को बनाए रख पाएंगे। पर, मैं नहीं मानता कि ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जलवायु में जो परिवर्तन होने जा रहा है। उसकी समस्या सचमुच में समाप्त हो पाएगी। यह वह समस्या है जो हमने पिछले 100 या 150

[श्री सन्दीप दीक्षित]

वर्षों में सामूहिक रूप से पैदा की है। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र उन्नीसवीं शताब्दी के 50 और 60 के दशक से औद्योगिक क्रांति के बाद के काल को जाता है। चाहे वह ग्रीन हाउस का उत्सर्जन हो, तापमान का बढ़ना हो, ग्लेशियर का पिघलना हो, आर्कटिक सागर में जो कुछ हो रहा है या फिर ग्रीन लैंड आइस कैप का प्रभाव हो, सभी इस बात का द्योतक है कि निःसंदेह हर जगह इस भूमंडल में कुछ-न-कुछ हो रहा है और यह सब तबाही का कारण बनने जा रहा है। तथापि, मैं यह महसूस करता हूं कि हम इस समस्या के समाधान हेतु उक्त वाद-विवाद से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं।

महोदय, यहां मैं एक ऐसे पेपर के उस विशेष अंश को उद्धृत करना चाहता हूं जो मैंने हाल ही में पढ़ा है और जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था।

अपराह्न 3.47 बजे

(श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*)

मैं उस रिपोर्ट की कुछ पंक्तियों को पढ़कर भयभीत था। वह रिपोर्ट इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बाद की थी। इंटर-गवर्नमेंटल-पैनल क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि उसे जान कर हर कोई थोड़ी देर के लिए अचानक से जग गया है, यहां तक कि वे लोग भी जो यह मानते थे कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, यह मानने के लिए मजबूर हो गए कि शायद कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। इस रिपोर्ट में, जिससे कि भारतीय कृषि में होने वाली जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है, यह कहा गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन का परिदृश्य कैसा होगा। यह रिपोर्ट नैटकॉम (एन ए टी सी ओ एम) रिपोर्ट पर आधारित है जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वार्मिंग में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इसमें कहा गया है कि इस बात का कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है जिससे कि मानसून में होने वाली वर्षा के पैटर्न में बदलाव आए हैं। हिमालयी ग्लैशियर में होने वाले कुछ हल्के-फुल्के परिवर्तन की बात इस रिपोर्ट में जरूर कही गई है। कभी-कभी तो मुझे यह समझने में कठिनाई होती है कि रिपोर्ट में पहले तो इस बात से इनकार किया जाता है कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में भूमंडल के बारे में जो बताया गया है तथा जिससे भारत को खतरा हो सकता है उसे नकारा गया है और अन्त में बड़े अनमने ढंग से इस बात को मान लिया जाता है कि देश में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मानसून में होने वाली वर्षा के स्तर का कोई रूझान नहीं है, पर क्षेत्रीय स्तर पर इस का कुछ अलग-अलग पैटर्न है। वर्ष 1901 से 2000 तक के भूमंडलीय तापमान से पिछले 100 वर्षों में थोड़े-बहुत वार्मिंग का पता चलता है और जगह-जगह तापमान में आए इस परिवर्तन से वार्मिंग के रूझान का पता चलता है जो केवल मध्य भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में और प्रायद्वीप के अन्दरूनी भाग में कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। तथापि, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कुछ भागों में कूलिंग भी देखा गया है।

महोदय, मैं नहीं मानता कि एशिया में सरकारें या अन्तर्राष्ट्रीय निकाय इस समस्या को गंभीरता से लेती है। समस्या गंभीर है। इस समस्या का हल भी बहुत गंभीर है। उनमें से ढेर सारी समस्याओं का श्रीमती मेनका गांधी ने यहां अपने भाषण में बड़ी खूबसूरती से उद्धृत किया है। पर, समस्याएं कई हैं। यहां ऐसी प्रौद्योगिकी हैं जो इस समस्या को हल्का करने में गंभीरता से मदद कर सकती हैं। यहां ऐसी प्रौद्योगिकी विद्यमान हैं जो बिजली का कम उपयोग करते हुए तथा ऊष्मा का कम उत्सर्जन करते हुए, उपभोज्य वस्तुओं के निर्माण में उद्योगों के काम आ सकती हैं और नित्य काम में आने वाले छोटे-मोटे विद्युतीय कल-पुर्जों का उत्पादन कर सकती हैं।

यहां ऐसी भी प्रौद्योगिकी पहले से ही उपलब्ध है जो पर्यावरण के काफी अनुकूल धान की खेती में भी सहायक हो सकती है। कुछ प्रकार की मशीनों के उत्पादन तथा उनके उपयोग पर रोक लगाने हेतु कराधान पद्धति को पहले हतोत्साहित या प्रोत्साहित करने वाली शासन व्यवस्था जो सरकार निजी क्षेत्र और नागरिकों के पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए दबाव बना सके, को लाने के लिए निषेधात्मक नीतियों के माध्यम से बाजार को संकेत देने की आवश्यकता है। ऐसे हमारे पास संकेत हैं। पर, क्या ऐसा करने की इच्छा शक्ति है?

मैं इन सबके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि श्री चन्द्रप्पन और श्रीमती मेनका गांधी ने भी ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। इस विषय पर कहने को तो बहुत कुछ है, पर हम केवल उनका लेखा-जोखा ही कर सकते हैं। बड़ी संख्या में रिपोर्टें आ चुकी हैं और ये सार्वजनिक क्षेत्र में हर जगह उपलब्ध हैं। क्या इस ग्लोब में अन्य सरकारों की तरह हमारी सरकार भी इस मसले को हल करने के लिए गंभीर है? एक व्यक्ति के रूप में जो इस राष्ट्र में शायद वर्षों से भी अधिक का समय गुजारा है, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यह सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है। यह बात मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। मैं नहीं समझता कि हमारे अधिकांश नेता वर्तमान में इस बारे में वास्तव में गंभीर हैं। जब हम पर्यावरण के मामले में चर्चा करते हैं, तो कहीं न कहीं यह लगता है कि कुछ खो गया है। संयुक्त राष्ट्र नेशन्स की अंतिम रिपोर्ट को आए लगभग एक महीना हो चुका है। यह सभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन पिछले एक महीने में हमने एक प्रकार की अत्यावश्यकता देखी है, जो कम से कम लोगों के दिमाग में है। यह

दूसरा ऐसा मौका है कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कर रही है। पर, क्या हमारी सरकार भी उसी तरह इससे अवगत है? क्या हमारी सरकार उसी तरह इस मामले को गंभीरता से ले रही है? क्या हमारी राज्य सरकारें भी इससे अवगत हैं? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि यदि भारत सरकार को इस विषय के संबंध में दस में से दो प्रतिशत की जानकारी है, तो राज्य सरकारों को तो दस में से केवल आधे प्रतिशत की ही जानकारी है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं जानता हूं कि कई राज्य सरकारें केवल उन्हीं मसलों को देख रही हैं जिससे उनके औद्योगिक विकास में सहायक कतिपय कार्यकलाप बाधित होते हों और हमें उन्हें केवल इन कारणों से उन्हें रोकना नहीं चाहिए। यह वही बात है जो अमरीका अपने विकास के बारे में करता है।

मैं समझता हूं कि श्रीमती मेनका गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, वह यह है कि विकसित देशों और हममें अब कोई विवाद नहीं रह गया है। यही स्थिति है और यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। यह एक भावनात्मक विषय है। हम समझते हैं कि क्यों नहीं हम भी उसी मार्ग को अपनाएं जिसे किसी और ने भी अपनाया है। हमारी जीवन शैली, जीवन और विकास की गुणवत्ता भी वही क्यों न हो जो यूरोपीय देशों और अमरीकी राष्ट्रों की है। हम आर्थिक विकास का वही मार्ग क्यों न अपनाएं जो वे लोग अपनाते हैं क्यों हम अपने आपको नियंत्रित करना शुरू करें जबकि वे अपने आप पर नियंत्रण करने से परहेज करते हैं? महोदय, यह एक ऐसी बात है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। क्या हम वास्तव में अपनी पृथ्वी की सही स्थिति बनाए रखना चाहते हैं? यदि हम इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए किसी अन्य का इंतजार कर रहे होते हैं तो अंततोगत्वा ऐसा कोई नहीं है जो यह कदम बढ़ाए। क्या अमरीका या यूरोप की जीवन शैली आदर्श है? क्या पाश्चात्य देशों के विकास की दिशा या उनका आर्थिक विकास आदर्श है? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि पश्चिमी देश इसमें विश्वास रखते हैं, मैं नहीं समझता कि सचमुच में एन डी ए इसमें विश्वास रखता है और मैं नहीं मानता कि हम भी इसमें विश्वास रखते हैं? क्या यही एकमात्र मार्ग है जिससे हममें से अधिकांश को गुजरना है? क्या हम लोगों के लिए एकमात्र यही मार्ग उपलब्ध है?

अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। दूसरे दिन जब श्री कपिल सिब्बल अपने बजट के मामले में अपने विभाग के कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बहुत सारा काम कर रहा है। वास्तव में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का उल्लेख किया और कहा कि उनका विभाग किस प्रकार अनुसंधान संबंधी कार्य का निधीयन कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन क्या इसे उस गंभीरता से किया जा रहा है जो संभव है?

हम सार्वजनिक परिवहन की बात करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार सार्वजनिक परिवहन पर निधि का आबंटन कर सकती है। कतिपय शहरों जैसे मुम्बई, चेन्नै, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों ने मेट्रो को लाने का विचार किया है, कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके शहर में मेट्रो हो। क्या यह अब आवश्यक हो गया है? क्यों नहीं सभी राज्य सरकारें जो केवल मेट्रो पर ध्यान दे रही हैं, वे अन्य अवसंरचनात्मक ढांचों के विस्तार और उस पर धन व्यय करने पर रोक लगाती हैं?

जहां तक कारों का संबंध है, ऐसी अन्य चीजें हैं जिन पर इन सरकारों ने प्रतिबंध लगाया है। ऐसी अनेक अन्य चीजें हैं जिनके उपयोग पर हमने रोक लगाई है। ऐसी अन्य अनेक चीजें हैं जिन पर सरकारों ने अन्य प्रकार से रोक लगाई है ताकि लोग उन्हें प्राप्त न कर सकें। ऐसा कारों के मामले में क्यों नहीं हो सकता? मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई प्रौद्योगिकी है जिससे कारों को पर्यावरणअनुकूल, जो कि अपेक्षित है, बनाया जा सके। लेकिन यदि सरकार पर्यावरण के मामले पर गंभीर है, तो ऐसे तरीके हैं जिससे विशिष्ट जीवन शैली जीने के तरीकों को नियंत्रित किया जा सकता है। कहीं न कहीं हमें अपने आपको और अपने सभी नागरिकों को यह बताने की जरूरत है कि ये कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। ये कदम उठाए जा सकते हैं।

मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं जो उन कदमों के बारे मे बताऊं। इस सभा में अनेक लोग ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में ऐसे अनेक लोग हैं जो जानते हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन क्या हम वे कदम उठाएंगे?

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हम सभी प्रभावित होंगे, चाहे हम इस सभा के सत्ता पक्ष में उस तरफ बैठे हों, चाहे विपक्ष में अथवा इस सभा में बैठे हों, या नहीं। इससे सभी समुदाय प्रभावित होंगे; सभी जातियां प्रभावित होंगी; और सभी धर्मों के लोग प्रभावित होंगे। यदि इससे तमिलनाडु प्रभावित होगा, तो उत्तर प्रदेश भी उतना ही प्रभावित होगा; यदि राजस्थान प्रभावित होगा, तो मणिपुर भी उतना ही प्रभावित होगा। यदि अगले 25 से 30 वर्षों में गंगा नदी सूखने लगे, तो ब्रह्मपुत्र भी सूखने लगेगी – हो सकता है उससे पहले बाढ़ शुरू होगी उसके 25 से 30 वर्षों के बाद नदी सूखने लगेगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आज हमें इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामले के रूप में देखना होगा। हमने राजनीति से परे कतिपय मामलों को उठाया है। यह ऐसा मामला है जिसमें राजनीति को कोई स्थान नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि इस सभा के सभी सदस्यों, इस देश की विधान सभाओं के सभी सदस्यों को यदि एक बार विश्वास में लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि हमारे समक्ष क्या समस्या आ रही है, तो वे सभी अपने नागरिकों के लिए उठ खड़े होंगे।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

यदि इसका अर्थ यह है कि हमें कुछ क्रियाकलापों पर रोक लगानी होगी, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। यदि इसका अर्थ है कि हमें कतिपय प्रौद्योगिकियों पर रोक लगानी होगी, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, फिर चाहे हाल में हमारे पास इसका कोई विकल्प ही न हो। मौजूदा कतिपय प्रौद्योगिकियों को बदलने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के इंतजार में बैठे रहना उचित नहीं है। हो सकता है हमें वह चीज बहुत बाद में मिले। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि हमारे पास पन्द्रह अथवा बीस वर्ष हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पास नीति तैयार करने के लिए पांच से छह साल हैं। अपने देश के नागरिकों को यह बताने के लिए कि हमें अपने विचारों को बदलना होगा हमारे पास केवल तीन से चार वर्षों का समय है। इस देश के लोगों को यह समझने में कम से कम दस से पन्द्रह साल लगेंगे कि ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं कि उन्हें अपनी रुचियां बदलने की आवश्यकता होगी, ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं कि उन्हें आवश्यकतानुसार अपनी उपभोज्य पद्धतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। इस देश में जो अधिकांशतः उपभोक्ता वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

सभापति महोदय, मैं अपने साथ चर्चा करने के लिए अनेक ब्यौरे और अनेक रिपोर्टें लाया हूं। लेकिन जब मैंने यह जाना और महसूस किया कि उनमें से अधिकतर सामग्री यहां उपलब्ध है, तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी बात केवल इस अनुरोध तक ही सीमित कर देनी चाहिए कि हमें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा।

सरकार को प्रधानमंत्री स्तर अथवा योजना आयोग स्तर अथवा सर्वदलीय स्तर पर एक पैनल का गठन करना चाहिए। इस संबंध में तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सर्वप्रथम इस चैंबर में बैठे संसद सदस्य को विश्वास में लेना चाहिए कि सरकार इस बारे में गंभीर है। केवल कह देने भर से ही गंभीरता नहीं झलकेगी; गंभीरता आने वाले एक या दो वर्षों में तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करने से झलकेगी।

कृपया हमें बताएं कि हमें अपने आपको किस प्रकार नियंत्रित करने की जरूरत है; नागरिकों को बताएं कि उन्हें कहां अपने आपको नियंत्रित करना है; सरकारी अधिकारियों को बताएं कि उन्हें अपने–आपको कहां नियंत्रित करने की आवश्यकता है; प्राइवेट सेक्टर को बताएं कि उन्हें इस पूरे मामले में किस प्रकार जुड़ने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारे किसान इसमें शामिल होंगे; हमारे कामगार शामिल होंगे; हमारी पत्नियां शामिल होंगी और हमारे बच्चे शामिल होंगे। मुझे मालूम है कि पर्यावरण एक ऐसा मामला है जिसमें इस राष्ट्र का प्रत्येक बच्चा इस कार्य में अपना योगदान देने हेतु आगे आयेगा।

मैं अपना भाषण इस अनुरोध से समाप्त करता हूं कि सरकार समय की मांग के अनुसार कार्य करे। यदि इच्छाशक्ति हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो यह सरकार नहीं कर सकती। साठ और सत्तर के दशक में जब हमारे देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी, तो 'हरित क्रांति' को शुरू करने का निर्णय लिया गया था – इसका पर्यावरण पर जो भी प्रभाव पड़ा हो – इससे यह स्पष्ट हो गया था कि इसे प्राप्त किया जा सकता है।

यह ऐसा समय है जब एक राष्ट्र और सरकार के रूप में हमें आने वाले वर्षों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : सभापति महोदय, मेरा और यहां उपस्थित सभी का यही मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसका सामना हमारा देश और पूरी दुनिया कर रही है। आज हमारे पास अनेक आंकड़े उपलब्ध हैं जिससे पता चलता है कि पांच से दस वर्षों के अन्तराल के भीतर ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है और यह कि हम इससे किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। ये सभी आंकड़ें नेट पर उपलब्ध हैं और मेरा मानना है कि ये आंकड़ें सदस्यों के लिए भी उपलब्ध हैं। अतः मैं इन आंकड़ों की बात नहीं करूंगा।

इस संबंध में, महत्वपूर्ण मामला, नीति योजना बनाए जाने और इच्छाशक्ति के बारे में सरकार का दृष्टिकोण है। मुझसे पहले के तीन सदस्यों ने भी इसी बात पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे।

अपराह्न 4.00 बजे

यह ऐसा मामला है जहां मुझे लगता है कि एक या दो बिन्दुओं को छोड़कर पूरी सभा को एक बात पर सहमत होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से हमें इस मामले को देखना चाहिए।

महोदय, यह केवल आंकड़ों और तथ्यों का ही प्रश्न नहीं है। वर्तमान अनुभव से भी हमें पता चलता है कि जलवायु में हुए परिवर्तन को हम सभी ने अनुभव किया है। अतः अनुभव से यह स्पष्ट है कि देश के विभिन्न क्षेत्र और अधिक गर्म होते जा रहे हैं और प्रकृति के अनियत स्वरूप का अनुभव पहले ही हो चुका है। यहां तक कि तूफान का भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। पुरानी पद्धति का अनुसरण न तो अपने देश और न ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमरीका में भी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आईं। ये सभी संकेत हैं और वास्तव में इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इस परिवर्तन का आबादी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अनेक मामलों पर होगा। इससे प्रकृति का मौजूदा संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और उसके परिणामस्वरूप अनेक नदियां सूख जाएंगी। छोटे द्वीपों सहित विभिन्न क्षेत्रों की आबादी खतरे में आ जाएगी। वे द्वीप सूख जाएंगे, इससे विस्थापन होगा, सूखा, खाद्य संकट, स्वास्थ्य जोखिम और अनेक मामले शामिल हैं। यह मामला मुख्य रूप से भावी पीढ़ी और इस दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जलवायु में समग्र बदलाव के कारण ही संकट में फंसे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?

अपराह्न 4.02 बजे

(डा. सत्यनारायण जटिया *पीठासीन हुए)*

महोदय, प्रकृति की स्वयं ही एक जन्मजात संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। उत्सर्जित कार्बनडाईआक्साइड को पुनः पौधों द्वारा खपा लिया जाता है और उसकी प्रतिक्रिया में उत्सर्जित आक्सीजन को प्राणियों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। इस प्रकार का संतुलन रहा है और प्रकृति के पास अपना एक विलक्षण संतुलन है। जब कभी भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं वह भी हम पर पलट कर प्रहार कर रही है। यह एक सीधा सा प्रश्न है। पूर्व औद्योगिक युग में, प्रकृति में पहले से ही 37 प्रतिशत से भी अधिक कार्बनडाईआक्साइड मौजूद है और ससे स्पष्ट जलवायु वार्मिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि औद्योगिकीकरण को इस प्रकार के विकास से जोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठ सकता है कि हमें औद्योगिकीकरण के प्रश्न को किस प्रकार देखना चाहिए, हमें विकास आदि के प्रश्न को किस प्रकार देखना चाहिए। यहां विकास और पर्यावरण को एक साथ मिलाने की प्रवृत्ति रही है। मेरे विचार से न तो यह समाधान है और न ही सही जवाब है। ऐसा भी हो सकता है कि विश्व के कुछ देश भी हमें उसी प्रकार सोचने को मजबूर कर रहे हैं और हम में से कुछ यह सोच रहे हैं कि जलवायु के प्रश्न को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। यह राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह वास्तविकता का प्रश्न है।

हमें यह समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है और यदि हम इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तो हम इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। अतः यह केवल विकसित देशों अथवा विकासशील देशों की राजनीति का प्रश्न नहीं है। विकास एक वास्तविकता है, गरीबी उपशमन एक जरूरत है और जैसा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने टिप्पणी की थी कि संभवतः इसी प्रकार गरीबी भी अपने आप में एक बड़ा प्रदूषक है और यह सच है। हमें इसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है, परन्तु कैसे, क्यों और हमें किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा, निःसंदेह यही प्रश्न उठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक न हों। पर्यावरण को ध्यान में रख कर किस प्रकार हम बेहतर विकास कर सकते हैं, यही महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए।

महोदय, आप जानते ही होंगे कि जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फोन किया था ...*(व्यवधान)*

इस दावे और इस मत के साथ कि भारत को अपने उत्सर्जन को सीमित करना पड़ेगा। यह सच है परन्तु इसमें कौन योगदान दे रहा है? और कितना योगदान दिया होगा? किस देश द्वारा कितना योगदान दिया जा रहा है? यह राजनीति का प्रश्न नहीं है। इसे भी बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए।

आज विश्व में कार्बन–डाई–आक्साइड उत्सर्जन में अमेरिका का योगदान 30 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रति व्यक्ति योगदान भी सर्वाधिक है। यह कल्पना से भी परे है। भारत में यह बहुत कम है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें अभी भी कुछ नहीं करना है। हमें अभी भी कुछ करना हैं वह एक अलग मामला है। सम्पूर्ण एशिया, जहां विश्व की 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या रहती है, केवल 12 प्रतिशत का ही योगदान दे रहा है। पुनः, उसे अभी भी कैसे व्यक्त किया जा सकता है? हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्या आज अमेरिका, जो आज भी क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, मनमानी कर सकता है? क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? यदि यह प्रश्न उठाया जाता है, तो क्या इसे राजनीति का नाम दे दिया जाएगा? यदि ऐसी स्थिति है, तो यही किया जाना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति किये बिना, इस प्रकार उत्तरदायित्व तय किए बिना, मेरे विचार से इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही भी तय करनी चाहिए।

श्रीमती मेनका जी सुन्दरवन के एक द्वीप का उल्लेख कर रही थीं, जो डूब रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों को पहले ही हटाया जा चुका है। हां, पर बहुत ही छोटा द्वीप है। लोगों को लोहाचारा के नाम पर वहां से हटाया गया है। परन्तु यह जलवायु परिवर्तन के कारणवश नहीं है। हम अब अपने तर्क को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रत्येक बात को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं है।

मूलतः प्रश्न अभी भी यही है कि ग्रीन–हाऊस उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए? जो अभी भी 37 प्रतिशत अधिक है। इस अधिकता की इस व्यवस्था में किस प्रकार पहचान की जाए, ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके? मेरा मानना है कि इन पहलुओं पर उचित ढंग से गौर किया जाना चाहिए।

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

परिवहन संबंधी भी एक प्रश्न था, जिसका जिक्र प्रत्येक ने किया था। यह विकास संबंधी मामला है। यहां तक कि यह उदारीकरण का भी मामला है। यह मामला अधिक से अधिक बड़ा बनके सबको निगलने के प्रयत्न से संबंधित है। इसलिए परिवहन संबंधी प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। यही ऊर्जा का भी प्रश्न है। मेरा मुद्दा यह है कि हमारे देश के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अत्यावश्यक है। इसकी शुरूआत कहां से करें? हम सिर्फ यह नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कीजिए परन्तु परिवहन प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। यह सारी बातें देश द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र आर्थिक नीति के साथ जोड़ी जाएगी। परन्तु मैं समझ सकता हूं कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को निःसंदेह और अधिक महत्व देना होगा।

अगला प्रश्न ऊर्जा का आता है। हमारे देश में भी हम मूलतः ताप विद्युत और जीवाश्य ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर हो रहा है। दसवीं योजना में यह प्रस्तावित था कि 60:40 का संतुलन बनाए रखा जाए। परन्तु हमारी स्थिति क्या है? हम इससे बहुत नीचे हैं। केवल 18 प्रतिशत ऊर्जा पनबिजली और अन्य स्रोते से प्राप्त होती है। जीवाश्य ईंधन का योगदान 82 प्रतिशत तक है। इसका प्रस्ताव दसवीं योजना में भी किया गया था। परन्तु मेरा विश्वास है कि ऊर्जा और पर्यावरर्णानुकूल प्रौद्योगिकी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूल सेल का भी यहां प्रश्न है। क्या इसे आज देश में सर्वाधिक प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? फिर यहां सौर प्रणाली और सौर सेल का प्रश्न है। क्या आज सौर ऊर्जा को सर्वाधिक प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें अपने काम को मिशन के रूप में लेने को संगठित नहीं करना चाहिए, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। यह केवल पर्यावरण का ही प्रश्न नहीं है अपितु यह समग्र विकास का प्रश्न है इस प्रकार निकास के संदर्भ में प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार इस मामले पर किस प्रकार ध्यान देती है। यह केवल एक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा पर्यावरण मंत्रालय के कृत्यों से संबंधित प्रश्न नहीं है। यह पर्यावरणानुकूल प्रौद्योगिकी, सौलर सेल, काम को मिशन के रूप में लेना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन सभी मामलों को ध्यानार्थ लिए जाने का प्रश्न है।

इसी प्रकार यह कार्बन के व्यापार से संबंधित प्रश्न है। इस वक्त बहुत सारी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। मेरे कुछ मित्र कम ऊर्जा खपत करने वाली प्रौद्योगिकियों की बातें कर रहे हैं। यह देश में पहले से ही उपलब्ध है। इसे कौन लोकप्रिय बनाएगा? सरकार और नीति निर्धारकों को अपनी सोच बदलनी होगी। हमारे पास संभावनाओं की कमी नहीं है हमारे पास प्रौद्योगिकियों की भी कमी नहीं है। सरकार द्वारा करणीय और अकरणीय संबंधी मानक तय करने पड़ेंगे और इसे संपूर्ण प्रणाली में समाहित करना होगा। उस दृष्टि से, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि फ्यूल सेल, सौर सेल और कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी को महत्व दिया जाना चाहिए।

महोदय, अभी भी जलवायु में 37 प्रतिशत कार्बनडाईआक्साइड की अधिक मात्रा है। हमें देखना है कि इसे कम से कम कैसे किया जा सकता है। यदि भारत यह नहीं कर सकता तो विश्व का कोई भी देश इसे नहीं कर पाएगा। भारत के पास जैव–विविधता का भंडार है। भारतीयों की विज्ञान संबंधी समझ भी बहुत अच्छी है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. सुजान चक्रवर्ती : मैं बात समाप्त कर रही हूं।

हमारे देश के पास विपुल जैव–विविधता है इसलिए कोई कारण नहीं दिखता कि जैव प्रौद्योगिकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए और हमें वनस्पति का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह जलवायु में अधिक से अधिक कार्बनडाईआक्साइड सोख लें। इस वक्त कार्बन–डाईआक्साइड का उत्सर्जन वनस्पति द्वारा उसको सोखने की क्षमता से अधिक है। क्या जैव–प्रौद्योगिकी इस दिशा में हमारी मदद नहीं कर सकती है? चूंकि हमारी जैव–विविधता विपुल है और हमारी जैव–प्रौद्योगिकी क्षमता काफी मजबूत है, मेरे विचार से इस एक क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं समय की कमी के कारण तथ्यों और आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्ट से अंश प्रस्तुत नहीं कर रही हूं। हमें अपनी समस्या पता है और हमें इसका हल ढूंढने के तरीके खोजने होंगे। पर्यावरण और वन मंत्रालय इस उत्सर्जन पर नियंत्रण पाने के लिए अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे होंगे, परन्तु यह अकेले पर्यावरण मंत्रालय का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न विकास को बनाए रखने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग का है। अतः यह केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु कुल मिलाकर सरकार को ही इन मामलों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

अतः ऐसा नहीं है कि इस विषय पर केवल पर्यावरण और वन मंत्री अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ही आज इस वाद–विवाद का उत्तर देना चाहिए। यदि सरकार महसूस करती है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तो इस वाद–विवाद का उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए तब हम पूरी दुनिया से कह सकेंगे कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन मुद्दों के प्रति बहुत गंभीर हैं। अतः इस दृष्टिकोण से इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान दिए जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। आज हम लोग, जो वायुमंडल में आए दिन परिवर्तन आ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी बात रखी है और गम्भीर चिन्ता के स्वर उठाए हैं। मैं उन सब के साथ अपने विचार जोड़ते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदन में कोई मतभेद नहीं है। सदन ही नहीं, हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बारह भी, इस बारे में सम्मिलित रूप से चिंता के स्वर व्यक्त किए जा रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बारे में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि अभी इस विषय में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वायुमंडल में परिवर्तन एक ग्लोबल इश्यू है और यह केवल एक मुल्क के सहारे या एक मुल्क के विचार करने से चल भी नहीं सकता।

धरती पर रहने वाले सभी लोग, हवा, पानी, समुद्र या धरती के सहारे किसी न किसी प्रकार से एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पूरा का पूरा पर्यावरण परिवर्तित होता है, समुद्र का स्तर उठता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पेश आती है, तो उससे पूरी मानवता खतरे में पड़ती है – इस चीज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बारे में कुछ पहल की है और कई प्रोटोकॉल साइन किए। इससे पहले, जब लोग इस विषय में ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, तब कई साल पहले ग्रीनविच सिटी में धरती के दो महान विद्वान मिले थे। उनमें से एक सर अर्नाल्ड ट्राइनबी थे, जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया था कि धरती से सभ्यताएं क्यों खत्म हो गयीं और दूसरे दाइसेयुकेला थे, जो पूर्व के जैन सम्प्रदाय के प्रवक्ता रहे हैं। एक पूर्वी सभ्यता का प्रतिनिधि और दूसरा पश्चिमी उपभोक्तावादी सभ्यता का प्रतिनिधि, जब दोनों ने कई दिनों तक मिलकर बातचीत की और ग्रीनविच सिटी में विचार–विमर्श किया तथा मानव जीवन के सभी पहलुओं पर बड़ी गंभीरता से उन्होंने चर्चा की, तब उन्हें लगा कि कहीं न कहीं, धरती पर जिंदगी और पूरी मानवता खतरे में है। फिर उन्होंने सम्मिलित रूप से एक डाक्यूमेंट जारी किया और जो उनका डॉयलाग प्रकाशित हुआ – 'मेन हिमसेल्फ मस्ट चूज़' – मैं समझता हूं कि इसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस समस्या के प्रति बहुत गंभीर स्वर व्यक्त किए थे कि पूरी धरती पर मानवता और सिविलाइजेशन को बहुत बड़ा खतरा बताया है। हमारा कर्तव्य है कि सभी लोगों को जागरूक होकर प्रकृति के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, वरना इस धरती पर सभ्यता कायम नहीं रह पाएगी। मेरे ख्याल से यह पांच, सात या दस साल पहले की बात है। आज जब हम इस चीज पर गौर कर रहे हैं, तो हम इस बात से अलग नहीं रह सकते कि हिन्दुस्तान में अतीत में भी इस अनुभव को महसूस किया गया। हम इस बारे में किताबों में पढ़ते हैं। बाबरनामा एक ऐसी किताब है, जो उस समय की हमें जानकारी देती है। जब बाबर हिन्दुस्तान में आया था, तो उस समय यह दर्ज किया मिलता है कि वर्ष 1500 के आसपास उसने पेशावर में गैंडों का शिकार किया था। पेशावर आज की तारीख में रेगिस्तान है, केवल कुछ सौ वर्षों के अंतर में ही, हमारे मुल्क से जुड़ा हुआ थोड़ा सा हिस्सा, जो एक समय लशग्रीन वैली हुआ करती थी और कहा जाता है कि वहां गैंडे हुआ करते थे, लेकिन आज वहां रेगिस्तान है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने यह एक चेतावनी है, जो हमें बहुत पहले महसूस कर लेनी चाहिए थी। चार हजार साल पहले हमारे यहां भी एक विलुप्त प्रायः नदी सरस्वती थी, जिसके बारे में रिसर्च चल रही है। यह कहा जाता है कि उसके किनारे एक बड़ी सभ्यता फैली हुई थी। वहां ऋषि–मुनियों के आश्रम थे और वहां रिसर्च–वर्क होता था, लेकिन आज उस सभ्यता का कहीं नामोनिशान भी नहीं मिलता है। आज इतिहासकार कहीं–कहीं उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो बड़े अनुभव हैं जो केवल हिन्दुस्तान के निवासियों और हिन्दुस्तान को बताने के लिए पर्याप्त कारण रखते हैं कि हमारी लापरवाही या इस संदर्भ में उदासीनता हमें कहां तक पहुंचा सकती है।

महोदय, मैंनें कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा था कि प्रोफेसर क्रिस्टोफर लैटिन, जो कि इंग्लैंड में ग्लोबल एक्सटर्नल क्लाइमेंट चेंज नामक संस्था चलाते हैं, उन्होंने इस बात का मूल्यांकन किया कि पूरी धरती के ऊपर जो कार्बन एमीशन है, उसकी तादाद आठ बिलियन टन है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे वैज्ञानिक जानते हैं कि माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि इतनी बड़ी कार्बन एमीशन की तादाद धरती नहीं पचा सकती। एक तिहाई कार्बन एमीशन को हमारे ठंडे समुद्र और पानी अब्जार्ब कर लेते हैं और वह फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि एक तिहाई कार्बन एमीशन को हमारे पेड़ पौधे फोटो–सिंथेसिस के माध्यम से अब्जार्व कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ एक–तिहाई कार्बन एमीशन है, वह कहां चला गया। अगर उसकी तलाश की जाए, तो आज जो ब्राउन हेज़ पूरी धरती को घेरे हुए है, उसमें कार्बनडाईऑक्साइड, मिथाइल और बहुत सी दूसरी गैसेज वाटर वेपर्स के साथ हैं। वह वही बाकी का बचा हुआ कार्बन एमिशन है जो पूरी धरती की जिंदगी प्रभावित कर रहा है और जिससे उत्तरोत्तर तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत से दूसरे परिवर्तन आ रहे हैं।

मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा जो बातें कही गई हैं, उनमें काटने वाली कोई बात नहीं है। उसमें हम सबको जोड़ना ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह महसूस करने का समय आ गया है कि चेतावनी हमें बहुत देर से मिली। जैसे मेनका जी कह रही थीं कि यह प्रक्रिया चालू हो चुकी है और बहुत समय नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा जो नौजवानों

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

का मुल्क है, उनके लिए क्रिटिकल एजेंडा है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है क्योंकि इससे हमारे नौजवानों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है, नई पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। प्रकृति का यह संतुलन बहुत नाजुक है और जैसा कि मैंने बताया कि मानव गति–विधियों के फलस्वरूप जो कार्बन डाईऑक्साइड हवा में भरी हुई है या रुक गई है या प्रकृति की प्रक्रिया के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, उसने इस बात को साबित किया है कि जो ह्यूमन एक्टीविटीज हैं, उससे इसका सीधा लिंक है। प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक होता है। हालांकि पिछले करोड़ों वर्षों में प्रकृति में बहुत से परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज हम जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, जितनी ज्यादा पूरी धरती की आबादी हो चुकी है, जिन विचार मूल्यों पर हम चल रहे हैं कि सबको सम्मान और इज्जत के साथ आगे रहना है, सस्टेन करना है और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। हमारे पूर्व वक्ता इस बात को बता चुके हैं। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है, उसके माध्यम से हम इस बात को समझ चुके हैं कि एक–एक डिग्री जो ऐवरेज टैम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ जो क्लाइमेटिक वैगरीज़ हैं, उसमें कम से कम 7 प्रतिशत का इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट रिवैन्यू को जो लॉसेस एस्टीमेट किए गए हैं, एक–एक डिग्री पर 13 प्रतिशत रिवैन्यू लॉ डायरलैक्टली एसैस किए गए हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे जैसी दूसरी जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चेतावनी सामने आ चुकी है। ...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता। आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। हिन्दुस्तान किसानों का मुल्क है। जो क्लाइमेटिक चैंजेस आ रहे हैं, जो पर्यावरण बदल रहा है, उसका खेती पर कैसे नेगेटिव असर पड़ रहा है, मैं सिर्फ इस विषय पर आपके सामने दो शब्द कहना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान में जीडीपी की जो ग्रोथ हो रही है, निश्चित रूप से अगर उसे इंटरप्रेट किया जाए तो वही कार्बन एमिशन का मीटर होता है। कोई भी मुल्क जो किसी भी परसेंटेज के हिसाब से अर्थव्यवस्था में विकास कर रहा है, यह अंडरस्टुड है। इसे मान लेना चाहिए कि वहां उसी स्तर के कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। हमारे यहां ट्रांसपोर्ट सैक्टर, इंडस्ट्रीज और दूसरी जो गतिविधियां हैं, उनके अलावा कृषि क्षेत्र में हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं, खेती करने के जो परम्परागत तौर–तरीके हैं, या खेती पर जो हमारी 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी पल रही है, उनका जो रहन–सहन का स्तर है, जीने के तौर–तरीके हैं, मुझे लगता है कि उसमें बहुत चिंतन करने की जरूरत आ चुकी है। उनके रहन–सहन का स्तर बदले, इसके लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे हमारे कई पूर्व वक्ता बहुत गंभीर स्वर में व्यक्त कर चुके हैं, उन्हें लांच किया जाना बहुत जरूरी है। यह सच्चाई है कि हमारे यहां अभी एनर्जी कन्जम्शन का जो लैवल है, वह शहरों में ज्यादा है, देहात में बहुत कम है। हमें यहां गरीबी दूर करने के लिए, लाचारी दूर करने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कि इन्क्लूसिव ग्रोथ रेट पाने के लिए, हमें पावर कन्जम्शन रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं जल्दी कन्क्लूड कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं परन्तु समय की सीमा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सब सहमत हैं, कोई भी किसी की बात नहीं काट रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ दो बातें ऐड करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि इससे सब सहमत होंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जिस गंभीर विषय पर हम आज यहां चिंता कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के करोड़ों काश्तकार उसके विषय में कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई समस्या हमारे सामने है जिसका हमें समाधान निकालना है।

मुझे लगता है कि आने वाले समय में हार्टिकल्चर या फारेस्टेशन का बहुत बड़ा एजेंडा लेकर चलने की जरूरत है। मेरी कांस्टीट्एंसी मेनका गांधी जी के क्षेत्र के पड़ोस में है। वहां चिंता के ये स्वर व्यक्त किए जा रहे हैं कि हमारा जो चैन था, तराई के नीचे जंगल का एरिया, थआउट नार्थ, नार्थ ईस्ट एंड नार्थ वेस्ट का लिंक टूट चुका है। हमने और हमारे साथियों ने खुद संकल्प लिया है कि कम से कम 50 लाख उपयोगी, पेड़–पौधे हम फार्मिंग सेक्टर में लगाएंगे जिससे हम अच्छे प्रयोग कर सकें और सेस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नए मानदंड ला सकें। मैं आशा करता हूं कि हमारे दूसरे साथी भी इस चीज पर गौर करेंगे और अपने–अपने रिस्पैक्टिव एरियाज में इस इश्यू को आम आदमी, स्टूडैंट्स, नई पीढ़ी और काश्तकारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगे।

एक बड़ा इम्पोर्टैंट इश्यू जो क्लाइमेट चैंज से जुड़ा हुआ है, वह पानी का है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कई बार कहा करते थे कि अगर धरती पर कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो वह पानी के लिए होगा। पानी की धार हम महसूस कर चुके हैं। आज भी हिन्दुस्तान के कई राज्यों में खाली पानी को लेकर टकराव चल रहा है। कई प्रांत ऐसे हैं, जहां पानी का अभाव माहौल खराब पैदा कर रहा है, बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर रहा है।

मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जब एक पोलिटिकल विल, खाली हिन्दुस्तान लैवल पर नहीं, प्रांतों के लैवल पर नहीं, बल्कि ग्लोबल लैवल पर पैदा करने की जरूरत है जिससे हम समस्याओं का समाधान कर सकें। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडीकेटर्स हैं, यानी मानव विकास के सूचकांक हैं, उसे पोजिटिव तौर पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे ले जा सकें।

मैं भारत सरकार के लिए दो–तीन बातें और कहना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि जितना भी बायोटिक प्रैशर हमारी गतिविधियों से पड़ रहा है, उस बारे में क्लीयर फूलप्रूफ ऐसेसमेंट भारत सरकार सभी लोगों को उपलब्ध कराये, जिससे जो प्लानिंग मैकेनिज्म है, प्लानिंग एजेंसी लगी हुई हैं, वे इस बात को महसूस कर सकें। जो मिथेन एमीशन हो रहा है, कार्बन एमीशन हो रहा है, कम से कम हिन्दुस्तान के लैवल पर उसका क्लीयर ऐसेसमेंट हो कि उसके कौन–कौन से कारण हैं और वह किस गति से आगे बढ़ रहा है। इसका सर्वे और डाटा हिन्दुस्तान की आम जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये चैलेंजेज हमारे सामने हैं। लेकिन लो कार्बन एमीनेशन इकोनामी को मॉडल शेप में करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको टैलेंट और रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारा योजना आयोग और भारत सरकार मिलकर इस दिशा में पहल करेंगे।

दूसरा मुद्दा, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। अब समय आ गया है कि पूरा समाज, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, अब नॉलेज बेस्ड सोसायटीज बनेंगी क्योंकि जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, उस कारण इस संबंध में जो नुकसान हो रहा है, उसकी हम कोई समीक्षा नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को एजुकेशनल ऐकेडेमिक करीकुलम का हिस्सा बना दिया जाये। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा है। पहले भी जब कभी सुनामी या दूसरी प्राकृतिक विपदाएं आयी हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई हैं। यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर बड़े तूफान आएंगे, जल भराव होंगे या सूखा पड़ेगा, तो बड़े–बड़े मुल्कों की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इसकी जानकारी हिन्दुस्तान के हर आदमी को दी जानी बहुत जरूरी है।

जैसा हमारे पूर्ववक्ता चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि पूरी धरती पर डेंजरस इंडीकेशंस मिल रहे हैं। बहुत से पक्षियों, कीड़े–मकौड़ों और जानवरों की नस्लें इस धरती से खत्म हो रही हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि धरती पर जो ओशियन करेंट्स हैं, जो विंड सिस्टम्स हैं, उन सबके अंदर परिवर्तन आने लगे हैं। मुझे लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होना है, जो भी डिजास्टर सामने आने वाला है, वह किस रूप में सामने आने वाला है और किस समय तक वह शेप लेगा, इस बारे में बहुत बड़ी रूपरेखा बनाने और हिन्दुस्तान के अंतिम व्यक्ति तक इस चीज के लिए एक निश्चित पोलिटिकल एजेंडा, पर्सनल एजेंडा बनाए जाने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सहमति सभी वक्ताओं के साथ व्यक्त करते हुए आशा करता हूं कि यह सदन इस बात का संकल्प लेगा और सरकार उस संकल्प के माध्यम से मानवता की रक्षा करने के प्रयास को आगे बढ़ाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री कपिल सिब्बल बोलेंगे।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल यहां उपस्थित हैं। चूंकि, वह इस समस्या के समाधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी वे हस्तक्षेप न करें दूसरे वक्ताओं को सुने उसके बाद ही बोलें क्योंकि वे इसका समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : इनको तो रिज्योल्युशन लाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं : इसलिए उन्हें अभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं कि वे यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अभी हस्तक्षेप न करने की अपील करता हूं उन्हें हमें सुनने के बाद ही हस्तक्षेप करना चाहिए। परन्तु यह भी उन पर निर्भर है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से सोचते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, माननीय मंत्री जी बाद में बोलें और अगर जरूरत पड़े तो हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : सिब्बल साहब बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते, यह उन पर निर्भर है।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, सिब्बल साहब काबिल आदमी हैं, सबकी बात सुनकर बाद में बोलें।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : उत्तर क्या पर्यावरण मंत्री द्वारा दिया जाना है।

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, इनको उत्तर देने दीजिए परन्तु अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : महोदय, सदन का समय बढ़ाया जाए जिससे कि जो माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहें, कह सकें।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, सदन का समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : समय बढ़ाने की बात नहीं है, सिब्बल साहब इन्टरवीन करना चाहते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, सिब्बल साहब सबकी बात सुनकर बाद में बोलें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। हमारी बात सुनिए।

श्री खारवेल स्वाईं : आपके भाषण के बाद हमारे बोलने का कोई अर्थ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, इसमें इतनी जल्दी क्या है? अगर जल्दी है तो इस चर्चा को यहीं वाइन्ड अप कर दीजिए। आखिर इतनी जल्दी क्या है?

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर बाद में बोलें ताकि सदन इस पर अपना संकल्प प्रकट कर सकें।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री खारवेल स्वाईं : आप इस समाधान का एक हिस्सा हैं आपको उत्तर देना चाहिए परन्तु अभी नहीं।

श्री कपिल सिब्बल : मैं माननीय सदस्य के अनुरोध से सहमत हूं।

श्री रेवती रमन सिंह : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सभापति महोदय : मोहिदीन कादर जी, आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसके लिए अनुवादक अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आप थोड़ी देर बाद बोलिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, कृपया आप बोलिए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं कहना चाहता हूं कि जब मेरी बारी आए, तब तक माननीय सदस्य बोलकर चले जाएंगे और केवल आप और मैं यहां बैठे रह जाएंगे। *...(व्यवधान)* ऐसा पहले भी मेरा अनुभव हुआ है, हो सकता है कि मैं गलत हूं।

श्री खारवेल स्वाईं : नहीं-नहीं ऐसा नहीं होगा। हम लोग बैठकर आपकी बात सुनेंगे।

सभापति महोदय : समस्या की गंभीरता को देखते हुए आपके लिए ऐसा कहा गया है। अगर आपने यह तय किया है कि आप उपस्थित रहेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, सर्वप्रथम मेरा मानना है कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो न केवल हमें अपितु सम्पूर्ण मानवता को प्रभावित करने वाला है। इस पृथ्वी पर रहने वाले छह बिलियन लोगों के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखने का गंभीर संकट है। परन्तु इससे अधिक गंभीर बात यह है कि संभवतः इस पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जैविक जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अतः आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं कि सभा में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों दल अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम श्री कपिल सिब्बल, जो हमारे लब्धप्रतिष्ठित सदस्य हैं, से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने विचार थोड़ी देर बाद व्यक्त करें क्योंकि इस मामले से हम सभी वास्तविक रूप से चिंतित हैं।

महोदय, हमने इस पृथ्वी के अस्तित्व से ही हमने जलवायु परिवर्तन का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि जलवायु में परिवर्तन आता ही नहीं है। पहले हिमयुग आया जो बाद में समाप्त हो गया। डायनासौर आए वह भी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। अतः ऐसा नहीं है कि जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम सब इतने चिन्तित क्यों हैं? जलवायु में हर समय परिवर्तन होता रहता है और अभी-भी हो रहा है। तो चिन्ता का कारण क्या है? चिन्ता का विषय यह है कि जलवायु में परिवर्तन अपने आप नहीं हो रहा है अपितु यह मानव क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। हम हमेशा यह सोचते रहे कि यह परिवर्तन प्राकृतिक नहीं अपितु मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ संकट है और इसी के लिए वास्तव में हम सभी चिन्तित हैं। हमने विश्व समुदाय के रूप में 'यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कनवेंशन ऑन क्लाईमेट चेंज' (यूएनएफसीसी) पर हस्ताक्षर किए। परन्तु यह कनवेंशन पर्याप्त नहीं था। अतः थोड़े समय बाद हमने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है, जो इस सम्मेलन के आदर्शों और सिद्धांतों को वास्तव में लागू कर सकता है।

आज हमारे पास प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है और समस्या भी है।

हमने महसूस किया कि सिर्फ सम्मेलन अथवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हमने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और सोचा कि उत्सर्जन में कमी आनी शुरू हो जाएगी। वस्तुतः 1990 से हमने विकसित देशों के उत्सर्जन के स्तर को वर्ष 2012 तक 1990 के स्तर तक लाना चाहते थे परन्तु 2007 में उत्सर्जन 1990 के स्तर से अधिक हो गया है और वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अतः यही संकट का मूल कारण है। अतः जब हमने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए तब हमें निर्णायक वैज्ञानिक संकेतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। परन्तु अब 'इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' जिसका गठन यूएनईपी तथा वर्ल्ड मैट्रोलोजिकल आर्गनाइजेशन ने किया था ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मानवीय कार्यकलाप हैं।

परन्तु इस रिपोर्ट से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है कि यह जलवायु परिवर्तन केवल मानव–निर्मित ही नहीं है अपितु यह 1750 से मानव–निर्मित कृत्यों से उत्पन्न हुआ है। 1750 का क्या महत्व है? इस वर्ष से ही विश्व में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी। अतः इसका उत्तरदायित्व उन पर है जिन्होंने विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरूआत की है। भारत में हम जलवायु परिवर्तन से पीड़ित हैं। हम जलवायु परिवर्तन को झेल रहे हैं हम जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। समूचे विश्व की समस्या में और हमारी समस्या में यही अंतर है कि हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं परन्तु यह किसी और के कृत्यों के कारण आज हम लोग ग्रस्त हैं।

अतः जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप क्या होने वाला है? मेरे कई सम्माननीय सहयोगियों ने इस पर बात की है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। अब सर्दियों के दिन सीमित होने वाले हैं तापमान और बढ़ने वाला है अधिक ताप और आंधी तूफान आएंगे और अधिक सूखा पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप गरीब देशों को और अमीर देशों के गरीबों को अधिक संकट का सामना करना पड़ेगा। महोदय यही न्याय की विडम्बना है कि समृद्ध देश प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और गरीब देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ। परन्तु यह सच्चाई है कि जिसने यह साबित कर दिया है कि गरीबों को ही जलवायु परिवर्तन का अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा और यह सब सच में होने वाला है।

भारत समेत समस्त विश्व में सभी एक ही मकसद में व्यस्त हैं वह है अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना। हम जो भी कार्य करते हैं यह जानना चाहते हैं कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा अथवा नहीं। यदि वह बढ़ता है तो हम उस पर कार्य करते हैं। विश्व समुदाय, आई एम एफ और प्रत्येक व्यक्ति विश्व के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की बातें करता है। जलवायु परिवर्तन सकल घरेलू उत्पाद को दो प्रतशित पाइंट से संभवतः चार प्रतिशत पाइंट तक घटाने वाला है। इसका अनुमान कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। कोई भी कुछ भी अनुमान लगा सकता है क्योंकि इसका वास्तव में कोई आधार नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जी डी पी घाटा अवश्यंभावी है। अतः हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम आर्थिक क्रियाकलापों, जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, की बात करते हैं तो उसी आर्थिक क्रियाकलाप से हमारे जी डी पी में गिरावट आएगी और वास्तव में वे इसमें गिरावट लाएंगे। अतः गरीब देशों में गरीबी बढ़ जाएगी और अमीर देशों के गरीब सबसे अधिक प्रभावित होंगे और यह हम सभी के लिए वास्तव में बहुत गंभीर मामला है।

महोदय, हमने क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किया है। हमने देशों को एनेक्स–1 देशों में विभाजित किया है, इसमें ऐसे देश हैं जो औद्योगिक रूप से विकसित हैं, और जो उत्सर्जन और अन्य चीजों में कमी करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में नॉन–एनेक्स–1 देशों के बारे में भी कहा गया है, ये ऐसे देश हैं जिन्हें उत्सर्जन में कमी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने देखा है कि पूरी दुनिया कह रही है कि पूरी दुनिया को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जी, हां, यह एक सच्चाई है। सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसी शर्तें हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल का आधार है और जो सबके लिए समान है लेकिन इसमें अलग–अलग जिम्मेदारियां निहित हैं। अतः हम इस बात से सहमत हैं कि पूरी दुनिया को जिम्मेदारियां लेनी होगी परन्तु वे जिम्मेदारियां भिन्न–भिन्न होगी क्योंकि दुनिया भी अलग–अलग है। आज की दुनिया में गरीब देशों और अमीर देशों के बीच पहले ही काफी अन्तर है। इस स्थिति को आगे जारी नहीं रखा जाना चाहिए। इस संबंध में एक समझौता किया जाना चाहिए।

सर निकोलस स्टर्न, जो विख्यात अर्थशास्त्री और यू.के. के भावी प्रधानमंत्री श्री गार्डन ब्राउन के सलाहकार हैं, ने एक अध्ययन किया था। हर कोई 'ग्रीन' बनना चाहता है। यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपको 'ग्रीन' बनना होगा ताकि लोग आपको बेहतर ढंग से स्वीकार कर सकें। अतः उन्होंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में बहुत रोचक बातें सामने आईं। यदि आप आज कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की लागत, कोई कार्रवाई न करने संबंधी लागत की अपेक्षा बहुत कम होगी। अर्थात् कोई कार्रवाई न करने की लागत बहुत अधिक होगी। अतः, आज कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हम इस पर कार्य करेंगे।

महोदय, मैं बता रहा था कि हम इससे किस प्रकार प्रभावित होंगे। हमारे समग्र कार्यकलाप – वाणिज्यिक कार्यकलाप, आर्थिक कार्यकलाप और कृषि संबंधी कार्यकलाप प्रभावित होंगे। विकासशील देशों में दो–तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है। अतः विकासशील देशों का मुख्य

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

व्यवसाय कृषि है। उदाहरण के लिए भारत में जी डी पी में कृषि की भागीदारी 20 प्रतिशत से कम है, फिर भी भारत में 60 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, इससे कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। गेहूं और चावल की फसलें गर्मी के ताप को सहन नहीं कर पाएगी। यू एस ए के सेक्रेटरी श्री फ्रीमैन, जिन्होंने वास्तव में भारत में हरित क्रांति लायी थी, के सलाहकार श्री लेस्टर ब्राउन, ने एक बहुत रोचक अध्ययन किया था कि यदि तापमान बढ़ता है, तो गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः हमें गेहूं और चावल की फसलों संबंधी गंभीर समस्या का सामना करना होगा।

इससे अधिक चिंता की बात यह है कि पानी की उपलब्धता अत्यधिक हो जाएगी। हम पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में 'जलवायु परिवर्तन' शब्द अनुचित है। भारत के मामले में इसे 'मौसम में अस्थिरता' होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से हम प्रभावित नहीं होंगे; मौसम की अस्थिरता से हम अत्यधिक प्रभावित होंगे क्योंकि मौसम की अस्थिरता का अर्थ होगा कि कुछ समय तो बहुत बारिश होगी या लम्बी अवधि तक बारिश नहीं होगी। अतः मौसम की अस्थिरता से पानी की उपलब्धता संबंधी गंभीर समस्या पैदा होगी। इसके कारण कृषि, जल और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। ऐसा अनुमान है कि पानी की कमी से पानी में खारापन बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरूप डेंगू, हैजा और मलेरिया जैसी अनेक बीमारियां होंगी। इन बीमारियों और तापमान बढ़ने के कारण मृत्यु–दर में भी वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप गरीब लोगों को कम कैलोरी–युक्त भोजन प्राप्त होगा क्योंकि खाद्य उत्पादन में कमी आएगी और इसके कारण गरीबी भी आज की तुलना में बढ़ जाएगी। अतः यह बहुत गंभीर समस्या है।

अपराह्न 4.42 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभी ने कहा कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। वास्तव में ग्लेशियर तापमान में वृद्धि के कारण पिघल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरे विचार से भारत को इस मामले को दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहला यह कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें क्योंकि वैश्विक संदर्भ में यह एक विश्वव्यापी मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। दूसरा, बदलती घरेलू नीतियों के संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?

पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करूंगा क्योंकि यह एक विश्व व्यापी समस्या है। यह मानव शरीर की तरह है। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है लेकिन मेरा शरीर एकदम ठीक है। इसी प्रकार पूरे विश्व की पारिस्थितिकी परस्पर–संबंधित है और एक–दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि अमरीका प्रभावित होता है, भारत भी प्रभावित होगा; और यदि भारत प्रभावित होता है; तो अफ्रीका भी प्रभावित होगा। इस प्रकार इससे हर कोई प्रभावित होगा क्योंकि यहां एक ही प्रकार की पारिस्थितिकी है। इसीलिए भारत की प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होनी चाहिए। लम्बे समय तक हमने एक सिद्धान्त को स्वीकार किया और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत कहता रहा है कि हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व में सबसे कम है। भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि हम उत्सर्जन पर पूरी तरह रोक लगा सकते हैं क्योंकि यह भारत के लिए खतरनाक होगा। हम यह कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि हमें अपनी नीतियों को बदलना होगा हमें यह भी कहना चाहिए कि जो व्यक्ति उत्सर्जन कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करना चाहिए। भारत में जब उत्सर्जन किसी एक जगह पर कम हो रहा हो तो हम उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अतः यह रोक इस प्रकार लगाई जानी चाहिए जो निष्पक्ष, समान और भारत जैसे विकासशील देश के अनुकूल हो।

पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उपशमन के बारे में विचार कर रही है। लगभग सात वर्ष पूर्व सभी राज्यों के प्रमुखों ने एक बैठक की और 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स' नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। जिस प्रकार यू एन एफ सी सी पर दुनिया के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं इसी प्रकार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर दुनिया के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, पर्यावरण का ताल्लुकात हमें सामाजिक सरोकार से रखना चाहिए और यह आश्वस्त करने के लिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमारी दिलचस्पी से गरीबी उपशमन का कार्य प्रभावित न हो।

महोदय, हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, 'पॉल्यूटर टुपे' के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। यदि 'पॉल्यूटर टुपे' का सिद्धांत स्वीकार्य है और यदि आई पी सी सी की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट से यह बात निश्चित रूप से प्रमाणित होती है कि ऐसा औद्योगिक क्रांति से हुआ है, तब तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी चाहिए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति लाई है। अतः 'पॉल्यूटर टुपे' के सिद्धांत को स्वीकारना चाहिए और इसकी कीमत उन औद्योगिक राष्ट्रों को चुकानी चाहिए जिन्होंने यह प्रदूषण फैलाया है और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया है। इस कार्य को करने के लिए हमें भी पहल करनी चाहिए। पहले मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मामले के बारे मे बात करना चाहूंगा। श्री कपिल सिब्बल को इस बात की जानकारी है कि समूह–8 के देशों द्वारा यह अधिदेश जारी किया गया था जिसमें विश्व बैंक से यह कहा गया था कि वे ऊर्जा के क्षेत्र के लिए निवेश का एक ढांचा तैयार करें। ढांचा संबंधी यह वही दस्तावेज है जो प्रकाश में आने जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में डेढ़ दशक में तीन

ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का निवेश होने जा रहा है। यह निवेश कैसे हुआ यह महत्वपूर्ण है। भारत इस निवेश संबंधी ढांचे की उन नीतियों को आयाम देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा जिन्हें विश्व बैंक बना रहा है क्योंकि इससे एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश संबंधी ढांचा तैयार होगा। इसलिए सचमुच में हमें इस पर काम करना है।

अब मैं इस मामले के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हमें अनुकूलन के लिए संघर्ष करना चाहिए। दरअसल जलवायु परिवर्तन दो घटक हैं। हम सभी उत्सर्जन कम करने की बात करते हैं, पर सब से महत्वपूर्ण बात है जलवायु में परिवर्तन के साथ अनुकूलन। आई पी सी सी रिपोर्ट में भी इस बारे में कहा गया है, अर्थात् यदि आज हम उत्सर्जन पर रोक लगाते हैं, तो अगले 100 सालों में वातावरण एक समान रहेगा क्योंकि आज इसका असर हो चुका है। इसलिए, यदि वह वास्तविकता है, तब तो इसे हमें अवश्य अपनाना चाहिए। अनुकूलन सबंधी उपाय भारत की प्राथमिकता में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे 'अनुकूलन निधि' कायम करने संबंधी नीति का अनुसरण करें। यदि प्रदूषण फैलाने वालों को कीमत चुकानी है, तब वे उन्हें 'अनुकूलन निधि' हेतु धनराशि देनी चाहिए और भारत को इस कोष से अवश्य फायदा उठाना चाहिए। अनुकूलन संबंधी कार्य, महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक होगी और अनुकूलन निधि संबंधी नीति हेतु यह एक अत्यावश्यक अंग होगा।

हम सबने प्रौद्योगिकी की बात की है, मैं इस बारे में थोड़ी और बात करूंगा। प्रौद्योगिकी को ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जलवायु से अनुकूलन के लिए वांछित उपाय के लिए भी प्रौद्योगिकी को तैयार एवं डिजायन किया जाना चाहिए। अनुकूलन कृषि, वास, जल संबंधी विषय आदि के क्षेत्र में वांछनीय है। अतः अनुकूलन संबंधी प्रौद्योगिकी को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, और इसे विकसित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जब मैंने इस बारे में बात की थी कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करना है – तो मैं समझता हूं कि हमारी राजनीति में एक आमूल–चूल परिवर्तन भी होना चाहिए। कोयला इसका घटक होगा। डा. किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के दल वाली समेकित ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञत समिति ने बताया था कि कोयला 2050 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य घटक होगा। यदि कोयला मुख्य घटक होने जा रहा है और ऊर्जा संबंधी सुरक्षा महत्वपूर्ण है तब तो हमें कार्बन स्टोरेज और उसे कब्जे में रखने हेतु (कैप्चर) प्रौद्योगिकियां विकसित करनी होगी। क्या हम इसका परिग्रहण कर इसे सतह के नीचे संग्रहण कर सकते हैं, यदि हां, तो कोई उत्सर्जन नहीं होगा? इस तरह की कुछ चीजें विकसित किए जाने की जरूरत है। हर हालत में, हमें अपनी ऊर्जा नीति, परिवहन नीति और औद्योगिक नीति में आमूल–चूल परिवर्तन करना होगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले तो हमें नई प्रौद्योगिकियों की जरूरत है। हमें वैसी प्रौद्योगिकियों की जरूरत है जिनसे न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा हो सके। यदि कोई विकसित देश हमें प्रौद्योगिकी प्रदान करता है, तो वह हमारे प्रति कोई उपकार नहीं करने जा रहा है, बल्कि वह स्वयं के हित में ऐसा कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रखते हैं, तो वे भी हमारी तरह भुक्तभोगी होंगे। हम इस समस्या को अपने आप ही नहीं रोकना चाहते हैं, हमें प्रौद्योगिकी चाहिए और इसके लिए हमें संयुक्त परियोजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकसित करना होगा। कपिल सिब्बल यहां बैठे हुए हैं। वे एच आई वी और एड्स के लिए टीका विकसित करने की परियोजना में शामिल रहे हैं। क्या हम इस तरह के मॉडल विकसित नहीं कर सकते हैं जिसमें कि विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों को बौद्धिक सम्पदा अधिकार द्वारा कवर नहीं किया जा सके ताकि इन प्रौद्योगिकियों का प्रचार–प्रसार विश्व में हो सके? इसे गरीब देश भी इस्तेमाल कर सकेंगे, धनी देश भी इस्तेमाल कर सकेंगे और उन सभी को इससे फायदा होगा और हम भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। अतः यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जो बौद्धिक सम्पदा अधिकार से मुक्त होगी।

नई प्रौद्योगिकी के विकास में हमारी एक नई पहल होनी चाहिए। हमें अनुयोजन को एक सौतेली संतान के रूप में नहीं लेना चाहिए। श्री राजा को इस पर अवश्य काम करना चाहिए और अनुयोजन को सौतेली संतान के रूप में नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे इस रूप में देख रहे हैं किन्तु पूरा विश्व इसे इस रूप में देख रहा है। अवशमन महत्वपूर्ण है और अनुकूलन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस पर कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए।

विश्व में बहुत ही रोचक मॉडल उपलब्ध हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टान्सेस (ओ डी एस) को कम करने के लिए मांट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। दरअसल ओ डी एस ओजोन सिस्टम में छेद होने का कारण बन रहा था। हमने विश्व समुदाय के साथ मिलकर इस पर काम किया और आज हम देख रहे हैं कि ओ डी एस में कमी हो रही है। हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोटोकॉल है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए मांट्रियल प्रोटोकॉल जैसे कुछ मॉडल विकसित किया जाना चाहिए। इससे निश्चय ही हमें मदद मिलेगी। साथ ही हमें देश विशेष के संबंध में अध्ययन करना चाहिए। दूसरे ही दिन मैं श्री कपित सिब्बल से अनुरोध कर रहा था कि भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों और उनसे जुड़े सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे निश्चय ही इस बात का पता चल

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

सकेगा कि दरअसल कितना नुकसान हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि हम नुकसान के बारे मे बात कर रहे हैं और उनसे इस नुकसान की कीमत वसूलने जा रहे हैं, तो हमें यह जानना होगा कि आखिरकार कितना हुआ है तभी हम कोई बीमा कवर कर सकते हैं और तभी हम दावा करने के समय बीमा संबंधी दावे को उचित ठहरा सकते हैं। हमें बहुत ही समेकित तरीके से अध्ययन करना होगा।

हमें पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के सृजन के लिए संघर्ष करना चाहिए क्योंकि यू.एन. सिस्टम में ऐसे कई निकाय हैं जो पर्यावरण से संबंधित विषयों को देख रहे हैं। वास्तव में यदि प्रसार एक मसला है, तब तो यह कोई परमाणु अप्रसार नहीं है बल्कि यह यू.एन. निकायों का प्रसार है। हमें इन सभी निकायों को एक ही मंच के नीचे लाना चाहिए और तभी वे जलवायु में होने वाले परिवर्तन के लिए समेकित रूप से लड़ सकेंगे। इसके लिए द्विपक्षीय दृष्टिकोण वांछनीय है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने का निर्णय किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा एक द्विपक्षीय दल हो जिसमें हम सभी जलवायु परिवर्तन के मसले पर मिलकर काम कर सकें क्योंकि यह विषय वैसा नहीं है जिस पर दलीय आधार पर निर्णय किया जा सके। इसका दुष्प्रभाव हम सब पर पड़ने वाला है; हम सब पीड़ित होने वाले हैं और हम पहले से ही प्रभावित हो रहे हैं। अतएव, यह उस विशेष रीति से किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है 2012 के बाद हम क्या करेंगे। उसके लिए हमें वास्तव में हमें अपने देश के भीतर जी–5 तथा जी–20 देशों जैसे अपने कतिपय महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्रों के साथ व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है और हमें उनके साथ मिलकर ही कार्य करना चाहिए।

बाजार आधारित लचीला तंत्र एक स्वच्छ (कलीन) विकास तंत्र है और दूसरा संयुक्त कार्यान्वयन है। भारत सी डी एम परियोजनाओं का एक लाभार्थी है परंतु सी डी एम उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से उसे करना चाहिए था। यह एक बहुत अच्छा विकास तंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : सीडीएम क्या है?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : इसका आशय 'स्वच्छ (क्लीन) विकास तंत्र' से है महोदय। क्योटो प्रोटोकॉल में तीन लचीले तंत्र हैं। एक उत्सर्जन ट्रेडिंग से संबंधित है जो केवल विकसित राष्ट्रों के बीच ही हो रह है; दूसरा संयुक्त कार्यान्वयन है और तीसरा स्वच्छ विकास तंत्र है जिसके साथ विकसित और विकासशील राष्ट्र एफडीआई, प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकते हैं और हम अपनी अवसंरचना को और अधिक पर्यावरण परिवर्तन रोधी बना सकते हैं। स्वच्छ विकास तंत्र के लिए हमें एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि वह भी बड़े तरीके से किया जाना चाहिए।

मुझे इतने लंबे समय तक बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरा अंतिम बिंदु यह है कि भारत की जनसंख्या को परिसंपत्ति की बजाए समस्या का ही एक भाग समझना चाहिए। हम सभी यही सोच रहे हैं कि हमें जनसांख्यिकी लाभांश – लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही यह बेहतर होगा। जनसंख्या बढ़ने का आशय यह है कि प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन विशेषकर भूमि और जल की उपलब्धता में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप ग्रह पर व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। हमें व्यापक रूप से कार्य करना होगा। यदि हम समग्र रूप से सहमत होते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम इस समस्या को वास्तव में निपट सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी यह इच्छा थी कि यदि दिए हुए भाषणों को सुनने के लिए सदन में हममे से कुछेक और साथी होते तो और भी बेहतर होता।

*प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लोर) : महोदय, भगवान के लिए मुझे अपना भाषण प्रारंभ करने दो। सर्वप्रथम, मैं ग्लोबल वार्मिंग विषय जिसे अध्यक्ष महोदय ने इस सामान्य सभा में चर्चा के लिए चुना है, पर बोलने की अनुमति देने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इतने वर्षों से, इस सदन में वैश्वीकरण के बारे में चर्चा हो रही है। अब हम पहली बार 'ग्लोबल वार्मिंग' के बारे में चर्चा करने की अनुमति मांग रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने हमें गर्मी पैदा करने वाली गैसों का प्रभाव और तदुपरांत उनसे होने वाली 'ग्लोबल वार्मिंग' जो हमारे पर्यावरण तंत्र और मौसम के पैटर्न पर दुष्प्रभाव डालती है; पर चर्चा करने की अनुमति दी है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

'ग्लोबल वार्मिंग' के कई कारण हैं। ऐसे कई घटक हैं जो प्रकृति और हमारे पर्यावरण तंत्र पर दुष्प्रभाव डालकर अंततः इस ग्रह के जीवन पर गलत प्रभाव डालते हैं। मेरे लब्धप्रतिष्ठित सहकर्मी जिन्होंने मुझसे पहले बोला है उन्होंने इस विषय पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं।

धर्म ग्रंथ कहते हैं कि "संसार समाप्ति की ओर बढ़ेगा, केवल आदमी ही अपने आपको विनाश की ओर तथा इस ब्रह्माण्ड को समाप्ति की ओर ले जा रहा है।' यही सब हम अपने वेदों तथा अन्य धर्मग्रन्थों से सीखते हैं। हिन्दू धर्म कलयुग की बात करता है। इसके कई संदर्भ हैं। बाइबिल और कुरान में भी महाप्रलय और कयामत के दिन और विश्व के अंतिम दिन की बात कही गई है। तमिल साहित्य 'थिरूकुरल' का

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

भाग कहलाने वाली महान उपदेशात्मक पुस्तक में भी इस बात के कई संदर्भ मिलते हैं कि आदमी अपने और इस विश्व के विनाश की दिशा में चल रहा है। मानव द्वारा वस्तुओं के गलत उपयोग से उसके कार्य गलत/बुरे हो जाते हैं और वह प्रकृति पर दुष्प्रभाव डालने के लिए एक कारक बन जाता है। हमारे धर्मग्रंथ समुद्र से उठने वाले जलप्लावनों, अत्यंत गंभीर बाढ़ों, ग्रहों की घालमेल के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से टकराने, पर्वतों के भूमंडल अधर में टिकने और धरती में उलट–पुलट की बात कही गई है। 'मानव कहां तक दौड़ सकता है।' मानव उन गलतियों से नहीं बच सकता; जो उसने की थी। 'यही सब हमारा धर्म मनुष्य जाति से पूछता है। कयामत के आखिरी दिनों के समय आदमी परिणाम और अपने कार्य के फलों से बच नहीं सकता। क्या वो ऐसा कर सकता है? इस भारतीय उपमहाद्वीप में दूर–दूर तक फैली धरती, तथा उसके निवासी इस प्रश्न से अवगत होंगे कि वे बिना अपनी करनी का फल भोगे हुए कहां जा सकता है। ऐसे तलाश किए जाने वाले प्रश्नों के साथ भारत की एक महान दार्शनिक परंपरा रही है। यह उद्धृत करना उल्लेखनीय होगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने एक महान पहल की है। इस चर्चा के माध्यम से जो कि परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित है, संभव है हम विश्व को सही मार्ग दिखा पाएंगे। हमारा देश महान दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं के लिए विख्यात है। एक ओर जहां विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न शाखाओं के वैज्ञानिकों आदि उपलब्ध हैं वहीं हमारे पास उतने ही पथप्रदर्शक और उनके अनुयायी हैं जिन्होंने अध्यात्मवाद के माध्यम से विश्व की चुनौतियों को पूरा करने में लोगों की सहायता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। हम उन्हें सही शब्दों में आध्यात्मिक वैज्ञानिक कह सकते हैं जिन्होंने हमें मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का धन दिया है। यदि हम उनकी नैतिक शिक्षा को मानते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने यही तथ्य हमारे आधुनिक काल के वैज्ञानिकों से काफी पहले पूर्वाभास कर लिया था। हमारा देश हमारे प्राचीन आध्यात्मिक अध्येताओं के मूल्यवान योगदान की वजह से ही सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वे अध्यात्मिक गुरू जिन्हें हमें वास्तविक वैज्ञानिकों के रूप में मान्यता दे सकते हैं, उन्होंने आदमी के लचीले होने और बिना दूसरे के बारे में सोचे बिना स्वार्थसिद्धि के लिए शोषण करने वाले विश्व से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बहुत पहले ही हमें चेतावनी दे दी थी। उन्होंने अनुकंपा द्वारा दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता पर विचार करने पर बल दिया। हमें इन शिक्षा और ज्ञान रूपी मोतियों को बनाए रखना होगा और प्रकृति तथा इसके संसाधनों के साथ एकात्म होकर रहना होगा। अब हम ऐसे समय में आ गए हैं जब हमें अपने आध्यात्मिक अध्येताओं के विभिन्न पथों को प्रभावी रूप से याद करके उन्हीं पर चलना होगा और उस मार्ग से कभी नहीं हटना होगा। हमारा भी अपना अध्यात्मिक धन है जो प्रकृति और अन्य मनुष्यों के साथ सौहार्दपूर्वक रहने से हमारी सहायता करता है। जब बुराई और इसके दुष्प्रभाव फैलते हैं और विश्व को ऊष्मा पहुंचाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। सीअर्स ने पहले ही समुद्र में उफान, बाढ़ों की प्रचंडता, जंगलों और हरित पट्टियों की हरियाली के अनाच्छादन के बारे में चेतावनी दे दी है। आज हमें बर्फ से ढकी हिमालय की श्रेणियों से ग्लेशियरों के पिघलने की चिन्ता है जिसके परिणामस्वरूप आप्लावन और भू–क्षरण होने से भारी बाढ़ आती है और क्षति होती है।

पूर्व में देखने से हमें पता चलता है कि मनुष्य अंदरूनी भय के कारण प्रकृति के संरक्षक बने रहते हैं। हमारे धर्म–गुरूओं के कथनों और शिक्षाओं से हमारे लोगों को प्राकृति के साथ सौहार्द से रहने पर बल मिला है जिससे मानवता की मदद हो सकती है, ताकि प्रकृति उन्हें निगल न ले। प्राचीन लोग स्वयं को प्रकृति के प्रकोप से बचा सकते थे क्योंकि वे हमारे धार्मिक गुरूओं की शिक्षाओं को सुनकर तदनुसार ढले हुए थे। प्रकृति के संरक्षण के प्रति अंदरूनी भय होने से उन्हें अदम्य साहस के साथ प्रकृति के प्रकोप से लड़ने में सहायता मिली। वे प्रकृति के प्रकोप का निडरतापूर्वक सामना करने में सक्षम थे – अध्यात्मिक नींव मजबूत होने के कारण वे जीवन में चुनौतियों का सामना करने में काफी साहसी थे। हमारे पूर्वजों ने पहले ही रास्ता दिखा दिया है। यह आज भी प्रासंगिक है।

आज, हम रोज 2020 में आने वाली संभावित प्रलय जैसी सुनामी के बारे में लेख पढ़ते हैं, जिससे पूर्वी तट की काफी अधिक जमीन नष्ट हो सकती है, जिसके परिणमास्वरूप कम से कम तंजावूर, जहां से हमारे सम्मानित साथी माननीय श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम इस सदन में प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, तक समुद्र आगे बढ़ सकता है। हाल ही में, 'इंडिया टुडे' नामक पत्रिका में एक चेतावनी देखी, जिसमें कहा गया था कि – कुछ समय बाद 'गेटवे ऑफ इंडिया' समुद्र में डूब जाएगा। इस प्रकार की सनसनी को हमारी आस्था और विश्वास की जड़ों को खोखला नहीं बनाना चाहिए। हमें इन सनसनी फैलाने वालों द्वारा फैलाए जा रहे भय–मनोविकृति और भय से मुक्ति पानी होगी। हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से ताकत लेनी होगी, जिसने प्रकृति के साथ सौहार्द से रहने में हमारी सहायता की है। आज इस राष्ट्र में इस प्रकार की सही विचारधारा को फैलाने की आवश्यकता है। हमें अपने को संदेह और आशंकाओं से मुक्त करना होगा। हमें आपदाओं और विध्वंसक ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित चिंता से निपटने के लिए उचित प्रविधियां और रणनीति विकसित करनी चाहिए। इस तथ्य कि ग्लोबल वार्मिंग किन कारणों से हो रही है, में जाने की बजाय, हमें उन उपायों को ढूंढना चाहिए जिनसे हमें हमारे ग्रह की सतह और वातावरण के तपने के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को दूर करने में सहायता मिल सके।

यह समय की आवश्यकता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय और साधन खोजने हेतु दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करें। मैं, उनसे सहमत हूं जो यह महसूस करते

[प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन]

हैं कि हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में युवा वर्ग को हमारी धार्मिक और दार्शनिक बपौती के संयोजन से तैयार गुणतापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण विश्व का औद्योगिकीकरण है। विकसित पश्चिमी देशों ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है।

पश्चिम का अनुसरण करने और उनकी प्रविधि, तकनीक और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण हमें हमारी पारिस्थितिकी और मौसम की प्रकृति को बिगाड़ने के बुरे प्रभावों को देखना पड़ा है। मैं यहां पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विकसित देशों पर भारत जैसे विकासशील देशों की सहायता करने का उत्तरदायित्व है, ताकि उन्हें स्वयं को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में मदद मिल सके। हमें इस बात को अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे इसकी पर्याप्त प्रतिपूर्ति करें। मुझे लगता है कि उनसे आश्रय मांगना उचित है, जिनके कारण वातावरण प्रदूषित हुआ है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज जब हम मुख्यतः पश्चिमी लोगों के कारण ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं, हमें विवेक संबंधी प्राचीन बहुमूल्य विधाओं की ओर रूख करना चाहिए और प्रकृति के सानिध्य में आराम से रहना चाहिए। हमें गर्मी में ठंडा रहना चाहिए ताकि हम तपिश को कम कर सकें और राहत दे सकें। महान ईरानी विद्वान हुसैन नजीर ने 1962 की शुरूआत में यू.एन. में हमारे वातावरण को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से होने वाले आसन्न खतरे के बारे में बताया था। सबसे पहले उन्होंने ही हमारे वातावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी–तंत्र को होने वाले खतरे के बारे में कहा था, "इफ यू वाण्ट पीस ऑन अर्थ, यू शुड एस्टेबलिश पीस विद दि हैवन" हमें आंतरिक शांति और अन्य लोगों के साथ हमारी संवेदनापूर्ण सहभागिता के माध्यम से शांति के साथ जीना चाहिए।

भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वह दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सके। हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आई समस्या का व्यावहारिक समाधान ढूंढने के लिए अपने अध्यात्म और विज्ञान से जुड़े लोगों की सूची तैयार करनी चाहिए। इस दृढ़ इच्छाशक्ति कि हमारे प्रख्यात व्यक्ति, विद्वान और वैज्ञानिक इस उपमहाद्वीप के अनेकों लोगों को बचाने के लिए संयुक्त रूप से हमारी मदद करेंगे, मैं आपको यह आश्वासन देते हुए कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भक्ति–भाव से प्रार्थना करें। इस आशा से कि हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आ रही संभावित गंभीर समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि मेहताब (कटक) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं जनता की इस सभा में इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा हेतु सूचीबद्ध करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। सामान्यतया, इस सदन में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो राजनीतिक, स्थानीय अथवा आर्थिक रुचि के हों लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल मानव जाति से अपितु इस पृथ्वी के जीव–जन्तुओं के हित से भी संबंधित है।

इसीलिए, जब हम 'ग्लोबल वार्मिंग' अथवा जलवायु परिवर्तन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी विज्ञान कई दशकों बाद आज की बाध्यकारी स्थिति में पहुंचा है। राजनीति में अचानक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। जिससे विश्व के विकसित देशों के पूर्व के संशयवादी नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र की इस दृढ़ धारणा, कि इस मुद्दे पर तत्काल गंभीर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, को पूरा करने के लिए और लोगों के साथ संघर्षरत है।

हाल ही की दो रिपोर्टें, जिनके बारे में श्री प्रभु ने भी बताया है और जिसमें से एक युनाइटेड किंगडम के निकोलस स्टर्न की है और दूसरी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर–सरकारी पैनल अर्थात आईपीसीसी की है, जिसके अध्यक्ष भारत के डा. राजेन्द्र पचौरी हैं और जिस पर मीडिया में निरंतर चर्चा हो रही है, ये दोनों रिपोर्टें विश्व के लोगों की आम राय में जो अचानक परिवर्तन आए हैं, उसके लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य कर रही हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन से ग्रह को काफी खतरा है। आज सभी राष्ट्र इस नए खतरे जो कि सामूहिक रूप से आवश्यक और तत्काल कार्रवाई करने के लिए पहले से ही पर्याप्त है का सामना करने में साझीदार है। ग्लोबल वार्मिंग माप, पैमाने और अनुक्रमणीयता के आधार पर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतः सभी के द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग पर कार्रवाई करने मे विलंब का अर्थ होगा कि बाद में इससे निपटने की लागत और अधिक होगी। बढ़ती हुई जटिलताओं के साथ–साथ तकनीकी चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग से निबटना कठिन है क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्रपार तक है। यह पहेली एक समान वैश्विक समस्या है लेकिन सरकार के प्रतिनिधि अपने राष्ट्रहित में कार्य करते हैं। यह हमें श्री प्रभु द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पता चलता है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल पर चर्चा के दौरान उपस्थित थे।

यहां पर मुझे राष्ट्रपति आइजनहावर की याद आती है जिन्होंने एक बार कहा था कि एक कठिन समस्या के समाधान के लिए उसे इतना बढ़ा बढ़ा दो कि उसकी और सबका ध्यान आकर्षित हो, और संसाधन भी जुट जाएंगे। अतः आज सबसे बड़ा संकट ऊर्जा संरक्षण का है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन अथवा ग्लोबल वार्मिंग से निबटने के लिए उपाय किए जाने के साथ–साथ ऊर्जा क्षमता, संरक्षण और नई प्रौद्योगिकी

के विविधीकरण के संबंध में भी कार्रवाई की जाने की तत्काल आवश्यकता है। मेरे विचार से शोध और विकास को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि विश्व के चोटी के जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के कारण हुई है और यू एन जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर–सरकारी पैनल, जिसमें 130 से भी अधिक देशों के 2500 से भी अधिक वैज्ञानिक हैं, ने और अधिक सूखा, गर्म–हवाओं, वर्षा, बाढ़ और समुद्र स्तर में धीमी–गति से बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है। ऐसी स्थिति 1000 वर्षों तक बनी रह सकती है। यह चिन्ता का विषय है क्योंकि 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल पर चर्चा के दौरान इसमें मानवीय गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध की संभावना का प्रतिशत 66 से 90 प्रतिशत तक था जबकि अब इस रिपोर्ट में यह संभावना 90 प्रतिशत से अधिक बताई गई है। अतः आज तात्कालिकता अधिक है। मैं एक उद्धरण देता हूं – "हम स्पष्टतः पृथ्वी के सभी प्रजातियों को खतरे में डाल रहे हैं। हम मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं"

यह आई पी सी सी के अध्यक्ष, डा. राजेन्द्र पचौरी की उक्ति है। यह कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ही कम ठंडे दिन, गर्म रातें, घातक गर्म हवाएं, बाढ़, भारी वर्षा, भयानक सूखा पड़ सकता है और चक्रवात और तूफानों में वृद्धि हो सकती है। यह बताया गया है कि वर्ष 2100 तक तापमान के 1.1 से 6.4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। यदि कार्बन डाई आक्साइड औद्योगिक पूर्व स्तर से दोगुनी हो जाती है तो इसकी संभावना 2 से 4.5 प्रतिशत तक है। क्योटो प्रोटोकॉल 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की मुख्य योजना है।

इसके अभी पांच वर्ष शेष हैं। लेकिन यह काफी कमजोर पड़ गया है क्योंकि यू एस जो कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उत्सर्जक है, ने 2012 में अपने हाथ खींच लिए हैं। इसके कारण फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने टिप्पणी की कि "हम वास्तव में अनुत्क्रमणीय की दहलीज पर हैं।" विश्व के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह अनुत्क्रमणीय है? कोई पूछेगा, हम स्वयं को कहां पर रखते हैं? वर्तमान में भारत 5.2 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों का लगभग 3 प्रतिशत उत्सर्जन करता है। वैश्विक उत्सर्जन का 30 प्रतिशत उत्सर्जन यू एस द्वारा किया जाता है फिर भी मैं पुनः यही दोहराना चाहता हूं कि यूएस के जलवायु संबंधी पैनल द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की गई है। निष्कर्षों से पता चलता है कि यदि 80 और 90 के दशक में तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो 25 से 30 प्रतिशत स्थान (स्पेस फेस) विलुप्त हो जाएगा। गर्म हवाओं, बाढ़, चक्रवात और सूखे के कारण अधिक मौत और क्षति होगी। मैं थोड़ी देर बाद हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे अरबों लोग प्रभावित होंगे और समुद्र–स्तर के बढ़ने से विशेषरूप से एशिया में, तटीय क्षेत्रों के करोड़ों लोग खतरे में पड़ जाएंगे। भारत और चीन में गेहूं, धान और ज्वार की पैदावार घटा जाएगी। वर्ष 2050 तक लगभग अरबों लोगों के लिए पेयजल की कमी हो सकती है। वर्ष 2020 तक केवल अफ्रीका में ही 75 से 250 मिलियन लोगों के लिए जल की कमी हो जाएगी। संकट की स्थिति इतनी करीब है लेकिन इसके बारे में दूर–दूर तक कुछ नहीं सोचा जा रहा है।

जीवाश्म ईंधन जलाने से, मरूस्थलीकरण सूखा पड़ेगा तथा समुद्र–स्तर बढ़ने से अक्षांश रेखा पर स्थित सब–सहारा क्षेत्रीय अफ्रीका से लेकर प्रशांत महासागर स्थित द्वीप प्रभावित होंगे। इससे अत्यधिक गरीब लोग प्रभावित होंगे और इसमें धनी देशों के गरीब लोग भी शामिल हैं। इसी कारण से यह एक वैश्विक उत्तरदायित्व है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2100 तक विश्व के जलवायु–क्षेत्रों का पुनः निर्माण हो सकता है और कुछ ध्रुवीय पर्वतीय भाग नष्ट हो सकते हैं तथा उष्णकटिबंधों में नए क्षेत्र बन सकते हैं। जब जलवायु क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे तो इनमें रहने वाले जन्तुओं और पौधों को विलुप्त होने का सबसे अधिक खतरा होगा। पूर्व के अध्ययनों में विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कोस्टा रिका तथा दक्षिण अफ्रीका के केप क्षेत्र के घने वनों के विशिष्ट स्थल विलुप्त होने की चिंता जताई गई है। लेकिन इसमें पहली बार वैश्विक परिवर्तन की संभावना जताई गई है।

पृथ्वी के गर्म होने, जिसकी इस शताब्दी के अंत तक कुछ अक्षांशों पर 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की संभावना है, के कारण जलवायु क्षेत्रों के भूमध्य रेखा से आगे ध्रुवों की ओर खिसकने की संभावना है जिससे हिमालय के ग्लेशियरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे–जैसे पुराने क्षेत्र नष्ट होंगे विश्व के उन भागों में नए क्षेत्र बनेंगे जो सर्वाधिक गर्म हैं। भारती ग्रीन हाउस गैसों के पांच प्रमुख स्रोतों में से एक है। 2004 की सांख्यिकी के अनुसार युनाइटेड स्टेट्स का 7067.6 एम टी है, 2000 में चीन का 4938 एम टी था, रूस का 2024 एम टी था; 2000 में भारत का 1884 एम टी था और जापान का 1355.2 एम टी था। मुझे टन, प्रति व्यक्ति में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वास्तव में उससे स्थिति की गंभीरता का पता नहीं चलता। अतः, हमें अपना उत्तरदायित्व पूरा करना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय के ग्लेशियर एशिया की सात महान नदियों अर्थात् गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सालवीन, मेकोंग, यांगले और ह्वांग हो की जलापूर्ति करते हैं। ये वह सात नदियां हैं जो हिमालय के ग्लेशियरों से बहती हैं ये सभी नदियां खतरे में हैं। विश्व के कुछ सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों में 33,000 वर्ग कि. मी. ग्लेशियर ध्रुवीय हिमशिखरों के अतिरिक्त सबसे बड़े ग्लेशियर का निर्माण करते हैं। ये ग्लेशियर वर्ष में लगभग 8.6 मिलियन घन मी. पानी छोड़ते हैं। प्राचीन सभ्यताएं दो महान राष्ट्रों चीन और भारत की इन सात नदियों के किनारे विकसित हुई और फली–फूली। 70 के दशक के

[श्री भर्तृहरि महताब]

मध्य में ग्लोबल वार्मिंग का उद्भव हुआ और ग्लेशियर खिसक रहे हैं। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह निश्चय ही हमें प्रभावित करेगा। इससे फसल उत्पादन में काफी कमी आ सकती है और करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। इसके कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी गर्म हवाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

एक अध्ययन से पता चलता है और मेरा मानना है कि सरकार इस बात को जानती है कि एशिया में 2020 और 2050 तक क्रमशः 120 मिलियन और 185 से 981 मिलियन लोगों के लिए जल की अत्यधिक कमी का अनुभव करेंगे। मुझे इस बात पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत, कार्बन डाइआक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में पांचवें स्थान पर है लेकिन इसके पास मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोई विश्वसनीय नीति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं भारत न तो स्वयं पर नियंत्रण रख पा रहा है और न ही अन्य देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए कहकर कार्बन के घनत्व को कम कर पा रहा है। आज भारत मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक पहलू पर नकारात्मक रूख अपना रहा है। आज चीन और भारत के मौसम वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के सहयोग की सर्वाधिक आवश्यकता है। हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि भारत और चीन द्वारा हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मैं जिस दूसरे पहलू के बारे में बात करना चाहता हूं वह संक्षेप में इस प्रकार से है। ग्लोबल वार्मिंग की जड़ कार्बन–आधारित ईंधनों का अधिकाधिक उपयोग करना है। ये जीवाश्म अर्थव्यवस्था सहित हमारे यातायात, लोगों को चला रहे हैं और उनके घरों में रोशनी ला रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से इनके कारण वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। 1950 से लेकर अब तक पिछले बारह वर्षों में से 11 वर्ष सबसे अधिक गर्म रहने का यह कारण हो सकता है।

हमारे पास क्या विकल्प हैं। वैज्ञानिक बाजार की जरूरत के हिसाब से समाधान निकालते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये वही विकसित देश हैं जो कभी इस समस्या को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन वही अब कुछ ऐसी तकनीक ला रहे हैं जो विकासशील देशों द्वारा अपनाई जाएगी। एक बाजार तैयार किया जा रहा है या इसमें और कोई बात है? हमारे पास क्या विकल्प हैं? आज की चुनौती यह है कि एक ओर जहां विकसित देश इस समस्या के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं; भारत और चीन को एक साथ मिलकर इसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए। पश्चिम की बुराईयों को हमें इतनी स्पष्टता से स्वीकार नहीं करना चाहिए।

क्योटो प्रोटोकॉल और यू एन एफ सी सी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण के सर्वाधिक संभाव्य उपाय हैं। यदि वे अब तक अप्रभावी रहे हैं तो यह मुख्यतः इस कारण से है कि विकसित देश इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं या अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं कर रहे हैं। पर हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वे हमें सहायता से सुलभ हो रही है।

ऊर्जा के उपयोग का ढांचा फिर से बनाए जाने और ऊर्जा की प्रबलता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि कार्बन में कमी के प्रामाणिक लक्ष्यों को तय नहीं किया जाए। हम पर्यावरण और वन मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार ने प्रामाणिक कार्बन कमी के लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं? मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि कार्बन में कमी के प्रामाणिक लक्ष्यों को तय करने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। तटों के संरक्षण के लिए सावधानी के तौर पर मैनग्रोव वनों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जहां पर तट पिघता है, जहां पर समुद्र के जल के भू–भाग पर चले जाने की संभावना है, वहां पर समुद्र के किनारे दीवार खड़ी करने पर विचार किया जा सकता है।

मैं यह कहकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि विनाश की चेतावनी इतनी बढ़ी और निराशाजनक पहले कभी नहीं थी। इस रिपोर्ट का वर्णन मनुष्य जाति के लिए अंतिम चेतावनी के रूप में किया गया है और खतरे की घंटी कभी इतनी जोरदार नहीं थी।

सरकार द्वारा मामले पर चिंता व्यक्त करने मात्र से स्थिति में सुधार नहीं होगा। सरकार, वैज्ञानिकों और लोगों को चेतावनी पर ध्यान देना पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग से मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। यदि मानव जाति ग्लोबल वार्मिंग और संभावित विनाश के लिए जिम्मेदार है तो इसे रोकने की जिम्मेवारी भी मानव जाति की ही है।

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मानव जाति पृथ्वी पर आधारित है न कि पृथ्वी मानव जाति पर।

अध्यक्ष महोदय : श्री महताब, आपको जितना समय मिलना चाहिए था, मैंने उससे पांच गुना अधिक समय आपको दिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : धन्यवाद।

श्री ज्ञानेन्द्र स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इस स्थान से बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप बोल सकते हैं। परंतु इसे बाद में एक पूर्व उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय ग्लोबल वार्मिंग अब कोई काल्पनिक वैज्ञानिक घटना नहीं रह गई है। अब यह एक हद तक वास्तविकता बन गई है।

अधिकांश सदस्यों, जिन्होंने यहां अपनी बात रखी है, ने कहा है कि इस विषय के बारे में कोई विवाद नहीं है। पर मेरी नजर में एक विवाद है। भारत चाहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जो कि सर्वाधिक प्रदूषक देश है वे अपने उत्सर्जनों को तेजी से कम करें। श्री संदीप दीक्षित और श्री सुरेश प्रभु जिनके लिए मेरे मन में सर्वाधिक आदर है, का तर्क यह था कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अमेरिका में औसत उत्सर्जन से 25 गुणा कम और यूरोपीय संघ के नागरिकों के औसत उत्सर्जन से 15 गुणा कम है।

मैं उनसे सहमत हूं कि भारत निश्चित रूप से इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार नहीं है। वस्तुतः हम इससे पीड़ित हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि हम क्यों इससे मुकाबला करने के लिए तैयारी करें। हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं। श्री दीक्षित ने पूछा कि क्यों नहीं हम विकास के मार्ग पर अनुसरण करें जो अमेरिकियों द्वारा शुरू की गई थी और जिस पर वह चल रहे थे।

यदि हम पश्चिम के तथाकथित विकास प्रणाली की जीवन पद्धति दोहराएंगे तो क्या हम उनके आराम के स्तर तक पहुंचने तक जीवित रह पाएंगे। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कुछ निश्चित पद्धतियों का उपयोग कर अमीर हो गया जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को तंगहाली झेलनी पड़ी। क्या हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए? इस मुद्दे पर भारत को नेतृत्व करना चाहिए, न कि अनुसरण। यदि भारत पृथ्वी को संरक्षित रखने में नेतृत्व प्रदान करता है तो यह अपने–आप सुपर पावर बन जाएग और सभी देश इसका समर्थन करेंगे। इसलिए शुरू से ही मेरा यह विचार रहा है कि प्रश्न यह नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं प्रश्न यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति प्रदूषण शक्ति कम है, हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर यह कम हो परंतु हमारी जनसंख्या एक सौ करोड़ से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? यदि आप समग्र प्रदूषक प्रभाव को देखें जो हमारी वजह से हो रहा है यह अमेरिका या किसी और से कम नहीं है ...*(व्यवधान)* यह सही है। यह अभी भी काफी कम है, परंतु क्या हमें उनकी प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए? यह मेरा मूल बिन्दू है।

महोदय, मैं केवल उन मुद्दों को दोहराता नहीं रहूंगा कि क्या होगा या क्या विपत्ति हमारे ऊपर आएगी क्योंकि इसके बारे में कई माननीय सदस्य पहले ही इसका वर्णन कर चुके हैं। मैं उन घटनाओं के बारे में केवल दो या तीन बातें करूंगा जो घटित होने वाली हैं। इस सदी के अंत तक विश्वव्यापी तापमान में चार डिग्री की वृद्धि होने वाली है और हम यह चाहते हैं कि औद्योगिक क्रांति की इस अवधि के दौरान भी दो डिग्री तक सीमित रहे। इसलिए भारत का कार्य ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करना है। पर इनमें से कई ऐसे देश हैं जो विचित्र प्रकार के तर्क दे रहे हैं। उनके क्या तर्क हैं? ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करना बहुत खर्चीला है। कई देश हैं जो यह कहते हैं कि इससे गरीब देशों का विकास रूक जाएगा। वे यहां तक कहते हैं कि तापमान में इतनी वृद्धि हो गई है कि मानव जाति का इसके लिए कुछ करना संभव नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वस्तुतः यह स्थिति मानव जाति के नियंत्रण से बाहर हो गई है। परंतु संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान अन्तर–सरकारी समिति ने कहा कि विश्व के पास इसे करने के लिए धनराशि और प्रौद्योगिकी दोनों है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम इसे वापस ला सकते हैं। यह संभव है। मैं अपनी बात कुछ सुझावों तक सीमित रखूंगा कि हमें क्या करना चाहिए।

सर्वप्रथम, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यहां मौजूद हैं क्योंकि वे समाधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं, न कि समस्या के। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा। क्या हम इनकैनडेसन्ट बल्ब के स्थान पर फ्लुअरेसन्ट बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं समझ नहीं पाया।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं पीले बल्बों की बात कर रहा हूं। क्या हमें इसका उत्पादन रोक देना चाहिए क्योंकि ये फ्लुअरेसन्ट लैंप पीले बल्बों की तुलना में एक चौथाई बिजली की खपत करते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या हम वाहनों के निर्माण पर निगरानी रख सकते हैं। मैं चौपहिया, दुपहिया वाहनों इत्यादि की बात कर रहा हूं। हमें लगता है कि ये हमारे आराम के लिए हैं लेकिन आजकल ये सर्वनाश की निशानी बन गए हैं। वे हमारे बच्चों और हमारी पृथ्वी के लिए दुर्भाग्य/निराशा ला रहे हैं। एक माननीय सदस्य शायद श्री सी.के. चन्द्रप्पन कह रहे थे कि प्रत्येक पति के पास एक कार होगी, पत्नी के पास एक कार होगी और बच्चों के पास तीन या चार कार होंगी। जिस परिवार के पास ज्यादा कारें हैं वे अधिक सम्माननीय हैं। हम कारें बनाना ही बंद क्यों नहीं कर देते? मैं सरकार से अपील करूंगा कि वे मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें कि विकास के नाम पर कारों का अंधाधुंध निर्माण नहीं होना चाहिए। ऐसा हम सभी संसद सदस्यों और उसके पश्चात् सभी के साथ शुरू करते हैं?

तीसरी बात अपारंपरिक ऊर्जा के बारे में है। हमें सौर उपकरण का उपयोग करना चाहिए। हमें पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। हमें जैव–ईंधन का उपयोग करना चाहिए। मैं यूपीए सरकार से अपील

[श्री खारबेल स्वाईं]

करूंगा कि वह अपारांपरिक ऊर्जा के उपयोग में बढ़ोत्तरी के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक धन लगाए। जलवायु परिवर्तन संबंधी यू एन पैनल, आई पी सी सी द्वारा सिफारिश की गई है कि कोयला आधारित प्रौद्योगिकी के गैस–आधारित प्रौद्योगिकी को अंतरण में सुधार किया जाना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा। क्या हम हरित भवनों का निर्माण कर सकते हैं? इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका रंग हरा होगा। हरित भवनों से तात्पर्य ऐसे मकानों अथवा कार्यालय परिसरों को बनाने से है जिनमें ऊर्जा का इष्टतम उपयोग हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमें बड़ी–बड़ी कांच के दीवारों से बचना चाहिए ताकि गर्मियों के दौरान एअर कंडिशनिंग पर अधिक व्यय न हो। अतः ऐसे हरित भवन बनायें। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि हम ऐसे मकान और परिसर बना सकें जिनमें ऊर्जा का इष्टतम उपयोग हो। इस तरीके से बिजली की खपत कम होगी। हमें ऊर्जा के दक्ष सक्षम उपयोग करने वाले उपकरण, ओवन, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडिशनरों इत्यादि के उत्पादन के लिए नियम बनाने चाहिए। जब वे ऐसे उपकरणों का उत्पादन करते हैं तो उन्हें नई प्रौद्योगिकी भी लानी चाहिए ताकि ये अधिक ऊर्जा–क्षम हो। इससे बिजली के बिल में भी कटौती होगी। यही नहीं अधिक ईंधन–क्षम कारों का भी विनिर्माण किया जाना चाहिए। कार के एक लीटर पेट्रोल से लगभग 4 किलोग्राम कार्बनडाईआक्साइड वातावरण में निष्कासित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : और डीजल के संबंध में आपका क्या कहना है?

श्री खारबेल स्वाईं : यह और भी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसकी स्थिति और भी खराब है?

श्री खारबेल स्वाईं : अतः, हमें अनुसंधान और विकास पर और अधिक व्यय करना चाहिए ताकि अधिक ईंधन–क्षम कारों का उत्पादन किया जा सके। मैंने आपको पहले ही पवन–ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के बारे में बताया है। यदि कोई एक व्यक्ति पवन ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। जब हम सेज (एस ई एज) स्थापित कर रहे हैं तो क्या हम सेज के प्रवर्तकों से यह कह सकते हैं कि वे बिजली के बजाय पवन ऊर्जा का उपयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सौर ऊर्जा से काम चलेगा?

श्री खारबेल स्वाईं : हां महोदय, सौर ऊर्जा से काम चलेगा।

पुनःचक्रण के बारे में मेरा कहना है कि भारत पुनःचक्रण में पारंगत है। हमारे पास पहले से ही इसकी सुविधा है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए यह पेपर एक ओर से छपा हुआ है। हम इसे फेंक देते हैं और फाड़ देते हैं। क्या हम इसके दूसरी ओर का उपयोग कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कार्यालय में ऐसा करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं : धन्यवाद, महोदय। क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें फेंक देते हैं। हम इसे फाड़ देते हैं। क्या हम इसका उपयोग नहीं कर सकते? यह पुनःचक्रण से संबंधित है क्योंकि इससे कई पेड़ बचेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम कई पेड़ बचाएंगे। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में अपील करूंगा। क्या हम प्लास्टिक बैगों का उत्पादन बंद नहीं कर सकते? हमने कई बार बताया है कि प्लास्टिक बैगों का उत्पादन विश्व के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। इससे सीवर सिस्टम अवरूद्ध हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं। यदि हम इसका उत्पाद बंद कर देंगे तो प्लास्टिक बैगों से लैन्डफिल में होने वाला उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए हमें इसका उत्पादन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक बैगों का उत्पादन होना ही नहीं चाहिए।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार भी अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसकी बजाय जूट का उपयोग करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं : हां, महोदय। जैसा कि मैं बता रहा था, सार्वजनिक परिवहन में सुधार आवश्यक है। मैं सरकार से ऐसा करने की अपील करूंगा क्योंकि अब सरकार के पास अत्यधिक धन है। प्रत्येक वर्ष राजस्व में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है। हमें मेट्रो रेलवे प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मैंने पश्चिम के देशों में कई जगह देखा है कि वे मेट्रो रेल सिस्टम को अपना रहे हैं जो कि बहुत ही ईंधन–क्षम और पर्यावरणोनुकूल है।

अब मैं एक बहुत ही अप्रिय सुझाव देता हूं। बिजली और पानी की कीमतें औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। कई बार हम मुफ्त बिजली और पानी का उपयोग करते हैं। लगभग 7 या 8 वर्ष पहले जब हमारी पार्टी सत्ता में थी और मैं सत्तापक्ष में बैठा था एक दिन मैंने सुझाव दिया था कि जब एक किसान को बिजली और पानी मिल रहा है तो उसे उसके लिए तत्काल भुगतान करना चाहिए, तब श्री एस. मुथैया ने कहा कि यह मेरे इस दिए गए प्रस्तावों में से सबसे अधिक अव्यावहारिक प्रस्ताव है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल यही सुझाव दिया है। उन दिनों कई और लोगों ने भी यह सुझाव दिया था और अब हर कोई जानता है कि वह सुझाव सही था। पानी के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। यह अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कुछ भी विशेष रूप से बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि यह बहुत ही अप्रिय सुझाव है लेकिन फिर भी मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

इसके अतिरिक्त, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, हर कोई जानता है कि पेड़ कार्बन–डाईआक्साइड का सर्वाधिक उपयोग करते हैं और संसद सदस्यों को अधिक पेड़ लगाने में अग्रणी होना चाहिए। एम पी एल ए डी निधि के अधिकांश भाग का उपयोग पेड़ लगाने के लिए किया जाना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं पहले ही ऐसा कर रहा हूं।

श्री खारवेल स्वाईं : धन्यवाद।

महोदय, श्री प्रभु ने पश्चिमी देशों से प्रदूषण–रहित प्रौद्योगिकी लाने का सुझाव दिया है। पश्चिमी देश भारत को सस्ते दामों पर प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी क्यों नहीं देते ताकि उत्सर्जन स्तर को काफी हद तक कम किया जा सके और हमें अनुसंधान और विकास के लिए अत्यधिक कीमत न चुकानी पड़े?

हमें सभी तापविद्युत केन्द्रों के उत्सर्जन स्तर पर निगरानी रखनी होगी। मैं उस राज्य का वासी हूं जहां ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु 14 से 15 प्रवर्तकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे यहां तलचेर मे एक ताप विद्युत संयंत्र है जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि वहां ताप विद्युत संयंत्र है। गर्मियों के दौरान एकदम गर्मी बढ़ जाती है और लोग दिन के समय अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। हम आरामदायक जगह पर रहना चाहते हैं जहां एयरकंडिशन से हमें बाहर न आना पड़े और हम इसे छोड़ कर बाहर नहीं आ पाते हैं। क्या इसी तरक्की की हम बात कर रहे हैं? मैं सरकार से अपील करता हूं कि ताप विद्युत संयंत्र के प्रवर्तन जब तक जीरो ऐमिशन प्रौद्योगिकी विकसित नहीं कर लेते उन्हें अपने संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

ननोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए जो कार्बन–डाईआक्साइड के उत्सर्जन को भूस्तर से नीचे की ओर ले जाएगा ताकि वह बाहर न आ सके। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक माननीय सदस्यों ने अमेरिका के विरूद्ध शिकायत की। मैं मानता हूं कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया विश्व के सर्वाधिक प्रदूषक देश हैं। हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यदि वे अपने उत्सर्जन स्तर को कम नहीं करते हैं तो विकासशील देशों को उनके उत्पाद खरीदने से मना करना चाहिए। क्या विकासशील देश ऐसा कर सकते हैं? उन्हें उनके उत्पाद उसी तरह खरीदने से मना करना चाहिए जैसे वे हमारे उत्पाद स्वास्थ्य संबंधी खतरों और पर्यावरणीय कारणों से खरीदने से मना करते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में यूरापीय संघ ने पहल की है परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया है। परन्तु क्या हम उनके उत्पाद को खरीदने से मना कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यदि आप क्योटो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे और यदि आप अपना उत्सर्जन स्तर कम नहीं करेंगे क्योंकि आप विश्व के सबसे बड़े प्रदूषक हैं तो हम आपके उत्पाद नहीं खरीदेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने वर्षा जल संचयन का उल्लेख नहीं किया है।

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, आपने किया है ना।

अध्यक्ष महोदय : वह कार्य मैंने पहले ही सरकार के पैसे से अध्यक्ष के आवास पर कर दिया है।

श्री के. एस. राव (एलूरू) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि यह सदन आज इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य अपना बेहतर योगदान दे रहा हूं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

श्री के.एस. राव : महोदय, यह सिर्फ आप के समर्थन कारण हो रहा क्योंकि आपने जो प्रोत्साहन दिया है उसी के कारण हम सभी इस मामले पर अपना योगदान दे पा रहे हैं। उस दिन भी जब इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी इससे हमें इस विषय पर बोलने और इस विषय पर गहन अध्ययन करने की प्रेरणा मिली।

महोदय, मैं ग्लोबल वार्मिंग को एक अलग दृष्टि से देखता हूं यह किस प्रकार गरीब देशों, देश के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण लोगों को प्रभावित करेगा? उपलब्ध आंकड़ों से यह पता लगा है कि यदि तापमान में दो डिग्री की भी वृद्धि हुई तो इससे 7.1 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। मैं यह नहीं जानता कि यह सही है अथवा गलत। अकेले मुंबई पर ही इस जलवायु परिवर्तन का जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा वह 2,28,700 करोड़ रुपए का होगा। इससे हम स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं कि समस्त विश्व पर होने वाला प्रभाव क्या हो सकता है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : यह सभी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा।

श्री के.एस. राव : जी हां चावल और धान की फसल पर जलवायु परिवर्तन का 42 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ेगा। न तो इसकी कल्पना की जा सकती है और न ही इसे समझा जा सकता है।

महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। हिमालय ग्लेशियर प्रतिवर्ष 30 मीटर कम होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्लेशियर लगभग 300 मीटर पिघल चुका है। इसका अर्थ है कि बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे बाढ़ आ सकती है जिससे देश में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। बढ़े हुए तापमान के कारण जब बर्फ इतनी तेजी से पिघल रहा है तो कुछ वर्षों बाद कहीं पानी नहीं होगा। आज बाढ़

[श्री के.एस. राव]

आएगी और कल नदियों में पानी नहीं होगा। तो दोनों ओर से हम प्रभावित होंगे।

महोदय, मैं यहां कुछ कारणों का उल्लेख करूंगा। इसका मैं एक–एक करके उल्लेख करूंगा। इसका 50 प्रतिशत प्रभाव ईंधन के जलने के कारण ही है। चाहे वह कोयला अथवा तेल जलाकर विद्युत उत्पादन हो अथवा औद्योगिक उत्सर्जन हो या परिवहन उत्सर्जन के कारण हो। इन समस्याओं का समाधान उपलब्ध है। बात सिर्फ यही है कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

जहां तक ऊर्जा का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इस देश में जल विद्युत की क्षमता 1,50,000 मे.वा. है और आज देश में कुल विद्युत उत्पादन 1,30,000 मे.वा. है। इसका अर्थ है हम जल विद्युत का दोहन नहीं कर रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी मदद कर रहा है। हमें विद्युत उत्पादन में सिर्फ इसका ही उपयोग करना चाहिए था और उन सभी अवांछनीय गैसों से बचा जा सकता है। जल पुनः प्रयोज्य है। प्रत्येक वर्ष ऊर्जा की कमी रहेगी और यदि हम आज यह 1,50,000 मे.वा. का संयंत्र स्थापित नहीं करते हैं तो हमें अगले वर्ष 3,00,000 मे.वा. बिजली नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है हम उपलब्ध क्षमता का संपूर्ण दोहन, इस देश के लोगों के जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं कर पा रहे हैं।

इसी प्रकार, परिवहन की भी समस्या है। मैं समझ सकता हूं कि ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों के अभाव में काफी कार्बनडाईआक्साइड जलवायु में घुल रहा है, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। परिवहन के संबंध में मेरे मित्रों ने रेलवे के संबंध में सुझाव दिया है। मैं एक और बात का सुझाव देना चाहता हूं और वह है नदियों को जोड़ना, जिसके द्वारा हम हमारे अधिकांश सामान की ढुलाई कर सकते हैं और उसमें हमें कोई उत्सर्जन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें मुंबई पर सिर्फ इसी कारण के लिए 2,28,000 करोड़ रु. खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हरियाली बढ़ेगी। जब संपूर्ण देश की नदियों को आपस में जोड़ने से जल की उपलब्धता होगी, हर तरफ पेड़–पौधे उगेंगे और वे कार्बनडाइआक्साइड का सोख लेंगे। ऐसा होना निश्चित है। इससे गैस के उत्सर्जन की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परन्तु हम नदियों को जोड़ने का कार्य आरंभ नहीं कर रहे हैं। यह एक ऐसी परियोजना है जो अनेक समस्याओं को सुलझा देगी। इससे बाढ़ और सूखे से बचा जा सकेगा और प्रत्येक गांव में पेयजल की व्यवस्था होगी। यह कार्बनडाईआक्साइड को भी कम कर देगा। इससे सड़क परिवहन से बचा जा सकेगा और जिसके कारण खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। नदियों को जोड़ने पर ये सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं।

मेरा अन्य मुद्दा विकास उद्योग से संबंधित है। मेरे मित्र मुझे हरित विकास के बारे में बता रहे थे। मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। यह एक समझदारी से किया हरित विकास होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह भी बहुत बुद्धिमान है।

श्री के.एस. राव : हम 'वास्तु' कह कर इसका मजाक उड़ाते हैं। वास्तु क्या है? बिजली के बिना मिट्टी के तेल जलाए बिना और बिना कोई ईंधन जलाए हम प्रकृति की सहायता से यह पता लगाते हैं कि घर में प्राकृतिक रूप से हवा कहां से आएगी। किस दिशा से रोशनी आएगी। इससे गैसों के उत्सर्जन संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि श्री स्वाई ने कहा, कि यदि हमने इस तरीके से अनुसंधान किया होता कि हम गैसों के उत्सर्जन और अन्य ऐसी बातों से बच सकें, तो ऊर्जा की कम खपत वाले उपकरण खरीदे जा सकते हैं। आज कोयला है। हममें से प्रत्येक आज हीटर का इस्तेमाल करेगा, चाहे इसमें कितनी ही बिजली की खपत क्यों न हो और कितनी ही गैसों का उत्सर्जन हो। मेरे अपने घर में जब भी मैं सर्दी में हीटर जलाता हूं, मुझे असहज महसूस होता है। हालांकि कमरा गर्म हो जाता है, परन्तु इससे कुछ असहजता होती है। इसी प्रकार जब तापमान बहुत अधिक होता है तो हम एयरकंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। परन्तु यदि भवन निर्माण सामग्री के डिजाइन में इस तरह अनुसंधान किए जाएं, तो हमें इस प्रकार ऊर्जा खपत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : खोखली ईंटें।

श्री के. एस. राव : जी हां, हमें इन एयरकंडीशनरों, हीटरों की आवश्यकता नहीं होती है। हम ऊर्जा बचा सकते हैं और इन गैसों के उत्सर्जन को रोक सकते हैं। हम इस समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अनेक अवसरों पर मैंने कहा था कि इस देश में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की अनदेखी की जा रही है। अनुसंधान और विकास के लिए अत्यधिक धन आबंटित किए जाने की आवश्यकता है। हमें एक औषधि 1000 रु. में खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं होती है, जबकि वह एक रु. में निर्मित की जा सकती है। इसका कारण यही है कि वहां अनुसंधान और विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है। परन्तु हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अमेरिका हमें लूट रहा है उनकी औषधि निर्माण का खर्च एक रू. है और वे हमसे 1000 रु. दाम लेकर हमारा शोषण कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या अनुसंधान किया है, जिसे हम नहीं कर सकते? वे इसे किस प्रकार करते हैं? वह यह सब हमारे लोगों की मदद से ही करते हैं। या अनिवासी भारतीय अथवा वहां गए किसी एशियायी ने यह अनुसंधान किया होगा। वे हमारी योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम यही चीज यहां नहीं कर सकते। मंत्री

महोदय, आपके मंत्रालय के लिए आपको अधिक आबंटन मिलता है। हम सभ आपका समर्थन करते हैं। विशेषकर इस संदर्भ में, अनुसंधान और विकास के द्वारा हम इन सभी व्यय से बच सकते हैं।

इसी प्रकार मैं यह सोचता हूं कि कृषि से संबंधित क्षेत्र गैसों के उत्सर्जन में 30 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं। इस दिशा में पर्याप्त अनुसंधान कर इस पर रोक लगायी जा सकती है। गोबर का खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि हम अधिक पशुधन को प्रोत्साहित करेंगे तो इन सभी गैसों को कम कर सकते हैं। हम उर्वरक को बढ़ावा देते हैं, हम कीटनाशक को बढ़ावा देते हैं और इसके लिए काफी प्रचार करते हैं और विज्ञापन देते हैं। इसके स्थान पर हम जैविक उर्वरकों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

मैं समुद्र तटीय क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं समझता हूं कि तापक्रम में 2 डिग्री की वृद्धि होने से 5,76,400 हेक्टेयर भूमि जल प्लावित हो जाएगी। पानी के स्तर में 0.5 मी. की वृद्धि होगी। 2100 तक समुद्र का जल मुख्य भूमि में आ जाएगा। खारापन बढ़ जाएगा और काफी सारा भू–भाग बेकार हो जाएगा। मीठा पानी निचले क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएगा और इससे भी हमें काफी नुकसान होगा।

महोदय, बचपन में मेरे माता–पिता मई के महीने में पौधे लगाना शुरू करते थे। अब मौसम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है जो कल्पना से परे है। 40 वर्ष पूर्व जो पौधारोपण मई में किया जाता था अब अगस्त महीने में किया जा रहा है। जब फसल आती है जो काफी अच्छी होती है और किसान गर्व से यह सोच रहा होता है कि उसे प्रति एकड़ धान के 5 बैग की पैदावार होगी परंतु रातों रात चक्रवात आता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए पौधारोपण में देरी से फसल तैयार होने में देरी होती है और जब तक चक्रवात आता है पूरी फसल तबाह हो जाती है इसका अर्थ यह हुआ कि जलवायु में परिवर्तन से कई तरीके से देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग प्रभावित होते हैं। शहरी लोग और अमीर लोग तो फिर से उठ खड़े हो सकते हैं।

अब हमारे कई मित्रों ने कहा है कि विकसित क्षेत्रों में 20 प्रतिशत जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक गैस उत्सर्जित कर रही है। और वे इसके बारे में कोई चिंता नहीं करते। यदि यही चीज भारत में हो तो इन देशों द्वारा कितना हो हल्ला मचाया जाएगा? वे इसकी चिंता नहीं करते। हमें न केवल नेतृत्व करना चाहिए बल्कि जैसा कि श्री स्वाईं ने कहा कि हमें अमेरिका जैसे देशों की गलतियां ढूंढनी होगी और हमें निश्चित रूप से इस बात पर बल देना चाहिए कि उन्हें अपने देश में उत्सर्जित गैसों के आधार पर पर्याप्त योगदान करना चाहिए। तीन या चार प्रतिशत जनसंख्या के साथ जब वे 50 प्रतिशत गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, उन पर कितना प्रभार लगाना चाहिए? उनके दुरूपयोग के लिए हमें क्यों दंडित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं दोनों माननीय मंत्रियों – विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा वन और पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में कहा परंतु उनका अनुप्रयोग इन चीजों पर नहीं था। जब एक परियोजना 10,000 करोड़ रुपए से शुरू की जाती है, यदि 150 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा हो, वे कहते हैं, "इसे रोक दो, कई दशक तक इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाओ।" यह उनका मत था और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में उनकी प्रवृत्ति थी। इसलिए माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कृपया वैसे एक क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और जो लोगों के स्वास्थ्य को और राष्ट्र को प्रभावित करती है। न कि केवल तकनीकी रूप से कि यह आरक्षित क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं जहां एक भी पेड़ नहीं हैं पर वे "आरक्षित क्षेत्र" कहलाते हैं।

मेरा मुद्दा यह है कि वे सभी क्षेत्र जो सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां एक पौधा भी नहीं है, उसे उस क्षेत्र के गरीब लोगों को दिया जा सकता है। आपको उन्हें स्थायी अधिकार दिए जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु कम से कम आप पेड़ों को पट्टे पर दे सकते हैं। उन्हें फलों वाले पौधे उगाने दीजिए। आप अपनी पसंद के पेड़ दे सकते हैं जो पर्यावरण को मदद करेंगे और इस प्रकार आप हरियाली भी ला सकते हैं। परंतु वे कहते हैं "यह आरक्षित वन क्षेत्र है और आप प्रवेश नहीं कर सकते।" *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र 'संरक्षित क्षेत्र' है जहां घास तक नहीं है, घास का एक पौधा भी नहीं है।

श्री के. एस. राव : महोदय, वे गरीब लोगों को वहां प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक उन पर इसके लिए दबाव नहीं दिया है।

श्री के.एस. राव : उन्होंने मामले दर्ज किए और फिर न्यायालय में नियमित रूप से उन्हें भेजते रहे हैं। वे उन्हें प्रताडित करते हैं। महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पहलू को ध्यान में रखें और वह भी जो आपने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ क्षेत्रों में जहां घास नहीं है, न कि हरेक क्षेत्र में।

श्री के.एस. राव : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे देखें

[श्री के.एस. राव]

कि इस प्रकार की भूमि स्थानीय क्षेत्र के गरीब लोगों में वितरित की जाए और उन्हें पेड़ उगाने और हरियाली लगाने में उनकी मदद करें और गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करें और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तथा दोनों माननीय मंत्रियों को ग्लोबल वार्मिंग पर इतना अधिक समय, ध्यान और महत्व दिए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्लोबल वार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर पर इस विषय के बारे में केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया चिंतित है। सारी दुनिया के लिए यह समस्या चिंता का कारण बनी हुई है। जिस प्रकार से धरती तप रही है, उसकी वजह से कई तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। अगर हम इस समस्या पर नियंत्रण नहीं कर सके, तो पूरे देश का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कई माननीय सदस्यों ने इस गंभीर विषय के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं और मैं भी आपकी अनुमति से कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

भारतवर्ष एक गरीब देश है और 70–75 प्रतिशत आबादी खेत और खलिहान पर निर्भर है। हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समय पर बारिश नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। इन सब परेशानियों का संबंध किसी न किसी रूप में ग्लोबल वार्मिंग से ही है। इसी वजह से ही सुनामी साइक्लोन का सामना करना पड़ा। गंगा नदी जैसी नदियां भी सूख रही हैं और दिन–प्रतिदिन कई तरह की समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। सूर्य की किरणें ओजोन लेयर से फिल्टर हो कर आया करती थीं, वह फिल्टर न होने की वजह से विषैले पदार्थ नहीं मर रहे हैं और इस वजह से चर्म रोग, कैंसर तथा कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक मिलियन से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण की बीमारी से ग्रसित हैं तथा इससे संबंधित कई प्रकार की बीमारियां बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। वायु प्रदूषण दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन और जंगलों को लगाने का काम नहीं किया जा रहा है। अगर हम जंगलों को लगाने का काम नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।

सदन में उद्योगों की चर्चा की गई है। हम विकासशील देश हैं। निश्चित तौर पर हम आवश्यकता के अनुसार उद्योग लगा रहे हैं और हम कैमिकल्स का उपयोग भी कर रहे हैं। इस कारण हमारी यमुना नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पहले हमारा पटना शहर बिल्कुल गंगा नदी के पास था, लेकिन आज गंगा नदी पटना से लगभग 20 किलोमीटर दूर चली गई। पटना से गंगा नदी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। यह चिन्ता का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल चिन्ता करने में समस्या का समाधान नहीं होगा। पूरी दुनिया को इस संबंध में पहल करनी चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा कि भारत को इस समस्या का समाधान करने के लिए पहल करनी चाहिए और ठोस उपाय ढूंढने चाहिए, अन्यथा जिस परेशानी से हम सब लोग जूझ रहे हैं, वह परेशानी आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा पृथ्वी गर्म होगी, उतनी ही स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए ठोस उपाय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पूरा भूमंडल गर्म हो रहा है।

सायं 6.00 बजे

अभी हाल ही में हम सब लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर सभी नदियां सूख जाएंगी। उस समय क्या होगा? आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, समय पर बारिश नहीं हो रही है, नदियों में पानी खत्म हो रहा है, असमय बारिश होती है, कहीं बारिश बहुत होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है। इसका असर कृषि पर पड़ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, छह बज चुके हैं। क्या हम थोड़े और समय के लिए इसे जारी रख सकते हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, आज चर्चा पूरी हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : इस पर चर्चा कल भी करवा लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चर्चा आज पूरी की जाएगी। तत्पश्चात्, माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आज कार्बन डाईआक्साईड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। सरकार को योजना बनानी चाहिए जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। आज बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है। कचरा बगल के नदी–नालों में फेंक दिया जाता है जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इससे नए–नए रोगों का इजाफा हो रहा है। हर साल कई तरह की बीमारियां आ रही

हैं। इन सबका कारण भी यही है। बड़े पैमाने पर चर्म रोग हो रहे हैं। इसके भी कारण यही हैं। इस मामले में सरकार को कोई ठोस उपाय करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें जनता को भी आगे आना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : आपने ठीक कहा कि जनता के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होगा। मैं पटना शहर की बात कहना चाहता हूं। यहां बहुत से लोग शहरों से संबंध रखते हैं। वे घर से कचरा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोलकाता में भी होता है।

श्री राम कृपाल यादव : इसमें जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई सरकार इसे ठीक नहीं कर सकती है। बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। हम संकल्प लें कि हर घर का एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा। सरकार तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक उसे हम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। हमारी जनसंख्या रोज बढ़ती जा रही है। एक अरब से अधिक की आबादी हो गई है। यह भी हमारे लिए परेशानी का एक बड़ा कारण है। हम आबादी पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है। पेड़–पौधे काटे जा रहे हैं। हरियाली समाप्त होती जा रही है। जनसंख्या भी एक बड़ा कारण है। जब तक लोगों में अवेयरनैस नहीं आएगी, लोग अहमियत नहीं समझेंगे कि पेड़ों का क्या महत्व है, गंदगी उत्पन्न होने से क्या दुष्परिणाम होंगे, कल–कारखानों से जो कैमिकल्स निकलेंगे, उनके क्या दुष्परिणाम होंगे, तब तक इस काम में सफलता नहीं मिलेगी। इन तमाम चीजों पर निश्चित तौर पर सोचने की आवश्यकता है।

गंगा प्लान की बात की जा रही थी। इसकी कई स्कीम्स बनाई गईं और हजारों–करोड़ रुपए आबंटित किए गए लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। गंगा प्लान फेलियर हो गया। क्या गंगा की सफाई हो रही है? जहां–जहां से गंगा गई चाहे इलाहाबाद या पटना से गई, वहां सारे के सारे कचरे फेंके जा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही गई। ट्रीटमेंट प्लांट कहां लगे हैं, इस पर निश्चित तौर पर गौर करने की आवश्यकता है। जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, सारे के सारे खत्म हो गए। मैं समझता हूं कि यह स्थिति दूसरे शहरों में भी पैदा हुई होगी।

मुर्दाघाट बनाने के लिए एक योजना बनी थी। लाशों को जलाने वाली सब मशीनें खराब पड़ी हैं। ...*(व्यवधान)* आपने इसके लिए पैसा दे दिया लेकिन उसे ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो वे कैसे काम करेंगी। गरीब राज्य उन्हें कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसकी मशीनें काफी महंगी आती है। वे बंद पड़ी हैं। सारे मुर्दे और मरे जानवर नदियों और नालों में बहा दिए जाते हैं। डीजल और पैट्रोल के उपयोग से भी कार्बन डाई आक्साइड पैदा हो रही है।

अगर हमने आने वाले दिनों में इसे संभालने का काम नहीं किया तो समुद्री तट पर स्थित सभी शहर डूब जाएंगे, जैसा अभी हाल ही में मद्रास में हुआ है, जानमाल की बहुत क्षति हुई। इसके साथ गंगा समाप्त हो जाएगी, बीमारियों का खौफनाक हमला होगा और जो खतरनाक स्थिति पैदा होगी, उसका चित्रण करने से ही डर लगता है। इसलिए निश्चित तौर पर हमें यह पता होना चाहिए कि सरकार ने इस दिशा में क्या पहल की है, इस बारे में क्या सोचा जा रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं और किस तरह से पेड़ों को लगाने की बात हो रही है?

महोदय, नियम तो बहुत बनते हैं, पॉलिसियां भी बहुत बनती हैं लेकिन पॉलिसियां बनने से कुछ होता नहीं है। प्रदूषण के नाम पर, पौधे और जंगल लगाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, उनसे कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। आप पैसे देते हैं और काम नहीं होता है, इसका क्या फायदा है? मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप वाक्य पूरा करके खत्म कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपनी पार्टी से पहला वक्ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक ही वक्ता का टाइम है।

श्री राम कृपाल यादव : मेरे पास समय तो बहुत है।

अध्यक्ष महोदय : आठ मिनट समय था।

श्री राम कृपाल यादव : सिर्फ आठ मिनट हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या करें।.

श्री राम कृपाल यादव : मेरी पार्टी का ज्यादा टाइम होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार बड़ी पार्टी होकर आइए।

श्री राम कृपाल यादव : अभी हम दो साल नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके बोलने का समय आठ मिनट है और हम आपको बारह मिनट का समय दे रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आपने बहुत कृपा की है, आप मुझ पर कृपा करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें उसका असर भी नजर आता है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में इस विषय पर चिंता हो रही है। यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बैठे हैं, अच्छा हुआ वे पहले नहीं बोले, वे बाद में सब लोगों की बात सुनकर बोलेंगे और कोई ठोस उपाय बताएंगे। पर्यावरण मंत्री चले गए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे यहीं पर हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यहां राजा साहब बैठे हुए हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री कहां हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे पर्यावरण और वन मंत्री हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : कम से कम जो विकसित देश हैं, जब तक वे अपने आपको नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हमारे जैसे विकासशील देश, जिनकी वजह से कम परेशानी हो रही है, इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? इसलिए विकसित देशों को इसमें पहल करनी चाहिए। जब पूरी दुनिया चिंतित है तो निश्चित तौर पर आम लोगों का सहयोग लेकर कोई ठोस उपाय करने चाहिए ताकि जंगल बचे, हरियाली बचे। प्रदूषण दूर करने का मुख्य आधार जंगल है, इसे हम बरकरार रखें। आम लोग गंदगी फैला रहे हैं, इस संबंध में अवेयरनेस योजना चलाकर देश और दुनिया को जीव–जंतुओं को बचाना चाहिए। आज सब जीव–जंतुओं पर प्रैशर है। उनको बचाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाला समय बहुत भयंकर और भयानक साबित होगा। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए, कोई ठोस उपाय नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया का अस्तित्व, जीव–जंतुओं आदि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ ठोस उपाय निकालेंगे। इस संबंध में भारत को पहल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात समाप्त होने पर ही जवाब देंगे।

श्री राम कृपाल यादव : इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप ठोस उपाय बताएं और पहल करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जीव–जन्तु तहस–नहस हो रहे हैं, दूसरी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनसे बचने का हम प्रयास करें।

श्रीमती रंजीता रंजन (सहरसा) : मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि सदन में हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। असल में आज यह चर्चा का विषय ही नहीं रह गया है। हमारे पास अब इतना वक्त ही नहीं है कि हम इस बारे में चर्चा करें, बल्कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान देने का वक्त है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा ध्यान तब गया जब ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए। ग्लेशियर तब पिघलने शुरू हुए, जब ओजोन की परत पतली होने लगी और ओजोन की परत कार्बन–डाई–आक्साइड और सीएफसी गैस, जो हमारे घरों में रैफ्रिजरेटरों, एसी और रॉकेटों में यूज होने वाले फ्यूल के कारण पतली होनी शुरू हुई।

मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हमारा ध्यान प्रिवैन्शन पर ज्यादा है कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं, परंतु हमारा ध्यान ट्रीटमैंट पर नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ हो चुका है, पृथ्वी को जो नुकसान पहुंच चुका है, उसका ट्रीटमैंट कैसे होगा, हम उसका बचाव कैसे कर पाएं। आज हम लोगों को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि जो कार्बन–डाई–आक्साइड करंट मात्रा में है, हम उसे कैसे मैनेज करें। इसके लिए प्लांटेशन की जरूरत है। लेकिन हम प्लांटेशन न करके अधिक से अधिक पेड़ों को काट रहे हैं। इसके लिए हम चाहे जितने भी कानून बनाएं, लेकिन यह हो रहा है। इसके अलावा जो सी.एन.जी. हमनें मैट्रो सिटीज में शुरू की है, यह बहुत लोकलाइज है, लेकिन अभी तक हम अपने देश के समस्त राज्यों के रूरल ऐरियाज में इसे शुरू नहीं कर पाये हैं। हम दूसरे राज्यों में सी.एन.जी. के इस्तेमाल को गंभीरता से कानून के जरिये से लागू क्यों नहीं कर सके हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक मीटिंग में भी इस बात को उठाया था कि जो हमारी पुरानी रिफायनरीज हैं, उनसे और अधिक मात्रा में तेल निकाले, उसके लिए हम अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाई–आक्साइड छोड़ते हैं, ताकि तेल ऊपर आये, जिसके कारण कार्बन डाई–आक्साइड, चाहे वह धरती के नीचे हो या बाहर हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें पॉल्यूट कर रही है। यह भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग पर गंभीरता से सोचना है तो हमें सौर ऊर्जा की ओर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो नुकसान हो रहा है, उसके कारण हमें और आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ पानी ही नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं पर बहुत अधिक सुखाड़ होगा और कहीं पर बारिश होगी। इसके अलावा जो बीमारियां फैल रही हैं और जो आए दिन कुछ लोगों की विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाया जा रहा है, जो आए दिन मीडिया और टीवी में देखने को मिलती है, वह भी ग्लोबल वार्मि का एक उदाहरण है, जिसके कारण लोगों की मानसिकता भी बदलती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आसपास

किस तरह के एनवॉयरमेंट के लिए अवैयरनैस फैला रहे हैं और हम खुद इसके बारे में अवेयर हैं या नहीं हमारा एनवॉयरमेंट कैसा हो और हम खुद इसके लिए क्या कर रहे हैं। आज नेचर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज जहां पर बारिश नहीं होनी चाहिए, वहां बारिश हो रही है, जहां पर होनी चाहिए, वहां नहीं हो रही है। जहां बर्फ नहीं पड़नी चाहिए, वहां ओले पड़ रहे हैं। आज हम वक्त से बहुत पिछड़ गए हैं। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जो जख्म हमने नेचर को दिए हैं, अब उनको भरने की बारी आई है। क्योंकि नेचर तो एक पलटी खाकर फिर से अपने अस्तित्व में आ जाएगा, लेकिन मनुष्य अपने अस्तित्व में दोबारा नहीं आ पाएगा। हमारा अस्तित्व तो खत्म होगा ही, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हम इस धरती में अस्तित्व नहीं दे पाएंगे। मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज जो हमारा वक्त है, वह इस पर सिर्फ डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हमारे पास चंद साल बचे हैं। कभी हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हमारे ग्लेशियर शायद कई वर्षों बाद पिघल जाएं। आज वह वक्त आ चुका है। अब हमारा काम सिर्फ यह है कि हमें इससे कैसे बचना है, हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक प्वाइंट और कहना चाहूंगी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसके विरोध में लगभग सौ देश हमारे साथ हैं। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज वाले कंट्रीज हैं, जैसे अमरीका आदि हैं, हमें उन पर भी दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि यह पूरी अर्थ का मामला है, ग्लोबल वार्मिंग का मामला है। हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोग क्या कर सकेंगे, उस बारे में हमें सोचना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर) : महोदय, इस वाद–विवाद में हिस्सा लेने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले वक्ताओं ने इस गंभीरतम मानवीय संकट से जुड़े सभी सिद्धांतों तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी षडयंत्र के आंकड़ों से लेकर इसके लिए जिम्मेवार सभी अन्य प्रकार के कारकों पर प्रकाश डाला है। मैं केवल दो ठोस मुद्दों को उठाऊंगा पिछले कैलेंडर वर्ष में केरल और असम में बारिश कम हुई थी और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर और लेह में बाढ़ आ गयी थी। भारत के दो मरूस्थलीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गयी। इसलिए वे राज्य जहां अधिक बारिश की आशा की जा रही थी वहां कम बारिश हुई। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि विश्वव्यापी बदलाव हुए हैं। यह प्रश्न नहीं है कि कब ऐसा हुआ, ऐसा हो चुका है। मैं नहीं समझता कि हमें इससे अधिक किसी स्पष्ट उदाहरण की आवश्यकता है। 20वीं शताब्दी में गंगोत्री ग्लेशियर 17 मी. प्रतिवर्ष की दर से घट रहा है। अब 21वीं शताब्दी में यह रिकॉर्ड किया गया है कि यह 26 मीटर प्रतिवर्ष की दर से घट रहा है। महोदय, यह डरावने आंकड़े है इसके लिए बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है जिसे व्यक्त किया जाना चाहिए और साथ ही कार्रवाही भी की जानी चाहिए। मानवजाति इस घटना के लिए जिम्मेवार है। यह मानव विज्ञान से संबंधित है। यह सिद्ध है कि मानवजाति इसके लिए जिम्मेवार है। इस घटना से बाहर निकलने के लिए विश्व समुदाय क्योटो प्रोटोकॉल में एक साथ इकट्ठा हुए। मेरे पहले के वक्ताओं ने क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में विस्तार से कहा है। मैं उन्हें नहीं दोहराउंगा सिवाय इसके कि जीवन जीने की अमेरिकन पद्धति ही प्रमुख प्रदूषक है। हम उन पर कड़ी चीजों के लिए आरोप लगा सकते हैं हम उन्हें इस बात के लिए ही दोष दे सकते हैं। कई वक्ताओं ने कहा कि उन्हें पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि यदि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है तो इसे एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि उन्होंने अव्यवस्था फैलायी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अधिक अव्यवस्था फैलायी है। हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा; हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और विश्व भर में एक वातावरण सृजित करना पड़ेगा कि भारत दोष मढ़ने वाले देश की बजाए समाधान ढूंढने वाले देश के रूप में नेतृत्व की भूमिका में है।

इसलिए भारत में सबसे बड़ा प्रदूषक और मुख्य रूप से प्रदूषण का कारण सरकार है। भारत का विश्व में ऊर्जा की कम खपत के मामले में बहुत खराब रिकार्ड है। भारत सरकार के अधीन आने वाले सभी ताप विद्युत एकक अधिकतम क्षमता पर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इस देश में सरकार ऊर्जा की सबसे ज्यादा खपत करती है। वह ऊर्जा की खपत अक्षम तरीके से करती है। सभी सरकारी भवन ऊर्जा–सम तरीके से नहीं बनाए गए हैं।

मैं एक उदाहरण देता हूं। हम इस सुन्दर हाल में बैठे हैं। इस भवन में जरा सी भी प्राकृतिक रोशनी नहीं है। इस भवन को बनाए रखने के लिए, इसके अंदर अपने कामकाज को सुचारू ढंग से करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक रोशनी का कोई स्रोत नहीं है। यह सही है कि विश्व के सभी लोकतंत्रों में भारत के पास सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। विश्व का कोई भी लोकतंत्र भारत जितनी सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं करता। इसके बावजूद, हमारे भवन बाहर से चाहे जितने भी सुन्दर दिखें यदि उनमें निरंतर रहने वाले प्रदूषण रहित ऊर्जा के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता तो मुझे आशा है कि ये भवन अपने उद्देश्य में असफल हैं।

अध्यक्ष महोदय : लुटियन ने इसके बारे में नहीं सोचा।

श्री मानवेन्द्र सिंह : अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

श्री मानवेन्द्र सिंह : यदि हम संसाधनों को प्रदूषण रहित बनाते हैं

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

तो हम उदाहरण पेश करते हैं। आपने हमें इस चर्चा के लिए अवसर देकर हमारा नेतृत्व किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संबंध में भी हमारा नेतृत्व करें कि इस भवन में कामकाज करने के लिए, सौर–ऊर्जा का यथासंभव उपयोग किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मैंने तो धूम्रपान छोड़ दिया है।

श्री मानवेन्द्र सिंह : यह भी हमारे लिए एक उदाहरण है। चूंकि सरकार स्वच्छता अभियान के भाग के रूप में एक उदाहरण पेश कर रही है, इसलिए मैंने विद्युत उत्पादन, बिजली का अनुचित उपयोग, भवनों इत्यादि का उदाहरण दिया।

सरकार की प्रदूषण में भागीदारी का एक अन्य खराब उदाहरण हमारी एशिया–पैसेफिक समझौते में भागीदारी है। विश्व के प्रदूषण फैलाने वाले देशों का 50 प्रतिशत इस समूह का हिस्सा है और हम भी हैं तथा यह एपीपी क्योटो के उत्तरदायित्व से बचने का एक तरीका है। हमने इसकी सदस्यता को अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में माना लेकिन यह अपने कार्य को उचित ढंग से करने से बचने के लिए है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह कहकर कि यह निकाय उत्सर्जन नियंत्रण और उत्सर्जन में कटौती को अनिवार्य नहीं बनाता, एपीपी की सदस्यता छोड़ दे और एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

यह एक खराब उदाहरण है। यदि आप बजट पत्र देखें तो अपारंपरिक ऊर्जा विभाग के स्रोतों के अंतर्गत वार्षिक आबंटन वास्तव में दिल्ली में वीआईपी सुरक्षा के आबंटन से कम है। ये लिखित आंकड़े हैं और मैं इस पर और अधिक नहीं कहना चाहूंगा। यह स्वयं में एक घोटाला है। सौर ऊर्जा के धनी देश के पास इसके लिए केवल इतना ही आबंटन है।

पिछले कुछ दिनों में मैंने इस संबंध में आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की है कि हम अपारंपरिक ऊर्जा अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में आर एंड डी पर कितना व्यय करते हैं। अभी तक मुझे यह पता नहीं चल पाया कि हम कितना व्यय करते हैं। मैं यही पर बैठे दो मंत्रियों विशेष रूप से श्री सिब्बल से अनुरोध करता हूं कि वे हमें देश द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संबंध में आर एंड डी पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित आंकड़ों से अवगत कराएं।

मैं आखिर में यह बात कहना चाहता हूं कि हमें स्वच्छता विकास तंत्र पर पुनः कार्य करने की आवश्यकता है जिसका श्री प्रभु ने पहले जिक्र किया था। हम उसके सदस्य हैं। यूरोप हमसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है और हमारे तंत्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए वे कुछ गति–विधियां भारत में भी करते हैं। यद्यपि भारत सी डी एम का सबसे बड़ा लाभार्थी है और हमारे पास सबसे अधिक परियोजनाएं हैं। लेकिन वास्तव में अधिकांश परियोजनाएं प्रौद्योगिकी–सम्मत नहीं हैं।

उन इकाइयों की क्षमता लगभग 15 डालर प्रति इकाई होती है और अब यह घटकर 60 सेंट प्रति इकाई रह गई है। यह यही दर्शाता है कि वे इन परियोजनाओं को जारी रखने के प्रति कितने गंभीर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था सार्वजनिक क्षेत्र में यह केवल एक सी डी एम परियोजना नहीं है जो कि सबसे बड़ी प्रदूषक है।

मैं यह दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आज हमारे पास इस पर चर्चा करने का अवसर है। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कार्यालय में ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में सभी दलों की एक बैठक बुलाएं और अपने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित मानदंड स्थापित करें तथा इस भवन को इस संदर्भ में एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठापित करें कि सौर ऊर्जा का उचित उपयोग कैसे किया जाता है।

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम) : महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे पास उठाए गए प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर हैं क्योंकि प्रकृति चाहती है कि भारत विश्व के देशों में सर्वोच्च स्थान पर हो। मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे यह बताया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस कितने बजे तक चलेगा?

अध्यक्ष महोदय : 7 बजे तक।

श्री रेवती रमन सिंह : कल भी इस पर बहस होगी?

अध्यक्ष महोदय : कल जवाब होगा।

श्री रेवती रमन सिंह : हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आ पाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका पार्टी टाइम भी खत्म हो गया है।

[अनुवाद]

आप पहले ही अधिक समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

हम कोशिश करेंगे। आज इसे खत्म करना है।

श्री रेवती रमन सिंह : मेरा एक निवेदन है कि कल कुछ देर और इस पर चर्चा करा दीजिए और फिर जवाब करवा दीजिए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस विषय पर चर्चा कराई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने अनुमति दी है। हम चार घंटे की चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

हम कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

डा. के. धनराजू : महोदय, भगवान ने हमें इसलिए सूरज की रोशनी और समुद्र में इतना पानी दिया है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों और सुझावों के बारे में मेरे पास जवाब है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में औरोविले नामक एक स्थान है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है। हम केवल इसका प्रबंधन करते हैं; मानव संसाधन विकास मंत्रालय केवल उस शहर का प्रबंधन करता है। वे वहां पर सभी तकनीकें अपनाते हैं। वे चूल्हा–ईंटों का उपयोग नहीं करते। वे पेड़ नहीं काटते हैं। वे भवन निर्माण के लिए केवल कच्ची ईंटों का उपयोग करते हैं। वे केवल सौर कुकर का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास दूसरा सबसे बड़ा सौर–किचन है। वे उस शहर में रहने वाले हजारों लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। वे प्लांट आयल से जनरेटर चलाते हैं। मैं वहां पर पिछले विश्व पृथ्वी दिवस के दिन गया था। उन्होंने मुझे वाहनों में सौर पैनल का उपयोग करने की सलाह दी। मैंने सौर–पैनल ले लिया है। यह मेरे वाहन में लगाया जा रहा है अब मेरी कार की बैटरी केवल सौर–सेल द्वारा ही चार्ज की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा है।

डा. के. धनराजू : साथ ही उन्होंने यह भी सलाह दी कि जीवाश्म ईंधन डीजल की बजाए इसे पौधों से निकाले गए 10 प्रतिशत तेल के साथ मिलाया जा सकता है। उन्होंने 'पंगम पिनाथा' तेल का सुझाव दिया है। इसे 'पंगम' के बीज को पीसकर निकाला जाता है। उन्होंने इसका उपयोग करने की कोशिश की और इन सब कार्यों के लिए वे शोध करते हैं और तत्पश्चात् उन्हें कार्यान्वित करते हैं। अतः, महोदय, यदि उन खोजों का उपयोग किया जाना है तो सभी तकनीकों का पूरे देश में उपयोग किया जाए, तभी हम गर्मी कम करने में सक्षम होंगे।

यह एक वैश्विक तथ्य है। प्रकृति संतुलन चाहती है। यह प्रकृति का नियम है। जब हम संतुलन बिगाड़ते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में बड़ी खतरनाक होती है और इसकी तापमान में बढ़ोत्तरी होती है।

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : हम कल भी इस पर कुछ चर्चा करेंगे। इसमें सभी माननीय सदस्यों द्वारा अत्यधिक रुचि ली गई है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अब श्री राधाकृष्णन पीठासीन होंगे।

सायं 6.27 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए।)

डा. के. धनराजू : हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। यदि हम पृथ्वी को एक तंत्र मानते हैं और भौतिकी और रसायन की दृष्टि से इस तथ्य को देखते हैं तो जब भी किसी तंत्र में तापमान बढ़ता है, ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत लागू होते हैं। भौतिकी में दो तथ्य होते हैं – एंट्रोपी और एन्थैलपी। जब भी ये तथ्य धनात्मक होते हैं, हमेशा गड़बड़ होती है। यही हमारी पृथ्वी में हो रहा है। अतः, इसके प्रभाव को कम करने और इसे उत्क्रमणीय बनाने के लिए कारण और प्रभाव को जानते हुए हम क्या उपाय करने जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* हमें तापमान कम करने की ओर ध्यान देना होगा। ये सभी चीजें तात्कालिक अथवा अचानक होने वाली नहीं हैं। यह पृथ्वी के निर्माण के समय से ही स्पष्ट है। तथापि, पृथ्वी पर रहने वाला हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। हमें किसी देश को दोष नहीं देना चाहिए। अंततः, आई पी सी सी द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के पश्चात् हमने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. के. धनराजू : जी नहीं, महोदय, बीच में बहुत व्यवधान हो गया था।

ऐसा कहा जा रहा है कि औसत तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। इसलिए महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रभाव को कम करने के लिए गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : सभा पर भी ग्लोबल वार्मिंग लागू होती है इसलिए बोलने की भी कुछ सीमा होनी चाहिए।

डा. के. धनराजू : जी हां, महोदय, हमें ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध तैयार हो जाना चाहिए। यही हम कर रहे हैं। अतः जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बढ़े हुए तापमान को घटाने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं। इस संदर्भ में मैंने दो वर्ष पूर्व दो प्रश्न पूछे थे। इस संबंध में क्या अध्ययन किया जा रहा है। महासागर प्रौद्योगिकी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया कि इस पर कोई सक्रिय अध्ययन नहीं किया जा रहा है। अतः हमें एक सक्रिय दल का गठन कर इस पर निरंतर निगरानी करनी चाहिए।

[डा. के. धनराजू]

आज दोपहर मैंने अंतरिक्ष में दो तारों के टकराव से संबंधित नासा द्वारा दिखाई गई टीवी फूटेज देखी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह घटना हमारे आकाशगंगा के करीब हुई होती तो नई पृथ्वी बन जाती। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2100 में हमें इस पृथ्वी से विस्थापित होने के लिए एक और पृथ्वी ढूंढनी पड़ेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अरोवीले में अपनायी जा रही तकनीक को अपनाया जाए। वे आधुनिक तकनीक अपनाते हैं। वे राष्ट्रीय बिजली वितरण केन्द्र से बिजली नहीं लेते हैं। वे नगरपालिका का पानी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे तापमान में वृद्धि हो। पारिस्थितिकीय–अनुकूल पद्धति में ही वे सभी आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं। इन तकनीकों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इन सभी को नियंत्रित करने हेतु हमें त्वरित कार्यवाई करनी होगी।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोया (बोब्बिली) : महोदय, ग्लोबल वार्मिंग भूमि की ऊपरी सतह, वायु तथा महासागरों में औसत तापमान में वृद्धि है। पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी की सतह के नजदीक वैश्विक औसत वायु के तापमान में काफी वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग पूरे ग्लोब को चेतावनी दे रहा है। आजकल ठंडी रातें और ठंडे दिन कम हो गए हैं और गर्म दिन, गर्म रातें और लू चलना आम बात हो गई है। महोदय जलवायु परिवर्तन पर इंटर–गवर्नमेंट पैनल (आई पी सी सी) ने कहा है और मैं उद्धृत करती हूं:

"20वीं सदी मध्य से औसत तापमान में परिलक्षित अधिकांश वृद्धि एन्थोजेनिक ग्रीन हाउस गैसों के संकेन्द्रन की लक्षणीय वृद्धि के कारण है।"

इसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के द्वारा भूतल और निचला वातावरण गर्म होता है। अधिकांश राष्ट्रीय सरकारों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुकाबला करने के लक्ष्य से क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन किया तथा उस पर हस्ताक्षर किए। क्योटो तापमान वृद्धि को रोकने के बजाय उसे सिर्फ विलम्बित ही कर सकता है। सौर–मिन्नता जैसी प्राकृतिक घटनाएं ज्वालामुखी के साथ मिल कर 1950 से पूर्व–औद्योगिक समय से संभवतः थोड़ा सा ही वार्मिंग का प्रभाव डाला था। परन्तु 1950 से शीतलकारी प्रभाव डाला था। यदि ग्रीन हाउस गैसों को धीरे भी कर दिया जाए तो भी सहस्राब्दी से भी अधिक समय तथा वार्मिंग और समुद्र के जल स्तर का बढ़ना जारी रहने की आशा है। यह समुद्र की विशाल ताप क्षमता को दर्शाती है। ग्लोबल तापमान में वृद्धि के कारण अन्य बदलाव जिसमें समुद्र जल–स्तर का बढ़ना और वृष्टिपात की मात्रा और पैटर्न में बदलाव हो सकते हैं। अन्य प्रभावों में फसलों की पैदावार में परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, गर्मी में नदियों के जल में कमी प्रजातियों का विलुप्त होना और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का अधिक पनपना। हम पहले ही हिमालय पर्वत के ग्लेशियरों को खतरनाक ढंग से पिघलते हुए देख रहे हैं। इससे उत्पन्न बाढ़ हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाएगी। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि हमारी प्रमुख नदियां, विशेषकर गंगा प्रदूषित हो रही है।

गंगा की सफाई पर व्यय की गई राशि से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। कीटाणु जनित रोग आंध्र प्रदेश के जनजातीय इलाकों में प्रकट हो रही हैं। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पहले ही वीजीनाग्राम, आंध्र प्रदेश में कीटाणु जनित रोग संस्थान को खोलने का अनुरोध किया है परन्तु इस मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है।

जलवाष्प सहित कार्बनडाइआक्साइड, मीथेन और नाईट्रस आक्साइड गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जब हम कोयला तेल और प्रकृतिक गैस जैसे ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाई–आक्साइड गैस निकलती है। जब हम वनों का नाश करते हैं तो पेड़ों में जमा कार्बन कार्बन डाइआक्साइड गैस के रूप में वातावरण में फैल जाती है। इसके कारणवश भूमि उपयोग पैटर्न तथा अन्य स्रोतों में परिवर्तन हो जाता है जिससे मीथेन और नाइट्रस आक्साइड के स्तर में वृद्धि हो जाती है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा कृत्रिम ग्रीनहाउस गैस जैसे क्लरो फ्लोरो कार्बन निकलती है जिसके कारण वातावरण गर्म हो रहा हैं

ओजोन परत जो समतापमंडल में 15 और 35 कि.मी. की ऊंचाई के मध्य स्थित है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणों को सोख कर पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है।

19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक कार्यकलापों के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। ऊर्जा क्षेत्र जिम्मेदार है तीन चौथाई कार्बनडाईआक्साइड उत्सर्जन के लिए। वातावरण में कार्बनडाईआक्साइड की संकेद्रियता और जलवायु परिवर्तन का परस्पर संबंध है।

भूमि उपयोग पैटर्न, वन–नाशन, व्यापक कृषि तथा अन्य गति–विधियों के कारण कार्बनडाइआक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली में कुछ पेड़ों को काटा जा रहा है। जनता की ओर से इस कार्य का पहले ही विरोध हो रहा है। मुझे आशा है कि सरकार एबी खेल के लिए एक वैकल्पिक मैदान तलाश लेगी।

यह बेहतर होगा कि अधिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे सौर ऊर्जा और पनबिजली में निवेश किया जाए। सार्वजनिक चर्चा में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार को ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण हेतु निधि सृजित करनी

चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अन्यथा स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी और यदि हम इसे रोक नहीं सके तो इस पर नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को प्रभावी ढंग से न निपटने के कारण भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, मुझे बोलने हेतु समय देने के लिए धन्यवाद। चूंकि सारी बातें यहां पहले ही कही जा चुकी हैं इसलिए मैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा।

महोदय, यह सच है कि जलवायु में परिवर्तन है। इसका वास्तविक कारण क्या है? केरल और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सिर्फ दो जलवायु होती है – वह भी विषम जलवायु है या तो भारी वर्षा अथवा बाढ़ आती है अथवा सूखा पड़ता है। इसके बीच का कोई मौसम नहीं है। मौसम को क्या हो गया है? मेरे विचार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु में स्थिरता का कार्य वनों द्वारा किया जाता है। अब वन कहां चले गए हैं।

मैं अपना उदाहरण दूंगा। मैं वर्ष 1987 में केरल सरकार में वन मंत्री बना मैंने एक आदेश जारी किया कि वनों से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। वनों को राजस्व के रूप में नहीं देखा जाएगा। वह एक प्राकृतिक सम्पत्ति है। 48 घंटे में ही मुझे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तब मुझे समझ में आया कि वनों को बचाया नहीं जा सकता। वनों को बचाने का एक ही तरीका है इसका सफाया किया जाए। वन ही नदियों के उद्गम का स्रोत है। केरल में 44 नदियां हैं फिर भी वहां पानी की कमी है क्यों? क्योंकि प्रदूषण के कारण नदियों का जल स्तर धीरे–धीरे कम हो रहा है। भूमि पर भू–क्षरण को रोकने के लिए वनों का आच्छादन होना चाहिए। यहां सभी शिक्षित लोग हैं। यदि भूमि की ऊपरी परत का एक इंच भी ह्रास होता है तो बिलियन वर्षों में वहां कुछ भी पैदा नहीं होगा। वहां कोई भी प्राकृतिक आवास चाहे वह मानव अथवा पशु हो कुछ भी नहीं होगा। वह हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। इस देश में भू–क्षरण का स्तर क्या है? इसलिए वनों की कटाई एक सचमुच गंभीर मामला है।

मानव द्वारा उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग से विश्व को ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी को खतरा है। अब प्रश्न यह है कि क्या जीवन बचेगा अथवा क्या स्वयं पृथ्वी भी बच पाएगी। पहले हमारी धारणा थी कि पृथ्वी को हमारी आवश्यकता है। परन्तु अब पृथ्वी को हमारी नहीं वरन् हमें पृथ्वी की आवश्यकता है। आक्सीजन कभी भी सांस लेने के लिए नहीं कहता। पानी कभी नहीं कहता कि हमें पियो। हमें जल की आवश्यकता है। हमें जल को बचाना है और हमें इसके लिए नीति बनानी होगी। कम से कम क्या सरकार एक स्वर में यह कह सकती है कि वन अब राजस्व नहीं परन्तु पूंजी है। क्या हम यह कह सकते हैं?

हाल ही में, मैं दो कारणों से हिमालय में भ्रमण कर रहा था। एक तो यह देखने के लिए कि वहां क्या गतिविधि चल रही है और दूसरे चिंता के कारण। गंगा मर रही है। ऐसा नहीं है कि गंगा स्वयं मर रही है हम गंगा को खत्म कर रहे हैं। हम गंगा की हत्या कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा समाप्त हो चुकी हैं, इस शताब्दी के अंत तक गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि 1962 से 40 वर्ष की अवधि में हिमालय से छोटे ग्लेशियरों में से 38 प्रतिशत के पिघलने का खतरा है जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है प्रति वर्ष 30 मीटर की औसत रीट्रिट दर से तेजी से पिघल रही है। नेपाल का खुंबु ग्लेशियर एक वर्ष में तीन मील पिघल रहा है। मैं सारे आंकड़े प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। महोदय, एक विख्यात वन रक्षक और विख्यात वन्यजीव फोटोग्राफर श्री एफ.डब्लयू. चैम्पियन और उनके पोते द्वारा लिए गए अक्टूबर, 1936 से 70 वर्षों के अंतराल में कुमाऊं पहाड़ियों में पिहाड़ी ग्लेशियर फोटो से ग्लेशियर बर्फ के पिघलने की भयभीत करने वाली बात पता चलती है और वृक्ष रहित पर्वतों के बीच बारहमासी बहाव के स्थान पर एक पतली सी धारा रह गई है। उन 15,000 हिमालय ग्लेशियरों का क्षरण जो कि एशिया की गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी सात नदियों के लिए जल का स्रोत है, ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। यह ग्लेशियर पिघल रहा हैं और ये नदियां विलुप्त हो जाएंगी।

यह विनाशकारी होगा। क्या हम इस देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के बिना एक दिन की भी कल्पना कर सकते हैं? यह केवल भावनात्मक और भावुकता का प्रश्न नहीं है परन्तु वास्तव में क्या होगा? कितने हजारों लाखों लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? इसका क्या समाधान है? कभी हमने इसके बारे में सोचा है?

महोदय, ग्लेशियर हमारी सोच से भी तेजी से पिघल रहे हैं। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हाल ही के अनुसंधान दर्शाते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आएगी इसे ऊंचे पठार पर स्थित 46,377 ग्लेशियरों में से 80 प्रतिशत से अधिक पिघल जाएंगे। हिमालय हमारी सीमा है। हम यह कहते हैं कि यह हमारी रक्षा करता है। संपूर्ण हिमालय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या आप सब इससे चिन्तित नहीं हैं? सभी धार्मिक पैमाने अथवा भावना को भूल भी जाएं तो भी वास्तव में मानव जाति का क्या होगा?

ब्रिटेन के अग्रणी वैज्ञानिक की नई भविष्यवाणी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण आगामी शताब्दी में पृथ्वी के आधे भूमंडल पर सूखे के कारण लाखों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मेट ऑफिस के हैडली सेन्टर फार क्लाइमेट प्रीडिक्शन एंड रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार

[श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार]

भयानक सूखे में कृषि करना असंभव हो जाएगा और यह एक तिहाई पृथ्वी को अपने चपेट में ले लेगा। यह विश्व भर में हो रही तापमान की वृद्धि के संभावित प्रभावों पर की गई सबसे भयानक भविष्यवाणी है फिर भी इसमें लगे वैज्ञानिक कहते हैं कि यह आंकलन वास्तविकता से बहुत कम हो सकता है।

इलेनोर बुर्के तथा हैडली पेन्टर के उनके दो सहकर्मियों के अध्ययन के अनुसार सूखे को मापने का मॉडल पाल्मर ड्रॉउट, सेवेरिटी इंडेक्स आगामी शताब्दी के विश्वव्यापी रूप से पी डी एस आई के बढ़ने की संभावना है और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व भर में बारिश और गर्मी में परिवर्तन की भविष्यवाणी की गई है। यह दर्शाता है कि औसत दर्जे की सूखे की स्थिति, जो वर्तमान में भूमि की सतह का 25 प्रतिशत है, बढ़तर 2100 तक 50 प्रतिशत हो जाएगी, गंभीर सूखे की स्थिति, जो वर्तमान में लगभग 8 प्रतिशत है, वह बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगी और अत्याधिक सूखे का आंकड़ा जो वर्तमान में तीन प्रतिशत है, बढ़कर तीस प्रतिशत हो जाएगी।

इसलिए क्या खतरनाक स्थिति है। अब हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं क्योटो प्रोटोकॉल आदि के विवरण में नहीं जाना चाहता। उनके बारे में यहां माननीय सदस्यों के साथ बात की गई और चर्चा की गई। हमें सभी चीजों के लिए पश्चिम से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रौद्योगिकी मनुष्य के लिए है और हम प्रौद्योगिकी के लिए नहीं हैं। हम प्रौद्योगिकी का उपयोग समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं न कि समस्याओं को सृजित करने के लिए।

अब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं। हरेक आदमी ने यह कहा कि हमारे पास ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत होना चाहिए। परंतु नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर से निकलने वाले अपशिष्ट का हम क्या करेंगे?

डा. राजा रमन्ना एक बैठक में हमारे साथ बैठे हुए थे। वे यह नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं। उन्हीं ने मुझसे पूछा : केरल में कौन से नासमझ लोग हैं जो नाभिकीय रिएक्टर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा – "मैं उन नासमझ लोगों में से एक हूं।" मैंने उनसे यह भी कहा कि वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे परंतु हम लोग उसका प्रभाव जानते हैं। विज्ञान हमारी कई तरीके से मदद कर सकता है। चेरनोबिल तथा श्री माईल द्वीपों से विकिरण का प्रभाव 25,000 वर्षों तक रहेगा। मैं उनमें विस्तार से नहीं जाना चाहता।

जब पोखरन में नाभिकीय परीक्षण किया गया, यह कहा गया कि "बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं।" बुद्ध मुस्कुरा नहीं रहे थे। वास्तव में बुद्ध रो रहे थे।

नाभिकीय ऊर्जा एक समाधान नहीं है। हमें नए समाधान ढूंढने होंगे। औद्योगिक और वातावरण संबंधी नीतियों के संबंध में हमारा समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। लोग यह कह रहे हैं कि सेन्सेक्स ऊपर उठ रहा है। तापमान भी बढ़ रहा है। विश्वव्यापी तापमान सेन्सेक्स की तरह बढ़ रहा है।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जिन्होंने हमसे यह जांचने के लिए कहा कि विकासशील देशों को क्यों अमरीकी सामान खरीदने से मना कर देना चाहिए। यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की दिशा में पहला सकारात्मक कदम है। यह पर्यावरणविदों और सपने देखने वालों की काल्पनिक दुनिया नहीं है। हम सतत विकास चाहते हैं। हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। ग्लोबल हीटिंग से विश्व का विनाश हो जाएगा ...*(व्यवधान)*

मैं अपनी बात एक चीफ सिएटल को उद्धृत कर समाप्त करूंगा जिन्होंने कहा था –

"इफ ऑल दैं बीस्टस वेयर गोन, मैन वुड डाई फ्रॉम ए ग्रेट लोनलीनेस ऑफ दे स्पिरिट फॉर व्हाइटएवर हैवेन्स टू दैं बीस्टस विल सून हैपम टू मैन, ऑल थिंग्स आर कनैक्टेड।"

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवा काशी) : महोदय, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मानव रह सकता है। पृथ्वी के इस स्वर्ग को रेगिस्तान में बदला जा रहा है और इससे पृथ्वी पर रहने वाली प्रजातियों को खतरे की आशंका हो गई है। मैं इस अवसर को ग्लोबल वार्मिंग पर चर्च में हिस्सा लेने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मानता हूं जिसमें सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर एक स्वर से ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप और अधिक नुकसान की प्रवृत्ति को रोकने संबंधी जिम्मेवारी के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट की है। जो वातावरण साढ़े छह लाख वर्षों से हमारे लिए अनुकूल था उसमें कई अद्भुत परिवर्तन हुए हैं और कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों के निरंतर उत्सर्जन से पिछले वर्षों में अत्याधिक नुकसान हुआ है। पिछले 150 वर्षों के दौरान विगत 11 वर्षों में ओजोन परत में अत्याधिक कमी और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में बढ़ोत्तरी हुई है। इस पृष्ठभूमि में हमने ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभावों को महसूस करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष मुम्बई में अप्रत्याशित रूप से 48 घंटे के भीतर 994 मि.मी. की भयानक बारिश हुई। हमारे देश में लगभग दो वर्षों पहले सुनामी के रूप में प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। हमारा देश पहले से ही जल संसाधनों के घटते स्तर की समस्या से जूझ रहा है जो नदी–जल विवादों के कारण और अधिक बढ़ गयी है। आज हमें प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए 1800 क्यूबिक लीटर पानी मिलता है। 2050 में यह कम होकर

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

1040 क्यूबिक लीटर हो जाएगा। इसमें तमिलनाडु जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों में विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां पानी का अभाव है। जैसा कि अनुमान लगाया गया है, यदि समुद्र का स्तर लगभग 40 सें. मी. बढ़ जाता है तो तमिलनाडु सहित अनेक तटीय राज्यों को बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ेगा। यह ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय अवनति से कृषि उपज में भारी गिरावट आएगी और कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा।

अब से तीस वर्षों बाद हमारी प्रमुख नदियां और बारहमासी नदियों के अस्तित्व समाप्त होने का खतरा हो जाएगा। तापमान में दो सेंटीग्रेड की वृद्धि से हमारा कृषि उत्पादन 30 प्रतिशत तक प्रभावित हो जाएगा। तापमान में दो सेंटीग्रेड की वृद्धि से धान की उपज में 15 प्रतिशत की कमी होगी। इससे गंभीर चक्रीय प्रभाव होंगे। चूंकि हमारा देश अधिक जनसंख्या वाला देश है, बढ़ी हुई जनसंख्या को उसी सीमित प्राकृतिक संसाधनों, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र के कारण पहले ही क्षय हो चुका होगा में से हिस्सा बांटना पड़ेगा। मेरे विद्वान सहयोगी जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारणों तथा प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए अपनी चिन्ता प्रकट की और सुझाव दिए। हमारा देश उनमें से एक है जिसे इसका दुष्प्रभाव झेलना होगा। इसलिए अमेरिका जैसे विकसित देश, जिनका ग्लोबल वार्मिंग में काफी अधिक भागीदारी है, उन्हें विकसित देशों को होने वाली हानि की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने हेतु आगे आना चाहिए। हमें इस मुद्दे पर निश्चित रूप से बल देना चाहिए और हमें विकसित विश्व की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोकने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, बिजली की बचत, परिवहन ईंधन के रूप में गैस का उपयोग, 5 प्रतिशत इथेनॉल युक्त पेट्रोल का उपयोग, हमें ग्लोबल वार्मिंग के बुरे प्रभाव से बचाने में मदद करेगा।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष पीठ का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, मेरे माननीय और वरिष्ठ सहयोगियों के भाषणों के पश्चात् सभा का माहौल निराशाजनक हो गया है। वास्तव में मैं देख रहा था कि माननीय अध्यक्ष, जो आपसे पहले पीठासीन हुए थे, अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रसन्न और शांत थे। मुझे विश्वास है कि ऐसा सभी पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निराशावादी परिदृश्य के कारण नहीं अपितु विषय की गंभीरता के कारण था। जब हमने पिछले सप्ताह जब हमने कहा था कि इस मामले को कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए तो उन्होंने बड़ी कृपा की कि इस मामले को तत्काल चर्चा के लिए लिया। माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस मामले को पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और इसके लिए सभा उनकी आभारी है।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री के अर्थपूर्ण उत्तर से निराशा का वातावरण समाप्त होगा और आशा की किरणें दिखेंगी।

महोदय, 'यू एन इंटर–गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' 130 देशों के 2500 वैज्ञानिकों का एक निकाय है। इस निकाय ने भविष्यवाणी की है कि यदि धरती के तापमान में वृद्धि से निबटने के लिए तत्काल कदम न उठाए गए, तो इससे बहुत तबाही होगी। इस निकाय ने कहा है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां इस मामले से निपटने के लिए केवल गंभीर प्रयास नहीं अपितु तत्काल कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के इस निकाय ने और अधिक सूखा, गर्म हवाओं, बारिश और समुद्र के स्तर में धीरे–धीरे वृद्धि होने की भविष्यवाणी की है जिसका प्रभाव हजारों वर्षों तक बना रहेगा।

महोदय, भारत ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से प्रभावित होने वाले एशिया के सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र में से है। एशिया में कुपोषण, डायरिया, कार्डियो रेस्पिरेटरी जैसी बीमारियों और अत्यधिक गर्मी से होने वाली मृत्यु–दर से मानव जीवन को अत्यधिक खतरा होने की संभावना है। ऐसा कहा गया है कि यदि औसत तापमान में दो डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, तो 20 से 30 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। बहुत अधिक गर्म हवाओं, बाढ़, तूफान, आग और सूखे तथा ग्लेशियर पिघलने से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। भारत और चीन में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धरती के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग से सभा भी प्रभावित है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह भविष्यवाणी की गई है कि अफ्रीका में 7.5 से 25 करोड़ लोग पानी की कमी की समस्या का सामना करेंगे। महोदय, अन्ततः, विश्व के जलवायु क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अतः हमारे सामने वास्तविक समस्या है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान क्योटो प्रोटोकॉल संबंधी एक बिन्दु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे का सामना करने में पथप्रदर्शक होगा। इसमें प्रदूषण रहित और विकास तंत्र के लिए एक प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब वह अगले अनुरोध में भाग लेंगे, तो इस प्रावधान की समीक्षा करनी होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस विशिष्ट प्रावधान से क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रमुख बाधा है। क्योटो प्रोटोकॉल के इस विशिष्ट प्रावधान के अनुसार कम्पनियां प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त कर सकती हैं। इन कार्बन क्रेडिट्स को प्रमाणित उत्सर्जन नियंत्रण की इकाइयों में मापा जाता है और कम्पनियां प्रदूषणरहित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर इन क्रेडिट्टस को प्राप्त कर सकती हैं।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

इस विशिष्ट पहलू में यह प्रावधान है कि विकसित देशों की कम्पनियां अन्य देशों से कार्बन क्रेडिट्टस खरीदकर क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण के स्वीकृत मानदंड को पूरा कर सकती हैं। हमारे पर्यावरण सचिव अधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि भारत को कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसका तात्पर्य है कि हम अपने प्रयासों से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स को अमरीका अथवा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों जैसे विकसित देशों को बेचेंगे। यदि हम वैश्विक उत्सर्जन दर की बात करें, तो गैस उत्सर्जन के मामले में अमरीका 30 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत की उत्सर्जन दर केवल 3 प्रतिशत है। हम इस प्रकार का उत्सर्जन नहीं करते। हम कार्बन क्रेडिट्स का अर्जन करते हैं और हम इन कार्बन क्रेडिट्स को अमरीका को बेच देंगे। इसका तात्पर्य है कि अमरीका उत्सर्जन करता रहेगा और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपनी बाध्यता को भी पूरा कर लेगा। ऐसा इसमें लिखा है। मैं माननीय मंत्री से इस विशिष्ट पहलू की जांच करने का अनुरोध करता हूं और मुझे लगता है कि हमें क्योटो प्रोटोकॉल के इस विशिष्ट प्रावधान का पुरजोर विरोध करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि विकासशील देशों के अथक प्रयास के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसको प्राप्त करने की बजाय क्योटो प्रोटोकॉल में अंतर्निहित सभी शर्तों को विश्व के सभी राष्ट्रों – विकसित और विकासशील को मिलकर पूरा करना चाहिए।

महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि भारत को इस रीति से धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे समस्या ही बढ़ेगी और अंततः इस विशिष्ट प्रयास का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अगले सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को मजबूती से रखें और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इसे अपनी पूरी योग्यता से करेंगे।

महोदय, मैं सभा में इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कराने के लिए माननीय अध्यक्ष का पुनः धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। धरती का वातावरण इसलिए भी गर्म हो रहा है, क्योंकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे सूरज की किरणें सीधी धरती पर आ रही हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण, वर्षा भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर कम से कम 36 प्रतिशत, यानी एक जगह 100 एकड़ जमीन पर जंगल अनिवार्य होना चाहिए। मैं समझता हूं कि 100 एकड़ तो क्या, दस एकड़ भी जंगल कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वनों की बढ़ोत्तरी के लिए योजनाएं तो काफी बनाई जाती हैं और प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए पौधे लगाने पर खर्च किए जाते हैं, हेक्टेयर के हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने की बात होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक भी पौधा कहीं लगाया हुआ नहीं मिलता। इस तरह पैसे का दुरुपयोग होता है। विश्व बैंक से भी इस काम के लिए हमें पैसा मिलता है। उसके बावजूद भी पौधे नहीं लगाए जाते हैं। दूसरे, कल–कारखाने भारी तादाद में लगाए जा रहे हैं, जिनसे कार्बन डाई आक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है। इससे भी पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह देखने में आता है कि जहां कल–कारखाने लगाए जाते हैं, वहां पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उन्हें आसानी से लाइसेंस दे दिया जाता है। इस तरह से लोग कारखाने लगाकार वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जंगल पर जब तक हम पूरी तरह ध्यान नहीं देंगे, जंगल नहीं बचेगा। जिस तरह से सरकार ने यह संकल्प लिया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे का अनिवार्य रूप से स्कूल में नामांकन किया जाना चाहिए, उसी तरह से भारत में बसने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए यह कानून होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष वह पांच पेड़ अवश्य लगाए। वन विभाग की ओर से जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वे जमीन के पानी को सोख लेते हैं। यूकेलिप्टस का पेड़ जमीन के पानी को सोख लेता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह बड़, आम, कटहल के अधिक पेड़ लगाए, जो सूरज की विषैली किरणों को धरती पर आने से रोकते है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार फलदार वृक्ष लगाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह चर्चा कल जारी रहेगी। इस चर्चा पर माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने से पहले शेष वक्ताओं को कल अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आपने अपना नाम दे दिया है, तो वह सूची में होगा।

सभापति महोदय : सभा अब अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके माध्यम से सदन में रख रहा हूं। इलाहाबाद में इटारसी के बीच यात्री गाड़ियों में आए दिन लूट, डकैती तथा महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल

ही में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। इस रेल मार्ग पर चलने वाले यात्रियों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। हमने रेल मंत्रालय का ध्यान कई बार इस ओर आकर्षित कराया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे यह बताएं कि हाल ही में इस रेल मार्ग पर ऐसी कितनी घटनाओं को नोटिस में लिया गया है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही पिछले तीन वर्षों में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, इस तथ्य से देश को अवगत कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री टी.के. हमज़ा (मंजेरी) : महोदय, मैं इंडियन एयरलाइन्स में कार्यरत नैमित्तिक कामगारों के संबंध में कतिपय तथ्यों को माननीय नागर विमानन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। वे वहां 15 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। कामगारों को नैमित्तिक के रूप में नियुक्त किया था और वे नियमित पदों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें वर्ष में 120 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है और उनकी सेवा में आर्टिफिशियल ब्रेक दिया जाता है ताकि कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण न मिले। उन्हें नैमित्तिक कामगार के रूप में इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि सांविधिक लाभों, जिनके वे कानूनन हकदार होते हैं, उन्हें न दिए जाएं। यह गैरकानूनी और अनुचित है।

ये नैमित्तिक कामगार एयरपोर्ट में बहुत अधिक कार्य करते हैं। मैं कालीकट एयरपोर्ट की स्थिति जानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि प्रबंधन शिफ्ट में 50–60 कर्मचारियों की सेवाएं ले रहा है और कुल मिलाकर 200 कर्मचारी हैं जिन्हें नैमित्तिक कामगार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कामगार बैगेज के लोडिंग और अनलोडिंग, लगेजेस, कार्गो, इत्यादि एयरक्राफ्ट की आंतरिक सफाई, केटरिंग, हैंडलिंग वर्क्स, ग्राऊंड वर्क्स इत्यादि जैसे कार्य कर रहे हैं।

महोदय, वे पिछले अनेक वर्षों से स्थायी और नियमित किए जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन विभिन्न तौर तरीकों द्वारा कामगारों के वैध अधिकारों को नहीं दिए जाने के प्रति दृढ़ है। यहां तक कि उन्हें दैनिक मजदूरी भी नियमित रूप से नहीं दी जाती। उन्हें प्रतिदिन केवल 190 रु. का भुगतान किया जाता है। उनकी कम्पनी के नियमों के अनुसार नैमित्तिक कामगारों को किया जाने वाला भुगतान एयरलाइन्स में नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान के समान होना चाहिए। उन्हें समयोपरि भत्ता, भविष्य निधि और उपादान जैसी कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती है।

मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किए जाने और उन्हें सभी सुविधाएं दिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : महोदय, भारतीय डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा है। इसके डेढ़ लाख डाक घरों, आर.एम.एस. प्रशासनिक और डाक लेखा विभाग में लगभग छह लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। डाक विभाग एक केन्द्रीय लोक सेवा क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। आधे डाक कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक हैं। ये ग्रामीण डाक सेवक नियमित कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य करते हैं। लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

एन डी ए सरकार द्वारा भर्ती पर लगाई गई रोक अभी भी जारी है। डाक विभाग में नियमित कर्मचारियों के 38,000 पद और ग्रामीण डाक सेवकों के 10,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण डाक विभाग का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

डाक विभाग सहित सभी सेवा क्षेत्रों का निजीकरण किए जाने की केन्द्र की गलत नीति को समाप्त किया जाना चाहिए। अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारी 10–12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवा को नियमित किया जाना चाहिए। सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। यदि बचत बैंक, बचत प्रमाणपत्र, डा.बी.नि, ग्रामीण डा.बी.नि. का कार्य डाक विभाग को सौंप दिया जाता है तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में सेवाओं के निष्पादन द्वारा डाक विभाग करोड़ों रुपयों का लाभ अर्जित कर सकता है।

अतएव केन्द्र सरकार को यह झूठा प्रचार बंद करना चाहिए कि डाक विभाग घाटे में चल रहा है। और इसके बजाय केन्द्र को चाहिए कि वह डाक विभाग को सशक्त बनाकर इसे सक्षम बनाए ताकि उससे डाक विभाग के लाखों गरीब कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली के चारों तरफ जो भी प्रांत हैं और जो भी अनाज की मंडियां हैं, वे मार्केट्स बिल्कुल फेल हो गई हैं। उनका सारा व्यापार चौपट हो गया है, व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। इसका कारण दिल्ली और आस पास के प्रांतों में इंटर स्टेट कंसाइनमेंट टैक्स में फर्क है। दिल्ली में चार परसेंट टैक्स एग्रीकल्चर पर कम लगता है। सेल्स टैक्स दो प्रतिशत कम है। इस छः प्रतिशत के अंतर के कारण सैंकड़ों किलोमीटर से किसान दिल्ली की मंडियों में अपने ग्रेन लाते हैं जिससे किसानों को परेशानी होती है। चूंकि यहां टैक्स में छः प्रतिशत का अन्तर है, इसलिए किसानों को कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। इसलिए मंडियों में इतनी ज्यादा भीड़

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री किशन सिंह सांगवान]

हो जाती है। इसका दूसरा असर यह होता है कि दिल्ली के चारों तरफ जैसा सोनीपत की मंडी है, खरखोदा की मंडी है, बहादुरगढ़ की मंडी है, गुड़गांव की मंडी है, फरीदाबाद की मंडी है, नोएडा की मंडी है, गाजियाबाद की मंडी है, बुलन्दशहर की मंडी है, ये दिल्ली के आस–पास की जितनी मंडियां हैं, वहां का सारा व्यापार और मंडियां फेल हो गई हैं, वहां के व्यापारी चौपट हो गए हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार यह देखे कि टैक्सेज की जो दरें हैं, ये सभी प्रान्तों में समान हों ताकि व्यापारी बचा रहे और किसानों को घर बैठे फसलों का अच्छा दाम मिल जाए। आस–पास के हजारों व्यापारी बर्बाद हो गए हैं और राज्य सरकारों को भी इसकी वजह से बहुत घाटा हो रहा है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और समान टैक्स दर लागू की जाए।

श्री टेक लाल महतो (गिरीडीह) : सभापति महोदय, मैं अति लोक महत्व की समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि सैंट्रल कोल–फील्ड्स लिमिटेड ने वन भूमि से कोयला खदान चलाने हेतु कोलियरी से 400 करोड़ रुपयों से अधिक की राशि जमा की है। बी ऐंड के–8.92 करोड़, टोरी–14.12 करोड़, हजारीबाग–9.57 करोड़, कुजू–7.47 करोड़, गोबिन्दपुर फेज 2–14.28 करोड़, खासमहल ओ.सी.पी.–19.12 करोड़, रेलीगाढ़ा ओ.सी.पी.–14.47 करोड़, सिरका–5.58 करोड़, आरा ओसीपी–18.75 करोड़, लैया यू/जी–6.43 करोड़, तोपा–8.13 करोड़, गिदी–21.84 करोड़, अरगढ़ा यू/जी–9.54 करोड़, पुंडी ओसीपी–5.04 करोड़, गिदी सी–21.29 करोड़, केदला ओसीपी–18.61 करोड़, केदला यू/जी–2.45 करोड़, कुजू यू/जी–9.81 करोड़, सारुबेड़ा ओसीपी–18.01 करोड़, ढोरी खास–18.04 करोड़, स्यालडीह–18.31 करोड़, एनएसडी यू/जी–6.84 करोड़, प्रेज ई–8.61 करोड़, उरीमरी ओसीपी–3.29 करोड़, व न्यू सेलेटेड ढोरी–8.84 करोड़ रुपए है। लगभग 400 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है किन्तु खेद है कि वन विभाग से अभी तक आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण उपरोक्त सभी कोलियरियां बंद होने की कगार पर हैं। मजदूरों को घर बैठा कर वेतन देना होगा जिससे राजस्व की बहुत बड़ी क्षति होगी। कोयला नहीं मिलने के कारण कई कल–कारखाने बंद हो जाएंगे एवं आर्थिक तथा औद्योगिक विकास ठप्प हो जाएगा। अतः मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि शीघ्र इन सभी कोलियरियों को वन विभाग के वन सीमा से बाहर करने का आदेश निर्गत किया जाए।

सभापति महोदय : अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव – उपस्थित नहीं हैं।

श्री अबु अयीश मंडल।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा) : सभापति महोदय, मैं आज सदन में लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा।

कलना–कटना–पुरबास्थली और पश्चिम बंगाल के कई अन्य भागों के हथकरघा बुनकरों की दशा दयनीय है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि देश भर में हमारे हथकरघा बुनकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्हें पावरलूम और वस्त्र मिलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

इन स्थितियों में अप्रैल, 2005 से भारत सरकार ने ब्याज राजसहायता स्कीम बंद कर दी है। इसके परिणामस्वरूप बुनकर सहकारी समितियों को कई परेशानियों विशेषकर बैंक को ब्याज सहित ऋण लौटाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, पावरलूम से तैयार उत्पादों की तुलना में हथकरघा पर बनने वाले उत्पादों की उत्पादन लागत में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

हालांकि यह संतोषजनक है कि अंततः भारत सरकार ने अप्रैल, 2006 से 10 प्रतिशत छूट की स्कीम प्रारंभ कर दी है। हथकरघा उत्पादों के नाम पर पावरलूम से बने उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने 'हथकरघा मार्क' भी प्रारंभ किया है। 2005–2006 से सरकार ने 'क्लस्टर डेवलमेंट प्रोग्राम्स' भी प्रारंभ किए हैं जिनके अंतर्गत 120 क्लस्टरों का चयन किया गया है।

महोदय, बुनकरों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को क्लस्टर एप्रोच कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकाधिक क्लस्टर्स शामिल करने चाहिए और उनके जीवकोपार्जन और उन्नयन के लिए ब्याज राजसहायता स्कीम पुनः प्रारंभ करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मैं एक दलित अधिकारी का विषय उठा रहा हूं। एक दलित अधिकारी डॉ. फूलचंद राम, जो एफसीआई के कार्यकारी निदेशक थे, गोहाटी शहर में उल्फा द्वारा उनका अपहरण किया गया। 17 तारीख से आज तक उनका कोई पता नहीं है कि वे कहां हैं। उनकी फिरौती की खबर जरूर आई है कि 21 करोड़ रुपए दिए जाएं। शायद पहले से ही उनको अंदेशा था कि उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका ड्राईवर मुक्त हो गया है लेकिन आज तक डॉ. फूलचंद राम मुक्त नहीं हुए हैं। गृह मंत्रालय इस पर ध्यान दें कि डॉ. फूलचंद राम वापिस सकुशल वापिस आएं। मुझे लगता है कि अभी तक सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है जबकि मैं दो–तीन दिन से यहां नोटिस दे रहा था और सौभाग्य से आज आपके माध्यम से मौका मिला। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस विषय पर विशेष ध्यान दे क्योंकि करोड़ों रुपए देने की उस परिवार की क्षमता नहीं है। उनका

परिवार गाजियाबाद में रहता है। आज तक उनके विभाग का सीएमडी आदि उनके परिवार से मिलने तक नहीं गया, यह बहुत शर्म की बात है। मैं चाहता हूं ऐसी घटना आगे न हो क्योंकि उल्फा द्वारा और भी कई घटनाएं घटी हैं और आगजनी, विस्फोट आदि किया गया है लेकिन सरकार जागी नहीं है जिसके कारण दूसरी घटना हुई। मैं चाहता हूं कि सरकार जागे और डॉ. फूलचंद राम को सकुशल मुक्त कराए।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मावेलीकारा) : धन्यवाद, सभापति महोदय। देश में फैले तकरीबन 7 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में करीबन 14 लाख महिलाएं कार्यरत हैं। आंगनवाड़ी कामगार समाज विशेषकर ग्रामीण गरीबों के लिए सराहनीय सेवा कर रहे हैं। उनके सेवा क्षेत्र में प्री. स्कूल शिक्षा, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य और रेफरल सेवाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कसने वाली माताओं सहित छः वर्ष तक की आयु वाले बच्चे शामिल हैं। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गरीब महिलाएं बहुत ही कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1,000 रुपए तथा हैल्पर का 500 रुपए का मानदेय तय किया जाता है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 3,000 रुपए और 2,000 रुपए किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ियों को बाल देखभाल–सह–क्रेच में बदल देना चाहिए तथा उसमें अन्य विभिन्न सरकारी सेवाओं को समेकित करके उसे एक पूर्णकालिक सेवा बना देना चाहिए। आईसीडीएस सेवा को स्थायी किया जाए और सभी हितलभों सहित सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाए। सेवाएं ग्रेड–III और ग्रेड–IV में नियमित की जानी चाहिए। एक केन्द्र पर 1000 व्यक्ति की कवरेज की दर से आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। उपरोक्त उपायों की मांग करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस संबंध में तत्कालिक उपाय किए जाएं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागर) : महोदय, इस विषय पर मैं भी अपने को संबद्ध करने का अनुरोध करती हूं।

श्रीमती सी. एस. सुजाता : महोदय, वह भी इस मामले में संबद्ध हो रही हैं।

***श्री पी.एम. आबन रशीद** (पेरियाकुलम) : मैं मैडम सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक उपायों की प्रशंसा करता हूं। वार्षिक हज यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर उनकी सहायता करने के लिए मैं इस सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की तहेदिल से सराहना करता हूं। मुझे एक हज समिति का नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतएव मैं देश में विभिन्न राज्यों के लिए कोटे की संख्या बढ़ाने जैसी कतिपय तत्कालिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है, हज यात्री के रूप में यहां केवल 3250 व्यक्ति ही जा सके। हालांकि केरल जैसे राज्य में यह संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है जिससे विगत वर्ष दस हजार यात्री हज पर गए थे। कश्मीर से 7500 से ज्यादा व्यक्ति गए थे। मैं महसूस करता हूं कि तमिलनाडु को तुलनात्मक रूप से कम अवसर दिया गया है। इसी सम्माननीय सभा के माध्यम से मैं संघ सरकार पर इस बात के लिए जोर देना चाहूंगा कि हमें उन राज्यों के प्रति जरा और उदारवादी बनना होगा जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं। हज कमेटी कोटा बढाए जाने की आवश्यकता है।

हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और यूपीए की अध्यक्ष अन्नई सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में सरकार ने सच्चर समित की रिपोर्ट पर कार्यवाही की है जिसमें अल्पसंख्यकों विशेषकर, अल्पसंख्यक समितियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं और इस कार्य के लिए इस सरकार की सराहना करते हैं।

अब तीन सौ हज यात्रियों के समूह के लिए एक स्वयंसेवी है। स्वयंसेवियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रति सौ हज यात्रियों के लिए एक स्वयंसेवी जरूर होना चाहिए। केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वयंसेवी बनाया जाना चाहिए जिन्हें इस बारे में अच्छी जानकारी हो और एक हाजी के रूप में हज यात्रा का अनुभव रखते हों। केवल सरकारी कार्मिकों को ही स्वयंसेवकों के रूप में नामित किया जाता है। हमें समाज सेवा क्षेत्र के लोगों को भी इस क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। विभिन्न राजनैतिक दलों के नामितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तभी तीर्थयात्रियों को वास्तविक सेवाएं मिल पाएंगी। हज यात्रा के अंतिम पांच दिनों में मुथालीप्पा, मीना, हड़प्पा जैस स्थान पूरी तरह से भर जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान हज यात्री स्वयंसेवकों की सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। इस स्तर पर अपर्याप्त मार्गदर्शन और लचर सेवाओं से तीर्थयात्रा प्रभावित होती है। उनमें समुचित रूप से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों जो उनका मार्गदर्शन कर सकें के साथ सुरक्षा की भावना रहनी चाहिए इस स्तर पर अधिकांश यात्रियों को हाजी के रूप में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सही ढंग से बताया नहीं जाता। इससे सरकार प्रसिद्धि पा सकती है और हज यात्रियों की नजर में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी अतएव मैं संघ सरकार से तमिलनाडु का कोटा बढ़ाने का अनुरोध करता हूं ताकि वहां से ज्यादा से ज्यादा हज यात्री यात्रा पर जा सकें। निजी टूअर ऑपरेटर गलत व्यवहार अपनाते हैं। तमिलनाडु में करीबन 19 टूअर ऑपरेटर हैं करीबन 10 और प्रतीक्षा सूची में हैं। उन्हें भी अनुमोदन किया जा सकता है। कोटे में बढ़ोत्तरी होने से तमिलनाडु हज समिति के माध्यम से की जाने चाहिए। हम टूअर

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

ऑपरेटरों में से वास्तव में एक अच्छे टूअर ऑपरेटर की पहचान करनी होगी। हमें उनकी सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना होगा। प्रत्येक राज्य से टूअर आपरेटरों का उत्तरदायित्व हज समिति को सौंपना चाहिए। तमिलनाडु हज समिति के माध्यम से ही तमिलनाडु हज टूअर ऑपरेटरों का चयन होना चाहिए। प्रति सौ यात्रियों पर एक स्वयंसेवी का नियोजन करके उनकी संख्या बढ़ाते समय सामाजिक सेवा संगठनों के स्वयंसेवियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं मुम्बई में हज कोटा प्रीमियम पर बिका है। इस प्रकार की अनुचित विधियां रोकी जाएं। स्वयं सेवियों द्वारा रियायती विमान भाड़ा और परिवहन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यात्रियों के हित में कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 9 मई, 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 मई, 2007/19 वैशाख (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री चन्द्रभूषण सिंह डा. चिन्ता मोहन	461
2.	श्री मनोरंजन भक्त	462
3.	श्री भर्तृहरि महताब	463
4.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	464
5.	श्री ए. साईं प्रताप श्री किसनभाई वी. पटेल	465
6.	श्री रघुनाथ झा श्री मंजुनाथ कुन्नुर	466
7.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	467
8.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	468
9.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री अजीत जोगी	469
10.	श्री पी. सी. थामस श्री बालासाहिब विखे पाटील	470
11.	श्री पंकज चौधरी श्री रामदास आठवले	471
12.	श्री दुष्यंत सिंह श्री अजय चक्रवर्ती	472
13.	श्रीमती निवेदिता माने श्री कीर्ति वर्धन सिंह	473
14.	श्री सर्वे सत्यनारायण	474
15.	श्री पारसनाथ यादव श्री बापू हरी चौरे	475
16.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	476
17.	श्री गणेश प्रसाद सिंह	477
18.	श्री वी.के. थुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	478
19.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	479
20.	श्री सुग्रीव सिंह श्री चंद्रकांत खैरे	480
21.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	481

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	4544
2	आचार्य, श्री बसुदेव	4439, 4567
3	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4511, 4516, 4560, 4570
4	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	4458
5	अहीर, श्री हंसराज गं.	4413, 4471, 4493, 4511, 4586
6	अप्पादुरई, श्री एम.	4446, 4518
7	अर्गल, श्री अशोक	4511
8	आठवले, श्री रामदास	4504, 4561, 4603
9	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	4436
10	बैठा, श्री कैलाश	4403, 4529
11	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4393, 4404, 4409, 4540, 4589
12	बर्मन, श्री हितेन	4435, 4498, 4588
13	बसु, श्री अनिल	4430
14	बखला, श्री जोवाकिम	4391, 4531
15	भगोरा, श्री महावीर	4392, 4509, 4514, 4563
16	भक्त, श्री मनोरंजन	4508, 4565
17	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4519
18	बिश्नाई, श्री जसवंत सिंह	4488
19	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4471
20	बोस, श्री सुब्रत	4464, 4539, 4587
21	बुधौलिया, श्री राजनरायण	4377, 4586, 4602
22	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	4572
23	चक्रवर्ती, श्री अजय	4520, 4574
24	चौरे, श्री बापू हरी	4525, 4530, 4578
25	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4411, 4499, 4584
26	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4453
27	चौधरी, श्री अधीर	4425, 4491, 4510, 4566
28	चर्चिल, श्री अलीमाऊ	4415
29	दासगुप्त, श्री गुरूदास	4510

1	2	3
30	देवरा, श्री मिलिन्द	4407, 4486, 4555, 4600
31	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	4409, 4431, 4533, 4585
32	धनराजू, डा. के.	4451, 4526, 4577
33	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	4454
34	धोत्रे, श्री संजय	4527, 4530, 4578, 4583
35	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	4538
36	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	4507, 4513, 4567
37	गमांग, श्री गिरिधर	4383
38	गांधी, श्रीमती मेनका	4422
39	गंगवार, श्री संतोष	4395, 4412, 4446, 4447, 4544
40	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4423, 4527, 4530, 4578, 4583
41	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4400, 4464
42	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	4457
43	हसन, चौधरी मुनव्वर	4419, 4497
44	हुसैन, श्री अनवर	4445
45	जगन्नाथ, डा. एम.	4510, 4602
46	जय प्रकाश, श्री	4413, 4437
47	झा, श्री रघुनाथ	4512
48	जिन्दल, श्री नवीन	4398, 4551, 4567
49	जोशी, श्री प्रहलाद	4387, 4523, 4539
50	कनोडीया, श्री महेष	4522, 4602
51	करूणाकरन, श्री पी.	4386
52	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	4384
53	खैरे, श्री चंद्रकांत	4489, 4510, 4513, 4570
54	खन्ना, श्री अविनाश राय	4477, 4596
55	खारवेनथन, श्री एस.के.	4379, 4417, 4511, 4535, 4572
56	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4483, 4554, 4597, 4599
57	कृष्णदास, श्री एन.एन.	4418, 5572
58	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4602
59	कुप्पुसामी, श्री सी.	4385
60	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	4439, 4536
61	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	4454
62	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4406, 4484, 4511, 4553
63	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4511
64	महतो, श्री नरहरि	4375, 4541
65	महताब, श्री भर्तृहरि	4511
66	माझी, श्री परसुराम	4402
67	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	4395, 4446, 4447
68	माने, श्रीमती निवेदिता	4507, 4513, 4567
69	मनोज, डा. के. एस.	4429
70	मसूद, श्री रशीद	4444, 4506, 4572
71	मेघवाल, श्री कैलाश	4421, 4505, 4510, 4513, 4573
72	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4409
73	मैन्या, डा. टोकचोम	4511, 4587
74	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	4522
75	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4446
76	मो. ताहिर, श्री	4572
77	मंडल, श्री अबु अयीश	4465, 4543, 4593
78	मुर्मू, श्री हेमलाल	4424
79	मुर्मू, श्री रूपचंद	4455
80	निखिल कुमार, श्री	4425, 4566
81	नायक, श्री अनन्त	4442, 4542, 4590
82	ओराम, श्री जुएल	4468, 4511, 4587
83	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4502, 4510, 4555, 4564
84	पाण्डा, श्री प्रबोध	4573
85	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4446, 4515, 4517
86	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4491
87	पासवान, श्री सुखदेव	4462, 4463
88	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4522, 4572, 4602
89	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4410, 4500, 4548, 4571
90	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4511, 4604

1	2	3
91	पटैरिया, श्रीमती नीता	4466, 4511, 4533
92	पाठक, श्री ब्रजेश	4413, 4494
93	पाठक, श्री हरिन	4448, 4522, 4572
94	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4537
95	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	4461
96	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4395, 4510
97	पटले, श्री शिशुपाल एन	4413, 4414, 4572, 4580
98	पिंगले, श्री देविदास	4572
99	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4438
100	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4380, 4409, 4485, 4511, 4575
101	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4411, 4458, 4532
102	राधाकृष्णन, श्री वरकला	4432
103	राजगोपाल, श्री एल.	4437, 4456, 4503, 4592
104	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4451
105	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4514, 4568
106	राणा, श्री काशीराम	4456, 4511
107	राणा, श्री रविन्दर कुमार	4536
108	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4456, 4529
109	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4426, 4584
110	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	4511
111	रावले, श्री मोहन	4417
112	रावत, श्री अशोक कुमार	4433
113	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4389, 4442, 4473, 4549, 4601
114	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी	4470, 4571
115	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4459, 4534
116	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4449, 4523, 4576
117	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4397, 4479, 4490, 4581
118	सज्जन कुमार, श्री	4464
119	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4401, 4437, 4480, 4557, 4602

1	2	3
120	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4501
121	सत्पथी, श्री तथागत	4394, 4573
122	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराज	4428, 4496, 4573, 4591
123	सेन, श्रीमती मिनाती	4546, 4594
124	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4388, 4481, 4524, 4582, 4604
125	शैलेन्द्र कुमार, श्री	4409, 4511, 4518, 4575
126	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4511, 4516, 4560, 4570
127	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4413, 4414, 4471, 4547, 4595
128	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4376, 4510
129	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4378, 4474, 4550, 4603
130	सिद्धू, श्री नवजोत	4405
131	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4397, 4511
132	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4510, 4511
133	सिंह, श्री चन्द्रभान	4381
134	सिंह, श्री दुष्यंत	4511, 4515, 4569
135	सिंह, श्री गणेश	4467, 4545
136	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4440
137	सिंह, श्री मोहन	4434
138	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	4416
139	सिंह, श्री राकेश	4529
140	सिंह, श्री सुग्रीव	4482, 4511, 4559, 4604
141	सिंह, श्री सूरज	4409
142	सिंह, श्री उदय	4510
143	सुब्बा, श्री एम. के.	4390, 4445, 4475, 4551, 4562
144	सुब्बारायण, श्री के.	4443
145	सुगावनम, श्री ई.जी.	4396, 4450, 4478, 4552, 4598
146	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4399, 4510, 4521

1	2	3
147	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4393, 4476
148	थामस, श्री पी.सी.	4492, 4558
149	तुम्मर, श्री वी.के.	4472, 4499, 4548
150	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4515, 4517
151	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4408, 4487, 4556, 4561
152	वल्लभनेनी, श्री बालोसोवरी	4427, 4528, 4572, 4579, 4604
153	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4456
154	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4450, 4524, 4604
155	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	4452
156	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4420, 4495, 4511, 4560, 4570
157	विजयशंकर, श्री सी.एच.	4469
158	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4410, 4460, 4490, 4500, 4532
159	यादव, श्री बालेश्वर	4382
160	यादव, श्री गिरिधारी	4446, 4532
161	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	4413, 4494, 4572, 4580
162	यादव, श्री मित्रसेन	4441, 4525
163	यादव, श्री राम कृपाल	4462, 4602

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	
वाणिज्य और उद्योग	465, 470, 472
गृह	473, 474, 481
मानव संसाधन विकास	461, 466, 467, 469, 471, 475, 477
सूचना और प्रसारण	480
खान	463
संसदीय कार्य	
लघु उद्योग	
वस्त्र	462, 468, 478, 479
जनजातीय कार्य	
महिला और बाल विकास	464, 476

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	4377, 4385, 4400, 4411, 4419, 4443, 4455, 4474, 4481, 4485, 4488, 4497, 4559
वाणिज्य और उद्योग	4381, 4382, 4388, 4390, 4391, 4396, 4397, 4404, 4407, 4414, 4415, 4426, 4430, 4435, 4438, 4439, 4456, 4459, 4463, 4464, 4468, 4480, 4484, 4489, 4496, 4498, 4504, 4506, 4508, 4526, 4535, 4537, 4541, 4547, 4555, 4561, 4563, 4564, 4565, 4567, 4573, 4582, 4584, 4587, 4604
गृह	4376, 4386, 4395, 4398, 4405, 4406, 4408, 4409, 4421, 4423, 4431, 4445, 4447, 4451, 4454, 4466, 4491, 4499, 4511, 4512, 4516, 4518, 4520, 4522, 4524, 4530, 4531, 4536, 4540, 4544, 4550, 4551, 4552, 4556, 4557, 4566, 4569, 4572, 4579, 4580, 4581, 4586, 4588, 4590, 4592, 4595, 4596
मानव संसाधन विकास	4375, 4378, 4379, 4387, 4393, 4394, 4399, 4403, 4416, 4417, 4418, 4420, 4425, 4428, 4429, 4433, 4434, 4436, 4437, 4444, 4446, 4449, 4450, 4452, 4453, 4457, 4460, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475,

	4476, 4477, 4487, 4493, 4494, 4495, 4500, 4501, 4503, 4513, 4517, 4519, 4521, 4525, 4529, 4533, 4545, 4548, 4553, 4558, 4560, 4570, 4577, 4578, 4583, 4585, 4591, 4598, 4599, 4601
सूचना और प्रसारण	4470, 4472, 4483, 4486, 4549, 4600
खान	4402, 4507, 4538, 4554
संसदीय कार्य	
लघु उद्योग	4384, 4413, 4465, 4505
वस्त्र	4380, 4389, 4392, 4410, 4412, 4422, 4448, 4458, 4461, 4478, 4479, 4482, 4490, 4492, 4509, 4532, 4534, 4539, 4542, 4568, 4571, 4574, 4576, 4602, 4603
जनजातीय कार्य	4383, 4424, 4441, 4562, 4593
महिला और बाल विकास	4401, 4427, 4432, 4440, 4442, 4462, 4502, 4510, 4514, 4515, 4523, 4527, 4528, 4543, 4546, 4575, 4589, 4594, 4597

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।